सप्तम माला खंड 1 अंक 1

मंगलवार 23 मार्च 1982

2 चैत्र 1904 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

आठवां सत्र



[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 23, मंगलवार, 23 मार्च, 1982/2 चैत्र, 1904 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1-20
*तारांकित प्रश्न संख्या 418 से 422	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	20-214
*तारांकित प्रश्न संख्या 416, 417 और 423 से 435	
अतारांकित प्रश्न संख्या 4651 से 4670, 4672 से 4675, 4677 से 4753, और 4755 से 4881	
सभा पटल पर रखे गए पत्र	215-216
प्राक्कथन समिति	217
इक्कीसवां प्रतिवेदन	
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	218
पैंतीसवां प्रतिवेदन	
अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	219-231
जम्मू के निकट डीजल मिट्टी का तेल आदि ले जा रही मालगाड़ी के कुछ डिब्बों को आग लगने से हुई क्षति	
श्री राजेश कुमार सिंह	
श्री प्रकाश चन्द्र सेठी	
श्री जैनुल बशर	
श्री कमला मिश्र मधुकर	
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	
श्री राम बिलास पासवान	
नियम 377 के अधीन मामले	231-237
(एक) स्टेनलैस स्टील के आयात में कथित कदाचार जिसके परिणाम-स्वरूप सीमा-शुल्क आदि की हानि	
श्री मनी राम बागड़ी	
(दो) राजस्थान में मंदिरों तथा अन्य ऐतिहासिक स्मारकों की उचित देखभाल की आवश्यकता	
श्री भीखाभाई	

*किसी नाम पर अंकित चिह्न † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय पृष्ठ

(तीन) हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में गति लाने की आवश्यकता

प्रो० नारायण चन्द पराशर

(चार) राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण में कथित अकुशलता

श्री कृष्ण प्रताप सिंह

(पांच) भारत इलैक्ट्रानिकल लिमिटेड के दो प्रस्तावित एककों में से एक को पश्चिम बंगाल में तुरन्त स्थापित करने की मांग

श्री नीरेन घोष

(छः) भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों के समान अशोक होटल के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के चिकित्सा व्यय की पूरी क्षतिपूर्ति करने की आवश्यकता।

श्री रशीद मसूद

(सात) सारे देश में घुड़दौड़ पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता।

श्री कमल नाथ

सामान्य बजट—अनुदानों की मांगें, 1982-83 237-305

गृह मंत्रालय

श्री मलिक एस० एम० ए० खां

श्री राम जेठमलानी

श्री गुलाम नबी आजाद

प्रो० के० के० तिवारी

श्री हरीश कुमार गंगवार

श्री चन्द्र पाल शैलानी

श्री इरा अनबरासु

श्री निहार रंजन लस्कर

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट

श्री चिन्तामणि जेना

श्री के० प्रधानी

श्री गोदिल प्रसाद अनुरागी

कार्य मंत्रणा समिति 305

28वां प्रतिवेदन

लोक-सभा

मंगलवार, 23 मार्च, 1982 / 2 चैत्र, 1904 (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई, उत्तर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय अपनी पदोन्नति पर हमारी ओर से बधाई स्वीकार करें; महोदय···

प्रो० मधु दंडवते (राजपुर) : महोदय, आपको शून्यकाल शुभ हो।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके सहयोग से।

प्रश्न

—श्री एल० एस० तूर	अनुपस्थित
—श्री क० लकप्पा	अनुपस्थित
—श्री हरीश रावत	

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल के लिए टेलीविजन कार्यक्रमों का प्रसारण

*418. **श्री हरीश रावत** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों के लिए टेलीविजन कार्यक्रमों का प्रसारण करने वाले टेलीविजन स्टेशन का नाम क्या है;

(ख) क्या उन्हें इस बारे में कोई शिकायत मिली है कि इन जिलों में टेलीविजन तस्वीर धूमिल दिखाई देती है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार उन्हें दूर करने के लिए क्या उपाय कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल के जिले मंसूरी के दूरदर्शन प्रेषण केन्द्र, जो दिल्ली दूरदर्शन

केन्द्र द्वारा तैयार किए जाने वाले कार्यक्रमों को रिले करता है, की सेवा परिधि में नहीं आते ।

(ग) संसाधनों की कमी के कारण अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल के जिलों में दूर-दर्शन सुविधा उपलब्ध करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री हरीश रावत : माननीय मंत्री ने मेरे प्रश्न के पार्ट "बी" के उत्तर में स्वीकार किया है कि वहां लोगों को ठीक से प्रोग्राम दिखाई नहीं देता । जैसा आपका विचार है कि गांव तक टी० वी० ले जायेंगे, बहुत लोगों को पूरे एरिया मे टी० वी० दिखाई नहीं देता, आपने कह दिया कि फंड की कमी की वजह से प्रसार करने का कोई इरादा नहीं है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे माइक्रोवेव से अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को जोड़ने का प्रश्न है, नैनीताल को आलरेडी जोड़ दिया गया है, क्या संचार मंत्रालय से बातचीत कर के अल्मोड़ा या पिथौरागढ़ के नज़दीक कहीं, इस साल में नहीं तो क्या छठी पंचवर्षीय योजना में कोई टी० वी० रिले स्टेशन स्थापित करेंगे ?

श्री वसन्त साठे : अभी हकीकत यह है कि उत्तरप्रदेश के इस हिस्से में मंसूरी से जो आज टेलीविज़न प्रसारित हो रहा है, बीच में ऊंची-ऊंची पर्वत-राशियां होने के कारण उसके सिगनल्स वहां तक जाते नहीं हैं ।

इसके लिए एकमात्र रास्ता यह है कि रिले केन्द्र बीच में लगाया जाए । वह माइक्रोवेव के माध्यम से हो या सैटेलाइट के माध्यम से हो, लेकिन इस तरह का एक ट्रांसमिशन सेंटर यदि लगाया जाए, तब वहां तक पहुंच सकता है । लेकिन देश भर में ये ट्रांसमिटर्ज़ लगाने हैं । इस तरह का एक रिले ट्रांसमिशन टावर लगाने के लिए कम से कम 1.75 करोड़ रुपये खर्च होते हैं । हमने पी० एण्ड टी० डिपार्टमेंट से बात चलाई है कि उनके जो माइक्रोवेव के टावर्ज़ लगे हैं—देश में बहुत सी जगह लगे हुए हैं; क्या उन टावर्ज़ पर अपना एनटेना लगा कर हम उनका उपयोग कर सकते हैं ? आखिर उसका खर्च भी सरकार ने किया हुआ है । एक टावर पर 50, 70 लाख रुपया खर्च होता है । यदि उसका उपयोग टी० वी० के एनटेना के लिए हो जाए, तो एक करोड़ रुपये का खर्च बच जाएगा । ट्रांसमिशन के लिए जो दस, बीस लाख रुपये का खर्च होता है, वह खर्च करके ऐसे रिले सेंटर देश भर में बनाए जा सकते हैं । यह बात चल रही है । यदि यह बात बन गई, तो शायद हम माननीय सदस्य के इलाके के बारे में भी विचार कर सकेंगे ।

श्री हरीश रावत : शायद नहीं, निश्चित तौर पर कीजिए ।

श्री वसन्त साठे : हम करने को तैयार है । हमने मूल प्रश्न के उत्तर में कहा है कि आज के रीसोर्सिज़ में यह सम्भव नहीं है । एक एरिया के लिए डेढ़ करोड़ रुपया खर्च करना सम्भव नहीं है ।

श्री हरीश रावत : मंत्री महोदय निश्चित तौर पर बताएं कि यदि पी० एण्ड टी० डिपार्टमेंट उनके प्रोपोज़ल को मान जाता है, तो क्या वह छठी पंचवर्षीय योजना में अल्मोड़ा या पिथौरागढ़ में से एक स्थान पर रिले ट्रांसमिशन सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार करने को तत्पर हैं ?

इस समय माइक्रोवेव चैनल बरेली तक है। यदि पी० एण्ड टी० डिपार्टमेंट लखनऊ और दिल्ली से कनेक्ट करने के लिए एक एडीशनल चैनल दे दे, तो लखनऊ और दिल्ली के टेलीविजन सैंटर्ज़ को सीधे बरेली से जोड़ा जा सकता है। क्या मंत्री महोदय ऐसा प्रोपोज़ल पी० एण्ड टी० डिपार्टमेंट को देंगे कि वह एक एडीशनल माइक्रोवेव चैनल बरेली तक दे दे, ताकि उसे सीधे लखनऊ और दिल्ली के साथ जोड़ा जा सके ?

श्री वसन्त साठे : चैनल देने का सवाल नहीं है। अगर माइक्रोवेव चैनल हो गया, तो भी जब तक हम टावर नहीं लगाते, तब तक टी० वी० सिगनल नहीं जाएंगे।

श्री हरीश रावत : बरेली में आलरेडी टावर है।

श्री वसन्त साठे : यदि बरेली तक माइक्रोवेव है, तो लखनऊ के टी० वी० सिगनल वहां पहुंचते हैं। माननीय सदस्य चाहते हैं कि उससे आगे भी प्रोग्राम देखे जा सकें। इसके लिए मैंने पहले बताया है कि हमारी बातचीत चल रही है। अगर यह काम हो जाता है, तो हम उस इलाके के बारे में सहानुभूति से विचार करेंगे। मैं खुद उत्सुक हूं कि ज्यादा से ज्यादा इलाकों में दूरदर्शन पहुंच सके।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय उन्होंने मेरे अनुपूरक प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : मैं मंत्री महोदय का ध्यान जम्मू-काश्मीर की ओर दिलाना चाहता हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, क्या इसकी अनुमति है ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आज़ाद, आप इस विशेष प्रश्न से सम्बद्ध प्रश्न ही पूछ सकते हैं।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : महोदय, संविधान के अनुच्छेद 370 के कारण मैं पूछ रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप तो पर्वतों की बात कर रहे हैं।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : महोदय, मैं पर्वतीय क्षेत्र से हूं इसलिए उसकी बात कर रहा हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : तो मदुरई पर्वतों के बारे में आपका क्या विचार है ?

श्री गुलाम नबी आज़ाद : महोदय, पाकिस्तान की सीमा जम्मू-काश्मीर के काफी निकट है, यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि यह स्थानीय केन्द्र पूरे क्षेत्र को "कवर" नहीं कर पाता है, जबकि मैं यह कह सकता हूं कि जम्मू और काश्मीर राज्य का 80 प्रतिशत भाग लाहौर दूरदर्शन द्वारा कवर किया जाता है। मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं जिससे कि पाकिस्तान सरकार के टेलीविजन प्रसारण केन्द्रों द्वारा किए जा रहे प्रचार

से बचा जा सके। जम्मू-काश्मीर में हर व्यक्ति पाकिस्तान टेलीविजन केन्द्र द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों को देखता है।

श्री वसंत साठे : जैसा कि मैंने कहा कि केवल माइक्रोवेव प्रणाली द्वारा ही यह पूरा क्षेत्र कवर किया जा सकता है। और डाक-तार विभाग द्वारा यह लिंक जोड़ा जा रहा है या फिर उपग्रह द्वारा।

जहां तक हमारे देश में पाकिस्तान टी० वी० के कवरेज का प्रश्न है इसके दो मुद्दे हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जो व्यक्ति पाकिस्तान गए हैं उन्होंने वापस आने पर बताया कि बहुत से व्यक्ति वहां अमृतसर और जालन्धर टी० वी० केन्द्रों के प्रसारण देखते हैं।

एक माननीय सदस्य : केवल फिल्में ही।

श्री वसंत साठे : यह सही है। हमारे उत्तरपूर्वी और अन्य क्षेत्रों के दोस्त इस बात में मुझसे सहमत होंगे। इन सब क्षेत्रों से रंगीन प्रसारण होता है। वह रंगीन कार्यक्रम, रंगीन फिल्में देखते हैं जो कि ज्यादा आकर्षक हैं। इसलिए इस क्षेत्र में जिन लोगों के पास रंगीन टी० वी० सेट हैं वह खुशी से यह कार्यक्रम देखते हैं। इसलिए वह पाकिस्तान टी० वी० के कार्यक्रम देखते हैं। हमारे यहां काले और सफेद की व्यवस्था है। मैं इस बात से सहमत हूं कि वह केवल हमारे यहां की फिल्में ही देखते हैं। इन सब चीजों पर विचार किया जा रहा है और संसद के माननीय सदस्य के सहयोग से हम यह कार्य कर सकेंगे।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं दार्जिलिंग और कुरसेंग पर्वतीय क्षेत्रों से सम्बद्ध जो कि सीमावर्ती प्रदेश भी हैं, प्रश्न पूछना चाहता हूं। ढाका वहां से दूर नहीं है। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि उत्तरी बंगाल के टी० वी० कवरेज के विषय में क्या प्रस्ताव हैं। साथ ही, क्या कलकत्ता निवासी दिल्ली से एशियाड, 1982 का प्रसारण देख सकते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसका बहिष्कार तो नहीं करेंगे ?

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : हम एशियाड, 1982 का बहिष्कार नहीं करना चाहते। हम तो इसके समर्थक हैं परन्तु हम चाहते हैं कि इसका ठीक से प्रबन्ध किया जाए।

श्री वसन्त साठे : कलकत्ता निवासी माइक्रोवेव प्रणाली द्वारा एशियाड, 1982 का दिल्ली से 'सीधा' प्रसारण देख सकते हैं।

जहां तक पूर्वोत्तर क्षेत्रों का सम्बन्ध है। टी० वी० कवरेज के लिए इन्सेट के उपयोग का प्रस्ताव है तथा उत्तरी बंगाल जिसमें आपकी रुचि है वहां भी एक केन्द्र शुरू किया जाएगा·····

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : मैं ग्वालियर के पहाड़ी क्षेत्र पर प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं, मैं श्री हरीश रावत के प्रश्न से सम्बद्ध प्रश्न पूछ रहा हूं।

इन्सेट छोड़ना हमारे देश के लिए एक और प्रगतिसूचक उपलब्धि है। यह बहुत बड़ी औद्योगिक उपलब्धि है। और जैसा कि आपने कहा अप्रैल, 1982 से बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता

और मद्रास टेलीविजन केन्द्रों से कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण किया जा सकता है।

मेरे मित्र श्री हरीश रावत के प्रश्न के उत्तर में आपने कहा कि ट्रांसमीटर तो लगाए जा सकते हैं परन्तु उनके लिए टावर्स चाहिए। जिनकी लागत प्रति टावर लगभग 1.5 करोड़ आती है। मेरे विचार से टावर की लागत एक करोड़ रुपए है और ट्रांसमीटर की लागत 45 लाख रुपए है। यदि ट्रांसमीटर किसी ऊंचे स्थान पर लगाया जाए तो कार्यक्रम के प्रसारण के लिए टावर की आवश्यकता नहीं पड़ती। उदाहरण के तौर पर, मुझे बताया गया है कि इन्दौर में ट्रांसमीटर महाराजा यशवंतराव हास्पिटल के ऊपर लगाया जाए। यदि ऐसा मामला है तो मेरे विचार से नैनीताल और अल्मोड़ा में ऊंचे स्थलों की कोई कमी नहीं है। इस प्रकार 45 लाख रुपए की लागत से इन पहाड़ियों पर ट्रांसमीटर लगाया जा सकता है जिससे कि दिल्ली से सीधे ही टी०वी० कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा सके।

श्री वसन्त साठे : महोदय जहां तक ऊंचाई का संबंध है, उदाहरण के तौर पर ग्वालियर का किला, उसकी बेसिक ऊंचाई है पर उस बेसिक ऊंचाई पर ट्रांसमीटर लगाने के लिए एन्टीना तो लगाना पड़ेगा चाहे वह कितना भी छोटा हो चाहे 20 मीटर का टावर हो उसका फरक नहीं पड़ता परन्तु एक ऐसी प्रणाली चाहिए जिससे कार्यक्रम रिसीव करके प्रसारण किया जा सके। ट्रांसमीटर तो सबसे नीचे होता है एन्टीना पर नहीं होता। इसलिए ऐसा एन्टीना चाहिए जिसमें बाधा न आए। नैनीताल और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में एक पहाड़ी पर लगा दिया, पर पास की दूसरी पहाड़ी से बाधा पड़ सकती है। इसलिए हमें सबसे ऊंची जगह चुन लेनी चाहिए और उस पर 150 मीटर ऊंचा टावर लगा कर और ऊंचा कर लिया जाए जिससे कि अधिक से अधिक क्षेत्र कवर किया जा सके। श्री माधवराव को स्वयं इन तकनीकी चीजों का पता है। इसका प्रयोग किया जा सकता है। श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी भी इस विषय में काफी जानते हैं। महोदय, उन्हें भी मालूम है।

आप इससे सहमत होंगे कि इन्सेट में सारे देश को कवर करने की क्षमता है। दो ट्रांस-पांऊडरों में लिंक के बाद जमीन पर लिंक जोड़ना होता है जहां उसे रिसीव किया जाए। यह डी० आर० एस० से भी किया जाता है परन्तु उससे केवल एक सेट ही कवर किया जा सकता है। परन्तु यदि एंटीना और ट्रांसमीटर से ग्राऊंड लिंक हो तो बहुत बड़ा क्षेत्र कवर किया जा सकता है। हम चाहते हैं कि ऐसा किया जाए। मैं सभा को इस संबंध में आश्वासन देना चाहता हूं। इसलिए इस सम्बन्ध में उन्हें यह नहीं कहना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है या क्यों नहीं हो रहा है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जब वह हमारा कार्यक्रम नहीं सुनते हैं तो हम क्यों सहमत हों ?

गैस कनेक्शनों का अन्तरण

*419. **श्री एन० ई० होरो :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन आयल के एल० पी० जी० के कनेक्शन आश्रित पिता के

नाम से उसकी पुत्री या पुत्र के नाम से पिता के नाम में अन्तरित नहीं किए जा सकते;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को अन्तरण हेतु ऐसे अनुरोध प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार आश्रित माता-पिता की उम्र को देखते हुए गैस कनेक्शनों को अन्तरित करने के निदेश देने का है; और

(ङ) माता-पिता की मृत्यु के मामले में उत्तराधिकारी के नाम गैस कनेक्शन अन्तरित करने की क्या प्रक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) अपेक्षित सूचना दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क), (ख), (ग) और (घ) : इंडियन आयल कारपोरेशन और अन्य तेल कंपनियों द्वारा जारी किए गए खाना पकाने की गैस (एल० पी० जी०) के कनेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अन्तरणीय नहीं होते हैं। प्रावधान के किसी दुरुपयोग, जिससे कदाचार हो सकते हैं, को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया था। तथापि वास्तविक कठिनाइयों के मामलों में, प्रत्येक मामले की गुणावगुण पर जांच करने के बाद, निकट के सम्बन्धियों को ऐसे स्थानान्तरणों को अनुमति प्रदान की जाती है। इस सम्बन्ध में मंत्रालय में प्राप्त हुए अनुरोधों को तेल कंपनियों को उनकी नीति के अनुसार विचार और निपटान करने के लिए भेज दिया जाता है।

(ङ) किसी ग्राहक की मृत्यु की हालत में उसके अगले सम्बन्धी जैसे पति/पत्नी, पुत्र/पुत्री को एल० पी० जी० कनेक्शन स्थानान्तरित करने के लिए प्राप्त अनुरोधों पर उचित जांच-पड़ताल करने के पश्चात् अनुमति प्रदान की जाती है। ऐसे मामलों में मूल एल० पी० जी० कनेक्शन को रद्द करके एक नया एल० पी० जी० कनेक्शन जारी किया जाता है।

श्री एन० ई० होरो : महोदय, माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि तेल कम्पनियों द्वारा कुछ नीतियां और प्रक्रियाएं निर्धारित की जाती हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि वह कौन-सी नीतियां हैं जिनके अन्तर्गत एल० पी० जी० कनेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अन्तरित किए जाते हैं। इन्हें यहां स्पष्ट नहीं किया गया है।

श्री पी० शिवशंकर : महोदय, वक्तव्य में नीति स्पष्ट कर दी गई है। सामान्यत: कदाचार के भय से अंतरण की स्वीकृति नहीं दी जाती है। परन्तु यदि निकट के सम्बन्धियों का प्रश्न है या फिर मामला वास्तविक है तो शपथ-पत्र पर आधारित आवेदन के आधार पर इस पर विचार किया जाता है और अंतरण कर दिया जाता है। ऐसे मामलों के उदाहरण मौजूद हैं। उदाहरण के तौर पर

कर्मचारियों अथवा सैनिकों के अंतरण के मामले जिनका अक्सर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होता रहता है। ऐसे मामलों में उन्हें वह वाऊचर समर्पित करके अंतरण वाउचर लेना पड़ता है और जब वह नई जगह पर जाते हैं तो स्वतः ही ऐसे लोगों को कनेक्शन दे दिया जाता है। यह एक व्यापक नीति है और यह वक्तव्य में स्पष्ट कर दिया गया है।

श्री एन० ई० होरो : महोदय, मंत्री महोदय ने वक्तव्य में कहा है कि मंत्रालय को भेजा गया अंतरण का निवेदन कम्पनी को विचार करने के लिए भेजा जाता है और इसका निपटान उनकी नीति के अनुसार किया जाता है। यह नीति क्या है? यह उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। कृपया इसका पूर्ण विवरण दें।

श्री पी० शिवशंकर : सरकार द्वारा अधिग्रहण से पूर्व इनमें से कुछ कम्पनियों द्वारा व्यापक तृप्त नीति ही अपनाई जाती थी। कुछेक आकस्मिकताओं में गैस-कनेक्शनों के अंतरण के उद्देश्य से इस नीति पर मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श किया जा चुका है। अब प्रश्न सम्बन्धियों पर सीमित है। वास्तविक मामले में जब अंतरण आवश्यक होता है तो कम्पनियां स्वयं ही इन कनेक्शनों के अंतरण की कार्यवाही करती हैं। परंतु वह यह सावधानी भी बरतती हैं कि कदाचार से बचा जाए क्योंकि यदि नियम के रूप में अंतरण का नियम बना लिया गया तो प्रत्येक व्यक्ति अन्तरण कराएगा और उसमें कदाचार की गुंजाइश है। इसलिए हरेक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है कि अन्तरण की स्वीकृति दी जाए अथवा नहीं और निकट सम्बन्धियों के मामले में यदि कोई आश्रित हों तो, तब कम्पनी स्वयं ही इसकी अनुमति दे देती है। वह कभी मना नहीं करते। अंततः प्रत्येक मामले का निर्धारण उसके तथ्यों के आधार पर ही किया जाता है।

श्री अजित कुमार साहा : कुछ लोगों को गैस कनेक्शन पाइप लाइन सेवा द्वारा मिलता है। कलकत्ता और बड़ौदा में खाना पकाने की गैस की पाइप लाइन सेवा है। परन्तु वहां के जिन व्यक्तियों का ट्रांसफर दिल्ली में या और कहीं हो जाता है, उन्हें गैस कनेक्शन देने में प्राथमिकता नहीं दी जाती।

श्री शिवशंकर : मुझे खेद है अभी तक मेरे सामने ऐसा कोई मामला नहीं आया है। यदि ऐसा कोई मामला माननीय सदस्य मेरे सामने पेश करेंगे तो मैं उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करूंगा।

श्री अजित कुमार साहा : मैं ऐसे मामले भेज चुका हूं।

श्री शिवशंकर : मुझे मालूम है मेरे पास ऐसे मामले हैं।

श्री जेवियर अराकल : केवल अन्तरण के मामलों में ही नहीं, अन्य मामलों में भी असुविधा होती है। उदाहरण के तौर पर यदि आप दिल्ली के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाएं तो आपको दूसरा वितरक ढूंढना पड़ेगा तथा उपभोक्ताओं की समस्या काफी महत्त्वपूर्ण है। उसके लिए यह बहुत मुश्किल है। जैसे उसे सिलेंडर तथा उपकरण वास्तविक वितरक के पास ले जाना पड़ेगा और वाऊचर लेकर

उसे नए वितरक के पास ले जाना पड़ेगा इससे काफी असुविधा होती है। क्या मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेंगे—अर्थात यदि एक उपभोक्ता एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है और निकटतम वितरक से गैस मांगता है तो क्या मंत्री महोदय ऐसे निदेश देंगे जिससे कि ऐसा हो जाए और उपभोक्ता को असुविधा न हो ?

श्री शिवशंकर : सुझाव पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए क्योंकि जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है तो यह भी संभव है कि जो कम्पनी सिलिंडर सप्लाई करे, वह बदल जाए। क्योंकि यह दो कम्पनियों के बीच का मामला है इसलिए वह चाहेंगे कि कार्ड सरेंडर कर दिया जाए और वह जमा की हुई राशि लौटा दें। और आप ठीक कहते हैं कि वह यह कहेंगे कि आप उपकरण सरेंडर कर दें और फिर जाएं और ट्रांसफर वाऊचर के आधार पर नए सिरे से राशि जमा करके, जो कि दूसरी कम्पनी द्वारा अदा कर दी गई है, आप दूसरा सिलेंडर ले सकते हैं। यह दो कम्पनियों के बीच समझौते की बात है। मैं इस पर अवश्य विचार करूंगा और उन्हें यह परामर्श दूंगा कि ऐसे मामलों में जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस प्रकार का समन्वयन तो किया ही जा सकता है।

श्री नवल किशोर शर्मा : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि गैस की पूर्ति में काफी सुधार हुआ है, और सरकार उपभोक्ताओं को काफी भारी मात्रा में गैस-कनेक्शन देने वाली है, क्या मंत्री महोदय से मैं यह जान सकता हूं कि अन्तरण के मामले में सभी प्रकार की औपचारिकताएं निभाने की क्या जरूरत है ? क्योंकि अन्तरण का मतलब तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अन्तरण ही है। इसीलिए पूछता हूं कि ऐसी बोझिल प्रक्रिया क्यों अपनायी गयी है ? क्या मंत्री महोदय इस बात से सहमत हैं कि उपभोक्ताओं को गैस की भारी मात्रा में हो रही पूर्ति को ध्यान में रखते हुए अन्तरण तो स्वतः ही हो जाना चाहिए ? इन योजनाओं का उद्देश्य क्या है ?

श्री शिवशंकर : मेरी राय है कि गैस उत्पादन या उसका बड़े पैमाने पर उपलब्ध होना और गैस कनेक्शनों के अन्तरण के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है। ये दोनों बिल्कुल भिन्न पहलू हैं। मैंने पहले ही बताया है कि यदि, नेक रूप में जैसा कि सुझाव दिया गया है, अन्तरण की अनुमति दी गई तो किसी हद तक कदाचार फैल सकता·····

श्री नवल किशोर शर्मा : आखिरकार, उपभोक्ताओं को ही तो मिलना है।

श्री शिवशंकर : होगा यह कि जो पहले से ही लाइन में हैं उनकी पहले बारी नहीं आएगी, और अन्तरण के कारण किसी और व्यक्ति की बारी आ जाएगी। यही मैं कहना चाहता हूं। यह सही है कि भारी मात्रा में गैस के होने की सम्भावना है किन्तु हम किसी व्यक्ति के···के आधार पर लोगों को बिना लाइन के ही गैस-कनेक्शन प्राप्त कर लेने के लिए किसी अन्य के पक्ष में अन्तरण की अनुमति नहीं दे सकते हैं, और जबकि वह लाइन में खड़ा हुआ है। मेरी अपनी राय तो यही है कि ये दो···बातें है और उनका परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है।

पारेषण में बिजली की हानि

*420. श्री बी० आर० नाहटा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में बिजली के पारेषण और वितरण में उसकी कितनी हानि हुई और पारेषण और वितरण से होने वाली इस हानि को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ख) क्या इस दृष्टि से मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड का विभागीय आधार पर 400 किलोवाट की पारेषण लाइन बिछाने का कोई प्रबन्ध है ; और

(ग) क्या इस प्रकार की सुविधा अन्य राज्यों में भी उपलब्ध है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) पिछले दो वर्षों 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान प्रत्येक राज्य में हुई पारेषण और वितरण हानियों की प्रतिशतता अनुबन्ध में दी गई हैं ।

पारेषण तथा वितरण हानियों को कम करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने आवश्यक मार्ग निर्देश परिपत्रों द्वारा जारी किए हैं जिनका पालन अधिकांश राज्य बिजली बोर्डों द्वारा किया जा रहा है । हानियों को कम करने के लिए बताए गए मुख्य उपाय इस प्रकार हैं :

(एक) अधिक हानियों वाले कमजोर क्षेत्रों का पता लगाना तथा हानियों को कम करने के लिए प्रणाली सुधार की योजनाएं तैयार करना ।

(दो) प्रणाली गत हानियों को न्यूनतम रखने के लिए अगले सात से दस वर्षों में भार वृद्धि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नई वितरण प्रणालियों की आयोजना करना ।

(तीन) हानियों को न्यूनतम करने के लिए, प्रणाली अध्ययनों के आधार पर, विद्यमान पारेषण और वितरण प्रणालियों में अभिवृद्धि करना ।

(चार) कम विद्युत घटक वाले मीटरों पर, उपभोक्ताओं द्वारा केपेसिटेटरों की प्रतिष्ठापना किया जाना ताकि इस कारण होने वाली हानियों को कम किया जाए ।

(पांच) ऊर्जा की चोरी के कारण होने वाली हानियों पर नियंत्रण रखने के लिए लगातार सतर्कता बरतना तथा कारगर प्रशासनिक उपाय करना ।

पिछले दो वर्षों (अर्थात् 1979-80 और 1980-81) के दौरान विभिन्न राज्यों में हुई पारेषण तथा वितरण हानियों की प्रतिशतता

क्रम सं०	राज्य का नाम	1979-80 पारेषण-वितरण	1980-81 हानियों की प्रतिशतता
1.	आन्ध्र प्रदेश	22.39	22.69
2.	असम	19.23	20.28
3.	बिहार	24.53	21.38
4.	गुजरात	16.71	19.68
5.	हरियाणा	28.14	23.66
6.	हिमाचल प्रदेश	18.55	उपलब्ध नहीं
7.	जम्मू और कश्मीर	47.01	उपलब्ध नहीं
8.	कर्नाटक	20.97	22.33
9.	केरल	15.90	14.57
10.	मध्य प्रदेश	22.30	22.40
11.	महाराष्ट्र	16.10	16.39
12.	मणिपुर	47.24	45.76
13.	मेघालय	4.32	9.93
14.	नागालैण्ड	32.42	26.59
15.	उड़ीसा	18.29	19.81
16.	पंजाब	22.50	19.47
17.	राजस्थान	24.40	25.97
18.	सिक्किम	20.51	उपलब्ध नहीं
19.	तमिलनाडु	19.58	18.92
20.	त्रिपुरा	31.95	33.97
21.	उत्तर प्रदेश	19.00	16.19
22.	पश्चिम बंगाल	12.26	31.49

1980-81 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ख) मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के पास 400 कि० वा० पारेषण लाइनें विभागीय तौर पर बिछाने के लिए अपेक्षित व्यवस्था है।

(ग) व्यास निर्माण बोर्ड तथा महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड के पास भी, 400 कि० वा० लाइनें विभागीय आधार पर बिछाने के लिए सुविधाएं हैं।

श्री बी० आर० नाहटा : उत्तर में यह बताया गया है कि अत्यधिक हानि वाले दुर्बल क्षेत्रों का पता लगा लिया गया है तथा हानि को कम करने के लिए प्रणाली में सुधार करने सम्बन्धी योजनाओं का गठन किया गया है तथा प्रणाली की हानियों को न्यूनतम रखने के लिए एक नई वितरण प्रणाली की योजना बनाई गई है जो अगले सात से दस वर्षों की भार वृद्धि का वहन संभाल सकती है।

जो उत्तर दिया गया है और जो विवरण रखा गया है उसे ध्यान में रखते हुए पारेषण और वितरण की हानि, वर्ष 1979 से 1981 तक काफी बढ़ गई है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि वह कौन-से दुर्बल क्षेत्र हैं जिनमें अत्यधिक हानि हो रही है और उन क्षेत्रों में तब से क्या ठोस कदम उठाए गए हैं और उसके क्या परिणाम निकले हैं? भार वृद्धि का वहन संभालने के लिए नई वितरण प्रणाली की योजना किन क्षेत्रों के लिए बनाई गई है? इसे कब से प्रारंभ करके क्रियान्वित किया गया है और इसके क्या परिणाम रहे हैं? (ग) वर्ष 1979-80 और 1980-81 में, पारेषण और वितरण हानियों के कारण, बिजली बोर्डों या परियोजनाओं को पूंजी सम्बन्धी कितनी हानि हुई है?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी) : पिछले पांच वर्षों में देश में पारेषण और वितरण हानि 20 प्रतिशत तक ही रही है। 400 कि० वा०, 200 कि० वा० और 132 कि० वा० की मुख्य पारेषण लाइनों में पांच प्रतिशत की हानि हुई है और बाकी की 15 प्रतिशत हानि उप-पारेषण लाइनों में हुई है। अर्थात् यह हानि 33 कि० वा० और 400 वाट की वितरण प्रणाली से नीचे हुई है। इसलिए सभी राज्यों में उप-पारेषण और वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है जिससे कि पारेषण और वितरण हानि कम की जा सके। उप-पारेषण लाइनों और वितरण लाइनों को सुदृढ़ करने पर बोर्ड योजना में दी गई पूरी राशि व्यय नहीं कर रहा है; और बहुत-से मामलों में फंड बिजली उत्पादन की ओर दे दिए गए हैं। सब जगह, सभी राज्यों में जब ग्रामीण विद्युतीकरण का प्रश्न उठता है तो देखा गया है कि वितरण प्रणाली काफी कमजोर है और इसी कारण 20 प्रतिशत तक पारेषण हानि होती है। यदि इसे सुदृढ़ किया गया तो हमें बहुत-सी राशि इस पर व्यय करनी पड़ेगी और राज्य बिजली बोर्डों को फंड इधर-उधर नहीं देने चाहिए। सामान्यतः राज्य बिजली बोर्ड की प्रवृत्ति फंड इधर-उधर करने की है और बिजली उत्पादन पर वह अधिक राशि व्यय करते हैं। इसे रोका जाना चाहिए। हमने राज्य बिजली बोर्डों को यह सलाह दी है कि पारेषण और वितरण के लिए दी गई निधियों का पूरा उपयोग किया जाए और बिजली उत्पादन परियोजनाओं के लिए उन निधियों को नहीं दिया जाना चाहिए। अब राजाध्यक्ष समिति, जो कि विशेषज्ञ समिति है, ने भी यह सिफारिश की है कि हमारे देश में वितरण और पारेषण प्रणाली को सुदृढ़ करने के विभिन्न सुधारात्मक उपाय करके तथा शंट कैपिसिटेटर्स का

प्रयोग करके कुछ वर्षों के भीतर ही पारेषण और वितरण हानियों को 20 प्रतिशत से कम करके 15 प्रतिशत तक किया जा सकता है। भारत में पारेषण हानियों को उन्नत देशों के बराबर नहीं लाया जा सकता क्योंकि हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रयोग की जाने वाली पारेषण प्रणाली काफी बड़ी है।

श्री बी० आर० नाहटा : महोदय, दुर्भाग्यवश···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने समझा कि आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूरा कर चुके हैं।

श्री बी० आर० नाहटा : जी नहीं। मंत्री महोदय ने मेरे अनुपूरक प्रश्नों का बिल्कुल भी उत्तर नहीं दिया है। जो उत्तर दिया गया है उसमें यह बताया गया है कि पारेषण क्षतियों को कम करने के लिए उपाय किए गए हैं और उन्होंने पांच उपायों का जिक्र किया है। इन उपायों को देखते हुए मैंने उनसे पूछा था, क्योंकि उन्होंने बताया था कि कुछ दुर्बल क्षेत्र हैं, कौन से ऐसे दुर्बल क्षेत्र है, जिनका पता लगाया गया है, और उन क्षेत्रों में क्या ठोस उपाय किए गए हैं। इसका उत्तर नहीं दिया गया है।

एक अन्य अनुपूरक प्रश्न जो मैंने किया था, वह यह था—चूंकि उन्होंने यह उल्लेख किया था कि एक सुधरी प्रणाली के लिए वे कोई योजना तैयार कर रहे हैं। किस क्षेत्र में उन्होंने वितरण की नई प्रणाली शुरू की है, और उसका क्या असर हुआ, धन की दृष्टि से कितनी हानि हुई थी? इनमें से किसी भी अनुपूरक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया था।

श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय। मैंने जवाब दिया था कि जहां ग्रामीण विद्युतीकरण हुआ है उन क्षेत्रों में यह कमजोरी है। इन सभी क्षेत्रों में हम वितरण प्रणाली में मजबूती करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि यह प्रणाली एक बार पूरी तरह से ठोस हो जाएगी, तो मेरा ख्याल है कि पारेषण क्षतियां काफी कम हो जाएंगी, हालांकि वे उन्नत देशों के समान पूरी तरह से दूर नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि वहां विस्तृत क्षेत्र हैं अतः इसे पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन धन सम्बन्धी आंकड़े तो मेरे पास है ही नहीं।

प्रो० अजित कुमार मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के बारे में पारेषण तथा वितरण हानियों को कम करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने आवश्यक मार्गदर्शी सिद्धान्त परिपत्रित किए हैं। उनमें से एक सिद्धांत यह है :

"ऊर्जा की चोरी के कारण होने वाली हानियों पर नियन्त्रण रखने के लिए लगातार सतर्कता बरतना तथा कारगर प्रशासनिक उपाय करना।"

महाशय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसके अन्तर्गत बड़े उपभोक्ताओं को छोड़कर छोटे उपभोक्ताओं पर ही सतर्कता बरतती है? मेरी जानकारी के अनुसार रामेश्वर जूट मिल, मुक्तापुर, समस्तीपुर में लाखों रुपये की बिजली की चोरी पकड़ी गयी और उस पर मुकद्दमा भी चला। किन्तु अभी ऐसा पता चला है कि सरकार उस मुकद्दमे को वापस लेने जा रही है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सतर्कता केवल छोटे उपभोक्ताओं पर ही लागू होगी या यह बिरला जैसे बड़े उपभोक्ताओं पर भी लागू होगी?

श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, हमने राज्य विद्युत बोर्ड को यह सलाह दी थी कि समुचित सतर्कता के साथ इसकी जांच करने के लिए एक विशेष दस्ते की नियुक्ति की जाए। यह सभी उपभोक्ताओं के लिए है, केवल लघु उद्योग उपभोक्ताओं या किसानों आदि के लिए भी है। (व्यवधान)

प्रो० अजित कुमार मेहता : मैंने एक स्पष्ट उदाहरण दे दिया है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने एक स्पष्ट उदाहरण दिया था।

प्रो० अजित कुमार मेहता : उसके बारे में वह क्या करने जा रहे हैं? (व्यवधान)

श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी : हम बिजली की चोरी के बारे में जानते हैं। मैंने अभी कहा था कि एक विशेष दस्ते की नियुक्ति की जा रही है। (व्यवधान)

श्री कमल नाथ : यह वाकई में प्रशंसनीय है और अच्छा है कि सरकार सतर्क है और पारेषण और वितरण सम्बन्धी नुकसानों से चिन्तित है क्योंकि 28,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की 10 प्रतिशत पारेषण और वितरण हानि लगभग 2,800 मेगावाट होगी। यह राज्य विद्युत बोर्ड के लिए ही विचारणीय मामला है। केन्द्र केवल सलाह दे सकता है। मेरी राय है कि इन पारेषण और वितरण क्षतियों की गणना करने का तरीका ही गलत है। इसकी गणना कैसे की जाती है? मेरी राय है कि ये नुकसान बहुत ज्यादा हैं, और राज्य विद्युत बोर्ड सरकार को बिल्कुल गलत जानकारी दे रहे हैं। पारेषण और वितरण क्षतियों की गणना विद्युत बोर्ड जितने बिल बनाए गए हैं उसके आधार पर अर्जित राजस्व के आधार पर करे क्योंकि जितनी बिजली पैदा की जा रही है वह सब बिकनी चाहिए। हमें इसकी जांच करनी होगी उन्होंने कितनी बिजली बेची और कितने बिल बनाए गए। इसी से यह निश्चित होगा कि कुल कितनी क्षति हुई थी। पारेषण और वितरण क्षतियों पर नियन्त्रण रखने के लिए अब काफी उन्नत प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो जाती है। मेरा जो प्रश्न है वह यह है कि क्या सरकार पारेषण और वितरण क्षतियों पर नियन्त्रण रखने के लिए विश्व में इस समय उपलब्ध प्रौद्योगिकी पर विचार कर रही है।

श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी : यह एक ऐसी सिफारिश है, जिसे राजाध्यक्ष समिति ने प्रस्तुत किया है और हम उस पर विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : क्या इस पर पहले से विचार किया जा रहा है?

श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी : जी हां।

डा० वसंत कुमार पंडित : क्या मैं यह जान सकता हूं कि पारेषण और वितरण हानियों में एक ग्रिड से दूसरे ग्रिड में अन्तर है और इसीलिए राज्य विद्युत बोर्डों को चाहिए कि वे नई प्रकार की तारों का इस्तेमाल करें जिससे पारेषण में होने वाली क्षति को रोका जा सके, बजाए इसके कि अभी जो वे इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हीं घिसेपिटे यन्त्रों को इस्तेमाल करते रहें? क्या मैं जान सकता हूं कि बिजली के पारेषण के लिए राष्ट्रीय ग्रिड के प्रतिष्ठान से पारेषण की क्षतियों को रोका जा सकेगा?

श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी : जैसा कि मैंने बताया है, पारेषण क्षति 400 किलो-

वाट या 220 किलोवाट तक नहीं हैं, केवल 5% ही है। किन्तु जब यह 33 किलोवाट हो तो अन्य लघु यूनिटें जहां ग्राम विद्युतीकरण हो, वहां यह 20% तक है। इसमें बिजली की चोरी, बिना मीटर के उपयोग आदि भी शामिल हैं। कुल मिलाकर यह हमारे देश में 20% है। पिछले पांच वर्षों से यह 20% ही है। यह स्थिति लगभग एक जैसी ही है।

डाक/दूर संचार की टैरिफ दरों में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप उसकी सेवा में सुधार

*421. **श्री अर्जुन सेठी :**

प्रो० मधु दंडवते :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक/दूर संचार की टैरिफ दरों में हाल में की गई वृद्धि के अनुरूप किन विशिष्ट क्षेत्रों में सुधार किया जायेगा जो सरकार करना चाहती है; और

(ख) तत्सम्बन्धी विशिष्ट ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ख) पहली मार्च, 1982 से डाक/दूर संचार दरों में की गई वृद्धि छठी योजना हेतु विकास योजनाओं में, प्रचालन लागतों में वृद्धि के कारण, विभाग की अपनी वित्तीय क्षमता में कमी न होने देने के कारण की गई है। इस अप्रत्यक्ष भाव से, राजस्व में हुई वृद्धि को विकास के व्यापक क्षेत्रों हेतु प्रयोग किया जाएगा जो कि छठी योजना के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में सफल भूमिका निभाएगा।

श्री अर्जुन सेठी : प्रारम्भ में मैं आपका ध्यान अपने प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं अर्थात्

"डाक/दूर संचार मूल्य दरों में हाल की वृद्धि के अनुपात में सुधार के संश्लिष्ट क्षेत्र कौन से हैं।"

उन्होंने केवल यही बताया है कि छठी योजना का वित्तपोषण करने की दृष्टि से वे डाक मूल्यों में वृद्धि कर रहे हैं। इस संदर्भ में, क्या मैं जान सकता हूं कि इससे क्या विशिष्ट सुधार किए जाएंगे ? दूर संचार और डाक विभाग, दोनों विभागों द्वारा राष्ट्र को तथा प्रयोक्ताओं को प्रदान की गई सेवायें बिल्कुल संतोषजनक नहीं हैं। उस विशेष संदर्भ में, मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने सुधार हेतु किन क्षेत्रों का पता किया है ताकि राष्ट्र के हित में और साथ ही प्रयोक्ताओं के भले के लिए कुछ किया जा सके।

संचार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): दिए गए उत्तर से यह स्पष्ट है कि आंतरिक संसाधनों की वृद्धि करके, हम छठी योजना का वित्तपोषण करने जा रहे हैं। जिसमें विभिन्न ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें हम कार्यकुशलता बढ़ाने और सेवा में सुधार करने के लिए शुरू करने जा रहे हैं। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उन्हें छठी योजना की उन योजनाओं का ब्यौरा दे सकता हूं जिन्हें हम शुरू करने वाले हैं। हम छठी योजना के दौरान और अधिक कनेक्शन—13.1 ५ लाख और अधिक लाइनें —देने जा रहे हैं जिससे प्रतीक्षा सूची कम होगी। वर्तमान प्रतीक्षा सूची को समाप्त कर दिया

जाएगा। कार्यकुशलता बढ़ाने की दृष्टि से कुछ स्थानों पर इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज स्थापित किए जाएंगे। डक्टिंग की जाएगी ताकि केबलों में पानी रिस कर नहीं जाए। कार्य कुशलता बढ़ाने की दृष्टि से केबल बिछाए जाएंगे, कुछ एक्सचेंजों को बदला जाएगा और अलूमीनियम तार के स्थान पर तांबे के तार लगाए जाएंगे। हमने हाल ही में 16771 कोड वाले टेलीफोन का सुधरा रूपांतर तैयार किया है। 32000 टेलीफोन उपकरण पहले ही बना लिए गए हैं। प्रयोक्ताओं को इनकी सप्लाई की जाएगी। इसके बाद हम बिल तैयार करने में शिकायत और दोष दर्ज कराने के केन्द्रों, डायरेक्ट्री पूछताछ और वाणिज्यिक कार्यों के लिए कम्प्यूटर प्रणाली शुरू करेंगे। जबर्दस्त उपाय किए जाएंगे तो कार्यकुशलता सुधरेगी। इसके लिए क्षेत्र विशेष का निर्धारण करना अत्यन्त कठिन है।

श्री अर्जुन सेठी : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि विभाग के कार्यकारी खर्चों में भारी वृद्धि होने के कारण मंत्रालय का वित्तीय व्यय होता जा रहा है? दूसरे, क्या यह सच है कि दूर संचार में वृद्धि की दर, डाक तार सेवाओं में वृद्धि की दर की तुलना में ज्यादा तेज है ? यदि हां, तो इस बारे में वे क्या कदम उठाने चाहेंगे ? इसके अलावा क्या सरकार पिछड़े तथा पहाड़ी क्षेत्रों में नए डाकघर और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र शुरू करने के वर्तमान नियमों मे ढिलाई देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है?

श्री योगेन्द्र मकवाना : हमने पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों में डाकघर खोलने के मानदण्डों में पहले ही छूट दे दी है। जहां तक छठी योजना अवधि का सम्बन्ध है, कार्य का विस्तार स्वयं ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाएगा। हम 1,25,743 डाकघर और खोलेंगे। इसलिए, पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों में डाकघरों का विस्तार होगा।

जहां तक आंतरिक संसाधनों का सम्बन्ध है। उनमें दो कारणों की वजह से कमी हुई है। पहला है, पेंशन सम्बन्धी अतिरिक्त देयताओं, मंहगाई भत्ते की किस्तों के कारण खर्चे में वृद्धि, डाक सम्बन्धी वस्तुओं की निर्माण लागत में वृद्धि, रेलवे आदि को भुगतान किए जाने, वार्षिक प्रभारों की दरों में वृद्धि आदि। दूसरा है, पिछले वर्षों के दौरान कम पूंजीनिवेश। यदि, पिछले वर्षों के दौरान पर्याप्त मात्रा में पूंजीनिवेश किया गया होता तो इससे डी० पी० विभाग को और अधिक राजस्व मिला होता और हम सेवाओं में अपेक्षाकृत अधिक सुधार कर सकते थे।

छठी योजना अवधि के दौरान 8000 डाकघर खोले जाएंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : अपना पूरक प्रश्न करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वे अनेक अवसरों पर पीठ द्वारा माननीय मंत्री महोदय को दिए गए इस सामान्य निदेश को दोहराएं कि जब कोई सदस्य अनेक भागों में विभक्त प्रश्न पूछे तो जहां तक उत्तर भी विभक्त भागों में दिया जाना चाहिए। यद्यपि माननीय सदस्य महोदय ने विस्तार में सुधारों के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा था, भाग (क) और (ख) का सामान्य उत्तर इस प्रकार दिया गया :

"इस अप्रत्यक्ष रूप से, राजस्व में वृद्धि से छठी योजना कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के परिणाम-स्वरूप व्यापक रूप से सुधार किये जाएंगे।"

जब माननीय सदस्य महोदय ने छठी योजना में सुधारों के बारे में और अधिक विस्तृत

विवरण के बारे में पूछा तो केवल तभी उन्होंने और अधिक विस्तृत विवरण दिया।

मैं एक पूरक प्रश्न पूछना चाहूंगा। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपने पूरक प्रश्न को किस अनुभव पर आधारित कर रहा हूं। एक बार मैंने बम्बई नगर से अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए, जो बम्बई से 300 किलो मीटर के अन्तर्गत ही है, ट्रंककाल किया। मैं इसे लाइटनिंग काल बनाए जाने के लिए कहा। जब शाम को देर से, 9 बजे मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में पहुंचा तो मुझे ट्रंक काल मिला। सौभाग्य से इसे मैंने ही उठाया और आपरेटर ने कहा—"कृपया प्रो० दण्डवते से बात कीजिए। मैंने कहा : "मैं प्रोफेसर दण्डवते बोल रहा हूं।" ऐसा हो रहा है।

यह आम अनुभव है। इसलिए, इस विलम्ब को दूर किया जाना है। मैं विलम्ब से बचने के बारे में एक ठोस प्रश्न करना चाहूंगा। मेरे विचार में, ऐसा लगता है कि कुछ प्रौद्योगिकीय कठिनाइयों के कारण ये विलम्ब होते हैं। खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में और अर्द्ध-नगरीय क्षेत्रों में, जहां भी एक्सचेंज उपकरण, चाहे वे मानव चालित हों अथवा स्वचालित लगे हैं, सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि वहां कार्य संचालन में कुछ अवरोध अथवा कठिनाइयां हैं। उन्होंने (मंत्री महोदय ने) कम्प्यूटर प्रणाली लागू किए जाने का उल्लेख किया था। मैं सजगता से उनकी बात सुन रहा था। उन्होंने कम्प्यूटर से बिल तैयार किए जाने के बारे में उल्लेख किया था। हम केवल बिलों का कम्प्यूटरीकरण किए जाने के पक्ष में नहीं हैं। यदि हमारे बिल हमें देरी से मिलते हैं तो कोई खास बात नहीं है। हम इसकी चिन्ता नहीं करते। हम केवल बिलों का कम्प्यूटरीकरण करने के पक्ष में नहीं हैं, हम चाहते हैं कि प्रौद्योगिकी का कम्प्यूटरीकरण किया जाए जिससे ट्रंक काल और लाइटनिंग काल में होने वाला विलम्ब दूर किया जा सकेगा। हमारे देश में, लाइटनिंग काल की गति भी वास्तव में इस सीमा तक कम हुई है कि लाइटनिंग काल एक मालगाड़ी की गति से पहुंचते हैं। इसी कारण से हम कहते हैं कि हम चाहते हैं कि लाइटनिंग काल लाइटनिंग गति से पहुंचे। इसलिए, हम जानना चाहते हैं कि क्या कम्प्यूटर प्रणाली लागू करके ये प्रौद्योगिकीय परिवर्तन किए जाएंगे ? क्या मानव चालित के साथ-साथ स्वचालित टेलीफोन केन्द्रों को भी समुचित रूप से पुनर्गठित किया जाएगा और क्या उस धनराशि को, जो आपको हमसे मिली है, बजट पेश किए जाने से पूर्व और बजट के दौरान भी इन प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों के लिए उपयोग में लाया जाएगा ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने न केवल बिलों का कम्प्यूटरीकरण किए जाने का उल्लेख किया अपितु शिकायत कक्षों में भी कम्प्यूटर प्रणाली लागू किए जाने की बात कही, जिससे बिलों के बारे में प्रयोक्ताओं की शिकायतें दूर की जाएंगी।

जहां तक कार्यकुशलता में सुधार का सम्बन्ध है, मैंने पहले ही कह दिया है कि हम छठी योजना में कुछ पुराने केन्द्रों के स्थान पर नए टेलीफोन केन्द्र बनाने जा रहे हैं। हम कुछ स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल केन्द्र भी स्थापित करने वाले हैं जिससे क्षमता में सुधार होगा। हम छठी योजना में उच्च अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी शुरू करने जा रहे हैं जिससे सेवाओं की क्षमता में सुधार होगा। इससे जाहिर होता है कि हम छठी योजना में जो कुछ करने जा रहे हैं उससे क्षमता में सुधार होगा।

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, टेलीफ़ोन डिपार्टमेंट का जो काम चल रहा है वह सबको मालूम है और मंत्री जी को भी मालूम है क्योंकि कुछ ही दिन पहले वह होम मिनिस्ट्री से आए हैं, इनको मालूम है कि तीन-तीन टेलीफोन रहने के बाद भी काम नहीं हो पाता है, हमारे पास तो एक ही है। अभी प्रो० मधुदंडवते ने कहा कि आप कहीं भी शिकायत कीजिए कोई सुनने वाला नहीं है, 197 या 199 पर कोई नहीं सुनता है, और अगर नम्बर लगता भी है तो गलत लगता है लेकिन हमको उसका भी बिल चुकाना पड़ता है। तो क्या सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था की है कि जो गलत नम्बर लगता है, जिसका दोष हमारा नहीं है बल्कि विभाग का है, ऐसी काल्स भी जो बिल में शामिल कर दी जाती हैं, उनकी कटौती बिल में से कर दी जाय, ऐसी कोई व्यवस्था आप सोच रहे हैं ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : ज्यादातर जो रौंग नम्बर का डायलिंग होता है वह इंस्ट्रूमेंट में फाल्ट होने से होता है।

30 से 40 प्रतिशत तक उपकरणों की खराबी के कारण होता है। इसलिए हम उपकरणों में सुधार के लिए काम कर रहे हैं। हमने हाल ही में 677 'कोडिड' उपकरण की औद्योगिकी का विकास किया है तथा उसका उत्पादन शुरू कर दिया है। 32000 उपकरणों की सप्लाई की जा चुकी है। इससे गलत नम्बर मिलने कम हो जायेंगे।

जब कोई नम्बर डायल किया जाता है तथा उपभोक्ता को गलत नम्बर मिल जाता है, तब यह बताना बहुत कठिन है कि दोष कहां पर है। अतः हम उपभोक्ता से इसका पैसा वसूल न करने की बात से सहमत नहीं हो सकते।

श्री जगदीश टाईटलर : उनके दोषों के लिए जनता को दण्ड क्यों दिया जाता है ?

श्री राम विलास पासवान : सब लोग इस बात को जानते हैं कि गलत नम्बर मिलता है और उसके लिए पब्लिक को खर्च बीअर करना पड़ता है, तो पब्लिक ऐसे खर्च को बीअर क्यों करे ? आपने टेलीफोन का दाम बढ़ाया, पब्लिक तैयार है, दाम बढ़ाइये लेकिन काम भी तो होना चाहिए। एक तरफ आप दाम बढ़ाते जायेंगे और दूसरी तरफ गलत नम्बर लगते जायेंगे, इससे दोनों ओर से पब्लिक को लास हो रहा है, ऐसा क्यों है ? आपने 50 पैसे से 80 पैसे कर दिया, पब्लिक तैयार है देने के लिए लेकिन 80 पैसे में भी 4 जगह गलत होगा तो पब्लिक क्यों उसका पैसा दे ? इसके लिए आप क्या कर रहे हैं ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : श्रीमान, इन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं, जिन्हें मैंने नोट कर लिया है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मेरी कांस्टी टुएंसी भीलवाड़ा में पहले 200 लाइन का टेलीफोन एक्सचेंज था, आज वह 1000 लाइन का एक्सचेंज हो गया, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसकी बिल्डिंग की स्वीकृति हो चुकी, लेकिन बिल्डिंग इस डिपार्टमेंट ने बनाई नहीं हैं। कितना पैसा बढ़ाया है, लेकिन कोई सुविधा बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि जो अभी टेलीफोन एक्सचेंज की बिल्डिंग है वह बहुत कम है, उससे कोई लाइन मिल नहीं पाती, इसलिए कब तक बिल्डिंग बनाकर नये टेलीफोन एक्सचेंज की व्यवस्था करेंगे ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : बिल्डिंग बनाने के लिए जमीन गवर्नमेंट से या पब्लिक से मिलती

चाहिये । इसमें और भी डिफिकल्टीज होती हैं, प्लान के मुताबिक जितना एलाटमेंट होता है, उतना ही बिल्डिंग में जायगा । हर जगह बिल्डिंग नहीं हो सकती, फेज-वाइज ही हो सकता है ।

महानदी-बेसिन में तेल के निक्षेप

*422. **श्री लक्ष्मण मलिक**

श्री अनादि चरण दास :

क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उड़ीसा में महानदी बेसिन में तेल के निक्षेपों के बारे में और आगे जांच कार्य कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उस तेल कंपनी का नाम क्या है जिसे उक्त जांच-कार्य करने का लाइसेंस दिया गया है; और

(ग) इससे पूर्व किए गए जांच कार्य का ब्यौरा क्या है और इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) : आयल इंडिया लिमिटेड महानदी बेसिन में दोनों अपतटीय और तटीय भाग में अन्वेषण कार्य कर रहा है । इस क्षेत्र के लिए भावी अन्वेषण योजनाएं निश्चित करने के लिए महानदी अपतटीय क्षेत्र से पहले एकत्र किए गए आंकड़े और वर्ष 1980 और 1981 में खोदे गए दो कुओं से प्राप्त की गई सूचना की पुर्नाव्याख्या आयल इण्डिया लिमिटेड और उनके परामर्शदाता यू० एस० ए० की मैसर्स मैक्कार्ड लेविस द्वारा की जा रही है । तटीय क्षेत्रों में भूकम्पीय सर्वेक्षण कार्य चल रहा है और आशा है कि यह मई, 1983 तक पूरा कर लिया जाएगा ।

श्री लक्ष्मण मलिक : श्रीमान, मंत्री महोदय ने बताया है कि आयल इंडिया महानदी बेसिन के निकट दोनों अपतटीय तथा तटीय भाग में अन्वेषण कार्य कर रहा है और भूकम्पीय आंकड़े पहले ही एकत्र किये गये हैं । बताया गया है कि पारादीप के निकट जम्बू द्वीप समूह में तथा पुरी तट और बालासोर के निकट चांदबाली में प्रचुर तेल क्षेत्रों का पता चला है । क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि महानदी के पास कुल कितने वर्ग किलो मीटर क्षेत्र का सर्वेक्षण कार्य तेल के भंडारों का पता लगाने के लिए, हाथ में लिया गया है तथा क्या निकट भविष्य में और भी क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जायेगा ?

श्री पी० शिवशंकर : श्रीमान, मेरे मित्र ने इस क्षेत्र के बारे में प्रश्न पूछा है । मैं यह जानकारी उनको तुरन्त दे दूंगा ।

शुरू में उन्होंने 12000 वर्ग किलोमीटर अपतटीय तथा 6800 वर्ग किलो मीटर तटीय क्षेत्र में तेल की खोज के लिए लाइसेंस मांगा ।

श्री लक्ष्मण मलिक : मेरा दूसरा प्रश्न यह है । आयल इंडिया ने महानदी बेसिन में खुदाई कार्य अमरीका के मैसर्स मैक्कार्ड लेविस के परामर्श से किया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच

है कि महानदी बेसिन के कुछ क्षेत्रों में खुदाई कार्य कुछ समय तक किया गया तथा कुछ समय बाद उसे बंद कर दिया गया ?

यदि हां, तो खुदाई कार्य बंद किये जाने के क्या कारण थे, तथा उसे पुनः कब शुरू किया जायेगा ?

श्री पी० शिवशंकर : यह निर्णय लिया गया था कि अपतटीय क्षेत्रों में तीन कुओं की खुदाई की जायें और उसमें से पहले कुएं की खुदाई 30 जनवरी, 1980 को शुरू की गई। 2740 मीटर तक खुदाई करने के बाद इस कार्य को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया गया। कार्य बंद किये जाने के कारण थे ;

(क) अत्यन्त सख्त तथा अपघर्षी सतह का सामना करना पड़ा तथा उसके लिए उपयुक्त तरह की बेधनी तुरन्त उपलब्ध नहीं थीं जिसके कारण प्रयत्न व्यर्थ जा रहे थे ;

(ख) मानसून आ जाने के कारण खुदाई पोत के साथ कार्य जारी रखना असुरक्षित था क्योंकि पानी की गहराई केवल 22 मीटर थी।

इसके परिणाम स्वरूप खुदाई पोत को दूसरे कुएं पर भेज दिया गया जहां खुदाई कार्य 6 जुलाई, 1980 को शुरू हुआ। उस कुएं की खुदाई का कार्य 3650 मीटर की गहराई तक हो चुका है। परीक्षण से पता चला कि पानी का अन्तःप्रवाह मंद गति से हो रहा है जिसके कारण खुदाई कार्य को बंद कर दिया गया।

जैसा कि मैंने पहले बताया अब स्थिति यह है कि आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा आंकड़ों का अध्ययन अपने परामर्शदाता अमरीका के मैसर्स मेक्कार्ड लेविस के परामर्श से किया जा रहा है ताकि भावी खुदाई योजना के बारे में निर्णय लिया जा सके। जहां तक अपतटीय खुदाई का सम्बन्ध है उसे इस अध्ययन के समाप्त होते ही शुरू कर दिया जायेगा।

जहां तक तटीय खुदाई का सम्बन्ध है उसमें जैसा कि मैंने बताया कि सर्वेक्षण कार्य जारी है।

श्री अनादि चरण दास : महानदी बेसिन की सोवियत भूकम्पीय सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि पारादीप के 5000 वर्ग किलोमीटर के अपतटीय क्षेत्र में बहुत अत्यन्त आशा की जाती है। इस सम्बन्ध में क्या मैं सरकार से पूछ सकता हूं कि क्या इस क्षेत्र में सोवियत सर्वेक्षण दल द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर जांच कार्य हाथ में लेने की सरकार की कोई योजना है ?

श्री पी० शिवशंकर : जैसे ही प्राथमिक सर्वेक्षण रिपोर्ट हमें प्राप्त होती है जांच कार्य तुरन्त आरम्भ कर दिया जायेगा। सरकार अन्वेषण तथा खुदाई कार्य करने को उत्सुक है। विभिन्न भागों में भूकम्पीय सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। सरकार इस कार्य में विलम्ब नहीं करेगी।

श्री सुधीर गिरि : मुझे बताया गया है कि बंगाल की खाड़ी में 'दीघा हाई' में अपतटीय तेल का भंडार है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं क्या सरकार द्वारा अन्वेषण कार्य करने के लिए कोई उपाय किये गए हैं ?

श्री पी० शिव शंकर : मैं आपके प्रश्न को समझ नहीं सका ।

डा० कृपासिन्धु भोई : प्रश्न महानदी बेसिन के बारे में है ।

श्री सुधीर गिरि : मुझे पता चला है कि बंगाल की खाड़ी में 'दीघा हाई' में तेल के भंडार हैं । क्या सरकार ने उस क्षेत्र में अन्वेषण कार्य के लिए कोई उपाय किये हैं ?

श्री पी० शिवशंकर : जहां तक उन क्षेत्रों का सम्बन्ध है तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग इस बारे में कार्यवाही कर रहा है। प्रश्न का सम्बन्ध महानदी बेसिन से है जिस पर कि आयल इण्डिया लिमिटेड कार्य कर रहा है। उक्त क्षेत्र पर तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग कार्य कर रहा है ।

डा० कृपासिन्धु भोई : इन विशेष क्षेत्रों में खुदाई अमरीकी विशेषज्ञ करते हैं । इन क्षेत्रों का पता दो अमरीकी फर्मों द्वारा लगाया गया है, जो खुदाई कार्य में बाधा डाल रहे हैं, क्या मंत्री महोदय स्पष्ट रूप से उत्तर देंगे कि आयल इण्डिया का कार्य गौण है क्योंकि अमरीकी लोग तेल के अन्वेषण कार्यक्रमों में बाधा डाल रहे हैं । क्या मंत्री महोदय स्पष्ट तौर पर बतायेंगे कि क्या वह इस कार्य को अमरीका के बाहर की कम्पनियों से करायेंगे जिससे इस विशेष क्षेत्र का भाग्योदय हो जाये ?

श्री पी० शिवकंकर : मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति नहीं आयी है कि मैं सम्बन्धित कम्पनी को परामर्श दूं कि वह अमरीकी कंपनियों के साथ किए गए सभी ठेकों को समाप्त करें । परन्तु यदि ऐसी स्थिति आती है तो सरकार अपने दायित्वों को निभाने में नहीं कतरायेगी । यदि, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है, ये दो कम्पनियां भारत के हितों के विरुद्ध कार्य करतीं हैं, तो निश्चय ही सरकार इस बारे में ऐसा रास्ता अपनाने में सक्षम है जो कि उचित और राष्ट्र के हित में होगा ।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

थीन बांध परियोजना

*416. **श्री लहना सिंह तुर :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने पनबिजली चरण 2 सहित थीन बांध परियोजना 1964 में प्रस्तुत की थी और यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इस महत्वपूर्ण परियोजना में धन के अभाव के कारण विलम्ब हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार राज्य में बिजली की गम्भीर कमी तथा खाद्य उत्पादन बढ़ाने एवं अन्य अनुषंगी उद्योगों को देखते हुए धन की व्यवस्था करने का है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी : (क) जी हां ! हरियाणा और राजस्थान इस परियोजना से उत्पन्न होने वाले विद्युत में हिस्से का दावा कर रहे हैं और अन्तर्राज्यीय पहलू निहित होने के कारण इस परियोजना का क्रिवान्वयन पहले हाथ में नहीं लिया जा सका । भूतपूर्व प्रधानमंत्री द्वारा 3 अक्तूबर, 1977 को बुलाई गई, सम्बन्धित मुख्य मंत्रियों की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि पंजाब परियोजना का क्रियान्वयन कर सकता है। विवादाधीन मामलों की जांच अलग से की जानी थी । अवसंरचनात्मक सुविधाओं का तथा व्यपयर्तन सुरंगों की खुदाई का कार्य प्रगति पर है ।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत फार्मूले के अनुसार समूची राज्य योजना के लिए निधियों का आवंटन करती है तथा अलग-अलग परियोजनाओं के लिए निधियों का आवंटन नहीं करती । पंजाब सरकार इस परियोजना का क्रियान्वयन कर रही है और इसके लिए छठी योजना अवधि में 130 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है ।

नागार्जुन सागर बिजली परियोजना का चालू किया जाना

*417. श्री के० लकप्पा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागार्जुन सागर बिजली परियोजना के समय-सूची के अनुसार चालू किए जाने की सम्भावना नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इस परियोजना को उपकरणों की सप्लाई में हुए विलम्ब के लिए उत्तरदायी है; और

(घ) मूल्य वृद्धि तथा औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से कितनी हानि होने का अनुमान है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी : (क) से (ङ) नागार्जुन सागर परम्परागत यूनिट (1×110 मेगावाट) तथा पम्पड स्टोरेज स्कीम चरण-एक के पहले दो यूनिट (2×100 मेगावाट) निर्धारित कार्यक्रम अनुसार चालू किए गए हैं । नागार्जुन सागर पम्पड स्टोरेज स्कीम चरण-एक का यूनिट-तीन, जनवरी-मार्च, 1982 के दौरान चालू किया जाना था । इसे जून 1982 तक चालू किए जाने की आशा है । चौथी यूनिट को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिसम्बर, 1982 में चालू किए जाने की आशा है ।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० से उपस्करों की प्राप्ति में विलम्ब होने के कारण तीसरे यूनिट को चालू करने में विलम्ब हुआ है । भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लि० ने सूचित किया है कि यह देरी, आयात लाइसेंस प्राप्त करने में तथा उपस्करों आदि की जांच के लिए मै० हिताशी द्वारा अपनायी गई प्रक्रियाओं का पालन करने के कारण हुई है ।

कीमतों में हुई वृद्धि तथा औद्योगिक उत्पादन में हुई हानि के रूप में हानि का अनुमान लगा सकना सम्भव नहीं है।

परियोजना प्राधिकारियों तथा विभिन्न उपस्कर सप्लायरों द्वारा किये जाने वाले विभिन्न कार्यों को समय पर पूरा किये जाने में तेजी लाने हेतु परियोजनाओं की मानीटरिंग को तेज कर दिया गया है।

कालाहांडी जिले के लिये अलग डाक डिविजन

*423. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि उड़ीसा में कालाहांडी जिले के लोग कालाहांडी में एक अलग डाक-डिविजन बनाने की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस जिले के पिछड़ेपन को देखते हुए तथा यह भी ध्यान में रखते हुए कि इस जिले में दो आदिवासी-खंड हैं, क्या सरकार का विचार कालाहांडी में शीघ्र ही एक अलग डाक-डिविजन बनाने का है; और

(ग) क्या वर्तमान बोलंगिर डिविजन को दो भागों में विभाजित करने का प्रस्ताव बोलंगिर डिविजन के डाकघरों के अधीक्षक की ओर से आया है जिसमें कार्यभार में वृद्धि के कारण उक्त विभाजन को उचित ठहराया गया है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) कालाहांडी डाक डिविजन के सृजन के लिए कुछ माननीय संसद सदस्यों ने प्रस्ताव रखा था।

(ख) और (ग) : डाक डिविजनों का द्विभाजन / सृजन फिलहाल इस सम्बन्ध में निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता है। इन अनुमोदित मानकों के आधार पर, किसी डाक डिविजन को द्विभाजन योग्य तब समझा जाता है जब उसका कार्यभार 2.6 यूनिट हो जाता है। बोलंगिर डाक डिविजन, जिसमें इस समय कालाहांडी जिला आता है, का कार्यभार केवल 2.24 है अतः इसका द्विभाजन करने तथा अलग कालांहाडी डिविजन बनाने का औचित्य नहीं पाया गया है।

वेस्टर्न कोलफील्ड्स के सोहागपुर क्षेत्र का विभाजन करने का प्रस्ताव

*424. **श्री दलवीर सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहडोल जिले में कोयला खानों का कार्य सुचारु रूप से चलाने की दृष्टि से वेस्टर्न कोलफील्ड्स के सोहागपुर क्षेत्र को दो भागों में विभक्त करने का कोई प्रस्ताव है; और यदि हां, तो यह योजना कब तक क्रियान्वित हो जायेगी; और

(ख) वेस्टर्न कोलफील्ड्स के सोहागपुर क्षेत्र में शहडोल शहर के चारों ओर के उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां कोयला पाया गया है और इन स्थानों पर कोयला खनन का कार्य कब तक शुरू किये जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) शहडोल जिले के बीरसिंहपुर-पाली क्षेत्र और धनपुरी-अमलाई क्षेत्र में कोयले के भंडारों का पता चला है।

धनपुरी क्षेत्र में कोयले का खनन शुरू किया जा चुका है। पाली तथा देवहारा परियोजनाएं 1982-83 में शुरू किए जाने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश में बिजली की भारी कमी

*425. **श्री गुलाम मोहम्मद खां** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छठी योजना में परियोजित 30% बिजली कमी होने और इसके वार्षिक विद्युत परिव्यय में कटौती करने से उत्तर प्रदेश में बिजली की भारी कमी है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार राज्य के विशाल पन-बिजली परियोजनाओं के प्रस्तावों पर विचार कर रही है;

(ग) क्या राज्य ने विश्व बैंक और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से धन राशि प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे; और

(घ) राज्य में चल रही योजनाओं को पूरा करने और उसकी आर्थिक स्थिति को बिगड़ने से रोकने में राज्य को सहायता देने हेतु केन्द्र द्वारा क्या विशेष कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्री श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी : (क) उत्तर प्रदेश में विद्युत की कमी 1980-81 में 23.9% थी। जो 1981-82 में (अप्रैल, 1981-जनवरी, 1982) घटकर 22.4% रह गई है। मार्च, 1982 के महीने में सप्लाई की स्थिति में और सुधार हुआ है तथा इस प्रणाली से उत्तरी क्षेत्र के अन्य राज्यों को विद्युत पहुंचाई जा सकती है। विद्युत कटौतियां भी प्रायः समाप्त कर दी गई हैं।

(ख) जी, हां। छः जल विद्युत स्कीमें प्राप्त हुई थीं जिनमें से दो को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दे दी गई है और शेष चार स्कीमों की जांच केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में की जा रही है।

(ग) जी, हां। जहां उचित था वहां विद्युत परियोजनाएं विदेशी सहायता के लिए प्रस्तुत की गई हैं।

(घ) राज्य में विद्युत की कमी मुख्य रूप से उत्पादन परियोजनाओं को चालू करने में हुई देरी के कारण तथा राज्य में ताप विद्युत संयंत्रों की क्षमता का घटिया समुपयोजन होने के कारण हैं। राज्य बिजली बोर्डों को सलाह दी गई है कि परियोजनाओं को चालू करने में होने वाली देरी को समाप्त करने और ताप विद्युत संयंत्रों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए ठोस कार्यवाही करें।

राज्य बिजली बोर्डों को अपनी परियोजनाओं को शीघ्र चालू करने के लिए केन्द्रीय सरकार उन्हें सहायता दे रही है। सप्लाई शीघ्र किए जाने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा विद्युत विभाग द्वारा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० तथा इन्स्ट्रुमेंटेशन लि० कोटा जैसे निर्माताओं के साथ अनुगामी कार्रवाई की जाती है। केन्द्रीय सरकार निर्माण की मुख्य सामग्री का पर्याप्त आवंटन सुनिश्चित करने के भी प्रयास करती है। वैज्ञानिक आधार पर प्रबन्ध करने और परियोजनाओं की मानीटरिंग करने के बारे में भी राज्य बिजली बोर्डों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं।

केन्द्र, राज्यों को उनकी योजनाओं के लिए सहायता, राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित फार्मूले के आधार पर देता है। केन्द्रीय सहायता समग्र योजना के लिए दी जाती है तथा किसी विशेष सेक्टर या परियोजना के लिए नहीं दी जाती। परियोजनाओं के लिए परिव्यय सम्बन्धी निर्णय, केन्द्रीय सहायता और राज्य के अपने संसाधनों को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की कुछ विद्युत परियोजनाओं के लिए आवश्यक सीमा तक पर्याप्त निधियों की व्यवस्था नहीं की गई है क्योंकि राज्य के अपने स्रोत पर्याप्त नहीं हैं। विद्युत परियोजनाओं के लिए परिव्यय को जुटाने के लिए, यह आवश्यक होगा कि राज्य अतिरिक्त साधन जुटाए।

उज्जैन डिवीजन में नए सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र तथा टेलीफोन एक्सचेंज

*426. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या संचार मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान नये सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों तथा टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना के लिए उज्जैन टेलीफोन डिविजन में किन-किन स्थानों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां नए सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र और टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना की गई है ; और

(ग) उन शेष प्रस्तावों के बारे में ब्यौरा क्या है जिन्हें क्रियान्वित नहीं किया जा सका है और उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) एवं (ख) : सभा पटल पर एक विवरण रखा जा रहा है।

(ग) शेष स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंज चालू करने हेतु कार्य प्रगति पर है। 1982 के दौरान इनके चालू कर दिए जाने की आशा है।

बख्तगढ़, धतूरिया तथा मटवाड़ में सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने हेतु कार्रवाई की जा रही है। मार्च, 1982 तक कार्य पूरा हो जाने की आशा है।

शेष स्थानों हेतु प्रस्ताव डाक तार विभाग की मौजूदा नीति के अन्तर्गत नहीं आते । तथापि, किराए एवं गारंटी के आधार पर सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले जा सकते हैं बशर्ते कि कोई इच्छुक पार्टी विभाग को होने वाले घाटे की क्षतिपूर्ति करने को तैयार हो।

विवरण-1

वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान उज्जैन तार डिवीजन में नए टलीफोन एक्सचेंज तथा सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले जाने हेतु प्रस्ताव

टेलीफोन एक्सचेंज

1980-81	1981-82
1. पिपलोडा	1. पिपलों कलां
2. झारदा	2. बिचरोद
3. फतेहाबाद	3. सुमेरा खेड़ा
4. गांधी सागर	

सार्वजनिक टेलीफोन घर

1980-81	1981-82
1. पिलवास	1. मकदोने
2. बरखेड़ा कलां	2. मोदी
3. बख्तगढ़	3. रुपेटा
4. बरखेड़ा गंगुसा	4. खेड़ा खजूरिया
5. बीरमावल	5. इंगोरिया
6. धतूरिया	6. बीचरोड
7. मुहम्मदखेड़ा	7. सुर्वा गोपाल
8. मोदी	8. मंडावल
9. मकदोने	
10. बकेल्दा	
11. मथवाड़	
12. कार्जी	
13. भादेवा माता	
14. झाकनावाड़	
15. खाट्टाली	
16 पंचेवा	
17. जीरां	
18. पिपलोडा बगड़ा	

विवरण-2

उन स्थानों के नाम जहां वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 में नए टेलीफोन एक्सचेंज तथा सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले गए हैं

टेलीफोन एक्सचेंज		सार्वजनिक टेलीफोन घर	
1980-81	1981-82	1980-81	1981-82
1. पिपलोडा	कोई नया टेलीफोन एक्सचेंज नहीं खोला गया है।	1. पिलवास	कोई सार्वजनिक टेलीफोन घर नहीं खोला गया।
2. झारदा		2. बरखेड़ा कलां	
3. फतेहाबाद		3. बीरमावल	
		4. मोहम्मद खेड़ा	
		5. बेकाल्डा	
		6. भादवा माता	
		7. झाकनावाड़	
		8. खाट्टाली	
		9. पंचेवा	
		10. जीरान	
		11. पिपलोडा बागड़ा	

सूचना के लिए गुट-निरपेक्ष अन्तर-शासकीय परिषद्

*427 श्री एस० एम० कृष्ण
डा० कृपा सिन्धु भोई :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में हाल में हुई सूचना के समन्वय के लिए गुट-निरपेक्ष अन्तर-शासकीय परिषद् की बैठक के निष्कर्ष क्या हैं ;

(ख) क्या अन्य बातों के साथ-साथ समाचार सेवा को कम खर्चीला बनाने के लिए भी तात्कालिक कार्यवाही करने के लिए कुछ उपाय सुझाए गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में किस प्रकार समझौता हुआ ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) गुट-निरपेक्ष देशों के बीच सूचना और जन-सम्पर्क माध्यमों के समन्वय सम्बन्धी अन्तः शासकीय परिषद् के विशेषज्ञ दल की, उक्त अन्तः शासकीय परिषद् की मई, 1981 में जार्ज टाउन, गुइयाना में हुई 5वीं बैठक में लिए गए एक निर्णय के अनुसरण में तथा उक्त परिषद् की मई, 1982 में माल्टा में होने वाली छठी बैठक

की तैयारी करने के सिलसिले में 22-23 फरवरी, 1982 को नई दिल्ली में बैठक हुई थी। इस बैठक में गुट-निरपेक्ष और विकासशील देशों के दृष्टिकोण से संचार और जन-सम्पर्क माध्यमों के विकास की समस्याओं के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया था। दो दिवसीय विचार-विमर्श की समाप्ति के बाद विशेषज्ञों की बैठक में एक व्यापक रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें इन देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, मुद्रित और श्रव्य-दृश्य माध्यमों के तीव्र विकास के लिए सुझाव और सिफारिशें दी गई थीं।

अन्तः शासकीय परिषद् की छठी बैठक के समक्ष विचार के लिए रखी जाने वाली यह रिपोर्ट सिफारिशी स्वरूप की है जिसके आधार पर माल्टा में होने वाली अन्तः शासकीय परिषद् की बैठक में एक ठोस कार्यवाई कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए तैयार किया जाना है।

अन्तः शासकीय परिषद् के विशेषज्ञों की नई दिल्ली की बैठक की सिफारिशों और सुझावों में, अन्य बातों के साथ-साथ, ये बातें शामिल हैं—

(1) उपग्रह संचार की वर्तमान दर कम करना ;

(2) कम से कम गुट-निरपेक्ष समाचार-पूल संचालन के लिए चैनल के दूसरे सिरे पर पारस्परिकता पर आग्रह किए बिना राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों को रियायती दर की सुविधा देना; और

(3) कम विकसित देशों के संवाददाताओं को यूनेस्को के खर्चे पर संवाद भेजने की सुविधाओं का प्रावधान करना।

इन सुझावों के स्वीकृत और कार्यान्वित हो जाने पर गुट-निरपेक्ष देशों में समाचार सेवा की लागत काफी कम हो जाएगी।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित मामले

*428. **श्री जेवियर अराकल :** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में कितने मामले निपटाए जाने के लिए लंबित हैं ; और

(ख) क्या सरकार इन लंबित मामलों को निपटाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 128 और 224 क का प्रयोग करेगी।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगनन्नाथ कौशल) : (क) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उनके यहां लंबित मामलों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए जब कभी आवश्यक समझा जाता है, अनुच्छेद 224क के

अधीन नियुक्त किया जाता है। किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अनुच्छेद 128 के अधीन नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधिपति से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या

उच्चतम न्यायालय	31 दिसम्बर, 1981 को लंबित मामले
(i) नियमित सुनवाई वाले मामले	22,664
(ii) ग्रहण किए जाने वाले मामले	25,979
(iii) प्रकीर्ण मामले	34,281
उच्च न्यायालय	30 जून, 1981 को लंबित मामले
	7,79,192

ऊर्जा की बचत करने के लिए "टास्कफोर्स"

*429. श्री चिंगवांग कोनयक :
श्री बी० वी० देसाई :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऊर्जा की बचत करने के उद्देश्य से विभिन्न एजेंसियों के प्रयासों को समन्वित करने के लिए बिजली संक्षरण सम्बन्धी टास्क फोर्स बनाया गया है ; और इसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में ऊर्जा की बचत करने के कोई प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) ऊर्जा के उपयोग पर निगरानी रखने और ऊर्जा की बचत करने के तरीके लागू करने के लिए क्या विशेष उपाय करने का विचार है, और

(घ) उपरोक्त उपायों के माध्यम से किस सीमा तक और कितनी मात्रा में बिजली की बचत किए जाने की संभावना है, इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी : (क) जी, हां। भारत सरकार ने विद्युत ऊर्जा के संरक्षण के लिए एक स्थायी दल का गठन किया है। मुख्य इंजीनियर (आयोजना), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण इस दल के संयोजक हैं। दल अभी, विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत ऊर्जा के समुपयोजन तथा संरक्षण के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रहा है तथा इसके संरक्षण को बढ़ावा

देने के लिए और विद्युत ऊर्जा के समुपयोजन की दक्षता में बढ़ोतरी करने के लिए विशिष्ट प्रस्ताव तैयार करेगा ।

(ख) जी, हां । औद्योगिक तथा कृषि, दोनों ही क्षेत्रों में ऊर्जा की बचत करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं । जहां तक कृषि क्षेत्र का सम्बन्ध है, कृषि क्षेत्र में ऊर्जा की बचत के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए सचिव, सिंचाई मंत्रालय की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति का गठन किया गया है । औद्योगिक क्षेत्र के लिए सरकार ने ऊर्जा संरक्षण पर एक अन्त-मंत्रालयीय कार्यकारी दल का भी गठन किया है । विद्युत सेक्टर में ऊर्जा संरक्षण के लिए कुछ राज्य बिजली बोर्डों द्वारा भी, ऊर्जा की मांग पर नियंत्रण रखने तथा ऊर्जा के संरक्षण आदि के लिए एक सैल का गठन करके प्रयास शुरू कर दिए गए हैं ।

(ग) विभिन्न उपभोक्ता क्षेत्रों, आदि में विद्युत ऊर्जा के संरक्षण के लिए ऊर्जा लेखा परीक्षा प्रणाली का तथा मार्गदर्शी सिद्धान्तों का विकास करना इन उपायों में शामिल हैं ।

(घ) संगठित प्रयासों के परिणामस्वरूप विद्युत संरक्षण से जो बचत होगी, उसकी सही-सही मात्रा का निर्धारण करना संभव नहीं है । तथापि, यह आशा की जाती है कि बचत के लिए पर्याप्त गुंजाइश होगी ।

उड़ीसा द्वारा मध्य प्रदेश को बिजली की सप्लाई

*430. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने मध्य प्रदेश को 5 मेगावाट बिजली की सप्लाई करने का वचन दिया था और उसके द्वारा उक्त राज्य को 25 सितम्बर, 1979 तक इसकी सप्लाई की जा रही थी;

(ख) क्या पानी की कमी के कारण हीराकुंड बिजली घर के बन्द हो जाने से उड़ीसा द्वारा 24 सितम्बर, 1979 से मध्य प्रदेश को बिजली की सप्लाई में 5 प्रतिशत कटौती की गई है;

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा द्वारा मध्य प्रदेश को सप्लाई की जा रही बिजली की मात्रा को अब तक बहाल न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उड़ीसा सरकार को यह परामर्श देने का है कि वह मध्य प्रदेश को 5 प्रतिशत बिजली की सप्लाई बहाल करे जैसा कि पहले सप्लाई की जा रही थी और क्या मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्तावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी : (क) से (ग) उड़ीसा मध्य प्रदेश को 5 मेगावट विद्युत सप्लाई कर रहा है । जल-विद्युत जलाशयों में जल का स्तर कम होने के कारण उड़ीसा में विद्युत उत्पादन में कमी होने पर 23 सितम्बर, 1979 से यह विद्युत सप्लाई बंद कर दी गई । उसके बाद उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा मध्य प्रदेश को विद्युत की सप्लाई दुबारा शुरू नहीं

की गई। तथापि, उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि वे 5 मेगावट की विद्युत सप्लाई बहाल करने को तैयार हैं बशर्ते कि मध्यप्रदेश 55 लाख रुपये से अधिक की बकाया राशि का भुगतान कर दे जो कि कुछ समय से बाकी पड़ी हुई है।

(घ) यह दो राज्य सरकारों का पूर्णतः एक द्विपक्षीय मामला है तथा इन राज्यों को इसे स्वयं ही हल करना है।

सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को पर्याप्त विद्युत सप्लाई करने में असमर्थ राज्य

*431. श्री माधवराव सिंधिया : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारें अपने राज्यों में सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को पर्याप्त विद्युत सप्लाई देने के अपने आश्वासन पूरे नहीं कर सकी हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं और सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को पर्याप्त विद्युत सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्री श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र की यूनिटों को विद्युत की पर्याप्त सप्लाई करने में असमर्थता, सामान्यतः कई राज्यों में विद्युत की मांग, सप्लाई से अधिक होने के कारण हुई थी। विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि करने की दृष्टि से, ताप विद्युत केन्द्रों से विद्युत उत्पादन में सुधार लाने के लिए उपाय किए गए हैं। ये उपाय हैं; ताप विद्युत केन्द्रों की कार्य दक्षता को बढ़ाना तथा नई विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को चालू करने के कार्य की समुचित मानीटरिंग करना। जहां तकनीकी दृष्टि से उचित होता है, वहां विद्युत प्रधान उद्योगों में केप्टिव विद्युत यूनिटों की व्यवस्था की जा रही है।

चन्द्रनगर टेलीफोन केन्द्र में सुधार

*432. प्रो० रूपचन्द पाल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चन्द्रनगर टेलीफोन केन्द्र में सुधार के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार टेलीफोन एक्सचेंज के चिनसुराह ग्रुप को कलकत्ता स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत लाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) चन्द्रनगर में एक स्वचल एक्सचेंज के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण के मामले को भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण के साथ उठाया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) चिनसुराह ग्रुप के एक्सचेंज कलकत्ता के ट्रंक एक्सचेंज से 20 कि० मी० से अधिक

दूरी पर स्थित हैं तथा विभाग की मौजूदा नीति के अनुसार चिनसुराह ग्रुप एक्सचेंजों से कलकत्ता के लिए की गई कालों को ट्रंककालों के बतौर माना जाता है।

कैप्रोलैक्टम का उत्पादन

*433. श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वदेशी एककों ने कैप्रोलैक्टम के उत्पादन में भारी कमी की है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1981 के दौरान उत्पादन में एकक-वार कितनी कमी हुई है;

(ग) उसके कारण क्या हैं और उत्पादन में कितनी कमी हुई है; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) देश में कैप्रोलैक्टम के एकमात्र उत्पादक गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी द्वारा वर्ष 1979, 1980 और 1981 के दौरान क्रमशः लगभग 13,930 मी० टन, 13,945 मी० टन और 11,808 मी० टन कैप्रोलैक्टम का उत्पादन किया गया था।

(ग) और (घ) यह यूनिट अपनी 20,000 मी० टन प्रति वर्ष की लाइसेंस क्षमता पर उत्पादन कर रहा है। कैप्रोलैक्टम के निम्न स्तर पर उत्पादन के मुख्य कारण संचालनात्मक समस्याएं और विपणन कठिनाइयां सूचित की गई हैं।

नए पैट्रो-रसायन उद्योग समूहों की स्थापना

*434. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के दौरान कितने नये पैट्रो-रसायन उद्योग समूह स्थापित किये जाने हैं;

(ख) ये कहां-कहां स्थापित किए जायेंगे;

(ग) क्या भारत सरकार को उड़ीसा सरकार की ओर से उड़ीसा में पारादीप में तेल शोधन कारखाने स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो विशेषकर इस बात को ध्यान में रखकर कि पारादीप के आस-पास महानदी बेसिन में तट पर और तट-दूर तेल की खोज शुरू हो चुकी है, भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) सिद्धान्त रूप से निम्नलिखित प्रायोजनाओं को स्थापित करने के लिए निर्णय लिया गया है :

(1) दो गैस क्रैकर पेट्रो-रसायन उद्योग समूह, महाराष्ट्र और गुजरात प्रत्येक में एक।

(2) तीन एरोमेटिक्स वसूली यूनिटें, केरल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में प्रत्येक में एक-एक।

हल्दिया में एक नेफथा क्रेकर पेट्रोरसायन उद्योग समूह की स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड को एक आशय-पत्र जारी किया गया था।

(ग) और (घ) उड़ीसा सरकार ने शोधनशाला को पारादीप में स्थापित करने के लिए सुझाव दिया था।

इस समय वहां एक शोधनशाला स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों को डीजल और मिट्टी के तेल की सप्लाई

*435. **श्री निहाल सिंह** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक, 1 जनवरी, 1980 से 31 जनवरी, 1982 तक की अवधि के दौरान राज्यों को उनकी कुल मांग की तुलना में डीजल, मिट्टी के तेल, पेट्रोल तथा पेट्रोलियम-उत्पादों की कितनी सप्लाई की गई है;

(ख) क्या उपरोक्त मदों के पूरी मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा है, तथा खाद्यान्न के उत्पादन पर भी इसका बुरा असर पड़ा है; और

(ग) भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों को डीजल और मिट्टी के तेल की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जनवरी, 1980—मार्च 1980, अप्रैल 1980—मार्च 1981 और अप्रैल, 1981 से नवम्बर, 1981 की अवधि के लिए हाई स्पीड डीजल तेल, मिट्टी का तेल, मोटर स्प्रिट और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की राज्यवार खपत दर्शाने वाले विवरण अनुबन्ध 1, 2, और 3, में दिए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 3726/82]

(ख) इन उत्पादों के उपलब्ध न होने से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने किसी प्रकार की कोई कठिनाई अनुभव की हो ऐसी कोई विशिष्ट रिपोर्टें नहीं मिली हैं, तथापि देश के कुछ भागों में स्थानीय किस्म की अस्थायी कमियों से नकारा नहीं जा सकता है, सामान्यतः देश में सप्लाई स्थिति संतोषजनक रही है।

(ग) हाई स्पीड डीजल के मासिक राज्यवार आवंटन विगत वर्ष के तदनुरूपी माह की वास्तविक बिक्री पर 15% की वृद्धि दर पर किये जाते हैं। तथापि हाई स्पीड डीजल तेल की बिक्री पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है और मांग को तेल कम्पनियों द्वारा पूर्ण रूप से पूरा

किया जा रहा है। हाई स्पीड डीजल तेल की कमियों की कोई सूचनाएं नहीं हैं। खुली बिक्री के आधार पर पेट्रोल उपलब्ध है।

विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को मिट्टी के तेल के आवंटन के सम्बन्ध में वर्तमान नीति के अनुसार वर्ष को 4 महीनों के तीन खण्डों में विभाजित किया गया है और इन चारों महीनों के लिए एक समान स्तर पर मिट्टी के तेल के आवंटन किये जाते हैं। गर्मी के महीने (मार्च-जून) और मानसून के महीने (जुलाई-अक्तूबर) दोनों ही के लिए मासिक आवंटन विगत वर्ष के तदनुरूपी चार महीनों की औसत मासिक बिक्री पर 5% की वृद्धि पर आधारित होते हैं। सर्दी के महीनों (नवम्बर-फरवरी) के लिए आवंटन विगत वर्ष के तदनुरूपी 4 महीनों में से किसी एक के सबसे अधिक आवंटन/बिक्री पर 5% की वृद्धि पर आधारित होते हैं।

विद्युत संयंत्रों की क्षमता का उपयोग

4651. श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 के दौरान बिजली के उत्पादन में लगे संयंत्रों ने कितनी बिजली का उत्पादन किया और संयंत्रों की कितनी क्षमता का उपयोग किया गया ;

(ख) उन एककों के नाम क्या हैं जहां वर्ष 1980 के इसी अवधि के आंकड़ों की तुलना में उत्पादन और क्षमता के उपयोग में वृद्धि हुई है ;

(ग) क्या सरकार ने इन एककों के उत्पादन में वृद्धि करने के मार्ग में आने वाली बाधाओं का विश्लेषण किया है तथा क्या सरकार का विचार एक केन्द्रीय संगठन गठित करने का है ताकि सामयिक मूल्यांकन किया जा सके और बाधाओं को उचित ढंग से दूर किया जा सके ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार का संगठन कब तक गठित किया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) अप्रैल 1980 से दिसम्बर, 1981 की अवधि के दौरान देश में ताप विद्युत संयंत्रों का क्षमता समुपयोजन 45.7% है। इसकी तुलना में गत वर्ष की इसी अवधि में यह 42.7% था। अप्रैल से दिसम्बर, 1980 और 1981 की अवधि के दौरान संयंत्रवार ऊर्जा उत्पादन और क्षमता समुपयोजन को दिखाने वाला विवरण संलग्न है (उपाबंध—i)। 1982 में इसमें और अधिक सुधार हुआ है। जल विद्युत केन्द्रों के बारे में समुपयोजन की प्रतिशतता का कोई महत्व नहीं है क्यों कि समुपयोजन अभिकल्प शक्तियां तथा जल की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अप्रैल से दिसम्बर, 1980 और 1981 की अवधि के दौरान जल-विद्युत केन्द्रों से संयंत्रवार ऊर्जा उत्पादन को दिखाने वाला विवरण संलग्न है (उपाबन्ध—ii)। (ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 3727/82)

(ग) और (घ) : ताप विद्युत संयंत्रों में उत्पादन तथा क्षमता समुपयोजन बढ़ाने में आने वाली बाधाओं का पता लगा लिया गया है और उपचारी कार्रवाई आरम्भ की जा चुकी है। देश में ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन की सतत मानीटरिंग केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा की जा रही है, जो कि विद्युत केन्द्रों की विद्युत सप्लाई, विद्युत उत्पादन तथा कार्य-निष्पादन की मानी-

टरिंग करने के लिए एक केन्द्रीय संगठन है। जहां कहीं और जब कभी अपेक्षित होता है, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण राज्य बिजली बोर्डों तथा अन्य विद्युत उत्पादन कम्पनियों को सहायता दे रहा है। केन्द्रीय सरकार ने विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए भ्रमणकारी दलों का तथा कृतिक बलों का गठन किया है, बिजलीघरों में प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण समूह बनाये हैं तथा प्रत्येक यूनिट की क्षमता का अधिनिर्धारण करने तथा जांच करने के लिए दलों का गठन किया गया है। इन कदमों से, कई ताप विद्युत केन्द्रों के संयंत्र भार अनुपात में भी सुधार हुआ है।

छतरपुर, उड़ीसा में रसायन संयंत्र की स्थापना करना

4652. **श्री के० प्रधानी :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उवर्रक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में गंजम जिले के छतरपुर में एक रसायन संयंत्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो वहां पर ऐसा रसायन संयंत्र कब स्थापित किया जाएगा और

(ग) इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) इंडियन एयर अर्थस लि० जो एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, छतरपुर, गंजम, उड़ीसा में एक मिनरल हाई कम्पलैक्स की स्थापना कर रहा है। संयंत्र इलेमिनाइट, सिन्थेटिक स्टाइल, सिलिमानाइट, मोनाजाइट, जिरकन और हिटोक्स का निर्माण करेगा। परियोजना कार्यान्वयन के अग्रिम स्तर में है और वर्ष 1983 के अन्त तक प्रारम्भ हो जाने की आशा है।

सिक्किम के लिए जल विद्युत परियोजना

4653. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन सालों के दौरान सिक्किम सरकार ने राज्य में जल विद्युत परियोजना के लिए कोई परियोजना प्राक्कलन पेश किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) जल विद्युत परियोजना के लिए कोई परियोजना अनुमान पिछले तीन वर्षों के दौरान सिक्किम सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि केन्द्रीय जल आयोग ने, जिसको सिक्किम में (60 मेगावाट) रंगीत चरण-iii के अन्वेषणसंबंधी कार्य सौंपे गए थे, इस स्कीम की परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है और इसकी जांच की जा रही है।

संवाददाता सम्मेलन में आमन्त्रित पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के संवाददाता

4654. **श्री रास बिहारी बहेरा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रेस सूचना ब्यूरो, कलकत्ता और भुवनेश्वर द्वारा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से प्रकाशित होने वाले दैनिक और सामयिक पत्रिकाओं को उनके पते सहित भेजी गई समाचार सामग्री का ब्योरा क्या है ;

(ख) पिछले तीन सालों के दौरान प्रेस सूचना ब्यूरो के इन दो कार्यालयों द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आमंत्रित किए गए संवाददाताओं के नाम दिनांक-वार और समाचार पत्र-वार क्या हैं ; और

(ग) प्रेस सूचना ब्यूरो के उपर्युक्त दो कार्यालयों और जिला स्तर के समाचार पत्रों के बीच और अधिक सहयोग बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जायेगा ।

महाराष्ट्र में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम कार्यक्रम

4655. **श्रीमती माधुरी सिंह :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने महाराष्ट्र में गांवों और हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण करने के लिए नयी परियोजनाएं मंजूर की थीं :

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के लिए कितनी ऋण सहायता दी गई है ; और

(ग) इसके लिए कौन-से क्षेत्र/गांव चुने गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) चालू वित्तीय वर्ष (1981-82), के दौरान फरवरी, 1982 के अन्त तक, ग्राम विद्युतीकरण निगम ने महाराष्ट्र में 304 गांवों और इन गांवों के साथ लगी हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए 2.32 करोड़ रुपए की ऋण सहायता की 9 नई परियोजनाएं स्वीकृत की हैं।

(ग) उपरोक्त परियोजना में शामिल किए गए 304 गांव जिन ब्लाकों/तालुकों तथा जिलों में हैं उनके नाम उपाबन्ध में दिए गए विवरण में दिखाए गए हैं ।

विवरण

चालू वित्तीय वर्ष 1981-82 के दौरान फरवरी, 1982 के अन्त तक महाराष्ट्र में ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत की गई ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के अन्तर्गत विद्युतीकरण के लिए शामिल किए 304 गांव जिन ब्लाकों/तालुकों तथा जिलों में हैं उनके नाम दिखाने वाला विवरण ।

क्र० सं०	ब्लाक/तालुका का नाम	जिले का नाम	शामिल किए गए गांव
1.	गोंडिया	भंडारा	2
2.	भंडारा	भंडारा	100
3.	पंडारकुण्डा	यवतमाल	54
4.	पुसाद	यवतमाल	9
5.	खेड	पूना	39
6.	वेलही महल	पूना	35
7.	भोर	पूना	47
8.	केकापुर	यवतमाल-1	1
9.	पुसाद	यवतमाल	17
		जोड़	304

पेट्रोल उत्पादन में वृद्धि

4656. **श्री अनन्त रामुलु मुल्लु** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष पेट्रोल-उत्पादन में गत वर्ष के उत्पादन की तुलना में किस सीमा तक वृद्धि हुई है और अगले वर्ष इस में कहां तक वृद्धि होने की संभावना है ;

(ख) क्या उत्पादन में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, उपभोक्ताओं को राहत देने हेतु इसके मूल्यों में कमी करने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) वर्ष 1980-81 के दौरान पेट्रोल का उत्पादन 1.564 मिलियन मी० टन था । वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 के दौरान क्रमशः 1.613 मि० मी० टन तथा 1.650 मि० मी० टन उत्पादन होने की आशा है ।

(ख) और (ग) जी, नहीं । पेट्रोल के मूल्यों में कमी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । पेट्रोल का मूल्य निर्धारण अन्य तथ्यों पर आधारित है तथा यह इसकी बढ़ी हुई उपलब्धता पर आधारित नहीं है ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पूर्वोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्र में सर्वेक्षण

4657. **चिंतामणि जेना** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों के उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिनमें तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने आज तक, तारीख-वार, भू सर्वेक्षण तथा भूभौतिकी सर्वेक्षण किए हैं ; और

(ख) प्रत्येक सर्वेक्षण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने असम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों में गुरुत्व चुम्बकीय और भूकम्पीय सर्वेक्षण किये हैं और अरुणाचल में हिमालय की तलहटियों में, नागा पहाड़ियों में, मिकिर पहाड़ियों, दक्षिण शिलांग पठार, वरेल श्रृंखला, कछार, मणीपुर, मीजोरम और त्रिपुरा में भूगर्भीय मान चित्रण किया है। यह सर्वेक्षण आयोग स्थापना के समय से वर्ष 1980-81 के क्षेत्रीय मौसम तक समय-समय पर किये गए हैं, 30511 वर्ग किलो मी० क्षेत्र का भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कार्य पूरा किया गया है, 20300 केन्द्रों को गुरुत्व चुम्बकीय पार्टियों द्वारा मापा गया है और 15048 लाइन किलोमीटर को भूकम्पीय सर्वेक्षणों से पूरा किया गया है।

(ख) इन सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप, आज की तारीख तक 54 संरचनाओं को व्यधन के लिए दिया गया है। इन संरचनाओं में से 35 में खुदाई की जा चुकी है। 1-2-1982 की यथा स्थिति के अनुसार कुल 1268266 मीटर सहित 379 कुओं को खोदा जा चुका है।

तीन तालमाड़ी और जयरामपुर मौर के चौकी तुलाओं के आस-पास ट्रकों और असामाजिक तत्वों द्वारा ट्रक की क्षमता से अधिक कोयला ले जाना

4658. **श्री ए० के० राय** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के धनबाद जिले के तीनतालमाड़ी और जयरामपुर मौर के चौकी तुलाओं से दिनांक 1-2-82 को कितना कोयला तथा कितने ट्रकों को तोला गया, ट्रकों के नम्बर सहित प्रति ट्रक चढ़ाये गए कोयले के वजन का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन ट्रकों की कोयला वहन करने की सरकारी क्षमता कितनी थी;

(ग) क्या यह सच है कि ट्रक सरकारी रूप से निर्धारित क्षमता से काफी अधिक कोयला ले गये और ये अनियमितताएं रिकार्ड में अंकित हैं;

(घ) क्या इस प्रकार की अवैधानिक गतिविधियों, कोयला क्षेत्र में बी० सी० सी० एल० की सड़क को नुकसान पहुंचाती है, दुर्घटनाओं का कारण बनती है और चौकी तुलाओं के आस-पास असामाजिक तत्वों का जोर रहता है;

(ङ) क्या फरवरी, 1982 में जयरामपुर चौकी तुला में हिंसा और हत्या हुई थी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या कार्यवाई की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

टेलीफोन-टेलेक्स के शीघ्र कनेक्शनों के लिए योजनायें

4659. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार उपभोक्ताओं को शीघ्र टेलीफोन/टेलेक्स कनेक्शन देने के लिए योजनायें बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ये योजनाएं कब तक कार्यान्वित हो जायेंगी ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां ।

(ख) ब्यौरों का अध्ययन किया जा रहा है तथा योजनाएं तैयार की जा रही हैं ।

वर्ष 1983-84 के लिए ऊर्जा सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए सर्वेक्षण समिति का प्रतिवेदन

4660. **श्री लक्ष्मण कर्मा :** क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सर्वेक्षण समिति के दसवें और ग्यारहवें प्रतिवेदनों के अनुसार प्रत्येक राज्य की वर्ष 1983-84 के लिए ऊर्जा सम्बन्धी आवश्यकताएं कितनी थीं और 1978-79 से 1981-82 तक की अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य की विद्युत आवश्यकता में प्रति वर्ष कितनी वृद्धि हुई और वर्ष 1982-83 से 1983-84 तक वर्षवार, प्रत्येक राज्य के लिए कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : 10वीं तथा 11वीं वार्षिक सर्वेक्षण समितियों द्वारा तैयार किए गए अनुसार वर्ष 1983-84 के लिए प्रत्येक राज्य की ऊर्जा सम्बन्धी आवश्यकताओं के अनुमानों को बताने वाला विवरण उपाबन्ध-I में दिया गया है।

1978-79 से 1983-84 के दौरान प्रत्येक राज्य की विद्युत सम्बन्धी ऊर्जा आवश्यकताएं तथा वार्षिक वृद्धि उपाबन्ध-II में दी गई हैं।

विवरण-1

क्षेत्र/राज्य	10वां वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण ऊर्जा आवश्यकता (मि० यूनिट)	11वां वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण ऊर्जा आवश्यकता (मि० यूनिट)
उत्तरी क्षेत्र		
1	2	3
हरियाणा	6245	5720
हिमाचल प्रदेश	852	699
जम्मू एवं काश्मीर	1500	1504

1	2	3
पंजाब	8878	9446
राजस्थान	7503	7562
उत्तर प्रदेश	23082	20358
चण्डीगढ़	366	358
दिल्ली	3720	3645
पश्चिमी क्षेत्र		
गुजरात	13919	13409
मध्य प्रदेश	12594	10782
महाराष्ट्र	27052	24655
गोवा, दमन एवं दीव	1063	576
दादरा एवं नागर हवेली	16.4	11.2
दक्षिणी क्षेत्र		
आन्ध्र प्रदेश	10865	10328
कर्नाटक	12434	12167
केरल	5341	5072
तमिल नाडु	15330	14152
पाण्डिचेरी	332	245
पूर्वी क्षेत्र		
बिहार	12593	9909
पश्चिमी बंगाल	12341	10806
उड़ीसा	6126	5204
सिक्किम	*	29.3
उत्तर पूर्वी क्षेत्र		
असम	2155	1355
मणिपुर	148	65.9
मेघालय	285	150.6
नागालैण्ड	139	54.5
त्रिपुरा	90	87.3
अरुणाचल प्रदेश	37	24.1
मिजोरम	35	34
द्वीप समूह		
अण्डमान और निकोबार	21.3	21.06
लक्षद्वीप	1.84	1.98
अखिल भारत	185064	168415

*10वें विद्युत सर्वेक्षण में सिक्किम के लिए पूर्वानुमान नहीं लगाया गया था।

विवरण-II

राज्य/क्षेत्र	ऊर्जा आवश्यकता 1978-79 (वास्तविक)	ऊर्जा आवश्यकता 1979-80	1978-79 से हुई वृद्धि	ऊर्जा आवश्यकता 1980-81	1979-80 से हुई वृद्धि	ऊर्जा आवश्यकता 1981-82 (अनुमानित)	1980-81 से हुई वृद्धि	ऊर्जा आवश्यकता 1982-83 (अनुमानित)	1981-82 से हुई वृद्धि	ऊर्जा आवश्यकता 1983-84 (अनुमानित)	1982-83 से हुई वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
पूर्वी क्षेत्र											
हरियाणा	3170	3489	319	3573	84	4690	1117	5173	483	5720	547
हिमाचल प्रदेश	328	327	(-) 1	359	32	488	129	599	111	699	100
जम्मू एवं कश्मीर	680	804	124	910	106	1107	197	1290	183	1501	211
पंजाब	5770	6330	560	6184	(-) 146	7928	1744	8624	696	9446	822
राजस्थान	3662	4059	397	4084	25	5999	1915	6808	809	7562	754
उत्तर प्रदेश	9574	9759	185	9635	(-) 124	16428	6793	18467	2039	20358	1891
चण्डीगढ़	206	216	10	231	15	288	57	321	33	358	37
दिल्ली	2257	2499	242	2805	306	2990	185	3299	309	3645	346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
पश्चिमी क्षेत्र											
गुजरात	8250	9028	778	9610	582	11094	1484	12212	1118	13409	1197
मध्य प्रदेश	5381	5527	146	5869	342	8616	2747	9688	1072	10782	1094
महाराष्ट्र	15881	15810	(-) 71	17333	1523	20858	3525	22729	1871	24655	1926
गोवा, दमन दीप	239	338	99	359	21	501	142	539	38	576	37
दादर एवं नागर हवेली	6.5	7	0.5	7.8	0.8	8.9	1.1	10	1.1	11.2	1.2
दक्षिणी क्षेत्र											
आन्ध्र प्रदेश	5566	5943	377	6613	670	8469	1856	9416	947	10328	912
कर्नाटक	6473	6230	(-)243	6996	736	10528	3562	11356	828	12167	311
केरल	3000	3198	198	3591	393	4233	642	4633	400	5072	439
तमिलनाडु	10135	9978	(-)157	10552	574	12542	1990	13340	798	14159	819
पांडिचेरी	140	143	3	180	37	207	27	225	18	245	20
पूर्वी क्षेत्र											
बिहार	5353	4967	(-)386	4613	(-)354	8230	3617	9083	853	9909	826

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
पश्चिम											
बंगाल	6679	6560	(-)119	6636	76	9065	2429	9788	723	10806	1018
उड़ीसा	2970	2704	(-)266	3150	446	4135	985	4690	555	5204	514
सिक्किम	10.3	13	2.7	15.7	2.7	18.7	3	24.3	5.5	29.3	5.1
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र											
आसाम	757	736	(-)21	695	(-)41	1119	424	1232	113	1335	103
मणिपुर	21.6	18.1	(-)3.5	24.8	6.7	53.2	28.4	59.1	5.9	65.9	6.8
मेघालय	61.6	62.4	(-)0.3	78.5	16.1	106.6	28.1	120.4	13.8	150.6	30.2
नागालैंड	25.2	22.7	(-)2.5	32.6	9.9	45.6	13.0	49.8	4.2	54.5	4.7
त्रिपुरा	31.9	40.6	0.7	41.5	0.9	63.6	22.1	74.7	11.1	87.3	12.6
अरुणाचल प्रदेश	9.3	11.8	2.5	15.1	3.3	18.4	3.3	21.0	2.6	24.1	3.1
मिज़ोरम	3.0	4.2	1.2	9.2	5.0	25.5	16.3	30.0	4.5	34.0	4.0
अण्डमान-निकोबार द्वीप	8.69	10.69	2.0	12.82	2.13	15.49	2.67	18.17	2.68	21.6	2.89
लक्षद्वीप	0.86	1.02	0.16	1.20	0.18	1.42	0.22	1.68	0.26	1.98	0.30

सभी राज्यों को माइक्रोवेव प्रणाली के अन्तर्गत लाना

4661. **श्री मोहन लाल पटेल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां माइक्रोवेव प्रणाली शुरू हो गयी है; और

(ख) सरकार का सभी राज्यों में इस प्रणाली को शुरू करने के बारे में क्या कार्यक्रम है ताकि सारे भारत के लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ख) सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों में पहले से ही सूक्ष्मतरंग प्रणाली प्रारम्भ की जा चुकी है तथा सिक्किम में मल्टी-चैनल यू० एच० एफ० रेडियो रिले प्रणाली शुरू की जाएगी।

पटना के लिए एशियाई खेलों के लिये टेलीकास्ट के लिए प्रबन्ध

4662. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार की राजधानी पटना और मुजफ्फरपुर में (दूरदर्शन केन्द्र के न होने के कारण इस क्षेत्र के लोग इस साल नवम्बर में) हो रहे एशियाई खेलों को देखने से वंचित रह जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनके लिए कोई प्रबन्ध करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) एशियाई खेलों को मुजफ्फरपुर दूरदर्शन ट्रांसमीटर सहित भारत के सभी दूरदर्शन केन्द्रों से टेलीकास्ट किया जायेगा।

दानकुनी में लो टेम्प्रेचर कारबोनाइजेशन संयंत्र के कारण होने वाले प्रदूषण को रोकने के उपाय

*4663. **श्री रेणुपद दास :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दानकुनी में प्रस्तावित लो टेम्प्रेचर कारबोनाइजेशन संयंत्र द्वारा होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं; तो यह कार्यवाही कब की जायेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

डाक-तार विभाग के दूरसंचार शाखा की आमदनी

4664. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार विभाग दूरसंचार शाखा डाक-तार विभाग के लिए अतिरिक्त राजस्व की आय कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन सालों, वर्ष 1978-79, 1979-80, 1980-81 के दौरान अतिरिक्त धनराशि कुल कितनी थी और चालू वित्त वर्ष के दौरान अनुमानित अतिरिक्त राशि कितनी होगी; और

(ग) क्या इस स्थिति में और आगे सुधार लाने के लिए कोई कार्यवाही की गई है और इस बारे में किस प्रकार की कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) सूचना निम्नानुसार है :

वर्ष	दूरसंचार शाखा में अतिरिक्त राशि
1978-79	1,43,61,09,979 रुपये
1979-80	1,45,37,74,195 रुपये
1980-81	1,24,56,95,976 रुपये
1981-82 (अनुमानित)	1,38,92,34,000 रुपये

(ग) जी, हां। विभाग और अधिक टेलीफोन, टेलेक्स और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए निरन्तर विकास कार्यक्रम प्रारम्भ कर रहा है। इससे राजस्व एवं अतिरिक्त राशि में वृद्धि होगी।

1981-82 के लिये कोयले के उत्पादन के लक्ष्य की प्राप्ति

4665. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1981-82 के लिए कोयले का उत्पादन लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) वर्ष 1981-82 के लिए योजना आयोग से परामर्श करके 121 मिलियन टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य निश्चित किया गया था। फरवरी, 1982 तक कोयले के उत्पादन की जो प्रवृत्ति रही है उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 1981-82 में 124 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हो जाएगा। वर्ष 1981-82 के लिए यह संशोधित आन्तरिक उत्पादन लक्ष्य है।

केन्द्रीय क्षेत्र में उत्पादित बिजली का वितरण

4666. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र में उत्पादित बिजली का विभिन्न राज्यों में वितरण करने के लिए एक योजना बनाई है;

(ख) यदि हां; तो वितरण के लिए निर्धारित मानदण्ड क्या है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1982 के दौरान पंजाब राज्य के लिए अतिरिक्त बिजली किस प्रकार उपलब्ध कराई जाएगी और क्या उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को सप्लाई की जा रही बिजली की शुल्क दरों में कोई परिवर्तन किया जा रहा है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) राज्य द्वारा अपनी विद्युत सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयासों की अनुपूर्ति करने के लिए केन्द्र ने बृहद पिट हैड ताप विद्युत केन्द्रों को प्रतिष्ठापित करने का कार्यक्रम हाथ में लिया है। इन केन्द्रों से विद्युत का आवंटन सामान्यतः क्षेत्र के राज्यों के बीच ही किया जाता है। ऐसा करते समय, उन राज्यों की गत पांच वर्षों की ऊर्जा की खपत और केन्द्रीय योजनागत सहायता को भी ध्यान में रखा जाता है तथा उस राज्य को कुछ अधिक भारण दिया जाता है जिस राज्य में विद्युत केन्द्र स्थापित होता है। विद्युत का आवंटन क्षेत्र में ही किये जाने के सम्बन्ध में जो केन्द्रीय दृष्टिकोण है वह जल विद्युत परियोजनाओं के लिए भी लागू होता है।

(ग) सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र, 2000 मेगावाट की चरम क्षमता में से 200 मेगावाट का आवंटन पंजाब को किया गया है। इस केन्द्र का 200 मेगावाट का पहला यूनिट हाल ही में फरवरी, 1982 में समकालित किया गया है। सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र से विद्युत सप्लाई करने के लिए टैरिफ का निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है।

मद्रास शहर में चलते-फिरते डाकघरों की संख्या में वृद्धि

4667. डा० ए० कलानिधि : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास शहर में चलते-फिरते डाकघरों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जायेगा;

(ग) कितने डाकघर बढ़ाये जायेंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए इनकी संख्या बढ़ाने के मार्ग में क्या बात बाधक है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) मद्रास नगर में दो चल डाकघर पहले से ही शाम को 16-15 तथा 20.20 बजे के बीच कार्य कर रहे हैं जिसके पड़ाव 11 स्थानों पर हैं। फिलहाल मद्रास नगर में और कोई चल डाकघर खोलने का प्रस्ताव नहीं है। इसके निम्न कारण हैं :

1. प्रमुख नगरों में चल डाकघर खोलने का मूल आशय था रात्रि हवाई डाक सेवा से संबद्ध करने के लिए डाक वस्तुओं को विलम्ब से डाक में डालने की सुविधा प्रदान करना। अब रात्रि हवाई डाक सेवा प्रचलन में नहीं है।

2. दो चल डाकघरों के अतिरिक्त तीन स्थिर रात्रि डाकघर भी मद्रास नगर में कार्य कर रहे हैं ताकि जनता को डाक वस्तुओं को विलम्ब से डाक में डालने/बुक करने की सुविधा प्रदान की जा सके।

3. प्रचालन की बढ़ती हुई लागत तथा डीजल की खपत पर मितव्ययिता की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाता है।

पोस्टल फार्म और सील स्टोर विंग, अलीगढ़ में बढ़इयों के वेतनमान में असंगति

4668. **श्री आर० एन० राकेश :** क्या संचार मंत्री पोस्टल और सील स्टोर विंग, अलीगढ़ में बढ़इयों के वेतनमान में असंगति के बारे में 1 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1418 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित सूचना प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या उसे सभा पटल पर रखा जाएगा ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) डाक भंडार, फार्म और सील, अलीगढ़ में रु० 85-128 के वेतनमान में चतुर्थ श्रेणी के स्थान पर बढ़ई के एक पद का सृजन किया गया था। तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतनमान संशोधित करके रुपये 210-290 किया गया। पद का दर्जा बढ़ाना ही एक प्रोत्साहन था तथा इस समय किसी अन्य प्रोत्साहन पर विचार नहीं किया गया है। तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार डाक भंडार डिपो में बढ़ई के पदों का वेतनमान रु० 210-290 है। डाक भंडार, फार्म और सील, अलीगढ़ के बढ़ई को ओवरआल सप्लाई नहीं किया जाता है क्योंकि वह केवल कार्यालय अहाते में कार्य करता है और इसी कारण उसे धुलाई भत्ता, औजार भत्ता और साइकिल रख-रखाव भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल, अलीगढ़ में डाक-तार विभाग की सिविल शाखा में बढ़ई का पद नहीं है। कई वर्ष पहले वहां बढ़ई का एक पद था लेकिन अब नहीं है। डाक-तार सिविल शाखा में कुशल बढ़ई का वेतनमान रु० 260-400 है और अर्द्ध कुशल बढ़ई, जिन्हें सहायक बढ़ई कहा जाता है, का वेतनमान रु० 210-290 है। डाक तार विभाग की दोनों शाखाओं के बीच वेतनमान में अन्तर होने का कारण यह है कि वे अलग-अलग किस्म के कार्य करते हैं। औजार भत्ता, साइकिल रख-रखाव भत्ता सिविल शाखा के बढ़ई को इसलिए दिया जाता है क्योंकि उन्हें कार्यालय के अहाते से बाहर कार्य स्थलों पर कार्य करना पड़ता है। धुलाई भत्ता उन्हें इसलिए दिया जाता है क्योंकि उन्हें ओवरआल सप्लाई किए जाते हैं। दोनों शाखाओं के पदों के वेतनमान का निर्धारण सरकार द्वारा तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर किया गया था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सांगली आकाशवाणी केन्द्र के लिए केप्टिव डिजिल जेनरेटर की स्थापना

4669. श्री सूरजभान : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री सांगली आकाशवाणी केन्द्र के लिए केप्टिव डिजिल जेनरेटर की स्थापना के बारे में 24 नवम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 261 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सांगली आकाशवाणी केन्द्र के लिए केप्टिव डिजिल जेनरेटर की अधिस्थापना के सम्बन्ध में परियोजना टिप्पणी मंजूरी के लिए कब पेश की गई थी;

(ख) क्या सरकार ने उपर्युक्त योजना मंजूर कर ली है, यदि हां, तो कब; और

(ग) योजना पर अनुमानित व्यय कितना होगा और इसको चालू करने में कितना समय लग जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) सिविल इंजीनियरी निर्माण कार्यों सहित मुकम्मल परियोजना टिप्पणी अभी तैयार नहीं हुई है।

(ख) जी, नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अनुमानित पूंजीगत लागत लगभग 2.5 लाख रु० होने की उम्मीद है। आर्डर के कार्यान्वित होने में सामान्यतया 18-24 महीने लगते हैं।

डेसू द्वारा उपभोक्ताओं के बिल देने में विलम्ब

4670. श्री के० ए० राजन : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिजली के बिल हर दूसरे महीने तैयार न करने और 4, 6 ओर 8 महीने के बिल तैयार करने के कारण उपभोक्ताओं को अधिक धनराशि देनी पड़ती है, क्योंकि "स्लैब" बढ़ जाता है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में उनका ध्यान 7 फरवरी, 1982 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "हाऊ डेसू बिल आर एनहेन्स्ड" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो 4, 6 और 8 महीने के बाद बिल प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं को "स्लैब" राहत देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) उक्त समाचार के सन्दर्भ में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है कि उनकी बिल बनाने की प्रणाली में कुछ अव्यवस्था हुई है यह मुख्य रूप से हाथ से बिल बनाने की प्रणाली के बदले कम्प्यूटर द्वारा बिल बनाये जाने की प्रणाली अपनाने में प्रारम्भिक कठिनाइयों के कारण हुई है। दो महीनों के लिये बिल बनाने सम्बन्धी अन्तर को पूरा करने की दृष्टि से बिल साधारणत: 4 महीनों की खपत के आधार पर जारी किए जाते हैं तथा कुछ अपवाद स्वरूप मामलों में 4 महीनों से अधिक की खपत के बिल भेजे जाते हैं। ऐसे सभी मामलों में बिजली प्रभारों का हिसाब लागू टैरिफ अनुसूचियों के संगत स्लैबों के अनुसार यथा-अनुपात मासिक खपत के आधार पर लगाया जाता है।

माधीपुर जिला बिहार के गांवों का विद्युतीकरण करना

4672. श्री आर० पी० यादव : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत बिहार के माधीपुर जिले में अब तक कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने हाल में बिहार के उन विभिन्न गांवों की संख्या सुनिश्चित करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है जिनका अभी तक विद्युतीकरण नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो बिहार में जिला-वार कुल ऐसे गांव कितने हैं जिनका अभी तक विद्युतीकरण नहीं किया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) बिहार में नये बने माधीपुरा जिले में, ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के अन्तर्गत 99 गांव विद्युतीकृत किए गए हैं।

(ख) और (ग) बिहार के विभिन्न जिलों में विद्युतीकृत न किए गए गांवों की संख्या का पता लगाने के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम ने कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। तथापि, बिहार में प्रत्येक जिले में कुल गांवों की संख्या तथा 31-8-1981 की स्थिति के अनुसार उनमें से विद्युतीकृत गांवों को तथा विद्युतीकृत किए जाने के लिए शेष नये गांवों की संख्या का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

जिले-वार कुल गांवों की संख्या तथा अगस्त, 1981 के अन्त तक उनमें से विद्युतीकृत गांवों तथा विद्युतीकृत किए जाने के लिए शेष बचे गांवों की संख्या दिखाने वाला विवरण :

क्रम संख्या	जिले का नाम	गांवों की कुल संख्या	31-8-1981 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत गांव	31-8-1981 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत किए जाने के लिए शेष बचे गांव
1	2	3	4	5
1.	पटना	1,311	1137	174
2.	नालन्दा	1,011	906	105
3.	गया	3,508	2238	1270
4.	नबादा	7066	688	278
5.	औरंगाबाद	1,760	985	775
6.	भोजपुर	1,791	733	1058

1	2	3	4	5
7.	रोहतास	3,016	1652	1364
8.	भागलपुर	2,552	760	1792
9.	मुंगेर	2,636	1278	1358
10.	संथाल परगना	10,025	1033	8992
11.	हजारीबाग	3,570	596	2974
12.	गिरिडीह	2,561	270	2291
13.	धनबाद	1,365	355	1010
14.	रांची	3,836	644	3192
15.	पालामऊ	3,218	646	2572
16.	सिंहभूम	4,351	316	4035
17.	सारण	1,591	674	917
18.	सिवान	1,436	435	1001
19.	गोपालगंज	1,398	476	922
20.	मुजफ्फरपुर	1,726	741	985
21.	वैशाली	1,391	697	694
22.	सीतामढ़ी	993	387	606
23.	पूर्वी चम्पारण	1,287	448	839
24.	पश्चिमी चम्पारण	1,357	379	978
25.	दरभंगा	943	413	530
26.	मधुबनी	1,028	496	532
27.	समस्तीपुर	1,213	538	675
28.	पूर्णिया	2,493	550	1943
29.	कटिहार	1,239	210	1029
30.	सहरसा	1,302	471	831
31.	बगूसराय	692	558	134
	जोड़:	67,566	21710 (*)	45856

(*) आंकड़े अन्तिम हैं।

पूर्ति और निपटान महानिदेशालय में हिन्दी कार्य

4673. **श्री बाबू लाल सोलंकी** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्ति और निपटान महानिदेशालय में हिन्दी में कितने प्रतिशत काम हो रहा है ।

(ख) कुल अनुबन्ध प्रपत्रों, ए०/टी०, समझौता प्रपत्रों के कितने प्रतिशत प्रपत्रों को द्विभाषी तौर पर तैयार किया गया;

(ग) हिन्दी के कुल कितने कर्मचारी हैं (हिन्दी अधिकारी और कनिष्ठ तथा वरिष्ठ अनुवादक); और

(घ) क्या राजभाषा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के अनुसार उपर्युक्त संख्या पर्याप्त है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) हिन्दी के प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है । ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते हैं; जिनके आधार पर प्रतिशतता बताई जा सके ।

(ख) सभी मुद्रित फार्म द्विभाषी रूप में तैयार कर लिये गए हैं ।

(ग) 27, जिनमें से इस समय केवल 5 पद भरे हुए हैं, क्योंकि शेष पद हाल ही में स्वीकृत किए गए थे ।

(घ) जैसे ही हिन्दी में काम अधिकाधिक बढ़ता जायेगा, तदनुसार पर्याप्त कर्मचारियों की व्यवस्था की जायेगी ।

औरंगाबाद में डाकघर खोलना

4674. **श्री राम प्रसाद अहीरवार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औरंगाबाद (महाराष्ट्र) में निम्नलिखित स्थानों में (एक) मेडिकल कालेज हास्पिटल (दो) जवाहर कालोनी (तीन) विजयनगर कालोनी और (चार) उस्मानिया डाकघर को वितरण डाकघर में बदलने के जैसे डाकघर खोलने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त में से प्रत्येक प्रस्ताव कब से विचाराधीन है;

(ग) क्या सरकार ने उपर्युक्त प्रस्तावों के बारे में कोई निर्णय लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या विशेष कारण हैं और इस बारे में कब तक निर्णय लेने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जवाहर कालोनी तथा विजय नगर कालोनी में ही डाकघर खोलने के प्रस्तावों पर तथा उस्मानपुर डाकघर को वितरण डाकघर में परिवर्तित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) और (ग) (1) मेडिकल कालेज हास्पिटल डाकघर 8-3-1982 को खोल दिया गया है ।

(2) जवाहर कालोनी तथा विजय नगर कालोनी में डाकघर खोलने के प्रस्ताव क्रमश: दिसम्बर, 79 तथा नवम्बर 1981 से विचाराधीन हैं।

(3) उस्मानपुर को वितरण डाकघर में परिवर्तन करने का मामला मार्च, 1981 से विचाराधीन है।

(घ) उपयुक्त आवास के अभाव में उस्मानपुर डाकघर को वितरण डाकघर में परिवर्तित करना संभव नहीं है। उपरोक्त (2) में वर्णित स्थानों पर डाकघर खोलने के दो प्रस्तावों की अभी भी जांच की जा रही है तथा इसे 1982-83 में अन्तिम रूप दिए जाने की संभावना है।

रसायनों पर प्रतिबंध लगाया जाना

4675. **श्री हीरा लाल आर० परमार :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस प्रकार के रसायनों के क्या नाम हैं जिन पर कुछ विकसित देशों द्वारा उनके खराब प्रभाव के कारण प्रतिबन्ध लगा दिया गया है, लेकिन जो अभी भी हमारे देश में बेचे जा रहे हैं,

(ख) हमारे देश में इनकी बिक्री पर प्रतिबन्ध न लगाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने कुछ तरह का संगठन अथवा प्रकोष्ठ (सैल) बनाया है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए परीक्षणों के आधार पर हानिकारक रसायनों के बारे में हमारे देश में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने हेतु नीति निर्धारण के लिए सरकार को तत्काल सहायता और अपेक्षित जानकारी प्रदान कर सके।

(घ) यदि हां, तो देश में हानिकारक रसायनों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए उस संगठन और सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस तरह के एक निकाय बनाने हेतु कार्यवाही करने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) इस समय देश में प्रयोग किए जा रहे पेस्टीसाइड्स में से वी० एच० सी०, डी० डी० टी० क्लोरडेन और एल्ड्रिन के प्रयोग पर यूरोपियन आर्थिक समुदाय के देशों में प्रतिबन्ध है। यू० एस० ए० में वी० एच० सी० और सोडियम साइनाइड के प्रयोग पर प्रतिबन्ध है और एल्ड्रिन, क्लोरडेन, हेप्टाक्लोर, 2.4-डी, क्लोरबेन्जीलेट तथा डी० डी० टी० का प्रयोग सीमित है।

(ख) से (घ) : भारत में पेस्टीसाइड्स के प्रयोग, निर्माण और आयात का विनियमन इन्सेक्टिसाइड्स अधिनियम 1968 के अन्तर्गत किया जाता है। पेस्टीसाइड्स के प्रयोग की अनुमति देने से पहले, अधिनियम के अन्तर्गत गठित की गई पंजीकरण समिति भारतीय परिस्थितियों के संदर्भ में सुरक्षा, मादकता आदि जैसे सभी संबंधित तथ्य को ध्यान में रखती है। पंजीकरण समिति द्वारा प्रयोग के लिए अनुमोदित न किए गए पेस्टिसाइड्स के निर्माण अथवा आयात की अनुमति नहीं दी जाती।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर सरकार की प्रतिक्रिया

4677. श्री अशफाक हुसैन : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक ही व्यक्ति के बारे में दो भिन्न निर्णय दिए हैं;

(ख) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) इन निर्णयों का पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क), (ख) और (ग) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री ने जो ब्यौरे दिए हैं वे संलग्न विवरण में बताए गए हैं। उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि कार्यालय द्वारा गलती हो गई थी और जिम्मेदारी नियत करने के लिए जांच की जा रही है।

विवरण

श्रीमती भाना ने 12-5-1975 को श्री केशव सहाय अधिवक्ता के माध्यम से 1975 की दांडिक अपील सं० 1089 फाइल की थी। इसके पश्चात् 13-7-76 को इस न्यायालय में एक जेल अपील प्राप्त हुई जिसपर 1976 का सं० 1608 डाला गया था। कार्यालय ने गलती से इस अपील के बारे में यह रिपोर्ट दी कि इस विषय में पहले की कोई अर्जी नहीं है, इसके परिणाम-स्वरूप उक्त दोनों अपीलों को संयोजित नहीं किया जा सका। 1976 की जेल अपील सं० 1608 को सुनवाई के लिए अग्रिमानता की गई क्योंकि अपराधी के बारे में रिपोर्ट दी गई थी कि वह जेल में है। अतः यह मामला माननीय न्यायाधीश श्री एस० मलिक और माननीय न्यायाधीश श्री गोपीनाथ के समक्ष सुनवाई वाले मामलों की सूची में सबसे पहले रखा गया था। माननीय न्यायाधीशों ने तारीख 24-1-1979 के अपने निर्णय द्वारा यह अपील मंजूर कर ली और निचले न्यायालय का आदेश अपास्त कर दिया। उसके पश्चात् जब 1975 की दांडिक अपील सं० 1089 की बारी आई तब वह अपील माननीय न्यायाधीश श्री के० एन० सेठ, और माननीय न्यायाधीश श्री एम० पी० सक्सेना के समक्ष सुनवाई वाले मामलों की सूची में रखी गई और माननीय न्यायाधीशों ने अपने तारीख 19-12-1980 के आदेश द्वारा अपील खारिज कर दी। ये दोनों परस्पर विरोधी निर्णय जिला न्यायाधीश को भेज दिए गए थे। गलती का पता लगने पर माननीय मुख्य न्यायाधिपति के आदेश से दोनों अपीलें माननीय न्यायाधीश श्री के० एन० सेठ और माननीय न्यायाधीश श्री आर० आर० रस्तोगी के समक्ष सुनवाई वाले मामलों की सूची में रखी गयीं। माननीय न्यायाधीशों ने अपने तारीख 9 फरवरी, 1982 के आदेश द्वारा 1975 की दांडिक अपील सं० 1089 में तारीख 19-12-1980 को पारित उस निर्णय को जिसमें अपीलकर्ता को दोषसिद्ध किया गया था, इस अभिमत के साथ वापस ले लिया कि "हम तदनुसार तारीख 19-12-1980 के उस आदेश को, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपीलकर्ता के सिद्धदोष होने की पुष्टि करता है; और उसको दिए गए दंडादेश को कायम रखता है, वापस लेते हैं। अब तारीख 29-1-1979 का

केवल वही आदेश प्रभावी रहेगा जिसके द्वारा न्यायालय ने उसके दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त कर दिया था। निचले न्यायालय को इस विनिश्चय की सूचना तत्काल भेज दी जाए और वह उस आदेश के अनुसार कार्रवाई करे।" माननीय न्यायाधीश महोदयों ने इस विषय को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मुख्य न्यायाधिपति को भेज दिया है और इस सम्बन्ध में जिम्मेदारी नियत करने के लिए जांच की जा रही है।

श्रीनगर में इंडियन एक्सप्रेस के कार्यालय का टेलीफोन कनेक्शन काटा जाना

4678. **श्री डी० पी० यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीनगर में इण्डियन एक्सप्रेस के कार्यालय का टेलीफोन दो रुपये की बकाया धनराशि के भुगतान के कारण काटा गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसको काटने का कोई नोटिस नहीं दिया गया; और

(ग) यदि हां, तो क्या सभी ग्राहकों के लिए जिनके नाम बकाया धनराशि है, यही सिद्धान्त अपनाया जायेगा ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, नहीं। कुल 34 रुपये की अदायगी न करने के कारण टेलीफोन काट दिया गया था।

(ख) उपभोक्ता ने टेलीफोन काटने से सम्बन्धित सूचना देने हेतु विकल्प नहीं दिया था। तथापि टेलीफोन काटने हेतु टेलीफोन पर सामान्य प्रकार से याद दिलाए जाने हेतु बार-बार प्रयास किया गया (जैसा कि विभागीय नियमावली में निर्धारित है) परन्तु व्यर्थ रहा क्योंकि उपभोक्ता की ओर से कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ।

(ग) 25 रुपये से अधिक देय रकम की अदायगी न करने पर नियमों के अनुसार टेलीफोन काट दिए जाने होते हैं तथा यही सिद्धान्त सामान्यतया सभी मामलों में लागू होता है।

समाचार माध्यम सलाहकार समिति द्वारा की गई सिफारिशें

4679. **श्री के० मालन्ना :**
श्री बापू साहब पारूलेकर :
श्री नारायण चौबे :
श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :
श्रीमती माधुरी सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के अधीन विभिन्न समाचार माध्यमों के संगठनों में मुख्य रूप से "संगठनात्मक परिवर्तनों" का सुझाव देने हेतु सरकार द्वारा समाचार माध्यम सलाहकार समिति की नियुक्ति की गई थी; और

(ख) समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा इसके अधीन माध्यम एककों के ढांचे और इनकी गतिविधियों से सम्बन्धित विभिन्न मामलों पर इस मंत्रालय को सलाह देने के लिये श्री जी० पार्थसारथी की अध्यक्षता में एक 14-सदस्यीय सलाहकार समिति गठित की गई थी । समिति से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह एक बारगी रिपोर्ट प्रस्तुत करे, किन्तु उससे संगठनात्मक मामलों, नीति निर्माण में परिवर्तनों और कार्यक्रम कार्यान्वयन को कवर करते हुए समय-समय पर सिफारिशें करने की अपेक्षा की जाती है ।

समिति ने मंत्रालय को अब तक निम्नलिखित विषयों पर तीन सिफारिशें भेजी हैं :

(1) आकाशवाणी/दूरदर्शन के स्टाफ आर्टिस्टों को पेंशन देना;

(2) प्रसारण माध्यमों के लिये समाचार नीति; और

(3) देश में रंगीन दूरदर्शन चालू करना ।

(1) आकाशवाणी/दूरदर्शन के स्टाफ आर्टिस्टों को पेंशन देना

समिति ने यह सिफारिश की है कि आकाशवाणी/दूरदर्शन में कार्यरत सभी आर्टिस्ट, जो अनुबन्धित कर्मचारी हैं, के पात्र सरकारी कर्मचारी होने चाहिएं तथा विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों, विशेषकर परफार्मिंग आर्टिस्टों के कार्यनिष्पादन की अवधि समीक्षा किए जाने का प्रावधान होना चाहिए । योजना का ब्यौरा तैयार करने के लिए मंत्रिमंडल के मंत्रियों की एक समिति गठित की गई है ।

(2) प्रसारण माध्यमों के लिये समाचार नीति

सलाहकार समिति ने यह कहा है कि राष्ट्रीय प्रसारण माध्यम होने के कारण आकाशवाणी और दूरदर्शन का ऐसे समाचारों को देने का विशेष उत्तरदायित्व है जो लोगों को सूचित और शिक्षित करें और उनको मनोरंजन प्रदान करें और यह कि समाचार नीति के स्पष्ट निरूपण और सामयिक मामलों के कार्यक्रमों के लिए स्थूल मार्गदर्शी सिद्धांत बनाने की आवश्यकता है । समिति ने आकाशवाणी/दूरदर्शन के काम को सुविधाजनक बनाने के लिए इस सम्बन्ध में कतिपय मार्गदर्शी सिद्धांत भी सुझाए हैं । सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

(3) देश में रंगीन दूरदर्शन चालू करना

समिति ने प्रेषण और संग्रहण दोनों को कवर करते हुए देश में रंगीन दूरदर्शन के योजनाबद्ध आधार पर चालू करने की सिफारिश की । समिति ने छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान स्कीमों के बारे में विस्तृत सिफारिशें की हैं और यह भी कहा है कि रंगीन दूरदर्शन सैट उद्योग को अधिकतम देशी तत्वों के साथ मानकीकृत डिजाइन के व्यापक निर्माण के आधार पर विकसित किया जाना चाहिए । रंगीन दूरदर्शन चालू करने के प्रस्तावों का माध्यम सलाहकार समिति की सिफारिशों को भी ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है ।

इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों के लिये परियोजना

4680. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजो की परियोजना पर कार्य कर रहा है;

(ख) क्या विदेशी विशेषज्ञता के साथ इलैक्ट्रानिक ऐक्सचेंज बनाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां तो इस बारे में ब्यौरे क्या हैं और उन पर कितना व्यय किया जायेगा ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां।

(ग) (i) बड़े आकार के अंकीय इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज उपस्कर के स्वदेशी उत्पादन हेतु, अनुमोदित योजनाओं में दो नई फैक्टरियां स्थापित करने पर विचार किया गया है। इनमें से प्रत्येक की क्षमता 500,000 लाइन होगी। विश्वजनीन निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और वे 31 मार्च, 1982 को प्राप्त होनी हैं। वास्तविक लागत निवेश का पता निविदाएं खुलने पर वित्तीय प्रस्तावों के पश्चात चलेगा।

(ii) अंकीय इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज उपस्कर के अगले उत्पादन के स्वदेशी डिज़ाइन पर चुने गए सहयोगिक से आर० एण्ड डी० की सहायता के माध्यम से पहले से चालू निविदा में विचार किया गया है।

(iii) मध्यम आकार के इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों (200 से 1000 लाइन) का विकास कार्य भारतीय टेलीफोन उद्योग लि० बंगलौर में डिज़ाइन के अन्तिम चरण में है।

(iv) भारतीय टेलीफोन उद्योग की पालघाट स्थित यूनिट में पहले से ही स्वदेशी डिज़ाइन के अनुरूप छोटे आकार के प्राइवेट आटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंजों तथा ग्रामीण स्वचल एक्सचेंजों (100 लाइनों से कम आकार के) का उत्पादन किया जा रहा है।

प्लास्टिक उद्योग में संकट

4681. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि प्लास्टिक उद्योग को भारी संकट अर्थात कम विकास दर, बढ़ती हुई संचालन लागत और कम मांग के दौर से गुजरना पड़ रहा है और

(ख) इस उद्योग को संकट से निकालने और उद्योग की समस्या को हल करने के लिये वित्तीय राहत देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) सरकार का ध्यान उन समस्याओं की ओर दिलाया गया है जिन पर प्लास्टिक उद्योग ने प्रतिवेदन दिये हैं। इन

प्रतिवेदनों के गुणावगुणों पर विचार किया गया है और किया जा रहा हैं।

कोयला क्षेत्रों में विभिन्न खनन गतिविधियों का चयनात्मक यंत्रीकरण

4682. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्पादकता बढ़ाने के विचार से कोयला क्षेत्रों में विभिन्न खनन गतिविधियों का चयनात्मक यंत्रीकरण करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण मजदूरों को काम से हटाना पड़ेगा;

(ग) क्या इसे भूमिगत खानों और/अथवा खुले मुख की खानों में लागू किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां !

(ख) ऐसे यंत्रीकरण से श्रमिकों को विभिन्न कामों में लगाने के स्वरूप में परिवर्तन आयेगा किन्तु कोई छंटनी नहीं होगी।

(ग) यंत्रीकरण भूमिगत और ओपेनकास्ट खानों में शुरू किया जाएगा।

(घ) भूमिगत खानों के मामले में इसमें यह बातें शामिल हैं : यंत्रीकृत लांगवाल खनन और छतों के लिए स्पोर्ट लगाना, रोड हैडर, बोर्ड और पिलर खनन स्थलों का यंत्रीकरण, परिवहन पद्धतियों में सुधार तथा अन्य आधारभूत सहायक सेवाएं उपलब्ध कराना। ओपेनकास्ट खानों के संबंध में, इसमें विशाल क्षमता वाली आधुनिक भारी मिट्टी हटाने वाली मशीनरी का प्रयोग शामिल है।

टाटा कैमिकल फैक्टरी का विस्तार

4683. **श्री छोटू भाई गामित** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि केन्द्र सरकार ने सौराष्ट्र में मीठापुर स्थित टाटा कैमिकल कंपनी के सोडा ऐश कारखाने के विस्तार की अनुमति दे दी थी परन्तु कारखाने का विस्तार अभी तक नहीं किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो विस्तार की अनुमति किस तिथि को दी गई थी और इसका अब तक विस्तार न करने के क्या कारण हैं, और

(ग) क्या सोडा ऐश की जरूरत तथा इसके मूल्य में वृद्धि को देखते हुए केन्द्र सरकार ने कारखाने का उत्पादन न करने के कारण कंपनी के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई की है अथवा करने का विचार है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) सोडा ऐश के उत्पादन में 1,40,000 टन प्रति वर्ष तक क्षमता में पर्याप्त विस्तार करने के लिए मै० टाटा केमिकल्स लि० को दि० 4-12-73 को एक औद्योगिक लाइसेंस संख्या सी० आई० एल० 15 (73) प्रदान किया गया।

था। विस्तार के पश्चात् क्षमता 5 लाख टन प्रति वर्ष हो जाएगी। लाइसेंस अभी कार्यान्वयनाधीन है।

पर्याप्त विस्तार के कार्यान्वयन में विलम्ब के लिए मैं० टाटा कैमिकल्स ने निम्नलिखित कारण बताए हैं :

(i) लवण कारखानों का विस्तार, सोडा ऐश की क्षमता में विस्तार के लिए योजना का अभिन्न भाग है। सोडा ऐश की क्षमता में विस्तार के लिए औद्योगिक लाइसेंस उनको यद्यपि, दिसम्बर 1973 में प्रदान किया गया था, किन्तु लवण कारखानों का विस्तार करने के लिए एम० आर० टी० पी० अधिनियम के अन्तर्गत अनुमति केवल मई 1977 में ही प्राप्त हुई है।

(ii) 1979 और 1980 में अभूतपूर्व वर्षा और बाढ़ ने लवण कारखानों के विकास को गम्भीर रूप से प्रभावित किया।

कम्पनी ने अब सूचित किया है कि सोडा ऐश संयंत्र का विस्तार बैटरी लिमिट के अन्दर पूरा हो गया है और स्थाई किस्म की कुछ मदों की स्थापना की जानी है तथा विस्तृत क्षमता से उत्पादन प्रारम्भ करने से पूर्व बायलर फीड वाटर संयंत्रों की स्थापना और इन्फ्रास्ट्रक्चरल सुविधाओं, सामग्री नियंत्रण यार्ड का पुनः प्रबन्ध कार्य पूरा किया जाना है। कम्पनी ने यह तर्क भी दिया है कि जब तक हेदा से मिथापुर तक की रेलवे लाइन को मीटर गेज लाइन को ब्राड गेज में नहीं बदल दिया जाता, विस्तृत क्षमता के लिए कच्चे मालों का परिवहन आराम से नहीं किया जा सकता।

औद्योगिक लाइसेंस की वैधता अवधि दिनांक 31-12-1981 को समाप्त हो गई है। मैं० टाटा कैमिकल्स ने औद्योगिक लाइसेंस की वैधता अवधि को 31 दिसम्बर, 1983 तक बढ़ाने का अनुरोध किया है। कम्पनी के अनुरोध पर सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है। कंपनी के विरुद्ध किसी प्रकार की दण्डात्मक कार्यवाही करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

लघु एककों की बल्क औषध उद्योग में भूमिका

4684. **श्री धर्म दास शास्त्री** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में बल्क औषध उद्योग के औद्योगिक विकास में बड़े तथा मध्य क्षेत्र की तुलना में लघु एककों से किस प्रकार की भूमिका की आशा की जाती है,

(ख) विभिन्न लघु एककों को इस क्षेत्र में क्या रियायतें एवं संरक्षण दिए गए हैं और दिए जाते हैं;

(ग) क्या ये रियायतें लागू कर दी गई हैं;

(घ) यदि हां, तो उन मदों का ब्यौरा क्या है जिन पर बल्क औषधियों के उत्पादन के संबंध में लघु एककों को मूल्य वरीयता की पेशकश की गई है, और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) बल्क औषध उद्योग के विकास के लिए लघु उद्योग क्षेत्र की भूमिका पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। जिन लघु उद्योग एककों को आई (डी० आर०) अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस लेने से छूट मिली हुई है वे किसी भी बल्क औषध का निर्माण करने के लिए स्वतंत्र है बशर्ते कि वह बल्क औषध लघु उद्योग द्वारा संयंत्र और मशीनरी पर निवेश की जाने वाली राशि अर्थात 20 लाख रुपए की सीमा के अन्तर्गत तकनीकी आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो।

(ख) औषध उद्योग में कार्यरत लघु एककों को अनेक प्रोत्साहन/रियायतें उपलब्ध हैं जो नीचे दर्शाये गये हैं :

(i) अनेक औषधों का निर्माण लघु उद्योग क्षेत्र के लिए सुरक्षित रखा गया है।

(ii) सारणीबद्ध कच्चे माल की वितरण नीति के अनुसार लघु एककों को सारणीबद्ध बल्क औषधों की उदारतापूर्वक सप्लाई की अनुमति दी गई है और ऐसे कच्चे माल के आवंटन के लिए उसमें उदारतापूर्वक वृद्धि करने की भी अनुमति दी गई है।

(iii) नये लघु उद्योग एकक 3 लाख रु० तक के मूल्य के सरणीबद्ध कच्चेमाल/आयात लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। यदि लघु उद्योग एकक पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए जायें अथवा स्नातकों/व्यावसायिक विषयों में डिप्लोमाधारियों अथवा भूतपूर्व सैनिकों/अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों द्वारा स्थापित किये जायें तो सरणीबद्ध मदों की हकदारी का अधिकतम मूल्य 5 लाख रु० होगा।

(iv) नये लघु उद्योग एकक अपनी आवश्यकताओं को 15 महीने की अवधि (12 महीने की सामान्य अनुमेय अवधि के बजाए) के लिए सरणी एजेंसियों के पास पंजीकृत करा सकते हैं।

(v) डी० जी० एस० एण्ड डी० और अन्य सरकारी संस्थाओं को औषधों की सप्लाई के मामले में लघु उद्योग एककों को मूल्यों में वरीयता दी जाती है।

(vi) औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के मामलों में निर्णय लेते समय उद्योग मंत्रालय के लघु उद्योग विकास आयुक्त का एक प्रतिनिधि शामिल किया जाता है और उसके विचारों को ध्यान में रखा जाता है।

(vii) लघु उद्योग स्थापित करने के लिए अन्य सभी सुविधाएं, जैसे मशीनरी को ऋण लेकर खरीदना, रियायती शर्तों पर बैंक ऋण आदि औषध निर्माण एककों को भी आमतौर पर उपलब्ध है।

(ग) जी, हाँ।

(घ) और (ङ) जिन लघुउद्योग एककों की वार्षिक बिक्री 50 लाख रु० से अधिक नहीं है उनके फार्मूलेशनों पर मूल्य नियंत्रण से छूट है। तथापि, जिन मामलों में लीडर मूल्य निर्धारित किए गए हैं उन मामलों में ऐसे फार्मूलेशनों के प्रत्येक निर्माता के अधिकतम बिक्री मूल्य भी वही है, इनमें वे लघु निर्माता भी शामिल हैं जिनकी वार्षिक बिक्री 50 लाख से अधिक नहीं है।

आयातित औषधियों का उपयोग

4685. **श्री राम लाल राही** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में आयातित औषधियों में से केवल 2 प्रतिशत औषधियों का गम्भीर रोगों में उपयोग किया जाता है और शेष केवल टानिक होती है या जुखाम, खांसी जैसे आम रोगों तथा यौन हारमोन्स की कमियां पूरी करने में देने के लिए उपयोग में आती हैं और यदि हां तो ऐसी दवाइयों को किन कारणों से आयात किया जाता है,

(ख) क्या विदेशी मुद्रा की बचत करने और दवाइयों के मामलों में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से सरकार इन दवाओं का देश में ही उत्पादन करवाने और केवल आवश्यक औषधियों का ही आयात करने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है और यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं;

(ख) आवश्यक औषधों के स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(i) सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रम विस्तार कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहे हैं।

(ii) अधिक संख्या में भारतीय कंपनियों को डी० जी० टी० डी० में पंजीकृत किया गया है। बल्क औषधों का उत्पादन प्रारंभ करने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान सभी क्षेत्रों को लाइसेंस और आशयपत्र जारी किए गए हैं।

(iii) राज्यों में संयुक्त क्षेत्रीय फार्मूलेशन यूनिटों की स्थापना करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों को अनुमति दी गई है।

(iv) जहां यह सिद्ध हो जाता है कि जिन कंपनियों को आवश्यक औषधों के उत्पादन के लिए आयातपत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए थे उन्होंने उनका कार्यान्वयन नहीं किया है, तो ऐसी अनुमतियों को रद्द करने/वापस लेने के लिए कार्यवाही की जाती है और इस प्रकार प्राप्त क्षमता नए आवेदकों को देने के लिए विचार किया जाता है। नई औषध नीति के अनुसार अतिरिक्त क्षमताएं प्रदान की जा रही हैं।

(v) दिनांक 4 सितम्बर, 1980 को स्थापित क्षमताओं को मान्यता दी जा रही है। (कुछ शर्तों के साथ)।

भारत-पाकिस्तान युद्ध के पश्चात् भारत आने वालों को नागरिकता

4686. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन व्यक्तियों को जो भारत-पाकिस्तान युद्ध के पश्चात् भारत आये तथा

जिनको भिन्न-भिन्न शिविरों में रखा गया था, भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी गई है ;

(ख) उनको पुनर्वास तथा व्यापारिक प्रयोजनों से ऋण आदि की अन्य क्या सुविधाएं दी गई हैं ;

(ग) क्या ये सुविधाएं उनको नहीं दी जाती हैं जो उन शिविरों में नहीं रहे, और यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या ऐसे शरणार्थियों विशेष रूप से गुजरात में बनसकांथा जिले में राधानपुर के शरणार्थियों, के मामलों पर जिन्होंने इस बारे में अनुरोध किया है, पुनर्विचार किया जायेगा और उनको ये सुविधाएं दी जायेंगी ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां। राजस्थान में आए 47,000 व्यक्तियों में से 38,000 और गुजरात में आए 11,200 व्यक्तियों में से 11,000 व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी गई है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हां। वे विस्थापित व्यक्ति, जो शिविरों में प्रवेश नहीं लेते हैं, सहायता के पात्र नहीं हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राजस्थान

प्रति परिवार व्यय	
1. **कृषि योजनाएं**	
(क) भूमि आवंटन	प्रति परिवार 35 एकड़ निःशुल्क भूमि (यदि राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि आवंटित की जाती है तो प्रति परिवार 16 एकड़ भूमि आवंटन करने के लिए राजस्थान सरकार को प्रति परिवार 27,000 रुपये का ऋण दिया जाएगा।
(ख) विभिन्न कृषि निवेशों/पशुओं/चौपाओं आदि के लिए ऋण	10,000 रुपये प्रति परिवार
(ग) भरण-पोषण सहायता आदि सहित आधारभूत सुविधाओं के लिए 3,000 रुपये प्रति परिवार का अनुदान	5,000 रुपये प्रति परिवार

2. शहरी योजनाएं

(क) लघु व्यवसाय/व्यापार में पुनर्वास (मकानों/दुकानों के निर्माण तथा व्यापार के लिए ऋण)	15,000 रुपये प्रति परिवार

गुजरात

1. प्रति परिवार व्यय
कृषि योजनाएं

(क) भूमि आवंटन	10 एकड़ निःशुल्क कृषि भूमि प्रति परिवार। यदि राज्य सरकार के पास भूमि उपलब्ध न हो तो प्रत्येक परिवार को अपने प्रयत्नों से भूमि खरीदने के लिए 10,000 रुपये का वसूली योग्य ऋण।
(ख) विभिन्न कृषि निवेशों/पशुओं/चौपाओं आदि के लिए ऋण	4,375 रुपये प्रति परिवार
(ग) आवास, रसोईघर, भरण-पोषण भत्ते के लिए अनुदान	2,100 रुपये प्रति परिवार

2. शहरी योजनाएं

(क) लघु व्यवसाय/व्यापार में पुनर्वास (मकानों/दुकानों के निर्माण तथा व्यापार के लिए ऋण)	7,300 रुपये प्रति परिवार
(ख) 3 मास के लिए भरण-पोषण-भत्ता के रूप में अनुदान	636 रुपये प्रति परिवार

सोडा ऐश का उत्पादन एवं आयात

4687. श्री गदाधर साहा : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान कितने सोडा ऐश का आयात किया गया ;

(ख) 1979-80, 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान आयातित सोडा ऐश का प्रतिवर्ष प्रति टन मूल्य क्या था ;

(ग) सोडा ऐश का आयात किन देशों से किया जाता है ;

(घ) उपरोक्त अवधियों में वर्षवार तथा देशवार कुल कितना आयात किया गया ;

(ङ) सोडा ऐश का वर्तमान स्वदेशी उत्पादन कितना है और स्वदेशी सोडा ऐश का प्रति टन मूल्य क्या है, और

(च) क्या यह सच है कि अलकली निर्माता संगठन ने उत्पादन में भारी कटौती तथा सोडा ऐश एककों के बन्द किए जाने की चेतावनी दी थी और ऋण रोक की शिकायत की थी, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर): (क) (ग) और (घ) 1980-81 (अक्तूबर 1980 तक) में 0.53 लाख टन सोडा ऐश का आयात हुआ था। आयातों के देशवार ब्यौरे अनुबन्ध में दिए गए हैं। महानिदेशक वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी, कलकत्ता द्वारा आयात सांख्यिकी का संकलन और प्रकाशन किया जाता है। अक्तूबर, 1980 के बाद की अवधि से सम्बन्धित सांख्यिकी अभी प्रकाशित की जाती है। सांख्यिकी का संकलन हो जाने के पश्चात उसको भारत के विदेश व्यापार की मासिक सांख्यिकी के खण्ड 11 में प्रकाशित किया जाएगा जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध होंगी।

(ख) सोडा ऐश का आयात मूल्य अलग-अलग प्रेषण के लिए भिन्न-भिन्न होता है जो निर्यातकर्ता देश और प्रेषण की मात्रा पर निर्भर करता है। स्टेट कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन आफ इण्डिया (सी० पी० सी०) ने वर्ष 1979-80 में सोडा ऐश लाईट का आयात 205.03 अमेरीकी डालर प्रति टन के सी० आई० एफ० मूल्य पर किया। 1980-81 में सी० पी० सी० ने सोडा ऐश लाईट का आयात 146.45 अमेरीकी डालर प्रति टन के सी० आई० एफ० मूल्य पर किया। यह देखा जा सकता है कि सोडा ऐश लाईट का मूल्य अब 80 अमेरिकी डालर प्रति टन है।

(ङ) वर्ष 1981 के दौरान सोडा ऐश का स्वदेशी उत्पादन 6.40 लाख टन था। इस समय सोडा ऐश के लिए कारखाने से बाहर निर्माताओं का मूल्य 2050.35 रुपये से 2299.25 रुपये प्रति टन के बीच है।

(च) सोडा ऐश के निर्माता यह अभ्यावेदन कर रहे हैं कि बड़ी मात्रा में आयात और कम उठान के कारण उनके पास भण्डार इकट्ठे हो रहे हैं और यदि आयातों पर प्रतिबंध न लगाया गया तो उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अलकली मैन्यूफैक्चर्स एसोसियेशन आफ इण्डिया ने सरकार को हाल ही में दिए गए एक अभ्यावेदन में निर्माताओं के तर्क को दोहराया है और कहा है कि यदि आयातों पर प्रतिबंध न लगाया गया तो उद्योग के लिए उत्पादन सुस्थिर करना कठिन हो जाएगा। आयात नीति की निरन्तर देख-रेख की जा रही है। आयात मांग और स्वदेशी उपलब्धता को ध्यान में रखकर किए जाते हैं।

विवरण

निर्यात करने वाले देशों सहित 1980-81 (अक्तूबर, 1980 तक) के दौरान सोडा ऐश का आयात ।

निर्यातकर्ता	आंकड़े टनों में (मात्रा)
1. बेलजियम	4,417
2. बल्गारिया	10,849
3. फ्रांस	5,680
4. जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक	2,458
5. कीन्या	300
6. नीदरलैंडस	795
7. रूमानिया	4,933
8. स्पेन	2,074
9. स्विटज़रलैंड	1,610
10. यूनाइटेड किंगडम	102
11. यूनाइटेड स्टेट आफ अमेरिका	11,477
12. आस्ट्रिया	100
13. इटली	1,449
14. यू० एस० एस० आर०	5,500
योग	52,846

नोट : आंकड़े अस्थाई हैं ।

अखबारों की खपत

4688. **श्री अजित कुमार साहा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे अखबारों की खपत क्या है ;

(ख) प्रति 1000 व्यक्ति के पीछे अखबारों की न्यूनतम खपत के बारे में संयुक्त राष्ट्र की सिफारिश क्या है ; और

(ग) श्रीलंका, मिश्र, क्यूबा, ब्राजील, चीन, कोरिया, वियतनाम, लीबिया तथा इन जैसे अन्य विकासशील देशों में स्थिति क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक को समाचार पत्रों द्वारा प्रसार संख्या के बारे में भेजी गई सूचना के आधार पर, भारत में 1980 में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे परिचालित होने वाले दैनिक समाचार पत्रों की प्रतियों की संख्या 21.3 थी ।

(ख) संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा प्रथम विकास दशक (1961-70) के लिए प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे दैनिक समाचार पत्रों की 100 प्रतियों की प्रसार संख्या सुझाई गई थी।

(ग) यूनेस्को द्वारा प्रकाशित स्टेटिस्टीकल ईयरबुक, 1980 के अनुसार, प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे दैनिक सामान्य रुचि के समाचार पत्रों की प्रतियों की संख्या के बारे में सूचना इस प्रकार थी :

श्रीलंका	49 (1970 में)
मिश्र	79 (1976 में)
क्यूबा	दी नहीं गई
ब्राज़ील	45 (1976 में)
चीन	दी नहीं गई
कोरिया गणराज्य	197 (1977 में)
वियतनाम	5 (1977 में)
लीबिया	26 (1976 में)

दिल्ली में चालू वर्ष के दौरान मंजूर किये गये कोयला डिपो

4689. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली नागरिक पूर्ति विभाग ने इस वर्ष कितने अतिरिक्त कोयला डिपो मंजूर किये हैं तथा उनमें से कितने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित किए गए थे ;

(ख) इन जातियों से आरक्षित दुकानों के लिए तथा आम वर्ग की दुकानों के लिए अलग-अलग कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे ; और

(ग) उनको अलग-अलग कितने कोयला डिपो आवंटित किए गए तथा उक्त आवेदन लिए क्या मानदंड अपनाया गया ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) दिल्ली प्रशासन के नागरिक पूर्ति विभाग ने अब तक इस वर्ष में 11 अतिरिक्त कोल डिपो मंजूर किए हैं। कोल डिपो के आवंटन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं होता किन्तु दिल्ली प्रशासन की घोषित नीति के अनुसार, जब कभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई ऐसा पात्र व्यक्ति कोयला डिपो के लिए आवेदन करता है जिसके पास अधिसूचित क्षेत्र में कोयला डिपो खोलने के लिए उपयुक्त स्थान होता है तो उसे अन्य सभी आवेदकों की तुलना में तरजीह दी जाती है।

(ख) वर्ष 1982 में अतिरिक्त डिपो की जो 11 रिक्तियां थीं उनके लिए नागरिक पूर्ति

विभाग को सामान्य वर्ग के 25 उम्मीदवारों से तथा अनुसूचित जातियों के 2 उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त हुए थे।

(ग) नागरिक पूर्ति विभाग ने इस वर्ष सभी कोयला डिपो के 11 लाइसेंस सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को ही दिए थे। प्रशासन अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों से प्राप्त दोनों आवेदन पत्रों में से किसी पर भी लाइसेंस नहीं दे सका था जिसका कारण यह था : एक मामले में तो डिपो खोलने के लिए जिस स्थान का प्रस्ताव किया गया था वह सारी भूमि सरकार ने पहले ही अधिग्रहीत कर ली थी। दूसरे मामले में जिस भूमि पर डिपो खोलने का प्रस्ताव था वहां रिहायशी जगह बनी हुई थी और कोयला डिपो के लिए जितनी जगह बताई गई थी वह केवल 12 वर्ग मीटर ही थी जबकि नियमानुसार डिपो के लिए 50 वर्ग मीटर जगह होना आवश्यक है। दिल्ली प्रशासन लाइसेंस देने के लिए जो आधार सामने रखता है वह निम्नलिखित हैं :

(क) जिस क्षेत्र के लिए कोयला डिपो की रिक्ति अधिसूचित की गई है उसमें डिपो के लिए मकान और निर्धारित जगह अवश्य हो।

(ख) प्रस्तावित परिसर ऐसे केन्द्रीय स्थान पर हो जहां भारी गाड़ियां भी पहुंच सकें तथा बेहतर हो कि वह स्थान व्यापारिक क्षेत्र में हो। स्थान का आकार भी इतना हो कि वहां खुला भंडार 80 वर्ग मीटर में अथवा दुकान 50 वर्ग मीटर में रखी जा सके।

(ग) आवेदक की आर्थिक स्थिति समुचित रूप से अच्छी हो।

(घ) वह इतना शिक्षित भी हो कि खाते और हिसाब-किताब रख सके।

(ङ) उसके परिवार के किसी भी अन्य सदस्य के पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन कोई अन्य लाइसेंस न हो।

(च) उसे पहले अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अधीन कोई सजा न मिली हो।

राजस्थान को मिट्टी के तेल की सप्लाई

4690. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान राज्य की 1981 वर्ष की तथा जनवरी और फरवरी 1982 मास की मिट्टी के तेल की वार्षिक अथवा मासिक मांग क्या थी और राज्य की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए उस मांग की तुलना में केन्द्र सरकार द्वारा कितनी मात्रा की सप्लाई की गई ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री(श्री पी०शिवशंकर) : वर्ष 1981 के दौरान (माहवार) तथा जनवरी/फरवरी, 1982 में राजस्थान को मिट्टी के तेल की आबंटित की गयी मात्रा नीचे दी गई हैं :

	मी० टनों में
जनवरी 1981	11300
फरवरी 1981	10700

मार्च 1981	11500
अप्रैल 1981	11300
मई 1981	10300
जून 1981	10000
जुलाई 1981	11438
अगस्त 1981	12216
सितम्बर 1981	10400
अक्तूबर 1981	11450
नवम्बर 1981	13000
दिसम्बर 1981	13000
जनवरी 1982	14000
फरवरी 1982	13000

विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को मिट्टी का तेल आवंटन करने की वर्तमान नीति (नवम्बर, 1981 से प्रभावी) के अनुसार; वर्ष को चार महीनों के तीन खण्डों में विभाजित किया गया है जिसके लिए प्रति माह समान स्तर पर आवंटन किया जाता है। गर्मी के महीनों (मार्च-जून) तथा मानसून के महीनों (जुलाई-अक्तूबर) दोनों के लिये मासिक आवंटन पिछले वर्ष के तदनुरूपी चार महीनों की औसत मासिक बिक्री पर 5 प्रतिशत वृद्धि पर आधारित होते हैं। सर्दी के महीनों (नवम्बर-फरवरी) के लिए आवंटन पिछले वर्ष के किन्हीं तद्नुरूपी 4 महीनों में किये गये अधिकतम आवंटन/बिक्री पर 5 प्रतिशत वृद्धि पर आधारित होते हैं। चार महीनों के खण्ड में भी एक माह के आवंटन को दूसरे माह के आवंटन में आगे नहीं ले जाया जाता है।

बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये कोयला खानों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना

4691. **श्री राजेश कुमार सिंह :**
श्री राम विलास पासवान :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में अलग-अलग कितनी कोयला खानें हैं तथा उनके नाम क्या हैं;

(ख) प्रत्येक खान की उत्पादन क्षमता क्या हैं;

(ग) प्रत्येक कोयला खान में पिछले तीन वर्षों में कोयले का वर्ष-वार कितना वास्तविक उत्पादन हुआ;

(घ) देश में पिछले तीन वर्षों में कोयले की मांग क्या थी; और

(ङ) क्या सरकार द्वारा देश में कोयले की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु कोई कार्रवाई की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

लोक सभा/राज्य सभा तथा विधान परिषदों / विधान सभाओं के रिक्त स्थान

4692. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में तथा संसद् में, विधान सभा, विधान परिषद्, लोक सभा तथा राज्य सभा के कौन-कौन-से स्थान खाली हैं; और

(ख) प्रत्येक स्थान कब से खाली हैं तथा उनके अब तक न भरे जाने के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) निर्वाचन आयोग से प्राप्त एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है जिसमें 17 मार्च, 1982 को जो स्थिति थी उसके अनुसार राज्य सभा, विधान परिषदों तथा लोक सभा और विधान सभाओं में रिक्त स्थानों के सम्बन्ध में विशिष्टियां और उन स्थानों के रिक्त होने की तारीख तथा उन रिक्त स्थानों को न भरे जाने के कारण दर्शित किए गए हैं ।

[**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3728/82**]

त्रिपुरा में तापीय बिजली घर

4693. **श्री अजय विश्वास :**
श्री बाजुबन रियान :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में एक तापीय बिजली घर की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) इसकी स्थापना कब की जायेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) त्रिपुरा में बारामुरा में 483.00 लाख रुपयों की अनुमानित लागत पर 2 × 5 मेगावाट के टरबाइन उत्पादन सैटों को प्रतिष्ठापित करने के लिए एक परियोजना रिपोर्ट त्रिपुरा सरकार से प्राप्त हुई है । तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के बारामुरा रेंज के कुओं से 40,000 घन मीटर गैस का प्रतिदिन उपयोग करने और एक वर्ष की अवधि में यूनिट को चालू करने की परिकल्पना इस रिपोर्ट में की गई है ।

इस स्कीम की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांच की गई है । इससे पूर्व कि केन्द्रीय विद्युत

प्राधिकरण परियोजना को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान करे, गैस की उपलब्धता, जल आदि की उपलब्धता जैसे आवश्यक निवेशों को सुनियोजित करना होगा।"

दिल्ली में बिजली के कनैक्शन देने पर प्रतिबन्ध

4694. **श्री तारिक अनवर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अधिकृत तथा अनधिकृत कालोनियों में बिजली के कनैक्शन मंजूर करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो अधिकृत कालोनियों में बिजली के कनैक्शन दिये जाने पर प्रतिबन्ध लगाने के क्या कारण हैं; और

(ग) ये कनैक्शन किन परिस्थितियों में दिये जा सकते हैं तथा किस प्राधिकरण द्वारा मंजूर किये जा सकते हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) अनधिकृत निर्माणों को हतोत्साहित करने की दृष्टि से दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा इस आशय के आदेश जारी किए गए थे जिनमें अनधिकृत कालोनियों में बिजली के कनैक्शन देने पर रोक लगाई गई थी और अधिकृत कालोनियों में नए निर्माणों के मामले में बिजली के कनैक्शनों की प्रार्थनाओं के साथ निर्माण पूरा होने का प्रमाण-पत्र या कब्जेदारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाए। जनवरी 1982 में इस हद तक ढील दी गई थी कि जिन मामलों में 3-11-81 तक भवन के नक्शों को स्वीकृत कर दिया गया था उन मामलों में निर्माण पूरा होने के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए जोर न डाला जाए। दिल्ली प्रशासन के वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान बिजली के कनैक्शन देने की प्रार्थनाओं पर विचार कर सकता है बशर्ते कि अनधिकृत कालोनियों में 1-1-81 के बाद हुए निर्माणों को छोड़कर नए निर्माणों के बारे में सामान्य वाणिज्यिक और अन्य औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हों। दिल्ली विकास प्राधिकरण से या यथा स्थिति अन्य सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरण से जैसे दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका, दिल्ली छावनी बोर्ड से भवन के नक्शों की अपेक्षित सांविधिक स्वीकृति प्राप्त किए बिना यदि कोई नया निर्माण किया जाता है, तो इस प्रकार के निर्माण के लिए बिजली के कनैक्शन देने की प्रार्थना पर विचार, वैध स्वीकृति प्रस्तुत करने पर ही किया जा सकता है। सम्बन्धित प्राधिकरणों से भवन के नक्शे की वैध स्वीकृति प्रस्तुत करने पर, इस प्रकार के कनैक्शन देने के लिए निर्णय अधीक्षण इन्जीनियर के समकक्ष अधिकारी के स्तर पर लिया जा सकता है।

डीजल की बचत के लिए बिजली उत्पादन में वृद्धि का प्रस्ताव

4695. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यदि बिजली उत्पादन में वृद्धि की जाए तो डीजल और विदेशी मुद्रा की बचत की जा सकती है; और

(ख) यदि हां, क्या उनके मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) विद्युत का उत्पादन करने में और कृषि पम्प सेटों में प्रयोग में आने वाले जितने डीजल के स्थान पर, अधिक मात्रा में हुए विद्युत के उत्पादन से मिलने वाली विद्युत का प्रयोग होगा उतने डीजल की बचत, होगी। विद्युत उत्पादन से सम्बन्धित मंत्रालय अर्थात ऊर्जा मंत्रालय स्थिति से पूरी तरह निबटने के लिये तैयार हैं।

दिल्ली में प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन

4696. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 1980-81 तथा अप्रैल, 1981 से 31 दिसम्बर, 1981 की अवधि के दौरान लोगों को प्राथमिकता के आधार पर कितने टेलीफोन कनैक्शन दिये गये तथा ये कनैक्शन किन वर्गों में दिये गये हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार निर्यातक व्यापारियों को प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन देने के प्रश्न पर विचार करने का है जिससे कि उनके निर्यात कार्य में कोई रुकावट न आए ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) दिल्ली में "ओ० वाई० टी०" तथा "गैर ओ० वाई० टी०" श्रेणियों के अन्तर्गत 1-4-1980 से 31-3-1981 की अवधि के दौरान प्राथमिकता के आधार पर मंजूर किए गए टेलीफोनों की संख्या क्रमश: 237 और 319 है। 1-4-1981 से 31-12-1981 की अवधि के दौरान ओ० वाई० टी० तथा "गैर ओ० वाई० टी०" श्रेणियों के अन्तर्गत मंजूर किए गए टेलीफोनों की संख्या क्रमश: 346 तथा 280 है।

(ख) विदेशी मुद्रा का अर्जन करने वालों को इस प्रकार की इजाजत है कि वे ओ० वाई० टी० विशेष श्रेणी के अन्तर्गत जो प्राथमिक श्रेणी है, टेलीफोन हेतु अपनी मांग दर्ज करा सकते हैं।

हिन्दुस्तान एण्टी बायोटिक्स पिम्परी को हानियां

4697. **श्री राम कृष्ण भोरे** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स पिम्परी को पिछले कुछ वर्षों से हानियां हो रही हैं,

(ख) यदि हां, तो हानियों का ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या कारण हैं, और;

(ग) इस हानि के लिये उत्तरदाई कौन हैं ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड को हुई शुद्ध हानि निम्न प्रकार है :

	(लाख रु०)
1978-79	197.16
1979-80	298.03
1980-81	639.47

हानि के मुख्य कारण निम्न प्रकार से हैं :

(i) भट्टी तेल और पावर जैसे कच्चे मालों और उपयोगिताओं की लागत में वृद्धि :

(ii) मूल्यों में वृद्धि के जरिये, उत्पादन लागत में हुई वृद्धि को पूरा करने के लिये विलम्ब से अपर्याप्त क्षतिपूर्ति करना।

(iii) नकद हानियों को पूरा करने के लिये प्रदान किये गये सरकारी ऋणों पर देय ब्याज का संचयन।

(iv) व्यापार बिक्री की तुलना में संस्थागत बिक्री को वरीयता देना।

राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों में डाकघर खोला जाना

4698. **श्री जयनारायण रौत :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में छठी पंचवर्षीय योजनावधि में कितने डाकघर खोले जाने हैं; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए कितनी राशियां आबंटित की जानी हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) राजस्थान राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 120 डाक घर खोलने का प्रस्ताव है।

(ख) निधि पूर्ण योजना अवधि के लिए एक ही बार निर्धारित नहीं की जाती है बल्कि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर निर्धारित की जाती है। निर्धारित लक्ष्यों के अनुपात में निधि उपलब्ध की जाएगी।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा काम मंदगति पर किया जाना

4699. **श्री कुम्भा राम आर्य :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के चेयरमैन कौन हैं तथा निदेशक मंडल के सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ख) इस तथ्य की ओर ध्यान न दिये जाने के क्या कारण हैं कि निगम द्वारा अपने दायित्व मन्द गति से निभाये जा रहे हैं ;

(ग) क्या अभी तक कार्य केवल 12 राज्यों में ही आरम्भ हुआ है जहां पर उसकी गति बहुत मंद है और क्या शेष राज्यों में काम अभी तक आरम्भ नहीं हुआ और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) निगम के आय-व्यय का लेखा क्या है ;

(ङ) क्या सरकार उसके काम की मन्द गति को जानती है ; और

(च) यदि हां, तो कार्य को गति देने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम के अध्यक्ष तथा निदेशक मल्डल के सदस्यों के नाम निम्नानुसार हैं :

अध्यक्ष तथा प्रबन्धक निदेशक	श्री पी० एम० बेलिअप्पा
निदेशक मण्डल के सदस्यों के	श्री डी० राजगोपालन
नाम	श्री सन्त दास
	श्री एन० वधुल
	श्री आर० पी० गोयल
	श्री टी० के० श्रीनिवासन
	श्री डी० शंकर गुरु स्वामी
	श्री एन० श्रीराम

(ख) 1,37,689 गांवों को विद्युतीकृत करने तथा 10,06,584 पम्पसेटों को अर्जित करने के सोपानबद्ध लक्ष्य को पूरा करने के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम ने फरवरी, 1982 के अन्त तक 1112 करोड़ रुपये की राशि की कुल ऋण सहायता वितरित/विमोचित की है। निगम की रिपोर्टों से यह देखा गया है कि अब तक 98,038 गांव (71%) विद्युतीकृत हुए हैं। तथा 8,44,585 पम्पसेट (84%) ऊर्जित कर दिए गए हैं। इससे पता चलता है कि निगम का कार्य-निष्पादन संतोषजनक है।.....

(ग) जी, नहीं। ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्कीमें देश के सभी राज्यों में चल रही हैं।

(घ) 31 मार्च, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का निगम का लाभ-हानि लेखा, जिसमें आय-व्यय भी शामिल है, विवरण में दिखाया गया है। इसी तारीख तक के वार्षिक लेखों की लेखा-परीक्षा कर ली गई और लेखे स्वीकार कर लिए गए हैं।

(ङ) और (च) ऊपर (ख) में दिए गए सम्प्रेक्षणों को ध्यान में रखते हुए इसका प्रश्न नही उठता।

विवरण

31 मार्च, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ हानि लेखा

व्यय	इस वर्ष रुपये	आय	इस वर्ष रुपये
1	2	3	4
वेतन तथा भत्ते आदि (अनुसूची "छ")	1,46,32,078	ब्याज	51,40,87,469
		(1)(ऋणों पर)1,91,83,922 की अनुमत्य छूट के लिए प्रावधान को निकाल कर निवल)	
उपदान	5,00,000	(2) निवेशों पर	
कर्मचारी कल्याण व्यय	2,09,749	(क) भारत सरकार की विशिष्ट	3,412
इसमें कैंटीन के व्यय		(ख) खजाना बिल	33,58,018
शामिल हैं		(ग) डिबेंचर (स्रोत पर 7,10,944 रुपये सकल कर काटा गया)	50,59,121
लेखन सामग्री तथा छपाई	7,34,475	(घ) बैंक से समयबद्ध जमा लेखों तथा अन्यों पर	2,67,25,857
यात्रा तथा सवारी	20,36,917	(3) कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर	24,734
		हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए सरकारी ऋणों पर आर्थिक सहायता	4,68,100
कार्यालय का किराया	22,17,406	विविध आय (इसमें 8,66,920 रु० की परामर्श संबंधी फीस शामिल है)	10,19,586
बिजली तथा जल प्रभार	2,82,215	बट्टे खाते डाली गई परिसम्पत्ति की बिक्री से लाभ	6,478

व्यय	इस वर्ष रुपये	आय	इस वर्ष रुपये
1	2	3	4
डाक व्यय तार तथा टेलीफोन	5,68,910		
परामर्शी प्रभार तथा अनुसंधान और विकास पर व्यय (इसमें प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद के 5,67,497 रु० शामिल हैं पिछले वर्ष का व्यय 4,23,974 रु० था)	14,13,707		
विभिन्न व्यय	19,69,324		
मरम्मत तथा अनुरक्षण	74,742		
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक :			
(क) लेखा फीस 15,000			
(ख) कम्पनी विधि मामलों के लिए 7,500			
(ग) कर सम्बन्धी मामलों के लिए 1,000	23,500		
बैंकों से प्रतिभूत	3,34,221		
ऋणों पर ब्याज			
भारत सरकार से	34,51,21,989		
अप्रतिभूत ऋणों पर ब्याज (छूट निकाल कर निवल			
बाण्डों पर ब्याज	5,31,31,813		
अण्डरराइटिंग कमीशन	8,72,605		
आढ़त तथा बाण्डों पर छूट जो उपरलिखित की गई			
बेची गई/रद्दी की गई / बट्टे	----		

व्यय	इस वर्ष रुपये	आय	इस वर्ष रुपये
1	2	3	ष
खाते डाली गई परिसम्पत्ति पर हानि			
मूल्य ह्रास	5,78,034		
कराधान के लिए प्रावधान	5,36,10,000		
वर्ष का लाभ	7,24,41,090		
जोड़	55,07,52,775		

अखबारी कागज की कीमत

4700. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि गुट-निरपेक्ष देशों के विशेषज्ञ के समूह के हाल के सम्मेलन के दौरान अखबारी कागज की कीमतों में निरन्तर वृद्धि पर, जो विकाशशील देशों के लिए बाधक सिद्ध हो रही है ; चर्चा हुई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अखबारी कागज की उपलब्धता, मूल्य उत्पादन तथा वितरण की समस्याओं पर भी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में चर्चा की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसमें क्या मुख्य निष्कर्ष निकले ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) जी, हां ;

(ग) उक्त विशेषज्ञ दल की बैठक में अखबारी कागज के सम्बन्ध में पहुंचा गया मुख्य निष्कर्ष गुटनिरपेक्ष देशों में उपयुक्त कच्ची सामग्रियों के वैकल्पिक स्रोतों का पता लगाने, उपयुक्त टेक्नालाजी का विकास करने और अखबारी कागज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करने की क्षमताओं का समयबद्ध आधार पर संभाव्यता अध्ययन करने के लिए है।

आसनसोल औद्योगिक क्षेत्र में टेलीफोन केन्द्रों की क्षमता में वृद्धि

4701. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसनसोल औद्योगिक क्षेत्र में टेलीफोन केन्द्रों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक की प्रगति क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) विस्तार कार्यक्रम विवरण में दिया गया है।

(ग) मैसर्स भारतीय टेलीफोन उद्योग बंगलौर को उपस्करों हेतु आदेश दे दिए गए हैं। उनके संस्थापन कार्य को उतरोत्तर प्रारम्भ किया जाएगा जो कि उपस्कर की प्राप्ति पर निर्भर है।

विवरण

आसनसोल औद्योगिक क्षेत्र में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार कार्यक्रम
30-9-1981 को

क्रम सं०	एक्सचेंज का नाम	क्षमता	चालू कनेक्शन	प्रतीक्षा सूची	विस्तार कार्यक्रम
1.	अंडाल	90 लाइनें	62	64	100 आटो लाइनों द्वारा प्रतिस्थापन
2.	बाहुला	300 लाइनें	285	22	100 लाइनें (300-400 लाइनें)
3.	बाराकार	400 लाइनें	376	137	200 लाइनें (400-600 लाइनें)
4.	जमूरियाहाट	100 लाइनें	95	4	100 लाइनें (100-200 लाइनें)
5.	नियामतपुर	200 लाइनें	188	26	विस्तार के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है।
6.	पंडेश्वर	80 लाइनें	45	15	100 आटो लाइनों द्वारा प्रतिस्थापन
7.	रानीगंज	1000 लाइनें	939	167	200 लाइनें (1000-1200 लाइनें)
8.	रूपनारायणपुर	100 लाइनें	96	26	100 लाइनें (100-200 लाइनें)

कोयला खान कल्याण संगठन को कोल इंडिया लि० के साथ मिलाना

4702. **श्री कुंवर राम** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खान कल्याण संगठन के कर्मचारियों की संख्या क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार का कोयला खान कल्याण संगठन को कोल इण्डिया लिमिटेड के साथ मिलाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस संगठन के कर्मचारियों को कोल इण्डिया लि० के कर्मचारियों के समान वेतन और अन्य सुविधाएं दी जायेंगी ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) लगभग 3,600 कर्मचारी कोयला खान कल्याण संगठन में काम कर रहे हैं ।

(ख) और (ग) : इस समय कोयला खान कल्याण संगठन के केवल प्रादेशिक अस्पतालों का कोयला कम्पनियों के अधीन स्थानान्तरण कर देने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

गुजरात के गाँवों में प्रतिदिन डाक वितरण योजना

4703 . **श्री नवीन रवाणी** :
श्री मोहन लाल पटेल :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात के सभी गांवों को अब तक प्रतिदिन डाक वितरण योजना के अंतर्गत नहीं लाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे गांवों की संख्या क्या है और उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत गुजरात के गांवों को कब तक लाया जायेगा ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, नहीं । दैनिक डाक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सभी ग्रामों को शामिल किया गया है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

डाक टिकटों की खराबी / त्रुटियां

4704. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** :
श्री हीरा लाल आर० परमार :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा जारी किये गये डाक टिकटों में कुछ खराबी / त्रुटियां होने का पता चला है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) डाक तार विभाग-द्वारा जारी की गई डाक टिकटों में खराबियों / त्रुटियों का कोई भी मामला हाल ही में सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है ।

(ख) और (ग) : उपरोक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता । फिर भी डाक टिकटों का डिजाइन तैयार करने एवं उनके मुद्रण में खराबियों / त्रुटियों को रोकने के लिए सरकार सभी सावधानियां बरतती है ।

पश्चिम बंगाल में दूरदर्शन रिले स्टेशनों की स्थापना

4705. **श्री चित्त महाटा :**
श्री डूमर लाल बैठा :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां इस साल एशियाड से पूर्व देश की जनता के लाभ के लिये दिल्ली दूरदर्शन के प्रसारणों को रिले करने के लिए दूरदर्शन रिले स्टेशन खोले जाने हैं ;

(ख) क्या सरकार का पश्चिम बंगाल में भी दूरदर्शन रिले स्टेशन खोलने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं ; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) (क) "इन्सैट" स्कीम के अन्तर्गत नागपुर में दूरदर्शन रिले ट्रांसमीटर (अन्तरिम ढांचा) के अगस्त, 1982 तक चालू हो जाने की उम्मीद है ।

(ख) और (ग) : सातवीं योजना अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में आसनसोल तथा मुर्शिदाबाद में दूरदर्शन रिले ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने हैं।

राजस्थान में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र और टेलीफोन एक्सचेंजों का खोला जाना

4706. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राजस्थान में विशेष रूप से बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों में वर्ष 1982-83 के दौरान और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र तथा टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए कदम उठाने का प्रस्ताव है ताकि उस क्षेत्र में लोगों द्वारा उठाई जा रही कठिनाइयों को दूर किया जाए ;

(ख) क्या सरकार इन एक्सचेंजों के लिए अधिक सामग्री जुटाएगी क्योंकि मरूस्थल क्षेत्रों में अधिक दूरी के कारण अधिक सामग्री की जरूरत होती है ;

(ग) क्या सामग्री की कमी के कारण इन क्षेत्रों में स्वीकृत किए गए सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र नहीं खोले गए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस समस्या का समाधान कब तक किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन ० पाटिल) (क) जी, हां ।

(ख) सम्बन्धित दूरसंचार सर्किलों/जिलों द्वारा प्रस्तुत पूर्वानुमानित आंकड़ों के आधार पर सामग्री आवंटित की जाती है ।

(ग) एवं (घ) सार्वजनिक टेलीफोन घर उपलब्ध कराने हेतु कार्य प्रगति पर है । वर्ष के आरम्भ में सामग्री की कमी थी परन्तु बाद में भंडार की सप्लाई में सुधार हुआ है और ऐसी आशा है कि अधिकांश लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जाएगा ।

राजाध्यक्ष समिति की सिफारिशें और राज्यों द्वारा उनका कार्यान्वयन

4707. श्री नरसिंह मकवाना : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के सभी तापीय विद्युत संयंत्रों और बिजली बोर्डों के कार्यकरण के सुधार के लिए राजाध्यक्ष समिति ने अपनी रिपोर्ट में क्या सिफारिशें की हैं ;

(ख) इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों द्वारा क्या अनुदेश जारी किये गए हैं और या इन अनुदेशों का पालन किया गया है ; और

(ग) क्या इन ताप विद्युत संयंत्रों में बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई उपाय किये गए हैं और यदि हां, तो क्या वे उपाय कारगर सिद्ध हुए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) राज्य बिजली बोर्डों के कार्यकरण में तथा ताप विद्युत संयंत्रों के प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए विद्युत समिति ने अनेक सिफारिशें की हैं । ये सिफारिशें, अन्य बातों के साथ-साथ राज्य बिजली बोर्डों के प्रबन्ध को सशक्त बनाने तथा इनके वित्तीय व प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन में सुधार लाने से सम्बन्धित हैं ।

विद्युत समिति की रिपोर्ट दिसम्बर, 1980 में राज्यों को भेजी गई थी । 1981 के आरंभ में हुए क्षेत्रीय विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में समिति की सिफारिशों पर विचार-विमर्श किया गया था । नवम्बर, 1981 में हुए, राज्यों के विद्युत मंत्रियों के वार्षिक सम्मेलन में इन सिफारिशों पर आगे विचार-विमर्श किया गया था । सम्मेलन में इस बात पर सहमति हुई थी कि राज्य सरकारें तीन महीने के अन्दर अपने विचार भेज देंगी । बहुत-से राज्यों के विचारों की अभी भी प्रतीक्षा है । अपने विचार शीघ्र भेजने के लिए हाल ही में इनको अनुस्मारक भेजा गया है । इन सिफारिशों पर कोई कार्रवाई करने से पहले, राज्यों के साथ परामर्श करना आवश्यक समझा गया है ।

(ग) ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए कई उपाय किए गए हैं । इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) संयंत्र और उपस्कर आदि में कमियों का पता लगाने के लिए, तथा समयवद्ध रूप से यंत्र सुधार कार्यक्रम बनाने और हाथ में लेने के लिए राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत केन्द्रों / प्राधिकरियों को सहायता करना ;

(2) बंदी की अवधियों को कम करने के लिए सुरक्षात्मक अनुरक्षण तकनीकें अपनाना ;

(3) फुटकर पुर्जों की समय पर सप्लाई की व्यवस्था करना ;

(4) उचित गुणवत्ता वाले कोयले को पर्याप्त मात्रा में सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए प्रबन्ध करना ;

(5) 200 मेगावाट/110 मेगावाट तथा 120 मेगावाट के यूनिटों में कमियों का पता लगाने, इनका शीघ्र स्थिरीकरण करने तथा इनके कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने के लिए के० वि० प्रा०, भारत हैवी इले० लि०: इंस्ट्रमेंटेशन लि० कोटा तथा राज्य बिजली बोर्डों के प्रतिनिधियों को शामिल करके कृतिक बलों का गठन करना ;

(6) प्रचालन प्रक्रियाओं की मानीटरिंग करने तथा सलाह देने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रचालन विशेषज्ञों के भ्रमणशील दलों के दौरे ; तथा

(7) ताप विद्युत केन्द्रों के इंजीनियरों तथा प्रचालन और अनुरक्षण कार्मिकों को प्रशिक्षण देना।

अब तक किए गए उपायों के परिणामस्वरूप देश के ताप विद्युत केन्द्रों का क्षमता समुपयोजन अप्रैल, 1980 से जनवरी, 1981 के दौरान 43.6 प्रतिशत से बढ़ गया और अप्रैल, 1981 से जनवरी, 1982 के दौरान 45.8% हो गया है।

दिल्ली में अपर न्यायाधीशों के रिक्त पद और अ० जा०/अ० ज० जा० के कोटे को पूरा करना

4708. श्री आर० आर० भोले : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली उच्च न्यायालय के अभिलेख के अनुसार 31 दिसम्बर, 1981 को अपर जिला न्यायाधीशों की, जिनके अन्तर्गत अस्थायी/तदर्थ आधार पर की गई नियुक्तियां भी सम्मिलित हैं, कुल संख्या क्या है ;

(ख) तदर्थ/अस्थायी नियुक्तियों के मामले में आरक्षण नियमों का पालन न करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पद को साधारण उम्मीदवारों से भरा गया है यदि हां, तो क्या उक्त पद को अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से भरने के लिए सभी उपचारात्मक उपाय पूरे किये गये थे और उक्त पद को अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों से क्यों नहीं भरा गया जैसा कि नियमों में उपबन्ध है और

(घ) क्या दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा में आरक्षण नियमों के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का जो कोटा विनिर्दिष्ट है वह कोटा भरा गया है,

और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है अथवा करने का विचार रखती है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) तारीख 31 दिसम्बर, 1981 को दिल्ली में 29 अपर जिला और सेशन न्यायाधीशों के पदों में से 27 पदों पर अपर जिला और सेशन न्यायाधीश कार्यरत थे। इन 29 पदों में से 21 पद स्थायी और 8 पद अस्थायी थे।

(ख) दिल्ली उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कोटा, नियमानुसार, सीधी भर्ती में ही है, जो केवल स्थायी पदों की बावत की जाती है। अस्थायी पद चयन के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। सरकार के अनुदेशों के अनुसार ऐसी प्रोन्नतियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए इस प्रकार का कोई आरक्षित कोटा नहीं है किन्तु यह अपेक्षा की जाती है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऐसे पात्र अधिकारी, जो इतने वरिष्ठ है कि वे उन रिक्त पदों की संख्या के भीतर आ जाते हैं जिनके लिए चयन सूची बनाई जानी है, सूची में सम्मिलित किए जाएं। उनके नाम सूची में तभी सम्मिलित किए जाते हैं जब कि उन्हें प्रोन्नति के अयोग्य न पाया गया हो।

(ग) और (घ) उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री ने यह सूचना दी है कि अनुदेशों के अनुसार, यदि किसी विशिष्ट वर्ष में एक ही रिक्त पद ऐसा होता है जो आरक्षण रोस्टर में आरक्षित पद पर आता है तो वह पद पहले अनारक्षित पद समझा जाएगा और आरक्षण पश्चात् वर्ती वर्ष के लिए आगे ले जाया जाएगा। तदनुसार, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित एकमात्र रिक्त पद जो 1980 में भरा गया था एक साधारण उम्मीदवार को देना पड़ा। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित इस एक पद के लिए, जो भरा नहीं गया था, "अगले वर्ष में ले जाने" सम्बन्धी अनुदेशों को लागू करते हुए, एक विज्ञापन दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जनवरी-फरवरी, 1981 में जारी किया गया था किन्तु अनुसूचित जनजाति के किसी भी उम्मीदवार के उपलब्ध न होने के कारण वह भरा नहीं जा सका और वह पद अभी तक रिक्त है। इस विषय से सम्बन्धित अनुदेशों के अनुसार यह पद दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा शीघ्र ही फिर से विज्ञापित किया जाएगा।

बिहार की विद्युत सम्बन्धी आवश्यकता और इसकी सप्लाई

4709. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य के (एक) उत्तर बिहार, (दो) दक्षिण बिहार और (तीन) छोटा नागपुर क्षेत्रों में विद्युत की कुल कितनी आवश्यकता है ;

(ख) जनवरी, फरवरी के दौरान और 15 मार्च, 1982 तक इन क्षेत्रों में से प्रत्येक को वास्तव में कितनी विद्युत सप्लाई की गई ;

(ग) क्या उपलब्ध विद्युत सप्लाई उपरोक्त अवधियों में से प्रत्येक अवधि के दौरान बिहार राज्य के तीन जोनों के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच वितरित की गई, और

(घ) विद्युत की सप्लाई स्थिति में कब तक सुधार हो जाएगा; और इस बारे में क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पटना रेडियो स्टेशन का ट्रांसमीटर

4710. **श्री चतुर्भुज** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां किसी भी रेडियो स्टेशन में उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर नहीं है, जबकि कुछ छोटे राज्यों जैसे मणिपुर, केरल और उड़ीसा में ऐसे उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर हैं;

(ख) क्या पटना रेडियो स्टेशन में लगाया हुआ 20 कि० वा० का ट्रांसमीटर काफी पुराना हो गया है और इसलिए इसकी दक्षता कम हो गई है और तकनीकी खराबियों के कारण यह अपनी पूरी गति पर नहीं चल रहा है;

(ग) क्या गया और बोधगया आकाशवाणी के पटना स्टेशन के प्राइमरी ग्रेड "डेन्टाइम कवरेज" के अन्तर्गत स्थित हैं ;

(घ) क्या गया और बोधगया में विविध भारती कार्यक्रम नहीं सुनाई देता है क्योंकि विविध भारती ट्रांसमीटर केवल 1 कि० वा० का है जो केवल 30 कि० मी० के क्षेत्र में सुनाई देता है;

(ङ) क्या जहां तक गया और बोधगया की क्षेत्रीय भाषा का संबंध है, पटना रेडियो स्टेशन सप्ताह में केवल 30 मिनट अर्थात् एक महीने में 4 घंटे इस क्षेत्रीय भाषा के कार्यक्रम देता है, जो इस क्षेत्र के लोगों की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं। ऐसे अन्य राज्य भी हैं जिनमें इस समय उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर नहीं हैं ।

(ख) जी, नहीं । पटना का 20 किलोवाट का ट्रांसमीटर पूरी तरह से चालू हालत में है और वह अपनी पूरी शक्ति के साथ विकीर्ण कर रहा है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) गया और बोध गया दोनों विविध भारती कार्यक्रम प्रसारित करने वाले पटना के एक किलोवाट के वर्तमान मीडियम वेव ट्रांसमीटर की सेवा परिधि के अन्दर नहीं आते ।

(ङ) और (च) आकाशवाणी, पटना से हिन्दी में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को इस क्षेत्र में व्यापक रूप से सुना और समझा जाता है । इसके अलावा/सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के लिए मंच उपलब्ध करने के लिए आकाशवाणी, पटना से मगधी में भी सप्ताह में दो बार 30-30 मिनट की अवधि के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं और इसे पर्याप्त समझा जाता है ।

टेलीफोन प्रभार में वृद्धि

4711. श्रीमती प्रमिला दण्डवते : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 से टेलीफोन प्रभारों में कितनी बार वृद्धि हुई है; और

(ख) किसी प्रयोक्ता द्वारा एक सही "काल" करने के लिए कितने गलत "काल" होते हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) 1980 के बाद तीन बार अर्थात 1-9-1980, 1-7-1981 तथा 1-3-1982 से टेलीफोन प्रभार में वृद्धि की गई है।

(ख) कुल की गई कालों का एक छोटा भाग ही गलत कालों के रूप में होता है। एक ठीक काल के लिए गलत कालों की संख्या का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है क्योंकि गलत कालें एक्सचेंज उपस्कर की कुछ दोषपूर्ण परिस्थितियों, टेलीफोन डायल, अथवा उपभोक्ता द्वारा डायलिंग के तरीके के कारण हो सकती हैं।

शीरे का उत्पादन और मांग

4712. श्री सुधीर गिरि : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में शीरे की कुल मांग और उत्पादन कितना है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल की मांग के अनुसार उसकी सप्लाई की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार शीरे की वर्तमान वितरण प्रणाली में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) वर्तमान अल्कोहल वर्ष 1981-82 (दिसम्बर-नवम्बर) में 29 लाख टन की मांग की तुलना में 30 लाख टन शीरा उपलब्ध होने की आशा है।

(ख) वर्तमान अल्कोहल वर्ष 1981-82 में पश्चिम बंगाल को अधिकता वाले राज्यों से शीरा की पर्याप्त मात्रा का आवंटन किया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

आयात की गई जीवन रक्षक औषधियों का उपलब्ध न होना।

4713. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में कैंसर और अन्य घातक रोगों के लिए आयात की गई कुछ जीवन रक्षक औषधियों के उपलब्ध न होने के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या इस बारे में कुछ अपमिश्रण के मामले भी सरकार के नोटिस में लाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन औषधियों की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) कुछ स्थानों में माइलेरन, लुकेरन और अल्केरन जैसी कुछ कैंसर निरोध औषधियों की अनुपलब्धता की सूचना समय-समय पर मेरे मंत्रालय के देख-रेख सैल को प्राप्त हुई है। इन सब मामलों में सम्बन्धित निर्माता, मै० बुरोज वैलकम को प्रभावित स्थानों में सप्लाई भेजने के लिए तार द्वारा सलाह दी गई है। इन औषधों की सीमित अथवा मध्यवर्ती मांग और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत फार्मूलेशनों का आयात करने की अनुमति दी गई है।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अनुसार आयातित कैन्सर निरोधी और अन्य जीवन रक्षक औषधों में मिलावट का कोई मामला उनके ध्यान में नहीं आया है।

कम्पनियों द्वारा जमा राशियों का भुगतान

4714. **श्री चित्त बसु** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम्पनियों द्वारा जनता को जमा राशियां निर्धारित तारीखों पर भुगतान न किए जाने के बारे में अनेक शिकायतें हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ऐसी शिकायतों के निपटान हेतु कम्पनी अधिनियम में उचित संशोधन करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) हां, श्रीमान् जी। गैर-बैंकिंग, गैर-वित्तीय कम्पनियों, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क के सीमान्तर्गत आती हों, द्वारा जमा राशियों को अदा न करने सम्बन्धी शिकायतें कम्पनी कार्य विभाग में समय-समय पर प्राप्त होती रहती है।

(ख) तथा (ग) उच्चाधिकार विशेषज्ञ समिति (सच्चर समिति) ने अपनी रिपोर्ट (30-8-1978 को सदन के पटल पर प्रस्तुत की गई) में साथ-साथ जमाकर्त्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए कुछ शिफारिशें की हैं। ये सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं, एवं इन तथा अन्य सिफारिशों पर निर्णय हो जाने पर, यथाशीघ्र एक संशोधनकारी कानून संसद में पुनः स्थापित किया जाएगा।

कोयला विक्रेताओं को कोयला वितरण

4715. **श्री रणजीत सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा कोयला विक्रेताओं के साथ विभिन्न स्टैण्डर्ड अपनाया जाता है; और

(ख) क्या एक समान आदेशों पर कुछ विक्रेताओं को उत्तम श्रेणी का कोयला जारी किया जाता है जबकि अन्यों को घटिया श्रेणी का कोयला जारी किया जाता है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) कोयला कम्पनियां अच्छे ग्रेड का कोयला वास्तविक उपभोक्ताओं अथवा व्यापारियों को, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रयोजन के आधार पर, बेचती हैं। कोयले की अधिक उपलब्धि का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुँचाने की दृष्टि से घटिया ग्रेडों का कोयला बिना किसी प्रतिबन्ध के खुली बिक्री में दिया जा रहा है। बढ़िया ग्रेडों का कोयला भी उपभोक्ताओं को कुछ आवश्यक विवरण प्रस्तुत करने—जैसे बिक्री कर पंजीकरण संख्या, शपथ पत्र, आदि—पर आवंटित किया जाता है। भारत कोकिंग कोल लि० और सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० कोयला डीलरों को कोयला देने के संबंध में भली भांति विचार करके निर्धारित की गई क्रियाविधि का पालन करते हैं। व्यापारियों को कोयला देने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं दिखाया जाता।

बड़े व्यापारिक घरानों द्वारा पैदा की गई मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति

4716. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाले एक बड़े एकाधिकार व्यापारिक घराने अपनी अधिक बिकने वाली मदों के वितरण में पाबन्दी लगाते हैं और अवरोधक व्यापार प्रथा अधिनियम का उल्लंघन करते हैं जिसके परिणामस्वरूप वस्तुओं का अभाव उत्पन्न किया जाता है जिसमें सहेषर्णा मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति और चोरी छिपे व्यापार होता है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को रोकने और उनकी गलत गतिविधियों को जांच करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) तथा (ख) वृहद् घरानों के उपक्रमों सहित कुछ निजी क्षेत्र के उपक्रम अपनी अधिक बिकने वाली वस्तुओं के साथ अपनी कम बिकने वाली वस्तुओं की बिक्री, को बन्धित करने का सबल प्रयास करते हैं। जब कभी एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग की उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्रथम दृश्या इस प्रकृति के अवरोधक व्यापारिक व्यवहारों की बाबत संतुष्टि होने पर, जांच संस्थापित की जाती है, एवं जांच के पश्चात् जब उन्हें यह विश्वास हो जाता है कि यह व्यापारिक व्यवहार, अवरोधक है व "जनहित" के लिए आघातकारी है, तो इस प्रकार के व्यवहार को समाप्त करने के लिए, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 37 के अन्तर्गत आवश्यक

आदेश पारित किया जाता है। आयोग के आदेश पारित करने के पश्चात, यदि कोई उपक्रम फिर भी इस प्रकार के अवरोधक व्यापारिक व्यवहारों में लिप्त हुआ पाया जाता है, तो इस प्रकार के उपक्रमों के विरुद्ध एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 50 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

नागालैण्ड की पन-विद्युत परियोजना

4717. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नागालैण्ड की पन-विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजना का कार्य शुरू करने की तारीख क्या है और परियोजना को चालू करने की लक्षित तिथि क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) 64.86 लाख रुपयों की लागत की, 1000 किलोवाट की प्रतिष्ठापित क्षमता वाली दिखू माइक्रो जल विद्युत स्कीम इस समय नागालैण्ड में निर्माणाधीन है। इस परियोजना के 1983-84 में चालू हो जाने की संभावना है।

इसके अतिरिक्त डोयांग जल विद्युत परियोजना, जिसमें 96.31 करोड़ रुपयों की अनुमानित लागत पर, 35-35 मेगावट की तीन यूनिटों की प्रतिष्ठापना की परिकल्पना है, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मार्च, 1981 में स्वीकृत कर दी गई थी, बशर्ते कि :

(क) पर्यावरण विभाग से पर्यावरण सम्बन्धी स्वीकृति मिल जाए।

(ख) निर्माण के लिए एजेन्सी के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया जाए। पर्यावरण की दृष्टि से इस स्कीम के लिए पर्यावरण विभाग की स्वीकृति लेनी होगी। परियोजना रिपोर्ट तैयार करने वाले नागालैण्ड प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, डोयांग जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य 8 वर्षों की अवधि में पूरा होने की संभावना है। इसमें निर्माण से पूर्व के कार्यों की एक वर्ष की अवधि भी शामिल है।

बिहार में बिजली की स्थिति

4718. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में बिजली की कुल संस्थापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन तथा वितरण की नवीनतम स्थिति तथा पांच वर्षों के उनके तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ख) भारत, बिहार, उत्तरी बिहार और बिहार के बाकी भाग में, पृथक-पृथक प्रति व्यक्ति बिजली की कितनी खपत है और उत्तरी बिहार को बिहार के शेष भाग तथा सारे बिहार को सारे भारत के स्तर पर लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या बाराह क्षेत्र में कोसी नदी पर बहुउद्देश्यीय बांध 3300 मेगावाट बिजली का

उत्पादन कर सकता है और इस पर अन्य बांध 1000 मेगावाट पन-बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, यदि हां, तो इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) बिहार में वर्तमान प्रतिष्ठापित क्षमता 941 मेगावाट है। इसमें 791 मेगावाट ताप विद्युत क्षमता तथा 150 मेगावाट जल विद्युत क्षमता है। अप्रैल, 1981 से फरवरी, 1982 तक की अवधि के दौरान बिहार में वास्तविक उत्पादन 2370 मिलियन यूनिट हुआ जिसमें 2204 मिलियन यूनिट ताप विद्युत तथा 166 मिलियन यूनिट जल विद्युत उत्पादन शामिल है। अप्रैल से फरवरी, 1982 की अवधि के दौरान बिहार में ऊर्जा की खपत 2315 मिलियन यूनिट थी। 1976-77 से 1980-81 की अवधि के दौरान बिहार की प्रतिष्ठापित क्षमता, ऊर्जा उत्पादन और ऊर्जा की खपत के बारे में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) वर्ष 1980-81 के दौरान देश में बिजली की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 155.62 यूनिट थी। इसकी तुलना में यह उपलब्धता उत्तरी बिहार में 14:82 यूनिट, दक्षिणी बिहार में 43.4 यूनिट, छोटा नागपुर में 249.06 यूनिट तथा बिहार राज्य में 82.38 यूनिट है। राज्य में विद्युत उपलब्धता और विद्युत की खपत में सुधार करने की दृष्टि से छठी योजना अवधि 1980-85 के दौरान 725 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता चालू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ग) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तैयार की गई व्यवहार्यता रिपोर्ट से पता चलता है कि कोसी से तथा नेपाल में इसकी सहायक नदियों से 3300 मेगावाट की सीमा तक, जल विद्युत विकास की संभाव्यताएं हैं। जल विद्युत परियोजना के स्थापित करने के बारे में निर्णय, नेपाल तथा भारत की सरकारों के बीच होने वाले समझौते पर निर्भर करेगा।

विवरण

पिछले पांच वर्षों के दौरान बिहार में प्रतिष्ठापित संयंत्र क्षमता, ऊर्जा उत्पादन, तथा ऊर्जा की खपत

	1976-77	1977-78	1978-79	1979-1980	1980-1981
प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)					
जल विद्युत	15.00	85.00	85.00	85.00	150.00
ताप विद्युत	696.64	805.27	806.08	805.45	791.45
जोड़	711.64	890.27	891.08	890.45	941.45
ऊर्जा उत्पादन/मिलियन यूनिट					
जल विद्युत	12.21	42.60	116.78	77.77	50.73
ताप विद्युत	2453.14	2535.60	2356.09	2563.41	2129.96
जोड़	2465.35	2578.20	2472.87	2641.18	2280.69
र्जा की खपत (मिलियन यूनिट)					
	4095.31	4209.51	4357.30	3941.07	3755.04

खाना पकाने की गैस का उत्पादन

4719. **श्री आर० पी० गायकवाड़ :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रतिवर्ष खाना पकाने की गैस का वर्तमान उत्पादन कितना है;

(ख) देश में और गुजरात में जनवरी, 1982 के अंत तक खाना पकाने के गैस कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में कितने लोग हैं; और

(ग) गुजरात में प्रतीक्षा सूची में से जनवरी, 1982 के अन्त तक कुल कितने गैस कनेक्शन पहले ही दिये जा चुके हैं और इस साल (1982) के अन्त तक कितने गैस कनेक्शन दिये जाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) वर्ष 1981-82 के लिए एल० पी० जी० (खाना पकाने की गैस) का अनुमानित उत्पादन लगभग 5 लाख मी० टन है।

(ख) जनवरी, 1982 की यथा स्थिति में एल० पी० जी० कनैक्शनों की प्रतीक्षा सूची में देश में लगभग 40 लाख आवेदन कर्ता हैं जिसमें गुजरात के लगभग 6 लाख आवेदन कर्त्ता सम्मिलित हैं।

(ग) फरवरी और नवम्बर, 1981 की अवधि के दौरान गुजरात में कुल लगभग 50,000 नए एल० पी० जी० कनैक्शन जारी किये जा चुके हैं। जनवरी, 1982 के अन्त की स्थिति के ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं है। वर्ष 1982-83 के लिए राज्यवार नाम दर्ज करने की योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

सच्चर समिति की सिफारिशों के विरुद्ध
एम० आर० टी० पी० अधिनियम में संशोधन

4720. **श्री राम विलास पासवान :** क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार का सच्चर समिति की सिफारिशों के विरुद्ध एकाधिकार और अवरोधक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम में संशोधन करने का विचार है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के कतिपय उपबन्धों के संशोधनों के लिये सच्चर समिति के सुझावों पर समग्रतः उनके सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों की उपलब्धि के लिये सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। शीघ्र भविष्य में इस सम्बन्ध में अपेक्षित कानून को पुरः स्थापित करने के पग उठाये जा रहे हैं।

ऊर्जा की बचत हेतु योजना

4721. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुरानी प्रौद्योगिकी और प्रबन्ध दक्षता में कमी के कारण ऊर्जा के तेजी से बढ़ते हुए उपभोग का अध्ययन किया है ;

(ख) क्या सरकार ने दक्षता और आधुनिकीकरण द्वारा ऊर्जा की बचत के लिए कार्यवाही करने की योजना बनाई थी; और

(ग) क्या दक्षता और अधिक उत्पादन सुनिश्चित करके बिजली की खपत में बचत करने के बारे में कोई अध्ययन किया गया था और उसके परिणाम-स्वरूप कितनी बचत होने का अनुमान है और देश में ऊर्जा के बेहतर प्रबन्ध हेतु क्या प्रस्ताव हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं, सरकार ने "पुरानी प्रौद्योगिकी और प्रबन्ध दक्षता में कमी के कारण ऊर्जा के तेजी से बढ़ते हुए उपभोग का कोई अध्ययन" नहीं किया है। बिजली की खपत में बढ़ोतरी विभिन्न बातों पर निर्भर करती है, जिसमें जन-संख्या में वृद्धि, अर्थ-व्यवस्था में बढ़ोतरी, ऊर्जा के अन्य प्रकारों के स्थान पर बिजली का उपयोग आदि शामिल हैं। यह सम्भव नहीं है कि प्रत्येक कारण से बिजली की खपत में वृद्धि पर पड़े प्रभाव को अलग-अलग किया जा सके।

(ख) और (ग) कृषि क्षेत्र में ऊर्जा की बचत के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए सचिव, सिंचाई मंत्रालय की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति गठित की गई है। औद्योगिक क्षेत्र के लिए, सरकार ने एक ऊर्जा संरक्षण अन्तर मंत्रालयीय कार्यकारी दल गठित किया है। विद्युत ऊर्जा के संरक्षण के लिए भी एक स्थायी दल गठित किया गया है जिसके संयोजक मुख्य-अभियन्ता (योजना), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण हैं, इसका गठन विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत ऊर्जा के समुपयोजन की और संरक्षण के विभिन्न पहलुओं की जांच करने और विद्युत उर्जा के उपयोग की कार्यक्षमता बढ़ाने और संरक्षण हेतु विशेष प्रस्ताव तैयार करने के उद्देश्य से किया गया है। राष्ट्रीय उत्पादन परिषद और पेट्रोलियम संरक्षण अनुसन्धान संगठन द्वारा भी एक अध्ययन किया गया था। उनके सुझावों के परिणामस्वरूप, सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण के लिए विभिन्न कदम उठाये गए हैं। विद्युत समिति की रिपोर्ट के अनुसार, संरक्षण सम्बन्धी विभिन्न प्रकार के उपायों को अपनाने से औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत के उपभोग में 20% की बचत की जा सकती है।

अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, बर्लिन में भारतीय फिल्मों का प्रदर्शन

4722. **श्री सुभाष यादव :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि हाल में बर्लिन में हुए अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भारतीय फिल्मों को दिखाने की अनुमति नहीं दी गई;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्रवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (घ) भारत ने बर्लिन में हुए फिल्म समारोह में "अन्तर्राष्ट्रीय युवा सिनेमा मंच", जो इस समारोह का प्रतिष्ठित विभाग है, में दो भारतीय फिल्मों "भवानी भवाई" और "अश्वत्थामा" के प्रदर्शन के माध्यम से भाग लिया था। इसके अलावा, कुछ भारतीय फिल्में बाजार विभाग में भी प्रदर्शित की गई थीं। तथापि, आयोजकों द्वारा किसी भी भारतीय फिल्म को उक्त समारोह के प्रतियोगिता विभाग में भाग लेने के लिए नहीं चुना गया था।

केरल में सलाहकार समिति

4723. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में विभिन्न स्तरों पर कितनी टेलीफोन सलाहकार समितियां काम कर रही हैं, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान इन समितियों की कितनी बैठकें बुलाई गई थीं और उन बैठकों में क्या निर्णय लिए गये थे ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) केरल में फिलहाल कोई टेलीफोन/दूरसंचार सलाहकार समिति कार्य नहीं कर रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

तमिलनाडु में होगेनेकल ताप संयंत्र के पूरा होने में विलम्ब

4724. **श्री इरा मोहन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में होगेनेकल ताप संयंत्र के पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या इसका सम्बन्ध तमिलनाडु तथा केरल के बीच काबेरी नदी विवाद के समझौते से भी है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) तमिलनाडु में होगेनेकल ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त नहीं हुआ है।

टाईगर हिल, दार्जिलिंग में टी० वी० रिले ट्रांसमीटर की स्थापना

4725. **श्री आनन्द पाठक** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री की ओर से, छठी योजना के दौरान, टाई-

गर हिल, दार्जिलिंग में एक टी० वी० रिले ट्रांसमीटर स्थापित किये जाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या सिक्किम के मुख्य मंत्री ने भी उक्त प्रस्ताव का समर्थन किया है तथा केन्द्रीय सरकार से उसे स्वीकार करने का अनुरोध किया है ताकि सिक्किम में भी दूरदर्शन के प्रसारण किये जा सकें; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उक्त प्रस्ताव को स्वीकार करने तथा उसे क्रियान्वित करने हेतु क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार किया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) दूरदर्शन सेवा के लिए जिन क्षेत्रों को अग्रता दी जानी है, उनमें स्थित रिले ट्रांसमीटरों के साथ "इन्सैट" उपग्रह द्वारा पोषित राष्ट्रीय सेवा स्थापित करने का प्रस्ताव है। पश्चिम बंगाल में कुर्सियांग इस प्रकार का एक स्थान है जो उत्तरी बंगाल के मैदानों, दार्जिलिंग के पहाड़ी जिले और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों को कवर करेगा।

जांलधर का संचार उपग्रह के माध्यम से कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास से जोड़ना

4726. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जांलधर को संचार उपग्रह प्रणाली द्वारा कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : जांलधर भू-केन्द्र को उपग्रह जाल कार्य के माध्यम से कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के साथ जोड़ने की योजना इंसैट (भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह) परियोजना का एक अंग है जिसकी 1982 के मध्य तक चालू होने की संभावना है।

देश में खराब—टेलीफोन व्यवस्था के बारे में बढ़ती हुई शिकायतें

4727. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनता की ओर से इस आशय की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं कि देश में वर्तमान टेलीफोन व्यवस्था बहुत ही दोषपूर्ण तथा निष्प्रभाव है; और

(ख) यदि हां, तो देश में टेलीफोन व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या कारगर उपाय किए जा रहे हैं और यह सेवा कब तक प्रभावपूर्ण हो जाएगी ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ख) जी, नहीं। वास्तव में जनता से प्राप्त होने वाली शिकायतों में कमी आई है। फिर भी, देश की टेलीफोन प्रणाली में सुधार लाने हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(एक) प्राथमिक, गौण तथा जंकशन केबलों का गैस दाबीकरण करना ताकि दोषों का शीघ्र पता लगाया जा सके;

(दो) महत्वपूर्ण मार्गों पर केबलों का डक्ट में बिछाना;

(तीन) नमी से बचाने के लिए वितरण जालकार्य में जेली भरे केबलों का प्रयोग;

(चार) उपभोक्ता कनेक्शन के लिए इंसुलेटेडड्राप वायर का प्रयोग;

(पांच) उपभोक्ता के अहाते की फिटिंग में तांबे की तार के स्थान पर अल्यूमिनियम की तार लगाना;

(छः) अनुपस्थिति का सामना करने के लिए प्रशिक्षित टेलीफोन आपरेटरों तथा अंशकालिक टेलीफोन आपरेटरों का प्रशिक्षित आरक्षित पूल रखना;

(सात) शिकायतों का उचित रिकार्ड रखने, केबल रिकार्ड, डायरेक्टरी इन्क्वारी आदि हेतु इन-हाउस कम्प्यूटर सेंटर की स्थापना;

(आठ) इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों को प्रारम्भ करके जालकार्य को आधुनिक बनाना; और

(नौ) समयबद्ध कार्यक्रम पर कलकत्ता तथा दिल्ली टेलीफोन प्रणालियों के बाह्य संयंत्र जालकार्य का दर्जा बढ़ाने हेतु कार्य दलों का गठन भी किया गया है।

कैंपरोलेक्टम का आयात और उत्पादन

4728. **श्री प्रताप भानु शर्मा :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य उर्वरक कंपनी ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह कैंपरोलेक्टम के उत्पादन की देशीय क्षमता का अधिकतम उपयोग करने की दृष्टि से उस पर लगे आयात शुल्क में उपयुक्त फेर-बदल करें;

(ख) क्या अक्तूबर, 1981 से फरवरी 1982 के दौरान कैंपरोलेक्टम के देशीय उत्पादन में कमी के कारण देश को 85 लाख डालर की विदेशी मुद्रा की हानि हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस दिशा में क्या प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) गुजरात राज्य फर्टिलाइर्ज कम्पनी (जी० एस० एफ० सी०) ने कैंपरोलेक्टम पर आयात शुल्क में संशोधन करने के लिए अनुरोध किया है।

(ख) वर्ष 1979, 1980 और 1981 के दौरान, जी० एस० एफ० सी० द्वारा कैंपरोलेक्टम का उत्पादन क्रमशः लगभग 13,930 मी० टन, 13,945 मी० टन और 11,808 मी० टन था; इस प्रकार मासिक औसत उत्पादन क्रमशः 1161 मी० टन, 1162 मी० टन और 984 मी० टन था। अक्तूबर 1981 से फरवरी 1982 की अवधि के दौरान, उत्पादन करीब 2540 मी० टन था अर्थात् प्रति मास औसतन 508 मी० टन था। उपर्युक्त अवधि के दौरान आयातित कैंपरोलेक्टम का सी० आई० एफ० मूल्य प्रति मी० टन लगभग 1600 डालर था। इसलिए, यह कहना ठीक नहीं है कि देश ने 8.5 मि० डालर की विदेशी मुद्रा खोई है।

(ग) जी० एस० एफ० सी० के अनुसार कैंपरोलेक्टम का कम उत्पादन इस कारण से हुआ

था कि प्रयोगकर्ता उद्योग अपना कैंपरोलेक्टम नहीं उठा रहा था।

(घ) ये मामले सरकार के विचाराधीन हैं। कैंपरोलेक्टम की मांग और मौजूदा घरेलू क्षमता से इसकी सप्लाई के बीच दीर्घकालीन अन्तराल और बढ़ेगा। देश में कैंपरोलेक्टम के निर्माण के लिए अतिरिक्त क्षमता स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है।

बिहार में गांवों का विद्युतीकरण

4729. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वाधीनता प्राप्त हो जाने के बाद भी कुल 67566 गांवों में से अब तक केवल 19605 गांवों का, अर्थात् केवल 29 प्रतिशत गांवों का ही विद्युतीकरण हो पाया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि बिहार में छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में नये बिजली घर स्थापित करने हेतु लगभग 2000 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या केन्द्र सरकार का विचार बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को देखते हुए बिहार में वर्तमान बिजली के संकट को दूर करने हेतु तथा इस हेतु अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान करने के लिये कुछ कदम उठाने का है?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) बिहार राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त हुई रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के कुल 67666 गांवों से अक्टूबर, 1981 के अन्त तक 22499 गांव विद्युतीकृत कर दिए गए हैं, जो 33.3% बैठते हैं।

(ख) और (ग) बिहार सरकार ने राज्य में विद्युत क्षेत्र के लिए छठी योजना में 968.12 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखा था, जिसमें से 377.95 करोड़ रुपये निर्माणाधीन विद्युत उत्पादन स्कीमों के लिए तथा 190.96 करोड़ रुपये नई विद्युत उत्पादन स्कीमों के लिए थे तथापि योजना आयोग ने 800 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमोदन किया था जिसमें से 428.95 करोड़ रुपये निर्माणाधीन स्कीमों के लिए तथा 50.46 करोड़ रुपये नई स्कीमों के लिए थे। वर्तमान कार्यक्षमता के कुशल और कारगर समुपयोजन से तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं को समय पर पूरा कर लेने से यह आशा की जाती है कि राज्य की विद्युत की वर्तमान आवश्यकता पूरी हो जाएगी।

टेलीफोनों के कल-पुर्जों का उत्पादन

4730. **डा० सरदीश राय :**
श्री सैफुद्दीन चौधरी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बनाए जा रहे टेलीफोनों के कल-पुर्जों के लिए सरकार के मानीकरण कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या घटिया किस्म के टेलीफोन उपकरणों के कारण मानव चालित टेलीफोन एक्सचेंजों को हानि पहुँच रही है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त स्थिति में सुधार करने हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) टेलीफोन पुर्जों के मानीकरण के लिए कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है क्योंकि मूल उपकरण में लगाए जाने वाले पुर्जों पर लागू मानक विनिर्देशनों के अनुसार इनका विनिर्माण किया जा रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के ताप बिजली केन्द्रों के कार्यकरण की जांच हेतु अध्ययन दल

4731. **श्री जैनुल बशर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के किसी अध्ययन दल ने उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा संचालित ताप बिजली केन्द्रों के कार्यकरण की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इन ताप बिजली केन्द्रों के कार्यकरण में सुधार हेतु क्या सुझाव दिए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) ओबरा ताप विद्युत केन्द्र की समस्याओं पर गौर करने के लिए एक समिति अप्रैल, 1981 में बनाई गई थी।

(ख) समिति के निष्कर्ष निम्नलिखित हैं :

(1) 200 मेगावाट के सभी यूनिटों में राख हैण्डलिंग प्रणाली संतोषजनक रूप में कार्य नहीं कर रही है और इसलिए इस प्रणाली में सुधार करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम की आवश्यकता थी।

(2) ओबरा में सुरक्षात्मक अनुरक्षण के लिए पहले से प्रतिष्ठापित बाडमा मशीन कार्य नहीं कर रही थी और इसलिए सुरक्षात्मक अनुरक्षण कार्यक्रम तैयार नहीं किए गए थे और उनका पालन नहीं किया गया था।

(3) यूनिट के ट्रिपिंग का विश्लेषण करने की प्रणाली विद्युत केन्द्र में नहीं थी।

(4) यह देखा गया है कि महत्वपूर्ण जटिल स्टार्ट-अप पैरामीटरों को रिकार्डबद्ध नहीं किया जा रहा है।

(5) जहां कहीं अविलम्बरूप आनुषंगिक उपलब्ध थे वे कई मौकों पर एक माह से अधिक अनुरक्षणाधीन रखे जाते हैं। परिणामस्वरूप जब भी आवश्यकता हुई, अविलम्बरूप से आनुषंगिक उपलब्ध न हो सके।

(6) प्रचालन पैरामीटरों और अन्य प्रचालन कमियों और अनियमितताओं को बारीकी से मानीटरिंग करने के लिए कोई भी सुव्यवस्थित प्रबन्ध नहीं है।

(7) इंजीनियरों को प्रचालन ड्यूटी पर पदस्थ करने से पूर्व उन्हें प्रशिक्षण देने की कोई भी उचित पद्धति नहीं है।

(8) अनुरक्षण योजना प्रभाग नहीं था और इसलिए यह आवश्यक था कि इस कार्य के लिए एक अलग यूनिट बनाया जाए ताकि वार्षिक और आद्योपान अनुरक्षण कार्यों को कारगर बनाया जा सके।

(9) विद्युत केन्द्र के उपस्करों की ढुलाई के लिए कोई निजी व्यवस्था न होने की स्थिति में केन्द्र प्राधिकारियों को इस कार्य के लिए ठेके पर कार्य करवाने का सहारा लेना पड़ता था। यह आवश्यक था कि यूनिटों का भंडार सामग्री भेजने के लिए उनके पास अपने उपस्कर हों।

(10) नियंत्रण और इन्स्ट्रूमेंटेशन उपस्करों के लिए कोई उपयुक्त प्रशिक्षित स्टाफ नहीं है।

(11) ओबरा का साइज जैसे बड़े ताप विद्युत केन्द्र की देखभाल के लिए तत्कालीन संगठन ढांचा उपयुक्त और पर्याप्त नहीं था।

(12) कोयले की गुणवत्ता में भारी उतार-चढ़ाव थां।

(13) प्रोत्साहन बोनस स्कीम में सुधार की आवश्यकता है।

(14) विद्युत केन्द्र में अनुशासनहीनता बढ़ रही थी।

(15) कार्मिकों के सही प्रशिक्षण देने और उनकी सही तैनाती करने और अन्य प्रशासनिक बातों की आवश्यकता थी।

(ग) विद्युत केन्द्रों के कार्य-करण में सुधार लाने के सम्बन्ध में समिति की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :

(1) वित्तीय प्रबन्ध, जिसके लिए वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी की नियुक्ति आवश्यक है, प्रचालन तथा अनुरक्षण कार्य के लिए निधियों की उपलब्धता, बड़े ओवरहाल और नवीकरण के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, उत्पादन प्रोत्साहन बोनस तथा रात्रि भत्ते आरंभ करना।

(2) प्रशासनिक प्रबन्ध, जिसके लिए उपयुक्त स्तरों पर प्रशासनिक तथा तकनीकी कार्मिकों की नियुक्ति आवश्यक है।

(3) प्रचालन तथा अनुरक्षण प्रबंध जिसके लिए अनुरक्षण कार्य की गुणवत्ता में सुधार, मिलों का अनुरक्षण, परिवहन उपस्करों की व्यवस्था, नियंत्रण तथा इन्स्ट्रूमेंटेशन उपस्करों के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता, ब्राडमा के जरिए सुरक्षात्मक अनुरक्षण अपनाना, उपयुक्त अनुरक्षण आयोजना, फालतू पुर्जों के प्रबन्ध का विकास, ट्रिपिंग का विश्लेषण आरम्भ करना।

मंत्रियों द्वारा टेलीफोनों / ट्रंक कालों में टैलैक्स और अन्य संचार अधिभारों पर किया गया खर्च

4732. डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 तथा 1981 के दौरान प्रत्येक मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री के बंगले या निवास तथा कार्यालय पर लगे टेलीफोनों के ट्रंक कालों के टैलैक्स सन्देशों तथा अन्य संचार संदेशों के अधिभार स्वरूप कुल कितनी राशि के बिल आए ;

(ख) क्या प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री ने सभी मंत्रियों को लिखा है कि वे अपने संचार साधनों, टेलीफोनों, टैलैक्स आदि पर होने वाले खर्चों को नियंत्रित करें तथा उनमें कटौती करें ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार उन लोगों के विरुद्ध क्या कदम उठाने का है जो संचार अधिभारों की आयोजित सीमा का अतिक्रमण करते हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दामोदर घाटी निगम द्वारा विद्युत उत्पादन

4733. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी निगम ने वर्ष 1979-80, 1980-81 तथा 1981-82 (31 दिसम्बर 1981 तक) के दौरान प्रत्येक वर्ष औसतन कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन किया तथा तदनुसार कितने किलोवाट बिजली का प्रजनन हुआ ;

(ख) क्या उपरोक्त भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित उत्पादन के संदर्भ में दामोदर घाटी निगम के लिये यह संभव था कि वह अपने उपभोक्ताओं को दिये गये वायदों को पूरी तरह पूरा कर पाता ; और

(ग) दामोदर घाटी निगम को स्थायी आधार पर निश्चित रूप से वस्तुतः कितनी बिजली पैदा करनी चाहिए और गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष उसका वास्तविक उत्पादन क्या रहा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) वर्षवार ताप विद्युत का औसत उत्पादन निम्नानुसार है :

	मिलियन (यूनिट)	औसत (मेगावाट)
1979-80	4429	505
1980-81	4140	472
1981-82 (31.12.81 तक)	4328	655

(ख) सभी मदों पर नहीं।

(ग) वर्तमान प्रतिष्ठापित ताप विद्युत क्षमता पर दामोदर घाटी निगम की सुनिश्चित क्षमता 789 मेगावाट है। पिछले तीन वर्षों में दामोदर घाटी निगम द्वारा किया गया वास्तविक उत्पादन ऊपर भाग (क) में दिया गया है।

कोयला खान श्रमिकों को अनिवार्य जमा योजना की राशि की अदायगी

4734. **श्री मोहम्मद इस्माईल** : क्या इस्पात तथा खान मंत्री कोरबा क्षेत्र की कोयला खानों के श्रमिकों के वेतनों में काटी गई अनिवार्य जमा योजना की राशि के बारे में दिनांक 8 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2774 तथा 2775 तथा 2776 के उत्तर के सन्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तत्संबंधी जानकारी एकत्रित कर ली है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त जानकारी एकत्रित करने में कितना समय लगेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) जी, हां। अतारांकित प्रश्न संख्या 2775 और 2776 के संबंध में दिए गए आश्वासन भी पूरे कर दिए गए हैं। अतारांकित प्रश्न संख्या 2774 के संबंध में दिया गया आश्वासन पूरा करना अभी संभव नहीं हो सका है क्योंकि सूचना प्रत्येक कोलियरी से एकत्र की जानी है जिसमें समय लग जाएगा।

(ग) आशा है कि यह सूचना अगले तीन महीनों के भीतर ही प्रस्तुत कर दी जाएगी।

विज्ञापन प्रसारण सेवा

4735. **श्री जगदीश टाइटलर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 1 अप्रैल, 1982 से अपने प्राथमिक चैनल से विज्ञापन प्रसारण सेवा आरम्भ करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इससे विविध भारती के प्रसारणों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) विज्ञापन प्रसारण सेवा देश की कुल 10 प्रतिशत जनसंख्या को ही सेवा प्रदान करती है और वह भी शहरी केन्द्रों तक ही सीमित है। यह इसलिए है क्योंकि यह सेवा आकाशवाणी के 85 केन्द्रों में से केवल 28 केन्द्रों से ही प्रसारित होती है। नेट-वर्क के प्राथमिक चैनलों का उपयोग करने से विज्ञापन सेवा की पहुंच अन्दरूनी और ग्रामीण जनसंख्या के लिए करने तथा विज्ञापन सेवा के लिए अलग ट्रांसमीटरों के लिए पूंजीगत निवेश से बचने के दोहरे लाभ प्राप्त होंगे।

(ग) जी, नहीं।

औषधों की उनके मूल नामों में बिक्री

4736. श्री के० टी० शर्मा : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन औषधों के नाम क्या है जिनके बारे में यह निर्णय किया गया है कि हाथी समिति द्वारा दिये गए सुझावों के अनुसार उनकी बिक्री उन के मूल नामों में की जाये तथा जिनके बारे में सरकार ने उन्हें उनके मूल नाम से बेचने देने का निर्णय नहीं किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ वाणिज्यिक कंपनियां यह नीति अपनाये जाने पर दबाव डाल रही हैं कि कुछ औषधों को उनके मूल ब्रांड नामों से बेचा जाये, और

(ग) यदि नहीं, तो क्या कारण है कि सरकार समूचे तौर पर लोकहित में कोई निर्णय नहीं कर सकी है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) हाथी समिति ने यह सिफारिश की थी कि प्रारम्भ में विवरण में दर्शाए गए 13 औषधों से सम्बन्धित सभी प्रकार की खुराकों वाली दवाईयों के ब्रांड नामों को समाप्त किया जाये । तथापि, सरकार ने हाथी समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात यह निर्णय लिया कि प्रारम्भ में एस्प्रिन, अनलजिन, क्लोरप्रोमाजाइन, फैरस सल्फेट और पिपराजाइन तथा उसके लवणों के ब्रांड नामों को समाप्त किया जाए और इन पांच औषधों की एकल खुराक वाली सभी दवाईयों को सामान्य नामों से बेचा जाएगा । इसके अलावा एकल खुराक वाली नई दवाइयों को जब पहली बार प्रचलन में लाया जाये तो उनको ब्रांड नाम के अन्तर्गत बेचे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ख) और (ग) उपरोक्त भाग (क) में बताये गए निर्णय का कार्यान्वयन करने के लिए भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जनवरी, 1981 में औषध और प्रसाधन नियमों में संशोधन करते हुए आवश्यक अधिसूचना जारी की थी । इस अधिसूचना के अनुसार उपरोक्त पांच औषधों को 1-8-1981 से सामान्य नामों के अन्तर्गत बेचा जाना अपेक्षित था तथापि, उपरोक्त संशोधन लागू होने से पहले कुछ औषध कंपनियों ने सरकार के निर्णय के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में समादेश याचिका दायर कर दी थी । अतः यह मामला अभी न्यायालय के अन्तर्गत है ।

विवरण

1. क्लोरमफेनिकोल
2. टेट्रासाइक्लोन
3. फेरस सल्फेट
4. एस्प्रिन
5. क्लोरप्रोमाजाइन
6. रिसेरपाइन

7. टालबुटामाइड

8. अनलजिन

9. पिपराजाइन

10 क्रिस्टेलाइन पेनिसिलिन जी

11. स्ट्रेप्टो माइसीन

12. आई० एच० एच० गोलियां

13. गोलियां आई० एन० एच० थिया सिटाजोन

गुडगांव को सीधे टेलीफोन डायल सेवा द्वारा प्रमुख नगरों से जोड़ना

4737. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुड़गांव (हरियाणा) को सीधी टेलीफोन डायल सेवा द्वारा बहुत से प्रमुख नगरों से जोड़ दिया गया है :

(ख) यदि हां, तो सभी प्रमुख नगरों को सीधी टेलीफोन डायल सेवा द्वारा गुड़गांव के साथ जोड़ने हेतु अब तक क्या कदम उठाये गए हैं ताकि दोनों ओर का सम्पर्क यातायात स्थापित हो सके :

(ग) यदि इस संबंध में पहले ही कुछ कार्यवाही आरंभ की जा चुकी है तो इस कार्य के पूरा होने में कितना समय लगेगा और यदि उक्त सुविधा नहीं की जा रही है तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) भारत के अनेक मुख्य शहरों के साथ एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने के लिए गुड़गांव को दिल्ली ट्रंक स्वचल एक्सचेंज के साथ जोड़ने का कार्य प्रगति पर है और यह सुविधा इस वर्ष (1982) में उपलब्ध की जाने की सम्भावना है। देश में स्विचिंग एवं पारेषण उपस्कर की सीमित उपलब्धता के कारण यह सुविधा अभी तक प्रदान न की जा सकी ।

पंजाब वक्फ बोर्ड

4738. **श्री रशीद मसूद :** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब वक्फ बोर्ड को उसके विरुद्ध अनियमितताओं तथा कदाचारों की गम्भीर शिकायतों के फलस्वरूप निलम्बित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वक्फ बोर्ड द्वारा क्या-क्या अनियमितताएं और कदाचार किए जा रहे थे तथा उनमें कौन-कौन लोग अंतरग्रस्त थे और इस मामले में सरकार

ने क्या कार्यवाही करने का विचार किया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) पंजाब वक्फ बोर्ड को अनियमितताओं और कदाचार सम्बन्धी गम्भीर शिकायतों के परिणामस्वरूप वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 64 के अधीन आरम्भ में 11 नवम्बर, 1981 से 3 मास के लिए अधिक्रांत (न कि निलंबित) किया गया है। बोर्ड के कामकाज को सही रास्ते पर लाने में जो जटिलताएं और कठिनाइयां हैं उनको देखते हुए अधिक्रमण की यह अवधि एक वर्ष और बढ़ा दी गई है।

(ख) अपेक्षित ब्यौरे इस प्रकार हैं :

(1) पंजाब वक्फ बोर्ड ने अपना सारा बैंक अतिशेष खर्च कर डाला है और वह कई लाख रुपए का ओवर ड्राफ्ट करके काम चला रहा है तथा वह अपने वित्तीय कामकाज का सही आधार पर प्रबन्ध करने में असमर्थ है;

(2) वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 22 का उल्लंघन करते हुए इस बोर्ड ने अपनी वित्तीय शक्तियां एक ऐसे व्यक्ति को प्रत्योजित कर दी हैं जो न तो बोर्ड का अध्यक्ष है, न उसका सदस्य, सचिव, अधिकारी और न उसका सेवक है;

(3) केन्द्रीय सरकार के निदेश के तथा वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 43क (2) के उपबन्धों के बावजूद यह बोर्ड ऐसे वक्फों के जो सीधे उसके प्रबन्ध के अधीन हैं, लेखाओं की परीक्षा किसी लेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 1976-77 से लेकर आगे तक कराने में असफल रहा है;

(4) बोर्ड ने इस बात के होते हुए भी कि उसे बोर्ड के सम्यक् रूप से नियुक्त सचिव की सेवाएं समाप्त करने की कोई शक्ति नहीं है, ऐसे सचिव की सेवाएं समाप्त कर दी हैं और जब केन्द्रीय सरकार ने बोर्ड से यह कहा कि वह उस सचिव को अपने पद पर कार्य करने दे तो बोर्ड अपने उस आदेश का विखंडन करने में भी असफल रहा जो अकृत और शून्य था;

(5) केन्द्रीय सरकार के इस आशय के निदेश का कि संदान मंजूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी आवश्यक है, उल्लंघन करते हुए इस बोर्ड ने छह संगठनों को 5,000 रु० और उससे अधिक के संदान किए;

(6) इस वक्फ बोर्ड ने कोई स्पष्टीकरण दिए बिना पटियाला के एक मिडिल स्कूल को 4,800 रु० की मासिक सहायता दिए जाने की मंजूरी दी और यह मंजूरी केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए इस निर्देश के बावजूद दी गई कि बोर्ड को चाहिए कि वह केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना चालू रहने वाला कोई अनुदान न दे;

(7) केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए इस निर्देश के बावजूद कि बोर्ड न तो कोई नया पद सृजित करे और न पहले से ही सृजित पद को भरे, इस बोर्ड ने औकाफ पक्ष में तीन मास के लिए विशेष कर्तव्य अधिकारी का एक नया पद और पांच सहायकों तथा चार भाटक संग्रह-कर्ताओं के पद सृजित किए;

(8) केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के बावजूद यह बोर्ड अम्बाला के बैंकों से निकाले गए तथा मालेरकोटला को अंतरित किए गए लगभग 8 लाख रुपए के सर्वाधिक निक्षेपों का

विस्तृत लेखा-जोखा देने में असफल रहा है और इसके अतिरिक्त उसने मालेरकोटला में एक स्कूल भवन का वास्तुशिल्प सम्बन्धी नक्शा और उसके प्रस्तावित निर्माण के प्राक्कलन भी नहीं दिए हैं;

(9) बोर्ड यह सुनिश्चित करने में असफल रहा है कि संगरूर स्थित किसी वक्फ संपत्ति के अर्जन किए जाने के परिणाम-स्वरूप प्राप्त होने वाले प्रतिकार की रकम को उसी या समान उद्देश्य वाले नए वक्फों का सृजन करने के लिए अलग रखा जाए। इसके अतिरिक्त इस बोर्ड ने केन्द्रीय सरकार के इस निर्देश का अनुपालन भी नहीं किया है कि वह मालेरकोटला स्थित एक भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष के नाम जारी किए चैक को वापस ले लें;

(10) यह बोर्ड उसके विरुद्ध गंभीर शिकायतों और अभिकथनों के सम्बन्ध में, जिनके अन्तर्गत बोर्ड के एक भूतपूर्व सदस्य द्वारा दिया गया अभिकथनों का विवरण तथा भूतपूर्व बोर्ड के एक अन्य सदस्य के विरुद्ध एक शिकायत भी है, अपनी टिप्पणी देने में असफल रहा है।

इस प्रक्रम पर विनिर्दिष्ट रूप से यह बताना संभव नहीं होगा कि कौन-कौन से व्यक्ति उक्त बातों से संबद्ध रहे हैं और यह कि इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई करनी होगी। एक सेवा निवृत्त न्यायाधीश को 10 मार्च, 1982 को वक्फ बोर्ड का पूर्णकालिक प्रशासक नियुक्त किया गया है। उसकी नियुक्ति अम्बाला के उपायुक्त के स्थान पर की गई है जिसे इससे पूर्व अपने अन्य कर्तव्यों के अतिरिक्त, अंतरिम उपाय के रूप में, वक्फ बोर्ड का प्रशासक नियुक्त किया गया था। वर्तमान प्रशासक वक्फ बोर्ड के कार्यकलाप से पूर्वतः अवगत हैं।

राजस्थान में माइक्रोवेव प्रणाली आरम्भ करना

4739. **श्री भीखा भाई :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्यावर तथा अजमेर के बीच ससाक्ष (कोक्सियल) प्रणाली के असफल हो जाने के कारण राजस्थान में अन्य सभी केन्द्रों की समूची टेलीफोन सेवा, जिनके सन्देश ब्यावर तथा अजमेर से होकर जाते थे, ठप्प हो गई थी ;

(ख) क्या उदयपुर और ब्यावर, डूंगरपुर और ब्यावर, बांसवाड़ा और ब्यावर, भीलवाड़ा और अजमेर तथा चित्तौड़गढ़ और अजमेर के बीच "अविलंब सेवा" अथवा सीधी टेलीफोन डायल सेवा पूरी तरह रुक गई थी;

(ग) क्या सरकार का विचार दूरसंचार व्यवस्था के इस रूप के विकल्प में उपरोक्त स्थानों के लिए माइक्रोवेव प्रणाली शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) उदयपुर और ब्यावर, डूंगरपुर और ब्यावर, बांसवाड़ा और ब्यावर, भीलवाड़ा और अजमेर तथा चित्तौड़गढ़ और अजमेर के बीच न तो कोई एस० टी० डी० सेवा और न ही अविलंब सेवा उपलब्ध है। परन्तु इन स्थानों हेतु ट्रंक सेवाएं रुकी हुई नहीं थीं।

(ग) और (घ) दूरसंचार के वैकल्पिक उपाय के बतौर अजमेर और ब्यावर के बीच

सूक्ष्मतरंग प्रणाली प्रारंभ करने की कोई योजना नहीं है। किन्तु छठी योजना अवधि के दौरान डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, अजमेर तथा चित्तौड़गढ़ को यू० एच० एफ०/सूक्ष्मतरंग रेडियो रिले प्रणालियों द्वारा जोड़ने की योजना है।

छेदानगर, चेम्बूर, बम्बई के निवासियों के लिए नया डाकघर खोलना

4740. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छेदा नगर, चेम्बूर, बम्बई, के निवासियों की ओर से वहां एक नया डाकघर खोलने की भारी मांग है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने निवासियों की सुविधा के लिए वहां एक नया डाकघर खोलने हेतु क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) उनका ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) उपयुक्त स्थान उपलब्ध न होने के कारण डाकघर नहीं खोला जा सका।

(ग) चूंकि प्राइवेट पार्टियों से उपयुक्त स्थान प्राप्त करने के प्रयासों में सफलता नहीं मिली है, अतः बम्बई नगर निगम, अन्य सरकारी विभागों तथा वैयक्तिक सहयोग कर्ताओं से इस विषय में सहायता प्राप्त करने के लिए सम्पर्क किया गया है। ये प्रयास जारी हैं।

न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में विधि आयोग की सिफारिश

4741. **श्री बापू साहिब परुलेकर** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विधि आयोग से कहा है कि वह उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले का अध्ययन करे तथा नियुक्ति की वर्तमान पद्धति में सुधार किए जाने की संभावनाओं का पता लगाए;

(ख) क्या विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और यदि हां, तो उसने क्या सुझाव दिए हैं; और

(ग) उक्त रिपोर्ट पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या सरकार उन सिफारिशों को क्रियान्वित करने का विचार रखती है; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) 1978 में विधि आयोग से यह अनुरोध किया गया था कि वह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सुधार करने के विषय में गंभीरता से विचार करके एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

(ख) विधि आयोग के सुझाव उसकी 80वीं रिपोर्ट में दिए गए हैं। यह रिपोर्ट जनवरी, 1980 में सदन के पटल पर रख दी गई थी। विधि आयोग ने यह अभिमत व्यक्त किया है कि न्याया-

धीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में इस समय जो संवैधानिक स्कीम है वह आधारभूत रूप से युक्तिसंगत है। उसने कतिपय पहलुओं की बाबत ऐसी सिफारिशें की हैं जो इस रिपोर्ट के अध्याय 9 में संक्षिप्त रूप में दी गई हैं।

(ग) सरकार इस रिपोर्ट पर विचार कर रही है।

अहमदनगर के लिए सीधी डायल सेवा सुविधा

4742. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदनगर में हो रहे द्रुत औद्योगिक विकास को देखते हुए सरकार का विचार वहां सीधी टेलीफोन डायल सेवा की सुविधा प्रदान करने का है जो हम बम्बई तथा अन्य मुख्य नगरों से जोड़ दें ; और

(ख) यदि हां, तो संभवत: कब तक और किन-किन क्षेत्रों में सुविधा उपलब्ध कर दी जाएगी ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क), जी हां।

(ख) अहमदनगर से बम्बई के लिए 1983 में तथा तत्पश्चात उत्तरोत्तर अन्य प्रमुख व शहरों में एस० टी०डी० सुविधाएं प्रदान किए जाने की संभावना है।

देश में हैडगियरों का उत्पादन

4743. **श्री अजित बेग :**
श्री मतिलाल हसदा

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानव चालित टेलीफोन केन्द्र के लिए अपेक्षित हैडगियरों का उत्पादन देश में किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो कहां और देश में उनका कुल कितना उत्पादन होता है ; और

(ग) टेलीफोन विभाग को प्रति वर्ष कितने हैडगियरों की आवश्यकता पड़ती है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) इनका निर्माण भारतीय टेलीफोन उद्योग लि०, बंगलूर में किया जाता है। 1979-80 के दौरान 10,639 हैडगियर विनिर्मित किए गए। लम्बी हड़ताल के कारण 1980-81 के दौरान 7723 हैडगियर का उत्पादन किया गया। 1981-82 में 20,000 हैडगियर उत्पादन करने का कार्यक्रम है और 28-2-1982 तक 12,128 हैडगियर तैयार करली गई हैं।

(ग) देश में इस मद की वार्षिक सतत् आवश्यकता लगभग 20,000 हैडगियर की है।

सलेम नगर, तमिलनाडु में डाक विभाग में कर्मचारियों की कमी

4744. **श्री के० अर्जुनन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तमिलनाडु के सलेम नगर तथा अन्य

प्रमुख नगरों में डाक-तार विभाग में कर्मचारियों की कमी के कारण पौंगल और नव वर्ष के बधाई के बहुत-से पत्र वितरण किये बिना जला दिये गये थे :

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इसी कारण से उपरोक्त बधाई पत्रों में से कुछ बधाई पत्र एक सप्ताह बाद बांटे गए थे :

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आजकल वितरण में देरी आम तौर पर होती है और उसका कारण कर्मचारियों की कमी है, और

(घ) क्या उपरोक्त कमी को दूर करने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी नियुक्त करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं, सलेम अथवा तमिलनाडु के किसी भी अन्य शहर में पौगंल अथवा नव वर्ष का कोई बधाई संदेश नहीं जलाया गया। न तो सलेम डाकघर में और न ही रेल डाक सेवा कार्यालय में कर्मचारियों की कोई कमी थी।

(ख) जी हां, भारी मात्रा में ऐसी डाक प्राप्त होने के कारण इस डाक की छंटाई में कुछ विलम्ब हुआ था।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सार्वजनिक उपक्रमों के "कोर सैक्टर" द्वारा रक्षित विद्युत संयंत्र

4745. **श्री मगनभाई बरोट** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यह नीति निर्धारित की गई है कि कोर क्षेत्र के सरकारी उद्यम अपने निजी विद्युत संयंत्र रखेंगे;

(ख) आगामी पांच वर्षों के दौरान इस प्रकार स्थापित किये संयंत्रों की अतिरिक्त क्षमता कितनी होगी; और उन पर क्या लागत आयेगी; और

(ग) इस सुविधा से कितने उद्योग लाभान्वित होंगे तथा निर्धारित कोर उद्योगों में इससे कितना उत्पादन बढ़ने की संभावना है और किस हद तक इससे इन उद्योगों की बिजली की कमी की समस्या हल हो सकेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) अर्थव्यवस्था के कोर सैक्टर में अल्यूमीनियम, इस्पात, उर्वरक आदि जैसे विद्युत से अत्यधिक प्रभावित उद्योगों के लिए केप्टिव संयंत्रों की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव पर अनुकूल रुख अपना कर विचार किया जाना है।

(ख) और (ग) केप्टिव विद्युत संयंत्रों की स्थापना के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट योजना तैयार नहीं की गई है। सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों से इस सम्बन्ध में समय-समय पर प्राप्त हुए प्रस्तावों की जांच की जाती है तथा प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर स्वीकृति जारी की जाती है। कोर सैक्टर के विभिन्न सरकारी उपक्रमों के लिए केप्टिव विद्युत संयंत्र स्थापित करने के कुल 1509.7 मेगावट के 6 प्रस्तावों की जांच केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने पिछले तीन वर्षों के दौरान की है। अगले 5 वर्षों तक की अथवा लगभग इतनी ही अवधि में इनको कार्यान्वित किए जाने की

आशा है। जो विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं उनसे आशा की जाती है कि इन कोर उद्योगों में उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। प्रत्येक उपाय के प्रभाव की अलग-अलग कर सकना तथा केवल केप्टिव विद्युत संयंत्रों की स्थापना के कारण ही उत्पादन में हुई वृद्धि की मात्रा को बता सकना संभव नहीं है।

इटली के एफ० ए० सी० ई० के सहयोग से टेलीफोन यन्त्रों का उत्पादन

4746. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन यन्त्रों के उत्पादन के लिये भारतीय टेलीफोन उद्योग ने इटली की एफ० ए० सी० ई० के साथ कोई सहयोग करार किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त करार का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन टेलीफोन यंत्रों का स्वदेशी उत्पादन सम्भव है; और

(घ) यदि हां, तो संभावना का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

(ग) और (घ) संचार मंत्रालय के नियन्त्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर द्वारा अपने बंगलौर और नैनी स्थित कारखानों में स्वदेशी डिजाइन के टेलीफोन उपकरणों के वर्तमान माडल बनाए जाते हैं। टेलीफोन उपकरणों की मांग में वृद्धि के कारण इन उपकरणों के उत्पादन में भी वृद्धि करनी है। इसके लिए उत्पादन की ऐसी स्वचल सूक्ष्म प्रक्रिया अपनानी होगी जिससे उपकरण की गुणवत्ता और आर्थिक दृष्टि से उपादेयता सुनिश्चित रखी जा सके। जहां तक स्वचल उत्पादन प्रक्रिया का सवाल है, आई० टी० आई० का अनुभव और उसकी विज्ञता सीमित है। समसामयिक डिजाइन के ऐसे जांचे परखे टेलीफोन उपकरण बनाने के लिए, जो भारतीय डाकतार संचार तंत्र में प्रयोग के लिए उपयुक्त हों, तकनीकी सहयोग प्राप्त करने का प्रस्ताव है। इसके लिए विश्वव्यापी टेण्डर आमंत्रित किए गए थे। प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

उचित मूल्य पर सोडा ऐश का प्राप्त होना

4747. **श्री त्रिलोक चन्द** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 और 1981 के दौरान सोडा ऐश की मांग और उपलब्धता कितनी रही;

(ख) वर्ष 1980 और 1981 के दौरान सोडा ऐश की कीमतों में कितनी वृद्धि हुई और इस मूल्य वृद्धि के क्या कारण थे; और

(ग) सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं कि सोडा ऐश उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर प्राप्त हो सके।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) अकार्बनिक रसायनों पर गठित कार्यकारी दल द्वारा वर्ष 1979-80 और 80-81 में सोडा ऐश की मांग क्रमशः 6.20 लाख टन और 6.30 लाख टन आंकी गई थी। वर्ष 1979-80 और 1980-81 में सोडा ऐश का उत्पादन क्रमशः 5.56 लाख टन और 5.63 लाख टन था। 1979-80 और 1980-81 (अक्टूबर 1980 तक) में क्रमशः 1.35 लाख टन और 0.53 लाख टन सोडा ऐश का आयात किया गया था।

महानिदेशक व्यापार अधिसूचना और सांख्यिकी, कलकत्ता द्वारा आयात सांख्यिकी का संकलन और प्रकाशन किया जाता है। सांख्यिकी के संकलन और प्रकाशन में आमतौर पर समय लगता है। अक्तूबर 1980 से बाद की अवधि से सम्बन्धित सांख्यिकी अभी प्रकाशित की जानी है। सांख्यिकी के संकलन हो जाने पर उसे भारत के विदेश व्यापार की मासिक सांख्यिकी के खंड 11 में प्रकाशित किया जायेगा, जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध होगी।

(ख) और (ग) दि० 1-1-1980 को सोडा ऐश के लिए निर्माताओं का कारखाने से बाहर मूल्य 1718.24 रु० प्रतिटन से 1899.04 रु० प्रतिटन के बीच था। दि० 31-12-1981 को ये मूल्य 2050.35 रु० प्रतिटन से 2299.25 रु० प्रतिटन के बीच थे। निर्माताओं ने सोडा ऐश के मूल्यों में वृद्धि, कच्चे मालों, उपयोगिताओं और परिवहन की लागतों में वृद्धि के कारण की है।

सोडा ऐश के मूल्यों और उसके वितरण पर कोई कानूनी नियन्त्रण नहीं है। वर्ष 1978-1979 और 1980 के प्रारम्भ में सोडा ऐश की कम सप्लाई थी। सरकार द्वारा उठाये गए कदमों के परिणामस्वरूप उपलब्धता स्थिति में सुधार हुआ है। सोडा ऐश का खुला बाजार मूल्य जो 1978 के अन्त में 3600 रु० प्रतिटन तक था और एक वर्ष से अधिक तक 3000 रु० प्रति टन तक चलता रहा था, अब घटकर 2100 रु० प्रति टन से 2400 रु० प्रतिटन तक हो गया है।

जनवरी 1979 में जारी किए गए मार्गदर्शनों के अन्तर्गत निर्माताओं द्वारा औद्योगिक उपभोक्ताओं को उनके द्वारा सामान्य सप्लाई वर्ष 1977 में प्राप्त की गई मात्रा तक सीधे सप्लाई करनी पड़ती है। सरकार ने प्रति माह लगभग 1200 टन सोडा ऐश राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लि० को सप्लाई करने के लिए भी निर्माताओं को आदेश दिया है ताकि उनके खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से धोबियों और गृहणियों जैसे लघु उपभोक्ताओं को भी सोडा ऐश का वितरण किया जा सके।

मंगलूर, कर्नाटक में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र (रिले) की स्थापना

4748. **श्री ओस्कार फर्नान्डीस** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगलूर कर्नाटक में दूरदर्शन प्रसारण (रिले) केन्द्र की स्थापना पर कितनी लागत आयेगी; और

(ख) सरकार मंगलूर में कब तक प्रसारण केन्द्र स्थापित कर सकेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) एक दूरदर्शन रिले केन्द्र की आज के

दिन की अनुमानित लागत 200 लाख रुपये है।

(ख) देश में अगले 20 वर्ष के दौरान चार चरणों में दूरदर्शन के विस्तार की भावी योजना के अन्तर्गत डाक-तार माइक्रोवेव लिंक की सहायता से दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने के लिए मंगलोर को चुना गया है। तथापि, इस योजना का कार्यान्वयन संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए दूरदर्शन केन्द्र

4749. **श्री एन० ई० होरो** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केवल आईजल (मिज़ोरम) में ही 300 दूरदर्शन सैट हैं और चूंकि समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोई भी दूरदर्शन केन्द्र नहीं है अतः ढाका केन्द्र नजदीक होने के कारण मिजोरम के लोग ढाका से प्रसारित दूरदर्शन कार्यक्रम देखते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि अधिकांश लोगों को भारत की राजधानी की घटनाओं का अच्छी तरह पता नहीं रहता; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के लिए सक्रिय कार्यवाही करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) ऐसा बताया जाता है कि उत्तर-पूर्व के कुछ भागों में ढाका टेलीविजन के कार्यक्रम देखे जाते हैं।

(ख) आईजल में स्थित सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न माध्यम देश में घटित होने वाली घटनाओं से सम्बन्धित सूचना का उस क्षेत्र के लोगों के लिए प्रसार कर रहे हैं।

(ग) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में दूरदर्शन सेवा के विस्तार की एक विशेष योजना के अन्तर्गत आईजल (मिजोरम) में एक किलोवाट का एक ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव है।

विद्युत परियोजनाओं का बन्द रहना

4750. **श्री बी० आर० नाहटा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सप्लाई किए गए उपकरणों के ठीक कार्य न करने के कारण कौन-कौन-सी विद्युत परियोजनाएं बन्द रही थीं तथा गत चार वर्षों के दौरान कितनी अवधि के लिए बन्द रहीं ;

(ख) क्या इन उपकरणों का कार्य निष्पादन सुधारने के लिये सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जिन विद्युत केन्द्रों में स्वदेश

निर्मित उत्पादन यूनिटें हैं, उन केन्द्रों में गत चार वर्षों की जबरन बंदियों की प्रतिशतता के ब्यौरे संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं। जिन विद्युत केन्द्रों में स्वदेशी निर्मित उपस्कर और आयातित उपस्कर हैं, उन विद्युत केन्द्रों में गत चार वर्षों की जबरन बंदियों की प्रतिशतता से सम्बन्धित ब्यौरे विवरण-2 में दिए गए हैं। इन चार वर्षों के दौरान अधिकतम बंदियां 24 घंटे से कम अवधि की थीं। बंदियों की औसत अवधि लगभग 2 दिन थी। बायलर ट्यूब लीकेज समस्त जबरन बंदी के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। इसके कारण प्रति ट्रिपिंग में अनुपलब्धता की औसत अवधि 3 से 4 दिन रही।

(ख) और (ग) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज द्वारा सप्लाई किए गए उपस्कर में आरम्भ के वर्षों में प्रारम्भिक कठिनाइयां आईं लेकिन उत्पादन सेटों का निर्माण करने का पर्याप्त अनुभव हो जाने से इन उपस्करों के कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ है। स्वदेशी यूनिटों में सुधार करने के लिए कुछेक उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं।

इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) 200/210 मेगावाट के यूनिटों के स्थिरीकरण के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत हैवी इले० लि०, इंस्ट्रूमेंटेशन लि० कोटा और सम्बन्धित राज्य बिजली बोर्ड द्वारा कार्रवाई की योजना तैयार कर ली गई है तथा कार्रवाई की गई है। इसके परिणामस्वरूप, इन यूनिटों के कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ है। वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 (दिसम्बर, 1982 तक) के दौरान 200/210 मेगावट के यूनिटों का संयंत्र भार अनुपात 24.6%, 36.9% और 47.1% रहा है;

(2) 110 मेगावट की यूनिटों के मामले में घटिया गुणवत्ता वाले कोयले को जलाने के लिए उपस्कर में किए जाने वाले आवश्यक परिशोधनों का पता लगाकर तथा पूर्ण उत्पादन करके संयंत्र भार अनुपात स्तर को बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस कार्य के लिए भारत हैवी इले० लि० इस्ट्रूमेंटेशन लि० कोटा, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा सम्बन्धित बोर्ड का एक संयुक्त दल तैयार किया जा रहा है।

(3) यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि जब यूनिटों का ओवर-हालिंग करना निर्धारित हो तब ओवरहाल हाथ में ले लिया जाए तथा लम्बी अवधि तक ओवर-हालिंग चलते रहने के कारणों का पता लगाकर बंदी के समय को कम किया जाए।

(4) 200 मेगावट के अधिक क्षमता वाले अधिकांश विद्युत केन्द्रों में सुधार कक्ष स्थापित किए गए हैं। अन्य केन्द्रों में भी सुधार कक्ष स्थापित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(5) घटिया कार्य निष्पादन के लिए उत्तरदायी समस्याओं का पता लगाने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के भ्रमणकारी मानीटरिंग दलों द्वारा ताप विद्युत केन्द्रों के दौरे किए गए हैं तथा इन दलों की रिपोर्टों के आधार पर यूनिटों की क्षमता को बहाल करने के लिए सुधार/नवीकरण कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं।

विवरण-1

उन केन्द्रों की जबरन बन्दियां जिनमें सरकारी उपक्रमों से सप्लाई किए गए उपस्कर हैं।

क्र० सं०	केन्द्र	उपस्कर की क्षमता (मेगा०) भेल	भेल ए० वी० बी०	जबरन बंदियां (%) 78-79	79-80	80-81	81-82 (अनुमानित)
1.	बदरपुर	510	—	19.38	20.89	22.80	27.20
2.	फरीदाबाद	120	—	41.83	33.58	42.52	29.64
3.	पानीपत	220	—	—	15.18	36.79	34.73
4.	ओबरा विस्तार-1	300	—	20.20	9.05	19.78	19.28
5.	ओबरा विस्तार-2	800	—	16.33	31.80	24.39	33.39
6.	हरदुआगंज 'सी'	60	—	16.64	71.00	20.39	9.68
7.	वही-चरण-5	110	—	62.07	16.59	77.42	28.23
8.	पनकी विस्तार	220	—	16.56	24.07	21.18	11.95
9.	भटिण्डा	440	—	31.56	28.14	29.80	28.78
10.	साबरमती	110	—	3.92	10.38	7.05	0.72
11.	उकई	240	—	5.23	3.12	11.58	27.45
12.	उकई विस्तार	400	—	2.11	30.18	40.28	16.20
13.	गांधीनगर	240	—	5.25	3.65	4.05	5.34
14.	कोरबा विस्तार	120	—	3.32	2.99	9.44	35.26
15.	अमरकंटक विस्तार	240	—	14.10	9.16	10.18	21.60
16.	भुसावल	210	—	—	25.33	19.98	11.32
17.	कोठागुडम्	220	—	24.79	37.55	25.33	29.48
18.	-वही-'सी'	220	—	24.79	16.93	44.36	55.22
19.	विजयवाड़ा	420	—	—	13.24	28.69	7.08
20.	तूतीकोरिन	420	—	—	54.81	20.95	16.30
21.	संथालडीह	—	480	20.00	33.45	19.49	17.44

विवरण-2

उन केन्द्रों की जबरन बन्दियां जिनमें सरकारी उपक्रमों द्वारा सप्लाई किए गए उपस्कर हैं तथा आयातित उपस्कर हैं।

क्र० सं०	केन्द्र	क्षमता (मेगा०)	निम्न द्वारा सप्लाई की गई यूनिट की क्षमता		78-79	79-80	80-81	81-82 (अनुमानित)
			भेल भेल यूनिट सं० क्षमता	भेल ए० वी० बी० यूनिट सं० क्षमता				
1.	इन्द्रप्रस्थ केन्द्र	282.5	5/60	—	7.99	15.28	4.08	29.83
2.	हरदुआ गंज 'बी'	220	2/20	—	44.03	21.72	17.10	20.38
3.	सतपुड़ा	722.5	6-7/410	—	—	65.72	63.75	16.94
4.	नासिक	910	3-5/630	—	—	37.38	23.73	8.26
5.	कोराडी	680	5/200	—	13.10	32.85	7.86	9.71
6.	एन्नोर	450	1/60	—	10.78	14.19	16.80	11.26
			2/60	—	8.04	8.86	10.37	20.72
			5/110	—	18.78	27.64	24.86	31.78
7.	पतरातू	620	8/110	—	99.71	59.37	36.98	16.57
8.	चन्द्रापुरा	780	—	4-6/360	38.10	45.78	37.48	17.79
9.	पारली	270	3/210	—	—	—	40.12	45.66

अमरीकी पत्रिकाओं को भारतीय संस्करण प्रकाशित करने के लिये अनुमति

4751. श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान किसी अमरीकी पत्रिका ने भारतीय संस्करण प्रकाशित करने की अनुमति मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पत्रिका का क्या नाम है और मांगी गई अनुमति का ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने उसका क्या उत्तर दिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) सरकार को अमरीका में प्रकाशित होने वाली "न्यूज वीक" नामक एक साप्ताहिक समाचार पत्रिका का मैसर्स न्यूज वीक

इन्टरनेशनल, न्यूयार्क, अमरीका के सहयोग से भारत में प्रकाशन के लिए मैसर्स इंडिया बुक हाउस (प्राईवेट) लिमिटेड, बम्बई से एक आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है। आवेदन-पत्र पर अंतिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

मैसर्स ग्रिंडवेल नारटन लि० तथा मैसर्स कारबोरेंडम यूनिवर्सल लि०

4752. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम० आर० टी० पी० आयोग ने मैसर्स ग्रिंडवेल नारटन लिमिटेड तथा कारबोरेंडम यूनिवर्सल लिमिटेड के विरुद्ध, एम० आर० टी० पी० अधिनियम, 1969 की धारा 10 (ग) (चार) और धारा 37 के अन्तर्गत कोई जांच गठित की है ; और

(ख) यदि हां, तो इन कम्पनियों द्वारा किये गए प्रतिबंधात्मक व्यवहार का ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) तथा (ख) मैसर्स ग्रिंडवेल नारटन लिमिटेड और मैसर्स कारबोरेन्डम यूनिवर्सल लिमिटेड के विरुद्ध एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1669 की धारा 10 (क) (4) और 37 के अन्तर्गत क्रमशः सिलीकोन कार्बाइड एब्रेसिव ग्रेन्स और एलूमोनियम आक्साइड एब्रेसिव ग्रेन्स को सिल्ली पटिया के आधार पर अर्थात् थोड़ी से थोड़ी मात्राओं की खरीद के लिए ऊंचे मूल्यों और भारी मात्राओं में खरीद के लिए नीचा मूल्य, जिसने उपरोक्त उत्पादों की बिक्री के मूल्यों को प्राप्त करने/या उसी के सम्बन्ध में व्यापार करने के सम्बन्ध में या उन कारणों द्वारा छूट या लाभों की स्वीकृति देने या अनुमति देने में यह भेद भाव पूर्ण माना गया, इसलिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने 17-12-1974 को जांचें प्रारम्भ की थी। आयोग ने उपरोक्त जांचों में "बन्द करो और फिर कभी न करो" आदेश पारित किए।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 10 (क) (4) और 37 के अन्तर्गत मूल्य में समान्तरवाद और ग्रिंडिंग पहियों के मूल्यों को निर्धारित करने, रखने और बढ़ाने में सामंजस्य से कार्य करने के आरोपों की जांच करने के लिए 24-12-1981 को भी इन दो कम्पनियों के विरुद्ध और जांचें गठित की थीं। जांच कार्यवाही के प्रारम्भिक स्तर पर है।

थाल वेसेट के लिए ऋण के लिए कुवैत में बंध पत्र का जारी किया जाना

4753. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थाल वैसेट फर्टीलाइजर कम्प्लैक्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए रशीना कैमीकल्स एंड फर्टीलाइजर्स लि० ने कुवैत में ऋण के लिए कोई बंध पत्र जारी किया है,

(ख) क्या सरकार ने कुवैत इन्टरनेशनल इंवेस्टमेंट कंपनी द्वारा उस फर्टिलाइजर कम्पलैक्स को ऋण देने के लिए गारंटी ली है,

(ग) क्या इस ऋण के लिए कोई शर्त रखी गई है ; और

(घ) क्या किसी अन्य सरकारी उर्वरक कंपनी ने भी ऐसा ऋण कुवैत में लिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां। थाल उर्वरक परियोजना को वित्तीय सहायता देने के लिए राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने ऋण के लिए कुवैत में बंध पत्र जारी किए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) बंध पत्र की शर्तें नीचे दी गई हैं :

(i) धन राशि	के० डी० 30 मिलियन (लगभग 95 करोड़ रुपये)
(ii) परिपक्वता की अवधि	सात वर्ष
(iii) ब्याज की दर	12.25 प्रतिशत
(iv) उत्सर्जन	100 प्रतिशत
(v) प्रबन्ध शुल्क	जारी किए गए बंध पत्र की कुल राशि का 2 प्रतिशत।
(vi) अन्य खर्चे	वास्तविक के० डी० 600,000 की अधिकतम सीमा तक

(घ) जी, नहीं।

कोल इंडिया को वैगनों की सप्लाई

4755. श्री ए० के० राय : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 में कोल इंडिया लि० के अधीन कोयला कम्पनियों के लिए कुल कितने वैगनों की मांग की गई और उन्हें कुल कितने वैगन सप्लाई किए गए ; कम्पनी वार ब्यौरा देते हुए तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ख) वर्ष 1980 के सम्बन्ध में भी उपरोक्त ब्यौरा क्या है :

(ग) वर्ष 1980 और 1981 के दौरान रेल, सड़क और "एरियल रोपवे" द्वारा कंम्पनी-वार ब्यौरा देते हुए कुल कितना कोयला ढोया गया ;

(घ) वर्ष 1980 और 1981 में कोयला कंपनियों द्वारा रेल विभाग को कितना विलम्ब शुल्क दिया गया ; और

(ङ) क्या इस वर्ष कोयला-रेल में समन्वय बेहतर हैं ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरेवार तथ्य क्या है ; और यदि नहीं, तो इस बारे में क्या कदम उठाये गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) : कोल इण्डिया लि० ने 1980 और 1981 के दौरान जितने रेलवे वैगन मांगे थे और जितने उसे दिए गए उनकी कंपनीवार संख्या नीचे दी गई है :

(आंकड़े चार पहियों वाले वैगन/प्रतिदिन में)

कम्पनी	कोयला कम्पनियों द्वारा मांगे गए वैगन		रेलवे द्वारा सप्लाई किए गए वैगन	
	1980	1981	1980	1981
ई० को० लि०	2173	2330	1714	1857
भा० को० को० लि०	2956	2913	1871	2039
से० को० लि०	2578	2732	1703	2144
वे० को० लि०	2563	2631	1887	2265
ना० ई० को०	55	66	46	50
	10325	10672	7221	8355

(ग) वर्ष 1980 और 1981 में कोल इण्डिया लि० में रेल, सड़क और रज्जुमार्ग (रोपवेज़) के द्वारा जो कोयला/कोक भेजा गया उसकी कम्पनीवार मात्रा नीचे की सारणी में दी गई है :

(आंकड़े मिलियन टनों में)

कम्पनी	ढोए गए कोयला/कोक की मात्रा					
	रेल द्वारा		सड़क द्वारा		रज्जुमार्ग द्वारा	
	1980	1981	1980	1981	1980	1981
ई० को० लि०	14.58	15.63	5.00	5.13	—	—
भा० को० को० लि०	15.85	17.32	5.98	7.45	—	—
से० को० लि०	14.13	17.90	7.57	7.10	1.03	0.96
वे० को० लि०	15.63	19.02	6.80	6.00	0.83	1.30
ना० ई० को०	0.39	0.42	0.17	0.20	—	—
जोड़	60.58	70.39	25.10	26.19	1.86	2.26

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) जी, हां। कोयला प्राधिकारियों और रेलवे के बीच बेहतर समन्वय के परिणामस्वरूप वैगनों की सप्लाई और लदान में इस वर्ष और भी सुधार हुआ है। कोल इंडिया लि० में जनवरी-फरवरी, 1982 के दौरान औसत लदान 9,243 वैगन प्रतिदिन रहा जबकि 1981 में यह 8,227 वैगन प्रतिदिन रहा था। वे० को० लि० और से० को० लि० में क्रमशः 2,687 वैगन प्रतिदिन और 2.452 वैगन प्रतिदिन रिकार्ड स्तर का लदान किया है।

शरणार्थी शिविर

4756. **श्री निहाल सिंह:** क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कहां-कहां और कितने विभिन्न शरणार्थी शिविर हैं ;

(ख) इस समय इन शिविरों में किन किन देशों के कितने-कितने शरणार्थी रह रहे हैं ; और

(ग) उन पर कितना वार्षिक व्यय होता है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) दण्डकारण्य परियोजना को छोड़कर, जिसका प्रशासन सीधे केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है शिविरों/आवाजाही शिविरों/कर्मी शिविरों में शरणार्थियों/प्रत्यावासियों के भरण-पोषण पर व्यय प्रारम्भ में राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और विस्थापितों की संख्या के अनुसार, वर्ष प्रति वर्ष इसमें कमी-वृद्धि होती रहती है। जहां तक दण्डकारण्य परियोजना का सम्बन्ध है, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लगभग 6.20 लाख रुपये का व्यय किए जाने की आशा है।

विवरण

राज्य	शिविर/आवाजाही शिविरों/कर्मी शिविरों की संख्या			देश जिससे आए	रह रहे व्यक्तियों/परिवारों की संख्या
	शिविर	आवाजाही शिविर	कर्मी शिविर		
1. राजस्थान				भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान	17,500
जिला बाड़मेर	11	—	—	(अब पाकिस्तान)	व्यक्ति
2. तमिलनाडु					
मंडपम	—	1	—	श्रीलंका	306 परिवार
कोटापट्टू	—	1	—	श्रीलंका	203 परिवार
गुमुदीपुण्डी	—	1	—	श्रीलंका	19 परिवार
3. उत्तर प्रदेश					
रुद्रपुर	—	—	1	भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश)	113 परिवार
चांदिया हजारा जिला पीलीभीत	—	—	1	-यथोक्त-	34 परिवार
4. बिहार					
बेतिया	—	—	1	-यथोक्त-	111 परिवार
5. दण्डकारण्य					
परियोजना	—	—	1	-यथोक्त-	16 परिवार

राजाध्यक्ष समिति की सिफारशें

4757. श्री निहाल सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत क्षेत्र को मजबूत बनाने और राज्य बिजली बोर्डों के कार्यकरण में तकनीकी और वित्तीय सुधार लाने के लिए राजाध्यक्ष समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं ; और

(ख) केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा उनमें से कितनी सिफारिशों को स्वीकार किया गया है और कितनी सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) राज्य बिजली बोर्डों के कार्यकलापों में और ताप विद्युत संयंत्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए विद्युत समिति द्वारा कई सिफारिशें की गई हैं। अन्य बातों के साथ-साथ इन सिफारिशों का सम्बन्ध राज्य बिजली बोर्डों के प्रबन्ध को मजबूत बनाने और इनके वित्तीय और प्रचालन संबंधी कार्य-निष्पादन में सुधार लाने से है।

विद्युत समिति की रिपोर्ट राज्यों को दिसम्बर 1980 में भेजी गई थी। समिति की सिफारिशों पर चर्चा 1981 के आरम्भ में हुए क्षेत्रीय विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में की गई थी। नवम्बर 1981 में हुए राज्यों के विद्युत मंत्रियों के वार्षिक सम्मेलन में इन सिफारिशों पर आगे विचार-विमर्श किया गया था। सम्मेलन में, इस बात पर सहमति हुई थी कि राज्य सरकारें अपने विचार तीन महीनों के अन्दर भेज देंगी। अधिकांश राज्यों से उनके विचार अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। उन्हें हाल ही में अनुस्मरण कराया गया है कि वे अपने विचार शीघ्र भेजें। सिफारिशों पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने से पूर्व यह आवश्यक समझा गया है कि राज्यों से पहले विचार-विमर्श कर लिया जाए।

"डेसू" में रिक्त पड़े उच्च पद

4758. श्री निहालसिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में कुल कितने उच्च पद कब से रिक्त पड़े हैं ; और उन पदों को भरे न जाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) इन पदों को शीघ्र भरे जाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के महाप्रबन्धक का पद 6 जून, 1980 को खाली हुआ था और तब से आयुक्त, दिल्ली नगर निगम अपनी ड्यूटी के अलावा महाप्रबन्धक का कार्य देख रहे हैं। इस पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति का चयन करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

20-3-82 की स्थिति के अनुसार 1100-1600 रुपये और इससे अधिक के वेतनमानों वाले 7 पद डेसू में रिक्त थे। प्रशासनिक अधिकारी के दो पदों, निदेशक सतर्कता तथा सतर्कता अधिकारी के एक-एक पद के बारे में उपयुक्त व्यक्तियों के चयन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्य

श्रम कल्याण अधिकारी के एक पद के मामले में आगे कार्रवाई संघ लोक सेवा आयोग की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् ही की जा सकती है। मुख्य कैमिस्ट के एक पद के मामले में, चूंकि भर्ती तथा प्रोन्नती विनियमों के अंतर्गत तथा अपेक्षित प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण के आधार पर रिक्ति भरने के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं था, अतः पद को सीधी भर्ती द्वारा भरने के लिए मांग पत्र अनुमोदन के लिये संघ लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है। भूमि तथा संपदा अधिकारी के एक पद के बारे में, इस पद को इस समय भरना आवश्यक नहीं समझा गया है।

छोटे नगरों में गैस एजेन्सियां आवंटित करने के लिये मार्गदर्शी निर्देश

4759. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे नगरों में गैस ऐजन्सियां आवंटित करने के लिये मार्गदर्शी निर्देश क्या हैं ;

(ख) क्या गुजरात राज्य के छोटे नगरों को गैस एजन्सियां आवंटित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) उत्पाद उपलब्धता की शर्त पर, इस समय एजेंसियां निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर खोली जाती हैं :

(i) पूर्वनुमानित ग्राहक क्षमता ;

(ii) वितरण उपकरण का अधिकतम उपयोग ;

(iii) संचालनों की व्यवहार्यता

उद्योग ने वर्ष 1982-83 की योजना के द्वारा 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले समस्त जिला मुख्यालयों और कस्बों को शामिल करने की योजना बनाई है। इसके उपरांत इससे कम जन-संख्या वाले कस्बों को एक चरणबद्ध ढंग से लिया जायगा।

(ख) और (ग) ऐसी आशा है कि उद्योग के एल० पी० जी० कार्यक्रम के द्वारा वर्ष 1982-83 तक 50,000 से कम जनसंख्या वाले कुछ कस्बों को शामिल कर लिया जाएगा। तथापि, उनके सही ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

गुजरात में तेल की खोज के लिए विदेशी कम्पनियों के साथ सहयोग

4760. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के तेल क्षेत्रों में छिद्रण और आगे खोज के सम्बन्ध में विदेशी कम्पनियों के साथ सहयोग के लिए कोई बातचीत हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) सहयोग सम्बन्धी करार, यदि कोई हुआ है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) सोवियत संघ तथा भारत के बीच दिनांक 30 नवम्बर, 1981 के संलेख के अनुसार, सोवियत पक्ष ने गहरी (भूमि के नीचे पड़ी हुई) तलछटी रचनाओं में तेल तथा गैस की संभावनाओं का पता लगाने में सहायता देने के लिए अंकलेश्वर में एक गहरे कूप के व्यधन में सहायता देने के लिए सिद्धान्त रूप से सहमति प्रकट की थी। यह भी सहमति हुई थी कि सोवियत तथा भारतीय विशेषज्ञों के संयुक्त दल कठिनाई का अपेक्षित अध्ययन करेंगे तथा वर्ष 1982 के दौरान दोनों दलों के संयुक्त विचारार्थ उपयुक्त निर्णय करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करेंगे। सोवियत दल इस प्रयोजन के लिये 1982 की प्रथम छिमाही में विशेषज्ञों को भारत भेजेगा।

अरुणाचल प्रदेश में कुओं का छिद्रण

4761. **श्री चिंगवांग कोनयक** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अरुणाचल प्रदेश में कुओं के छिद्रण तथा खोज कार्य के लिए और अधिक कुओं के छिद्रण से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस क्षेत्र के खरसांग क्षेत्र में एक छोटा तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो अरुणाचल प्रदेश में कच्चे तेल का वाणिज्यक उत्पादन कब तक शुरू होगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) आयल इण्डिया लि० ने खरसांग क्षेत्र में 9 कुएं खोदे हैं। इनके अतिरिक्त शोकिंग मानबुम और कुमचाई क्षेत्रों में 3 कुओं की खुदाई की गई है। कुमचाई (गहरा कुआं) में खुदाई करने से हाइड्रोकार्बन्स की विद्यमानता के संकेत मिले हैं, परन्तु कुएं का परीक्षण नीचे छिद्रण समस्याओं के कारण न हो सका। प्रतिस्थापन कुआं (गहरा कुआं) 1984 में खोदा जायेगा।

आयल इण्डिया लि० की 1982-83 में खरसांग (अरुणाचल प्रदेश) में 7 और अन्वेषी कुओं की खुदाई करने की योजना है।

जब तक कुओं की खुदाई नहीं होती है और परिणाम ज्ञात नहीं होते हैं, वाणिज्यक उत्पादन अथवा एक छोटी शोधनशाला की स्थापना करने का विचार करना सम्भव नहीं है।

भारतीय समाचार पत्रों के पंजीकार के कार्यालय का स्थानांतरण

4762. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय समाचार पत्रों के पंजीकार के कार्यालय को वंदना भवन से रामकृष्णपुरम में स्थानान्तरित कर दिया गया है जिसके कारण राजधानी से बाहर वाले व्यक्तियों को वहां तक पहुंचने के लिए बड़ी भारी परेशानी उठानी पड़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारणों का ब्यौरा क्या है और बाहर के प्रयोक्ताओं की सुविधा के लिए इसके पुनः स्थानान्तरित किए जाने से संबंधित प्रबंध, यदि कोई है, का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां): (क) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय को हाल ही में वन्दना भवन से रामकृष्णपुरम में स्थानान्तरित किया गया था। कार्यालय का नया स्थान उन प्रकाशकों, लोगों, आदि के लिए बहुत सुविधाजनक नहीं है जिन्हें कार्यालय में मिलने के लिए आना पड़ता है।

(ख) स्थानान्तरण इसलिए आवश्यक हो गया था क्योंकि पहले यह कार्यालय किराए के एक निजी आवास में था और इसको एक सरकारी आवास में स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया गया था।

इसको अपेक्षाकृत अधिक सुविधाजनक स्थान पर स्थानान्तरित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

श्रव्य-दृश्य प्रचार निदेशालय के पास पूर्वोत्तर क्षेत्र के छोटे समाचार पत्रों के बाकी पड़े विज्ञापन बिल

4763. **श्री रास बिहारी बहेरा**: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों और उड़ीसा के छोटे समाचार पत्रों के बहुत सारे विज्ञापन बिल श्रव्य तथा दृश्य प्रचार निदेशालय के पास बहुत समय से बकाया पड़े हैं ;

(ख) इन राज्यों के समाचार पत्रों के बाकी पड़े बिलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन बिलों की शीघ्र अदायगी के लिए श्रव्य तथा दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और इन छोटे समाचार पत्रों का भुगतान नियमित करने के लिए क्या प्रबन्ध किए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) इन राज्यों से प्राप्त समाचार पत्रों के बिलों में से 15-3-82 को विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के पास केवल दो ही बिल पैंडिंग पड़े थे।

(ग) भुगतान के लिए उपरिउल्लिखित बिलों पर कार्रवाई की जा रही है। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ठीक पाए जाने वाले बिलों को उनके प्राप्त होने के 60 दिन के अन्दर भुगतान

कर देता है। एक मुद्रित पुस्तिका, जिसमें बिलों का भुगतान करने के बारे में विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त दिए गए हैं, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की माध्यम सूची में शामिल सभी समाचारपत्रों और नियतकालिक पत्रों को भेजी हुई है। कुल मिलाकर यह पद्धति सन्तोषजनक ढंग से काम कर रही है।

अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में समेकित तार "नेट वर्क" आरम्भ किया जाना

4764. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संख्यात्मक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में समेकित तार "नेट वर्क" लागू करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) समेकित दूरसंचार जालकार्य हेतु देशभर में 18 जिलों को प्रायोगिक उपाय के बतौर चुना गया। इन 18 स्थानों का चयन भौगोलिक तथा जनसांख्यकीय आधार पर किया गया है।

1982-83 के लिए अधिक नियतन

4765. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1982-83 के बजट में ऊर्जा के लिए कितना अधिक नियतन किया गया है ;

(ख) क्या इस नियतन का उपयोग ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने से सम्बन्धित योजनाओं के लिए किया जायगा ; और

(ग) यदि हां, तो उन कौन-सी ठोस योजनाओं को आरम्भ करने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) वर्ष 1981-82 और 1982-83 के लिए केन्द्रीय सेक्टर की योजना में विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा के लिए किए गए आवंटन को दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) विभिन्न विकास क्षेत्रों के विकास के लिए ऊर्जा संसाधनों के विकास तथा उत्पादन में बढ़ोतरी करने की दृष्टि से ये आवंटन किए गए हैं।

(ग) विभिन्न क्षेत्रों में 1982-83 में वित्त पोषित की जा रही मुख्य स्कीमें नीचे दिए अनुसार हैं :

विद्युत

1. बदरपुर चरण 1, 2 और 3
2. सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र चरण 1 और 2
3. कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र चरण 1 और 2

4. रामागुण्डम सुपर ताप विद्युत केन्द्र चरण 1 और 2
5. फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र चरण-1
6. लोकटक
7. बैरा स्यूल
8. सलाल—1
9. दुल हस्ती

कोयला

1. चिनाकुरी
2. बोंजेमेहारी ओ० सी० पी०
3. भुरुगिया
4. गोलोकडीह ओ० सी० पी०
5. के० डी० हेसालांग ओ० सी० पी०
6. झिगुरडा विस्तार ओ० सी० पी०
7. रामगढ़ ओ० सी० पी०
8. बीना ओ० सी० पी०
9. जयन्त ओ० सी० पी०
10. उमरेर विस्तार ओ० सी० पी०
11. न्यू माजरी ओ० सी० पी०
12. कुसुमुन्डा ओ० सी० पी० (विस्तार)

परमाणु ऊर्जा

1. नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना
2. कल्पक्कम परमाणु विद्युत परियोजना

पेट्रोलियम

इस प्रावधान का उपयोग पेट्रोलियम की खोज करने, उसका उत्पादन करने, शोधन करने और विपणन करने के लिए किया जाएगा। इसमें संदेह नहीं है कि कच्चे तेल और पेट्रोलियम के उत्पादन में वर्ष 1981-82 की तुलना में 1982-83 में वृद्धि होगी।

ऊर्जा के नए स्रोत :

यह प्रावधान सौर-ऊर्जा को घनीभूत करने, वायु, विद्युत आदि के लिए उपयोग में लाया जाएगा।

विवरण

1981-82 और 1982-83 में ऊर्जा के लिए किए गए आवंटनों को दिखाने वाला विवरण

(करोड़ रुपयों में)

सैक्टर	1981-82	1982-83
कोयला	679.74	877.00
पेट्रोलियम	999.38	938.86
परमाणु ऊर्जा	83.00	97.00
विद्युत	520.00	642.00
ऊर्जा के नए स्रोत	7.00	14.00

दिल्ली में टेलीफोन व्यवस्था

4766. प्रो० मधु दंडवते : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की टेलीफोन व्यवस्था विशेषकर दिल्ली में खराबी के कुछ तकनीकी कारण हैं ;

(ख) यदि हां, तो खराबी के क्या कारण पाए गए हैं ; और

(ग) खराबी को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ख) : टेलीफोन जाल कार्य में भूमिगत केबल विभिन्न एजेंसियों द्वारा खुदाई का कार्य करने के कारण टूट-फूट जाते हैं। इन केबलों के क्षतिग्रस्त भाग से पानी अन्दर रिसता है फलस्वरूप केबल खराब हो जाता है।

(ग) विभाग का यह उद्देश्य है कि भूमिगत संयंत्र जल-रोधी एवं क्षति-रोधी बनाया जाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) भूमिगत केबलों का शुष्क वायु द्वारा दाबीकरण जिससे अत्यन्त मामूली सी क्षति होने पर भी उसके जरिए केबल में पानी रिसने से रोका जा सके और दोषों का तुरन्त पता लगाया जा सके।

(ii) जहां केबल की गहराई निर्धारित गहराई से कम है वहां अर्ध नलिकाओं के रूप में भूमिगत केबलों को सुरक्षा प्रदान करना।

(iii) विभिन्न उपयोगी सेवाओं के खुदाई कार्यों द्वारा केबल को क्षति से बचाने के लिए कुछ भागों में केबल नलिकाओं का निर्माण।

(iv) जेली भरे केबलों का प्रयोग जो कि नए वितरण जाल कार्य के विकास में जल-रोधी हैं।

थाल वेशेट परियोजना चालू करना

4767. प्रो० मधु दंडवते : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) थाल वेशेट में उर्वरक परियोजना कब तक चालू होने की सम्भावना है, और

(ख) परियोजना का अनुमानित उत्पादन क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) थाल उर्वरक परियोजना के प्रथम और द्वितीय चरण द्वारा क्रमशः अगस्त/सितम्बर, 1984 और दिसम्बर 1984 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किए जाने की आशा है।

(ख) परियोजना की स्थापित क्षमता प्रतिवर्ष 14,84,000 टन यूरिया उत्पादन की होगी जो प्रतिवर्ष 6,33,000 टन नाइट्रोजन के बराबर है।

एशियाई खेलों पर डाक टिकट जारी करना

4768. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या एशियाई खेलों पर कोई डाक टिकट जारी करने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : जी हां।

1981 के दौरान एशियाई खेलों के विषय पर पहले से ही चार डाक टिकटों के अतिरिक्त 1982 के दौरान 6 डाक टिकट और जारी करने का प्रस्ताव है।

संगीतकारों के टेपों को सुरक्षित रखना

4769. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संगीतकारों के टेपों को सुरक्षित रखने का है;

(ख) क्या यह सच है कि इस कार्य के लिए राष्ट्रीय फिल्म अभिलेख का एक पृथक अनुभाग खोलने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब लागू किया जा रहा है; और

(घ) सरकार का इस सम्बन्ध में विस्तृत कार्यक्रम क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (घ) ऐसा अनुमान है कि प्रश्न राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय द्वारा सुरक्षित रखे जाने के संदर्भ में है। राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय विशिष्ट रूप से संगीतकारों के टेपों को सुरक्षित नहीं रखता। तथापि भारतीय सिनेमा के इतिहास को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय का फिल्म पथप्रदर्शकों, कलाकारों, तकनीशियनों और भारतीय सिनेमा की ऐतिहासिक घटनाओं से सम्बन्धित अन्य व्यक्तियों

(जिनमें फिल्म संगीतकार भी शामिल हो सकते हैं) के साथ भेंटवार्ताओं को रिकार्ड करके उन्हें सुरक्षित रखने का प्रस्ताव है। इस योजना का ब्यौरा अभी तैयार किया जाना है।

संयोगवश, आकाशवाणी और दूरदर्शन विशिष्ट संगीतकारों की रिकार्डिंगें अवश्य सुरक्षित रखते हैं।

वर्ष 1981-82 में उर्वरकों का उत्पादन

4770. **श्री के० प्रधानी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 में उर्वरकों की विभिन्न किस्मों के उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे;

(ख) क्या लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त वर्ष में विभिन्न किस्म के उर्वरकों का (टनों) कितना उत्पादन हुआ;

(घ) क्या सरकार के पास वर्ष 1982-83 में उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने के बारे में प्रस्ताव है; और

(ङ) वित्तीय वर्ष 1982-83 में विभिन्न किस्मों के उर्वरकों के उत्पादन के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) वर्ष 1981-82 के दौरान उर्वरकों के उत्पादन का लक्ष्य 32 लाख टन नाइट्रोजन और 9.25 लाख टन फास्फेट (पी 2 ओ 5) निर्धारित किया गया है।

(ख) फास्फेट (पी 2 ओ 5) का उत्पादन लक्ष्य से अधिक होने की आशा है और नाइट्रोजन का उत्पादन लक्ष्य की तुलना में कुछ कम होने की आशा है।

(ग) वर्ष 1981-82 में उर्वरकों का उत्पादन 31.30 लाख टन नाइट्रोजन और 9.50 लाख टन पी 2 ओ 5 होने का अनुमान है।

(घ) जी, हां।

(ङ) वर्ष 1982-83 में उर्वरकों का उत्पादन 36 लाख टन नाइट्रोजन और 10 लाख टन पी 2 ओ 5 होने का अनुमान है।

दिल्ली में 1981 में पंजीकृत कम्पनियां

4771. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 1981 में कितनी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां स्थापित की गईं;

(ख) इनमें से प्रत्येक कम्पनी का कुल अधिकृत पूंजी निवेश कितना है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) संघ प्रशासित क्षेत्र दिल्ली में 1981 (जनवरी-दिसम्बर, 1981) के मध्य 1574 प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां विनिगमित हुई थीं।

(ख) तथा (ग) इन 1574 प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों की इनके विनिगमन के समय कुल अधिकृत पूंजी 141.09 करोड़ रुपये की राशि की थी। इन कम्पनियों में से प्रत्येक की बाबत ब्यौरे उनके सम्बन्धित तुलन-पत्रों में उपलब्ध होंगे।

विश्व बैंक की सहायता से तट दूर और तटीय बेसिन में खोज

4772. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्व बैंक की सहायता से देश में की जाने वाली तट दूर और तटीय बेसिनों की खोज का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : इस समय केवल कृष्णा-गोदावरी बेसिन के विश्व बैंक की आंशिक वित्तीय सहायता से अन्वेषण किए जाने की सम्भावना है।

ई० डी० बी० ओ० का ग्रेड बढ़ाकर ई० डी० एस० ओ० करना

4773. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्णय किया है कि सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने पर जिन ई० डी० बी० ओ० के पास 4 से 5 घंटे का कार्य है उनका ग्रेड बढ़ाकर ई० डी० एस० ओ० कर दिया जाए;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय किस तारीख को लिया गया है; और

(ग) उक्त निर्णय लिए जाने के पश्चात् इस निर्णय के आधार पर सर्किलवार ई० डी० बी० ओ० का ग्रेड बढ़ाया गया है (बहु-राज्यीय सर्किल के मामले में राज्यवार बताएं) ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मद्रास नगर में रेलवे मेल सेवा का कार्यालय

4774. **डा० ए० कलानिधि** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास नगर में सेन्ट्रल स्टेशन के निकट रेलवे मेल सार्टिंग आफिस बहुत अस्वास्थ्यकर, गंदे और बहुत कम स्थान वाले मकान में स्थित है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यालय के लिए एक आधुनिक खुला और सुविधाजनक मकान लेने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) मद्रास नगर में सेन्ट्रल स्टेशन के साथ लगा हुआ रेल डाक छंटाई कार्यालय 1944 से रेलवे के भवन में कार्य कर रहा है। इस भवन में लगभग 1000 वर्ग मीटर स्थान उपलब्ध है जबकि लगभग 1600 वर्ग मीटर स्थान का औचित्य बनता है। यह सत्य नहीं है कि कार्यालय अस्वास्थ्यकर भवन में स्थित है। इस भवन में छत ऊंची है तथा इसमें उपयुक्त वायुसंचरण एवं प्रकाश की सुविधाएं हैं।

(ख) भवन में जून, 1981 में सफेदी की गई थी। जून, 1981 में रेलवे द्वारा फर्श की मरम्मत की गई थी तथा अन्य सुविधाएं भी प्रदान की गई थीं। मद्रास छंटाई कार्यालय के मौजूदा भवन को गिराकर बहुमंजिला भवन बनाने के एक प्रस्ताव की रेलवे प्राधिकारियों के परामर्श से जांच की जा रही है।

उपग्रह का प्रयोग

4775. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में दिल्ली के निकट तिलपत में वायुसेना के प्रदर्शन को दूरदर्शन पर दिखाने के लिए "एपल" उपग्रह का प्रयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो और अधिक दूरी तक सीधे प्रसारण के लिए उपग्रह के प्रयोग सम्बन्धी मार्गनिदेश क्या हैं और क्या आंध्र प्रदेश को भी सीधे प्रसारण के लिए शामिल किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उपग्रह का प्रयोग नियमित रूप से करना संभव है और यदि हां, तो बम्बई, दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता दूरदर्शन केन्द्रों से प्रचारित होने वाले कार्यक्रमों को बारी-बारी सभी राज्यों में प्रसारित करने का प्रयास करने का विचार है ताकि विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का दर्शक अधिक से अधिक लाभ उठा सकें और यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) "एपल" केवल एक प्रायोगिक उपग्रह है और यह नियमित दूरदर्शन सेवा के लिए नहीं है। जब भी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को रिले किया जाना होता है, "एपल" की सेवाएं डाक-तार माइक्रोवेव लिंक से नहीं अभी तक असम्बद्ध दूरदर्शन केन्द्रों को जोड़ने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से प्राप्त की जाती है। तथापि, "इन्सैट-1" के छोड़े जाने पर एस-बैण्ड रिले रिसीवरों और दिल्ली अपलिंक का उपयोग करके कार्यक्रमों का राष्ट्रीय हुक अप पर रिले किया जाना संभव होगा।

विकासपुरी में शिकायत केन्द्र

4776. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत पूर्व मंजूर होने के बाद भी पश्चिम दिल्ली की आवासी

कालोनी विकासपुरी में स्टाफ की कमी के कारण विद्युत शिकायत केन्द्र की स्थापना नहीं की गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं जबकि सबसे नजदीक जनकपुरी का शिकायत केन्द्र इस कालोनी के अधिकांश हिस्सों से 7 कि० मी० दूर है; और

(ग) सरकार इस बारे में क्या कार्रवाही करने पर विचार कर रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) विकासपुरी आवासीय कालोनी के लिए शिकायत केन्द्र अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया है। विकासपुरी का विकास 2½ वर्ष पूर्व आरम्भ हुआ था तथा इस क्षेत्र को जनकपुरी शिकायत केन्द्र के साथ जोड़ा गया है, जो लगभग 10 वर्ष पूर्व स्थापित किया गया था और जो विकासपुरी के सबसे निकट है। जनकपुरी में यह शिकायत केन्द्र विकासपुरी के निवासियों की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

(ग) विकासपुरी में शिकायत केन्द्र स्थापित करने पर उस समय विचार किया जायेगा जब उपभोक्ताओं की संख्या की दृष्टि से इसे उचित समझा जायेगा।

तीन बैंड रेडियो और दूरदर्शन की लाइसेंस फीस

4777. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1979,1980 और 1981 में तीन बैंड के रेडियो और दूरदर्शन सैटों की पृथक्-पृथक् कितनी लाइसेंस फीस प्राप्त हुई; और

(ख) इस धनराशि का उपयोग किस प्रकार किया गया ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) तीन बैंड रेडियो सैट के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं। अतएव इस प्रकार के रेडियो सैट के लाइसेंस बनाने से वसूल राजस्व के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है। टी० वी० सैटों पर 1979 तथा 1980 के दौरान वसूल लाइसेंस शुल्क नीचे दर्शाया गया है। 1981 के आंकड़े संकलित किए जा रहे हैं तथा उपलब्ध होने पर यथासंभव शीघ्र सभा पटल पर रख दिये जाएंगे।

वर्ष	वसूल राजस्व (करोड़ रुपयों में)
	टी० वी०
1979	5.22
1980	6.74

(ख) लाइसेंस प्रणाली के प्रशासन हेतु संचालन लागत जोकि फिलहाल कुल राजस्व का 19 प्रतिशत निर्धारित है, अपने पास रोकने के बाद वसूल राजस्व सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को अन्तरित कर दिया जाता है।

"सालबुटामोल" का अतिरिक्त उत्पादन

4778. **श्री वी० वी० देसाई :**

श्री मगन भाई वरोट :

क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा दमा के इलाज के लिये "सालबुटामोल" नामक जीवन रक्षक औषधि के अतिरिक्त उत्पादन के निर्णय के सम्बन्ध में अनिश्चिता के कारण बहुत विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ रही है,

(ख) क्या इस औषधि का निर्यात 1978-79 में 177.20 कि० ग्रा० से बढ़कर 1981 में 406.21 कि० ग्रा० हो गया जोकि 200 प्रतिशत की वृद्धि है,

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय न लेने के क्या प्रमुख कारण हैं, और

(घ) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) सालबुटामोल के निर्माण के लिये मै० ग्लैक्सो को प्रदान किये गये आशय पत्र के सम्बन्ध में ब्यौरे, दि० 2 मार्च, 1982 को पूछे गये लोक सभा अ० ता० प्र० सं० 1537 के उत्तर में दिये गये हैं। चूंकि यह मामला बहुत उलझा हुआ है, अतः इसके प्रत्येक पहलू की जांच करनी पड़ेगी। तथापि, सरकार ने एक भारतीय निर्माता की 1981 में 900 कि० ग्रा० की अतिरिक्त क्षमता मंजूर की है।

(ख) जहां वर्ष 1978-79 और 1980-81 के मध्य सालबूटामोल के उत्पादन में तिगुनी वृद्धि हुई थी, वहां सालबूटामोल का आयात भी वर्ष 1978-79 में 273.548 कि० ग्रा० से वर्ष 1980-81 में 406.5 कि०ग्रा० तक बढ़ा है। वर्ष 1981-82 के प्रथम दस महीनों में स्वदेशी उत्पादन 500 कि० ग्रा० तक पहुंच गया है।

(ग) और (घ) सालबूटामोल के लिये मै० ग्लैक्सो को प्रदान किये गये आशय पत्र को समाप्त समझे जाने का अन्तिम निर्णय ले लिया गया है।

पुनर्वास उद्योग निगम में घाटा

4779. **श्री सूरज भान :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पुनर्वास उद्योग निगम में पिछले एक दशक से निरंतर घाटा हो रहा है, यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष में कितना घाटा हुआ है; और

(ख) निगम के सम्बन्ध में इस दशक के दौरान क्या कदम उठाए गए हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो)

(क) जी, हां। वर्ष-वार घाटा निम्न प्रकार है :

वर्ष	लाख रुपयों में
1971-72	62.51
1972-73	77.35
1973-74	191.29

वर्ष	लाख रुपयों में
1974-75	125.33
1975-76	150.92
1976-77	160.64
1977-78	182.56
1978-79	223.84
1979-80	281.99
1980-81	886.30

(ख) निगम की कार्य प्रणाली का अध्ययन करने के लिए चार समितियां नियुक्त की गई थीं किन्तु चूंकि सिफारिशों में निगम के कुछ एककों को हस्तांतरित/बन्द करने का उल्लेख किया गया था और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निगम में रोजगार पर लगे हुए विस्थापित व्यक्तियों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, अतः इन सिफारिशों को लागू नहीं किया जा सका। इस अवधि के दौरान कार्यकारी पूंजी तथा साथ ही महत्वपूर्ण परिसम्पत्तियों पर व्यय करने के लिए निगम को 13 करोड़ रुपये का ऋण और हिस्सा पूंजी के रूप में 35 लाख रुपये दिए गए हैं। निगम द्वारा परियोजना में निर्माण तथा रचना-सम्बन्धी निर्माण कार्य हाथ में लेकर अपने क्रिया कलापों को बढ़ाने के प्रयास किए गए किन्तु इससे हानियों को कम करने में विशेष सफलता नहीं मिली। हाल ही में निगम को सुधारने का प्रयास किया गया है और निगम द्वारा प्रस्तुत की गई संभाव्य रिपोर्टों के आधार पर, पूंजीगत व्यय के लिए 1.16 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। संभाव्य रिपोर्टों तथा धन-सम्बन्धी स्थिति के अनुसार, वर्ष 1981-82 के लिए भी अपेक्षित कार्यकारी पूंजी की व्यवस्था की गई है। निगम को ऋण की वापसी के लिए मोहलत देकर तथा बकाया ऋणों पर ब्याज की छूट देकर प्रथम अप्रैल, 1981 से 31 मार्च 1986 तक वित्तीय राहत दी गई है। अपने निष्पादन में सुधार लाने के लिए कम्पनी अपने उत्पादों में विविधता लाने का प्रयास कर रही है। कम्पनी के निष्पादन पर सन्निकट ध्यान रखा जा रहा है।

पारादीप में उर्वरक संयंत्र के लिए नौरा सरकार के साथ वित्तीय सहयोग

4780. **डा० कृपा सिन्धु भोई :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पारादीप में एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए नौरा सरकार के साथ वित्तीय सहयोग करने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस समय इस मामले पर किस स्तर पर विचार हो रहा है,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग)

पारादीप उर्वरक परियोजनाओं में नौरा सरकार द्वारा पूंजी सहभागिता के लिए प्रस्ताव पर निर्णय के लिए कार्यवाही की जा रही है।

दिल्ली में चालू वर्ष में मंजूर किए गए मिट्टी के तेल के डिपो

4781. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नागरिक आपूर्ति विभाग ने इस वर्ष कितने अतिरिक्त मिट्टी के तेल के डिपो मंजूर किए हैं और उनमें से कितने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं;

(ख) आरक्षित दुकानों के लिए इन जातियों के व्यक्तियों से प्राप्त तथा आम श्रेणी के व्यक्तियों से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या, पृथक-पृथक कितनी है; और

(ग) उन्हें, पृथक-पृथक कितने तेल के डिपो आवंटित किए गए और इस आवंटन का मान-दण्ड क्या था ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) 1982 के दौरान आज तक दिल्ली के सिविल सप्लाईज विभाग द्वारा मिट्टी के तेल के 51 अतिरिक्त डिपो स्वीकार किये गये हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। दिल्ली प्रशासन की घोषित नीति के अनुसार जब कभी कोई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का पात्र उम्मीदवार, जिसके पास इस क्षेत्र में उपयुक्त स्थान है जहां कि मिट्टी के तेल के डिपो के लिए रिक्त स्थान को अधिसूचित किया गया है, आवेदन करता है, अन्य सभी उम्मीदवारों की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है। इस प्रकार अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के लोगों की देख-भाल सही रूप से करने का सिद्धांत दिल्ली प्रशासन की घोषित नीति में दिया हुआ है।

(ख) अतिरिक्त मिट्टी तेल के डिपुओं के लिए 51 रिक्त स्थानों के प्रति 273 आवेदन-पत्र सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से और 19 आवेदन-पत्र अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से प्राप्त हुए थे।

(ग) 39 अतिरिक्त मिट्टी के तेल के डिपो सामान्य वर्ग के सदस्यों को और 12 मिट्टी के तेल के डिपो अनुसूचित जातियों के सदस्यों को आवंटित किये गये थे।

मिट्टी के तेल के डिपुओं का आवंटन करने के लिए अपनाई गई कसौटी निम्न प्रकार है :

1. जिस क्षेत्र के लिए रिक्त-स्थान अधिसूचित किया गया है, वहां स्थान की उपलब्धता।

2. स्थान केन्द्र बिन्दु पर स्थित होने चाहिए जहां भारी वाहन पहुंच सके और खासतौर पर व्यापारिक क्षेत्र में हो और स्थान का आकार $4 \times 3 \times 3$ मीटर होना चाहिए।

3. वह इतना शिक्षित होना चाहिए कि लेखा पुस्तकों का कार्य संभाल सके।

4. उसके परिवार के किसी भी सदस्य के पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कोई अन्य लाइसेंस न हो।

5. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन उसे दोषी सिद्ध न किया गया हो। अगर आवश्यक हो, उसकी वित्तीय स्थिति युक्तिसंगत व ठीक हो।

आनन्दपुर साहिब परियोजना शुरू करना

4782. **श्री लहना सिंह तुर :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार द्वारा आनन्द पुर साहिब पन बिजली परियोजना की 1970 में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को सरकार ने स्वीकार कर लिया है; और

(ख) क्या बिजली का अत्यधिक अभाव और इसका खाद्यान्न उत्पादन, अन्य उद्योगों और रोजगार के अवसरों पर प्रभाव को देखते हुए सरकार का विचार इस परियोजना को शीघ्र मंजूरी देने का है ताकि परियोजना की लागत में वृद्धि से बचा जा सके ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) जब तक सम्बन्धित तकनीकी और अन्तर्राज्यीय मामले हल नहीं हो जाते केन्द्रीय जल आयोग/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण परियोजना को स्वीकृत नहीं कर सकते। इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

शाहपुर कंडी परियोजना

4783. **श्री लहना सिंह तुर :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने 1970-71 में प्रस्तावित थीन बांध से नीचे शाहपुर कंडी परियोजना का प्रस्ताव रखा था और यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि जम्मू और काश्मीर और पंजाब सरकारों के बीच एक द्विपक्षीय समझौता पहले ही हो चुका है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन दोनों राज्यों में विद्युत के अत्यधिक अभाव को ध्यान में रखकर और खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने और खाद्यान्न के आयात जिसमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है; में कमी करने के लिए इस परियोजना को शीघ्र शुरू करने का है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां। थीन बांध परियोजना के साथ-साथ शाहपुर कंडी परियोजना का क्रियान्वयन समेकित रूप से किया जाना है ताकि गाद भरने की संभावना की दृष्टि से इसके स्पीलवे का अभिकल्प मितव्ययी हो। थीन बांध परियोजना की अन्तिम स्वीकृति का मामला लम्बित होने के कारण इस परियोजना पर विचार रुका हुआ है।

(ख) जी, हां।

(ग) थीन बांध परियोजना सम्बन्धी लम्बित विवादों का शीघ्रतापूर्वक समाधान करने के लिए तथा परियोजना को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए प्रयास जारी हैं।

एकाधिकार गृहों की चल और अचल सम्पत्ति

4784. **श्री चित्त महाटा** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में एकाधिकार गृहों की चल और अचल सम्पत्ति का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार अब मूल्यांकन करने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क), (ख) तथा (ग) औद्योगिक घरानों से सम्बन्धित कम्पनियों की चल एवं अचल सम्पत्तियों पर अलग आंकड़े संकलित एवं संधारित किया जाना, कम्पनी कार्य विभाग में अपेक्षित नहीं है। तथापि, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत 31-12-1980 तक के पंजीकरणों के अनुसार, प्रत्येक घराने की 1980 में परिसम्पत्तियां देते हुये, एक विवरण-पत्र संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3729/82]

उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में कुकिंग गैस सिलेंडरों का विक्रय मूल्य

4785. **श्री हरीश रावत** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में कुकिंग गैस के सिलेंडरों का विक्रय मूल्य क्या है ;

(ख) वहां अतिरिक्त मूल्य लेने के क्या कारण है ; और

(ग) उनका मंत्रालय उन जिलों में कुकिंग गैस के सिलेंडर उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही कर रहा है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) दिनांक 1-1-1982 से अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ दोनों शहरों में खाना पकाने की गैस का खुदरा बिक्री मूल्य स्थानीय डिलीवरी शुल्क को छोड़कर (जिन्हें कि स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित किया जाता है) 57.42 रुपये प्रति 15 किलोग्राम का सिलेंडर है।

(ख) और (ग) दिनांक 1-1-1982 से पूर्व, खाना पकाने की गैस का खुदरा बिक्री मूल्य स्थानीय डिलीवरी शुल्कों को छोड़कर पिथौरागढ़ तथा अल्मोड़ा में क्रमशः 71.37 रुपये तथा 69.67 रुपये प्रति 15 किलो ग्राम का सिलेंडर था। इन बाजारों में खुदरा बिक्री मूल्यों में पहले ही काफी कमी की जा चुकी है।

उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ

4786. **श्री हरीश रावत** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के उत्तर-पश्चिम जिलों में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी आयोग का गठन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी रिपोर्ट कब तक प्राप्त होने की संभावना है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों के लिए एक न्यायपीठ के गठन की मांग से उत्पन्न होने वाले सभी पहलुओं पर और राज्य सरकार द्वारा इस बारे में की गई सिफारिशों के विभिन्नि पहलुओं पर विचार करने के लिए भारत सरकार ने एक तीन सदस्यीय आयोग गठित किया है। इस आयोग से अपेक्षा की गई है कि वह 3 सितम्बर, 1982 तक अपनी रिपोर्ट दे दे ।

उत्तर प्रदेश के जिलों में एक्सप्रेस सरल रेडियो प्रणाली

4787. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के उन जिलों के नाम क्या हैं जिनमें "एक्सप्रैस सरल रेडियो" प्रणाली परीक्षण के तौर पर चालू की जा रही है ; और

(ख) अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को, जो कि सीमावर्ती जिले हैं, इस प्रणाली का लाभ कब तक मिल जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, नहीं। डाक तार विभाग में एक्सप्रेस सरल रेडियो प्रणाली नामक कोई प्रणाली नहीं हैं । तथापि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में प्रायोगिक आधार पर मल्टी-एक्सेस ग्रामीण रेडियो प्रणाली प्रारम्भ की जा रही है।

1. बांदा
2. पौड़ी
3. मिर्जापुर

(ख) अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ हेतु मल्टी-एक्सेस ग्रामीण रेडियो प्रणाली की व्यवस्था करने की योजना अभी बनाई जा रही है ।

"फ्लोरीन पोल्यूशन आफ दामोदर एट सिंदरी" शीर्षक समाचार

4788. **श्री ए० के० राय** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 18 जनवरी, 1982 को धनबाद की तकनीकी पत्रिका *"दी न्यू स्कैच"*

में "फ्लोरीन पोल्यूशन आफ दामोदर एट सिंदरी" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है, यदि हां, तो सत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है,

(ख) क्या उनको यह भी जानकारी है कि सिंदरी में बहुत प्रदूषण है, जिसके कारण कुछ माह पहले आंदोलन भी किया गया था, और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां। पत्र में दिये गये सुझावों को फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि० (एफ० सी० आई) द्वारा सामान्यत: अच्छा पाया गया है। फ्लोराइन समाप्त करने के लिए चूना उपचार के सुझाव का कार्यान्वयन किया जा रहा है। चूना लेने की मात्रा बढ़ाई जा रही है। विस्रावों को एफ०सी०आई० के वाटर पम्पिंग स्टेशन के नीचे एक स्थान पर दामोदर नदी में छोड़ा जाता है।

(ख) और (ग) सिंदरी सुव्यवस्थीकरण योजना का सल्फ्यूनिक ऐसिड संयंत्र, सल्फर डाई आक्साइड रखने वाली स्टैक गैसों से कुछ प्रदूषण उत्पन्न कर रहा था। इसको कम करने की दृष्टि से दिनांक 22-1-1982 से ब्रिन्क मिस्ट इलिमिनेटर्स सैट प्रारम्भ किये गए हैं। इससे प्रदूषण समस्या में उल्लेखनीय कमी हो गई है।

वर्ष 1982-83 के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु आवंटन

4789. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्त वर्ष 1982-83 में केन्द्रीय तथा राज्य दोनों ही क्षेत्रों में राज्य-वार कितनी राशि रखी गई है ;

(ख) राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में विद्युतीकरण किए जाने वाले गांवों की कुल संख्या क्या है ; और

(ग) लक्ष्यों की प्रगति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) कुछ राज्यों का वर्ष 1982-83 का वार्षिक बजट अभी प्रस्तुत किया जाना है। तथापि, वर्ष 1982-83 के लिए, ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए विभिन्न वित्तीय स्रोतों के अन्तर्गत राज्यवार अनन्तिम परिव्यय दिखाने वाला विवरण-1 संलग्न है।

(ख) वर्ष 1982-83 के दौरान विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में शामिल किए जाने के लिए अनन्तिम तौर पर प्रस्तावित गांवों की संख्या विवरण-2 में दिखाई गई है।

(ग) ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें राज्य बिजली बोर्डों द्वारा बनाई जाती हैं और उन्हीं के द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं। राज्य बिजली बोर्डों को सलाह दी गई है कि वे लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के लिए कार्यवाही की गति में तेजी लाने के लिए अपनी संगठनात्मक क्षमता को पर्याप्त रूप से सुदृढ़ करें।

विवरण-1

वर्ष 1982-83 के लिए ग्राम विद्युतीकरण के लिए, राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम, ग्राम विद्युतीकरण निगम तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार अनन्तिम परिव्यय दिखाने वाला विवरण ।

(लाख रुपयों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य योजना	ग्रा०वि०नि	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	जोड़
1		2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,500	619	70	2,189
2.	असम	100	354	700	1,154
3.	बिहार	200	879	684	1,763
4.	गुजरात	600	622	75	1,297
5.	हरियाणा	800	280	—	1,080
6.	हिमाचल प्रदेश	100	373	66	539
7.	जम्मू व काश्मीर	85	439	60	584
8.	कर्नाटक	600	363	28	991
9.	केरल	520	173	—	693
10.	मध्य प्रदेश	650	1,420	1,000	3,070
11.	महाराष्ट्र	3,024	776	—	3,800
12.	मणिपुर	15	15	60	90
13.	मेघालय	—	117	43	160
14.	नागालैण्ड	67	31	34	132
15.	उड़ीसा	300	681	434	1,415
16.	पंजाब	571	629	—	1,200
17.	राजस्थान	500	886	696	2,082
18.	सिक्किम	40	—	10	50
19.	तमिलनाडु	2,100	354	—	2,454
20.	त्रिपुरा	—	151	50	201

1	2	3	4	5
21. उत्तर प्रदेश	752	1,278	1,470	3,500
22. पश्चिम बंगाल	30	1,297	325	1,652
उप-जोड़ (राज्य)	12,554	11,737	5,805	30,096
ग्रा० वि० नि० एस० पी० ए० के लिए एकमुश्त प्रावधान	—	4,000	—	4,000
हरिजन बस्तियां	—	—	—	—
ग्रामीण सहकारिताएं	—	600	—	600
जोड़ (राज्य)	12,554	16,337	5,805	34,696

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य योजना	ग्रा०वि०नि०	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	जोड़
1.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	—	—	15	15
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	150	150
3.	चण्डीगढ़	—	—	—	—
4.	दादरा और नागर हवेली	19	—	—	19
5.	दिल्ली	100	—	—	100
6.	गोवा, दमन और दीव	6	—	—	6
7.	लक्षद्वीप	—	—	—	—
8.	मिजोरम	60	—	40	100
9.	पांण्डिचेरी	—	—	—	—
जोड़ (संघ राज्य क्षेत्र)		185	—	205	390
जोड़ (अखिल भारत)		12,739	16,337	6,010	35,086

विवरण-2

वर्ष 1982-83 में गांवों को विद्युतीकृत करने तथा सिंचाई पम्पसेटों/ट्यूबैलों को ऊर्जित करने के अन्तिम लक्ष्य दिखाने वाला विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित राज्य	गांवों का विद्युतीकरण	पम्पसेटों/ट्यूबैलों का ऊर्जन
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,600	56,000
2.	असम	1,600	2,580
3.	बिहार	4,440	50,000
4.	गुजरात	1,200	20,000
5.	हरियाणा	—	20,000
6.	हिमाचल प्रदेश	750	930
7.	जम्मू व काश्मीर	475	67
8.	कर्नाटक	2,000	20,000
9.	केरल	—	2,000
10.	मध्य प्रदेश	2,800	32,000
11.	महाराष्ट्र	2,000	60,000
12.	मणिपुर	135	100
13.	मेघालय	183	—
14.	नागालैण्ड	45	—
15.	उड़ीसा	1,250	11,000
16.	पंजाब	—	35,000
17.	राजस्थान	1,475	30,000
18.	सिक्किम	25	—
19.	तमिलनाडु	80	30,000
20.	त्रिपुरा	300	300
21.	उत्तर प्रदेश	3,100	40,000
22.	पश्चिम बंगाल	2,000	3,000
	जोड़ (राज्य)	25,464	4,22,977

1	2	3	4
1.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	25	उपलब्ध नहीं
2.	अरुणाचल प्रदेश	120	—वही—
3.	चण्डीगढ़	—	—वही—
4.	दादर तथा नागर हवेली	65	—वही—
5.	दिल्ली	—	—वही—
6.	गोवा, दमन तथा दीव	6	—वही—
7.	लक्षद्वीप	—	—वही—
8.	मिजोरम	29	—वही—
9.	पांडीचेरी	—	—वही—
	जोड़ (संघ राज्य क्षेत्र)	245	
	जोड़ (अखिल-भारत)	25,709	4,22,977

तितलागढ़ निम्न चयन ग्रेड उप डाकघर का दर्जा बढ़ाकर प्रधान डाकघर किया जाना

4790. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा सर्कल तितलागढ़, निम्न चयन ग्रेड के उप डाकघर में 12 कर्मचारी हैं और बोलनगिर मुख्य डाकघर के अन्तर्गत 49 उप डाकघर हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तितलागढ़ निम्न चयन ग्रेड उप डाकघर को प्रधान डाकघर के रूप में दर्जा बढ़ाए जाने की शर्तों को पूरा करना है, उसका दर्जा प्रधान डाकघर के रूप में न बढ़ाए जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल : (क) जी, हां ।

(ख) मौजूदा मानदंडों के अनुसार एक उप डाकघर का दर्जा बढ़ाकर मुख्य डाकघर बनाने के लिए ऐसे मुख्य डाकघर का द्विशाखन किया जाता है जिसके लेखा अधिकारी क्षेत्र में प्रस्तावित उप-डाकघर का दर्जा बढ़ाया जाना है बशर्ते कि मुख्य डाकघर के लेखे में उप-डाकघरों की संख्या 60 से अधिक हो। इस समय बोलनगिर मुख्य डाकघर के लेखे में केवल 49 उप-डाकघर हैं अत: विभागीय मानकों के अनुसार इसका द्विशाखन करने तथा तितलागढ़ उप-डाकघर का दर्जा बढ़ाकर मुख्य डाकघर बनाने का औचित्य नहीं बनता है।

उड़ीसा में तराजू रहित डाकघर

4791. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा सर्किल के डाकघरों को डाक सामग्री तोलने के लिए तराजुओं की सप्लाई नहीं की जाती ;

(ख) यदि हां, तो इस समय तराजू से रहित शाखा डाकघरों की संख्या क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार सभी शाखा डाकघरों को तराजुओं की शीघ्र सप्लाई करने हेतु तत्काल कार्यवाही करने का है ?

संचार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, हां। कुछ शाखा डाकघर बगैर पत्र तोलने की तराजू के कार्य कर रहे हैं।

(ख) 1168

(ग) जी, हां।

देश में इस समय काम कर रहे विद्युत संयंत्र

4792. **श्री राजेश कुमार सिंह :**
श्री राम विलास पासवान :

क्या ऊर्जा मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में काम कर रहे विद्युत उत्पादन संयंत्रों के नाम तथा उनकी संख्या क्या है ;

(ख) प्रत्येक संयंत्र की उत्पादन क्षमता क्या है ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक संयंत्र में विद्युत का (वर्ष-वार) वास्तविक उत्पादन क्या था ;

(घ) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा इस समय बिजली की कितनी मांग है ; और

(ङ) देश में बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए बिजली की उत्पादन क्षमता बढ़ने हेतु कुल कितनी राशि आवंटित की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) 1978-79 से 1981-82 तक की अवधि के दौरान संयंत्रवार उत्पादन क्षमता का ऊर्जा उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण (उपाबन्ध-एक और उपाबन्ध-दो) में दिया गया है। इससे यह दिखाई देता है कि देश में विद्युत उत्पादन में सुधार हो रहा है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3730-82**]।

(घ) वर्ष 1981-82 के दौरान देश की निवल ऊर्जा आवश्यकता 129247 मिलियन यूनिट है। इसकी तुलना में 1980-81 के दौरान, यह आवश्यकता 120118 मिलियन यूनिट, 1979-80 के दौरान 118370 मिलियन यूनिट और 1978-79 के दौरान 108535 मिलियन यूनिट थी।

(ङ) छठी पंचवर्षीय योजना में विद्युत क्षेत्र के लिए 19265 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। इसमें, अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के लिए 11853 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है।

विभिन्न राज्यों में विद्युत की दरें

4793. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में विभिन्न राज्यों में घरेलू (बिजली, पंखे, पावर), उद्योगों, सिंचाई तथा कृषि प्रयोजनों के लिए सप्लाई की जा रही बिजली की अलग-अलग दरें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : विभिन्न राज्यों में घरेलू (रोशनी, पंखे विद्युत), औद्योगिक, सिंचाई और कृषि प्रयोजनों के लिए सप्लाई की जा रही विद्युत की वर्तमान दरें दिखाने वाला विवरण संलग्न है (उपाबन्ध)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3731/82]

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा मंजूर की गई परियोजनायें

4794. **श्री एस०एम० कृष्ण** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने 16 राज्यों में 75 नई विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए 30 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है,

(ख) यदि हां, तो इसमें से कितनी परियोजनाएं कर्नाटक में लगाई जाएंगी, और

(ग) वहां कितने गांवों और हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां। ग्राम विद्युतीकरण निगम ने हाल ही में जनवरी, 1982 में देश के 16 राज्यों में कुल 30.90 करोड़ रुपये की ऋण सहायता की 75 नई ग्राम विद्युतीकरण परियोजनाएं स्वीकृत की हैं।

(ख) तथा (ग) उपर्युक्त परियोजनाओं में कर्नाटक में 17.43 लाख रुपये की ऋण सहायता की एक परियोजना शामिल है जिसमें राज्य में 32 नए गांवों को तथा इन गांवों से जुड़ी हुई सभी हरिजन बस्तियों को विद्युतीकृत किए जाने की परिकल्पना है।

मंजूरी हेतु लम्बित मध्य प्रदेश की विद्युत परियोजनाएं

4795. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की जल-विद्युत परियोजनाओं की परियोजना रिपोर्टों की वर्तमान स्थिति क्या है और इन्हें कब तक मंजूरी मिलने की सम्भावना है,

(ख) क्या यह सच है कि संसाधनों की कमी के कारण इन परियोजनाओं के लिए वर्ष 1982-83 की वार्षिक योजना में उपबंध करना सम्भव नहीं है, और

(ग) क्या सरकार द्वारा इन परियोजनाओं हेतु विदेशी सहायता लेने के प्रस्ताव पर विचार किया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : मध्य प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए राज्य सरकार से प्राप्त हुई परियोजना रिपोर्टों की वर्तमान स्थिति संलग्न

विवरण में दी गई है। परियोजना प्रस्तावों से संबधित विभिन्न मामलों का समाधान अभी किया जाना है। लम्बित पड़े मामलों के हल हो जाने के पश्चात् ही केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक स्वीकृति दी जा सकती है। इसके पश्चात्, निवेश सम्बन्धी स्वीकृति दिए जाने के लिए प्रस्तावों की जांच योजना आयोग द्वारा की जाएगी।

(ख) (जल विद्युत परियोजनाओं सहित) नई परियोजनाओं को हाथ में लेने के लिए मध्य प्रदेश की 1982-83 की वार्षिक योजना में एकमुश्त प्रावधान किया जा रहा है जिसके लिए योजना आयोग द्वारा निवेश सम्बन्धी स्वीकृति 1982-83 के दौरान जारी की जाएगी।

(ग) जी, हां।

विवरण

मध्य प्रदेश की नई जल-विद्युत उत्पादन स्कीमें जिनकी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांच की जा रही है

जल विद्युत परियोजनाएं

क्र० सं०	स्कीम-राज्य का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगा०)	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	स्कीमों की तकनीकी जांच की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1.	बाणसागर (संशोधित प्रस्ताव)	3×105+ 2× 15+ 3×15= 390	19582 विद्युत	परियोजना रिपोर्ट की के०वि०प्रा० और के० ज० आ० में जांच कर ली गई है। के० ज० आ० की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, परियोजनाओं के सिंचाई और सिविल अभिकल्पों से सम्बन्धित पहलुओं पर अभी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जाना है।
2.	सिन्ध बहूद्देश्यी परियोजना सोपान-दो, (मोहिनी सागर),	3×25 =75	3931 विद्युत	के० वि० प्रा० की टिप्पणियों के उत्तरों की राज्य सरकार से प्रतीक्षा है।
3.	ओरीकी बहूद्देश्यी परियोजना	2×15×2+30 =90	4830 विद्युत	परियोजना रिपोर्ट की के० वि० प्रा० में जांच कर ली गई है और

1	2	3	4	5
				परियोजना प्राधिकारियों को टिप्पणियां भेज दी गई हैं। के०वि० प्रा० की टिप्पणियों के उत्तरों की प्रतीक्षा है। उत्तर प्रदेश राज्य ने इस परियोजना में कुछ अन्त-र्राज्यीय पहलुओं को उठाया है।
4.	हसदेव (बंगो) बहूद्देश्यी परियोजना	3×40 =120	4097 विद्युत	के० वि० प्रा० / के० ज० आ० की टिप्पणियां परियोजना प्राधि-कारियों को भेज दीगई हैं। उनके उत्तरों की प्रतीक्षा है।
5.	कुत्रु-1 जल विद्युत	3×50 =150	7256 विद्युत	के० वि० प्रा०/के० ज० आ० की टिप्पिणियां परियोजना प्राधिका-रियों को भेज दी गई हैं। उत्तरों की प्रतीक्षा है। के० ज० आ० की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए परियोजना प्राधिकारियों द्वारा जल विज्ञान, लागत अनुमानों, सिविल अभिकल्पों आदि को अन्तिम रूप दिया जाना अभी शेष है।
6.	महानदी जलाशय	4×2.5 =10	734 विद्युत	के० वि० प्रा०/के० ज० आ० में जांच की जा रही है। के० ज० आ० की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए जल विज्ञान और जल विद्युत सिविल अभिकल्पों के पहलुओं को अभी परियोजना प्राधिकारियों द्वारा हल किया जाना है।
7.	कुत्रु-2 जल-विद्युत	3×50 =150	11316 विद्युत	के० वि० प्रा०/के० ज० आ० में जांच की जा रही है। (रिपोर्ट फरवरी, 1982 में प्राप्त हुई थी)।

रिहन्द पनबिजलीघर में मध्य प्रदेश का हिस्सा

4796. श्री दिलीप सिंह भूरिया :

श्री काली चरण शर्मा :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के रिहन्द पनबिजलीघर में विद्युत उत्पादन में मध्य प्रदेश का 15 प्रतिशत हिस्सा है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड मध्य प्रदेश को बिजली में उसके पूरे हिस्से की सप्लाई कर रहा है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा मध्य प्रदेश को बिजली में उसका पूरा हिस्सा दिलाना सुनिश्चित करने हेतु कोई पहल तथा कार्यवाही कर रही है;

(घ) क्या मध्य प्रदेश की बिजली में उसका हिस्सा सप्लाई न किए जाने के लिए मुआवजा के भुगतान हेतु मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड के बीच कोई समझौता हुआ है, और यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने मुआवजे का कोई दावा भेजा है और क्या उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड ने इस राज्य को मुआवजे की राशि का भुगतान किया है, और

(ङ) यदि हां, तो कब तथा उसे मुआवजे के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया तथा कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) रिहन्द विद्युत केन्द्र से उत्पन्न होने वाली विद्युत में मध्य प्रदेश का भाग, विद्युत घर में वर्ष-प्रतिवर्ष आधार पर उपलब्ध बिक्री योग्य ऊर्जा का 15 प्रतिशत है। कुछ क्षमता सहायता का हकदार भी मध्य प्रदेश है।

(ख) से (ङ) मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड, रिहन्द से विद्युत का अपना पूरा भाग नियमित रूप से प्राप्त नहीं कर रहा है। मध्य प्रदेश के विद्युत का भाग उत्तर प्रदेश द्वारा रख लिए जाने के बारे में मुआवजे की अदायगी के बारे में जून, 1977 में उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड और मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के बीच एक समझौता हुआ था।

उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि उनके द्वारा 1-9-67 से 30-9-80 तक की अवधि के लिए मुआवजे के रूप में मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड की अदायगी योग्य राशि 738.764 लाख रुपये है। यह सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा लगाए गए हिसाब के अनुसार सम्पूर्ण राशि अदा की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने अन्तिम रूप से यह भी सूचित किया है कि अक्तूबर, 1980 से सितम्बर, 1981 तक की अवधि के लिए उनके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को 194.46 लाख रुपयों की राशि का देय है। यह सभी आंकड़े दोनों राज्य बिजली बोर्डों द्वारा किए जाने वाले सत्यापन के अध्यधीन हैं। उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि शेष राशि यथाशीघ्र अदा कर दी जाएगी।

शत-प्रतिशत विद्युतीकरण के लिए लक्ष्य की तिथि

4797. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण के कब तक होने की संभावना है;

(ख) ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए गांवों में विद्युत-भार (पावरलोड) में वृद्धि हेतु योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पम्पों तथा ग्रामीण उद्योगों के लिए बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने की दृष्टि से देश में विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या योजनाएं हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) देश में कुल 5,76,126 गांव हैं, जिनमें से सितम्बर, 1981 के अन्त तक 2,77,895 गांव विद्युतीकृत कर दिए गए हैं, जो कुल गांवों का 48 प्रतिशत बैठते हैं। राज्यों की संदर्शी योजना में, पर्याप्त साधनों से देश के सभी गांवों को अधिक से अधिक 1994-95 तक विद्युतीकृत किए जाने की व्यवस्था है।

(ख) और (ग) अर्थव्यवस्था के उद्योगों, कृषि तथा अन्य क्षेत्रों की विद्युत की भावी मांग को पूरा करने के प्रयोजन से छठी योजना अवधि (1980-85) के दौरान देश में 19,666 मेगावट की अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता चालू किए जाने का लक्ष्य है। छठी योजना में, वर्ष 1985 के अन्त तक, एक लाख अतिरिक्त गांवों का विद्युतीकरण किए जाने तथा 25 लाख पम्पसेटों के ऊर्जित किए जाने की परिकल्पना है। गांवों में पम्प सेटों की तथा ग्रामीण उद्योगों की विद्युत की बढ़ती हुई मांग को उपर्युक्त उपायों से पूरा कर लिया जाएगा।

अतिरिक्त क्षमता का लाभ प्राप्त करने में ईस्टर्न कोलफील्ड्स की असमर्थता

4798. श्री माधवराव सिंधिया : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड अपनी प्रतिवर्ष 2.7 मिलियन टन की अतिरिक्त क्षमता, जो उसके पास पहले से ही उपलब्ध है, का लाभ उठाने और विस्तार हेतु नई कोयला खानें खोलने में असमर्थ हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा कोल इण्डिया लिमिटेड ने क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में कुल 2.6 मिलियन टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाली 13 ऐसी अनुमोदित स्कीमें हैं जिन्हें स्थानीय युवकों द्वारा लगातार बाधाएं उत्पन्न करने के कारण या तो शुरू ही नहीं किया जा सका अथवा उनकी प्रगति रुकी हुई है। कोल इण्डिया लि० ने यह मामला पश्चिम बंगाल सरकार की जानकारी में ला दिया है तथा सरकार ने भी इस मामले में राज्य सरकार से बातचीत की है तथा उन स्थानों पर कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक करने के लिए राज्य सरकार की सहायता मांगी है।

समाचारों का बंगाली में प्रसारण

4799. **प्रो० रूप चन्द पाल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली से बंगाली में समाचारों का प्रसारण होता है जिसे कलकत्ता से रिले किया जाता है, क्या दिल्ली में भी सुना जा सकता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : दिल्ली, जो शार्टवेव पर विकीर्ण करता है, से बंगला में प्रसारित तथा कलकत्ता केन्द्र, जो मीडियम वेव तथा शार्ट वेव पर विकीर्ण करता है, से रिले किए जाने वाले समाचार पूर्वी क्षेत्र/कलकत्ता केन्द्र के सेवा क्षेत्र के लिए हैं, न कि दिल्ली के लिए। इसके अलावा, शार्ट वेव प्रेषण ट्रांसमीटरों के पास के क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं। तथापि, अनुकूल वायुमंडलीय परिस्थितियों में यह संभावना है कि दिल्ली में कुछ रेडियो सैटों द्वारा इन समाचार प्रेषणों को पकड़ लिया जाए किन्तु संग्रहण के अच्छा न होने की संभावना है।

गुजरात राज्य उर्वरक निगम द्वारा केपरोलेक्टम का उत्पादन

4800. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य उर्वरक निगम नाईलोन यार्न तथा नाइलोन टायर कोर्ड के लिए मूलभूत कच्ची सामग्री केपरोलेक्टम का एकमात्र उत्पादक है;

(ख) क्या इस निगम ने इस पेट्रो-रसायन उत्पादन के आयात पर शुल्क में वृद्धि करने का अनुरोध किया है;

(ग) क्या यह सच है कि इस यूनिट ने इसकी उत्पादन लागत में कमी करने हेतु कोई कदम नहीं उठाया है, अपितु वास्तव में इसने पिछले अनेक वर्षों में इसके मूल्य में वृद्धि की है तथा डी० एम० टी० जैसे समान पेट्रो-रसायन उत्पादनों की लागत भी प्रायः समान बनी रही है; और

(घ) क्या सरकार उपर्युक्त भाग में उल्लेखित अनुरोध पर विचार करते हुए अन्य पेट्रोलियम उत्पादों और मूल्य वृद्धि के मामले पर विचार करेगी और इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) संयंत्र के प्रचालनों में सुधार लाने के लिए गुजरात राज्य उर्वरक निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों में 2.5 करोड़ रुपये से भी अधिक व्यय किये गये हैं। केटरोलेक्टम के मूल्य में वृद्धि का कारण विभिन्न निवेशों (इंपुट) की लागत में वृद्धि है।

(घ) प्रत्येक प्रस्ताव पर गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है।

'डेसू' में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे कर्मचारी

4801. **श्री निहाल सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली इलैक्ट्रिकल सप्लाई अन्डरटेकिंग आफीसर्स ऐसोसिएशन ने

दिल्ली प्रशासन को एक अभ्यावेदन दिया है कि जिसमें मांग की गई है कि इस उपक्रम में पिछले तीन वर्ष से अथवा अधिक अवधि से प्रतिनियुक्ति के आधार पर काम कर रहे कर्मचारियों को उनके मूल कार्यालय को वापस भेज दिया जाए, और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या क्या है और उन्हें उनके मूल कार्यालय को वापस भेजने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग आफीसर्स एसोसियेशन ने दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये जाने की प्रणाली को समाप्त करने तथा प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्तियों को उनके मूल कार्यालयों को वापस भेजे जाने का अनुरोध किया है। 20-3-82 की स्थिति के अनुसार डेसू में ऐसे 6 अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त थे जिन्होंने तीन वर्ष पूरे कर लिये हैं। डेसू में अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति का विनियमन भर्ती तथा प्रोन्नति विनियमों द्वारा किया जाता है। ये विनियम संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदन से अधिसूचित किए गए हैं। नियमों के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति की अवधि जनहित में 4 वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है। इस अवधि के बाद प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ाने के बारे में विचार केवल अपवाद स्वरूप मामलों में ही किया जाता है।

राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय स्थिति

4802. **श्री ए० के० राय** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों की वर्ष-वार वित्तीय स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि अधिकांश राज्य विद्युत बोर्ड संकट का सामना कर रहे हैं और उनका कार्यकरण देश के विद्युत संकट की समस्या हल करने में मुख्य बाधा है; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें उनकी वर्तमान स्थिति से उबारने के लिए कोई मार्गदर्शी निर्देश दिए गए हैं ? और उस पर क्या कदम उठाए गए हैं तथा तथ्यों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) 1 अप्रैल, 1979 की स्थिति के अनुसार, परीक्षित लेखों के आधार पर विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों के लाभ / हानियां संलग्न विवरण में दी गई हैं। 1979-80 और 1980-81 की सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है। अन्य बातों के साथ-साथ नई परियोजनाओं के कार्यान्वयन तथा चालू करने में विलम्ब, मौजूदा उत्पादन क्षमता का कम समुपयोजन, उच्च पारेषण तथा वितरण हानियां, कुछ श्रेणी के उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में अलाभकारी टैरिफों से राज्य बिजली बोर्डों के समग्र कार्य-निष्पादन पर प्रभाव पड़ा है।

राज्य बिजली बोर्डों के कार्य-निष्पादन का मुख्य दायित्व राज्य सरकारों का है। लेकिन उनके कार्य-निष्पादन की समीक्षा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर की जाती है और वित्तीय और तकनीकी मामलों पर उपयुक्त मार्गदर्शन दिया जाता है। परियोजना के निर्माण-कार्य में विलम्ब को न्यूनतम करने के लिए, उनकी वित्तीय और प्रचालनात्मक दक्षता में सुधार लाने के लिए तथा उनके स्टाफ के ढांचे को युक्ति संगत बनाने के लिए राज्य बिजली बोर्डों को विशिष्ट मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं। राज्य बिजली बोर्डों को यह सलाह भी दी गई है कि वे अपने टैरिफ ढांचे को युक्तिसंगत बनायें।

विवरण

राज्य बिजली बोर्डों की हानियां

(सरकार से आर्थिक सहायता को लेखों में लेने के बाद)

राज्य बिजली बोर्ड	क	ख
	(लाखों रुपये में)	
1. उत्तर प्रदेश	42,271 घ	9,144 घ
2. पंजाब	8,655	ग
3. हरियाणा	5,401 घ	361 घ
4. बिहार	5,294	—
5. उड़ीसा	4,391	1,668
6. गुजरात	3,730	392
7. हिमाचल प्रदेश	2,494 घ	435 घ
8. आन्ध्र प्रदेश	1,801	क
9. केरल	1,240	क
10. पश्चिम बंगाल	591	129
जोड़	75,868	12,129
11. मेघालय	1,505	92

(क्रमश: 31-3-77 तक संचयी तथा 31-3-77 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए संचयी)

राज्य बिजली बोर्डों को लाभ

(सरकार से आर्थिक सहायता को लेखों में लेने के बाद)

राज्य बिजली बोर्ड	क	ख
	(लाखों रुपये में)	
1. महाराष्ट्र	7,992	1,139
2. तमिलनाडु	6,914	598
3. कर्नाटक	3,964	1,463
4. राजस्थान	1,161	1,221
5. मध्य प्रदेश	1,458	74
	21,939	4,495
6. असम	1,124	ङ

(क्रमशः 31-3-78 तक और
31-3-78 को समाप्त होने
वाले वर्ष के लिए संचयी)

क=31-3-1979 तक संचयी

ख=31-3-1979 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए

ग=31-3-1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अर्जित लाभ
पंजाब=512; आन्ध्र प्रदेश=668; केरल=2215

घ=संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निकट भूतकाल में कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई।

ङ=31-3-1979 को समाप्त हुए वर्ष में हुई हानियां=331

रामागुंडम और तालचर में कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की क्षमता का उपयोग

4803. श्री ए० के० राय : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1981 के बाद रामागुंडम और तालचर में कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की क्षमता के उपयोग में कोई विशेष सुधार हुआ है और क्या मुख्य कठिनाइयों को दूर कर दिया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि एफ० पी० डी० आई० एल० (तत्कालीन पी० एण्ड डी०) से जिसने इन दो संयंत्रों का डिजाइन तैयार किया था इन कठिनाइयों को दूर करने हेतु सम्पर्क नहीं किया गया है और इन संयंत्रों के प्रबन्धकों ने इसमें संशोधन हेतु, मद्रास की एक निजी सलाहकार कम्पनी से सम्पर्क किया है; और

(ग) यदि हां, तो विस्तृत तथ्य क्या हैं और उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) नवम्बर, 1981 के पश्चात क्षमता उपयोग में कुछ सुधार हुआ है । दिसम्बर, 1981 से फरवरी 1982 तक की अवधि के लिए रामागुंडम और तालचर संयंत्रों का औसत क्षमता उपयोग क्रमश: 34.24 प्रतिशत और 23.74 प्रतिशत है जबकि अप्रैल, 1981 से नवम्बर, 1981 तक की अवधि में यह क्रमश: 18.26 प्रतिशत और 18.96 प्रतिशत था ।

कच्ची गैस के पाइपों और कच्ची गैस के कूलरों को जंग और रुकावट से बचाने की दृष्टि से रामागुंडम और तालचर दोनों में "नो रिमूवल सिस्टम" की स्थापना की गई है और प्रारम्भ की गई है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अमोनिया और यूरिया पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

4804. **श्री तारिक अनवर** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अमोनिया और यूरिया पर आधारित पांच फैक्टरियों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इन फैक्टरियों के किन-किन स्थानों पर स्थापित किये जाने की संभावना है, और कब तक; और

(ग) प्रत्येक पर कितना व्यय होगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) यह समझा जाता है कि प्रश्न का सम्बन्ध गैस पर आधारित प्रस्तावित उर्वरक संयंत्रों से है । अमोनिया/यूरिया के उत्पादन के लिए पश्चिम खाड़ी से उपलब्ध गैस पर आधारित 6 अतिरिक्त उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया गया है ।

(ख) और (ग) परियोजनाओं का स्थान, कार्यान्वयन का समय लागत के संबंध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

साकेत में उपभोक्ताओं को बिजली के बिल

4805. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महरौली-बदरपुर रोड पर सरकारी कालोनी साकेत को बिजली की सप्लाई 'डेसू' द्वारा की जाती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि 'डेसू' ने इस कालोनी के उपभोक्ताओं को एक वर्ष की

अवधि बीत जाने के बाद भी बिजली के बिल नहीं भेजे हैं और क्या इस उपक्रम को इससे वित्तीय कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है; और

(ग) 'डेसू' द्वारा इन उपभोक्ताओं को कब तक बिजली के बिल भेजने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) महरौली-बदरपुर मार्ग पर जो कालोनियां हैं, उनमें अधिकतर नव-निर्माण हुआ है और इन बस्तियों में कब्जेदारों को पहली बार बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं । चूंकि नये कनेक्शनों के मामले में कई औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं, अतः इन उपभोक्ताओं को बिजली के बिल भेजने में कुछ विलम्ब हुआ है । दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने महरौली-बदरपुर मार्ग पर स्थित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के क्वार्टरों के लगभग 800 उपभोक्ताओं को जून, 1981 तक के बिल भेज दिए हैं । अक्तूबर, 1981 तक के बिल मार्च, 1982 के अन्त तक भेज दिए जाने की आशा है । नवम्बर, 1981 से फरवरी, 1982 तक की अवधि के बिलों के सम्बन्ध में कार्रवाई की जाएगी और ये बिल मई, 1982 तक भेज दिए जायंगे । बिजली के बिल, उपभोक्ताओं के परिसर में लगे मीटरों के पाठ्यांक (रीडिंग) के आधार पर वास्तविक खपत को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं । इनकी वसूली मांग किए जाने पर की जा सकती है ।

पेट्रोलियम उत्पादों के उपयोग पर प्रतिबन्ध

4806. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों की उत्पादन क्षमता तथा सप्लाई की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके मंत्रालय ने मिट्टी के तेल, डीजल, पेट्रोल आदि पर अनावश्यक व्यय को सीमित करने के कोई सुझाव दिये हैं और यदि हां, तो ये सुझाव किस सीमा तक कार्यान्वित किये गये हैं और इस बारे में ब्यौरे क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सीमित उपलब्धता के कारण जैसे कि विवरण में दिये गये हैं इस सम्बन्ध में उपाय किये गये हैं ।

विवरण

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

1. **तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (खाना पकाने की गैस)**

तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के आवंटन के मामले में, जो कि मिट्टी के तेल का प्रतिस्थापन भी करती है, घरेलू क्षेत्र, अर्थात् घरेलू उपयोग के लिए, को प्राथमिकता दी जाती है । तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के आवंटन की उद्योग की प्रार्थनाओं पर केवल प्रौद्योगिकी औचित्य के आधार पर विचार किया जाता है । केन्द्रीय सरकार के पर्यटन विभाग / राज्य पर्यटन विभागों की अनुशंसाओं पर होटलों/ व्यापारिक और भोजन प्रतिष्ठानों की तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की आवश्यकताओं को उदारता पूर्वक पूरा किया जाता है ।

2. मोटर स्पिरिट (पेट्रोल)

इस उत्पाद के उपभोग को मुख्य रूप से वित्तीय उपायों द्वारा नियन्त्रित किया जाता है। केन्द्र सरकार के विभागों तथा राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि को सरकारी कारों में पेट्रोल के उपभोग में कमी करने के लिये निर्देश दिये गये हैं।

3. नैफथा

नैफ्था के उर्वरक उत्पादन के लिये फीड स्टॉक के रूप में उपभोग को कम करने के लिये अन्य फीड स्टाकों जैसे कोयला तथा प्राकृतिक गैस का भी अब प्रयोग किया जा रहा है।

4. मिट्टी का तेल

इंडियन आयल कारपोरेशन के अनुसंधान एवं विकास केन्द्र ने "नूतन" मिट्टी का तेल बत्ती वाले स्टोव का विकास किया है जिसकी उष्मा कुशलता लगभग 60 प्रतिशत है जबकि बाजार में आम तौर पर उपलब्ध बत्ती वाले स्टोवों की औसत कुशलता 45 प्रतिशत है, इस स्टोव का व्यापारिक निर्माण शुरू किया गया है।

5. हाई स्पीड डीजल तेल

राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि डीजल द्वारा चलने वाली बसों तथा ट्रकों की गति सीमा निर्धारित करें तथा उन वाहनों की जांच करे जो कि धुआं छोड़ते हैं जिससे कि डीजल के उपभोग में बचत की जा सके। राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के चुने हुए डिपुओं में डीजल ईंधन के उपभोग के सम्बन्ध में अध्ययन किये गये हैं तथा ईंधन उपभोग में बचत करने के लिये उठाये जाने वाले कदमों के सम्बन्ध में अनुशंसाएं की गयी हैं। राज्य सरकारों से चालकों को नियमित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था के लिये भी जोर डाला गया है। रेल द्वारा वस्तुओं के लम्बी दूर तक परिवहन को ट्रंक रूटों पर गाड़ियों में शीघ्र पारगमन सेवा द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है।

6. लाईट डीजल तेल

लिफ्ट सिंचाई पम्पों की कुशलता को उन्नत करने के लिये तथा पम्प सैटों की खरीद के लिये जिनमें कि कुछ न्यूनतम ऊष्मा कुशलता स्तर हो ऋणों को व्यवस्थित करने के लिये, कदम उठाये गये हैं। पावर हाउसों में एल० डी० ओ० के प्रयोग को हतोत्साहित किया जा रहा है।

7. मट्टी का तेल

औद्योगिक प्रयोजनों के लिये मट्टी का तेल देने की प्रार्थना की मट्टी के तेल पर अन्तर मंत्रालय स्थायी समिति द्वारा जाँच पड़ताल की जाती है। उद्योगों में पुराने तथा अकुशल ब्यालरों को अधिक कुशल ब्यालरों द्वारा बदलने की एक योजना शुरू की गयी है। जहां कि प्रौधोगिक रूप से व्यवहार्य है उद्योगों को मट्टी के तेल के स्थान पर कोयले के उपयोग के लिये सलाह दी जाती है तथा सहायता दी जाती है, कुछ थर्मल पावर स्टेशनों में आयल फायरिंग को कोल फायरिंग में बदल दिया गया है।

ऊपर दिये गये सुझावों का सम्बन्धित क्षेत्रों में अनुकरण किया जाता है। उपलब्धियों के सही ब्यौरे नहीं दिये जा सकते हैं।

बांकुरा जिले में राहग्राम डाकघर में सार्वजनिक टेलीफोन घर की स्थापना हेतु अभ्यावेदन

4807. श्री अजित कुमार साहा :
श्री बासुदेव आचार्य : } क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राहग्राम डाक घर में सार्वजनिक टेलीफोन घर की स्थापना के बारे में सालदा ग्राम पंचायत, राहग्राम, बांकुरा, पश्चिम बंगाल के प्रधान से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो वहां सार्वजनिक टेलीफोन घर की स्थापना हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि कोई कदम नहीं उठाए गए हैं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) 28-2-82 को राहग्राम में एक स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोन घर खोला गया है जो गेलिया एक्सचेंस से जुड़ा हुआ है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पेट्रोलियम उत्पादों की एजेंसियों को दिए जाने हेतु मानदण्ड

4808. **श्री रामावतार शास्त्री** :क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या सरकार द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप/एजेंसियां देने के लिए निर्धारित किए गए मानदण्डों का उल्लंघन करने वालों को कोई दण्ड दिया जाता है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : जी हां।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा लद्दाख में तेल की खोज

4809. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने पेट्रोलियम आदि की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए लद्दाख के कुछ क्षेत्रों का अधिग्रहण किया है; और

(ख) यदि हां, तो आयोग द्वारा इस क्षेत्र में खोज कार्य गम्भीरतापूर्वक शुरू न किए जाने के क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लद्दाख में पेट्रोलियम के लिये खोज

4810. श्री दयाराम शाक्य : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लद्दाख क्षेत्र में पेट्रोलियम आदि प्राप्त करने की सम्भावनाओं का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने लद्दाख क्षेत्र में टोही भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण किये थे, परन्तु इनसे वहां हाइड्रोकार्बनों की उपस्थिति की सम्भावनाओं का पता नहीं लगा है। तदनुसार, इस सम्बन्ध में और आगे कार्य की योजनाओं पर विचार नहीं किया गया है।

मथुरा तेलशोधक कारखाने की दूषित गैस का पाइपलाइन के द्वारा इटावा को छोड़ा जाना

4811. श्री दयाराम शाक्य : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताजमहल (आगरा) को प्रदूषण से बचाने के दृष्टिकोण से, मथुरा तेलशोधक कारखाने की दूषित गैस को भूमिगत पाइपलाइन के द्वारा इटावा को छोड़े जाने का सुझाव दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस सुझाव को लागू करने पर विचार करना चाहती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) शोधनशाला से निकलने वाले वायु प्रदूषकों को सुरक्षित स्तरों पर रखने को सुनिश्चित करने के लिए आई० ओ० सी० द्वारा पहले से ही पर्याप्त कदम उठाए जा चुके हैं। ये कदम, जो एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर आधारित हैं, इनमें मुख्य चिमनियों की ऊंचाई 80 मीटर और उससे अधिक बढ़ाना, शोधनशाला में निम्न गंधक ईंधन तेल का ईंधन के रूप में प्रयोग और गन्धक के तत्वों को दूर करने के लिए ईंधन गैसों को साफ करना शामिल है। सिफारिशों के कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की नियुक्ति भी की गई है। इस स्थिति में और उपायों पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता।

नये उर्वरक संयंत्रों की स्थापना के लिए निधि का आवंटन

4812. **श्री जय नारायण रौत** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्थापित किए जाने वाले नए उर्वरक संयंत्रों के लिए संयंत्र वार कितना आवंटन किया गया है और ये संयंत्र कब तक स्थापित किए जाएंगे ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : छठी पंचवर्षीय योजना में नए नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक संयंत्रों और 11 फास्फेटिक उर्वरक संयंत्रों पर चरणबद्ध तरीके से कार्य प्रारम्भ करने की व्यवस्था है। इनमें से 4 नाइट्रोजनयुक्त और 6 फास्फेटिक उर्वरक संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र के लिए परिकल्पित किए गए हैं।

सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में पारादीप और कोचीन (विस्तार) नामक 2 फास्फेटिक उर्वरक संयंत्रों की स्थापना का अनुमोदन कर चुकी है। पारादीप संयंत्र पर 183.64 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और वाणिज्यक उत्पादन जून 1985 (प्रथम चरण) और फरवरी 1986 (द्वितीय चरण) तक प्रारम्भ किए जाने की आशा है। कोचीन संयंत्र के विस्तार के लिए सुविधाओं पर 4.70 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और अगस्त 1983 तक पूरा होने की सम्भावना है।

सार्वजनिक क्षेत्र में शेष 4 फास्फेटिक उर्वरक संयंत्रों और 4 नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक संयंत्रों के सम्बन्ध में स्थान, लागत, कार्यान्वयन का समय आदि जैसे ब्यौरों पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

राजस्थान के गांवों में दैनिक डाक वितरण योजना

4813. **श्री जय नारायण रौत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान राज्य के सभी गांवों को दैनिक डाक वितरण योजना के अन्तर्गत लाया जायेगा ;

(ख) क्या यह भी सच है कि राजस्थान राज्य के जनजाति क्षेत्रों को इस योजना के अन्तर्गत नहीं लाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां। जनजाति क्षेत्रों सहित सभी गांवों को दैनिक डाक वितरण योजना के अधीन कर दिया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में टेलीविजन सेवाओं का विस्तार

4814. डा० कृपासिन्धु भोई : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर परिषद् इस क्षेत्र के लिये 25 करोड़ रुपये की उपग्रह टेलीविजन योजना का वित्त पोषण करेगी और अप्रैल, 1982 में "इनसैट-एक" छोड़ने का निर्धारित समय एक शुरुआत के रूप में रखा गया है ;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत किन स्थानों पर टेलीविजन केन्द्र स्थापित किये जायेंगे ;

(ग) क्या यह सच है कि वित्तीय कठिनाइयों के कारण छठी योजना के दौरान केवल एक टेलीविजन केन्द्र स्वीकृत किया गया है ; और

(घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में टेलीविजन सेवाओं के विस्तार के लिए आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (घ) उत्तर-पूर्वी परिषद उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में दूरदर्शन सेवा के विस्तार की विशेष योजना को वित्त पोषित करने के लिए सिद्धान्ततः सहमत हो गई है। इस योजना का कार्यान्वयन हाथ में चरणों में लिया जाएगा।

(ख) गोहाटी में कार्यक्रम पोषण केन्द्र और अल्प शक्ति वाले 10 ट्रांसपीजर स्थापित करने के अलावा, डिब्रूगढ़, तुरा, अगरतला और सिल्चर में 10 किलोवाट के दूरदर्शन ट्रांसमीटर ; कोहिमा, शिलांग, इम्फाल, आइमल और ईटानगर में एक किलोवाट के दूरदर्शन ट्रांसमीटर ; और पस्सीघाट, तेजू और त्वांग में 100 वाट के दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) जी, हां। स्वीकृत छठी योजना में गोहाटी में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

फरक्का स्थित सुपर ताप बिजली घर द्वारा प्रदूषण

4815. श्री रेणुपद दास :
श्री जायनल अबेदिन: :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कलकत्ता में हुए सेमीनार में बोलते हुए धूम्र प्रदूषण बोर्ड के मुख्य निरीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों के बारे में जानकारी है कि माल्दा के आमों के बाग और मुर्शिदाबाद में रेमश के कीड़ों के पालन पर फरक्का स्थित सुपर ताप बिजलीघर का प्रभाव पड़ेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने माल्दा में आमों के बागों तथा मुर्शिदाबाद के रेशम के कीड़ों के पालन को बचाने के लिए कोई प्रदूषण-रोधी उपाय किये हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है : और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) : विद्युत केन्द्र से होने वाले वायु प्रदूषण को न्यूनतम सम्भावित स्तर तक रखने के लिए, जो भली-भांति स्वीकार्य सीमाओं के अन्तर्गत होगा, परियोजना प्राधिकारी 190 मीटर ऊंची चिमनियां उत्थापित कर रहे हैं तथा 99.5% की कार्य क्षमता वाले इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रिसीपिटेटर प्रतिष्ठापित कर रहे हैं ।

तेल की खोज के लिए नये प्रस्ताव

4816. **श्री रेणुपद दास** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुनींदा स्थानों पर तेल की खोज के लिए कुछ बड़ी बहुराष्ट्रिक कम्पनियों सहित विदेशी फर्मों में उत्साह की कमी को देखते हुए सरकार इस समय अपने पूर्ववर्ती निर्णयों के विपरीत वैकल्पिक प्रस्तावों पर विचार कर रही है ; और

(ख) इस नये प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

औषधियों के आयात को छठी योजना से पहले के स्तर पर स्थिर करना ।

4917. **श्री रेणुपद दास** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषधियों के आयातों को छठी पंचवर्षीय योजना से पहले के स्तरों पर स्थित न कर सकने के क्या कारण हैं ?

(ख) क्या इनमें से अधिकांश आयातों का देश में ही उत्पादन किया जा सकता था, और

(ग) बल्क औषधियों और उनके फार्मूलेशनों के देश के ही निर्माताओं की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) वर्ष 1980-81 अर्थात छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के प्रथम वर्ष के दौरान बल्क औषधों, औषध मध्यवर्तियों और तैयार फार्मूलेशनों के आयातों का सी० आई० एफ० मूल्य, वर्ष 1979-80 के दौरान किये गए ऐसे आयातों के सी० आई० एफ० मूल्य से कम था ।

(ख) और (ग) आयातों की अनुमति विभिन्न कारणों से दी जाती है जैसा कि (i) स्वदेशी उत्पादन में कमी को पूरा करने, (ii) रिफाम्पिसिन, जिसका अभी उत्पादन किया जाना है, जैसी

औषधों की स्वदेशी आवश्यकता को पूरा करने, (iii) निर्यात आवश्यकता को पूरा करने के लिए।

सरकार आयात नीति की समय-समय पर समीक्षा करती है। बल्क औषधों और फार्मूलेशनों के स्वदेशी निर्माताओं के सुझावों पर ऐसी समीक्षाओं में विचार किया जाता है और जहां आवश्यक हो आयातों को सीमित करने के लिए उचित परिवर्तन किए जाते हैं।

घरेलू गैस कनैक्शनों सम्बन्धी नीति की समीक्षा

4818. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश भर में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू गैस कनैक्शनों के लिए आम जनता को प्राथमिकता पत्र जारी करने के बारे में अपनी नीति की समीक्षा की है ;

(ख) क्या गैस कनैक्शनों के आवंटन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को कोई वरीयता/रियायत दी गई है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में अपनाई गई नीति का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या समुचित प्रक्रिया के अभाव में नए कनैक्शनों के इच्छुक उपभोक्ता अपनी मांग को डीलरों के पास अथवा सीधे इंडियन आयल कारपोरेशन के पास पंजीकृत नहीं करा पाते हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो विद्यमान प्रक्रिया में परिवर्तन करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है जिससे नए गैस कनैक्शन प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति सम्बन्धित प्राधिकारियों के पास अपने नाम पंजीकृत करा सकें ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जनता को प्राथमिकता के आधार पर खाना पकाने की गैस (एल० पी० जी०) के कनैक्शन जारी करने की कोई नीति नहीं है। मंत्रालय द्वारा इस नीति की समीक्षा नहीं की गई है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) एल० पी० जी० कनैक्शनों के लिए आवेदन-पत्रों को एल० पी० जी० वितरकों के पास पंजीकृत किया जाता है, तेल कंपनियों के पास नहीं। वर्तमान पद्धति के अनुसार, उन आवेदन कर्ताओं को एल० पी० जी० कनैक्शन जारी किए जाते हैं जो तेल कंपनियों के वितरकों के पास पंजीकृत होते हैं और एल० पी० जी० कनैक्शन प्रतीक्षा सूची में केवल उनकी बारी के आधार पर दिए होते हैं। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाई मंत्रालय के ध्यान में नहीं लायी गयी है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

20-सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत संचार सुविधाएं

4819. **श्री राम लाल राही :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक गांव को संचार सुविधाएं देने के लिए सरकार की क्या योजना है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) :

(i) डाक

(क) तथा (ख) नए बीस सूत्रीय कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण डाक विकास की मौजूदा योजनाओं की पुनरीक्षा की गई है। यह निर्णय लिया गया है कि (i) डाक विकास योजना के जनजातीय घटक को जनजातीय घनत्व वाले क्षेत्रों में डाक भवनों / क्वार्टरों का निर्माण करने के लिए व्यवस्था करके और अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा। (ii) मौजूदा मानकों तथा योजना लक्ष्यों की सीमाओं में समेकित ग्रामीण विकास तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों को डाक सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।

(ii) दूरसंचार

(क) प्रत्येक ग्राम को दूर संचार सुविधा प्रदान करने के लिए अभी तक कोई योजना नहीं बनाई गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश को सप्लाई किया गया कोयला

4820. **श्री रामलाल राही** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश को 1980-81 और 1981-82 में उम्दा किस्म के सोफ्ट तथा स्टीम कोयले की कितनी मात्रा पृथक-पृथक आवंटित की गई और वास्तव में कितनी मात्रा सप्लाई की गई;

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक एकक कोयले की कम सप्लाई के कारण अपनी क्षमतानुसार कार्य नहीं कर पाये हैं; और

(ग) यदि हां, तो औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक एककों को ईंधन (कोयले) की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) किसी राज्य को कोयले का कोई आवंटन नहीं किया जाता है। परन्तु रेलवे ने 1981 में उत्तर प्रदेश के लिए स्टीम कोयला और साफ्ट कोक के उपभोक्ताओं के लिए वैगन प्रायोजित करने की जो ऊपरी सीमा निश्चित की थी वह स्टीम कोयला और साफ्ट कोक के लिए क्रमशः 7,500 वैगन अर्थात् 1,72,500 टन प्रतिमाह और 1,800 वैगन अर्थात् 39,600 टन प्रतिमाह थी। कोल इंडिया लि० स्टीम कोयले के प्रेषण के राज्यवार आंकड़े नहीं रखता है। अप्रैल, 81—जनवरी, 1982 के बीच साफ्ट कोक के प्रेषण की मात्रा 76,000 टन थी जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह मात्रा 1,69,000 टन रही थी। परन्तु उत्तर प्रदेश को अप्रैल, 1981—जनवरी, 1982 के बीच स्टीम और स्लैक कोयला तथा साफ्ट और हार्ड कोक का कुल प्रेषण 91.94 लाख टन रहा जबकि इसकी तुलना में अप्रैल, 1980—जनवरी, 1981 में यह मात्रा 79.35 लाख टन रही थी और

इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 16% की वृद्धि हुई।

(ख) ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक इकाइयां कोयले की कम सप्लाई के कारण अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर रही हैं।

(ग) चालू उत्पादन तथा खान मुहानों पर उपलब्ध स्टाक को मिलाकर इतना कोयला हो जाता है कि उत्तर प्रदेश सहित सारे देश की सारी मांगें पूरी हो सकती हैं। कोयला कम्पनियां रेलवे के साथ विभिन्न परिचालन स्तरों पर लगातार सम्पर्क रखे हुए हैं ताकि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक यूनिटों और अन्य उपभोक्ताओं की मांग पूरी करने के लिए रेल द्वारा कोयले की सप्लाई बढ़ाई जा सके। कोयले के उत्पादन और इसके संचलन पर उच्चतम स्तर पर "आधारभूत औद्योगिक सुविधाओं सम्बन्धी मंत्रिमण्डलीय समिति" भी निगरानी रख रही है। कोयला कंपनियां रेल द्वारा कोयला भेजने में जितनी कमी रह जाती है उतना कोयला सड़क से ले जाने के लिए भी दे रही हैं। इसके अतिरिक्त कोल इंडिया लि० ने उत्तर प्रदेश में उपभोक्ता केन्द्रों पर कोयला/कोक की उपलब्धि बढ़ाने की दृष्टि से सात कोयला/कोक स्टाकयार्ड चालू किए हैं और आठ अन्य स्टाकयार्ड भी इस काम के लिए इसी राज्य में शीघ्र ही चालू किए जाएंगे।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गोदावरी बेसिन में खुदाई

4821. **श्री बी० वी० देसाई :**
श्री के० प्रधानी :

क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने तटदूर गोदावरी बेसिन में अपना खुदाई कार्य पुनः आरम्भ कर दिया है, यदि हां, तो यह खुदाई कार्यक्रम क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने कई महीनों के अन्तराल के बाद चौथे कुएं की खुदाई आरम्भ की है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने गोदावरी बेसिन में तेल की खोज के लिए विश्व बैंक से 12 करोड़ डालर ऋण के लिए अनुरोध किया है; और

(घ) क्या विश्व बैंक ने अपनी स्वीकृत दे दी है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) जी हां। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किराये पर लिए गए एस० ई० डी० सी० ओ०—445 नामक व्यधन पोत दो गतिशील स्थिति में लगाकर प्रयोग में लाकर दिनांक 31-1-1982 को गोदावरी तटदूर में दो व्यधन संचालनों को पुनः आरम्भ किया गया था। तटदूर के अन्वेषण कार्यक्रम में वर्ष 1981-82 से 1984-85 तक 85000 मीटर के क्षेत्र का व्यधन परिकल्पित है।

तटदूर व्यधन को अस्थायी रूप से दिसम्बर 1980 से प्रौद्योगिक समस्याओं के कारण बंद कर दिया गया था, जिन समस्याओं में समुद्री तल में तेज समुद्री धारा वेग और मुलायम मिट्टी/

कीचड़ की विद्यमानता शामिल है जिसमें कम धारण करने की क्षमता होती है।

(ग) और (घ) विश्व बैंक ने एक ऋण की संभावना का संकेत दिया है और बैंक मई 1982 के आरम्भ में बातचीत करने के लिए और जून, 1982 में बोर्ड के सामने प्रस्तुत करने के लिए इस समय प्रायोजना पर कार्यवाही कर रहा है।

हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के दुर्गापुर एकक का बन्द होना

4822. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान उर्वरक निगम का दुर्गापुर एकक वहां श्रमिक स्थिति के कारण बंद पड़ा है;

(ख) क्या यह सच है कि दुर्गापुर उर्वरक संयंत्र ठेका श्रमिकों द्वारा हड़ताल किए जाने के कारण एक महीने से अधिक समय से बंद पड़ा है;

(ग) क्या इसके कारण लगभग 18 टन यूरिया इकट्ठा हो गया है;

(घ) क्या यह सच है कि केन्द्र ने दुर्गापुर एकक के चलाने हेतु प्राधिकारियों की मदद करने के लिए राज्य के मुख्य मंत्री द्वारा हस्तक्षेप किए जाने की मांग की है, और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ग) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि० का दुर्गापुर उर्वरक संयंत्र प्रारम्भ में 19-2-82 (रात्रि पारी) से 5-3-82 तक बन्द रहा क्योंकि 1-1-82 से ठेकेदार के कामगारों ने हड़ताल कर दी थी जिससे यूरिया का लदान और प्रेषण रुक गया था और बाद में 22 फरवरी, 1982 से मरम्मत के कारण संयंत्र को बन्द रखना पड़ा।

(ग) संयंत्र के बन्द होने के समय खाता में यूरिया का स्टाक लगभग 40,000 टन था।

(घ) और (ङ) प्रबन्धकों द्वारा किए गए समस्त प्रयासों के अलावा विवाद को समाप्त करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की भी सहायता ली गई थी। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप 22 फरवरी, 1982 से ठेकेदार के कामगारों ने लदान और प्रेषण कार्य आरम्भ किया।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल की खोज में तेजी लाया जाना

4823. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अधिक रिग प्राप्त किये जाने के साथ देश में तेल की खोज में और अधिक तेजी लाई जायेगी;

(ख) क्या उन्होंने बताया है कि भारत को 1983 तक पुराने रिगों को बदलने सहित कुल 16 रिग प्राप्त हो जायेंगे; और

(ग) 1982 के दौरान तेल के उत्पादन में और अधिक तेजी लाने के लिये सरकार का क्या अन्य कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी हां।

(ख) बढ़े हुए व्यधन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा 1983-84 तक 16 से 17 अतिरिक्त रिगों को कार्य पर लगाए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) तेल उत्पादन को और अधिक बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले अन्य प्रस्तावित कदमों में बम्बई अपतटीय तथा पूर्वी क्षेत्र में त्वरित उत्पादन कार्यक्रम, रुग्ण कूपों का उद्दीपन/मरम्मत, वृद्धिशील प्रतिप्राप्ति योजनाओं का कार्यान्वयन इत्यादि सम्मिलित हैं।

बल्क ड्रास के उत्पादन को प्रोत्साहन देना

4824. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को सुनिश्चित करने का ब्यौरा क्या है कि देश में केवल दक्ष एककों को ही बल्क ड्रास के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित किया जाए;

(ख) क्या सरकार ने विद्यमान नीति में कतिपय परिवर्तन करने के लिए निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो कौन-से मुख्य प्रावधानों में परिवर्तन का प्रस्ताव है अथवा परिवीक्षा की जा रही है; और

(घ) क्या ऋण लाइसेंस और डी० जी० टी० डी० के साथ रजिस्ट्रेशन स्कीम पर पुनर्विचार किया जाएगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) आशय पत्र देने से पहले कच्चे माल की खपत पहलू आदि जैसे प्रक्रिया दक्ष दक्षता सम्बन्धी मानदंडों की जांच की जाती है। औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1979 के अन्तर्गत बल्क औषधियों के मूल्य निर्धारित करने में जहां एक से अधिक उत्पादन हो वहां एक सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए कुशल उत्पादन की लागतों को ध्यान में रखा जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

'हाईस्ट पावर लासिज इन इंडिया थ्रू ट्रांसमिशन' शीर्षक से प्रकाशित समाचार

4825. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 फरवरी, 1982 के 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' में "हाईस्ट पावर लास इन इण्डिया थ्रू ट्रांसमिशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है :

(ख) क्या देश के विभिन्न भागों में ट्रांसमिशन प्रणाली के माध्यम से बेकार जाने वाली बिजली की प्रतिशत 15 से 20 है जबकि अन्य देशों में यह प्रतिशत 7 से 11 है;

(ग) क्या इस प्रकार 2400 करोड़ प्रतिवर्ष बेकार हो जाते हैं; और

(घ) यदि उत्तर सकरात्मक है तो ट्रांसमिशन के माध्यम से बिजली का हानि कम से कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं या करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां ।

(ख) 1980-81 के दौरान देश में पारेषण तथा वितरण प्रणाली में विद्युत हानियों की समग्र प्रतिशतता लगभग 20.48 थी। इसकी तुलना में पश्चिमी देशों में हानियों की मात्रा 7 से 11% तक भिन्न-भिन्न हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) पारेषण और वितरण हानियां अधिक होने के लिए उत्तरदायी एक मुख्य कारण है, ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम का तेजी से विस्तार। पारेषण तथा वितरण हानियों को कम करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शी सिद्धान्त केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए हैं और विचारार्थ और आवश्यक कार्यवाही के लिए राज्य बिजली बोर्डों को भेजे गए हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के कार्यान्वयन के लिए अधिकांश राज्यों ने संभव सीमा तक, उपाय किए हैं और ग्राम विद्युतीकरण में काफी वृद्धि होने के बावजूद भी, इन उपायों के परिणामस्वरूप प्रणाली हानियां कुल मिलाकर नियंत्रण में रही हैं। मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :

(1) अधिक हानियों वाले क्षेत्रों का पता लगाना तथा प्रणाली के संगत संघटकों में हानियों को कम करने के लिए कदम उठाना।

(2) अधिक भार से बचने के लिए भविष्य में विस्तृत तकनीकी अध्ययन करने के पश्चात ही विस्तार किए जाएं।

(3) केपेसीटरों की स्थापना करके विद्युत घटक में सुधार

(4) लाइनों तथा उपकेन्द्रों तथा अन्य तकनीकी उपायों की वृद्धि वाली प्रणाली सुधार स्कीमों का समय पर कार्यान्वयन।

(5) सतर्कता को सशक्त बनाकर चोरी रोकना।

इसमें कोई शक नहीं है कि राज्य बिजली बोर्डों के पास वित्तीय साधनों की कमी होने से विभिन्न मार्गदर्शी सिद्धान्तों, विशेषकर प्रणाली सुधार स्कीमों के कार्यान्वयन में रुकावट आ रही है। तकनीकी आर्थिक दृष्टि से देश में प्रणाली हानियों को कम करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

गया में स्वचालित एक्सचेंज की स्थापना

4826. **श्री चतुर्भुज :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गया (बिहार) में स्वचालित एक्सचेंज की स्थापना करने के लिए उपकरणों की सप्लाई का ठेका इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज को दिया गया था;

(ख) क्या सभी माइक्रोवेव उपकरण गया में 1979 में पहुंच गये थे; परन्तु इनका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है, वे बेकार पड़े हैं तथा क्षतिग्रस्त हो रहे हैं;

(ग) क्या यह सच है कि आज भी गया में मानव-चालित एक्सचेंज चल रहा है जिसके परिणामस्वरूप विदेशी तथा देश के पर्यटक और यात्री तथा मित्र देशों से आने वाले बौद्धों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है;

(घ) क्या सरकार ने गया स्वचालित एक्सचेंज के लिए भूमि कई वर्षों पूर्व ही अर्जित कर ली थी; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी, नहीं । माइक्रोवेव उपस्कर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ग) जी, नहीं । हस्तचालित एक्सचेंज संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है ।

(घ) जी, हां । 1978 में ।

(ङ) छठी योजना में गया में एक आयातित इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

औषधि निर्माताओं द्वारा लाइसेंसों का क्रियान्वयन न करना

4827. **श्री के० मालन्ना** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ ऐसे मामलों का पता लगा है जिनमें औषधि उत्पादन के लिए लाइसेंस तथा आशयपत्र जारी किए गए थे परन्तु 1980-81 में उनका क्रियान्वयन नहीं किया गया है,

(ख) यदि हां, तो इन मामलों की संख्या सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) इन लाइसेंसों/आशयपत्रों को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं, और

(घ) सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाए हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) आशयपत्र, आमतौर पर जारी किए जाने की तिथि से एक वर्ष तक की अवधि के लिए वैध होते हैं जिसके अन्तर्गत पार्टी द्वारा उसमें लगाई गई शर्तों को स्वीकार / पूरा करने और विदेशी सहयोग, यदि कोई है, और पूंजीगत मामलों आदि जैसे प्रबन्धों को अन्तिम रूप दिया जाना और उसको औद्योगिक लाइसेंस में बदलने के लिए अनुरोध किया जाना अपेक्षित है । इसी प्रकार औद्योगिक लाइसेंस में पार्टी को जारी होने की तिथि से दो वर्ष का समय दिया जाता है जिसके अन्तर्गत उसे लाइसेंस में दी गई निर्माण योजना को स्थापित करना होता है तथा उत्पादन आरम्भ करना

पड़ता है। जिन मामलों में पार्टी के पास पर्याप्त कारण उपलब्ध होते हैं उन मामलों में वे आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंस की वैधता अवधि को बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं और उन्हें उसकी अनुमति दी जाती है। दिनांक 31-7-1981 को की गई एक समीक्षा के परिणामस्वरूप यह पाया गया था कि 28 औद्योगिक लाइसेंसों का कार्यान्वयन नहीं किया गया था और 55 आशयपत्रों को औद्योगिक लाइसेंसों में नहीं बदला गया था। इनमें वे आशयपत्र शामिल नहीं हैं जो अभी अपनी वैधता अवधि के अन्तर्गत थे।

(ग) औद्योगिक लाइसेंसों/आशयपत्रों को कार्यान्वित न किए जाने के कारणों को मुख्य रूप से नीचे दर्शाया गया है :

(1) औद्योगिकी के आयात और / अथवा स्वदेशी औद्योगिकी के विकास में विलम्ब।

(2) औद्योगिक स्वीकृतियों में लगाई गई कुछ शर्तों में संशोधन करने के लिए कम्पनियों द्वारा अभ्यावेदन दिया जाना.

(3) जिन मामलों में निर्यात दायित्व की शर्त लगाई गई है उनमें निर्यात वैध पत्रों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब।

(4) औद्योगिक स्वीकृतियों की अन्य शर्तों को पूरा करने में विलम्ब।

(5) बाजार में उन औषधों की मांग में कमी, और

(6) अपेक्षित धन जुटाने की समस्या।

(घ) जहां यह देखा जाता है कि लाइसेंसधारी निर्धारित अवधि अथवा सरकार द्वारा बढ़ाई गई अवधि के अन्तर्गत बिना किसी उपयुक्त कारण के लाइसेंसशुदा मद का निर्माण स्थापित करने अथवा उसके लिए प्रभावी कदम उठाने में असमर्थ है, वहां औद्योगिक लाइसेंस को वापस लेने और आशयपत्र के रद्द करने के लिए कार्यवाही की जाती है।

सोडा ऐश का उत्पादन

4828. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोडा ऐश चार एकाधिकार गृहों द्वारा उत्पादित और वितरित की जा रही है तथा उनके द्वारा मूल्यों पर नियन्त्रण किया जा रहा है।

(ख) क्या सरकार ने इसे लघु क्षेत्र में निर्मित और उत्पादित करने का निर्णय किया है, और

(ग) यदि हां, तो इसे चार सीमित एकाधिकार गृहों में उत्पादन करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) देश में सोडा ऐश का निर्माण इस समय मै० टाटा कैमिकल्स लि०, मै० सौराष्ट्र कैमिकल्स लि०, मै० धांगन्धरा कैमिकल

वर्क्स लि० और मै० उड़ीसा सीमेन्ट लिमिटेड (हरी फर्टिलाइजर्स) द्वारा किया जाता है। ये चारों कंपनियां एम० आर० टी० पी० अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं। सोडा ऐश के मूल्य और वितरण पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है तथापि, जनवरी, 1979 में जारी किए गए मार्ग-दर्शनों के अधीन निर्माता बड़े, मध्यम और छोटे पैमाने के औद्योगिक उपभोक्ताओं को कम से कम इतनी मात्रा सीधे तौर पर सप्लाई कर रहे हैं जितनी मात्रा का उठान उनके द्वारा सामान्य सप्लाई के कलैण्डर वर्ष 1977 के दौरान किया गया था। ऐसी सीधी सप्लाई कुल उत्पादन की लगभग 86 प्रतिशत बैठती है। सरकार ने निर्माताओं को यह भी निर्देश दिए हैं कि वे प्रतिमाह लगभग 1200 टन की सप्लाई राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता फेडरेशन को करे ताकि वे उसे अपने फुटकर विक्रेताओं के माध्यम से सम्पूर्ण देश में फैले हुए धोबियों और गृहिणियों जैसे लघु उपभोक्ताओं में वितरित कर सकें।

(ख) सोडा ऐश एक अधिक पूंजी निवेश और दीर्घावधि परिणाम वाला उद्योग है जिसमें 400 टन प्रतिदिन की क्षमता वाले एक संयंत्र के लिए लगभग 45 करोड़ रुपये की आवश्यकता होती है। अतः लघु उद्योग क्षेत्र में सोडा ऐश का उत्पादन करना तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं है।

(ग) वर्तमान स्थापित क्षमता के अतिरिक्त 10.40 लाख टन सोडा ऐश की क्षमता के लिए लाइसेंस दिया गया है। इस क्षमता में राज्य और केन्द्र के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को दी गई 6.12 लाख टन की क्षमता भी शामिल हैं। मै० तुतीकोरिन अलकली कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०, तमिलनाडु सरकार का एक संयुक्त उद्यम, के संयंत्र द्वारा, जिसकी स्थापित क्षमता 66,000 टन प्रति वर्ष है, आगामी कुछ महीनों में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किए जाने की आशा है।

"हिन्दालको" को विद्युत सप्लाई के लिए करार

4829. **श्री आर० एन० राकेश :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और हिन्दालको एल्यूमीनियम फैक्टरी, मिर्जापुर (उ० प्र०) के बीच फैक्टरी को 1962 से 1969 तक की अवधि के लिए दो पैसे प्रति यूनिट की दर से विद्युत सप्लाई करने के लिए करार हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या यही करार अभी लागू है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार करार को पुनः जारी रखने का है; और

(घ) यदि हां, तो कम दर पर विद्युत सप्लाई करने के कारण सरकार को कितने राजस्व की हानि हुई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) एक दीर्घकालिक समझौते के अन्तर्गत मैसर्ज हिन्दालको को लगभग 2 पैसे प्रति यूनिट की दर से विद्युत सप्लाई की गई थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) विद्युत सप्लाई पर लागू होने वाली दर तथा शर्तें समय-समय पर संशोधित की जाती हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किये गये सर्वेक्षण

4830. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में ऐसे कौन-कौन से स्थान हैं जहां तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा भू-सर्वेक्षण और भू-भौतिकी सर्वेक्षण किये गये थे और इनके क्या परिणाम रहे; और

(ख) इस अवधि के दौरान सर्वेक्षण कार्य पर कितना व्यय हुआ ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

(ख) 1979-80, 1980-81 और 1981-82 (अस्थायी) की अवधि के दौरान, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा दोनों तटीय और अपतटीय सर्वेक्षणों पर किया गया व्यय जिसमें मूल्य-ह्रास शामिल है, क्रमशः 27.98 करोड़ रुपये और 22.27 करोड़ रुपये हैं।

मध्य प्रदेश में प्रयोक्ताओं को एस० टी० डी० सुविधा

4831. **श्री बाबूलाल सोलंकी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुरैना और ग्वालियर (मध्य प्रदेश) के प्रयोक्ताओं को दिल्ली और भोपाल के लिए एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने की योजना विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना व्यय होने की सम्भावना है; और

(ग) क्या प्रयोक्ताओं को भोपाल और दिल्ली के बीच भी एस० टी० डी० सुविधा देने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां। ग्वालियर-दिल्ली एस० टी० डी० सेवा पहले से ही कार्य कर रही है।

(ख) अनुमानतः पारेषण उपस्कर हेतु 10 लाख रुपए तथा स्विचिंग उपस्कर हेतु 5 लाख रुपए और व्यय किए जाने की संभावना है।

(ग) भोपाल तथा दिल्ली के बीच पहले से ही एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध है।

मैंकब्राइड आयोग का प्रतिवेदन

4832. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में हुए गुट निरपेक्ष अन्तर्शासकीय सम्मेलन के दौरान उन्होंने मैकब्राइड आयोग के प्रतिवेदन का उल्लेख किया था;

(ख) मैकब्राइड आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सम्मेलन के दौरान इसकी सिफारिशों के आधार पर कार्यवाही का कोई ठोस कार्यक्रम तैयार किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो उससे क्या-क्या लाभ प्राप्त हुए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) सिफारिशें संचार विकास के विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं यथा स्वतन्त्रता एवं आत्म-निर्भरता को सुदृढ़ करना, सामाजिक परिणाम और नए कार्य, व्यावसायिक ईमानदारी एवं मानक; संचार का लोकतान्त्रीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। आयोग के बुनियादी दृष्टिकोण में सभी देशों द्वारा एक ऐसी नई विश्व सूचना और संचार व्यवस्था की स्थापना के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है जिससे सूचना का अधिक मुक्त तथा अधिक सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रीय प्रवाह सुनिश्चित हो सके। सिफारिशों में संशाधनों और सुविधाओं की उपलब्धता में विकसित तथा विकासशील देशों के बीच विद्यमान स्पष्ट अन्तर की ओर संकेत किया गया है और इस बात पर बल दिया गया है कि सूचना के अन्तर्राष्ट्रीय प्रवाह में विद्यमान असंतुलन को दूर करने के लक्ष्य को विकसित और विकासशील देशों के बीच आपसी समझबूझ और सहयोग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

(ग) विशेषज्ञों की नई दिल्ली की बैठक में गुट निरपेक्ष देशों में जन संचार के विभिन्न साधनों का अधिक तेज गति से विकास करने के तौर-तरीकों, विशेषकर गुटनिरपेक्ष तथा विकासशील देशों से सम्बन्धित समाचारों के और व्यापक और सुगम प्रसार के तौर-तरीकों पर विस्तार के साथ विचार विमर्श किया गया और अन्तः शासकीय परिषद की मई, 1982 में होने वाली अगली बैठक में विचार किए जाने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की गई, रिपोर्ट में सुझाए गए कार्रवाई कार्यक्रमों में, जो कि सिफारिशी स्वरूप के हैं, संचार का समूचा क्षेत्र शामिल है। कुछ संस्तुत कार्यक्रम मैकब्राइड आयोग की रिपोर्ट में व्यापक रूप से शामिल क्षेत्रों के अन्दर आते हैं।

(घ) इससे होने वाले सम्भावित लाभों के बारे में कोई ठोस मूल्यांकन करना अभी जल्दबाजी होगा।

उच्चतम न्यायालय में उपस्थित होने के लिए असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को हो रही कठिनाइयां

4833. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असम तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे दूर-दराज क्षेत्रों के लोगों को न्याय प्राप्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय में आने में कठिनाई होती है; और

(ख) सरकार का विचार इन कठिनाइयों को किस प्रकार दूर करने तथा इन लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार उच्चतम स्तर पर न्याय दिलाने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को उच्चतम न्यायालय तक पहुंचने में उन लोगों की अपेक्षा अधिक असुविधा होगी जो उन स्थानों के रहने वाले हैं जो उच्चतम न्यायालय के स्थान के अपेक्षाकृत निकट स्थान हैं। किन्तु उस दशा में भी कठिनाई अनुभव की जाएगी जब उच्चतम न्यायालय देश के विभिन्न भागों में दूरस्थ क्षेत्रों में बैठने लगेगा। संविधान के अनुच्छेद 130 में उपबन्ध है कि "उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में, जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधिपति राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर नियुक्त करे, बैठेगा।" दिल्ली से भिन्न किसी अन्य स्थान पर इसकी बैठक के लिए भारत के मुख्य न्यायाधिपति से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

अस्थायी तौर पर घरेलू बिजली कनेक्शन मंजूरी देने का आधार

4834. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अस्थाई तौर पर घरेलू बिजली कनैक्शन किन आधारों पर दिया जा सकता है और कितनी अवधि के लिए; और

(ख) गत छः महीनों के दौरान इस सम्बन्ध में दिल्ली छावनी सहित कितने आवेदन प्राप्त हुए, उनमें से कितनों को मंजूरी दी गई और अन्य आवेदनों पर इसकी मंजूरी न देने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण/दिल्ली नगर निगम द्वारा या सरकारी एजेन्सियों द्वारा प्रायोजित कालोनियों में बिजली दिए जाने के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर घरेलू बिजली के लिए अस्थायी कनेक्शन डेसू द्वारा दिए जाते हैं। सहकारी समितियों तथा अन्य कालोनियों के मामले में इस प्रकार के कनैक्शन प्रायोजित करने वाली एजेन्सियों/एशोसियेशनों आदि से विद्युतीकरण हेतु उनके हिस्से की राशि प्राप्त हो जाने के पश्चात दिए जाते हैं। निर्धारित वाणिज्यिक आवश्यकताओं को पूरा किए जाने की शर्त पर अस्थायी कनैक्शन दिए जाते हैं। अस्थायी कनैक्शन उस समय तक के लिए दिए जाते हैं जब तक कि स्थायी कक्नैशन देना व्यावहारिक नहीं होता।

(ख) गत छः महीनों के दौरान अस्थायी कनैक्शनों के लिए डेसू को 113 आवेदन प्राप्त हुए थे और इनमें से 101 कनैक्शनों को स्वीकृति दी गई तथा बाकी के 12 आवेदनों को इस आधार पर नामंजूर कर दिया गया था कि आवेदकों ने करारनामा फार्म को पूरा करने, परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने, जमानत तथा कनैक्शन प्रभार जमा कराने जैसी वाणिज्यिक औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया था।

जहां तक दिल्ली छावनी का सम्बन्ध है, सैनिक इंजीनियरिंग सेवाओं के विनियमों में अस्थायी घरेलू कनैक्शनों के लिए कोई प्रावधान नहीं हैं। तथापि विशेष कारणों से यथा धार्मिक, सामाजिक और डाक्टरी आधार पर घरेलू रोशनी के लिए अधिक से अधिक 15 दिन की अवधि के

लिए अस्थायी कनैक्शन स्वीकृत किए जाते हैं। गत छः महीनों के दौरान 53 आवेदन प्राप्त हुए थे और इनको अस्थायी कनैक्शन दे दिए गए थे।

लघु औषधि एककों की भूमिका

4835. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयात की योजना बनाने, औद्योगिक लाइसेंस जारी करने, उत्पाद शुल्क बढ़ाने, कच्चे माल का नियन्त्रण तथा उसका वितरण करने और बल्क औषधि उद्योग में मूल्य निर्धारित करने की नीति के बारे में लघु उद्योगों की राय कभी नहीं ली जाती है और उनकी भूमिका पर कभी विचार नहीं किया जाता है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यदि नहीं तो पिछले तीन वर्षों में जब लघु उद्योगों की भूमिका पर विचार किया गया, उसका क्या ब्यौरा है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) औषधों के उत्पादन को अधिकतम स्तर तक पहुंचाने और उचित मूल्यों पर उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में सरकार के उद्देश्य और वचनबद्धता के अन्तर्गत आयात नीति को अन्तिम रूप देने/समीक्षा करने, सरणीबद्ध औषधों की वितरण नीति की घोषणा, बल्क औषधों और औषध मध्यवर्तियों पर सीमा शुल्क का निर्णय करने, बल्क औषधों और फार्मूलेशनों के मूल्य निर्धारित करने और नए औद्योगिक लाइसेंस देने का निर्णय करते समय लघु उद्योग औषध एककों की भूमिका और उनके हितों को ध्यान में रखा जाता है। इन सभी मामलों में लघु उद्योग औषध एककों द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर विचार किया जाता है। लघु उद्योग औषध एककों को अनेक प्रोत्साहन/रियायतें उपलब्ध हैं जिन्हें नीचे दर्शाया गया है :

(i) अनेक औषधों का निर्माण लघु उद्योग क्षेत्र के लिए सुरक्षित रखा गया है।

(ii) लघु उद्योग एककों को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियमन, 1951 के अन्तर्गत कोई लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है।

(iii) आयात नीति में अनलजिन, आई० एन० एच०, पेरासिटामोल, फेनासिटिन जैसी औषधों को प्रतिबन्धित सूची में रखा गया है, क्योंकि लघु उद्योग क्षेत्र में इनका पर्याप्त उत्पादन हो रहा है। लघु उद्योग सहित स्वदेशी उद्योग को अधिक संरक्षण देने की दृष्टि से आयात नीति की निरन्तर समीक्षा की जाती है।

(iv) स्वदेशी औषध उद्योग, विशेषकर लघु उद्योग, के लाभ के लिए अनेक औषध मध्यवर्तियों के आयात पर सीमा शुल्क की रियायत दी गई है।

(v) सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित वितरण नीति के अनुसार लघु उद्योग एककों को उदारतापूर्वक सरणीबद्ध औषधों की सप्लाई की अनुमति दी गई है। सरणीबद्ध औषधों के आवंटन के लिए वितरण नीति में उदार वृद्धि दर की अनुमति दी गई है। इसके अलावा लघु उद्योग

एककों को ऐसे औषध मदों के मामले में अपनी आवश्यकताओं में परिवर्तन करने के लिए भी कुछ छूट दी गई है।

(vi) नये लघु उद्योग एकक 3 लाल रु० तक के मूल्य के सरणीबद्ध कच्चे माल/आयात लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। यदि लघु उद्योग एकक पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किये जायें अथवा स्नातकों/व्यवसायिक विषयों में डिप्लोमाधारियों अथवा भूतपूर्व सैनिकों/अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों द्वारा स्थापित किए जायें तो सरणीबद्ध मदों की हकदारी का अधिकतम मूल्य 5 लाख रुपये होगा।

(vii) नये लघु उद्योग एकक अपनी आवश्यकताओं का 15 महीने की अवधि (12 महीने की सामान्य अनुमेय अवधि के बजाय) के लिए सारणी एजेंसियों के बाद पंजीकृत करा सकते हैं।

(viii) डी० जी० एस० एंड डी० और अन्य सरकारी संस्थाओं को औषधों की सप्लाई के मामले में लघु उद्योग एककों को मूल्यों में वरीयता दी जाती है।

(ix) जिन लघु उद्योग एककों की बेसिक बिक्री 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है उनके फार्मूलेशनों पर मूल्य नियन्त्रण से छूट है। तथापि जिन मामलों में लीडर मूल्य निर्धारित किए गए हैं उन मामलों में ऐसे फार्मूलेशनों के प्रत्येक निर्माता के ऐसे फार्मूलेशनों के अधिकतम बिक्री मूल्य भी नहीं है, जैसा कि औषध मूल्य नियन्त्रण आदेश 1979 में व्यवस्था की गई है।

(x) औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के मामले में निर्णय लेते समय उद्योग मंत्रालय के लघु उद्योग विकास आयुक्त का एक प्रतिनिधि शामिल किया जाता है और उसके विचारों को ध्यान में रखा जाता है।

नागालैण्ड में डोयांग पन-बिजली परियोजना

4836. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने नागालैण्ड की डोयांग पन-बिजली परियोजना पर स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त परियोजना चालू करने के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) डोयांग जल विद्युत परियोजना, जिसमें 96.31 करोड़ रुपयों की अनुमानित लागत पर, 35-35 मेगावाट की तीन यूनिटों की प्रतिष्ठापना की परिकल्पना है, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मार्च, 1981 में स्वीकृत कर दी गई थी, बशर्ते कि :

(क) पर्यावरण विभाग से पर्यावरण संबंधी स्वीकृति मिल जाय।

(ख) निर्माण के लिए एजेन्सी के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया जाय।

(ग) परियोजना रिपोर्ट तैयार करने वाले नागालैण्ड प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित कार्य-

क्रम के अनुसार, डोयांग जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य 8 वर्षों की अवधि में पूरा होने की संभावना है। इसमें निर्माण से पूर्व के कार्यों की एक वर्ष की अवधि भी शमिल है।

मधुबनी जिले में बिस्फी, बाड़हा और तिमारी शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाना

4837. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मधुबनी, जिले के लौकाहा डाकघर की भूमि में अतिक्रमण हुआ है और डाकघर ने इस भूमि में अपना भवन नहीं बनाया है तथा अपने कार्यालय के लिए एक भवन किराये पर लिया है ; और क्या टेलीफोन एक्सचेंज भी काम नहीं कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(ग) बिस्फी, बाड़हा और तिमारी शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ख) मधुबनी जिले में लौकाहा डाकघर की भूमि पर कब्जा किया गया है। इस कब्जे को हटाने के लिए इस मामले को राज्य प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है। डाकघर के लिए विभागीय भवन का निर्माण अभी नहीं किया गया है तथा इस समय डाकघर किराए के भवन में है।

लौकाहा में कोई टेलीफोन एक्सचेंज नहीं है। लौकाहा में एक लम्बी दूरी का सार्वजनिक टेलीफोन घर (पी० सी० ओ०) है जो कि घोघरदिहा स्थित 20 लाइन के एस० ए० एक्स० से जुड़ा है। घोघरदिहा में बिजली न मिलने के कारण सार्वजनिक टेलीफोन घर की कार्यप्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अन्यथा, यह संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है। एक इंजन आल्टरनेटर मंजूर किया गया है तथा उसको घोघरदिहा एस० ए० एक्स० हेतु मंगाया गया है।

(ग) बिस्फी, बाड़हा और सिमरी (न कि तिमारी) शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाने का औचित्य नहीं पाया गया क्योंकि प्रत्येक मामले में कार्यभार न्यूनतम अपेक्षित 5 घंटों से कम है। इसके अतिरिक्त दर्जा बढ़ाने पर अनुमानित घाटा भी अनुमित सीमा की अपेक्षा अधिक है।

गुजरात में ताप बिजली संयंत्रों को कोयले की कम सप्लाई

4838. **श्री आर० पी० गायकवाड़ :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात के तापीय विद्युत संयंत्रों को वर्ष 1981 के दौरान अपनी कुल आवश्यकताओं की तुलना में कोयले की कम सप्लाई मिली है :

(ख) क्या यह सच है कि कोयले की कम सप्लाई के कारण ये विद्युत संयंत्र वर्ष के दौरान अपनी पूरी क्षमता से बिजली का उत्पादन नहीं कर सके ;

(ग) वर्ष के दौरान गुजरात के इन ताप विद्युत संयंत्रों को कुल कितने मिलियन टन कोयले की मात्रा सप्लाई की गई और कितनी मात्रा में कोयला कम सप्लाई किया गया ; और

(घ) यदि हां, तो इन विद्युत संयंत्रों को पर्याप्त मात्रा में कोयला सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) गुजरात में ताप विद्युत संयंत्रों को केलेंडर वर्ष 1981 के दौरान 3337 हजार टन कोयला प्राप्त हुआ था। इसकी तुलना में गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान उन्हें 2784 हजार टन कोयला प्राप्त हुआ। वर्ष 1981 के दौरान विद्युत संयंत्रों ने 3186 हजार टन कोयले का उपभोग किया। इसकी तुलना में कोयले की प्राप्ति 3337 हजार टन थी। वर्ष 1981 के दौरान गुजरात में विद्युत उत्पादन पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में 9.02% अधिक था। कोयले की उपलब्धता के सम्बन्ध में राज्य में ताप विद्युत केन्द्रों को कुछ अवसरों के अलावा किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। विद्युत केन्द्रों के पास इस समय कोयले के स्टाक की स्थिति संतोषजनक है। अपवाद केवल अहमदाबाद है जहां लगभग 3 दिन के लिए कोयले का स्टाक है।

गुजरात स्थित ताप विद्युत केन्द्रों सहित विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाये गए हैं। इन कदमों में ये शामिल हैं :

(1) गुजरात स्थित विद्युत केन्द्रों सहित ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई की सतत रूप से मानीटरिंग की जाती है। ताप विद्युत केन्द्रों को रेल द्वारा कोयले की ढुलाई की मानीटरिंग करने के लिए ऊर्जा मंत्रालय द्वारा रेलवे के साथ घनिष्ठ सम्पर्क रखा जा रहा है। विद्युत केन्द्रों को वैगनों की सप्लाई की समीक्षा करने के लिए उच्च-स्तरीय अन्तः मंत्रालयीय बैठकों का आयोजन भी किया जाता है।

(2) विद्युत केन्द्रों को सलाह दी गई है कि वे जहां तक संभव हो सके वैगनों को रोकने की अवधि को कम करें ताकि वैगनों के आने-जाने का समय न्यूनतम हो सके, जिसके परिणामस्वरूप वैगनों की उपलब्धता में वृद्धि हो जाए। ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की ढुलाई के लिए वैगनों की सप्लाई में रेलवे ने भी वृद्धि की है। सही आकार के कोयले की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कोयला कम्पनियों ने, कोयला हैंण्डलिंग संयंत्रों को प्रतिष्ठापित करने तथा अन्य उपाय करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम हाथ में लिया है। बिजली घरों द्वारा वैगनों को शीघ्र छोड़े जाने की स्थिति पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है।

सेन्ट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के कार्यकरण की जाँच

4839. **श्री राम विलास पासवान :**
श्री राजेश कुमार सिंह :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेन्ट्रल कोलफील्ड के पिछले पाँच वर्षों में कार्यकरण की जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उपक्रम में अत्यधिक भ्रष्टाचार के मामलों का पता चला है ;

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इसकी कोई जांच की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने इस संगठन के कार्यकरण को सुधारने के लिए कोई कदम उठाए हैं ; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) पिछले पांच वर्षों में सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० के कार्यकलाप में कोई सर्वतोमुखी जांच नहीं की गई है। कम्पनी के अलग-अलग कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप जब कभी प्राप्त होते हैं तो उनमें आन्तरिक सतर्कता एजेन्सी तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो जांच-पड़ताल करता है तथा ऐसी जांच-पड़तालें की गई हैं।

(घ) सतर्कता के सम्बन्ध में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(1) कम्पनी में पृथक सतर्कता एजेन्सी स्थापित की गई है।

(2) कुछ नाजुक क्षेत्रों और पदों पर काम करने वाले व्यक्तियों का बारी-बारी से उचित अन्तराल के बाद तबादला किया जाता है।

(3) स्टाकों और भंडारों के सत्यापन की समुचित प्रणाली लागू की गई है।

(4) सतर्कता और विपणनन स्कंधों के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण;

(5) सुरक्षा के लिए समुचित प्रबन्ध किए गए हैं।

(6) बहुत कड़े दण्ड दिए गए हैं।

छठी योजना के दौरान नये ताप विद्युत संयंत्र

4840. श्री राम विलास पासवान : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छठी योजना अवधि के दौरान देश में नये ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में ऐसे संयंत्रों की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार से भी अनुरोध किया है और यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने ; और

(ग) क्या संयंत्रों के लिए इस बीच स्थलों का चयन कर लिया गया है और उन पर कितनी लागत आयेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) छठी योजना अवधि के दौरान 14,208 मेगावाट ताप विद्युत क्षमता प्रतिष्ठापित करने की योजना है। छठी योजना में जिन ताप विद्युत स्कीमों से लाभ प्राप्त होगा इन स्कीमों को स्वीकृत किया जा चुका है। इन स्कीमों की सूची, जिन राज्यों में ये स्कीमें स्थित हैं, उन राज्यों के नाम तथा इन स्कीमों की अनुमानित लागत उपाबन्ध- एक में दी गई है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3732/82]

इसके अतिरिक्त कुल 10,020 मेगावाट की ताप विद्युत स्कीमों को भी स्वीकृति दी गई है तथा कुल 4,170 मेगावाट की स्कीमों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन दे दिया गया है। तथापि इन स्कीमों से लाभ सातवीं योजना अवधि के दौरान तथा इसके पश्चात प्राप्त होगा। ऐसी स्कीमों के परियोजनावार ब्यौरे उपाबन्ध-दो में दिए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3732/82]

सहकारिता आन्दोलन की संभावनाओं को बताने वाले कार्यक्रमों का रेडियो/टेलीविजन पर प्रसारण

4841. **श्री सुभाष यादव** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारिता आन्दोलन की एजेन्सी का उपयोग करने हेतु जनता को प्रेरित करने के लिए आकाशवाणी/दूरदर्शन द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ; और

(ख) देश में सहकारिता आन्दोलन के कार्यक्रम तथा उसकी संभावनाओं को बताने के लिए आकाशवाणी/दूरदर्शन के भिन्न-भिन्न केन्द्रों द्वारा प्रति दिन कितना समय नियत किया जाता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी केन्द्र वार्ताओं, परिचर्चाओं, भेंटवार्ताओं, रूपकों, विशिष्टि श्रोतागण कार्यक्रमों, आदि के रूप में अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं जिनमें न केवल सहकारिता अभियान के महत्व पर ही अपितु उससे होने वाले लाभों पर भी प्रकाश डाला जाता है।

इस प्रकार के कार्यक्रमों को नियत समय के आधार पर प्रसारित नहीं किया जाता और इसलिए आकाशवाणी/दूरदर्शन के सभी केन्द्रों के द्वारा आवंटित दैनिक समय के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

दिल्ली में खराब रहने वाले टेलीफोन

4842. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के टेलीफोन एक्सचेंजों में गत एक वर्ष के दौरान प्रयोक्ताओं से इस आशय की कितनी शिकायतें प्राप्त की गई हैं कि उनके टेलीफोन खराब हैं ; और

(ख) प्रत्येक शिकायत कब प्राप्त हुई थी और अलग-अलग टेलीफोन कब ठीक किए गए तथा इनका ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) 1 फरवरी, 81 से 31 जनवरी, 1982 के बीच यानी एक वर्ष के दौरान दिल्ली टेलीफोन के सभी एक्सचेंजों में 21,83, 635 शिकायतें प्राप्त हुई।

(ख) उपरिनिर्दिष्ट शिकायतों में से प्रत्येक का ब्यौरा दे पाना सम्भव नहीं है किन्तु वर्ष के दौरान औसतन, एक टेलीफोन के दोष को दूर करने में 4.9 घंटे का औसत समय लिया गया।

स्पिरिट का उत्पादन

4843. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के कौन से क्षेत्रों में स्पिरिट का प्रयोग किया जाता है,

(ख) कौन-से उपक्रम स्पिरिट का उत्पादन करते हैं;

(ग) सरकार ने स्पिरिट की कमी दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) अल्कोहल के दो प्रमुख प्रयोग हैं—पेय प्रयोग और औद्योगिक प्रयोग ।

(ख) अल्कोहल का निर्माण आसवनियों में किया जाता है । देश में 127 आसवनियां हैं जिनकी वार्षिक स्थापित क्षमता 7319.4 लाख लीटर प्रतिवर्ष है ।

(ग) और (घ) शक्कर और शीरे के अच्छे उत्पादन के कारण वर्तमान अल्कोहल वर्ष 1981-82 (दिसम्बर-नवम्बर) में अल्कोहल की उपलब्धता में सुधार हुआ है । अल्कोहल की कमी की कोई शिकायत नहीं है ।

विधि मंत्रालय में हिन्दी भाषा का प्रयोग

4844. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय तथा इसके विभागों में राजभाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उसका ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3733/82]

केरल में खाना बनाने की गैस की एजेंसियां

4845. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में, खाना बनाने की गैस की कितनी एजेंसियां कार्य कर रही हैं;

(ख) कौन-कौन-से क्षेत्र इन एजेंसियों के अन्तर्गत आ जाते हैं, एजेंसियों के नाम और उनके अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के बारे में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल में खाना बनाने की गैस की वितरण प्रणाली को नए क्षेत्रों में फैलाने की कोई योजना सरकार के पास है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस समय केरल के लिए गैस कनेक्शन के कितने आवेदन लम्बित पड़े हैं, और

(ङ) उनका कब तक निपटान किए जाने की आशा है, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) 23.

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी गयी है ।

(ग) उद्योग की 1981-82 तथा 1982-83 की योजनाओं में नीचे दिये कस्बों में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की सुविधाएं दिये जाने का प्रस्ताव है;

माला पुरम	बादागारा
कनहानगद	तिरुर
कसार गोड	कोचीन/अल्वे
ओटा पल्लम	चंगणाचेरी
चालाकुडी	कायाम कूलम
तिरुवाला	शेर क्लाई
चितूर/थाथामंगलम	टोडा पूजाह
मूवाथू पूजाह	पलाई
चावाक्काद/गुरुवयूर	
इरीन जाला कुडा	

(घ) और (ङ) दिनांक 31-12-1981 की यथा स्थिति को केरल में प्रतीक्षा सूची में लगभग 42000 उपभोक्ता थे। नये पंजीकरणों से प्रतीक्षा सूची निरन्तर बढ़ रही है। इस कारण सूची को समाप्त करना एक निरन्तर कार्यक्रम है।

विवरण

केरल में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के वितरकों के नाम तथा स्थल नीचे दिये गये हैं:

वितरक	स्थल
1. सिटी गैस एजेंसी	कोचीन (अरनाकुल्लम)
2. हिन्द कलेम एजेंसी	,, ,,
3. कोचीन गैस सर्विस	,, ,,
4. यूनाइटेड गैस सर्विस	,, ,,
5. आनन्द ,, ,,	,, ,,
6. अजय ,, ,,	,, ,,
7. बिन्दू ,, ,,	,, ,,
8. प्रभा एंटर प्राइजेज	,, ,,
9. गैस एण्ड अलाइड एजेंसी	काननोर
10. जैमनी गैस अप्लाइंस	तेलीचेरी
11. कमांडर गैस एजेंसी	कोट्टायम

वितरक	स्थल
12. सैनिक गैस सर्विस	त्रिचूर
13. जी० के० गैस एजेंसी	,,
14. किलोन गैस सर्विस	किलोन
15. नरेश गैस एजेंसी	,,
16. येम० के० गैस सर्विस	पालघाट
17. भास्कर गैस सर्विस	त्रिवेन्द्रम
18. सिरी राम गैस सर्विस	,,
19. सेना गैस एजेंसी	,,
20. अमाला गैस एजेंसी	,,
21. कालीकट गैस सर्विस	कालीकट
22. चान्द गैस सर्विस	,,
23. कृष्णे गैस एजेंसी	ऐली पे

आकाशवाणी के कोयम्बटूर केन्द्र से वाणिज्यिक प्रसारण आरम्भ करना

4846. **श्री ईरा मोहन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री आकाशवाणी के कोयम्बटूर केन्द्र से वाणिज्यिक प्रसारण के बारे में 1 जुलाई, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2479 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के कोयम्बटूर केन्द्र से वाणिज्यिक प्रसारण इस बीच आरम्भ कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) धनराशि की कमी और योजनागत स्कीमों के लिए सापेक्ष प्राथमिकताओं के कारण कोयम्बतूर में विज्ञापन प्रसारण सेवा केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव को चालू पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं किया जा सका। तथापि, 1-4-1982 से प्राथमिक चैनलों पर विज्ञापनों को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। उस प्रक्रिया में आकाशवाणी, कोयम्बतूर भी कवर हो जाएगा।

गोआ में तेल की खोज करने का प्रस्ताव

4847. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ में, जहां तेल तथा गैस के लिए पर्याप्त संभावनायें विद्यमान हैं, तेल तथा गैस की खोज कराने का विचार है;

(ख) क्या इस क्षेत्र में इस सम्बन्ध में अब तक कोई अध्ययन कराया गया है, और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) क्या उक्त क्षेत्र का द्रुत विकास करने के लिए प्रयासों को तेज करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) गोआ तट में तेल और गैस के लिए अन्वेषण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि तेल और गैस के प्राप्त होने की संभावनाएं कम नजर आती हैं। गोआ अपतट के सम्बन्ध में भारत के पश्चिमी तट दूर महाद्वीपीय शेल्फ, जिसमें अपतटीय गोआ क्षेत्र शामिल है, में भूभौतिकीय सर्वेक्षण किये गये हैं। इन सर्वेक्षणों से प्राप्त आंकड़ों के फलस्वरूप रत्नगिरी कारवाड़ अपतटीय क्षेत्र में 19 संरचनाओं के संकेत मिले हैं। इन संरचनाओं में 2 संरचनाओं अर्थात कारवाड़ और कसर गोड़ में कूप खोदे गए हैं। परन्तु ये शुष्क सिद्ध हुए।

(ग) और (घ) इस समय रत्नगिरी कारवाड़ क्षेत्र में सभी संरचनाओं का सही रूप से रेखांकन करने के लिए अतिरिक्त भूभौतिकीय सर्वेक्षण किये जा रहे हैं। इस प्रकार प्राप्त किए गए आंकड़ों की व्याख्या करने और संसाधन करने के परिणामों के आधार पर प्रयत्नों को तेज किया जायेगा।

आर० के० पुरम में कोयले की अत्यधिक कमी

4848. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में नवम्बर, 1981 से कोयले की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) उनके पास पंजीकृत खाद्य कार्डों के आधार पर प्रत्येक डिपो में कोयले की कुल मासिक आवश्यकता कितनी है जिससे निवल कमी का पता चल सके और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कोयले जैसी आवश्यक वस्तुओं की कमी दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन के नागरिक पूर्ति विभाग को ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है कि नई दिल्ली के रामकृष्णपुरम क्षेत्र में नवम्बर, 1981 से साफ्ट कोक की अत्यधिक कमी चल रही है।

(ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें रामकृष्णपुरम के प्रत्येक कोयला डिपो को, उससे संबद्ध खाद्य राशन कार्डों के अनुसार, नवम्बर, 1981 से फरवरी, 1982 के बीच जितना कोयला मिलना चाहिए था और उनमें से प्रत्येक डिपों ने जितना साफ्ट कोक उठाया है उसका महीनावार

विवरण दिया गया है। कोयला डिपो धारियों ने कम कोयला उठाया जिसका कारण यह था कि कार्ड धारियों ने कोयले की कम मांग की।

(घ) नागरिक पूर्ति विभाग कोयला वैगनों के आगमन की लगातार निगरानी करता रहता है।

विवरण

क्र० सं०	कोयला लाइसेंस संख्या	महीना	प्राप्त मात्रा		पंजीकृत खाद्य कार्डों के अनुसार अपेक्षित मात्रा	
1	2	3	4		5	
			क्विंटल	कि० ग्रा०	क्विंटल	कि० ग्रा०
1.	415	नवम्बर	252	20	278	40 प्रतिमाह
		दिसम्बर	368	70		
		जनवरी	124	00		
		फरवरी	252	30		
2.	492	नवम्बर	251	00	261	90 प्रतिमाह
		दिसम्बर	शून्य			
		जनवरी	248	40		
		फरवरी	249	20		
3.	957	नवम्बर	250	90	320	00 प्रतिमाह
		दिसम्बर	शून्य			
		जनवरी	255	80		
		फरवरी	249	30		
4.	2689	नवम्बर	शून्य		330	00 प्रतिमाह
		दिसम्बर	249	80		
		जनवरी	246	60		
		फरवरी	126	30		
5.	970	नवम्बर	250	80	240	00 प्रतिमाह
		दिसम्बर	शून्य			
		जनवरी	249	50		
		फरवरी	शून्य			

1	2	3	4		5	
6.	238	नवम्बर	251	70	240	00 प्रतिमाह
		दिसम्बर	254	00		
		जनवरी	शून्य			
		फरवरी	251	60		
7.	2309	नवम्बर	124	12	220	00 प्रतिमाह
		दिसम्बर	245	00		
		जनवरी	125	10		
		फरवरी	124	80		
8.	1452	नवम्बर	250	30	360	00 प्रतिमाह
		दिसम्बर	126	80		
		जनवरी	378	90		
		फरवरी	शून्य			
9.	1012	नवम्बर	शून्य		250	00 प्रतिमाह
		दिसम्बर	245	00		
		जनवरी	125	00		
		फरवरी	241	10		

विमान की खरीद के लिए उड़ीसा सरकार के साथ कोल इंडिया द्वारा वार्ता

4849. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इण्डिया लिमिटेड ने कुछ समय पूर्व विमान की खरीद के लिए उड़ीसा सरकार के साथ वार्ता की थी;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा सरकार से विमान न खरीदने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या कोल इण्डिया लिमिटेड का विदेशों से विमान खरीदने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो कोल इंडिया का अन्तिम निर्णय क्या है और विमान की अनुमानतः क्या लागत है और यह किन प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किया जायेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) कोल इण्डिया लि० ने उड़ीसा सरकार से एक हवाई जहाज खरीदा है । यह हवाई जहाज उड़ीसा सरकार ने टेण्डर आमंत्रित करके बेचा था ।

(ग) और (घ) लगभग 80 लाख रुपए की लागत से एक हवाई जहाज खरीदने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इस हवाई जहाज का उपयोग मुख्य रूप से सात राज्यों में फैली हुई कोयला खानों की निगरानी और प्रबन्ध के लिए तथा खनन दुर्घटनाओं की जगहों पर आपातकाल में जाने के लिए किया जाएगा ।

पश्चिमी बंगाल में मिट्टी के तेल की खपत

4850. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980 और 1981 में पश्चिम बंगाल में मिट्टी के तेल की वार्षिक खपत कितनी रही;

(ख) इस अवधि के लिए पश्चिम बंगाल को केन्द्रीय सरकार द्वारा मिट्टी के तेल की कितनी सप्लाई की गई;

(ग) निकट भविष्य में पश्चिम बंगाल की मिट्टी के तेल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) पश्चिम बंगाल में मिट्टी के तेल की 1980 और 1981 में बिक्री क्रमश: 370,818 मी० टन और 409,918 मी० टन थी।

(ख) पश्चिम बंगाल को 1980 और 1981 में केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया आवंटन क्रमश: 385, 396 मी० टन और 407,400 मी० टन था।

(ग) और (घ) विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को मिट्टी के तेल के आवंटन की वर्तमान नीति जो नवम्बर 1981 से प्रवृत है, के अनुसार वर्ष को प्रत्येक चार मास के तीन खण्डों में विभाजित किया गया, जिनके लिए प्रत्येक समान स्तर पर आवंटन किया जा रहा है। दोनों ग्रीष्म महीनों (मार्च-जून) और वर्षाकालीन महीनों (जुलाई-अक्तूबर) के लिए मासिक आवंटन पिछले वर्ष के तदनुरूपी चार महीनों की औसतन मासिक बिक्री की तुलना में 5% की वृद्धि दर पर आधारित होता है। शीत महीनों (नवम्बर-फरवरी) के लिए आवंटन पिछले तदनुरूपी 4 महीनों के किसी एक महीने के अधिकतम आवंटन/बिक्री की तुलना में 5%की वृद्धि दर पर आधारित होता है। चार महीनों के खण्ड के अन्दर भी एक मास से दूसरे मास में आवंटन को आगे नहीं ले जाया जाता है। जनवरी से जून 1982 के लिए पश्चिम बंगाल के लिए किया गया औसत मासिक आवंटन 36,000 मी० टन है जो 1981 में की गई वास्तविक औसत मासिक बिक्री से करीब 5.2% अधिक है।

राजस्थान में शहरों को गैस एजेंसियों का आवंटन

4851. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के प्रत्येक जिले में ऐसे कौन-कौन-से शहर हैं जहां गत वर्ष गैस एजेंसियां आवंटित की गई हैं और चालू वर्ष के दौरान आवंटित की जा रही हैं और इन एजेंसियों को आवंटित करने के लिए अपनाए गए मानदण्ड क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन गैस एजेंसियों के आवंटन के लिए कोई समिति गठित की है; और

(ग) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन-कौन-से हैं और क्या इस समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) तेल कम्पनियों ने अब तक निम्नलिखित नये एल० पी० जी० वितरक नियुक्त किये हैं :

1. बीकानेर
2. पाली
3. जोधपुर
4. उदयपुर
5. जयपुर
6. अजमेर
7. श्री गंगा नगर
8. जेवार
9. नागौर
10. सिरोही
11. भरत पुर
12. अलवर

उत्पाद उपलब्धता के होने पर एल० पी० जी० एजेन्सियां इस समय निम्नलिखित दृष्टिकोणों पर खोली गई हैं :

(1) प्रत्याशित उपभोक्ता क्षमता;

(2) वितरण उपकरणों का अधिकतम उपयोग, और

(3) कार्यों की व्यवहार्यता ।

1982-83 तक उद्योग ने 50,000 से अधिक की जनसंख्या वाले सभी जिला मुख्यालयों और कस्बों को शामिल करने की योजना बनाई है।

(ख) और (ग) सम्बन्धित तेल कंपनियों द्वारा एल० पी० जी० एजेन्सियों के लिए डीलरों का चयन निर्धारित मार्गदर्शनों के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों पर किया जाता है। साधारण वर्ग की एजेन्सियों के लिए चयन समिति तेल कम्पनियों के 3 प्रतिनिधि जिसमें सम्बन्धित तेल कम्पनी का एक प्रतिनिधि होता है, संगठित होती है। सामाजिक उद्देश्य वर्ग के अधीन एजेन्सियों के लिए चयन समिति में इनके अलावा, सरकार का एक प्रतिनिधि होता है। ऐसी कोई चयन समितियां गठित की गई हैं। सदस्यों के नाम शीघ्र उपलब्ध नहीं हैं।

हिमाचल प्रदेश में जनगणना वाले गांवों का विद्युतीकरण

4852. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के कुछ विकास खण्डों में "आर० ई० सी०" योजनायें पूरी हो गई हैं और इन खण्डों में जनगणना वाले कुछ गांवों का विद्युतीकरण अभी किया जाना है ;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक खण्ड में जिलावार "आर० ई० सी०" योजनायें किस तारीख से बन्द की गई हैं;

(ग) क्या जनगणना वाले बाकी के गांवों अथवा इन खण्डों में इनके भागों के विद्युतीकरण के लिए कोई नई योजनायें इस बीच अनुमोदित की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो किन-किन खण्डों में ऐसी योजनायें अनुमोदित की गई हैं और कार्यान्वयन के लिए शुरू की गई हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या करण हैं और हरिजन गांवों की बस्तियों सहित शेष गांवों में बिजली उपलब्ध कराने के लिए "आर० ई० सी० ' और राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने लागत में बढ़ोतरी के कारण, ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत की गई 7 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों को बन्द करने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं। इन स्कीमों में निर्धारित लक्ष्यों को मूल रूप से निर्धारित समय सीमाओं और परिकल्पित वित्तीय परिव्यय के अन्तर्गत पूर्णतः प्राप्त नहीं किया जा सका है। इन स्कीमों में जनगणना में शामिल कुछ ऐसे गांव भी हैं जिनको प्रारंभ में विद्युतीकृत करने का प्रस्ताव था परन्तु इन्हें विद्युतीकृत करना अभी शेष है।

(ख) राज्य बिजली बोर्ड द्वारा बन्द की गई उक्त 7 स्कीमों का ब्यौरा इनके बन्द करने की तारीख और जिन विकास खण्डों के लिए ये स्कीमें स्वीकृत की गई थी, उन विकास खण्डों का जिलावार ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :

जिला	स्कीमों का नाम (ब्लाक/तहसील)	राज्य बिलली बोर्ड द्वारा बंद करने की तारीख
कांगड़ा	(1) नूरपुर	31.3.1981
	(2) कांगड़ा	1-12-1981
सोलन	(1) अर्की और नालागढ़	31-3-1981
मण्डी	(1) मण्डी सदर	31-11-1981
सिरमौर	(1) नाहन और रेणुका	31-3-1981
	(2) सिरमौर, नाहन; रेणुका और पचहाड़	31-3-1981
हमीरपुर	(1) बरसर	1.11.1981

(ग) मूल स्वीकृत स्कीमों में शामिल उपरोक्त विकास खण्डों/तहसीलों में, जनगणना में शामिल, बाकी रहे कुछ गांवों को विद्युतीकृत करने के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम ने तीन नई स्कीमें जनवरी, 1982 में स्वीकृत की हैं।

(घ) और (ङ) : ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा हाल ही में स्वीकृत की गई तीन नई स्कीमों में, राज्य के कांगडा जिला की नूरपुर और कांगड़ा तहसील, हमीरपुर जिला की बरसर तहसील विद्युतीकरण के लिए शामिल की गई हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से एक अन्य

स्कीम प्राप्त हुई जिसमें जिला सोलन को नालागढ़ तहसील के कुछ बाकी गांव आ जाते हैं। इसकी जांच ग्राम विद्युतीकरण निगम में की जा रही है। बन्द हुई मूल स्कीमों में शामिल शेष गांवों को तथा उनके साथ लगी हरिजन बस्तियों को विद्युतीकृत करने के लिए, ग्राम विद्युतीकरण निगम, राज्य बिजली बोर्ड को और अधिक स्कीमें बनाने के लिए प्रेरित करेगा।

डाक और तार विभाग पर हुआ व्यय

4853. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान विकास व्यय की तुलना में डाक और तार विभाग का विनिर्माण व्यय कितना है :

(ख) क्या उपरोक्त विभाग द्वारा नियंत्रित डाक संचार और सम्बद्ध सेवाओं के विकास और विस्तार पर अधिक राशि खर्च करने सम्बन्धी स्थिति को सुधारने के लिए कोई प्रयास किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) सूचना निम्नानुसार है :

वर्ष	चालू व्यय	विकास व्यय अर्थात
	गैर-योजना	योजना व्यय
1979-80	723.18 करोड़	287.06 करोड़
1980-91	872.54 करोड़	287.69 करोड़
1981-82 (अनुमानित)	1029.50 करोड़	472.08 करोड़

(ख) जी हां,

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना में विकास व्यय पर 2508 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। स्वदेशी क्षमता की कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक उपस्कर आयात किए जा रहे हैं। इसके साथ-साथ मंत्रालय नई फैक्टरियों की स्थापना तथा मौजूदा फैक्टरियों की क्षमता बढ़ाने हेतु कार्रवाई कर रहा है।

बिलासपुर जिले में अलीखुर्द पर एक पुल के निर्माण के लिए अनुरोध

4854. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में अलीखुर्द (कुंगर हट्टी के निकट) पर एक पुल बनाने के लिए सरकार को बी० बी० एम० बी० के अभ्यावेदन / अनुरोध प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन स्रोतों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं और बी० बी० एम० बी० और सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने उस पुल के निर्माण की आधी लागत उठाने की भी पेशकश की है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी; हां।

(ख) एक संसद सदस्य से अनुरोध प्राप्त हुआ था। भाखड़ा बांध का निर्माण होने से पुराने पुलों के जलमग्न हो जाने के कारण विकल्प के रूप में अन्य पुलों का प्रावधान किये जाने की स्कीम के एक हिस्सा के रूप में ही अली खुर्द में गगास पर एक पुल बनाया गया है जिसकी लागत का 50% भाग भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड ने दिया है।

(ग) हिमाचल प्रदेश सरकार से ऐसे किसी भी प्रस्ताव की जानकारी सरकार के नहीं है।

स्वचालित मनीआर्डर बुकिंग मशीनें

4855. डा० वसंत कुमार पंडित : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक और तार विभाग देश के महत्वपूर्ण नगरों में प्रायोगिक आधार पर व 1980 से स्वचालित मनीआर्डर बुकिंग मशीनें चला रहा है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य वार वास्तव में चल रही इन मशीनों का ब्यौरा क्या है और इ से क्या अनुभव प्राप्त हुआ है ;

(ग) क्या इन मशीनों के संचालन में निरन्तर विरोध किया गया है क्योंकि उनसे डा और तार विभाग में छंटनी अथवा बेरोजगारी हो सकती है ; और

(घ) यदि नहीं, तो वर्ष 1982, 1983 और 1984 में मध्य प्रदेश राज्य, संघ क्षे दिल्ली और महाराष्ट्र राज्य में ऐसी कितनी स्वचालित मनीआर्डर बुकिंग मशीनें शुरू जायेंगी ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल : (क) जी हां। अक्तूबर, 1980 दिल्ली के 5 मुख्य डाकघरों में प्रायोगिक आधार पर मनीआर्डर बुकिंग मशीनों का प्रयोग कि जा रहा है। वास्तव में ये मशीनें स्वचल नहीं हैं अपितु डाकघरों एवं तारघरों में पहले से ही प्रयो की जा रही "कैश रजिस्टर" के आधार पर अपनाई गई हैं।

(ख) इस समय मनीआर्डर बुकिंग के लिए प्रयोग की जा रही ऐसी मशीनों की राज्यव संख्या निम्नलिखित है :

दिल्ली	—	10
तमिलनाडु	—	8
महाराष्ट्र	—	17
आंध्र प्रदेश	—	4
कर्नाटक	—	3
उ० प्रदेश	—	5
कुल		47

दिल्ली में मशीनों के कार्य निष्पादन के बारे में पुनर्निवेशन संतोषजनक रहा है। अन्य स्थानों पर मशीनें हाल ही में 1-1-82 एवं 15-3-82 के दौरान स्थापित की गई हैं और उनके कार्यनिष्पादन पर निगरानी रखी जा रही है। कलकत्ता में 22-3-82 से ऐसी 9 मशीने लगाने का प्रस्ताव है।

(ग) स्टाफ की ओर से कोई विरोध नहीं किया गया है। इन मशीनों के लगाने से स्टाफ में किसी प्रकार की कटौती की संभावना नहीं है।

(घ) अगले तीन वर्षों के दौरान देश के मुख्य डाकघरों में ऐसी 390 मशीनें, जिनमें से कुछ का प्रयोग मनीआर्डर बुकिंग के लिए भी किया जाना है, स्थापित करने का प्रस्ताव है। मनी-आर्डर बुकिंग हेतु, मशीनों की वास्तविक संख्या तथा जिन डाकघरों में उन्हें स्थापित किया जाएगा उनके नामों पर अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र में डाकघरों, लेटर बक्सों और छंटाई केन्द्रों की स्थापना करना

4856. **डा० वसंत कुमार पंडित** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनसंख्या और क्षेत्रवार डाकघर, लेटर बक्स अथवा छंटाई केन्द्र की स्थापना के लिए स्वीकृत मानदंड क्या है ;

(ख) मध्य प्रदेश के पिछड़े जिलों अर्थात् राजगढ़, गुना और विदिशा में कितने डाकघर, लेटर बक्स और छंटाई केन्द्र हैं और इनमें से कितने मानदंड और पद्धति के अनुसार हैं ;

(ग) उपरोक्त जिलों में से प्रत्येक जिले की कितनी पंचायतों में डाकघर हैं ?

(घ) क्या यह सच है कि उपरोक्त भाग (ख) में बहुत-से डाकघर केवल अंशकालिक कार्य कर रहे हैं और छंटाई केन्द्रों की वितरण डाकघरों को डिलीवरी सप्ताह में दो बार होती है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार डाकघरों को चलाने के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की व्यवस्था करने और डाकघरों के भवनों, स्टाफ क्वार्टरों और इन्हें बेहतर स्थानों में ले जाने के लिये लम्बे अर्से से बकाया प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी देने का है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) डाकघर खोलने हेतु मानदंड विवरण में दिए गए हैं। डाकघर गाइड में दी गई शर्तों के अधीन कुछ बड़े डाकघरों में पोस्ट बाक्स उपलब्ध हैं।

जहां तक लैटर बॉक्सों का ताल्लुक है, जिन ग्रामों में औसतन दो पत्र प्रतिदिन प्राप्त होते हैं और यदि नजदीकी लैटरबाक्स 1 मील दूर है तो उनमें लैटर बाक्स प्रदान किए जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में, लैटर बाक्स वास्तविक आवश्यकता के मूल्यांकन एवं जन सुविधाओं को देखते हुए प्रदान किए जाते हैं।

जहां रात्रि में पर्याप्त परिवात होता है तथा उन स्थानों में जो कि रेलवे अथवा सड़क

मार्गीय जंक्शन हैं, सामान्यतः वहां छंटाई कार्यालय खोले जाते हैं बशर्ते कि वहां लगभग कम से कम 10,000 डाक मदें हों और 40 थैले बन्द होते हों।

(ख) मध्यप्रदेश के राजगढ़, गुना और विदिशा जिलों में डाकघरों की सेवा 161,171 और 141 है तथा लैटर बाक्सों की संख्या क्रमशः 672,536 और 460 है। हालांकि ऐसे मामले हो सकते हैं जब नियमों में ढील देकर कोई लैटर बाक्स प्रदान किया जाता है अथवा डाकघर खोला जाता है, तो कुल मिलाकर, ये सुविधायें मानदण्डों/पद्धति के अनुसार ही प्रदान की जाती हैं।

राजगढ़, गुना एवं विदिशा जिलों में कोई भी रेल डाक सेवा मेल आफिस नहीं है, किन्तु छंटाई कार्य डाकघरों द्वारा ही किया जाता है।

(ग) राजगढ़, गुना एवं विदिशा जिलों में जिन पंचायतों में डाकघर हैं उनकी संख्या क्रमशः 126, 137 और 108 है।

(घ) उपरोक्त (ख) में उल्लिखित डाकघरों की संख्या में विभागीय डाकघरों के अतिरिक्त विभागेतर डाकघर भी शामिल हैं। जबकि एक विभागीय डाकघर 8 घंटे कार्य करता है, विभागेतर डाकघर हेतु कार्य 3 और 5 घंटे निर्धारित किए गए हैं। जहां तक डाक की छंटाई/वितरण का सम्बन्ध है उसको दैनिक आधार पर किया जाता है।

(ङ) डाकघरों के संचालन हेतु स्टाफ कार्य भार के औचित्य के आधार पर प्रदान किया जाता है हालांकि स्टाफ की आवश्यकता के मूल्यांकन और औचित्य सम्मत कर्मचारियों को वास्तविक रूप से नियुक्त करने के बीच समयांतर अपरिहार्य है। डाकघर भवनों तथा स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के साथ-साथ बेहतर आवास में अंतरित करने के प्रस्तावों पर, प्रत्येक मामले की वरीयता के अनुसार कार्यवाही की जाती है बशर्ते कि नए निर्माण के मामले में निधि उपलब्ध हो।

विवरण

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिए मानदण्ड :

ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाने वाले डाकघरों को अब दो मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया गया है :

1. सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर और
2. जनजातीय अथवा पिछड़े क्षेत्रों में डाकघर।

(i) सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर : (i) ग्राम पंचायत वाले ग्रामों में निम्न शर्तों पर डाकघर खोला जा सकता है :

(क) प्रस्तावित डाकघर से 3 कि० मी० की अरीय दूरी के भीतर कोई दूसरा डाकघर न हो, और

(ख) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 25 प्रतिशत की आय होने की सम्भावना हो।

(ii) निम्नलिखित शर्तों के अधीन गैर-ग्राम पंचायत वाले ग्रामों में डाकघर खोले जा सकते हैं :

(क) ग्राम की जनसंख्या दो हजार अथवा उससे अधिक होनी चाहिए।

(ख) प्रस्तावित डाकघर से 3 कि० मी० की अरीय दूरी के भीतर कोई अन्य डाकघर नहीं होना चाहिए।

(ग) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 25 प्रतिशत की आय होने की संभावना हो।

(2) जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में डाकघर :

(i) ग्राम पंचायत वाले ग्रामों में निम्नलिखित शर्तों पर डाकघर खोले जा सकते हैं :

(क) प्रस्तावित डाकघर से 3 कि० मी० की अरीय दूरी के भीतर कोई डाकघर न हो, और

(ख) प्रस्तावित डाकघर से इसकी अनुमानित लागत की कम से कम 10 प्रतिशत की आय होने की संभावना हो।

(ii) निम्नलिखित शर्तों के अधीन गैर-ग्राम पंचायत वाले ग्रामों में डाकघर खोले जा सकते हैं :

(क) ग्राम की (अथवा 1.5 कि० मी० की अरीय दूरी के भीतर संघटित ग्राम समूह) जनसंख्या 1000 अथवा उससे अधिक हो।

(ख) प्रस्तावित डाकघर से 3 कि० मी० की अरीय दूरी के भीतर कोई अन्य डाकघर न हो और

(ग) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत से कम से कम 10 प्रतिशत तक की आय होने की संभावना हो।

(ख) शहरी क्षेत्रों में डाकघर खोलने हेतु मानदण्ड :

शहरी क्षेत्रों में निम्नलिखित शर्तों पर डाकघर खोले जा सकते हैं :

(i) डाकघर को आत्मनिर्भर होना चाहिए।

(ii) 20 लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में दो डाकघरों के बीच की दूरी कम से कम 1 कि० मी० होनी चाहिए। अन्य शहरी क्षेत्रों में दो डाकघरों के बीच कम से कम दूरी 1.5 कि० मी० होनी चाहिए।

(iii) पोस्टमास्टर जनरल प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत मामलों में दूरी की शर्तों में ढील दे सकते हैं।

(iv) शहरी क्षेत्रों में विभागेतर शाखा डाकघर केवल अपवादस्वरूप मामलों में ही खोले जा सकते हैं, जैसे स्लम एरिया जहां कि उचित किराये पर उपयुक्त विभागीय भवन उपलब्ध न हो। जहां तक शहरी क्षेत्रों में विभागेतर उप डाकघर खोलने का संबंध है, यह इस कार्यालय के अनौपचारिक पत्र संख्या 1-12/78-पी० आर० पी० दिनांक 19-3-1979 के अधीन जारी अनुदेशों द्वारा नियंत्रित किया जाता रहेगा।

सरकारी क्षेत्र के संगठनों में इंजीनियरिंग पदों की तुलना में दामोदर घाटी निगम में ऐसे पदों की संख्या

4857. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी निगम में प्रति माह 2000 रुपये और इससे अधिक मूल वेतन के सीनियर इंजीनियर इंजीनियरिंग के कितने पद बिजली विभाग में हैं और सरकारी क्षेत्र के संगठनों में इसी प्रकार के अथवा इसके आसपास के पदों की स्थिति क्या है ;

(ख) दामोदर घाटी निगम ने सहायक इंजीनियर और उससे ऊपर के पदों में कितने स्नातक इंजीनियरों को नियुक्त किया है और नवीनतम स्थिति के अनुसार इसकी वार्षिक सिब्बंदी लागत क्या है ; और

(ग) क्या दामोदर घाटी निगम के बिजली विभाग और सरकारी क्षेत्र के अन्य बिजली सप्लाई संगठनों (खुदरा वितरण के बिना) के बीच कोई कार्यात्मक अंतर है और सभी मामलों में संगठनात्मक दृष्टि से इनकी स्थिति क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) दामोदर घाटी निगम के विद्युत विभाग में 2000 रुपये और उससे अधिक प्रतिमास मूल वेतन वाले वरिष्ठ इंजीनियरी पदों की कुल संख्या 110 है। सहायक इंजीनियर और इससे उच्च रैंक के स्नातक इंजीनियरों की कुल संख्या 676 है। इनके लिए वार्षिक स्थापना संबंधी लागत 1.85 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है।

संसद के अधिनियम के अन्तर्गत 1948 में स्थापित किया गया दामोदर घाटी निगम एक अनूठा बहूद्देश्यीय संगठन है। इसमें केन्द्रीय सरकार और बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्य संयुक्त रूप से भागीदार हैं। प्रकार्यात्मक दृष्टि से दामोदर घाटी निगम के विद्युत विभाग में और इसी प्रकार की पब्लिक यूटिलिटिज के विद्युत विभाग में कोई मौलिक और आधारभूत अन्तर नहीं है।

दामोदर घाटी निगम के वर्तमान अध्यक्ष द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के बाद बनाये गये इंजीनियरिंग पदों की संख्या

4858. **श्री मती गीता मुखर्जी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी निगम के वर्तमान अध्यक्ष द्वारा यह पद ग्रहण करने के बाद उपरोक्त निगम के बिजली विभाग में सीनियर इन्जीनियरिंग के कितने पद बनाये गए हैं ;

(ख) इन पदों को न बनाने में अनुभव की गई कार्यात्मक कठिनाइयां क्या थीं और इन पदों को बनाने में कितना वार्षिक वित्तीय व्यय संबद्ध है ; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत बिजली सप्लाई के अन्य संगठनों के इसी प्रकार के बिजलीघरों की तुलना में दामोदर घाटी निगम के तापीय बिजलीघरों की तकनीकी दृष्टि से संगठनात्मक पद्धति की स्थिति कैसी है और यदि इस पद्धति में कोई विभिन्नताएं हैं तो वे क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) :(क) वर्तमान अध्यक्ष के कार्यभार संभालने के समय से दामोदर घाटी निगम के विद्युत विभाग में 2100-2500 रुपये और इससे अधिक के वेतन मानों में सृजन किये गये/ग्रेड उन्नत किए गए वरिष्ठ इंजीनियरों के पदों की कुल संख्या 10 (दस) है और निम्न ग्रेडों के इतने ही पद समाप्त कर दिए गए हैं।

(ख) उपर्युक्त पदों का सृजन/ग्रेड उन्नत किया जाना प्रबन्ध द्वारा ताप विद्युत यूनिटों के अधिक प्रभावी प्रचालन और अनुरक्षण के हित में तथा नए यूनिटों को चालू करने के हित में आवश्यक समझा गया था। पारेषण और वितरण प्रणाली के लिए नए प्रभागों के खोले जाने में भी यह सहायक सिद्ध हुआ है। इन पदों के लिए प्रतिवर्ष 42,000 रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आने का अनुमान है।

(ग) संसद के अधिनियम के अन्तर्गत 1948 में स्थापित किया गया दामोदर घाटी निगम एक अनूठा बहूद्देश्यीय संगठन है। इसमें केन्द्रीय सरकार और बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्य संयुक्त रूप से भागीदार हैं। प्रकार्यात्मक दृष्टि से दामोदर घाटी निगम के विद्युत विभाग में और इसी प्रकार की पब्लिक यूटिलिटिज के विद्युत विभाग में कोई मौलिक और आधारभूत अन्तर नहीं है।

ड्रिलिंग रिगों के उपलब्ध न होने के कारण खुदाई कार्यों का रुका रहना

4859. श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महानदी और बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में ड्रिलिंग रिगों के उपलब्ध न होने के कारण तेल की खोज और खुदाई कार्य से सम्बन्धित कार्य रुका हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अन्य क्षेत्र कौन-से हैं जहां ड्रिलिंग रिगों के उपलब्ध न होने के कारण कार्य में बाधा पड़ी है :

(ग) क्या सरकार ने अपने भावी कार्यक्रम के लिए ऐसे ड्रिलिंग रिगों की आवश्यकता का अनुमान लगाया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इन्हें खरीदने के लिए अल्प-कालिक और दीर्घ कालिक क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इनमें से कितने देश में निर्मित किये गए हैं और उपरोक्त क्षेत्रों में कार्य कब तक शुरू हो जाएगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) खुदाई रिगों की अनुपलब्धता के कारण भूमि पर किसी प्रकार के खुदाई कार्य में बाधा नहीं आई है। अपतट के सम्बन्ध में रिग स्थिति अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कुछ-कुछ दुर्लभ है। अतः अपतट में खुदाई कार्यकलापों पर किसी हद तक प्रभाव हो सकता था।

(ग) और (घ) छठी योजना अवधि के दौरान तटीय क्षेत्र में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग न रिगों और 5 अतिरिक्त रिगों की जरूरत है। तटीय कार्यों के लिए खुदाई रिग

मैसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लि० से खरीदे जा रहे हैं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लि० को 7 खुदाई रिगों के लिए आशय-पत्र दिया है। इस आशय-पत्र से पूर्व मैसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० द्वारा 6 रिगों की सप्लाई की गई है।

अपतटीय खुदाई कार्यों के लिए रिग भारत से बाहर की एजेन्सियों से या तो खरीदे जा रहे हैं अथवा किराए पर लिए जा रहे हैं क्योंकि उनका देश में निर्माण नहीं हो रहा है।

योजना अवधि के दौरान आयल इंडिया लि० को असम और अरुणाचल प्रदेश में अपने कार्य करने के लिए एक अतिरिक्त रिग और एक प्रतिस्थापन रिग की जरुरत पड़ेगी। अन्य क्षेत्रों में खुदाई कार्यों के लिए आवश्यक कम्पनी के प्रयासों को संगठित करना होगा और ठेकेदारों के माध्यम से किराये पर व्यवस्था करनी होगी।

खुदाई तब की जाएगी जब सर्वेक्षण अनुकूल स्थलों का संकेत देंगे।

दिल्ली में ऊर्जा सम्मेलन

4860. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में दिल्ली में ऊर्जा प्रबन्ध के बारे में एक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) क्या उस सम्मेलन में देश में ऊर्जा प्रबन्ध के साधनों और परिवर्तनों पर विचार किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्मेलन में वर्तमान प्रबन्ध पद्धति में सुझायी गई सिफारिशें क्या हैं और क्या ये सुझाव सरकार के पास विचारार्थ आए हैं और यदि हां, तो इनमें से कितनी सिफारिशें कार्यान्वयन के लिए स्वीकार की गई हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) सरकार ने दिल्ली में हाल ही में ऊर्जा प्रबन्ध पर किसी सम्मेलन का आयोजन नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रकाशन प्रभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तकें, पत्रिकायें आदि

4861. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 और 1981 के दौरान क्रमशः सरकारी क्षेत्र के प्रकाशन प्रभाग द्वारा प्रकाशित समूल्य पुस्तकें, पत्रिकायें और अन्य सामग्री कौन-कौन-सी है और प्रकाशन की वर्ष वार लागत क्या है; और

(ख) इसकी बिक्री से कुल कितनी आय हुई है और बिक्री न हुए भण्डारों में पड़ी हुई सामग्री की कुल मात्रा कितनी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) वर्ष 1980-81

और 1981-82 (फरवरी, 1982 तक) के दौरान प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित समूल्य पुस्तकों तथा समूल्य पत्रिकाओं के नाम और उनकी लागत क्रमश: परिशिष्ट-1 और परिशिष्ट-2 में दी गई हैं। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 3734/82]

(ख) इन पुस्तकों व पत्रिकाओं की बिक्री से अर्जित कुल राजस्व, विज्ञापनों से अर्जित राजस्व सहित, 1980-81 के दौरान 246.93 लाख रुपए और 1981-82 के दौरान (फरवरी, 1982 तक) 279.98 लाख रुपए था।

वर्ष 1980-81 और 1981-82 (फरवरी 1982 तक) के दौरान प्रकाशित कुल 6,63,058 पुस्तकों में से 2,96,190 प्रतियां बिना बिके स्टाक में पड़ी हुई हैं।

पाली जिले में लतारा छानेड और रोहट में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलना

4862. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाली जिले में लतारा, छानेड और रोहट में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र कब तक खोले जाने की सम्भावना है;

(ख) क्या यह सच है कि लतारा और छानेड के लोग गत दो वर्षों से वहां सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले जाने की मांग कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो वहां पर अब तक सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र न खोलने के क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) से (ग) रोहट में पहले से ही एक सार्वजनिक टेलीफोन घर मौजूद है। लतारा के लिए एक छोटे टेलीफोन एक्सचेंज को मंजूर करने हेतु कार्रवाई की जा रही है और इसके 1982-83 के दौरान खोले जाने की संभावना है। छानेड में एक सार्वजनिक टेलीफोन घर किराया एवं गारंटी की शर्तों के आधार पर मार्च, 1981 में मंजूर किया गया था। परन्तु गारंटी देने वाले ने अभी तक गारंटी राशि जमा नहीं की। इसलिए आगे की कार्रवाई रुकी पड़ी है। अत: इस स्थिति में यह समय बताना संभव नहीं है जब सार्वजनिक टेलोफोन घर खोल दिया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश और जम्मू तथा काश्मीर में पनबिजली का उत्पादन

4863. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश की 5,300 मैगावाट और जम्मू तथा काश्मीर की 4,500 मैगावाट पनबिजली उत्पादन करने की क्षमता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अधिक बिजली उत्पादन करने की दृष्टि से अपने स्रोतों के उपयोग के लिए कोई निर्णय किया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने देश में जल विद्युत शक्यता का पुर्नमूल्यांकन करने का कार्य हाथ में लिया है तथा अब तक किए गए अन्तिम मूल्यांकन के आधार पर हिमाचल प्रदेश की शक्यता, 60 प्रतिशत भार अनुपात पर लगभग

9900 मेगावाट और जम्मू और काश्मीर की शक्यता 60 प्रतिशत भार अनुपात पर लगभग 6300 मेगावाट आंकी गई है।

(ख) हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और काश्मीर की प्रचालनाधीन, निर्माणाधीन और जांच की जा रही जल विद्युत स्कीमों के ब्यौरे क्रमशः विवरण-1 और विवरण-2 में दिए गए हैं :

विवरण-1

हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत स्कीमें

(अ) प्रचालनाधीन स्कीमें

स्कीम का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)
1. गिरी	60
2. बस्सी	45
3. बैरा स्यूल	120
(ब) निर्माणाधीन स्कीमें	
1. देहर विस्तार	2×165
2. पोंग विस्तार	2×60
3. भाबा (संजय)	3×40
4. आन्ध्रा	3×5
5. बानेर	2×3
6. बिनवा	2×3
7. रोंगटोंग	4×0.5
(स) जांच की जा रही स्कीमें	
1. थीरोट*	3×1
2. नाथपा झाकरी*	6×170
3. गज*	3×3.5
4. कोल बांध	4×150
5. चमेरा	3×180
6. नीयोगल	3×1.5
7. होली	3×1.5
8. रेनुका (बहूद्देश्यीय)	2×20

*केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित

विवरण-2

जम्मू और काश्मीर में जल विद्युत स्कीमें

(अ) प्रचालनाधीन स्कीमें

स्कीम का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)
1. मोहारा	9
2. गन्धार बाल	15
3. चेनानी	23
4. अपरसिन्ध चरण-1	22
5. लोअर जेहलम	105
(ब) निर्माणाधीन स्कीमें	
1. सतकना चरण-1	2×2
2. सलाल	3×115
3. करनाह	2×1
4. कारगिल	3×1.25
(स) जांच की जा रही स्मीमें	
1. अपर सिंध चरण-II*	2×35
2. दमकहार	4×0.5
3. बोनीयार चरण-1	2×3
4. पहलगांव	3×1
5. चेनानी दो और तीन	4×2
6. रंजा अला दुनादी	2×3.5
7. अस्तान नाला	2×0.5
8. सेवा	3×30
9. सोन मार्ग	3×28

*केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित

मैसर्स ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सोयाबीन परियोजना के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक तथा व्यवहार सम्बन्धी स्वीकृति

4864. श्री प्रताप भानु शर्मा: क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में विदिशा में स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित सोयाबीन परियोजना को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार सम्बन्धी स्वीकृति के लिये मैसर्स ब्रिटानिया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड का आवेदन पत्र गत डेढ़ वर्षों से मंत्रालय के पास अभी तक विचाराधीन पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे स्वीकृति देने में और कितना समय लगने की सम्भावना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) तथा (ख) मैसर्स ब्रिटानिया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड ने सोयाबीन उत्पादों के विनिर्माण के लिये मध्य प्रदेश के विदिशा में एक नया उपक्रम लगाने के लिये एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 22 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र दिया था, जो कम्पनी कार्य विभाग में 21-10-1981 को प्राप्त हुआ। तथापि वित्तीय योजना के सम्बन्ध में अपेक्षित ब्यौरे कम्पनी से केवल 28-12-1981 को प्राप्त किये गये।

(ग) आवेदन पत्र पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है और यथाशीघ्र उस पर निर्णय किया जायेगा।

महात्मा गांधी, सुभाष चन्द्र बोस और डा० अम्बेडकर पर फिल्में

4865. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को किसी समय महात्मा गांधी, सुभाष चन्द्र बोस और डा० अम्बेडकर पर फिल्में बनाने के लिये भारतीय निर्माताओं/प्राइवेट संस्थाओं अथवा संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन प्रस्तावों पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) फिल्मों के निर्माण के लिये प्रस्ताव आमतौर पर राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और फिल्म प्रभाग द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। इन नेताओं पर फिल्में बनाने के लिये फिल्म निर्माताओं/निजी संस्थानों से कोई निश्चित प्रस्ताव इनमें से किसी को भी प्राप्त नहीं हुए थे। तथापि, फिल्म प्रभाग ने इन नेताओं पर डाकुमेंट्री फिल्में बनाई हैं।

इण्डियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ऋषिकेश द्वारा एक कालेज चलाया जाना

4866. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ऋषिकेश द्वारा वीरभद्र, ऋषिकेश, जिला देहरादून (उत्तर प्रदेश) में एक एंटीबायोटिक्स प्लांट इण्टर कालेज चलाया जा रहा है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या इस कालेज में इण्डियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के गैर कर्मचारियों के बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और

(घ) यदि हां, तो उनकी प्रतिशतता क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 1964 में इसको एक प्राइमरी स्कूल के रूप में आरम्भ किया गया था जिसमें 130 छात्र थे और अब इस संस्था में अकादमी वर्ष 1981-82 में कक्षा-1 से कक्षा-xii तक 3654 विद्यार्थी हो गये हैं। इसको माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त कर दी गई है।

(ग) जी, हां। आई० डी० पी० एल०, वीरभद्र (ऋषिकेश) के कर्मचारियों के लड़के और लड़कियों के अलावा कुछ ऐसे विद्यार्थियों को भी प्रवेश दिया जाता है जो पूर्ण रूप से आई० डी० पी० एल० के कर्मचारियों पर निर्भर हैं बशर्ते कि वे जिलाधिकारियों से इस आशय का निर्भरता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। इसके अलावा, रेलवे, राष्ट्रीयकृत बैंकों, केन्द्रीय स्कूल, डाकघर और उत्तर प्रदेश हाइडल और उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्य करने वाले कर्मचारियों, जो वीरभद्र (ऋषिकेश) में तैनात हैं, के बच्चों को भी प्रवेश दिया जाता है।

(घ) आई० डी० पी० एल० के इतर कर्मचारियों के बच्चों की कुल प्रतिशतता लगभग 3.2 प्रतिशत है।

कोयले का मूल्य

4867. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूरे देश में कोयले का एक समान मूल्य है; यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या 200 मील की दूरी सीमा के कारण बिहार के अन्दर रेलगाड़ी द्वारा कोयले के परिवहन पर प्रतिबन्ध है जिसके कारण बिहार के उत्तरी क्षेत्रों अर्थात् जयनगर, सीतामढ़ी, बागहेर की तुलना में हरियाणा अथवा पंजाब में कोयला सस्ता है, और यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) कोयले की खान मुहाना कीमतें सरकार द्वारा निश्चित की जाती हैं और सारे देश पर लागू होती हैं। उपभोक्ता अन्य सभी सांविधिक शुल्क देते हैं तथा कोयले का परिवहन खर्च भी वहन करते हैं तथा इसीलिए उपभोक्ताओं को कोयले की कीमतें अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग पड़ती हैं।

(ख) बिहार में खान मुहानों से 200 मील के भीतर रेल द्वारा उपभोक्ताओं को कोयले के संचलन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। सभी मामलों में उपभोक्ता परिवहन का खर्च अदा करते हैं।

मध्य प्रदेश में रायगढ़ तापीय बिजलीघर को दोइबा को यला खानों के साथ जोड़ना

4868. **श्री बी० आर० नहाटा :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में प्रस्तावित रायगढ़ तापीय बिजलीघर को मध्यप्रदेश में दोइबा कोयला खानों के साथ जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि कोयला अधिकारियों द्वारा इन कोयला खानों को अन्य बिजलीघरों से जोड़ा जा रहा है जो अधिक दूरी पर हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) रायगढ़ के समीप 3×210 मेगावाट की क्षमता के एक विद्युत केन्द्र की स्थापना करने के लिए माण्ड नदी और ईब घाटी कोयला क्षेत्रों से कोयले की सप्लाई के बारे में मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। तथापि, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के लिए कोई परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। आवश्यक निवेशों के सुनियोजित हो जाने के बाद ही तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के लिए परियोजना पर विचार किया जा सकता है।

पश्चिमी क्षेत्र के कुछ ताप विद्युत केन्द्र, ईब घाटी कोयला क्षेत्रों से लिंक किए गए हैं। माण्ड-रायगढ़ कोयला क्षेत्रों के अन्वेषण कार्य अभी प्रारम्भिक अवस्था में हैं तथा अन्वेषण कार्य पूरे हो जाने के बाद ही, उनकी उत्पादन क्षमता का निर्धारण किया जा सकता है। ईब घाटी कोयला क्षेत्रों के सम्बन्ध में भी पूरी उत्पादन क्षमता निर्धारित करने के लिए और अन्वेषण किए जा रहे हैं। विद्युत केन्द्रों के लिए कोयला लिंकों की व्यवस्था अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत केन्द्रों के लिए अपेक्षित कोयले की गुणवत्ता और मात्रा को तथा कोयला क्षेत्रों से विद्युत केन्द्रों को कोयले की ढुलाई की विद्यमान सुविधाओं को ध्यान में रखकर की जाती है।

मध्य प्रदेश की पन-बिजली परियोजनायें

4869. **श्री बी० आर० नहाटा :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को मंजूरी के लिए कितनी पन-बिजली परियोजनाएं भेजी गई हैं;

(ख) इन्हें कब भेजा गया था और इसका क्या परिणाम रहा; और

(ग) क्या यह सच है कि इनमें से कोई भी पनबिजली परियोजनाएं वर्ष 1982-83 के लिए मंजूर नहीं की जा रही हैं और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) राज्य प्राधिकारियों से प्राप्त हुई सात बहुद्देश्यीय/जल विद्युत परियोजनाओं की परियोजना रिपोर्टों की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग में जांच की जा रही है। इन स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया जाता है।

इन परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित हो जाने तथा स्कीमों के योजना में शामिल हो जाने के बाद ये परियोजनाएं क्रियान्वयन के लिए हाथ में ली जाएंगी।

विवरण

मध्य प्रदेश की जल विद्युत स्कीमें, जिनकी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांच की जा रही है।

क्र० सं०	स्कीम का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगा०)	रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख	अनुमानित लागत (लाख रु० में)	स्कीम की तकनीकी जांच की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	बाण सागर (संशोधित प्रस्ताव)	3×105+ 2×15+ 3×15 =390	सित०, 80	19582 (विद्युत)	परियोजना रिपोर्ट की के० वि० प्रा० और के० ज० आ० में जांच कर ली गई है। के० ज० आ० की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, परियोजनाओं के सिंचाई और सिविल अभिकल्पों से सम्बन्धित पहलुओं पर अभी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाना है।
2.	सिंघ-बहुद्देश्यीय परियोजना सोपान-दो (मोहनी सागर)	3×25 =75	जून, 78	3931 (विद्युत)	के० वि० प्रा० की टिप्पणियों के उत्तरों की राज्य सरकार से प्रतीक्षा है।
3.	ओरछा-बहुद्देश्यीय परि योजना	2×15+ 2×30 90	सित०, 78	4830 (विद्युत)	परियोजना रिपोर्ट की के० वि० प्रा० में जांच कर ली गई है और परियोजना प्राधिकारियों को टिप्पणियां भेज दी गई हैं। के० वि० प्रा० की टिप्पणियों के उत्तरों की प्रतीक्षा है। उत्तर प्रदेश राज्य ने इस परियोजना के कुछ अन्तर्राज्यीय पहलुओं को उठाया है।

1	2	3	4	5	6
4.	हमदेव (बांगो) बहुद्देश्यीय परियोजना	3×40 =120	मई, 81	4097 (विद्युत)	के० वि० प्रा०/के० ज० आ० की टिप्पणियां परियोजना प्राधिकारियों को भेज दी गई हैं। उनके उत्तरों की प्रतीक्षा है।
5.	कुत्रु-एक जल विद्युत	3×50 =150	सित०, 80	7256 (विद्युत)	के० वि० प्रा०/के० ज० आ० की टिप्पणियां परियोजना प्राधिकारियों को भेज दी गई हैं। उत्तरों की प्रतीक्षा है। के० ज० आ० की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए परियोजना प्राधिकारियों द्वारा जल विज्ञान, लागत अनुमानों, सिविल अभिकल्पों आदि को अंतिम रूप दिया जाना अभी शेष है।
6.	महानदी जलाशय	4×2.5 =10	अगस्त, 81	734 (विद्युत)	के० वि० प्रा०/के० ज० आ० में जांच की जा रही है। के० ज० आ० की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए जलविज्ञान और जल विद्युत सिविल अभिकल्पों के पहलुओं को अभी परियोजना प्राधिकारियों द्वारा हल किया जाना है।
7.	कुत्रु-दो जल विद्युत	3×50 =150	फर०, 82	11316 (विद्युत)	के० वि० प्रा०/के० ज० आ० में जांच की जा रही है। (रिपोर्ट फरवरी, 1982 में प्राप्त हुई थी)।

मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को सप्लाई किए गए उपकरणों के डिजाइन बनाना

4870. श्री बी० आर० नहाटा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड और अन्य राज्यों के बिजली बोर्डों को सप्लाई किए गए कोयले की कैलोरी उष्मा और उपकरणों का किस आधार पर डिजाइन बनाया गया था ;

(ख) कोयले की डिजाइन की गई किस्म की तुलना में विभिन्न बिजली बोर्डों को सप्लाई किए गए कोयले की कैलोरी उष्मा में कोटि कैसी रही है;

(ग) इन बिजली बोर्डों को सप्लाई किए गए कोयले में राख का अंश कितना है;

(घ) क्या यह सच है कि कोयले की खराब किस्म के कारण बिजली उत्पादन के उपकरणों में खराबी उत्पन्न हो रहा है और इससे बिजली उत्पादन में कमी हो रही है; यदि हां, तो कितनी; और

(ङ) बिजली परियोजनाओं को अच्छे किस्म के कोयले की सप्लाई के बारे में भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड सहित विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों के ताप विद्युत केन्द्रों के डिजाइन, कोयला विभाग द्वारा गठित स्थायी लिंकेज समिति (एस० एल० सी०) द्वारा सम्बद्ध किए गए स्रोतों से उपलब्ध कराये जाने वाले कोयले की प्रत्याशित ऊष्मा मान को ध्यान में रखते हुए बनाये जाते हैं ।

(ख) विभिन्न ताप विद्युत केन्द्रों की सप्लाई किए जा रहे कोयले की गुणवत्ता, ऊष्मा मान की दृष्टि से 2000 के ऊष्मा / किलोग्राम 5500 के ऊष्मा/किलोग्राम की श्रेणी में आती है । इसकी तुलना में उनकी डिजाइन के अनुसार उनकी सकल ऊष्मा मान की आवश्यकता 3600 के ऊष्मा/किलोग्राम 5500 के ऊष्मा / किलोग्राम है ।

(ग) विद्युत केन्द्रों को सप्लाई किए गए कोयले में राख की मात्रा 25% से 45% के बीच है ।

(घ) घटिया गुणवत्ता वाला कोयला प्रचालन सम्बन्धी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है तथा उत्पादन की हानि कर सकता है । तथापि, केवल कोयले की गुणवत्ता के कारण ही उत्पादन में हुई हानि की मात्रा बता सकना मुश्किल है ।

(ङ) स्टेली पत्थर, पत्थर आदि से रहित अपेक्षित आकार के कोयले की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाये गये हैं, यथा ओपन कास्ट कोयला खानों पर कोयला हैडलिंग संयंत्र/स्क्रीनिंग संयंत्र/पिकिंग वेल्टस्/क्रशरों आदि की प्रतिष्ठापना करना, चूक करने वाली कोयला खानों पर प्रतिनिधियों की नियुक्ति करना । इसके अतिरिक्त, ताप विद्युत केन्द्रों को धुले हुए कोयले की सप्लाई करने के लिए गैर कोकिंग कोयले के परिष्करण के बारे में अध्ययन किए जा रहे हैं । ताप विद्युत केन्द्रों को सप्लाई किए जाने वाले कोयले की गुणवत्ता की ऊर्जा मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय द्वारा सतत आधार पर मानीटरिंग की जा रही है ।

हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी को हुई हानि

4871. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष पिम्परी में स्थित हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड को अधिष्ठापित क्षमता का कम उपयोग किए जाने तथा किस्म नियंत्रण की कमी के कारण लगभग 17 करोड़ रुपये की हानि हुई है, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) वर्ष 1981-82 के लेखों को वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद ही अंतिम रूप दिया जायेगा। तथापि, वर्ष 1980-81 के दौरान हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि० को 639.47 लाख रु० की शुद्ध हानि हुई थी और हानि के कारणों को दि० 23-3-82 को पूछे गए लोक सभा अ० ता० प्र० सं० 4697 के उत्तर में दर्शाया गया है।

(ख) कार्यकरण में सुधार करने और हानि को कम करने के लिए प्रस्तावित कुछ उपाय निम्न प्रकार हैं :

(i) निवेश लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मूल्यों में संशोधन।

(ii) विद्यमान पुराने उपकरणों को बदलना जो अनेक वर्षों से लगे हुए हैं।

(iii) संयंत्र के अनुरक्षण, उत्पादन, योजना और नियंत्रण, जनशक्ति में विकास और ऊर्जा के रूप में उत्पादकता में सुधार, कच्चे माल की खपत आदि के लिए आधुनिक प्रबन्ध तकनीकी लागू करना।

(iv) व्यापार बाजार में प्रवेश करने और संस्थागत बिक्री पर निर्भरता को कम करने के लिए विपणन कार्यकर्ताओं में विस्तार।

स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड और स्वदेशी माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि०

4872. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी द्वारा की गई कथित अनियमितताओं के बारे में 17 मार्च, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3770 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस कम्पनी और इसकी अनुषंगी कम्पनियों के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो इनमें कितना समय लगने की संभावना है; और

(ग) स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड और स्वदेशी माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड नामक दोनों कम्पनियों के शेयर-धारियों, श्रमिकों, जमाकर्ताओं, सप्लाईकर्ताओं, ऋण-दाताओं तथा अन्य व्यक्तियों के व्यापक संगठन के हित में क्या कार्यवाही किए जाने की आशा है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ग) मैं० स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड तथा स्वदेशी माइनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड के कार्य-संचालन के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त होने पर, कम्पनी अधिनियम की धारा 209क के अन्तर्गत एक निरीक्षण के आदेश सितम्बर, 1981 में दिए गए थे। मैं० स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड के मामले में, निरीक्षण आरम्भ कर दिया गया है व अभी तक प्रवर्तमान है। स्वदेशी माईनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड के मामले में निरीक्षण पूर्ण हो चुका है व रिपोर्ट जो अभी ही प्राप्त हुई है, परीक्षान्तर्गत है। निरीक्षण रिपोर्ट में वर्णित उपपत्तियों पर यथा आवश्यक कार्यवाही यथा समय की जायेगी।

दूरदर्शन पर विज्ञापनों के बारे में सर्वेक्षण

4873. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन महानिदेशालय द्वारा दर्शकों के हाल में किए गए सर्वेक्षण से यह पता चला है कि दूरदर्शन देखने वाले अधिकतर लोग यह चाहते हैं कि लोकप्रिय कार्यक्रमों के साथ इस समय जितने विज्ञापन दिखाये जाते हैं उनसे कम विज्ञापन दिखाये जाने चाहिएं; और

(ख) यदि हां, तो दूरदर्शन पर दिन-प्रतिदिन ऐसे विज्ञापनों की संख्या बढ़ाए जाने से दर्शकों को होने वाली बोरियत से बचाने के लिए सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) दूरदर्शन द्वारा किये गए सर्वेक्षण के निष्कर्षों से यह पता चलता है कि दर्शक फीचर फिल्मों और अन्य फिल्म-आधारित कार्यक्रमों जैसे लोकप्रिय कार्यक्रमों के साथ-कम विज्ञापन चाहते हैं।

(ख) लोकप्रिय कार्यक्रमों (यथा फीचर फिल्म/फीचर फिल्म-आधारित कार्यक्रम) के साथ विज्ञापनों को कम करने के लिए एक अतिरिक्त साप्ताहिक "छायागीत" कार्यक्रम 2 फरवरी, 1982 से बम्बई केन्द्र से प्रारम्भ किया जा चुका है और एक अतिरिक्त साप्ताहिक "छायागीत" कार्यक्रम 2 अप्रैल, 1982 से दिल्ली केन्द्र से प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, हाल ही में युक्ति-संगत बनाए गए दर ढांचे से गैर-फीचर फिल्म-आधारित कार्यक्रमों के साथ भी विज्ञापनों की बुकिंग और आकर्षक बन गई जिसके परिणामस्वरूप विज्ञापनों का और फैलाव हुआ है।

ठाणे जिले में कल्याण तालुका के तीस गांव में डाकघर का खोला जाना

4874. **श्री सूरज भान** : क्या संचार मंत्री ठाणे जिले में कल्याण तालुका के तीस गांव क्षेत्र में डाकघरों के खोले जाने के बारे में 8 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2656 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीस गांव नाका (तालुका कल्याण, जिला ठाणे, महाराष्ट्र) में एक उप-डाकघर खोले जाने के बारे में सरकार ने अब तक क्या प्रगति की है; और

(ख) उक्त उप-डाकघर शीघ्र खोलने के लिए सरकार का क्या विशिष्ट उपाय करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) तीसगांव नाका में उप-डाकघर खोलने के प्रस्ताव को सिद्धान्त रूप में मंजूरी दे दी गई है।

(ख) डाकघर खोलने के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध होते ही यह डाकघर खोल दिए जाने की सम्भावना है।

सिरोली, कोल्हापुर में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र के भवन के निर्माण में विलम्ब

4875. **श्री सूरज भान** : क्या संचार मंत्री सिरोली-कोल्हापुर में आटो एक्सचेंज के भवन निर्माण में विलम्ब के बारे में 15 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3850 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में कोल्हापुर जिले के सिरोली में प्रस्तावित स्वचालित टेलीफोन केन्द्र के लिए एक्सचेंज उपकरण प्राप्त करने, भवन का प्रबन्ध करने और/या एम० आई० डी० सी० से किराये पर स्थान लेने और केबल संबंधी कार्य करने के मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) उक्त एक्सचेंज कब तक कार्य करना शुरू कर देगा ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ख) उपस्कर की कुछ विशेष मदों जैसे सेलेक्टर, रिले सेटों तथा रिंगर्स की सप्लाई की अभी प्रतीक्षा की जा रही है। भवन हेतु प्राक्कलन की मंजूरी दे दी गई है तथा निर्माण कार्य के दो वर्ष में पूरा हो जाने की उम्मीद है। अन्तरिम व्यवस्था के बतौर एम० आई० डी० सी० से किराए पर लिए गए स्थान पर एक्सचेंज का संस्थापन कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा इसके जुलाई, 1982 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

डोम्बीवाली जिला ठाणे, महाराष्ट्र के लिए टेलीफोन एक्सचेंज

4876. **श्री सूरज भान** : क्या संचार मंत्री डोम्बीवाली, जिला ठाणे (महाराष्ट्र) के लिए टेलीफोन एक्सचेंज के बारे में 15 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3733 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डोम्बीवाली (जिला ठाणे, महाराष्ट्र) में नए क्रास-बार टेलीफोन एक्सचेंज की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना पर कब काम शुरू हो जाएगा, तथा यह कब तक पूरी हो जाएगी और चालू हो जाएगी ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) 3500 लाइनों की क्षमता वाले एक क्रासबार एक्सचेंज की 1984-85 के दौरान सप्लाई हेतु आवंटन कर दिया गया है। एक्सचेंज स्थापित करने हेतु इमारत का निर्माण कार्य जल्दी ही प्रारंभ किया जाएगा। एक्सेंज के छठी योजना अवधि के दौरान चालू हो जाने की संभावना है।

महाराष्ट्र में डाकघरों का खोला जाना

4877. श्री राम कृष्ण भोरे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में जिलेवार, कितने-कितने डाकघर हैं;

(ख) क्या महाराष्ट्र में लोगों को हो रही कठिनाई को ध्यान में रखते हुए वहां और अधिक डाकघर खोले जाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो जिलेवार किन-किन स्थानों पर डाकघर खोले जाने का विचार है तथा उनके कब तक खोले जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) सूचना विवरण में दी गई है।

(ख) जी हां।

(ग) वर्ष 1982-83 के दौरान ग्रामीण महाराष्ट्र में जहां डाकघर खोले जाएंगे उन स्थानों के नाम अभी तक निश्चित नहीं किए गए हैं क्योंकि वर्ष के दौरान सर्किल में खोले जाने वाले ग्रामीण डाकघरों की सीमा के अनुसार तथा विभागीय मानकों के आधार पर औचित्य पाये जाने पर कुल संख्या निर्भर करेगी। सर्किलवार लक्ष्यों पर विचार किया जा रहा है तथा शीघ्र ही उन्हें अन्तिम रूप दिए जाने की उम्मीद है।

विवरण

महाराष्ट्र में जिलेवार डाकघरों की संख्या

जिले का नाम	डाकघरों की संख्या	जिले का नाम	डाकघरों की संख्या
1 2	3	4 5	6
1. अहमदनगर	601	6. बुल्दाना	322
2. अकोला	382	7. चन्द्रापुर	426
3. अमरावती	432	8. धूले	406
4. औरंगाबाद	259	9. जलगांव	482
5. बीड	309	10. कोलहापुर	474

1 2	3	4 5	6
11. रत्नगिरि	611	20. सतारा	580
12. नागपुर	347	21. शोलापुर	506
13. नांदेड़	400	22. थाणे	377
14. पारभानी	301	23. वर्धा	178
15. नासिक	388	24. यवतमाल	377
16. ओसमानाबाद	506	25. भंडारा	291
17. पुणे	661	26. सिन्धुदुर्ग	333
18. रायगढ़	373	27. जालना	188
19. सांगली	406	28. ग्रेटर बम्बई	279
		कुल डाकघरों की संख्या	11355

महाराष्ट्र में तारघर और टेलीफोन केन्द्रों का खोला जाना

4878. **श्री रामकृष्ण भोरे :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में खोले जाने वाले प्रस्तावित तारघर और टेलीफोन केन्द्रों से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है ; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान वहां टेलीफोन केन्द्रों को प्रस्तावित स्वचालित टेलीफोन केन्द्रों में बदलने सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जैसा कि विवरण "क" और "ख" में दिया गया है :

(ख) वर्ष 1981-82 (28-2-82 तक) के दौरान निम्नलिखित टेलीफोन एक्सचेंजों का पहले ही स्वचलीकरण किया जा चुका है ।

1. अहमद नगर 2700 लाइन
2. लत्तूर 1000 लाइन

शोलापुर एक्सचेंज (5100 लाइन) का संस्थापन कार्य अपनी चरम सीमा पर है तथा इसके चालू वर्ष के दौरान चालू हो जाने की संभावना है ।

विवरण-क

15-3-1982 तक खोले गए तारघरों की सूची

1	2
1. कोहापी	31. जाम्प
2. तमलूर	32. मोहागांव (साकोली)
3. रोहिणी	33. वालकी
4. दोरकिन	34. पुजारी टोला
5. पिम्पलगांव	35. अदागांव
6. चिचल	36. कुरहा काकोडा
7. तालेगांव	37. बिटरगांव
8. पोहरा	38. हलदरनी
9. मोदस्लहवेली	39. वाडागांव
10. धुंसाने	40. चिपिया
11. हरपाले	41. भिरवांडे
12. तालेगांव	42. जैतपुर
13. माहेरगांव	43. कांदरी (नागपुर)
14. लामजाना	44. नितस्डी
15. बराद	45. कावलेवाडा
16. निल्लोडी	46. दिउरवाडा
17. मोहागांव (गोंदिया)	47. सोनसगांव
18. योकोडी	48. चनेरा
19. असलगांव	49. अम्बरखेड़ा
20. अदासी	50. ब्रह्माणी
21. पनडार बोरदी	51. वाडीगोदरी
22. कलसे	52. महासादी
23. तुरकाबाद	53. तंदलवाडी
24. देकवाद	54. गोटकिंडी
25. धाडने	55. तीरथपुरी
26. धिगावे	56. वाकाडी
27. परपाडा	57. काडीपिरसोली
28. पालान्दुर	58. सावरगांव
29. वदाड	59. कुम्भरपिम्पलगांव
30. कांदरी (भंडारा)	60. न्हावाझेवा

1	2
61. विरूर	74. बोरनार
62. गोंदेगांव	75. मलकापुर
63. शतपलगाधे	76. कारवीदे
64. पालसगांव	77. तुरकेवाडी
65. रतनापुर	78. गौरखेडा
66. आवलगांव	79. कोदंगीकला
67. दंदूरी	80. सुलचुर
68. अहीरवाडी	81. नागरा
69. वाघोद	82. कुदवा
70. रावीवास	83. कोलदा
71. करंजा	84. दांडेगांव
72. करीमबाद	85. घाट बोरी
73. एमआईडीसी अहमदनगर	86. सुखाली जहांगीर

31-3-1982 तक लगभग 50 और तारघर खोले जाने की संभावना है, बशर्ते कि स्टोर उपलब्ध हों।

विवरण-ख

लगभग 50 नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है, जिसमें से 15-2-82 तक 43 एक्सचेंज पहले ही खोले जा चुके हैं, जिनके नाम नीचे दिए गए हैं :

क्रम० सं०	एक्सचेंज का नाम	क्रम० सं०	एक्सचेंज का नाम
1	2	3	4
1.	ब्रह्माणी	9.	काती बिसोला
2.	करवांडी कासर	10.	पिम्पलगांव राजा
3.	तिसगांव	11.	उन्डरी
4.	वादाडी	12.	अहेरी
5.	कुम्भर-पिम्पलगांव	13.	गोदपिपरी
6.	तीरथपुरी	14.	बेताबड
7.	तुकाबाद	15.	धानोरा
8.	वाडीगोरदरी	16.	महासोदी

1	2	3	4
17. पादलडा		31. कारचे	
18. सौगीर		32. बराड	
19. चांददिओ		33. तमसा	
20. खानपुर		34. सावेरगांव	
21. मोरवाद		35. कांसगुलीम	
22. महासवादी		36. पम्बरपा	
23. पिम्परिख		37. संकोएडे	
24. सालवे		38. नासरपुर	
25. सोनासगांव		39. चानेरा	
26. तांदवाडी		40. न्हावा	
27. तोंदापोर		41. बेदाग	
28. अम्बरखेडा		42. गोतखिन्डी	
29. उतखेडा		43. येलावी	
30. दोत्तावाड			

अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म प्रतिनिधियों का फिल्मोत्सव में भाग लिया जाना

4879. **श्री दौलत राम सारण** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के एक भी विदेशी फिल्म प्रतिनिधि ने कलकत्ता फिल्मोत्सव में भाग नहीं लिया तथा भारतीय फिल्म उद्योग के अनेक प्रसिद्ध लोगों ने भी इसमें भाग नहीं लिया; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या भारतीय दृश्यपटल की कुछ अच्छी फिल्मों का चयन नहीं किया गया जबकि फिल्मोत्सव में भद्दे यौन तथा हिंसा के दृश्यों को फिल्मों में दर्शाया गया ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म उत्पादक फेडरेशन के अनुसार, इस फिल्मोत्सव का समय क्रिसमस तथा नव वर्ष तथा छुट्टी के कारण व्यावसायिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं था, और यदि हां, तो ऐसा समय चुने जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या मनिला में 18 जनवरी के फिल्मोत्सव का आयोजन करने के लिए एफ० आई० ए० एफ० द्वारा मंजूरी दी गई थी तथा इसका कलकत्ता फिल्मोत्सव पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं। विदेशों की बहुत-सी प्रख्यात फिल्मी हस्तियां और भारतीय फिल्म उद्योग के प्रख्यात व्यक्तियों ने कलकत्ता में आयोजित फिल्मोत्सव 82 में भाग लिया था (विवरण-1)।

(ख) फिल्मोत्सव 82 के भारतीय पैनोरमा के लिए फिल्मों का चयन एक चयन पैनल, जिसमें प्रख्यात फिल्मी हस्तियां शामिल थीं, द्वारा किया गया था तथा फिल्मों को मुख्यतया उनके सौन्दर्यात्मक महत्व और कलात्मक प्रस्तुतीकरण के आधार पर चुना गया था। जहां तक विदेशी फिल्मों का सम्बन्ध है, चयन उन फिल्मों में से किया गया था जिनको अन्य अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में प्रदर्शित किया गया है तथा जिन्हें विदेशों में विवेचनात्मक प्रशंसा पत्र प्राप्त हुए हैं। तथापि, कुछ ऐसी फिल्में थीं, जिनमें सेक्स तथा हिंसा के दृश्यों का चित्रण था, किन्तु फिर भी ये फिल्में, अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध निर्देशकों की महत्वपूर्ण कृतियां थीं। फिल्मोत्सव 82 में भाग लेने वाली प्रसिद्ध फिल्मों की सूची संलग्न है (विवरण-2)।

(ग) यह सही नहीं है कि भारतीय फिल्म समारोह की तिथियां असामयिक हैं। भारत को ये तिथियां फेडरेशन आफ इंटरनेशनल फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसियेशन, पेरिस, जो सभी देशों में समारोहों के आयोजन को विनियमित करने के लिए शीर्ष निकाय है, द्वारा आवंटित की गई हैं।

(घ) यह सही है कि मनीला समारोह के भारतीय समारोह के शीघ्र बाद होने से अधिकांश वही फिल्में दोनों समारोहों में भाग नहीं ले सकतीं। तथापि, दो समारोहों में अन्तर रखने का काम फेडरेशन आफ इंटरनेशनल फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन का है।

विवरण-1

उन विदेशी प्रख्यात फिल्मी हस्तियों और भारतीय फिल्म उद्योग की प्रख्यात हस्तियों के नामों की सूची जिन्होंने कलकत्ता में हुए फिल्मोत्सव '82 में भाग लिया।

1. टाइटस लेबर (आस्ट्रिया)
2. मसूहुद्दीन शकर (बंगला देश)
3. झन्डोव, बोरीस्लेव शारालिऊ (बुलगारिया)
4. डेनियल काम्बा (केमेराऊ)
5. रौनी मोलवर्ग (फिनलैंड)
6. पिर्जो हंकासलो (फिनलैंड)
7. जानोस सोम्बोलियाई (हंगरी)
8. पेट्रीसिया मोराज (स्वीट्जरलैंड)
9. क्रिस्टोफर माइल्स (इंगलैंड)
10. विलियम ग्रीव्स (अमरीका)
11. ए० विदूगिरिस (रूस)
12. श्री हेमन्त कुमार

13. श्री मृणाल सेन
14. कु० सुचित्रा सेन
15. श्रीमती अपर्णा सेन
16. श्री वसंत चौधरी
17. श्री तरुण मजूमदार
18. श्री उत्पल दत्त
19. श्रीमती संध्या राय
20. श्रीमती अरुन्धती देवी
21. श्री समित भांजा
22. श्री पिनाकी मुखर्जी
23. श्री पुरेन्दु पेट्रीया
24. श्री सौमित्र चटर्जी
25. कु० ममता शंकर
26. श्री रामानन्द सेनगुप्त
27. श्री दुलाल दत्ता
28. श्री भूतेन हजारिका
29. श्री अनूप कुमार
30. श्री बी० एन० साकिया
31. श्रीमति शर्मीला टैगोर
32. श्री ऋषिकेश मुखर्जी
33. श्री डी० के० सरकार
34. श्री के० के० चौधरी
35. श्री गणेश मुखर्जी
36. श्री निरंजन राय
37. श्री गौतम घोष
38. श्री सुव्रतो मित्रा
39. श्री गंगाधर नस्कर
40. श्री बुद्धदेव दासगुप्त
41. कु० विनोदिनो देवी
42. श्री इन्द्र सेन

43. श्रीमती माधवी मुखर्जी
44. श्री विमल डे
45. श्री दिलीप मुखर्जी
46. श्री रुद्र प्रसाद सेनगुप्त
47. श्री सत्यजीत रे
48. श्री कल्याण चटर्जी
49. श्री आर० ए० जालान
50. श्री तपन सिन्हा
51. श्री अमोल पालेकर
52. श्रीमती चित्रा पालेकर
53. श्री एम० एस० सथ्यू
54. श्री श्याम बेनेगल
55. श्री के० एस० सेथुमाधवन
56. श्री जे० महेन्द्रन
57. श्री जी० अरविन्दन
58. श्री के० बालचन्द्रन
59. श्री मुजफ्फर अली
60. श्री टी० हरिहरन
61. श्री जी० पी० सिप्पी
62. श्री श्रीराम बोहरा
63. श्री मनमोहन कृष्ण
64. श्री गिरीश कसरावल्ली
65. श्री एल० वी० प्रसाद
66. श्री तरुण कुमार
67. श्री धृतिमान चटर्जी
68. श्री सीगम्पति राजगोपालन
69. श्री के० एन० श्रीधरन
70. कु० गीता सेन
71. श्री बी० अरुद्रा

72. श्रीमती सई परांजपे
73. श्री शशि कपूर
74. श्रीमती जेनीफर कपूर
75. कुमारी सुहासिनी मुले
76. श्री नीरद महोपात्र
77. श्री यू० विश्वेश्वर राव
78. श्री अदूर गोपालकृष्णन

विवरण-2

उन प्रसिद्ध फिल्मों की सूची जो फिल्मोत्सव '82 में शामिल की गईं।

1. रेगिंग बुल
2. 11 माइनस्ट्रोन
3. हंकी टोंक फ्री-वे
4. लव बिटविन ड्रॉप्स आफ रेन
5. दि बोट इज फुल
6. दि लास्ट वे
7. सिस्टर्स ऑफ दि स्केल्स ऑफ हैप्पीनैस
8. दि कान्सटेंट
9. बैड टाइमिंग
10. एनिमा—फैन्टास्टिक सिम्फोनी
11. मिल्का—अंधविश्वासों के बारे में फिल्म
12. स्लो अटैक
13. एस्केप टू विक्ट्री
14. लाइट इयर्स अवे
15. सुर्जा डिघल वारी
16. टू बी ए मिलियनयर
17. सेड्डो
18. चैरियट्स ऑफ फायर
19. मेफिस्टो
20. दि बिज

21. दि डिवाइन एम्मा

22. राबर्ट एण्ड राबर्ट

23. क्राइस्ट स्टाप्पड एट एबोली

24. एक्सकैलिबर

निम्नलिखित फिल्मों के रिट्रासपैक्टिव

1. जीन—लुक गोडर्ड (फ्रांस)
2. यिल्माज़ गुने (टर्की)
3. मिक्लॉस जाकंसो (हंगरी)

"कोल इण्डिया टेरर इन धनबाद" शीर्षक समाचार

4880. डा० ए० यू० आजमी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 जनवरी, 1982 की "करेंट मैगजीन" में "कोल माफिया टेरर इन धनबाद" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें निम्न बातों पर प्रकाश डाला गया है :

(एक) यदि कोयला क्षेत्र में काम और व्यवस्था की स्थिति में तत्काल सुधार नहीं किया गया तो बड़े पैमाने पर इस्तीफे की धमकी;

(दो) माफिया-स्टाइल से काम कर रहे ठेकेदारों द्वारा तकनीकी प्रबन्धक और उसकी पत्नी पर हमला;

(तीन) माफिया गिरोह द्वारा रोजाना बन्दूक की नोक पर लाखों रुपये मूल्य के कोयले की लूट तथा पाकिस्तान और बंगला देश की सीमा से उसका निर्यात;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उस पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मैसर्स लिप्टन्स इण्डिया द्वारा अर्जित लाभ

4881. श्री एन० ई० होरो : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स लिप्टन्स इण्डिया द्वारा गत पांच वर्षों के दौरान अर्जित किये गये लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को यह सूचना मिली है कि मैसर्स लिप्टन्स इण्डिया ने इस आशय का एक वक्तव्य जारी करके कि दिसम्बर, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में भारी घाटा हुआ है, एक अनोखी स्थिति दर्शायी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) लिप्टन इण्डिया लिमिटेड (पहले लिप्पन टी (इण्डिया) लिमिटेड के नाम से विख्यात) 28-6-1977 को विनिगमित हुई थी। इस कम्पनी द्वारा कमाये गये लाभ/उठाई गई हानियों के ब्यौरे नीचे वर्णित हैं :

वर्ष समाप्ति	लाभ / हानि (कर-पूर्व) (लाख रु० में)
30-6-1978	207.36 (लाभ)
30-6-1979	192.56 (लाभ)
30-6-1980	(—) 96.34 (हानि)
30-6-1981	(—) 246.18 (हानि)

(ख) तथा (ग) सरकार को साथ-साथ इस आरोपयुक्त एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था कि कम्पनी ने सभी हिस्सेधारियों को एक प्रेसनोट तथा एक नोटिस, यह बताते हुए प्रेषित किया था कि इसने जुलाई से दिसम्बर, 1980 की षट मास अवधि में 265 लाख रु० की हानि उठाई है, यद्यपि इस प्रकार के व्यापारिक परिणाम की घोषणा करना बन्धनीय नहीं था। आगे जांच करने पर, यह सूचित हुआ है, कि कम्पनी द्वारा हिस्सेधारियों को, कथित आधे वर्ष के अनन्तिम कार्य-परिणामों को इस अवधि में 2740 लाख रु० का व्यापारावर्त व 265 लाख रु० की हानियों को समाविष्ट करते हुए एक परिपत्र प्रेषित किया गया था। निदेशकों ने यह भी सम्मिलित किया था कि "अब प्रतिकूल तथ्य पीछे छूट गये है" एवं उन्होंने आशा प्रगट की थी कि 1981 के प्रथम 6 मासों में कम्पनी के कार्यों से "अल्पमात्रिक लाभ प्राप्त होंगे" जिससे सम्पूर्ण हानि में आंशिक रूप से कमी होगी।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि एक समय एक सदस्य बोले तो मैं उत्तर दे सकता हूं।

प्रो० रूप चन्द पाल (हुगली) : मैंने सूचना और प्रसारण मंत्री श्री वसन्त साठे के विरुद्ध एक विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस दिया था, कि उन्होंने इस बात से इनकार करके सभा को गुमराह किया है कि मंत्रालय ने परि पत्र जारी किया है, जिससे उन्होंने सभा में इनकार किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह अध्यक्ष महोदय के विचाराधीन है।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, आल इंडिया सेन्ट्रल बैंक एस० सी० एस० टी० एम्पलाईज फेडरेशन के लोग पिछले कई दिनों से बाम्बे में भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनकी बातों को, उनकी ग्रीवान्सेज को बिना सुने हुए उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है।

(व्यवधान)

मैंने इस सम्बन्ध में एक कालिंग अटेंशन दिया हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के स्वीकार किए जाने के मामले पर सभा में चर्चा नहीं की जा सकती। आप कृपया अध्यक्ष से मिलें। (व्यवधान)

क्या आप चाहते हैं कि आपकी बात सुनी जाये, तो बारी-बारी से बोलें।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : मैंने श्री मल्लिकार्जुन के विरुद्ध सभा को गुमराह किये जाने के बारे में एक विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस दिया था···

उपाध्यक्ष महोदय : वह विचाराधीन है।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : यह एक ऐसा मामला है जिसकी पूरी तरह से जांच की जानी आवश्यक है, क्योंकि इसे कई व्यक्तियों द्वारा निरन्तर उठाया जा रहा है। एक बार श्री पासवान ने इसे उठाया था और अब अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के रेजीडेंट डाक्टरों ने आरोप लगाया है।··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह मामला अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है। मैंने अपनी स्वीकृति नहीं दी है।

श्री के० राम मूर्ति (कृष्णगिरि) : मैंने इस महीने की 4 तारीख को भारतीय स्टेट बैंक मदुरै के अधिकारियों द्वारा विशेषाधिकार की मांग का मामला उठाया था। मैंने अध्यक्ष महोदय को एक पत्र भी लिखा है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह विचाराधीन है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : मैं विद्वान उपाध्यक्ष महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या बलात्कार तथा दहेजाराष्ट्रीय मामले हैं, अथवा नहीं, और यदि हैं तो मैं जानना चाहूंगा कि क्यों आपने मुझे इस मामले के** व्यवहार पर चर्चा की अनुमति नहीं दी ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह मामला राज्य विधान सभा के समक्ष है।

डॉ० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या ये राष्ट्रीय मामले हैं, अथवा नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह उचित नहीं है। इसे कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में अकाल राहत कार्यों में लगे हुए शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के 15 हजार मजदूरों को काम से अलग कर दिया गया है। उनको तुरन्त काम पर लगाया जाना चाहिए वरना वे भुखमरी के शिकार हो जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने नियम 377 में नोटिस दिया है। आप आकर मुझसे मिल सकते हैं।

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार (त्रिवेन्द्रम) : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों की वरीयता सूची तैयार करने में बरती गई कुछ अनियमितताओं का पता चला है। यह एक गम्भीर मामला है···

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उस पर स्वीकृति नहीं दी है।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के अन्दर सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल है। सारा काम रुका हुआ है। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन रुका हुआ है।

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है। इस पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : कान्स्टीट्यूशन के अन्दर इसका प्रोवीजन है। पूरी पब्लिक परेशान हो रही है। दफ्तरों का काम रुका हुआ है। आप इसके लिए परमीशन नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैं वाकआउट करता हूं।

(श्री जयपाल सिंह कश्यप सदन से बाहर चले गए)

श्री नीरेन घोष (दम दम) : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है। वरिष्ठ डाक्टरों का अतिक्रमण किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक पृथक सूची तैयार की है और दो डाक्टरों को पहले ही इस प्रकार की पदोन्नति दी जा चुकी है। ऐसा करके आप स्वयं मुसीबत मोल ले रहे हैं और इससे केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त डाक्टरों में असंतोष फैलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है। मैंने इस पर अपनी स्वीकृति नहीं दी है।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष जी, मैंने आयुर्विज्ञान संस्थान के खिलाफ लोक सभा में आरोप लगाए थे। मंत्री जी ने लोकसभा में जवाब न देकर राज्य सभा में जवाब दिया। मैंने स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ प्रिवलेज मोशन दिया है। मैंने उदाहरण दिया है कि श्री टंडन, जो इंडियन मैडिकल इन्स्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं और रैजीडेंट डाक्टर एसोसिएशन ने मेरे द्वारा आरोप को सही पाया है और रैजीडेंट डाक्टर फैडरेशन ने फ्रैश चार्जेज लगाए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुन चुका हूं। आपने मुझे विशेषाधिकार प्रस्ताव दिया है। यह प्रस्ताव विचाराधीन है।...मैं कहता हूं कि इस पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : जांच क्यों नहीं ?

डा० कृपासिन्धु भोई (सम्बलपुर) : डाक्टर समुदाय में भ्रम और उदासीनता है क्योंकि हमारे एक माननीय सदस्य ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कुछ डाक्टरों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की हैं और उन्हें अन्धा और अपस्मारी कहा है।

श्री राम विलास पासवान*

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : बड़ोदरा में एक गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहां पर साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं। यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है। इस पर चर्चा की जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बहस चल रही है। आप चर्चा कर सकते हैं।

---

* *कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।*

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व)*

उपाध्यक्ष महोदय : केवल उसी सदस्य का भाषण कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित किया जायेगा जिसे मैं बोलने को कहूं। डा० स्वामी मुझसे इस बात पर सहमत होंगे कि उनकी बात कार्य-वाही-वृत्तान्त में सम्मिलित न की जाए।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : महोदय, लीबिया की पुलिस ने 300 भारतीय श्रमिकों को पीटा और जबरदस्ती भारत वापस भेज दिया···

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने कोई स्थगन प्रस्ताव दिया है?

श्री हरीश कुमार गंगवार : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने अपनी अनुमति रोक दी है। मुझे आपको तत्संबंधी कारण बताने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री चतुर्भुज (झालावाड़) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर वैधानिक संकट पैदा हो गया है। लोग राष्ट्रपति के सामने ता० 26 को धरना देने आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर वैधानिकता के अनुसार काम नहीं करने दिया गया, विधानसभा समय से पहले स्थगित कर दी गई···

उपाध्यक्ष महोदय : वह काफी समय से शान्ति से प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री चतुर्भुज।

श्री चतुर्भुज : वहां वैधानिक संकट पैदा हो गया है। सारे प्रान्त के अन्दर कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है। सारे काम ठप्प हो गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप हम अगले मद पर आते हैं। सभापटल पर प्रस्तुत किए जाने वाले पत्र। (व्यवधान)

श्री सी० टी० दंडपाणि (पोल्लाची) : मेरी समस्या बिल्कुल भिन्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उस समय नहीं उठे। आपकी क्या समस्या है?

श्री सी० टी ०दंडपाणि : मैंने अध्यक्ष महोदय को एक पत्र लिखा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्ष महोदय से उनके कक्ष में मिल लीजिए। चूंकि आपने उन्हें पत्र लिखा है, आप उनके कक्ष में उनसे मिल लीजिए। मैं आपको भाषण की अनुमति नहीं देता। मैं अगले मद पर आ चुका हूं। सभापटल पर रखे जाने वाले पत्रादि श्री कौशल (व्यवधान)।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

वर्ष 1980-81 के लिए कम्पनी अधिनियम सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 638 के अन्तर्गत, वर्ष 1980-81 में उक्त अधिनियम के कार्यकरण और प्रशासन के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3693/82]

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

पेट्रोफिल्स कोआपरेटिव लि०, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 और बोंगाइगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकैमिकल्स लि०, बोंगाइगांव के वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं समीक्षा

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) पेट्रोफिल्स कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) पेट्रोफिल्स कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 3694/82]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) बोंगाइगांव रिफाइनरी एण्ड पैट्रोकैमिकल्स लिमिटेड, बोंगाइगांव (असम) के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) बोंगाइगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड, बोंगाइगांव (असम) का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । [ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 3695/82]

(व्यवधान)

श्री सी० टी० दंडपाणि (पोल्लाची) : महोदय, मैंने···

उपाध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्ष महोदय से मिलिये । ऐसा करना बेहतर होगा ।

श्री सी० टी० दंडपाणि : मैंने सचिव, अध्यक्ष महोदय तथा संसदीय कार्य मंत्री से भी सम्पर्क किया है । डी० एम० के० को कार्यालय के लिए कमरा नहीं दिया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उनसे मिलिए ।

श्री सी० टी० दंडपाणि : मैं अध्यक्ष महोदय से नहीं मिलूंगा । क्या आप कमरा दे रहे हैं या नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्ष से मिल सकते हैं । अब श्री शंकरानन्द ।

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय की वर्ष 1982-83 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुदबेन जोशी) मैं, अपने सहयोगी की ओर से स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय की वर्ष 1982-83 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभापटल पर रखती हूं ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3696/82]

भारतीय जन-संचार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं समीक्षा

सूचना एवं प्रसारण उपमंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) भारतीय जन-संचार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय जन-संचार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये सं० एल० टी० 3697/82]

(व्यवधान)**

श्री सी० टी० दंडपाणि : खड़े हुए···

उपाध्यक्ष महोदय : दंडपाणि जी, आप संसदीय कार्य मंत्री से भी मिलिये । श्री राव

(व्यवधान)

श्री पट्टाभि रामाराव के अतिरिक्त किसी की बात कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न की जाये । मैं आपकी बात सुन चुका हूं । आपको सुनना चाहिये । आप अध्यक्ष से उनके कक्ष में मिल लें । मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप उनसे मिलिये । उस समय मैं भी उनके कक्ष में उपस्थित रहूंगा । आप उनसे मिलेंगे । (व्यवधान)

प्राक्कलन समिति

इक्कीसवां प्रतिवेदन

श्री एस० बी० पी० पट्टाभि रामाराव (राजामुंद्री) : मैं विदेश मंत्रालय—पश्चिम एशिया, श्रीलंका, मलयेशिया, बर्मा, इन्डोनेशिया और सिंगापुर में विदेशस्थ भारतीयों के बारे में प्राक्कलन समिति के सोलहवें प्रतिवेदन—भाग 1—पश्चिम एशिया, में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 21 वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बंसी लाल

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

पैंतीसवां प्रतिवेदन

श्री नगीना राय (गोपालगंज) : मैं भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड—इस्पात आयात (इस्पात और खान मंत्रालय—इस्पात विभाग) के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के 23 वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 35 वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

श्री सी० टी० दंडपाणि (पोल्लाची) : मुझे भारी खेद है। क्या आप मुझे यह बतायेंगे कि क्या मुझे कमरा दिया गया है या नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : कमरा देने का कार्य अध्यक्षपीठ का नहीं है। दंडपाणि जी इस बात को जानते हैं कि संसद भवन में कमरा देने का कार्य अध्यक्षपीठ का नहीं है।

श्री सी० टी० दंडपाणि : मैं अध्यक्षपीठ के कर्तव्यों से अवगत हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री सी० टी० दंडपाणि : सभापति यह नहीं जानता···

उपाध्यक्ष महोदय : अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव,

श्री सी० टी० दंडपाणि : मैं आश्वासन चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आश्वासन देता हूं कि यदि आप अध्यक्ष से मिलेंगे तो मैं आपके साथ जाकर दल के एक सदस्य के रूप में उनसे कमरा देने का अनुरोध करूंगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उनसे उनके कक्ष में मिलें।

श्री सी० टी० दंडपाणि : आप कृपा करके मुझे आश्वासन दें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आश्वासन नहीं दे सकता हूं। आप कृपा करके अध्यक्ष महोदय से अनुरोध कीजिए। मैं भी आपके साथ जाऊंगा।

(व्यवधान)

श्री सी० टी० दंडपाणि : उपाध्यक्ष के रूप में आप आश्वासन दीजिए और अध्यक्ष महोदय को इस सप्ताह में कमरा देने के लिए राजी कर लें।

उपाध्यक्ष महोदय : दल के नेता के रूप में आप अपना फर्ज पूरा कर चुके हैं।

श्री सी० टी० दंडपाणि : दल के नेता के रूप में नहीं। मैं इस प्रकार की घटिया लोकप्रियता के पीछे नहीं हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना फर्ज निभा रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सब कृपया बैठ जाइए। मैं कोई आश्वासन नहीं दे सकता। आप कृपया अध्यक्ष महोदय से उनके चेम्बर में जाकर मिलें।

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बया) : महोदय, आपके माध्यम से मैं श्री दण्डपाणि से प्रार्थना करूंगा कि वह पीठासीन व्यक्ति को उलझनपूर्ण स्थिति में न डालें। वह एक पार्टी के नेता हैं और वह अध्यक्ष महोदय से मिल सकते हैं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उनका दल तो अन्ना-डी० एम० के० है। इसलिए कृपया उन्हें भी एक कमरा देने की कोशिश करें।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय इस तरह से मजाक में मत टालिए। कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या चाहे और कोई दूसरी विरोधी पार्टी। उसको दफ्तर मिलना चाहिए। इसको मजाक में मत टालिए। कोई भी पार्टी हो, पार्लियामेंटरी पार्टी को दफ्तर मिलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उनकी तथा अन्य व्यक्तियों की मांगों का समर्थन कर रहे हैं।

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

जम्मू के निकट डीजल, मिट्टी का तेल आदि ले जा रही मालगाड़ी के कुछ डिब्बों को आग लगने से हुई क्षति

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, कालिंग एटेंशन से पहले मैं लिस्ट आफ़ बिजनैस की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। कालिंग एटेंशन में हिन्दी में मेरा नाम राजेश कुमार पाइलट छाप दिया गया है जबकि अंग्रेजी में राजेशकुमार सिंह। अब मैं हिन्दी में इसको क्या पढ़ूं।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : गलती क्यों हुई ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बागड़ी, यह नियम 377 के अधीन सूचना नहीं है।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : यह 20 रुपये में तो नहीं छपाया गया है।

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : महोदय, क्या महाराष्ट्र शब्द असंसदीय है ? क्या बलात्कार शब्द असंसदीय है ? कल से मैं आपको भी चैन नहीं लेने दूंगा और आपको और भी अधिक परेशानी होगी।

श्री राजेश कुमार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर रेल मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

'जम्मू के निकट डीजल, मिट्टी का तेल आदि ले जा रही माल गाड़ी के कुछ डिब्बों में आग लग जाने से हाल में हुए विनाश का समाचार।"

रेल मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : डीजल रेल इंजन कर्षित अप जम्मू तवी माल गाड़ी, जिसमें 69 टंकी माल डिब्बे, दो गार्ड वैगन और एक ब्रेकयान लगे हुए थे, 20-3-1982 को उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल के पठानकोट-जम्मू तवी खण्ड पर स्थित विजयपुर जम्मू स्टेशन से 06.55 बजे रवाना हुई। जब यह गाड़ी विजयपुर जम्मू और बड़ी ब्राह्मण स्टेशनों के बीच चल रही थी, तो गाड़ी के इंजन से तीसरा टंकी माल डिब्बा कि० मी० 87/1 पर पुल सं० 220 पर पटरी से उतर गया। यह माल डिब्बा और इसके पीछे के 27 टंकी माल डिब्बे तटबन्ध पर गिर गए और उनमें आग लग गयी, जिससे पुल का स्पैन क्षतिग्रस्त हो गया। 31 वां डिब्बा भी पटरी से उतर गया। इसके परिणामस्वरूप थ्रू यातायात अवरुद्ध हो गया। किसी को कोई चोट नहीं आयी।

सूचना प्राप्त होने पर रेलवे और सेना की दमकल गाड़ियां 07.55 बजे दुर्घटनास्थल पर पहुंच गयीं। आग पर 16.45 बजे पूरी तरह काबू पा लिया गया।

राहत कार्यों की देख-रेख करने के लिए मण्डल और मुख्यालयों के अधिकारी भी शीघ्र दुर्घटना-स्थल पर पहुंच गये।

पुल का क्षतिग्रस्त आर० सी० सी० स्पैन बदल दिया गया और 21-3-1982 को 21.00 बजे इस खण्ड पर थ्रू यातायात फिर से चालू कर दिया गया। उस समय तक गाड़ियां जम्मू तवी की बजाय पठानकोट से रवाना की गयीं। यात्रियों को लाने-ले जाने के लिए रेल प्रशासन ने जम्मू तवी और सांबा तथा जम्मू तवी और पटानकोट के बीच सड़क परिवहन की बसें चलाने की व्यवस्था की।

दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जांच कराने का आदेश दे दिया गया है।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, ये ट्रेनों की घटनाएं तो देश में आम बात हो गई हैं। इतने डिब्बे इंजिन से डिरेल हो गये और 27 डिब्बे गिर गए। इन घटनाओं के बारे में मंत्रियों के बहुत-से वक्तव्य आ जाते हैं औरआपने भी कुछ वक्तव्य दिए हैं फिर भी बहुत-सी घटनाएं हो रही हैं। अगर यह ट्रेन गुड्स न हो कर पैसेन्जर ट्रेन होती तो बहुत बुरी हालत होती।

मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा, इसमें कई कारण हैं। जहां ह्यूमन फेल्योर भी एक कारण है वहां मिकेनिकल फेल्योर भी कारण है। जहां यह एक्सीडेंट हुआ वहां पीछे भी बहुत एक्सीडेंट हुए हैं। पिछले दस वर्षों के अन्दर 1971 से लेकर 1980 के बीच में 91 हजार एक्सीडेंट हुए हैं। हमेशा रेलवे बोर्ड निर्देश जारी करता रहा है और माननीय मंत्री भी वक्तव्य जारी करते रहे हैं लेकिन इनके कम होने में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई।

मान्यवर, सिकरी कमेटी की रिपोर्ट में कुछ रिकमण्डेशंस दी गई थीं। वांचू कमेटी और दूसरी कमेटियों ने भी अपने-अपने रिकमण्डेशंस दिए कि रेलवे में ये-ये सुधार करें। कुंजरू कमेटी ने 1962 में एक रिकमण्डेशन दी थी — स्टेण्डर्ड आफ आरगेनाइजेशन आन ग्राउण्ड्स आफ सेफ्टी- जिसके बारे में अभी तक कुछ भी क्रियान्वयन नहीं हुआ है। रेलवे बोर्ड की तरफ से भी जो निर्देश जाते रहते हैं उन निर्देशों पर भी कुछ अमल नहीं हो रहा है। यह भी ह्यूमन फेल्योर का एक कारण है। छोटे अधिकारी उन पर अमल करते हैं या नहीं, बड़े अधिकारी इस बात को नहीं जानते। बिफोर रिग्रुपिंग्स आफ रेलवेज ऐसी स्थिति नहीं थी। बड़े अधिकारी छोटे लेवल पर देखा करते थे। आज दूसरी ही स्थिति पैदा हो गई है।

इसलिए मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि हमें आरगेनाइजेशन सेट-अप को ठीक करना चाहिए। अगर यह ठीक नहीं हुआ तो ये घटनाएं होती रहेंगी, इनको कोई नहीं रोक सकता है। इसमें जितना इम्प्रुवमेंट किया जाना चाहिए, वह नहीं हुआ तो ये दुर्घटनाएं होंगी ही। अभी एक घटना आगरा के पास हुई, बागमंती नदी में कोई गाड़ी गिर गई, एक पुल पर से गिर गई। अभी तक आपने रेलवे बिल्डिंग के लिए क्या कार्यवाही की है, यह नहीं बताया। ये जो एक्सीडेंट हुआ वह किसी रोलिंग स्टोक की खराबी से या किसी और वजह से हुआ ? अभी आप कह रहे थे कि आप इसकी जांच करायेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि चार एक्सीडेंट्स हुए—तमिलनाडु एक्सप्रेस का हुआ और अन्य ट्रेनों के हुए। उन एक्सीडेंट्स के बारे में आपने अब तक क्या कार्यवाही की ? आपने रेलवे ट्रेक सुधारने, लोकोमोटिव्ज और गुड्स ट्रेंस के सुधारने के क्या काम किए ?

आपने इस गाड़ी के इंजिन के साथ 72 डिब्बे लगा दिए। क्या आपने इस बात की जांच की थी कि यह इंजिन 72 डिब्बे ले जा सकता था या नहीं ? उस माल गाड़ी से, इन्जिन से डिब्बे डिसकनेक्ट हो गए। क्या हाल्टिंग स्टोपेज पर जांच होती है या नहीं ? यह मैं जानना चाहूंगा।

अब तक जितने एक्सीडेंट्स हुए हैं उनके बारे में रोलिंग स्टोक और इन्स्टालमेंट्स आफ सिगनल्स के लिए क्या-क्या किया ? क्या उनके बारे में कोई स्पेशल जांच की और की तो क्या प्रगति हुई ? यह बताया कि इस एक्सीडेंट के बारे में जांच कर रहे हैं। यह नहीं बताया कि कौन-से अधिकारी जांच कर रहे हैं। कौन-से उच्च अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं ? यह गाड़ी सेना के लिए डीजल और केरोसीन आयल ले जा रही थी। क्या रेलवे विभाग सेना के लिए कोई विशेष व्यवस्था करता है ? क्या यह सेबोटेज का मामला तो नहीं है ? इस पर भी आप प्रकाश डालते। इतने डिब्बे जल गए और आठ घंटे तक दमकल के लोग लगे रहे। इससे यह भ्रम पैदा होता है कि पूरे देश में बड़े पैमाने पर यह स्थिति चल रही है। क्या आपने ब्रिज इन्स्टालमेंट, लोको-मोटिव्ज की कंडीशंस के लिए अब तक कुछ किया है, ट्रेक को सुधारने के लिए कुछ किया है ? इतना मैं जानना चाहता हूं।

श्री प्रकाशचन्द्र सेठी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीन अधिकारी-चीफ रोलिंग स्टाक इन्जीनियर, चीफ सेफ्टी सुपरिटेंडेंट और एक चीफ इन्जीनियर, ये इस घटना की जांच कर रहे हैं। जांच से पूर्व, जांच-रिपोर्ट आने तक असिस्टेंट स्टेशन मास्टर विजयपुर-जम्मू, ड्राइवर एण्ड असिस्टेंट ड्राइवर ऑफ दी ट्रेन, इन तीनों को अंडर सस्पेंशन रखा है।

अभी रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि यह घटना सेबोटेज से हुई या एक्सल गर्म होने के कारण पैदा हुए डिफेक्ट से हुई—यह रिपोर्ट आने पर ही पता लगेगा। एक्सल गर्म होने की बहुत सारी घटनाएं देश में होती हैं। वर्ष 1981 में लगभग 33687 वैगन ऐसे थे, जिनका एक्सल गर्म हुआ, लेकिन उनको डिटेक्ट किया गया और उनको डिसकनेक्ट करके अलग किया गया।

इसमें प्लेन बेरिंग थे और प्लेन बेरिंग का एक्सल गर्म होने पर सीटी बजती है और धुआं निकलता है, इससे मालूम हो जाता है कि एक्सल गर्म हो गया है। इस बात को स्टेशन मास्टर ने महसूस भी किया कि ट्रेन में से कुछ धुआं निकल रहा है, लेकिन ट्रेन निकल जाने के बाद उसने आगे के स्टेशन पर उस गाड़ी को रोकने के लिए कार्यवाही की। लेकिन होना यह चाहिए था कि यदि गाड़ी स्टेशन से छूट भी गई थी, तब भी गाड़ी को रोकने का प्रयास करना चाहिए था। इस ड्यूटी को स्टेशन मास्टर ने पूरा नहीं किया, इसलिए उसको सस्पेंड किया गया।

मान्यवर, यह बात सही है कि यह ट्रेन काफी दूरी 1537 किलोमीटर की तय करके आ रही थी। जब यह रवाना हुई थी, उस समय इसकी पूरी जांच-परख की गई थी। अब यह देखना है कि इतनी लम्बी दूरी तय करने के कारण तो कहीं एक्सल गर्म नहीं हो गए।

यह भी सही है कि ट्रैक खराब है और ट्रैक को बदलने का सवाल है। ट्रैक रिपेयर का काम तो समय-समय पर बराबर होता रहता है, लेकिन संपूर्ण ट्रैक, जो कि 14000 किलोमीटर का है, इसका रिन्यूवल कार्य तुरन्त लेना संभव नहीं है। जैसे-जैसे फण्ड्स हमको मिल रहे हैं, ट्रैक रिन्यूवल का काम हम कर रहे हैं।

"सीकरी कमेटी" और "वांचू कमेटी" के बारे में कहा गया। वांचू कमेटी की अधिकांश सिफारिशों पर अमल किया जा चुका है।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बड़ी दुर्घटना है इसलिए इस विषय पर मैंने ध्यानाकर्षण नोटिस दिया था। और मुझे इस बात की हैरानी हुई कि इसे स्वीकार कर लिया गया। मैं अब तक यही सोच रहा था कि मैं किसी दिन एक ध्यानाकर्षण नोटिस दे दूंगा कि कोई दुर्घटना नहीं हुई है। मैं अभी भी उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं। महोदय, जब रेलवे की अनुदान मांगों पर इस सदन में बहस हुई थी तब इस मामले पर पूरी तरह चर्चा की गई थी। यह दुर्घटनाएं तो अक्सर रोज ही होती रहती हैं। कभी जान की हानि होती है, कभी सम्पत्ति और माल की। परन्तु यह सच है कि अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। जब माननीय मंत्री श्री पी० सी० सेठी ने रेलवे मन्त्रालय का कार्यभार संभाला, तो मुझे उनसे बहुत उम्मीदें थीं—वह बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं मैं यह बात मानता हूं-- मुझे यह उम्मीद थी कि उनके अनुभव, उनकी योग्यता और प्रशासनिक क्षमता से दुर्घटनाएं नहीं होंगी। मुझे पूरी आशा है कि वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और भविष्य में दुर्घटनाएं कम से कम हुआ करेंगी। सब जगह यही आरोप लगाया जाता है और इस सदन में भी अक्सर यही चर्चा होती रहती है कि अधिक यातायात और भाड़ा वहन करने के जोश में रेलवे, सुरक्षा नियमों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। सब जगह यही आरोप लगाया जा रहा है। एक बार सफर में मेरी एक रेलवे इंजीनियर से मुलाकात हुई जिन्होंने मुझसे

कहा कि जिन हालातों में हम काम कर रहे हैं उसके लिए हम बधाई के पात्र हैं क्योंकि ट्रैक और वैगनों की स्थिति देखते हुए, दुर्घटनाएं और ज्यादा होनी चाहिए थीं। उन्होंने मुझे बताया कि हमारे देश के ट्रैक जिस स्थिति में हैं, ऐसे ट्रैकों पर दुनिया के किसी भी देश में रेल चलाने की इजाजत नहीं है। वह बहुत पुराने हैं, परन्तु उन्हें बदला नहीं गया है, आधे से अधिक वैगन खराब हैं, परन्तु फिर भी किसी तरह हम काम चला रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : काम चल नहीं रहा है वरन काम चलाया जा रहा है।

श्री जैनुल बशर : जी हां, उन्होंने बताया कि इन स्थितियों में दुर्घटनाओं की संख्या अधिक भी हो सकती थी।

रेलवे बजट पर चर्चा के समय उत्तर देते हुए माननीय रेल मंत्री ने सदन को बताया था कि वह इस मामले की जांच कर रहे हैं, वह खराब वैगनों, पुराने ट्रैकों और पुराने हो चले स्टाक को बदल देंगे। तथापि मैं चाहता हूं कि प्राथमिकता के आधार पर यह सब किया जाए। हमें बाकी सब काम या नई लाइनें बिछाना छोड़ कर पहले यह काम करना चाहिए। मैं जानता हूं कि आप भरसक प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु जो पुराने ट्रैक और खराब वैगन हैं, उन्हें बदल कर नए ट्रैक और वैगन लाने चाहिए और इस पर तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस मामले पर और जानकारी हमें दें।

इसके अलावा, जब रेलवे विस्फोटक सामग्री जैसे पैट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल ले जाते हैं तो क्या कोई विशेष सुरक्षोपाय अपनाए जाते हैं ? क्या यह सुनिश्चित किया जाता है कि वह टैंक वैगन जो विस्फोटक सामग्री ले जा रही है, पुरानी न होकर नई हों ? क्या रेलवे में इस मुद्दे पर ध्यान दिना जाता है ? इस दुर्घटना में लगभग दो करोड़ रुपए मूल्य के पेट्रोलियम उत्पाद की हानि हुई है ? यह कम राशि नहीं है। और इस देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कमी है। जब रेल में कुछ विस्फोटक सामग्री ले जाई जाती है और दुर्घटना हो जाती है तो केवल उस रेलगाड़ी में लदी सामग्री ही नहीं, वरन् पुल आदि सभी कुछ नष्ट होता है। जैसा कि माननीय मंत्री ने बताया कि इस दुर्घटना में एक पुल भी नष्ट हुआ है। दुर्घटना स्थलों के निकट स्थित गांवों में भी हानि होती है। सौभाग्य से यहां एक पुल ही नष्ट हुआ है। क्या इस पर कोई विशेष ध्यान दिया जा रहा है ? जब रेलें विस्फोटक सामग्री ले जाती हैं तो क्या कोई विशेष सुरक्षा रखी जाती है ?

माननीय मंत्री का ध्यान मैं एक और बात की ओर दिलाना चाहता हूं। इस देश में कुछ तत्त्वों द्वारा रेलवे दुर्घटनाएं कराने का एक षडयंत्र रचा जा रहा है। इसकी सूचना समाचार पत्रों में भी काफी विस्तार से दी गई है और मुझे यह नहीं मालूम कि आसूचना रिपोर्टें सरकार के पास आ रही हैं या नहीं। परन्तु जिस प्रकार दुर्घटनाएं हो रही हैं उससे लगता है कि इस देश के कुछ तत्त्व, जिसमें राजनैतिक तत्त्व भी शामिल हैं, दुर्घटनाएं कराने का षडयंत्र रच रहे हैं। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मुझे उनके नाम नहीं मालूम हैं न ही मुझे इसकी जानकारी है।

क्या रेल मंत्री को यह जानकारी प्राप्त हो चुकी है ? और यदि उन्हें यह जानकारी प्राप्त हो गई है तो इस षडयन्त्र को असफल बनाने तथा रेलवे को इससे बचाने की दिशा में क्या प्रयास किए गये हैं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : महोदय, मैं इस दुर्घटना-विशेष के प्रति माननीय सदस्य के विचारों तथा चिन्ता से पूर्णतः सहमत हूं।

जहां तक विस्फोटकों को रेल द्वारा लाने ले जाने सम्बन्धी नियमों का सम्बन्ध है, दर टैरिक में स्पष्ट नियमों का प्रावधान है। हम इन वैगनों की देखभाल के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं करते हैं परन्तु दर-टैरिफ में निर्धारित सभी नियमों का पालन किया जाता है।

यह सच है कि इस दुर्घटना विशेष से दुर्लभ सामग्री के रूप में 25 लाख रुपये से अधिक का नुक्सान हुआ है। इसके अतिरिक्त लगभग 24 तथा 28 लाख रु० की लागत के 28 वैगनों का नुक्सान हुआ है। इसके अलावा रेलपटरी तथा पुल को भी स्थायी नुक्सान पहुंचा है। वह भी नष्ट हो गया, परन्तु उसकी मरम्मत की जा चुकी है।

महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा दिए गए विभिन्न सुझावों के लिए उनका आभारी हूं। महोदय, सभी खराब रेलपटरियों को एकदम बदलना संभव नहीं है। कई स्थानों पर रेलपटरी टूट गई हैं। इन टूट फूटों का पता लगाने के लिए हम अल्ट्रा-सोनिक (परा-ध्वनि) मशीनों का उपयोग कर रहे हैं। इसके साथ-साथ इन दोषों का पता लगाने के लिए हम अन्य उपायों का भी सहारा ले रहे हैं तथा उन्हें ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं।

हमने पटरियों के नवीकरण का भी एक कार्यक्रम तैयार किया है। परन्तु हम धन की कमी के कारण उसे क्रियान्वित नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि मैंने बजट भाषण में ही कहा था, अविलम्ब और अधिक वैगनों की प्राप्ति तथा जहां कहीं अत्यावश्यक हो, पटरियां बदलने के लिए कम से कम 200 या 300 करोड़ रु० की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु हमने योजना आयोग से पुनः अनुरोध किया है।

दोषपूर्ण वैगनों के उपयोग के समय उन्हें रखे जाने वाले स्थानों पर पूर्णतः जांच की जाती है। हम खराब वैगनों को प्रतिवर्ष प्रयोग न करने वाले वैगनों की सूची में सम्मिलित करते रहते हैं। पिछले वर्ष लगभग 12 हजार वैगनों को प्रयोग करने की मनाही की गई थी। इस वर्ष हमने लगभग 18 हजार ऐसे वैगनों की सूची बनाई है। अतः हम यथासंभव स्तर तक वैगनों की नवीकरण प्रक्रिया बनाए रखने की चेष्टा कर रहे हैं।

हमने एक लाख वैगनों की खरीद का कार्यक्रम बनाया है। परन्तु मूल्य वृद्धि के कारण हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहे हैं। वर्तमान लागत के अनुसार अब हम केवल 70 या 75 हजार वैगन ही खरीद पायेंगे।

मैं इस बात के लिए माननीय सदस्य का आभारी हूं कि वे मेरे पद ग्रहण के पश्चात विभाग के सुधार के प्रति आशावान हैं। मैं इन टिप्पियों के लिये उनका आभारी हूं। परन्तु महोदय मैं केवल यही कह सकता हूं कि मैं अभी भी आशावान हूं।

श्री जैनुल बशर : मैंने जिस षडयंत्र का जिक्र किया था, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं?

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : मंत्रियों को बदलवाने की कांग्रेस (आई) की कांस्प्रेसी है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने किसी दल का उल्लेख नहीं किया था।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : महोदय, अभी पिछले दिनों जो दुर्घटनाएं हुई हैं, उनमें से केवल एक ही ऐसी दुर्घटना है, जिसमें बिहार क्षेत्र में कहीं पर राजधानी एक्सप्रेस पर बम फेंकने की घटना सामने आई थी, उसके अलावा किसी भी षड्यंत्र के बारे में हमें पता नहीं चला है। उदाहरण के लिए काजीपेट दुर्घटना जो आंध्रप्रदेश में हुई थी वह केवल क्रासिंग पर किसी कर्मचारी के न रहने से हुई थी जबकि एक बस रेलवे लाइन पर, यह जाने बिना ही आ गई थी कि एक ट्रेन आ रही है। इसी प्रकार आगरा में जो दुर्घटना हुई थी वह भी किसी षड्यंत्र का परिणाम नहीं थी। हम सभी बड़ी-बड़ी दुर्घटनाओं में इसी सम्भाव्यता की जांच कर रहे हैं। किंतु कुछ मामलों में इसे नकारा नहीं जा सकता है। इस मामले में हम समस्या की भली भांति जांच कर रहे हैं।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : जो दुर्घटना हुई है, इससे राष्ट्र को भारी क्षति हुई है। क्योंकि यह सीमा क्षेत्र में हुई है। रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं है कि इस दुर्घटना में कितनी क्षति हुई है। आपके प्रति मेरे मन में पूरा सम्मान होते हुए भी, यहां 3 मंत्री बैठे हुए हैं, 2 भूतपूर्व और एक वर्तमान, उस समय जो रेलवे के संचालन में गिरावट हुई है, उसमें कोई प्रगति लाने का काम या विस्तार मैं अभी भी नहीं देख रहा हूं। यह बड़े दुःख की बात है। हमारी रिपोर्ट यह है कि इसमें 1 करोड़ रुपये की क्षति हुई है। इतनी बड़ी क्षति उस सीमा क्षेत्र में हो, यह एक बहुत गम्भीरतापूर्ण बात है।

रेल की दुर्घटनाएं चाहे जान-माल की हो या डकैती की हो, हमारे साथ चलने वाली सैकिंड क्लास की गाड़ी में डकैती हो गई। कम्पार्टमैंट के 75 लोगों का सारा सामान करीब 5 लाख का सामान डकैतों ने छीन लिया। यह बरौनी-मोकामा के बीच में हुआ है। तो यह डकैतियां बढ़ती जा रही हैं, दुर्घटनाएं होती जा रही हैं। पंडित जी के जमाने में बागमती नदी में कितने डिब्बे डूब गये जो कि अभी तक नहीं निकाले जा सके हैं। आपके जमाने में यह बगल में ही इतने डिब्बे आग से बर्बाद हो गये और पैट्रोल जल गया। आप इन बातों को गम्भीरता से सोच रहे हैं या नहीं? अगर रेल दुर्घटनाएं ऐसे ही बढ़ती जायेंगी, संचालन की सुव्यवस्था नहीं होगी तो आपके विभाग का क्या होगा? यह गम्भीरता से सोचना है।

रेल की दुर्घटनाएं होना आज आम फीचर बन गया है। यह ऐसा हो गया है कि इसके लिये किसी को आश्चर्य नहीं होता कि रेल दुर्घटना हो गई। रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं, मेरे इस प्रश्न का जवाब दें कि यह क्यों हो रही हैं?

जब कोई भी गाड़ी कहीं से स्टार्ट होती है तो उसकी पूरी चैकिंग होती है या नहीं होती है? उसका कोई पार्ट टूटा हुआ तो नहीं, जिससे डि-रेलमैंट न हो, इस बात की परीक्षा होती है या नहीं? गाड़ी के स्टार्ट होने के बाद समय-समय पर बड़े-बड़े स्टेशनों पर उसकी कोई जांच-पड़ताल होती है या नहीं। ऐसे ही इस मालगाड़ी की भी परीक्षा हुई थी या नहीं? क्या जांच के बाद उसको सन्तोषजनक पाया गया था कि गाड़ी जाने लायक है। जो आपने कहा कि गर्म हो गई। मशीन वह बोझ नहीं उठा सकी, वैसे ही मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसकी व्यापक जांच की कोई योजना आपने बनाई है जिसके जरिये रेल में ऐसी दुर्घटनाओं का विस्तार न हो, अगर खत्म नहीं भी हो

सकता है, तो कम-से-कम हो ? क्या इस दिशा में आप कोई कदम उठाने जा रहे हैं या नहीं ? क्या आपने यह भी सोचा है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये कोई कालबद्ध प्रोग्राम हो ? क्या ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, हम लोक-सभा में प्रश्न उठाते रहेंगे ? क्या इनको रोकने के बारे में आपने कोई कालबद्ध योजना बनाई है ?

अन्तिम प्रश्न यह है कि जो वैगन पैट्रोल ढोती हैं, क्या उनके बारे में कोई ऐसा उपाय करने जा रहे हैं जिससे वह काफी मजबूत हों और पैट्रोल में आग न लग सके और इस क्षति को बचाया जा सके ? ऐसा कोई शोध-कार्य या रिसर्च हो रही है या नहीं ? क्या ऐसे वैगनों को ज्यादा मजबूत करने के लिये कोई कार्यवाही करेंगे जिससे इनके गिरने पर जलने या डिस्ट्राय होने की समस्या न रह सके ? कृपया इसका जवाब दें।

रेल मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि बयान में इस बात का तज़किरा नहीं है कि कुल कितना नुकसान हुआ है। माननीय सदस्य, श्री जैनुल बशर, के प्रश्न के उत्तर में मैंने अभी बताया है कि पर्मानेंट वे में, रेलवे के ट्रेक वग़ैरह को जो नुक्सान हुआ है, वह करीब 5 लाख रुपये का है, वैगन्ज के बारे में 28 लाख रुपये का नुक्सान हुआ है, एच० एस० डी० आयल की कीमत 21 लाख रुपये है, मिसलेनियस नुक्सान 6, 7 हज़ार रुपये का है। इस प्रकार से 54,20,000 रुपये का नुक्सान आंका गया है। एक करोड़ रुपये का नुक्सान नहीं हुआ है, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है।

जहां तक वैगन्ज़ का सवाल है, मैंने पहले बताया है कि जब ये वैगन्ज़ बड़ौदा के नजदीक बाजवा स्टेशन से चले, तो पूरी तरह से उनकी जांच की गई थी और उन्हें भरने से पूर्व भी प्रत्येक वैगन की पूरी तरह से जांच की गई थी और वहां पर ट्रेन को सेफ़ रन के एग्ज़ामिनेशन का सर्टि-फ़िकेट प्राप्त हुआ। उसके बाद यह ट्रेन रवाना हुई। 17-3-82 को यह ट्रेन 18-50 बजे तुग़लका-बाद आई और वहां यह गाड़ी इंजिन बदलने के लिए काफ़ी देर तक रुकी रही। इस समय मेरे पास जानकारी नहीं है कि जब यह ट्रेन लुधियाना के पास लाडोवा में 32 घंटे रुकी रही, जबकि उसकी जांच करने के लिए पर्याप्त समय मिला था, उस समय का फ़ायदा उठाकर उसकी जांच की गई या नहीं। यह भी देखने की बात है।

जैसा कि मैंने शुरू में कहा है, यह ट्रेन बाजवा से तुग़लकाबाद तक 997 किलोमीटर चली और फिर तुगलकाबाद से साइट आफ़ दि एक्सिडेंट तक 560 किलोमीटर तक चली, अर्थात् वह टोटल 1557 किलोमीटर चली। यह बात देखने की है कि जिस स्थान से वह रवाना हुई, वहां से चलने के पश्चात् 1557 किलोमीटर तक के बीच में उसकी कोई जांच-पड़ताल की गई या नहीं। इसकी पूरी रिपोर्ट आने पर मैं माननीय सदस्य को कुछ बता सकूंगा।

जहां तक ट्रेनों में होने वाले एक्सिडेंट्स, राबरीज़ और डैकायटीज़ का प्रश्न है, कुछ इलाके ऐसे हैं, जहां राबरीज़ और डैकायटीज़ भी इन दिनों बढ़ी हैं। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि माननीय सदस्य भी उस ट्रेन में थे, जिसमें इस प्रकार की घटना हुई। इस सम्बन्ध में मैंने तमाम राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखे हैं, जहां इस प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं और हम कार्यवाही करने की कोशिश कर रहे हैं। रेल दुर्घटनाओं को समय-बद्ध तरीके से रोकने का सवाल नहीं है। हम पूरी कोशिश कर

रहे हैं कि ये दुर्घटनाएं न हों और कम से कम हों। इस बात का पूरा प्रयास किया जा रहा है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री राजेश कुमार सिंह ने कहा है कि दुर्घटनाएं आम हो गई हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वे आम नहीं हुई हैं, बल्कि कम हुई हैं और कम हो रही हैं। उनको यह जानना चाहिए।

मैं मंत्री से जानना चाहता हूं कि जब बड़ौदा, जो डाइनामाइट रखे जाने के लिए प्रसिद्ध है, से गाड़ी चलती है तो उस गाड़ी का खास ध्यान रखा जाता है अथवा नहीं; यदि नहीं तो क्यों ? जब धुरी को तेल दिया जाता है तो यह जब तब दिया जाना चाहिए। विशेषकर उस समय जबकि दुर्लभ माल ढोया जा रहा हो उन्हें खूब सावधानी बरतनी चाहिए। मंत्री ने कहा है कि किसी को कोई चोट नहीं आई अथवा किसी की जान नहीं गई है। लेकिन मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं, सम्पत्ति को क्षति पहुंचना, व्यक्ति को चोट लगने से कहीं अधिक गम्भीर मामला है। मनुष्यों की संतति तो बहुत अधिक गति से बढ़ रही है लेकिन तेल तथा अन्य वस्तुओं का उत्पादन दिन-प्रति-दिन घटता जा रहा है; और मैं मंत्री जी से इस बात पर बल देना चाहता हूं कि यह एक बहुत गम्भीर मामला है तथा दुर्लभ माल ढोते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए।

अभी-अभी माननीय सदस्य ने बताया है कि रेलवे बोर्ड के अधिकारी आदेश जारी करते हैं और वे यह नहीं देखते कि वे उन्हें उचित ढंग से जारी कर रहे हैं या नहीं। माननीय सदस्य को यह समझना चाहिए कि वे स्कूल के बच्चे नहीं हैं जो अभी कुछ कहते हैं और दूसरे ही क्षण उसमें चूक कर जाते हैं। वे अनुभवी अधिकारी हैं। निश्चय ही, उन्हें आदेश जारी करने होते हैं। जब आदेश जारी कर दिए जाते हैं तो वे यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका कार्यान्वयन हो। जब कोई बात नियन्त्रण से बाहर हो जाती है तो वे कुछ नहीं कर सकते। यहां मंत्री ने बताया है कि स्टेशन मास्टर, विजयपुर को निलम्बित कर दिया गया है। सबसे पहले उन्होंने ही आग की चिन्गारियां देखीं थीं। उन्होंने चिंगारिया उस समय देखीं जब गाड़ी स्टेशन छोड़ चुकी थी तथा लाल झण्डी दिखाने के लिए उसके पास अवसर नहीं रह गया था। अतः उन्हें दण्ड नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने उचित सावधानी बरती तथा अगले स्टेशन मास्टर को सावधान कर दिया। इतना ही नहीं, वह किसी न किसी वाहन द्वारा अगले स्टेशन पर पहुंचे तथा उस समय तक वहां के स्टेशन मास्टर ने सेना पुलिस की व्यवस्था कर दी थी तथा दमकल गाड़ियां भी वहां पहुंच गईं। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि दमकल ने कितनी दूरी तय की थी और उन्होंने आग को बुझाने के लिए इतना अधिक समय, अर्थात लगभग आठ घंटे क्यों लिए। दमकल की गाड़ियों को आग बुझाने में इतना अधिक समय क्यों लगा ?

मंत्री ने कहा है कि यह तोड़-फोड़ की कार्यवाही नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या किसी की ओर से कोई लापरवाही हुई है ? आखिर वरिष्ठ अधिकारी इंजन और डिब्बों के प्रत्येक पुर्जे को स्वयं तो नहीं देखेंगे। यह कार्य किसी अन्य को करना होगा, और मैं मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं कि रेलवे के तकनीकी तथा अन्य अधिकारी डिब्बे के प्रत्येक पुर्जे की जांच करें, तथा पिछली बार गाड़ी की जांच कब तथा किस स्टेशन पर की गई थी और क्या उस स्टेशन पर किन्हीं खराबियों का पता चला था अथवा नहीं ? मैं ये सभी ब्यौरे जानना चाहता हूं। मैं एक बार फिर यह बता देना चाहता हूं कि स्टेशन

मास्टर बिलकुल भी दोषी नहीं हैं। वास्तव में वह बधाई तथा इनाम पाने का हकदार हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री ने उन्हें निलम्बित क्यों किया।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : दमकल ने अधिक समय नहीं लिया है तथा माननीय सदस्य की धारणा सही नहीं है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : एक घंटा।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : दुर्घटना 6.55 बजे हुई तथा सेना दमकल 7.55 बजे घटनास्थल पर पहुंचा। अतः दमकल ने घटना स्थल पर पहुंचने में मुश्किल से एक घंटा लिया।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : दमकल ने कितनी दूरी तय की थी ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैंने माननीय सदस्य के इन सुझावों को नोट कर लिया है कि बड़ौदा से चलने वाली गाड़ियों, विशेषकर जिनमें विस्फोटक सामग्री होती है, के बारे में उचित सावधानी बरती जानी चाहिए। जहां तक स्टेशन मास्टर का प्रश्न है, जांच पूरी होने तक उन्हें निलम्बित किया गया है, क्योंकि स्टेशन मास्टर से यह आशा की जाती है कि जब ड्राइवर स्टेशन से गुजरता है तो वह गाड़ी के गार्ड तथा ड्राइवर से सिगनल का आदान-प्रदान करे। यह सच है कि उसके लिए ड्राइवर को सिगनल देना सम्भव नहीं था क्योंकि उस समय तक उसने आग को नहीं देखा था। लेकिन जब उसने यह देखा कि कुछ चिंगारियां निकल रही हैं तो उस समय वह गार्ड को सतर्क कर सकता था अथवा उसे लाल झण्डी दिखा सकता था।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : यहीं मैं मंत्री महोदय से सहमत नहीं हूं। यह सम्भव नहीं था।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जांच से यह स्पष्ट हो जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें निलम्बित कर दिया गया है। जांच की जा रही है।

श्री राम विलास पासवान।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, रोज दुर्घटना और आगजनी की जो घटनाएं हो रही हैं वह सभी लोगों के लिए चिन्ता का विषय है। जैसा कि और साथियों ने भी कहा है, इसका कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। रेल मंत्री कहते हैं कि मेरे पास फंड्स नहीं हैं। जब तक उनके पास फंड्स नहीं होंगे तब तक पुराने ट्रैक्स को बदला नहीं जायेगा, पुराने वैगन्स नहीं बदले जायेंगे और पुरानी कोचेज नहीं बदली जायेंगी। पुराने ट्रक, पुराने वैगन्स और पुराने कोचेज जब तक रहेंगे तब तक एक्सीडेन्ट्स भी होते रहेंगे। आम जनता इसके बीच में खड़ी है। रोज आम जनता की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप अपनी लाचारी बतलायेंगे और हम अपने गुस्से का इजहार कर लेंगे। कम से कम आप इतना ही बतलाइये कि आपके पास कितना किलोमीटर ट्रैक ठीक है। आप यह बतला दीजिए कि कितने रेल डिब्बे ठीक हैं, कितने कोचेज ठीक हैं और कितने वैगन्स ठीक हैं ? जो वैगन्स खराब हैं, उनको आप कन्डैम कर दीजिए, आलू के गोदाम में भेज दीजिए, कोल्ड स्टोरेज में भेज दीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि एक आदमी की जिन्दगी की कीमत बहुत है। एक एक्सीडेंट पर आपका करोड़ों रुपया मुआवजे के रूप में खर्च होता है और सम्पत्ति भी बहुत बर्बाद होती है। यदि इसको बचाया जाए तो

काफी नए रेलवे ट्रैक लगवाए जा सकते हैं। इस तरह की घटनायें रोज हो रही हैं। मैं समझता हूं कि आपके पास फण्ड की लाचारी है। आप सरकार में हैं और सरकार की कलैक्टिव जिम्मेदारी होती है और किसी को भी लोगों के जन-जीवन के साथ खेलने का अधिकार नहीं है। कल ही आपने स्टेटमेंट दिया है कि लैवल क्रासिंग एक्सीडेंट में 59 आदमियों की जानें चली गईं। इन स को दूर करने के लिए आप नए सिरे से सोचिए। यह मामला बहुत आगे बढ़ चुका है, इतना दूर तक बढ़ चुका है कि अब लोग अपने आपको कहीं भी सुरक्षित नहीं पा रहे हैं, न रेलवे में, न प्लेन में और न किसी और स्थान पर।

रेलवे देश का सबसे बड़ा उद्योग है आपने पहली बार कबूल किया है कि आपके यहां छः हजार से ज्यादा मील में रेलवे ट्रैक खराब है। जब आपने सारी चीजों को डिटेक्ट कर लिया है, बीमारी को आपने पकड़ लिया है, तो आपको इसको दूर करने के लिए इलाज करना चाहिए। मैं फेजवाइज काम करने में विश्वास नहीं रखता हूं। फेजवाइज में आप क्या करेंगे, जब तक आपको एक्सपीरियेन्स होगा, तब तक आप हटा दिए जायेंगे। फिर दूसरा मंत्री आएगा, वह फिर नए तरीके से काम को करना चाहेगा और वह हटा दिया जाएगा। अभी आपने कहा कि यह मामला मैंने स्टेट के ऊपर छोड़ दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर छोड़ दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री का भाई खुद मारा जाता है, वह आपको क्या बचाएगा और हमको क्या बचाएगा। जिस प्रदेश के मुख्य मंत्री का भाई खुद गोली का शिकार हो जाए (व्यवधान) मैं लॉ एंड आर्डर की बात कर रहा हूं। जब अपने भाई की रक्षा नहीं कर सके···

श्री रामगोपाल रेड्डी : सब उसके भाई हैं। अगर कोई चीफ मिनिस्टर का भाई होता है, तो सबका भाई होता है।

(व्यवधान)

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : उत्तर प्रदेश के लॉ एंड आर्डर की चर्चा करते हैं, तो क्यों कहते हैं कि वहां लॉ एंड आर्डर की स्थिति ठीक है।

(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : मैं लॉ एंड आर्डर की बात कह रहा हूं। जो ट्रेन्स में घटनायें होती हैं, उनको आप मुख्यमंत्री के ऊपर मत छोड़िए। राज्य के ऊपर मत छोड़िए। आप यह बताइए कि आप क्या करने जा रहे हैं और आप अपने दायित्व को निभाने के लिए क्या करने जा रहे हैं, जिससे वह घटना रुक सके। इस बात को आप छोड़िए कि मुख्य मंत्री ने क्या करना है और क्या नहीं करना है। उनके साथ तो आपकी बातचीत चलती रहेगी। रेलवे की सारी जवाबदेही आपके ऊपर है।

आपने ब्रिज का उदाहरण दिया। आपकी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार आगजनी की घटनायें बढ़ रही हैं। 1978-79 में 12 घटनायें घटीं, 1979-80 में आपकी रिपोर्ट के मुताबिक 21 घटनायें घटीं और 1980-81 में बढ़ कर 29 हो गईं, जिनमें से 15 मामलों के अभी तक कारण नहीं पता लग सके हैं कि आग लगने का क्या कारण था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस ब्रिज से गाड़ी गुजर रही थी; उस ब्रिज की लोड-कैपेसिटी क्या थी? जो डिब्बे आपने दिये थे, उसमें

जितने डिब्बे लगाए गए थे, उनका कितना वजन था, कहीं उससे ज्यादा वजन तो नहीं था ? यदि ज्यादा वजन था, तो आपने क्यों उसको आगे बढ़ने के लिए एलाउ किया ? बिहार में बालाघाट की दुर्घटना के बारे में आपको पता है, वहां तीन हजार लोग मारे गए, पूरी की पूरी ट्रेन पानी में चली गई। जिन ब्रिजेज की हालत बहुत कमजोर है, उसका कन्स्ट्रक्शन आपने शुरू कर दिया है। इसको रिपीट करने से क्या होगा, फिर भी घटनायें घटेंगी। मंत्री जी, आपने क्या कभी लेखा-जोखा लिया है कि पूरे देश में ऐसे कितने ब्रिज हैं, जो पुराने हो चुके हैं, जिनकी नए सिरे से कन्स्ट्रक्शन की आवश्यकता है ? क्या उन ब्रिजेज पर भविष्य में आप कोई निगरानी रखने के लिए जा रहे हैं ताकि फिर से ये दुर्घटनायें न घटें और उनकी पुनरावृत्ति न हो ?

1300 (श्री चन्द्रजीत यादव पीठासीन हुए)

अभी हमारे एक साथी ने कहा कि इसमें जलने वाला तेल था, यह ठीक है कि तेल था, लेकिन उसमें आग क्यों लगी ? तेल गिरा, तो गिर जाने से उसमें आग लग जाय यह बात हमारे दिमाग में नहीं आती है। जब यह आर्मी का मामला था और आपको मालूम था कि इसमें तेल जा रहा है तो आपने क्या विशेष सतर्कता बरती···इसका जवाब आपने नहीं दिया ? क्या कोई स्पेशल गार्ड की व्यवस्था थी या आपकी तरफ से कोई स्पेशल सेफटी व्यवस्था की गई थी ?

मैं यह भी जानना चाहूंगा—जो आप के पुराने ट्रैक्स हैं, पुरानी वैगन्ज हैं, पुराने कोचेज हैं, क्या आप उनको फौरन रिमूव करने जा रहे हैं या नहीं ? दूसरे—जो आपके पुराने ब्रिज हैं उनमें कितने ऐसे हैं कि जिनकी निगरानी रखने की आवश्यकता है ? तीसरा सवाल जो मैंने सबसे पहले पूछा था—जहां एक्सीडेन्ट हुआ है उस पुल की लोडिंग कैपेसिटी क्या थी—तथा जो ट्रेन उस पर जा रही थी उसकी कैपेसिटी क्या थी ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : सभापति महोदय, जम्मू-तवी लाइन नवम्बर, 1973 में ही प्रारम्भ हुई है, इसलिये इस लाइन का ट्रैक भी तुलनात्मक नया है और जहां तक इस पुल का ताल्लुक है यह पुल भी नया ही है। इस गाड़ी में 75 बोगियां थीं, यह जानकारी इस वक्त मेरे पास नहीं है कि 75 बोगियां लेने लायक यह पुल है या नहीं है लेकिन जो सूचना मुझे अभी मिली है उसके अनुसार 22.5 टन एक्सेल-लोड ब्राड-गेज मेन-लाइन की कैपेसिटी होती है जो यह ब्रिज लेने लायक था और इन टैंकों का वजन तो इससे भी कम होता है इसलिये वजन की दृष्टि से इसमें कोई खराबी नहीं है।

जहां तक माननीय सदस्य ने पुलों के सम्बन्ध में पूछा है—इस समय 1 लाख 25 हजार पुल हैं जिनमें से तीन हजार डिस्ट्रेस्ड पुल हैं। जो ऐसे डिस्ट्रेस्ड पुल हैं वहां पर गाड़ी की गति धीमी करके नियमबद्ध चलाने के लिए इंस्ट्रक्शन्ज दिये हुए हैं। उनमें लोड्स के बारे में भी इंस्ट्रक्शन्ज हैं। कई पुल ऐसे हैं जहां पुल की वजह से गाड़ी रोक दी गई है।

आप ने फाटक के बारे में प्रश्न पूछा—22 हजार से ऊपर अन-मैन्ड लेवल क्रासिंग्ज हैं और एक लेवल-क्रासिंग को मैण्ड बनाने में इनीशियल एक्सपेण्डिचर डेढ़ लाख रुपये का है, उसके बाद उस पर रेकरिंग एक्सपेण्डिचर होता है। अगर एक साथ 22 हजार फाटकों को मैण्ड किया जाय तो 350 करोड़ रुपयों की आवश्यकता है। इस लिए मैंने जो कल बयान दिया था उसमें मैंने यह स्पष्ट किया

था कि वैसे तो स्पेशल क्लास, ए क्लास, बी क्लास, ये सब मैण्ड हैं और इनकी संख्या 14 हजार है। मैंने आदेश दिया है कि इन 22 हजार का भी सर्वेक्षण किया जाय कि कौन-से लेवल क्रासिंग्ज ऐसे हैं जहां पर हैवी ट्रेफिक है, पैसेन्जर बसेज और दूसरे व्हीकल्ज गुजरते हैं तथा उनका मैनिंग एक फ्रेंसेड-प्रोग्राम के अन्तर्गत लिया जाय। यह सम्भव नहीं है कि एक साल में इतनी बड़ी रकम को खर्च करके सबको मैण्ड कर दिया जाय। पहले प्रोग्राम था कि उनको नहीं लेना है, लेकिन अब लेने का निश्चय किया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण निश्चय यह किया गया है कि जो लेवल-क्रासिंग्ज केबिन्ज के पास हैं उन पर लिफ्ट-गेट्स लगाये जांय और जिनको आपरेट करने के लिए कैबिन में ही व्यवस्था की जाय। ये आदेश तुरन्त दे दिये गये हैं कि ऐसे कौन-कौन से फाटक हैं जो केबिन के पास हैं और वहां उम्मीद है शीघ्र काम शुरू हो जायेगा।

जहां तक पुरानी वैगन्ज का सवाल है—इस समय साढ़े चार लाख वैगन्ज हैं। इनमें से जो डिस्कार्ड की जा रही हैं उनकी संख्या बढ़ाई गई है। माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है उसके लिए मैं उनका आभारी हूं और जैसा मैंने कहा है कि हम 12 हजार गतवर्ष और 18 हजार इस वर्ष डिस्कार्ड कर रहे हैं और छठी पंचवर्षीय योजना में 1 लाख वैगन लेने का प्रावधान है। इस तरह से हम लोग पुराने वैगनों को रिप्लैस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

जहां तक कोचेज का सवाल है, जो पुरानी कोचेज हैं, उनको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं और इस साल 1200 नई कोचेज लेने का प्रावधान किया गया है, वैसे तो कमी 1700 कोचेज की है और जो ट्रैक रिन्युअल की बात है, उसके लिए हमारे पास जितने फंड्स हैं, उनके हिसाब से काम कर रहे हैं लेकिन जैसा मैंने पहले निवेदन किया था, हमने प्लानिंग कमीशन से ट्रैक रिन्यूअल के लिए और पैसे की मांग की है। इस प्रकार हर संभव कदम रख-रखाव और बदलाव के लिए उठाया जा रहा है और इन सब प्रश्नों को ध्यान में रखा जा रहा है।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) स्टेनलैस स्टील के आयात में कथित कदाचार जिसके परिणामस्वरूप सीमाशुल्क आदि की हानि]

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : मैंने स्टेनलैस स्टील के एंगल व सर्कल इत्यादि के आयात से जो करों की चोरी हो रही है, इस मामले को 22 दिसम्बर, 1981 को लोक सभा में उठाया था किन्तु सरकार ने आज तक क्या ठोस कदम उठाए हैं, इसकी जानकारी मुझे नहीं कराई गई। अभी भी सैंकड़ों करोड़ों रुपयों की करों की चोरी हो रही है। अब भी 7000 टन स्टेनलैस स्टील के एंगल बम्बई बन्दरगाह पर आए हुए हैं, जिससे कम से कम तीस करोड़ रुपये के कस्टम की चोरी होगी। इस तरह से न सिर्फ विदेशी मुद्रा का ही देश को नुकसान है बल्कि सैलम स्टील प्लांट, एलाय स्टील प्लांट, दुर्गापुर तथा देश की दूसरी स्टेनलैस स्टील बनाने वाली इकाइयों का भविष्य दुलमुल हो रहा है। मैं चाहूंगा कि सरकार निम्नलिखित कदम अविलम्ब उठाए।

(1) कस्टम टैरिफ एक्ट, 1975 की धारा 73.15 (2) में निम्नलिखित आइटम जोड़े जाएं :

स्टेनलैस स्टील के इंगोट, बलूम, बिलैट, सलैब, सीब बार, फ्लैट्स, स्क्वैयर्स, हैक्सागन, आक्टागंज, एंगल्स, चैनल्स, वाइड बीम, जोइस्ट, टी, सर्कल, कोल्ड रोल्ड या कोल्ड फिनिश या कोल्ड एक्सट्यूडीड हो ताकि इन पर 220 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी लगे जो कि अभी सिर्फ 60 प्रतिशत लगती है ।

(2) आयात नीति के अपेंडिक्स 8, आइटम नं० 65 में निम्नलिखित जोड़े जायें :

संगल, चैनल, बीम, जोइस्ट, टी, सर्कल और अन्य शेप व सेक्शन जो होट रोल्ड या कोल्ड रोल्ड, कोल्ड फोर्म्ड, फिलिसड या कोल्ड एक्सटयूडीड हो ।

3. आयात नीति की अपेंडिक्स 5 के आइटम नं० 534 'स्टेनलैस स्टील फीटिंग' को खत्म कर देना चाहिए ।

4. ऐसे आयातकों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं तथा जो माल आयात हो चुका हो, उसे सीज किया जाए ।

मैं चाहता हूं कि सरकार उपरोक्त तथ्यों पर गंभीरता से विचार करे तथा अविलम्ब ठोस कदम उठाए, जिससे राष्ट्र को हो रहे नुकसान से बचाया जा सके ।

(दो) राजस्थान में मन्दिरों तथा अन्य ऐतिहासिक स्मारकों की उचित देखभाल की आवश्यकता

श्री भोखाभाई (बांसवाड़ा) : राजस्थान में चित्तौड़गढ़ किला, भरतपुर किला, रणथम्भौर किला, तथा कई अन्य मन्दिर तथा ऐतिहासिक स्मारक हैं जिनका उचित ढंग से रख-रखाव बिल्कुल नहीं किया जा रहा है । उनकी दीवारें गिर रही हैं । यहां तक कि भरतपुर की सुजान-गंगा नहर में उग आई जंगली घास को भी साफ नहीं किया जा रहा है । इन सभी स्मारकों का उचित रख-रखाव करने की जरूरत है ।

इसी प्रकार, राजस्थान में काफी प्रसिद्ध मन्दिरों की भी देखभाल बिल्कुल नहीं की जा रही है । इस सम्बन्ध में, निम्नलिखित कुछेक मन्दिरों की ओर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है :

(1) देव सोमनाथ मन्दिर, डूंगरपुर ।

(2) डूंगरपुर में माही और सोम नदियों के संगम स्थान पर स्थित बंश्वर मन्दिर ।

(3) बन्स्वाह में ओंपूरा मन्दिरों के खण्डहर ।

(4) चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध काली मन्दिर, आदि, आदि ।

वास्तव में, इन मन्दिरों के रख-रखाव के लिए एक बहुत विशाल कार्य की जरूरत है । वर्तमान प्रशासन तन्त्र इस कार्य के लिए पर्याप्त नहीं है । इस सम्बन्ध में वर्तमान विधान भी पर्याप्त और प्रभावी नहीं है ।

अतः मेरी मांग है कि इस मामले की विस्तृत जांच की जाए तथा शिक्षा मंत्री वक्तव्य दें ।

(तीन) हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में गति लाने की आवश्यकता

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : महोदय, गांवों में बिजली पहुंचाने की प्रक्रिया को हिमाचल प्रदेश में सामान्यतया तथा हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, और कांगड़ा में विशेष रूप से गम्भीर धक्का पहुंचा है। इसका कारण यह है कि हिमाचल प्रदेश के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा मंजूर की गई स्कीमों को हाल ही में, विद्युतीकरण की मजदूरी सहित उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाने के कारण, बन्द कर दिया गया है तथा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः इन स्कीमों के अधीन जिन अनेक गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था वहां बिजली नहीं पहुंच सकी है। ऐसा विशेषकर हमीरपुर जिले के नादौन तथा सुजानपुर ब्लाकों, ऊना जिले के धुन्धला ब्लाक तथा कांगड़ा जिले के देहरा ब्लाक के मामले में हुआ हैं जहां ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य पूर्णतः रुक गया है।

इसके फल-स्वरूप, इन उपेक्षित गांवों में अत्यधिक कुंठा व्याप्त है। तथा उन्हें बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इनमें वे हरिजन बस्तियां भी शामिल हैं। ये गांव यह आशा करते थे कि बिजली जल्द ही लग जायेगी। अतः ऐसे ब्लाकों में जहां ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्कीमें बन्द कर दी गई हैं अथवा लगभग बन्द की जाने वाली हैं, उनके अन्तर्गत आने वाले सभी गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए नई स्कीमों को तत्काल मंजूरी देना जरूरी है। यह तभी किया जा सकता है यदि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम इन स्कीमों को मंजूरी देने में उच्चतम प्राथमिकता दे तथा साथ ही इस प्रयोजन के लिए हिमाचल प्रदेश के राज्य बिजली बोर्ड को उदारता से वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था करे।

अतः मैं भारत सरकार से विशेषकर ऊर्जा मंत्रालय तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से जोरदार अनुरोध करता हूं कि वे इस दिशा में तत्काल कदम उठाएं ताकि ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य एकदम रुक न जाये।

(चार) राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण में कथित अकुशलता

श्री कृष्ण प्रताप सिंह (महाराजगंज) : देश के राष्ट्रीयकृत बैंकों का मुख्य उद्देश्य पूरा होता इस समय दिखायी नहीं दे रहा है। आज भी बैंक अपने पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं, चाहे वह ऋण वितरण का क्षेत्र अथवा बीस सूत्री कार्यक्रम के परिचालन का प्रश्न हो। उनका वही पुराना दृष्टिकोण चल रहा है। भारत सरकार के नियमों का उल्लंघन होता है। इसके दो ज्वलंत उदाहरण देना चाहता हूं।

(1) ऋण वितरण के क्षेत्र में जैसे बिहार राज्य में बैंकों की कुल जमा धनराशि 1840 करोड़ रुपये है। उसमें लिक्विडिटि अनुपात के अनुसार 43 प्रतिशत छोड़ कर 1000 करोड़ का ऋण वितरण राज्य के विकास तथा 20 सूत्री कार्यक्रम की सफलता के लिए होना चाहिये था परन्तु बड़े खेद का विषय है कि केवल 713 करोड़ रुपये की कुल धनराशि वितरित हुई और 250 करोड़ रुपये का उसमें अन्तर है।

(2) अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की सेवा शर्तों और पदोन्नति के नियमों का सरासर उल्लंघन। यहां अपने प्रबन्धकों की पदोन्नति में हाल ही में अनियमितता बरती गयी है। इस सम्बन्ध में प्रभावित अधिकारियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की हुई है। सरकार से आग्रह है कि इन विषयों पर जांच कर वक्तव्य दे।

(पांच) भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड के दो प्रस्तावित एककों में से एक को पश्चिम बंगाल में तुरन्त स्थापित करने की माँग

श्री नीरेन घोष (डमडम) : महोदय, भारत भारी बिजली के दो प्रस्तावित यूनिटों में से एक यूनिट कलकत्ता में साल्ट लेक सिटी में स्थापित करने के लिए भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु मुख्यमंत्री ने 2 जून, 1981 के अपने अर्ध-सरकारी पत्र में प्रधान मंत्री से अनुरोध किया था।

सभापति महोदय : आपने मुख्यमंत्री का उल्लेख नहीं किया है। आपने यह नहीं बताया है कि किस मुख्यमंत्री ने।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : उनके लिए केवल एक ही मुख्यमंत्री है।

श्री नीरेन घोष : यह कलकत्ता शहर के बारे में है। इसका अभिप्राय है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री।

उन्होंने प्रधान मंत्री को यह भी सूचित किया कि साल्ट लेक सिटी में लगभग 100 एकड़ भूमि इस प्रस्तावित परियोजना के लिए आरक्षित है।

बाद में, मुख्यमंत्री ने इस मामले पर 23 जुलाई को प्रधान मंत्री से चर्चा की थी और तत्पश्चात् 3 अगस्त, 1981 को प्रधान मंत्री को एक और अर्ध-सरकारी पत्र भेजा था।

समझा जाता है कि रक्षा मंत्रालय ने यह टिप्पण प्रस्तुत किया है जिसमें यह कहा है कि क्योंकि पश्चिम बंगाल एक सीमावर्ती राज्य है अतः रक्षा मंत्रालय के अधीन एक इलैक्ट्रानिक्स काम्पलेक्स स्थापित करने के लिए वह स्थान सुरक्षित नहीं है।

मुख्यमंत्री ने प्रधान मंत्री जी को सम्बोधित अपने दिनांक 3 अगस्त, 1981 के पत्र में यह कहा था कि यदि रक्षा मंत्रालय की दलील को स्वीकार कर लिया जाता है, तो सही मानों में औद्योगिकीय-रूप न केवल पश्चिमी बंगाल में बल्कि पूर्वी क्षेत्र के अन्य राज्यों में भी संभव नहीं होगा क्योंकि अत्याधुनिक किस्म के आयुधों तथा युद्ध सामग्री के इन दिनों में भारत में ऐसा कोई स्थान नहीं है जो हमारे पड़ोसी देशों के साथ युद्ध की स्थिति में उनकी पहुंच से परे होगा।

मैं मांग करता हूं कि पश्चिमी बंगाल में भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का एक एकक शीघ्र स्थापित किया जाए।

(छः) भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों के समान अशोक होटल के तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के चिकित्सा व्यय की पूरी प्रतिपूर्ति करने की आवश्यकता

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : मैं सरकार का ध्यान इस बेइंसाफी की तरफ दिलाना चाहता हूं जो अशोका होटल के तीसरे और चौथे दर्जे के मुलाजमीन के साथ हो रही है। अशोका

होटल, आई० टी० डी० सी० के लिए रुपया पैदा करने वाला सबसे बड़ा जरिया है, मगर अशोका होटल के मुलाजमीन को बीमारी और दवाइयों का सिर्फ 25 रुपया एक और एक्सरे का 12 रुपया एक वक्त में मिलता है, जबकि आई० टी० डी० सी० के मुलाजमीन को अपने इलाज का मुकम्मल खर्च मिलता है। सन् 1972 में अशोका होटल के मुलाजमीन और मैनेजमेंट में एक समझौते के तहत यह 25 रुपया और एक्सरे के 12 रुपए तय हुए थे, मगर इस बात को 10 साल गुजर गए और इस दरमियान में महंगाई तीन और चार गुना बढ़ गई। और ये 25 रुपए 1982 के हिसाब से 5 और 6 रुपये की कीमत के बराबर रह गए हैं। अशोका होटल के इन मुलाजमीन के साथ यह ज्यादती है। मेरी हुकूमत के साथ दरख्वास्त है कि वह अशोका होटल के इन मुलाजमीन को भी आई० टी० डी० सी० के मुलाजमीन की तरह इलाज का मुकम्मल खर्च दे ताकि यह बेइंसाफी खत्म हो।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री

(श्री पी० वेंकट सुब्बया) : महोदय, क्या मैं एक अर्ज कर सकता हूं ? मैं अध्यक्ष महोदय द्वारा दिए गए निर्णय पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय ने नियम 377 के अन्तर्गत श्री नीरेन घोष द्वारा पढ़े जाने के लिए एक मामले को अनुमति दे दी है। यह मामला एक राज्य के मुख्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री जी के बीच हुए पत्र व्यवहार से सम्बन्धित है। अध्यक्ष महोदय के निर्णय पर आपत्ति किए बिना मैं आपकी जानकारी में केवल यह बात लाना चाहूंगा कि क्या इसे नियम 377 के अन्तर्गत मामला माना जा सकता है ?

सभापति महोदय : अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से अनुमति दी गई है। अध्यक्ष महोदय द्वारा वक्तव्य का अनुमोदन किया गया था। लेकिन क्योंकि माननीय मंत्री जी के द्वारा इसे हमारी जानकारी में लाया गया है, हम इसकी जांच करेंगे।

(सात) सारे देश में घुड़दौड़ पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता

श्री कमलनाथ (छिन्दवाड़ा) : महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत लोक महत्व के महत्वपूर्ण विषय—घुड़दौड़ के सम्बन्ध में दांव लगाने पर प्रतिबन्ध के बारे में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह एक राष्ट्रीय चिन्ता का विषय है कि प्रत्येक वर्ष घुड़दौड़ में लगने वाले दांवों में वृद्धि होती जा रही है और घुड़दौड़ों के रूप में कानूनी जुआ काले धन को बदलने के लिए तेजी से देश के सबसे बड़े कैश काउन्टर में बदलता जा रहा है। यह भली प्रकार ज्ञात है कि इस देश के लगभग प्रत्येक महानगर में मटका, सट्टा तथा अन्य गैर कानूनी दांव लगाने के खेल चल रहे हैं। पुलिस इन अड्डों पर समय-समय पर छापे मारती रहती है और फलस्वरूप, इन गतिविधियों पर प्रतिबन्ध रहता है। दण्ड विधान द्वारा इन खेलों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है क्योंकि ये आवश्यक भाग्य के खेल हैं न कि कौशल के। लेकिन मेरा तर्क है कि घुड़दौड़, जिस रूप में कि यह आज चल रही है, कौशल की बजाय भाग्य का खेल है और इस प्रकार, जिस प्रकार मटका, सट्टा इत्यादि पर प्रतिबन्ध लगा है, वह इस पर भी लागू होना चाहिए।

जैसा कि सभी जानते हैं, इस देश में अधिकांश उत्कृष्ट दौड़ों में, जिनमें भारी-भरकम दांव

लगाये जाते हैं, अच्छी नसल के घोड़ों द्वारा भाग लिया जाता है अर्थात ये घोड़े कुछ गिनी-चुनी जातियों के होते हैं। अतएव उनकी गति तथा शारीरिक बल के अनुसार घोड़े न्यूनाधिक एक ही रफ्तार के होते हैं और उनकी हार-जीत की न्यूनाधिक एक-सी संभावना होती है। अब अलग-अलग जैकी की कुशलता तथा पशुओं की आयु का अन्तर भी देश में सभी घुड़दौड़ ट्रैकों में मौजूद दोषों की एक व्यवस्थित प्रणाली से समाप्त हो जाते हैं। इसलिए, मुश्किल से ही ऐसी कोई चीज बाकी रहती है जो घोड़ों की ब्रीडिंग, उनके रख-रखाव अथवा उन्हें दौड़ाने में किसी विशेष कौशल द्वारा की जा सकती हो।

महोदय, मेरा यह दृढ़ मत है कि घुड़दौड़ बिल्कुल जुए का खेल है और प्रत्येक वर्ष इसके द्वारा मध्य वर्ग के हजारों परिवारों की तबाही हो रही है। अमीर व्यक्तियों के लिए दांव लगाने का यह कानून सम्मत तरीका काले धन को सफेद में बदलने के लिए एक सुरक्षित उपाय है। पिछले वर्ष घुड़दौड़ के लिए तैयार किए गए मार्गों (ट्रैकों) के कैश काऊंटरों पर लगभग 18 करोड़ रु० का लेन-देन रिकार्ड किया गया। हम बड़ी आसानी से यह हिसाब लगा सकते हैं कि ट्रैकों के अन्दर तथा बाहर प्रतिवर्ष दांव पर लगाई गई धन राशि की कुल मात्रा 25 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होती है। इसलिए मेरी दलील है कि पूरे देश में घुड़दौड़ को बन्द किया जाना चाहिए और किसी भी प्रकार की गुप्त दौड़ को रोकने के लिए एक उपयुक्त कानून बनाया जाना चाहिए।

यह सच है कि इन दौड़ों से राज्य सरकारों को राजस्व की प्राप्ति होती है और घुड़दौड़ क्लब ट्रैकों तथा अस्तबलों में काफी संख्या में लोगों को रोजगार देते हैं। वास्तव में, देश में घुड़-दौड़ के शक्तिशाली पक्षधरों द्वारा समय-समय पर इन तर्कों का प्रयोग किया जाता रहा है। इन लोगों में भड़कीले (ग्लैमर) तथा साधनसम्पन्न लोग, जिनमें फिल्मी हस्तियां शामिल हैं, तथा देशी अंग्रेजों का तबका आता है। प्रायः ये तर्क दिए जाते रहे हैं कि घुड़दौड़ एक पुराना तथा मनोरंजन का खेल है। लेकिन घुड़सवारी के अन्य खेल भी मौजूद हैं जैसे पोलो। क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि कितने लोग पोलो मैच देखने जाते हैं? बहुत कम। क्यों?

क्योंकि पोलो का खेल हुनर का खेल है न कि भाग्य का, क्योंकि पोलो मैच का कैश रजिस्टर खाली पड़ा रहता है, क्योंकि जीती हुई टिकट को काले धन में दुगुनी धनराशि से बदलने की कोई सम्भावना नहीं है, क्योंकि पोलो मैच में अंतिम परिणाम निर्धारित करने वाले बुक मैकर्स का जाल नहीं होता।

जहां तक घुड़दौड़ पर प्रतिबन्ध लगाने के बाद रोजगार और राजस्व की हानि के मुआवजे का सम्बन्ध है मेरा यह सुझाव है कि देश के बड़े शहरों में घुड़दौड़ के लिए बेकार किए जाने वाले भारी संख्या में रोलिंग ट्रैकों को आंशिक रूप से पार्कों और आंशिक रूप में खेल काम्पलैक्सों में बदला जा सकता है। दौड़ सम्बन्धित कर्मचारियों को खेल काम्पलैक्सो के लिए कर्मचारियों के रूप में खपाया जा सकता है और वहां बैठने की जगह और मैदान को अन्य खेलों के लिये प्रयोग में लाया जा सकता है जिनके लिए द्वार पर की गई बिक्री से राज्य सरकार के लिए काफी राजस्व प्राप्त हो जाएगा। पार्कों में पेड़ लगाकर उनसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में फेफड़े का काम लेकर

उनमें नवजीवन का संचार किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर बम्बई जैसे शहर में जहां भूमि का अत्यन्त अभाव है, इतनी लम्बी-चौड़ी जगह को बेकार करने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि महालक्ष्मी रेस कोर्स एक बड़े मौके की जगह पर स्थित है। शहर के पारिस्थितिक संतुलन को खराब किए बिना उनके दिल-फेफड़ा अनुपात को, जैसा कि नगर की योजना बनाने वाले कहते हैं, हमें घुड़दौड़ रूपी इस जुए पर इस कदर फजूल खर्ची को रोकने का कोई रास्ता निकालना चाहिए। घुड़दौड़ पर प्रतिबन्ध लगाने से गरीब तथा मध्यम वर्ग की घरेलू महिलाओं, जिनके परिवार कई वर्षों से इस खेल के नाम पर तबाह हो गए हैं, से दुआएं मिलेंगी। घोड़ा एक भला पशु है, लेकिन घुड़दौड़ एक भला खेल नहीं है, इसे अवश्य रोका जाना चाहिए।

सामान्य बजट—अनुदानों की मांगें, 1982-83

गृहमंत्रालय (जारी)

सभापति महोदय : अब हम गृह मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर आगे बहस करते हैं।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां (एटा) : मान्यवर, होम मिनिस्ट्री की ग्रांट्स पर डिसकशन में हिस्सा लेते हुए अगर मैं अपने प्रान्त की दो अफसोसनाक घटनाओं देवली और साढूपुर का जिक्र न करूं तो बड़ी कमी रह जाएगी। इसमें शक नहीं कि ये बड़ी दुखद और तकलीफदेह घटनाएं घटी हैं। देवली में तकरीबन 28 हरिजनों का कत्लेआम किया गया और साढूपुर में ग्यारह का। मैं मुख्य मंत्री को बधाई देता हूं जिन्होंने यह कसम खाई थी कि एक महीने के अन्दर-अन्दर तो मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उनकी वह कसम पूरी हुई। इनमें से कुछ तो पुलिस के साथ मुकाबले में मारे गए और बाकी सभी को—राधे, संतोषा वगैरह को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जिस तरीके से सियासी पार्टियां ऐसे अफसोसनाक वाकयात को सियासी अखाड़ा बनाने की कोशिश करती हैं उससे मुझे बड़ी तकलीफ और दुख होता है। इन वाकायत को लेकर पद यात्रायें की गईं। चाहे वे मेरी पार्टी की तरफ से की गई हो या उधर से···

एक माननीय सदस्य : नहीं करनी चाहिये थी ?

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : जिस घटना में 24 ठाकुर मारे गए वहां पद यात्रा क्यों नहीं की गई ? क्या सरकार के ऊपर जान-माल की हिफाजत की जिम्मेदारी एक वर्ग के लिए ही है, दूसरे वर्ग के लिए नहीं है ? क्या जमुनापुर के अन्दर जब ब्राह्मण मारे गये तो वहां पद यात्रा क्यों नहीं की ? जब जैथरे में ठाकुर मारे गये तो पद यात्रा क्यों नहीं की ? क्या आपकी नजर में इन्सान इन्सान बराबर नहीं हैं ? कमजोर वह है जिसकी जान ली जाती है चाहे वह किसी जाति का हो। मैं जानना चाहता हूं कि जनता पार्टी के जमाने में 3 साल के अन्दर जो एक हजार आदमी कम्यूनल राइट्स में मारे गये, 8 हजार जख्मी हुए, 85 हजार घर बरबाद हुए, कितने ऐसे वाकयात के दौरान पद यात्राएं हुईं ? एक नहीं। जब आपकी सरकार थी तो 8 हरिजन फतेहपुर थाना हसन-

गंज में लोहारी गांव में डकैतों ने कत्ल कर दिये। आपने कितनी पद यात्रा उस वक्त की? इटावा में यादवपुर गांव में 3 बच्चों समेत 14 आदमियों को कत्ल कर दिया, कितनी पद यात्रा की ? बागपत में तो मैं स्वयं भुक्तभोगी हूं। जब 1977 में अपने कैम्पेन के लिए गया था तो इतना पथराव हुआ कि आज भी हड्डियां दुखती हैं, इतनी ईंटें मेरे ऊपर पड़ीं और मेरी ऐम्बेसेडर गाड़ी खत्म कर दी गई। जो आज डेमोक्रेसी की बात करते हैं मैं उन्हीं के जमाने की बात बता रहा हूं। मुझको यह इजाजत नहीं दी गई कि मैं कैम्पेनिंग कर सकूं। कम से कम 500 आदमियों ने घेर कर मेरे ऊपर और मेरे साथियों पर हजारों ईंटें बरसा दीं और मुझ को ईंटें मार कर नीचे गिरा दिया और मेरी गाड़ी को तबाह और बरबाद कर दिया। आज वहां बैठकर आप डेमोक्रेसी की हत्या की बात करते हैं।

जहां तक एट्रासिटीज का सवाल है, जब श्री बनारसी दास मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया जो "पायनियर" अखबार में छपा है : मैं उसे उद्धृत कर रहा हूं :

> "मुख्यमंत्री, श्री बनारसी दास ने हाल ही में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनावों के दौरान कथित अत्याचार में मारे गए हरिजनों के परिवारों में से प्रत्येक परिवार को 5,000 रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है।"

महोदय मैं पुनः उद्धृत कर रहा हूं :

> "मुख्यमंत्री महोदय ने यहां इस सायं को संवाददाताओं को बताया कि वे ऐसे किसी शासन के बारे में नहीं जानते जिसमें अत्याचार न हुए हों लेकिन, आजकल, यहां तक कि धन सम्बन्धी, पानी तथा भूमि सम्बन्धी साधारण विवादों को राजनीतिक रंग दिया जाता है।"

यह बात आपके चीफ मिनिस्टर ने कही। आज बड़े दुख का मौका है कि हमारे मुख्यमंत्री के भाई और उनके भतीजे को डाकुओं ने मार दिया है। आज समय है कि उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया जाय। उनकी मौत को हम सियासी अखाड़ा बनायें इससे ज्यादा बुरी और अफसोसनाक बात और कोई नहीं हो सकती। ला ऐंड आर्डर की बात उत्तर प्रदेश के बारे में की जाती है, मैं तो बधाई देता हूं वहां के मुख्यमंत्री को कि ला ऐंड आर्डर को कंट्रोल करने की कोशिश ने उनके भाई की जान ली। सभापति जी, आप भी उत्तर प्रदेश के हैं, आप जानते हैं हाई कोर्ट का जज नहीं मारा गया, बल्कि मुख्य मंत्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के भाई और भतीजे को मारा गया। मुख्य मंत्री ने डाकुओं के खिलाफ जो मजबूत कदम उठाये उसके बदले की भावना से ऐसा हुआ है। आप कमीशन बैठायें, यही बात निकलेगी। इसीलिए उनके भाई और भतीजे को मारा गया एक प्लान्ड वे में। हाई कोर्ट के जज को नहीं मारा गया, बल्कि मुख्य मंत्री के भाई और भतीजे को मारा गया है। और उसका कारण है कि इस एक साल के अन्दर मुख्य मंत्री ने डकैतों के खिलाफ जारी कैम्पेन में 22 डकैत गैंगों को खत्म कर दिया।

22 रजिस्टर्ड गैंग थे जिन पर इनाम था। छविराम जिसमें मारा गया, उसमें एक लाख का इनाम था। मेरी कांस्टीटुएन्सी का महावीर मारा गया जिस पर बहुत बड़ा इनाम था। मैं पुलिस को बधाई देना चाहूंगा कि जिन्होंने बड़ी जवां मर्दी से इनका मुकाबला किया है और उत्तरप्रदेश में ला

एंड आर्डर को संभालने के लिये पूरा प्रयास किया है।

यह बड़े जोर से कहा गया है कि फर्जी एन-काउन्टर किये गए। 116 पुलिस आफिसर उत्तर-प्रदेश में इन एन-काउन्टरों में मारे गए। क्या अपने आप उन्होंने गोली मार ली? अगर फर्जी एन-काउन्टर करते तो 116 पुलिस आफिसर कैसे मारे जाते? छविराम जब मारा गया तो मेरी कांस्टीटुएन्सी के कृष्णपाल पांडे ने अपनी जान की आहुति दे दी और वह मुकाबले में मारा गया। बजाय इसके कि तारीफ की जाये ये उसको फर्जी एन-काउन्टर कहते हैं। जो एपरीशियेट करने की बात है, उसको कम-से-कम तसलीम किया जाना चाहिए।

श्री डी० पी० यादव (मुंगेर) : छविराम ने आपको वोट दिया था या नहीं?

सभापति महोदय : वह सीक्रेट होता है।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : यह बात नहीं कि किस ने वोट दिया, किस ने नहीं दिया। वह किसी का वोटर था ही। आज जनतंत्र में हरेक को अधिकार है वोट देने का।

इस कम्पेन में 116 पुलिस अफसरों ने अपनी जान की आहुति दे दी। पुलिस वालों ने हिम्मत की है अपनी जानें देने की, वरना इस तरह से कोई जान नहीं देता है कि अपने बच्चों को बेसहारा छोड़ जाये और अपने आप आग में कूद जाये। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह बड़ा भारी काम किया है। जो पुलिस आफिसर इन एन-काउन्टरों में मारे गए हैं, उनको जो तनख्वाहें मिलती हैं, मैं चाहूंगा कि दूसरी सूबे की सरकारें भी इस तरफ ध्यान दें, मैं इसलिए कोट कर रहा हूं, बता रहा हूं कि उनको जो मरते वक्त तनख्वाह मिलती थी, वही उनके रिटायर होने के टाइम तक मिलती रहेगी इससे पुलिस वालों को हिम्मत मिलेगी और ला एंड आर्डर की पोजीशन में इम्प्रूवमैंट होगा।

मैंने बताया है कि 16 गैंग मारे गये हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने बोल्ड स्टैप लिया है। आज तक हिन्दुस्तान के अन्दर कभी पुलिस के खिलाफ मर्डर के मुकदमे कायम नहीं हुए हैं, लेकिन उत्तर-प्रदेश में 4 सब-इन्सपैक्टरों के खिलाफ 302 के मुकदमे कायम किये गए हैं। 14 के खिलाफ जांच हो रही है और इन्क्वायरी हो रही है। मुख्यमंत्री ने बहुत साफ अल्फाज में कहा है, आप अखबारों में भी पढ़ते होंगे कि जिनके खिलाफ इस किस्म की कंप्लैंट होगी कि उन्होंने फर्जी मारा है, उनके खिलाफ साबित हो गया तो उन पर 302 का मुकदमा चलाया जायेगा। 14 की जांच हो रही है और 4 सब-इन्सपैक्टरों के खिलाफ 302 के मुकदमे कायम किए गए हैं। आज तक हिन्दुस्तान में इस किस्म की मिसाल नहीं है।

मैं अर्ज कर रहा था कि आज इसकी वजह क्या है? जो पुलिस अफसर इस तरह मारा जायेगा उसको उस समय जितनी तनख्वाह मिल रही होगी, जब तक उसका पैंशन का टाइम पूरा नहीं हो जाता, उसकी फैमिली को उसकी पूरी तनख्वाह दी जाएगी और जब उसका रिटायरमैंट का टाइम पूरा होगा तो जितनी उसकी पैंशन उसको मिलती, उतनी पैंशन उसकी बीवी को मिलती रहेगी। इसके अलावा हर सिपाही को 30,000 और इन्सपेक्टर व सब-इन्सपेक्टर को 40,000 और हर गजेटेड आफिसर को 50,000 रुपये नकद मिलेगा।

कृष्णपाल पांडे जो छविराम केस में मारा गया है, उसको तो एक लाख रुपया नकद मिला

है। पुलिस फोर्स की तरफ से, स्टेट के एम० एल० ए० और मिनिस्टरों ने दिया है और 30,000 सरकार की तरफ से दिया गया है। अगर उसका कोई लड़का बालिग है और क्वालिफिकेशन्स पूरी करता है तो उसको बगैर किसी इम्तहान के सब-इन्सपेक्टर बना दिया जाएगा। अगर लारी का परमिट उसकी बीवी चाहती है तो वह भी दिया जायेगा। जो मुमकिन फैसिलिटीज हो सकती हैं दी जायेंगी। इससे पुलिस वालों को एहसास होता है कि ड्यूटी पूरी करते हुए अगर मारा भी गया तो पीछे जो अपने परिवार को छोड़कर जा रहा है, उसकी चिन्ता नहीं रहती है। उसकी चिन्ता खत्म हो जाती है और अपनी जान को हमारे सूबे के लोगों की हिफाजत के लिए झोंकना उसने शुरू कर दिया है।

जहां तक ला एण्ड आर्डर का ताल्लुक है, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं, तो हमारे यहां एक साल में टोटल 1,89,963 केसिज रजिस्टर हुए। 11 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की। इस तरह एक लाख पर 171 केसिज रजिस्टर हुए। हरिजनों की आबादी हमारे प्रदेश में 2 करोड़ की है। उनके मुताल्लिक 4,580 केसिज एक साल में रजिस्टर हुए, जिनमें से 715 ऐसे केसिज थे, जो आपसी झगड़े के थे। हरिजनों के मुताल्लिक केसिज एक लाख पर 20 रजिस्टर हुए, जबकि जनरल लोगों में एक लाख पर 171 केसिज रजिस्टर हुए। हमारी सरकार के जमाने में हरिजनों के खिलाफ हुए वाकयात के 4,580 केसिज रजिस्टर हुए, जबकि उन लोगों की सरकार के जमाने में 1978-79 में 5,057 केसिज रजिस्टर हुए। तो फिर ला एण्ड आर्डर हमारे जमाने में ठीक है या उन लोगों के जमाने में ठीक था ? मैं सरकारी रिपोर्ट से कोट करता हूं :

गृह मंत्रालय के पास उपलब्ध अधुनातन आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 1978-79 के दौरान गैर-अनुसूचित जाति वाले व्यक्तियों द्वारा किए गए अत्याचार के कुल 12525 मामलों, जिनमें अनुसूचित जाति के लोगों की बलि दी गई थी, में अकेले उत्तर प्रदेश में हो 5057 मामले हुए।

बड़ा शोर है कि उत्तर प्रदेश में ला एण्ड आर्डर नहीं है, वहां की सरकार को बदल दो। और भी काम हैं, जो हमारे दोस्तों को करने चाहिए। आज एक साहब वाक आउट कर गए कि ठेलों की हड़ताल हो रही है ; उन्हें यह भी खबर नहीं है कि ठेलों की हड़ताल खत्म हो गई है।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : वह सरकारी नौकरों की हड़ताल पर वाक आउट कर के गए हैं। मैं माननीय संदस्य को सुधार रहा हूं।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : वह तो रिकार्ड पर है। आपने अच्छी बात कह दी। हमारे साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने जरा-सा इनजस्टिस किया है। मैं होम मिनिस्टर साहब की तवज्जुह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि जब सातवां फिनांश कमीशन मुकर्रर हुआ, तो पुलिस के लिए मकानों का नेशनल ऐवेरेज 58.52 परसेंट था, जबकि उत्तर प्रदेश में वह 48.62 परसेंट था, मगर गलती से सातवें फिनांश कमीशन ने 62-48 परसेंट लिख दिया। इससे जो एड उत्तर प्रदेश को मिलनी चाहिए, वह नहीं मिली और आलम यह हुआ कि वहां का ऐवेरेज 48.62 परसेन्ट से घट कर 38 परसेन्ट रह गया। मैं चाहूंगा कि होम मिनिस्टर साहब इसको करेक्ट कर लें। आठवां फिनांश कमीशन मुकर्रर होने वाला है। इसलिए मैं होम मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वह इस बारे में हमारी मदद करें, ताकि हमारे पुलिस के लोगों ने जो शानदार कारनामे किए

हैं, उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने जो हाउसिंग का इन्तजाम किया है, उसमें हमारा हिस्सा हमें मिल सके।

मैं होम मिनिस्टर साहब की तवज्जुह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि एक हरिसिंह आर्य ने, जो जवाहर गेट, गाजियाबाद में रहते हैं, एक किताब लिखी है "सत्य की खोज" यह वतन-दुश्मनी और देशद्रोहीपन की बदतरीन मिसाल है। इस किताब में उन्होंने मेजारिटी कम्युनिटी, हिन्दू साहबान, को मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ भड़काया है। मैं उसके चन्द जुमले कोट करूंगा और जानना चाहूंगा कि होम मिनिस्ट्री ने मुल्क में इतनी खतरनाक किस्म की किताबें रायज करने की इजाजत कैसे दे दी है।

आजतक जांच करा कर उस किताब को जब्त करने और उस आदमी को बन्द करने का काम नहीं किया गया है। एन० एस० ए० ऐसे ही लोगों के लिए बनाया गया है। उस किताब में तौरात, अंजील और कुरान शरीफ पर निहायत बेहूदगी से हमला किया गया है। मैं उसकी एक मिसाल आपको देना चाहता हूं। उसमें लिखा है :

> "अल्लाह ही ने संसार में साम्प्रदायिकता का जहर फैलाया है। अल्लाह ही संसार में सबसे बड़ा फिरकापरस्त है। मुसलमान अल्लाह और कुरान पाक के हुक्म के मुताबिक कयामत तक फिरकेवाराना फसादात जारी रखेंगे। मुसलमान पैदायशी गुण्डा होता है···वगैरह-वगैरह।"

श्री वीर भद्र सिंह (मण्डी) :आप इस किताब को अहमियत क्यों दे रहे हैं ?

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : वह किताब देश में सर्कुलेट होती रहे, लोग उसको पढ़ते रहें, लोगों के दिमाग में प्वायजन आता रहे और हम उसको इम्पार्टेंस न दें, उसको रोकने की कोशिश न करें कि ऐसा लिट्रेचर हिन्दुस्तान में छपने न पाए—यह कहां तक मुनासिब होगा ? वैसे ही क्या कम है ? अलीगढ़ में शुरू हो गया है, गुजरात में हो रहा है—यह बातें इस सेक्युलर कन्ट्री के लिए बहुत ही शर्मनाक हैं जिनको सुनकर हमारी गर्दनें नीचे आ जाती हैं। ऐसे लोगों को इसकी इजाजत दे दी जाए, जो चाहें किताब में लिख दें, उसको बैन न किया जाए और उनको बाहर आजादी के साथ घूमने दिया जाए—मैं समझता हूं यह नहीं हो सकता है।

दिल्ली में ऐलेक्शन हो जाएं—इस बात को लेकर यहां पर बहुत कुछ कहा गया। जब इधर के लोग उधर बैठे हुए थे और उधर के लोग इधर बैठे हुए थे तब 1977 में आपने जनता की चुनी हुई असेम्बलीज को डिजाल्व कर दिया था और उसके बाद 1980 में इधर आने के बाद हमने भी वही किया। लेकिन आपने तो असेम्बलीज के साथ-साथ जनता की चुनी हुई लोकल बाडीज, म्युनिसिपल बोर्ड, जिला परिषदों और कार्पोरेशन्स को भी खत्म कर दिया था जिनका दोबारा आज तक चुनाव नहीं करा सके। क्या आपने जनता के अधिकार को नहीं छीना था ? कभी किसी चीज के दो स्टैंडर्ड नहीं हो सकते हैं।

मैं अब और ज्यादा न कह कर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जैसा एडमिनिस्ट्रेशन चलाया है और जो गैंग्ज खत्म किए हैं, अब जो 1-2 गैंग्ज रह गए हैं, मैं समझता हूं वह भी जल्दी ही खत्म कर दिए जाएंगे। आपकी बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री राम जेठमलानी (बम्बई, उत्तर पश्चिम) : सभापति महोदय, मैंने अभी अपने प्रिय तथा विद्वान मित्र श्री खां का भाषण सुना। उन्होंने विद्यमान सरकार के कार्य निष्पादन की उस सरकार, जिसने इस देश में केवल कुछ ही वर्षों तक शासन किया, के कार्य निष्पादन के साथ तुलना करने की सामान्य परिपाटी तक अपने आपको सीमित रखा है। फिर भी मुझे उनके विचारों का समर्थन करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान स्थिति, जहां तक वहां कानून और व्यवस्था का सम्बन्ध है, पार्टी वादानुवाद की बजाए राष्ट्रीय चिन्ता का विषय माना जाना चाहिए। महोदय, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने जिन करुण परिस्थितियों में अपने भाई को खोया है, वह ऐसा मामला नहीं है जिसे इस देश के किसी भी राजनीतिक दल (पार्टी) अथवा किसी भी राजनीतिक नेता अच्छा समझेगा। कम से कम मैं खुद तथा अपने दल की ओर से बोलते हुए मैं न केवल उनके पास सहानुभूति का एक शब्द ही पहुंचाना चाहता हूं बल्कि उनकी प्रशंसा भी करना चाहता हूं। यदि किसी मामले में अकर्मण्यता बरती जाती है तो मुझे विश्वास है कि मुख्य मंत्री जी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त कदम उठाएंगे। मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि देश में होने वाले सभी अपराधों के लिए हमेशा सरकार ही जिम्मेदार नहीं होती है हर डकैती, हर लूट-पाट, हर बलात्कार, हर तरह के भ्रष्टाचार, अथवा इस तरह के कई अपराधों का यह मतलब कतई नहीं होता कि गृह मंत्री अथवा कार्यकारी मंत्री को अपना त्याग पत्र दे देना चाहिए। डाकुओं का एक दल अनेक वर्षों तक डकैतियों की योजना बना सकता है। और प्राय : होता भी ऐसा है और यह संयोग की बात है कि किसी विशेष वर्ष में उनकी गतिविधियां सामने आ जाती हैं। यद्यपि मैं इस सरकार का पक्का विरोधी हूं, फिर भी, मैं यह नहीं चाहता कि अपर्याप्त आधार पर सरकार पर दोष लगाऊं जैसा कि अन्य राजनीतिक सामान्यतौर पर करते हैं। लेकिन जब सरकार देश में विद्यमान अव्यवस्थित स्थिति से नजर चुराती है ; जब सरकार अपनी खुली आंखों से यह देखते हुए भी कि कानून का उल्लंघन हो रहा है कुछ नहीं करती ; जब सरकार बहुत ही गम्भीर अपराधों के होने के बारे में प्रत्येक स्थिति, प्रत्येक जानकारी पर परदा डालने का प्रयास करती है तो विरोधी पक्ष का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह सरकार की इस सांठ-गांठ का पर्दाफाश करे। अतएव देश में होने वाले प्रत्येक अपराधों के लिए सरकार को जिम्मेदार न ठहराकर मैं अपने आपको सरकार के कार्यों तथा प्रवृत्तियों के उन्हीं पहलुओं तक सीमित रखना चाहूंगा जहां अपराधों को सामने लाए जाने की स्थिति में सरकार कानूनों के लागू करने के मामले में या तो आसावधानी बरतती है या फिर जब कभी अपराधों के बारे में बताया जाता है तो उससे बेखबर होने का नाटक कर उसको छिपाती है और इस प्रकार उसमें अपनी सांठ-गांठ का परिचय देती है। हम श्री सिंह और श्री अप्पू का मामला लेते हैं जिसकी चर्चा 5 मार्च, 1982 को लोक सभा में हुई थी। क्या यह सत्य नहीं है कि इस मामले के तथ्यों को, काफी पहले, अर्थात् अक्तूबर, 1981 में गृह मंत्रालय के ध्यान में लाया गया था ? जब पत्रकारों ने इस मामले का पर्दाफाश किया, तो जो कुछ गृह मंत्रालय ने कार्यवाही की, वही कार्यवाही अक्तूबर, 1981 में करने की सूझबूझ गृह मंत्रालय ने क्यों नहीं दिखाई, जब मामला ध्यान में लाया गया था ? क्या माननीय गृह मंत्री सदन में शपथ लेकर यह कहकर कि गृह मंत्रालय ने अक्तूबर, 1981 से 5 मार्च, 1982 तक सुधारात्मक रवैया अपनाया हुआ था, अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं ? अगर यह रवैया ठीक है तो गृह मंत्री को अपनी नैतिकता पर

कायम रहते हुए 5 मार्च, 1982 को ही सदन में यह घोषणा करनी चाहिए थी कि वे सुधारात्मक रवैये में विश्वास रखते हैं और सदन में किसी भी पक्ष द्वारा विरोध किए जाने के बावजूद वे उसे जारी रखेंगे। अगर उनकी नीतियां गलत हैं, और वे यह मानने को तैयार हैं कि उनकी नीति गलत थी, तो नैतिकता के नाते उनका एक मंत्री की हैसियत से यह कर्तव्य हो जाता था कि अपने विभाग के राजनीतिक मुखिया होने के नाते, अगर कोई गलत बात हो गई थी तो उसी दिन उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था। उनको कहना चाहिए था कि, हां मैंने सुधारात्मक रवैया अपना कर देखा है और मैंने पाया कि सुधारात्मक रवैया गलत था और इसलिए मैं अपना इस्तीफा देता हूं। यदि उन्होंने वैसा किया होता तो उनकी मेरे दिल में इज्जत ज्यादा हो जाती। लेकिन मंत्री महोदय यह नहीं कह सकते कि, मैं सुधारात्मक रवैया अपना रहा हूं ; मैं स्वीकार करता हूं कि मैं गलत था, अब आप तथ्यों को सामने लाये हैं। तो मैं अपने दृष्टिकोण को बदलते हुए दोषी अधिकारी को बरखास्त करता हूं लेकिन मैं स्वयं पद पर बना रहूंगा। यह तथ्य इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि गृह मंत्रालय ने सत्य को छुपाने की कोशिश की। मंत्री जी पहले तो तथ्यों को छिपाते ही रहे परन्तु जब वे प्रकट हो गए, उनकी मर्जी से नहीं वरन अन्य लोगों की वजह से, जो कि कानून को लागू करने में अधिक जागरूक हैं, और जिन्होंने इस मामले पर रोशनी डाली है, तब वे घबरा गये। फिर उन्होंने एक और गुनाह किया, वह गुनाह था नैतिक कायरता का। आपको अपने नैतिक मूल्यों पर खड़ा रहना चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। यही रवैया एक और मामले से भी झलकता है, जिसके बारे में अब मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। लेकिन मुझे खेद है, न तो गृह मंत्री और न ही गृह राज्य मंत्री सदन में उपस्थित हैं।

सभापति महोदय : गृह राज्य मंत्री, श्री लस्कर सदन में उपस्थित हैं।

श्री राम जेठमलानी : श्रीमन्, इस वर्ष 2 फरवरी को उच्चतम न्यायालय ने बंगाल के 'संचेता' घुटाले के बारे में एक फैसला सुनाया था। उस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने बताया कि इस 'संचेता' जालसाजी में—जिसमें कम से कम 11 हजार जमाकर्ता वे गरीब लोग, जिन्होंने अपनी सारी उमर की बचत जोकि प्रत्येक मामले में 10,000 रु० से कम थी, लगाई हुई थी, अपना सब कुछ खो बैठे—इण्डियन एयरलाइन्स के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबन्धक, भारतीय जीवन बीमा निगम के अधिकारी; आयकर और बिक्रीकर के कर्मचारी पुलिसकर्मी और महालेखाकार का कार्यालय शामिल हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हमें खेद है कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एक गलत नियम की गलत धारा के अन्तर्गत कार्यवाही की गई और आशा प्रकट की कि इस बारे में पर्याप्त कदम उठाए जायेंगे। श्रीमन्, कानून का एक नया छात्र, जिसने पैनल कोड को पहली दफा ही पढ़ा होगा, वह भी माननीय गृह मंत्री या संबंधित मंत्री को बता देगा—यह सारी योजना एक छल और कपट की योजना थी। इसमें योजना सभी प्रोत्साहक शामिल है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, जो कि एक हस्तक्षेपनीय अपराध है के अधीन अपराधी है। श्रीमन् यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि वह कोई धन्धा नहीं कर रहा है, तो इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। फिर जब कोई जमाकर्त्ताओं से यह कहता है कि वह उनको किसी भी जमा कराई गई रकम पर 48% ब्याज देता रहेगा तो उसे अपना वचन पूरा करना चाहिए। इसलिए निश्चय ही यह धोखेधड़ी का मामला है। क्योंकि ऐसा कोई धन्धा नहीं

हो सकता जिसमें 100%लाभ हो ताकि खर्चा आदि निकालकर कोई निवेशकर्त्ताओं को 48% लाभ भी दे सके।

श्रीमन्, इस मामले पर गृह मंत्री को काफी पहले ही कोई काम उठाना चाहिए था। लेकिन कम से कम 2 फरवरी के बाद तो कोई बहाना ही नहीं रह जाता है। एक मात्र कारण यही हो सकता है कि गृह मंत्री देश में कानून और व्यवस्था को लागू नहीं करना चाहते; वे भ्रष्टाचार को खत्म नहीं करना चाहते; वे देश के उच्च पदों पर बैठे हुए अपराधियों को दंडित नहीं करना चाहते।

फरवरी-मार्च, 1982 की 'सन्डे' पत्रिका ने आरोप लगाया है कि इस समवाय में पैसा लगाने वालों में एक केन्द्रीय मंत्रीमंडल का सदस्य भी है। जब इस तरह के आरोप लगाये जाते हैं तो मुझे आसानी से विश्वास नहीं आता। मैं आशा करता हूं कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल के माननीय सदस्य इस तरह की कार्यवाही नहीं कर सकते। श्रीमन्, परन्तु जब आरोप लगाये जाते हैं, तो मैं ज्ञानी जैल सिंह से यह पूछना चाहता हूं कि 2 फरवरी के बाद यह पता लगाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं, वे जमाकर्ता कौन हैं ?

श्रीमन्, मैं न्यायालय के फैसले का अंश पढ़ना चाहता हूं जो इस प्रकार है :

"फर्जी नामों के खातों सम्बन्धी दस्तावेज" एक फर्जी नाम "एपकार एवे टून" भी है। मैंने कभी भी किसी व्यक्ति का नाम एपकार एवे टून नहीं सुना है।

"ऐसा प्रतीत होता है कि फर्म के भागीदार श्री शम्बू प्रसाद मुखर्जी ने इस नाम के व्यक्ति को सिंडीकेट बैंक, कलकत्ता से परिचित करवाया। खाते की पास-बुक से पता चलता है कि खाता नगद 28 लाख रु० से खोला गया था। 6 दिसम्बर, 1980 तक कुल 27 करोड़, 97 लाख, 86 हजार से ज्यादा राशि जमा करवाई गई और वह भी सारी नगद ही। एक समय में 50 से 80 लाख रु० तक जमा करवाये गये। 11 नवम्बर, 1980 से लगातार करीब 28 करोड़ रु० निकलवाए गए। यह खाता 13 दिसम्बर, 1980 को अर्थात् प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने के एक सप्ताह पहले बन्द कर दिया गया। पास-बुक में दिखाई गई कुछ प्रविष्टियां बैंक के खातों से मेल नहीं खाती हैं।

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि "इन तथ्यों से स्थिति की गड़बड़ी का पता चलता है।"

लेकिन जो लोग कानून तथा व्यवस्था के उल्लंघनों के सामान्यतः और अपराध तथा धोखा-धड़ी के कानून के खासकर-अभ्यस्त हो चुके हैं उनको उसका आभास नहीं होता है।

"पांच वर्षों के दौरान मात्र 7,000 रु० की धनराशि करोड़ों रु० की दौलत में बदल गई। फर्म द्वारा बेनामी नाम द्वारा खोले गए एक बैंक खाते में 28 करोड़ रु० जमा थे जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने के एक सप्ताह पहले निकलवा लिये गये। जमाकर्ताओं को 48% की अविश्वसनीय दर से ब्याज अदा किया जाना था। फर्म का प्रत्यक्ष रूप से आमदनी का कोई स्रोत नहीं था।" उच्चतम न्यायालय के सामने सुनवाई के समय उसके विख्यात वकीलों जिनमें, कम से कम एक इस माननीय सदन का सदस्य है द्वारा यह अभ्यावेदन किया गया—मैं वकीलों को किसी मामले की पैरवी करने के लिए दोषी नहीं ठहराता, यह तो वकीलों का पेशा ही है, लेकिन उन

वकीलों ने यह कहा और उच्चतम न्यायालय के रिपोर्ट में बात दर्ज है कि यह फर्म सिर्फ कालेधन का धन्धा करती है।"

मैं गृह मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि, उन्होंने इस व्यक्ति, जो कि 'ऐपकार एवे टून' नाम का मुखौटा लगाये हुए है, का पता लगाने के लिए क्या किया है क्या गृह मंत्री तैयार हैं? मैं तो तैयार हूं? मैं वकालत करना छोड़ दूंगा। मैं जाकर केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कार्यालय में बैठूंगा। क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो मेरी सहायता से इसकी जांच करने के लिए तैयार है? मैं वायदा करता हूं कि इन श्रीमान् 'ऐपकार एवे टून' को बेनकाब कर दूंगा और उसकी शिनाख्त करके उसे सदन की जानकारी में लाऊंगा।

श्रीमन्, इन धोखाधड़ियों का पता लगाने में विशेष रुचि नहीं ली जा रही है। विशेष रुचि इसलिए नहीं है, क्योंकि इसमें बड़े-बड़े लोग शामिल हैं। आप इसको खोलिए तो भानमती का पिटारा खुल जाएगा और जो चीजें आयेंगी उनका सामना करने के लिए हमारे माननीय गृह मंत्री तैयार नहीं हैं।

माननीय न्यायमूर्ति ए० एन० सेन ने अपने निर्णय में एक और महत्वपूर्ण तथ्य की ओर इशारा किया है कि इस फर्म की धनराशि में से राजनीतिक दलों को करोड़ों रु० दिये गए हैं। यह राजनीतिक दल सत्ताधारी दल भी हो सकता है, मेरा दल—भारतीय जनता पार्टी भी हो सकती है। लेकिन मैं चाहता था कि गृह मंत्री इस पर कार्यवाही करें। लेकिन गृह मंत्री का नैतिक साहस पूर्णतः समाप्त हो चुका है। वे कानून और नैतिकता के हित में कुछ भी करने की इच्छा नहीं रखते।

बार-बार हमें यह बताया जाता है कि ये सब राज्य के विषय हैं। ये राज्य के विषय नहीं हैं।

अपराधिक कानून और दण्ड प्रक्रिया समवर्ती सूची के विषय हैं। कार्य आवंटन के अन्तर्गत इन्हें गृह मंत्रालय को सौंपा गया है। हर समय, जब हम कानून और व्यवस्था को तोड़ने की बात करते हैं, तो हमें बताया जाता है कि यह राज्य का विषय है।

मेरे मित्र डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री के विरुद्ध बलात्कार के आरोप की चर्चा की। एक प्रशिक्षित वकील के नाते मैं एक उच्च पद पर बैठे सभ्रान्त व्यक्ति पर लगाये गये आरोपों को सहज ही स्वीकार नहीं कर सकता हूं। मैं ठोस प्रमाण पर जोर देता हूं; लेकिन जब आरोप लगाया जाता है—तो यह शपथ लेकर लगाया जाता है और तभी न्यायालय के रिकार्ड में दर्ज किया जाता है, और मुख्यमंत्री नियमों से हटकर अपने पुत्र की सहायता से इन शपथ-पत्रों को प्रकाशित करने से रोकने के आदेश लेते हैं। क्या यह मामला ऐसा नहीं है जिसमें पुलिस को आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि विधि-शासन का अर्थ यह है कि देश के साधारण न्यायालयों के सामने छोटे-बड़े सभी बराबर हैं। किसी भी अन्य आदमी के मामले में पुलिस ने तुरन्त ही कार्य-वाही की होती। फिर ऐसा क्यों है कि यदि एक गरीब महिला, जो रेलगाड़ी के नीचे आकर अपनी दोनों टांगें कटवा लेती है और आज लकड़ी की टांगें लगाकर चल रही है, कोई बयान देती है और सारे तथ्य बताती है तो उस महिला के मामले की जांच मान्य कानूनों को लागू करने वाली

भारत सरकार की एजेंसियों द्वारा, जिसके प्रमुख मुख्य मंत्री ज्ञानी जैल सिंह हैं, क्यों नहीं करवाई जाती ?

आज सुबह उपाध्यक्ष महोदय ने हमें बताया कि इस मामले पर सिर्फ महाराष्ट्र विधान सभा में ही वाद-विवाद किया जा सकता है। मैं इस धारणा को गलत मानता हूं। जैसा कि डा० स्वामी ने बलात्कार के बारे में और बड़े लोगों द्वारा किये जाने वाले बलात्कारों के बारे में कहा है यह तकनीकी दृष्टि से बलात्कार भले ही न हो पर कम से कम एक जवान महिला के साथ बलात्कार की नीयत से छेड़छाड़ तो की गई जिसके फलस्वरूप उसे मजबूरन रेलगाड़ी के सामने छलांग लगानी पड़ी—अब ज्ञानी जी क्यों नहीं बोलते हैं, अब वे स्वयं अपने अन्तःकरण के साथ क्यों नहीं बात करते हैं ? वे उद्वेलित क्यों नहीं होते और हमें क्यों अपनी आंखें बन्द रखनी पड़ती हैं, और हम जनता के सन्देहों के भाव बढ़ने का मौका क्यों देते हैं ? इस मामले की जांच जरूर होनी चाहिए।

कुछ दिन पहले ही इससे मिलती-जुलती एक गम्भीर घटना और घटित हुई थी। और इनका कोई अन्त नहीं दिखाई देता। मध्य प्रदेश में, सीधी जिले के कलक्टर···**···उनकी पत्नी के साथ गाली गलौज की घटना हुई।

अपराधी श्री कृष्ण बहादुर सिंह को सीधी के कलक्टर के कहने पर पकड़ा गया और गिरफ्तार किया गया है और मुख्य मंत्री विशेष रूप से उनसे मिलने के लिए जाते है।·· **··· फिर मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के पास एक बहाना है और एक बचाव है, लेकिन संदेह पैदा ही क्यों किया जाये; जब इस प्रकार का संदेह पैदा हो जाता है तो आम लोगों में भी इसकी चर्चा होती है। गृह मंत्री महोदय को सीज़र की पत्नी के समान ईमानदार होना चाहिये। उन्हें इन सब घोटालों की जांच के आदेश देने चाहिए ताकि किसी भी तरह से सच्चाई का पता लग सके।

आज हमारे महान देश की राजधानी दिल्ली शहर में मुझे नहीं मालूम कि गृह मंत्री का ध्यान दिल्ली में दीवारों पर चिपकाये हुए पोस्टरों की ओर गया है या नहीं—वैसे मेरे पास उनकी एक फोटो स्टेट प्रति है और मैं उसे इस सदन में सदन के रिकार्ड हेतु प्रस्तुत करना चाहता हूं। नगर रक्षा समिति और भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा जैसे आडम्बरपूर्ण नामों वाले संगठनों ने अब कानूनों का पालन कराने का कार्य अपने हाथ में ले लिया है और इस तरह से नागरिकों एवं समाचार पत्रों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। इस सदन की परम्परा आप और माननीय सदस्य भली भांति जानते हैं। पोस्टर को सदन में रखा जाना अथवा इसका उल्लेख करना विशेष रूप से पोस्टरों को सदन में रखे जाने की अनुमति नहीं है। आपको याद होगा कि मैंने पोस्टर दिखाये थे। मैं तो केवल इस सदन का और तत्कालीन सभापति का ध्यान ही आकर्षित कराना चाहता था और मुझे अनुमति नहीं दी गई थी। जो कुछ मैंने कहा था उसे कार्य-

---

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

वाही से निकाल दिया गया था। इसलिये मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस बारे में कोई विनिर्णय करें। माननीय सदस्य इस सदन में कोई पोस्टर नहीं दिखा सकते हैं।

सभापति महोदय : वह न तो कोई पोस्टर और न ही कोई और चीज दिखा रहे हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : वह इसे सभा पटल पर रखना चाहते हैं। तब यह देखा जायेगा कि क्या उसे सभा पटल पर रखा जाये या नहीं। केवल तभी उसे सभा पटल पर रखा जा सकता है।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं भी उसे सभा पटल पर रखना चाहता था। मुझे तो उस पर बोलने भी नहीं दिया गया।

सभापति महोदय : नहीं, श्री तिवारी, इसे सदन में प्रदर्शन से रोका गया था। सदन में प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। लेकिन यदि कोई माननीय सदस्य किसी कागज-पत्र को सदन के पटल पर रखना चाहता है तो इसके जांच करने के बाद इसकी अनुमति दी जा सकती है अथवा इसकी अनुमति नहीं भी दी जा सकती।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : मेरा अनुरोध है कि आप कार्यवाही को पढ़ लें। मैंने सिर्फ सदन के पटल पर रखने की अनुमति चाही थी।

सभापति महोदय : जो भी हो, आपने व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया है।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : क्या माननीय सदस्य ने टेबल पर रखने की इजाजत पहले ली है और क्या स्पीकर को लिख कर दिया है।

सभापति महोदय : मैंने कह दिया है कि देखा जायेगा। अगर वह डाकुमेंट···

श्री हरीश रावत : अगर उठा कर दिखाते हैं तो क्या आप एलाउ करेंगे ?

सभापति महोदय : अगर डाकुमेंट इस काबिल होगा कि उसको रखा जा सकता है तब इजाजत दी जायेगी। बगैर इजाजत के किसी को कोई इजाजत नहीं है। उसको एग्जामिन किया जायेगा। श्री जेठमलानी, अब आप अपना भाषण जारी कर सकते हो।

श्री राम जेठमलानी : मैं ततैयों के छत्ते में हाथ नहीं डालना चाहता। गृह मंत्री के पास सूचना एकत्रित करने के लिये इन्टैलीजैंस ब्यूरो और अन्य अनेकों संगठन हैं। जो कुछ मैं पूछ रहा हूं वह यह है कि क्या उन्हें नगर रक्षा समिति और भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चे की गतिविधियों के बारे में जानकारी है ? क्या उन्हें इस बात का पता है कि उसके साथ कौन-कौन लोग हैं ? क्या उन्हें यह पता है कि उन संगठनों में से एक संगठन के सचिवों में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो पहले अपराधी रह चुका है और हत्या के मामले में उसकी तलाश है ? इन संगठनों ने अब कानून और व्यवस्था लागू करवाने का ठेका स्वयं ले लिया है, जो गृह मंत्रालय का कार्य होना चाहिये। गृह मंत्री ने अपना कार्य दूसरों पर महज इसलिये टाल दिया है, क्योंकि ये संगठन उन लोगों से सम्बन्धित हैं जिन बड़े-बड़े लोगों के नामों का मैं इस सदन में उल्लेख नहीं करना चाहता। मैं गृह मंत्री से चाहता हूं कि वह इसके बारे में जांच-पड़ताल करें; और मुझे विश्वास है कि गृह मंत्री अच्छी तरह जानते हैं कि मैं किसके बारे

में बात कर रहा हूं। मुझे आशा है कि इस तरह की चीजों पर जरूर ध्यान दिया जायेगा। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में भी यही बात कही गई है; यह कृपापूर्ण उपेक्षा का मामला है, क्योंकि आज सुबह के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में ऐसा ही कहा गया है जो गृह मंत्रालय को सूचित करता है। यह आश्चर्यजनक है और मेरे आरोप की गम्भीरता भी है। आप और आपके सभी समर्थक हमेशा ही जब कभी कोई कमी बताई जाती है या कोई दोष निकाला जाता है तो आप हमेशा ही यही कहते हैं कि ओह आप इन दो वर्षों से सत्ता में हैं, आप भी कौन से अच्छे थे, या शायद आपका शासन इससे भी खराब रहा था। मैं यह मान लूंगा कि हम आपसे खराब थे। अब हम केवल उन्हीं कार्यों के बारे में बात करें जिन्हें सरकार को केवल 1982 में ही करना है। यदि आज आप बीमारी का सही पता नहीं लगायेंगे तो उसका निदान ठीक से नहीं हो पायेगा। आपकी रिपोर्ट में भी यह बताया गया है कि एक ही वर्ष के दौरान, उत्तर प्रदेश के देवली और साढूपुर में हत्याकांड हुए, गुजरात में आरक्षण विरोधी दंगे हुए, लाला जगत नारायण की हत्या कर दी गई, पंजाब में खालिस्तान समर्थक हिंसा हुई, और इसके बाद भी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति नियन्त्रण में है। मुझे तो यह आशा थी कि शायद गृह मंत्री महोदय यह कहेंगे कि "हम कानूनी और व्यवस्था के पुनः भंग होने की समस्या का सामना कर रहे हैं, और सरकार इस बारे में अब कठोर कदम उठा रही है।" लेकिन यदि आप इस स्थिति को नियन्यण में बता रहे हैं या फिर जनता से सच्चाई को छुपा रहे हैं या फिर आप अपने आपको केवल भुलावे में रखने की कोशिश कर रहे हैं तो आप बड़े भ्रम में हैं। और देश की समस्याओं के समाधान में आपकी कोई रुचि नहीं है।

महोदय, मेरे मित्रों ने सरकार के लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक रवैये के बारे में बड़ी घिसी-पिटी बातें कहीं हैं, और यह कहा है कि लोकतन्त्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। मुझे अमरीकन लेखक एवं व्यंगकार बिल रोजर्स की बात याद आती है जो राष्ट्रपति हार्डिंग के पास गये और उनसे यह कहा कि वह उन्हें कुछ नये लतीफे सुनाना चाहते हैं--वह लतीफे सुनाने के बहुत शौकीन थे। लेकिन राष्ट्रपति हार्डिंग ने उनसे कहा, "मि० रोजर्स, आपको उन लतीफों को मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ही उन सभी को बनाया है।" मैं यह नहीं कह रहा हूं कि गृह मंत्री कोई लतीफा हैं या उनका राज्य मंत्री लतीफा है। लेकिन जिस तरह से लोकतन्त्र चलाया जा रहा है, वह एक बड़ा लतीफा है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। दिल्ली प्रशासन अधिनियम 1966 की धारा 3 में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि दिल्ली राज्य के लिये एक महानगरीय परिषद होगी और गृह मंत्री ने इस कानून को इस तरह से पढ़ा है कि "केवल दिल्ली के लिये ही एक महानगरीय परिषद होगी और जब तक श्री जैलसिंह ऐसा चाहेंगे।" यदि श्री जैलसिंह ऐसा नहीं सोचते तो कानून के अर्थ को उन्होंने निरर्थक बना दिया है और उस कानून के किसी भी अंश को सिर्फ इसीलिये लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि गृह मंत्रालय ने ऐसा निर्णय किया हुआ है। मैं इस गैर जिम्मेदारी के कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। संविधान का 44वां संशोधन 1978 में पारित किया गया था। लेकिन उसे अभी तक भी लागू नहीं किया गया है। संविधान सभा की वसीयत की अपेक्षा की गई है क्योंकि कार्यपालिका उस कार्य को नहीं करना चाहती जिसे संसद ने अपनी संवैधानिक क्षमता द्वारा संसद में पास किया है क्योंकि सिर्फ इसलिये कि उस समय संसद में जनता पार्टी का शासन था।

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने अपनी सम्पूर्ण बैंच एवं संवैधानिक बेंचों के पांच न्याया-

धीशों में से दो न्यायाधीशों ने सरकार के विरुद्ध एक समादेश जारी किया जिसमें उस कानून को लागू करने के लिये आदेश दिये गये हैं। तीन न्यायाधीशों ने कहा है कि वे कोई समादेश तो जारी नहीं कर सकते परन्तु उन्होंने सर्वसम्मति से यह कहा कि सरकार का संविधान संशोधन लागू करने का नैतिक दायित्व है। क्या आप संवेदनशील हैं ? क्या आप उस बात के लिये संवेदनशील हैं जो कुछ न्यायालय ने कहा है, दो न्यायाधीशों ने आपको आदेश दिया है और तीन ने आपको सलाह दी है ? लेकिन आपने कुछ नहीं किया क्योंकि यह आपके अनुकूल नहीं है, क्योंकि यह आपकी निरंकुशतावादी प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं है। आप इस संविधान के संशोधन को लागू नहीं करेंगे। और यही हाल एक मंत्री का है जो संविधान की उपेक्षा कर रहा है तथा देश की संविधान सभा की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है। गढ़वाल को लें, असम को लें, केरल, हरियाणा और पश्चिम बंगाल को देखें, सभी जगह यही समस्या है। लोकतन्त्र केवल उसी सीमा तक ठीक है जहां तक वह सरकार के अनुकूल है, जहां तक वह सत्तारूढ़ दल के हित में है लेकिन जैसे ही यह आभास होता है कि लोकतांत्रिक कानून सरकार की अपेक्षाओं के प्रतिकूल होते हैं, वहीं सभी तरीकों को अपना कर लोकतन्त्र का गला घोंट दिया जाता है।

मैं उन तमाम बातों का उल्लेख नहीं करना चाहता जो इस सदन में कही गई हैं। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि हाल ही में, पश्चिम बंगाल के चुनावों के मामले में, उच्चतम न्यायालय का निर्णय आ चुका है। तीन न्यायाधीश इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। कांग्रेस (आई) और उसके सहयोगी दलों के ओर से जो वकील मुकदमा लड़ रहे थे उन्होंने न्यायालय में एक दस्तावेज प्रस्तुत किया था जिससे न्यायालय की मानहानि हुई और न्यायालय का अपमान हुआ और न्यायालय को यह कहा था कि न्यायालय ने पक्षपात किया है, उसने द्वेष भावना दिखाई है और अपने न्यायिक कर्तव्यों का पालन करने में असफल रहा है।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : बाद में इसे वापस ले लिया गया था।

श्री राम जेठमलानी : हां, बाद में उन्होंने इसे वापस ले लिया और न्यायालय से क्षमा याचना की। लेकिन मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उन वकीलों के साथ क्या किया जाना चाहिये था। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि क्या यह विवरण उनके मुवक्किलों अर्थात् सरकार की सहमति से दिया गया था, क्या इस विवरण की अन्ततः वापसी सरकार की सहमति से हुई थी या वकील घबरा गये थे और अपने द्वारा किये गये आपराधिक कार्य का परिणाम भुगतने के लिये तैयार नहीं थे ? तीसरे यदि वकील ने आपके अनुदेशों के विरुद्ध कार्य किया या आपको ऐसा लगा कि वे गल्ती पर थे और आपने उन्हें न्यायालय से क्षमा याचना करने के लिये कहा, क्या आपने उन वकीलों के विरुद्ध कोई प्रशासनिक कार्यवाही की है, ताकि वे कम से कम सत्तारूढ़ दल का, देश की किसी भी अदालत में प्रतिनिधित्व न कर सकें ? यही एक तरीका है जिससे आप न्यायिक सर्वोच्चता के प्रति अपनी जिम्मेदारी का प्रदर्शन कर सकते हैं। यही एक तरीका है जिसके माध्यम से आप कानूनों का पालन करा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही न्यायपालिका की अवहेलना करेंगे, एक न एक दिन उसी तरीके से आप कानूनों को लागू करने में भी अवहेलना बरतेंगे क्योंकि न्यायालय उपेक्षित हो जायेंगे और न्यायालयों की शक्तियों का ह्रास हो जायेगा क्योंकि कानूनों को लागू करवाने की शक्तियां केवल न्यायालयों के पास ही हैं।

अन्तिम बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि राष्ट्रीय एकता के मामले में सरकार की असफलता, गृह मंत्रालय की असफलता है। राष्ट्रीय एकता का विषय गृह मंत्रालय के अधीन आता है। आप कन्याकुमारी जाइये, या अन्य स्थानों पर जायें, या आज आप देश के किसी भी कोने में चले जायें। राष्ट्रीयता और एकता की भावना समाप्त होती जा रही है। मैं किसी समुदाय विशेष को दोष नहीं देना चाहता, कदापि नहीं। परन्तु वास्तविकता यह है कि हमारे समाज में जो गहरी दरारें पड़ती जा रही हैं वह एक ऐसा मामला है जिसे मंत्रालय अपने और देश के जोखिम पर ही अनदेखा कर सकता है। गृह मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में क्या किया, इसने किस तरह की जागरूकता प्रदर्शित की, बढ़ते हुए विभाजित स्वार्थों, हितों की बढ़ती असमानता, हितों का बढ़ता संघर्ष जो अन्ततः हिंसा में परिणत होता है, गृह मंत्रालय ने इस पर क्या अध्ययन कार्य किया ? यह शर्म की बात है कि शान्ति-दूत ईसा के अनुयायी कन्याकुमारी में हिंसा का सहारा ले रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वे आक्रमणकारी हैं; दूसरे पक्ष के लोग आक्रमणकारी हो सकते हैं। लेकिन गांधी जी के सिद्धान्तों का क्या हुआ ? जब ये लोग निरपराध लोगों की हत्या करते हैं और सत्तारूढ़ सरकार इसकी जांच के लिए कोई प्रयास नहीं करती, सरकार मात्र कागजात प्रस्तुत कर कहती है कि सब कुछ ठीक है उसी तरह जैसे लोक प्रसिद्ध बन्दरों की कहावत के माध्यम से कहा गया है कि "मैं बुरा नहीं देखता, मैं बुरा नहीं सुनता, मैं बुरा नही कहता" और गृह मंत्रालय इसी से सन्तुष्ट हो जाता है।

अन्त में, मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में व्याप्त तीव्र असन्तोष के बारे में कुछ कहूंगा, जो भी हो यह सच है कि जनता पार्टी दो वर्ष तक सतारूढ़ रही। लेकिन स्वाधीनता के बाद बहुत वर्षों तक और आज भी आप सत्तारूढ़ हैं, आपकी रिपोर्टों में किन-किन तथ्यों का उद्घाटन हुआ है ? आपकी रिपोर्टों में यह प्रदर्शित किया गया है कि अनुसूचित जाति के लोग सम्भवतः सरकारी कर्मचारियों के चतुर्थ वर्ग को छोड़कर—जिसे वे अन्य वर्गों की अपेक्षा श्रेष्ठता की वजह से नहीं बल्कि चतुर्थ वर्ग के अन्तर्गत आने वाले व्यवसायों को अन्य वर्गों द्वारा न अपनाए जाने के कारण प्राप्त करते हैं—अन्य किसी मानवीय श्रम और कार्यकलाप के क्षेत्र में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं कर पाए हैं। अतः अब वह समय आ गया है कि अनुसूचित जाति के लोगों के लिए बिना मगरमच्छ के आंसू बहाए, अपने चुनाव घोषणा पत्रों में उन्हें आश्वासन दिये बिना इस तरहके गलत प्रतिनिधित्व, उपयुक्त प्रतिनिधित्व की इस तरह की कमी को उचित तरीके से निबटा जाए। मंडल आयोग ने···

सभापति महोदय : आपका समय खत्म हो गया है।

श्री राम जेठमलानी : मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अन्त में मैं इस बात को यहीं समाप्त करना चाहता हूं और बिना विवरण दिये गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं—मुझे आशा है कि गृह मंत्रालय और श्री जैलसिंह न्यूयार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका की कान्टीनेन्टल ओवरसीज नामक कम्पनी से परिचित होंगे; वे इस संगठन से सम्बद्ध महाराजा कुमार वीरेन्द्रसिंह नामक सज्जन से परिचित होंगे। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। किसी अन्य अवसर पर इस पर विस्तार से चर्चा होगी, मैं तो संकेत मात्र देना चाहता हूं क्योंकि यह कानून के प्रवर्तन

विशेषकर इस देश से भ्रष्टाचार को निर्मूल करने के मामले में गृह मंत्रालय और गृह मंत्रालय के नेता की पूर्ण अशक्तता का एक और उदाहरण है। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, मुझे दिया गया समय खत्म हो गया है। मैं अपनी वेदना भरे उद्‌गारों को प्रकट करना चाहता हूं। मैं यही कहता हूं कि :

हाय, बेचारी भारतमाता,
यह हमारी मां नही दादी मां है,
जहां केवल मूर्ख ही सुरक्षित हैं।
जहां ऐसी चीखों, और चीत्कारों और अट्टहासों के बादल फट रहे हैं,
जिन पर कोई ध्यान नहीं देता
यह हिंसक कोलाहल ही आज की नियति है।

गृह मंत्री महोदय, आपको मोड़ी पर लाल गुलाब धारण करने और हमें उर्दू शायरी के कुछ फिकरे सुनाने से बढ़कर कुछ सशक्त उपाय करने होंगे। अगर आप इसे अपनी अशक्तता और अपने विभाग की अक्षमता को न्यायोचित सिद्ध करने के प्रयोजन से इस्तेमाल करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि उर्दू शायरी सभ्य लोगों को खटकने लगेगी।

श्री गुलाम नबी आजाद (वाशिम) : चेयरमैन साहब, अभी श्री राम जेठमलानी की धुआंधार तकरीर के बाद मैं नहीं समझता कि मैं बहुत कुछ बोल पाऊंगा।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : क्यों? आप भी अच्छी तकरीर करते हैं।

श्री गुलाम नबी आजाद : मैं अभी काश्मीर से आया हूं। मेरा गला खराब है। कल मैं यहां हाउस में नहीं था। किन साथियों ने किस विषय में बात की, इसकी मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन जब भी होम मिनिस्ट्री की डिमांड्ज इस हाउस के सामने आती हैं, तो अमूमन ला एण्ड आर्डर सिचुएशन, कम्युनल रायट्स और डैकायटीज वगैरह की बातें कही जाती हैं। मैं होम मिनिस्ट्री के आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। आज सुबह मैं पढ़ रहा था कि होम मिनिस्ट्री के आंकड़े हैं कि जब जनता पार्टी की सरकार थी, तब इतने रायट्स हुए थे और कांग्रेस की सरकार में इतने रायट्स हुए हैं।

इसमें कोई शक नहीं कि पिछले दो बरसों में कम्युनल रायट्स में कमी हुई है और ला एण्ड आर्डर सिचुएशन भी बेहतर हुई है। इसके लिए मैं होम मिनिस्टर साहब को बधाई देता हूं। लेकिन हमें यह भी नहीं सोचना चाहिए कि कम्युनल रायट्स में कमी हुई, तो यही सरकार के लिए काफी है। हिन्दुस्तान सारी दुनिया में पहला मुल्क है, जिसे हम जन्नत कह सकते हैं। शायद इससे बढ़िया कोई जन्नत नहीं हो सकती। हम स्वर्ग की बात करते हैं, लेकिन सारी दुनिया में यही एक ऐसा मुल्क है, जहां हजारों जुबानें बोलने वाले लोग हैं, हर नस्ल के लोग हैं, जहां जुबान और मजहब के साथ-साथ मौसम भी बदलते हैं। ऐसे मुल्क की एकता और अखंडता

सिर्फ भारत के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि वह सारे विश्व के लिए, सारी दुनिया के लिए, एक मिसाल होनी चाहिए।

इसलिए जो भी केन्द्रीय सरकार हो, उसका यह फर्ज बनता है कि वह इस बात के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करे कि ला एण्ड आर्डर सिचुएशन बेहतर हो, कम्युनल रायट्स और डैकायटीज कम हों। लेकिन मैं आज तक यह समझ नहीं पाया कि हमारे देश में इस तरह के जो वाकेआत होते हैं, उनके पसे-पर्दा क्या होता है, उनकी बैकग्राउन्ड क्या होती है। इसकी खोज किसी ने नहीं की। कमीशन बनते हैं, खत्म होते हैं और भुला दिए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन कमीशनों की रिपोर्टों का इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होता है ?

कम्युनल रायट्स आज पहली दफा नहीं हुए हैं। वे हजारों साल से होते आए हैं—न सिर्फ हिन्दुस्तान में, बल्कि दूसरे देशों में भी होते आए हैं। लेकिन कौन-सी वे ताकतें हैं, कौन-से वे ग्रुप्स हैं, कौन-सी वे शक्तियां हैं, जो लोगों को कम्युनल रायट्स करने पर मजबूर करती हैं ? अगर लोग कहेंगे कि इसके लिए जिम्मेदार भारत के आम लोग हैं, चाहे वे हिन्दू हों, या मुसलमान, सिख या ईसाई हों, तो मैं इससे बिल्कुल मुत्तिफिक नहीं हूं। मैं अपने इलैक्शन की बात बताता हूं जनवरी, 1980 की, बल्कि दिसम्बर, 1979 की, जब मैं काश्मीर से महाराष्ट्र चुनाव लड़ने के लिए गया तो मेरी कांस्टीटुएन्सी में तकरीबन 35 प्रतिशत नान-मुस्लिम (हिन्दू) वोट थे लेकिन किसी एक वोटर ने भी यह नहीं पूछा कि आप हिन्दू हैं या मुसलमान। लेकिन जो लोग लीडरशिप की बात करते हैं, जो लोग राष्ट्र को दिशा देने की बात करते हैं, जो लोग लोगों को रास्ता दिखाने की बात करते हैं, वे वहां पर कहते थे कि यह काश्मीर का मुसलमान है और काश्मीर के मुसलमान सब पाकिस्तानी होते हैं। हमारे विरोधी दल के नेता जो कि उस समय सरकार में थे और जो हमारे बड़े नेता जेठमलानी साहब के साथ हैं, वाजपेयी साहब, वे भी हमारी कांस्टीटुएन्सी में आए थे और ऐसी तकरीरें कीं कि हम काश्मीर के मुसलमान हैं और तकरीबन-तकरीबन सभी काश्मीरी मुसलमान पाकिस्तानी होते हैं इसलिए महाराष्ट्र के लोग मुझे कैसे वोट दें···

श्री राम जेठमलानी : अगर वाजपेयी साहब ने ऐसा कहा तो मैं पार्टी से रिजाइन करूंगा।

श्री गुलाम नबी आजाद : मैंने मिला-जुला बताया है।

श्री राम जेठमलानी : फिर गए न, आप ?

श्री गुलाम नबी आजाद : मैं अकेले वाजपेयी साहब के लिए नहीं कहता, कई इस तरह की पार्टियां हैं जो ऐसी बातें फैलाती हैं। इसलिए हमको इस बात को सोचना है और जो बीमारी है उसको पकड़ना है। हमको देखना है कि ऐसे कौन-से लोग हैं ? किसी भी पक्ष में ऐसे लोग हो सकते हैं। हमारी कांग्रेस में भी हो सकते हैं और लोकदल में भी हो सकते हैं। मैं अकेले जनसंघ की बात नहीं करूंगा, किसी भी पार्टी में ऐसे लोग हो सकते हैं और होते हैं। इसलिए हमको सबसे पहले उस लीडरशिप को पकड़ना है। सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म और डिमोक्रेसी—यह तीन बुनियादी चीजें है जिन पर हमारी मर्कजी सरकार चलती है। इन बुनियादी उसूलों को चलाने के लिए, उन शक्तियों को—चाहे वह रूलिंग पार्टी में हों या रूलिंग पार्टी के बाहर हों, उनको खोज निकालना होगा।

जहां तक ला एण्ड आर्डर की सिच्युएशन की बात है, मैं पहले तो उत्तर प्रदेश के मुख्य

मंत्री को बधाई देता हूं जिन्होंने इस बात का बीड़ा उठाया कि तमाम डकैतों को खत्म कर देंगे। लेकिन जहां तक डकैतों की बात है, केन्द्र में चाहे आज कांग्रेस की सरकार हो या पहले लोकदल और जनता पार्टी की सरकार रही, या इमरजैंसी के जमाने की कांग्रेसी सरकार रही हो, क्या किसी भी सरकार ने कभी यह खोज निकालने की कोशिश की है कि यह डकैत बनते कैसे हैं? उनके डकैत बनने की बुनियादी वजह क्या है? उनको इसके लिए इंस्पिरेशन कहां से मिलता है? यह किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की। यह डकैत कौन लोग हैं? हम में से ही कुछ नागरिक ही डकैत हैं। अगर सरकार सच्ची नीयत से इनको खत्म करना चाहती है तो मैं समझता हूं उसको बुनियादी बात को देखना चाहिए। जहां तक मैं समझता हूं इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वह है बम्बई की फिल्म इण्डस्ट्री। लेकिन किसी ने भी आज तक इसकी खोज नहीं की है। आज सबसे ज्यादा फिल्म वही चलती है जिसमें डकैती का सीन हो। उस फिल्म की सिल्वर-गोल्डेन जुबली मनाई जायेगी। दूसरी तरफ एक साधारण फिल्म जो सोशलिज्म या डाउरी की प्राब्लम को लेकर बनाई गई हो उसकी गोल्डेन जुबली तो क्या, लोहे की जुबली भी नहीं होगी। मैं आपके सामने एक उदाहरण देता हूं। यह 1973-74 की बात है।

काश्मीर में जब जुगनू फिल्म आई तो काश्मीर में 35 डैकाइटीज हुईं। जितने अर्से वह फिल्म चली, चोरी कर के दरवाजे पर जुगनू लिखकर चले जाते थे। इस तरह से छोटी-बड़ी 35 डैकाइटीज हुईं, क्योंकि उन दिनों वह फिल्म दो-तीन सिनेमाघरों में लगातार चल रही थी।

आपको मालूम है कि छविराम मारा गया, वह कहां मारा गया? एक गांव में गाने का प्रोग्राम चल रहा था और वह वहां गाना सुनने आया था और 12 लोग पकड़े गये। जिस तरह फिल्म में दिखाया जाता है, दूल्हा-दुल्हन की शादी होती है, नाच-गाना होता है और डाकू वहां भेस बदल कर आते हैं और दुल्हन को उठाकर ले जाते हैं। मेरे कहने का मकसद है कि हमारे डाकुओं पर 99 परसेन्ट इन फिल्मों का असर पड़ता है। आज जो इस तरह की नई-नई स्टोरीज निकल रही हैं, पैसा बनाने के लिए, होम मिनिस्ट्री को इस तरफ ध्यान देना चाहिये।

इन डाकुओं में ऐसे लोग भी हैं जिनके साथ समाज में जुल्म होता है और सरकार उनको प्रोटेक्शन देने में असफल होती है, नाकामयाब होती है। किसी का भाई मारा जाता है, किसी के साथ समाज में कोई दुर्घटना होती है और सरकार उसको प्रोटेक्शन देने में नाकाम होती है तो वह डाकू बन जाता है और उसके मन में यह भावना पैदा होती है कि यह सरकार मुझ को प्रोटेक्शन देने में नाकाम हुई है। अब मैं खुद ही बदला लूंगा, उसके मन में बदले की भावना पैदा होती है। गृह मंत्रालय को इन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिये कि डेकाएट्स के पीछे भावना क्या है। जब तक हम बीमारी को नहीं पकड़ेंगे चाहें जितनी दवाइयां दीजिये, टेटरासाइक्लिन या दूसरे साइक्लिन के इंजैक्शन दीजिये उनसे कोई इलाज होने वाला नहीं है, 10 को मारेंगे तो 100 और पैदा होंगे।

दो वर्ष पहले होम मिनिस्टर साहब ने इस सदन में यह आश्वासन दिया था कि इस मुल्क में हर किस्म के, हर मजहब के लोग रहते हैं इसलिये जहां तक पुलिस का सवाल है, चूंकि पुलिस भी बाज-औकात मुल्क के अलग-अलग हिस्सों में अपने-अपने तरह से लोगों के साथ ट्रीटमैन्ट करती है

इसलिये पुलिस में हर मजहब के लोगों को, हरिजन, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने मजहब हैं सब के लोगों को भरती किया जायगा। मैं होम मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं कि क्या इसमें आगे कुछ काम हुआ है या खाली यह एक तजवीज थी ?

उत्तर प्रदेश और बिहार के अन्दर जहां डेकाइटीज ज्यादा होती हैं, डेकाइटीज के साथ-साथ यूनीवर्सिटीज और कालिजिज में छोटे-बड़े और भी कई तरह के फितने होते हैं, छूरे घोंपे जाते हैं, गोलियां चलाई जाती हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में हिन्दुस्तान के किसी भी हिस्से के मुकाबले सब से ज्यादा अन-लाइसेंस्ड हथियार लोगों के पास हैं। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार या होम मिनिस्ट्री ने कभी इस बात की कोशिश की है या कोई स्पेशल इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो बनाया है कि वहां बहुत ज्यादा छोटी-छोटी फैक्टरियां हैं जो हथियार बनाकर सप्लाई करती हैं उनकी जांच करके, उनको पकड़ कर सजा दी जाय ?

सभापति जी, सवाल यह नहीं है कि कम्यूनल रायट्स बन्द हो या ला एण्ड आर्डर सिचुएशन अच्छी हो, सवाल यह है कि जो भी इन मामलों में भाग लेते हैं उनको क्या सजा मिलती है—जनता इस बात को देखती है। अगर आप उनको कुछ देर के लिये जेल में रखते हैं, चाहे वह तिहाड़ जेल हो या कोई दूसरी जेल हो और वे जेल से भाग जांय तो उसका जनता पर कोई असर नहीं पड़ता है। लोग चाहते हैं कि जो भी आदमी यह ठहराया जाय कि उसने बुरा काम किया है, उसको कितनी सजा मिलती है, इसका असर लोगों पर पड़ता है, उसको पकड़ कर बन्द कर देने का असर नहीं पड़ता है, सजा का असर पड़ता है। जहां तक कांग्रेस की सरकार का ताल्लुक है हमारी प्रधान मंत्री के नेतृत्व का ताल्लुक है, हम को वोट इसलिए भी ज्यादा मिले हैं कि हमारी सरकार सख्ती से, ज्यादा शिद्दत से काम ले और जो भी मुल्क के खिलाफ काम करते हैं, जो भी निगरानी और डिसिप्लीन को नेस्तोनाबूद करने की कोशिश करते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा सजा मिले। लोग यह एक्सपेक्ट करते हैं कि इन्दिरा जी की सरकार में ऐसा हो। मुझे उम्मीद है कि होम मिनिस्टर साहब इस पर ध्यान देंगे।

जहां तक मंडल रिपोर्ट का ताल्लुक है, इसकी तजवीजों पर हमें ध्यान देना चाहिए। हमारे मुल्क में हर किस्म की कम्युनिटीज हैं। उनके बारे में इसमें जो तजवीजें हैं उनको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। यह एक अच्छी बात होगी।

जहां तक हमारे मुल्क की नेशनल इन्टीग्रेशन का ताल्लुक है, हमारे बुर्जुग साथी श्री राम जेठमलानी जी अभी बोल रहे थे। मैं उनसे कहूंगा कि कांग्रेस के जमाने में इस मुल्क में जितना नेशनल इन्टीग्रेशन हुआ उतना किसी वक्त में नहीं हुआ। पंडित नेहरू की हुकूमत में और मिसिज इन्दिरा गांधी की हुकूमत में यह जितना मजबूत हुआ इसकी मिसाल हिन्दुस्तान में और नहीं मिल सकती। यह आगे और भी मजबूत होने वाला है

नेशनल इन्टीग्रेशन का खाली इतना मतलब नहीं है कि हम भाषण करें। सवाल यह है कि हकीकत में हम कहां तक नेशनल इन्टीग्रेशन को मजबूत बनाने में कामयाब हुए हैं। आप कांग्रेस का वक्त देखिये। काश्मीर से कन्याकुमारी, सिक्किम से गुजरात तक कांग्रेस की सरकार '77 तक रही। उस वक्त कांग्रेस की जो भी पालिसीज बनती थीं, मकरज की जो भी पालिसीज

होती थीं वे तमाम राज्यों में चलती थीं। आज कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जिसमें हमारे जैल सिंह होम मिनिस्टर हैं। स्टीफन साहब भी मिनिस्टर हैं, मकवाना साहब और शंकरानन्द जी भी मिनिस्टर हैं। क्या मैं अपने बुर्जुग साथी से यह पूछूं कि क्या कोई शेख मोहम्मद या बशर भी इसमें हैं ? केवल भाषण कर देने से यह नहीं होता है। इसको हमें प्रेक्टिकल्ली करना होता है। हम इतना ही कहेंगे कि हम नेशनलिस्ट्स हैं, हम सैक्युलरिस्ट्स हैं। आप उनकी पार्टी में देखिये कि कितने औहदेदार किस-किस नाम के हैं। कांग्रेस पार्टी आज मुल्क को नेशनल्ली, सोशल्ली, इकोनोमिकल्ली एक रख रही है। हिन्दुस्तान में आज हर मजहब के लोगों की हिफाजत की जाती है। ऐसी पार्टी हिन्दुस्तान में अभी तक पैदा नहीं हुई, मुझे नहीं मालूम कि आगे भी पैदा होगी या नहीं।

एक बात की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। जब भी कोई बात पार्लियामेंट में होती है तो यह कह दिया जाता है कि यह स्टेट्स का मसला है। मैं इस बात से इत्तिफाक नहीं करता। मैं समझता हूं कि नेशनल इंटीग्रेशन की तरफ यह बड़ा स्टेप जाता है कि हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है और हिन्दुस्तान के इस सुप्रीम इदारे की हिन्दुस्तान के किसी भी हिस्से में जवाजियत होनी चाहिए। चाहे काश्मीर हो, केरल हो, त्रिपुरा हो या अण्डमान निकोबार हो, हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में अगर लोगों के साथ ज्यादती होती है तो होम मिनिस्टर को यह हक होना चाहिए कि उसमें इन्टरफीअर करे। यह कहां की जवाजियत, कहां की डेमोक्रेसी की बात है कि त्रिपुरा के अन्दर तीन सौ लोगों को मारा जाए और यहां की सरकार यह कहे कि वहां अपोजिशन की गवर्नमेंट है, हमारे होम मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकते। यह कहां की जवाजियत है कि वेस्ट बंगाल में वहां की सरकार में अपोजिशन पार्टी के लोगों का कत्लेआम हो और यहां की सरकार कुछ न कर सके ? यह कहां की जवाजियत है कि किस्तवार के अन्दर 10 महीने से, एक साल से एजीटेशन चलता रहे और वहां गोली चले। वहां श्री वेंकटसुबैय्या जी जो कि इस वक्त हाउस में नहीं हैं वे और मैं इकट्ठे गए और उनके सामने सोडो मी के केस, जिनके साथ रेप हुआ उनको पेश किया गया लेकिन वहां के आई० जी० लोगों से क्या कहते हैं कि आज तुम्हारे सेन्टर के मिनिस्टर आए हैं, कल तुम्हें हमारे साथ निबटना है।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : मेरी इत्तिला के मुताबिक वेंकटसुबैय्या जी के खिलाफ भी किस्तवार पुलिस ने दफा 144 के तहद केस रजिस्टर किया है। यह हालत है होम मिनिस्टर आफ इंडिया की भी वहां।

श्री गुलाम नबी आजाद : होम मिनिस्टर के वहां जाने के बाद यह फायदा हुआ है कि जहां पहले सिर्फ मर्दों को गिरफ्तार किया गया था, बूढ़ों और बच्चों को किया गया था वहां उनके जाने के बाद हैलीकाप्टर आता है और औरतों को भी, सब को गिरफ्तार करके ले जाता है। उनको भी बख्शा नहीं जा रहा है। इतना ज्यादा असर होम मिनिस्टर का वहां हुआ है। दूसरा असर यह हुआ कि हमारे खिलाफ तो 144 के केस रजिस्टर करने ही थे लेकिन होम मिनिस्टर के खिलाफ भी दफा 144 का केस रजिस्टर किया और कहा गया कि वह लोगों में गए और उन्होंने उनके साथ बातें कीं। मैं नहीं समझता कि 370 या 478 दफा का हवाला देने से हिन्दुस्तान की इंटैग्रेटी बनी रह सकती है। अंदरूनी खुद मुख्तारी हर स्टेट की होनी चाहिये। लेकिन जहां भी ला एण्ड आर्डर की बात हो मरकजी हकूमत को पूरे अखत्यारात होने चाहिए कि वह क्राइम्ज को खत्म करने के लिए, मत-

भेद जो होते हैं, उनको खत्म करने के लिए कदम उठा सके और इंटरवीन कर सके। जो कुछ भी जायज हो वह कर सके, ये अखत्यारात उसको होने चाहिए।

लद्दाख में एक साल से एजीटेशन चल रही है। दो आदमी मारे गए हैं। उनका कोई भी मिनिस्टर वहां नहीं गया है। चीफ मिनिस्टर नहीं गया है। उत्तर प्रदेश में एक आदमी या दो आदमी मरते हैं तो मुख्य मंत्री वहां जाता है, ज्ञानी जी जाते हैं लेकिन हमारी स्टेट के अन्दर ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ साथी कहते हैं कि प्रधान मंत्री क्यों नहीं गईं उत्तर प्रदेश वगैरह। लेकिन जब किस्तवार में एक आदमी मरा, दर्जनों जख्मी हुए, लद्दाख में दो मरे और दर्जनों जख्मी हुए तो किस्तवार का मिनिस्टर जो लोकल एम० एल० ए० है वह तक वहां नहीं गया। लोकल एम० एल० ए० और जो मिनिस्टर भी है वह वहां एक साल से नहीं गया है। दिल्ली से होम मिनिस्टर भी गए हैं लेकिन वह नहीं गया। लद्दाख के अन्दर लद्दाख का मिनिस्टर नहीं गया है। वहां का होम मिनिस्टर गया, चीफ मिनिस्टर गया ? कोई नहीं गया। यहां से कोई होम मिनिस्टर जाएगा या कोई चीफ मिनिस्टर जाएगा तो कहेंगे यह स्टेट सबजैक्ट है। यह कहां का स्टेट सब्जेक्ट है ?

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि किसी भी राज्य में करप्शन की बात हो तो होम मिनिस्टर को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री पर करप्शन का चार्ज लगा। पार्लियामेंट के सभी साथियों ने उसको सुना भी और आवाज भी उठाई। लेकिन काश्मीर के अन्दर जो करप्शन हो रही है—फिर बात आएगी 370 की कि काश्मीर का सबजैक्ट है, स्टेट सबजैक्ट है—उस पर कभी होम मिनिस्टर ने ध्यान नहीं दिया। प्रधान मंत्री कहती हैं कि आप पेड़ लगाएं। हमारी अपनी पार्टी का पांच नुक्काती प्रोग्राम है जिसमें पहले नम्बर पर पेड़ लगाने की बात कही गई है और लाखों करोड़ों पेड़ लगाए भी जाते हैं लेकिन दूसरी तरफ शेख साहब और उनकी सरकार लाखों और करोड़ों पेड़ काटती जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है और उसके एवज में कितना पैसा मिलता है, कितनी बिल्डिंग्ज बनती हैं ? यह कहां तक उचित है ?

14.37 [उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मेरा डिस्ट्रिक्ट किस्तवार है। वहां पाडर माइन है। हिन्दुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे अच्छा नीलम, सैफायर वहां पैदा होता है। शेख साहब की सरकार वहां क्या करती है ? इस को वह अपनी पार्टी के एक साथी को, अपने वर्कर को दो लाख रुपये पर देती है जबकि साल की आमदनी उससे होगी एक करोड़ की। अपनी पार्टी के साथी को वह दे देती है लीज पर जो देता है दो लाख रुपये सैफायर का दो लाख रुपये में एक छोटा-सा अंगूठी के लिए टुकड़ा भी नहीं आता है नीलमकी तो बात ही अलग रही। मुट्ठी भर नीलम भी अगर वहां निकले तो करोड़ों का होगा।

तो 2 लाख रु० में वहां के मुख्य मन्त्री उस दौलत को बेच देते हैं। यह देश की जायदाद है, यह एक सूबे की जायदाद नहीं है। जो जंगलात हैं उनकी दौलत एक सूबे की नहीं है बल्कि सारे देश का खजाना है। वहां का नीलम हिन्दुस्तान का सरमाया है। उसको इस तरह बेदर्दी से खत्म नहीं करना चाहिये ताकि आने वाली पीढ़ी के माथे पर दाग बनकर रह जाये। गृह मंत्री जी को इस तरफ ध्यान देना चाहिये। और जो वहां के मुख्य मन्त्री के खिलाफ खुली किताब निकली है "शेख अब्दुल्ला की जीवनी एक खुली किताब" लेखक श्री आबिद हुसैन खान, उसको मैं सदन की टेबिल

पर रखता हूं और उसकी तरफ होम मिनिस्ट्री का ध्यान दिलाता हूं। इन शब्दों के साथ मैं होम मिनिस्ट्री की ग्रान्ट्स का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसकी जांच होगी।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री राम जेठमलानी इस सदन के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और हम सब उनका आदर करते हैं। उन्होंने कुछ मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किये हैं जिन पर आम सहमति और परस्पर विचार-विनिमय आवश्यक है और हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन श्री राम जेठमलानी द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें कई अन्य वक्ता भी पहले ही उठा चुके हैं। मेरे विचार से इन सब मुद्दों से निबटने का समय आ गया है।

लोकतंत्र के सम्बन्ध में चर्चा जोरों पर है। भ्रष्टाचार शब्द का उपयोग किया जा रहा है ; सदन के बाहर प्रदर्शन भड़क उठे हैं। प्रणाली के स्वरूप की बातें की जा रही हैं—ये सब मामले बहुत महत्वपूर्ण हैं—और जब मैं गृह मन्त्रालय की मांगों की बात कहता हूं तो यही संगत होगा कि मैं इन मुद्दों में से कुछ का उल्लेख करूं—विपक्ष के मत का और अपने पक्ष के मत का भी।

हम सभी इससे सहमत हैं कि हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था है। यह सदियों से चला आ रहा समाज है। यह समाज भारी परिवर्तन, जबरदस्त परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। अनिच्छा से ही सही, श्री रास जेठमलानी भी इसे स्वीकार करेंगे कि हमने किसी तरह की स्थिरता पर जोर नहीं दिया है। हमने परिवर्तन के पहलू पर हमेशा जोर दिया है। जहां ऐसे पुराने समाज, प्राचीन समाज जो लूटपाट और शोषण की दृष्टि से असुरक्षित रहे विशेषत: जब वे दो पक्षों के दो बड़ी प्रणालियों के बीच फंस गए तो हमारे नेताओं और संविधान के निर्माताओं के घोषित उद्देश्यों को अर्थ और आयाम देने के लिए उन्हें अपने संसाधनों का पालन करना पड़ा। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में और अपने देश में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए स्वयं के लिए गुंजाइश रखनी पड़ी। ऐसी परिस्थिति में श्री राम जेठमलानी और पहले बोलने वाले मेरे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी के मित्रों ने अपने भाषणों में इन परिवर्तनों का उल्लेख किया है। अगर आप परिवर्तन की प्रकृति को देखें तो हिंसा, परिवर्तन की सहगामी है। जब भी ऐसे समाजों में जबरदस्त परिवर्तन हुआ है, हिंसा भड़की है। कम्युनिस्टी हिंसा या साम्प्रदायिक हिंसा की संभावना को दूर करने के उद्देश्य से ही हम बहुसंख्यक लोकतंत्र, योगदानात्मक लोकतंत्र, वयस्क मताधिकार आधारित प्रणाली, प्रत्येक को उसका अपेक्षित हिस्सा प्रदान करने वाली प्रणाली—पर आधारित प्रणाली चाहते थे। विनिर्दिष्ट लोकतांत्रिक संस्थाओं के संबन्ध में यह स्वाभाविक है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की वृद्धि की गति कुछ धीमी होती है और लोगों की आकांक्षाएं तीव्र होती हैं—इसके लिए हमारे दल और हमारे नेताओं, जिन्होंने हमें यह प्रणाली प्रदान की उनके दृष्टिकोण को जिम्मेदार ठहराया जाता है। इस प्रणाली का सम्पूर्ण ढांचा, ग्राम स्तर से ब्लाक स्तर पर, पंचायत से संसदीय लोकतंत्र तक और इस सम्मान्य सदन, संसद—सम्पूर्ण ढांचा, मूल ढांचा अपेक्षित परिवर्तन, स्थिरता की स्थापना और साथ-साथ लोगों को हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करने का साधन है। इस तरह हमने सामाजिक राजनीतिक गतिशीलता हासिल की है। परन्तु जब भी कोई असंतोष हो, महत्वपूर्ण आकांक्षाओं और मूल्य-पूर्ति अभिलाषाओं का त्याग न किया जाए तो उनका समाधान किया जाता है—यह देश के लोकतंत्र और लोकतन्त्री संस्थाओं की सफलता है ; और इस देश की जनता

जिन्हें हम इस पृथ्वी के असहाय प्राणी कहते हैं ; इस पृथ्वी के सबसे निर्धन लोग—वे अब सम्मिलित होकर उठ खड़े हुए हैं, एक अहिंसक तरीके से। जब मैं यह कहता हूं कि वे सम्मिलित होकर उठे खड़े हुए हैं तो इसका अभिप्राय यही है कि उनकी एकता, उनका साहचर्य और राष्ट्रीय संपत्ति में अपना हिस्सा मांगने के लिए उनकी तत्परता प्रसंसनीय है और यह तभी संभव हो सका है जब इस देश में लोकतन्त्र ने पंडित जवाहलाल नेहरू और श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में सफतापूर्वक कार्य किया है।

ऐसी स्थिति में राजनीतिक प्रणाली में हिंसा का प्रश्न उभरता है, मैं पहले कह चुका हूं कि हमारा दृष्टिकोण शांतिपूर्ण ढंग से, लोकतांत्रिक तरीके से और समाजवादी कार्यक्रम के माध्यम से इस प्राचीन समाज में परिवर्तन, पूर्ण परिवर्तन का दृष्टिकोण रहा है। कभी-कभी असंतोष और कुंठा उभरती है क्योंकि लोकतांत्रिक संस्थाओं ने लोगों में आकांक्षाए भर दी हैं। परन्तु यह शेष कुंठा के फलस्वरूप हिंसा की प्रवृत्ति को नियन्त्रित करना होगा, इसे लोकतंत्रसम्मत माध्यमों से संपन्न करना होगा, और इस में विपक्षी दलों की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। श्री जेठमलानी ज्ञानी व्यक्ति हैं। वह इससे सहमत होंगे कि इस प्रणाली का विपक्ष उतना ही आवश्यक अंग है जितना सत्ताधारी दल। आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, अतः जब आप इन परिवर्तनों को देखते हैं कि हिंसा क्यों हो रही है, अनिश्चितता का वातावरण क्यों है—इन सब तथ्यों को मिला दिया जाता है। इन्हें भड़काने और इस प्रणाली को अस्थिरता प्रदान कर सरकार को परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। अतः जब आपने यह मामला उठाया है तो मैं श्री जेठमलानी को 1967 की याद दिलाता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि श्री जेठमलानी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मेरे कम्युनिस्ट मित्र, इस पर मनन करें क्या हुआ ? अब इस राजनीतिक प्रणाली को सबसे बड़े दल, सबसे पुराने दल की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी संभाल रही हैं, उन्होंने इस देश पर एक दशक से भी अधिक वर्षों तक शासन किया है और इस देश को गौरवान्ति किया है, परन्तु राष्ट्रीय सामंजस्य संतुलन को अस्त-व्यस्त करने और खराब करने के लिए कौन उत्तरदायी है ? बहुत पहले जब पंडित नेहरू जीवित थे—मेरे बहुत वरिष्ठ सहयोगी यहां मौजूद हैं—राजनीतिक प्रणाली के पंडितों का कहना था कि यह प्रणाली बहुत उपयुक्त है। इस प्रणाली के प्रति राष्ट्रीय सहमति की, प्रो० रंगा यहां मौजूद है और वह मेरी बात के साक्षी हैं, जब भी कोई आक्षेप हुआ तो वह आक्षेप कांग्रेस दल के कार्यक्रमों के विरुद्ध था। थोड़े-से उन्मत्त व्यक्तियों को छोड़कर, नेहरू को, 1967 के बाद से छोड़े जाने वाले विषैले दुष्प्रचार का लक्ष्य कभी नहीं बनाया गया। इसलिए विरोधी दलों के मापदण्ड भी स्पष्ट हैं। वैचारिक संकीर्णता खतरनाक है। यदि आप विचारधाराओं को मिश्रित करते हैं तो कोई भी प्रणाली विकृत हो जाती है। 1967 में क्या हुआ ? जेठमलानी महोदय, मैं नहीं जानता कि आप उस समय जनसंघ में थे। वह एक नए अवतार हैं और वह भारतीय जनता पार्टी में नए-नए आए हैं। मैं नहीं जानता कि वे जनसंघ में पहले से हों।

श्री राम जेठमलानी (बम्बई उत्तर-पश्चिम) : मैं जनसंघ में कभी भी नहीं रहा।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : मुझे यह जानकर खुशी हुई।

श्री राम जेठमलानी : खुश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपकी गलतफहमी दूर कर रहा हूं।

प्रो० के० के० तिवारी : आप उस भयानक विकृति को याद कीजिए, जो सभी सैद्धान्तिक मापदण्डों को भुलाकर इस देश की राजनैतिक प्रणाली में शुरू हुई थी। केवल सत्ता को हथियाने के उद्देश्य से श्रीमती इन्दिरा गांधी को लक्ष्य बनाया गया और 1967 में इस देश के सभी विरोधी दलों की एक डांवाडोल गठजोड़ हुई। सी० पी० आई० और तत्कालीन जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी है, ने गठजोड़ किया और उनका एकमात्र उद्देश्य श्रीमती गांधी को हटाना था न कि कांग्रेस विचार-धारा को समाप्त करना। यदि विचारधारा ही लक्ष्य रहा होता तो उसका स्थान या तो सी० पी० आई० विचारधारा ने लिया होता अथवा जनसंघ विचारधारा ने। जब दोनों ने एक साथ गठजोड़ किया, तो कोई भी विचारधारा न रही। इसलिए सैद्धान्तिक बातों को त्याग कर और केवल अवसरवाद के लिए राष्ट्रीय हितों को भुला कर लोगों ने गठबंधन किया। निस्संदेह आठ राज्यों में हमारी पराजय हुई और उसके पश्चात अस्थिरता और आर्थिक विनाश का एक लम्बा दौर चला। मैं नहीं जानता कि मेरे कांग्रेस (यू) के कुछ मित्र भी उनमें शामिल थे या नहीं। हो सकता है वे भी हों। महोदय, यह स्वतन्त्रता के पश्चात् इतिहास के सृजन की एक लम्बी कहानी है। कांग्रेस दल के लिए सर्वजन हिताय हमारा सपना रहा है परिवर्तन का सपना। महोदय 1969 में भारी विघटन हुआ। हम इसे स्वीकार करते हैं। हमने ऐसे लोगों के साथ सत्ता में बने रहने के बजाए जो हर प्रकार के परिवर्तन के विरुद्ध थे, विघटन पसन्द किया। इसलिए यह विघटन मुख्यतः आर्थिक कारणों से सामाजिक परिवर्तन के लिए हुआ और बड़े नेताओं के एक समूह को, हमसे अलग होने पर, जनसंघ, सी० पी० आई० और सी० पी० एम० से जय जयकार प्राप्त हुई। महोदय, इसे फिर से दोहराया गया। तत्पश्चात श्रीमती गांधी को 1971 में पुनः चुनौती दी गई। यह सभी लोग फिर से इकट्ठे हुए और इस गठजोड़ को गठबंधन का नाम दिया गया। यह प्रतिक्रियावादी ताकतों, साम्प्रदायिक ताकतों के अव्यवस्थित गठबन्धन का एक और नमूना था। किन्तु इस देश के लोग इन्दिरा गांधी को जानते हैं। उनकी करारी हार हुई और वे गुमनामी में खो गए। शायद वे काफी वर्षों तक कन्दमूल खा कर ही गुजारा करते रहे।

बंगला देश की लड़ाई जैसी कुछ कठिनाइयों का लाभ उठाते हुए—महोदय, आप जानते हैं कि इस प्रकार की लड़ाइयों के कुछ सहवर्ती परिणाम होते हैं—ये सभी उपद्रवी एकदम से क्रान्तिकारी बन गए और सम्पूर्ण क्रान्ति का आह्वान किया। लोगों को देश की सम्पूर्ण क्रान्ति का लालच दिया गया। लोगों को धोखे से फंसाया गया और वे 1977 में फिर से सत्ता में आ गए। यह सभी जानते हैं। मैं इसका जिक्र नहीं करूंगा हम जानते हैं कि प्रणाली को नुकसान पहुंचा। यहां नैतिक ताने बाने अथवा नैतिक मूल्यों को, जिसके सम्बन्ध में श्री जेठमलानी बात कर रहे थे, किसी न किसी प्रकार समाप्त कर दिया गया। सत्ता के अतिरेक अथवा सत्ता की लालसा के कारण .राजनैतिक मूल्यों का हनन किया गया। यह सब इतिहास का एक हिस्सा बनेगा और जेठमलानी महोदय, अन्ततोगत्वा आपका मूल्यांकन उसी आधार पर होगा जो आपने किया है। आपने इस प्रणाली को जानबूझ कर कितना नुकसान पहुंचाया है। आपने इस प्रणाली को झंझोड़ दिया है। इस सम्बन्ध में मैंने अभी एक या दो बातों का ही उल्लेख किया है। आप फिर से इस राजनीतिक दृश्य योजना की बात कर रहे थे।

श्री राम जेठमलानी : आप ज्ञानी जैल सिंह के योगदान का उल्लेख क्यों नहीं करते ?

प्रो० के० के० तिवारी : श्री जेठमलानी अब इसके बाहर हैं। ज्ञानी जैलसिंह के पास इस

विभाग की अध्यक्षता करने का स्थायी आधार है। मैं अभी आपकी बात पर ही आ रहा हूं। आप देश की अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य और प्रजातंत्र प्रणाली की बात कर रहे थे। मैं अभी उसी पर ही आ रहा हूं। आप देखिए हमारे चारों ओर क्या हो रहा है? हमें आपके लिए दुख होता है। हम भारी बहुमत में हैं। प्रणाली का एक भाग पूर्ण है। हमें प्रसन्नता होती यदि आप इस स्थिति में होते कि प्रणाली को चलाने और इस देश परम्परागत विरासत में मिली समस्याओं को सुलझाने में रचनात्मक भूमिका निभाते। किन्तु हो क्या रहा है? यह एक प्रकार का सरकस हो रहा है—राजनीतिक सरकस और मैं आपको इस बात की चेतावनी देता हूं कि इससे आपको भारी नुकसान हो रहा है और अन्ततोगत्वा इस एकता वार्ता से उन नैतिक मूल्यों का हनन होगा जिसकी आप बात कर रहे हैं। आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। अब मैं यर्थाथ विवरण पर आता हूं और मेरा विचार है कि श्री जेठमलानी इसका बुरा नहीं मानेंगे। मैं चाहता था कि सी० पी० आई० (एम०) के भी कुछ सदस्य सदन में उपस्थित होते। प्रजातंत्र के खतरे में होने पर सभी प्रकार के तीसरे दर्जे के नारे लगाए जा रहे हैं किन्तु मैं चाहता हूं कि आप उनकी भूमिका की पुनरीक्षा करें। श्री जेठमलानी, ज्ञानी जी की इन उर्दू पंक्तियों पर नाक-भौं सिकोड़ेंगे किन्तु मैं इन पक्तियों का उल्लेख करना चाहूंगा ;

इन्कलावे गर्दिशे दौरां को देखिए।

मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफर न थे।

महोदय, जहां तक इस देश में प्रजातंत्र का संबंध है मैं आप दोनों के सम्बन्ध में कह रहा हूं। मैं तथाकथित प्रगतिवादियों और प्रतिक्रियावादियों की बात कर रहा हूं। सी० पी० आई (एम०) के एक वरिष्ठ सदस्य एक ऐसे भूत का डरावना रेखा चित्र चित्रित करने का प्रयत्न कर रहे थे जो इस देश से प्रजातंत्र का गला घोंट रहा है। क्या मुझे प्रजातांत्रिक संस्थाओं के विकास और इस देश में स्वतन्त्रता प्राप्ति में उनकी भूमिका की याद दिलाने की इजाजत देंगे? आप विखंडनवादी ताकतों की बात करते हैं। आप जातिवाद और साम्प्रदायिक ताकतों की बात करते हैं। हम इस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं किन्तु प्रजातन्त्र के स्वत: निर्मित प्रजनकों, प्रयोजकों और प्रवक्ताओं को औरों पर कीचड़ उछालने की बजाय इस समस्या का समाधान खोजना चाहिए। शीशे के घरों में रहने वाले दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते।

महोदय, मैं तत्कालीन सी० पी० आई० के 1943 के भटिंडा संकल्प की बात कर रहा हूं। वे भारत को उप राष्ट्रीयताओं वाला देश मानते थे और तत्कालीन सी० पी० आई० का मूल दर्शन यह था कि प्रत्येक राष्ट्रीयता की अपनी एक अलग पहचान है और इसे भारत से स्वतंत्र रहने का अधिकार है। यह था इनका प्रजातन्त्र के प्रति प्यार! तथा आपको 1942 की भी याद दिलाई जाए। आपने 1942 में क्या किया? जब भारतीय लोग एक जुट होकर गुलामी का जुआ उतार फेंकने का प्रयत्न कर रहे थे, आप लोग अंग्रेजों के साथ सांठ-गांठ कर रहे थे और भारत के महान् नेताओं —जिनका आप लोग भी कभी-कभी उल्लेख करते हैं—को साम्राज्यवादी एंजेट अथवा साम्राज्य-वाद के गुर्गे करार दिया। यह थी आपकी भूमिका!

अब मैं जेठमलानी के दल की बात करता हूं। सौभाग्यवश वे वहां नहीं थे। उनका दल भी उस समय नहीं था। लेकिन उनका जीवन स्रोत पुनर्जीवित होने की शक्ति और रुढ़िवाद की

शक्तियों को वापिस लाने का साधन और उन्हें हिन्दू राष्ट्रीयता अथवा हिन्दू राष्ट्रीयतावाद को पुनः जीवित करने के केन्द्रीय विषय के आधार पर इकट्ठा करने का साधन यह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ही था। ऐसी स्थिति में जब आप लोकतन्त्र के खतरे में होने की बात करते हैं तो हमें इन व्यक्तियों की भूमिका की गहराई से समीक्षा करनी होगी। शैतान धर्मग्रंथों का हवाला देकर बच नहीं सकते। मैं श्री जेठमलानी को यह सिद्ध करने की चुनौती देता हूं कि क्या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के आधा दर्जन कार्यकर्ता, लाठी चलाने वाले स्वयं सेवक अथवा जिनके बारे में वे कहते हैं कि वे एटमबम का लाठियों से मुकाबला करेंगे, क्या 1942 में उन्होंने गिरफ्तारियां दी थीं, क्या वे जेलों में गए ? आप ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसा लोकतांत्रिक मूल्यों के आदर्श आप ही हैं। महोदय, यदि अनुमति दी जाए तो मेरे पास श्री ए० हसन, मैजिस्ट्रेट (द्वितीय श्रेणी) आगरा द्वारा हस्ताक्षरित 1942 के एक समाचार पत्र की कतरन है। श्री जेठमलानी के प्यारे नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जेल में थे। शायद उन्हें गलती से पकड़ लिया गया था। उन पर 'आग लगाने' का अभियोग था। उनके विरुद्ध महान क्रान्तिकारी का अभियोग लगाना गलत था। अब क्या था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

श्री राम जेठमलानी : आप दो मिनट में ही अपनी बात का खण्डन कर रहे हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : श्री वाजपेयी को पकड़ लिया गया। उन्हें जेल भेज दिया गया। मैं उस बात का उल्लेख करूंगा जो मजिस्ट्रेट ने कहा। यह रिकार्ड से लिया गया है :

मेरा नाम : अटल बिहारी

पिता का नाम : गौरीशंकर

मेरी जात : ब्राह्मण

आयु : 20 वर्ष

पेशा : विद्यार्थी, ग्वालियर कालेज

मेरा पता : बटेश्वर, पी० एस० बाह, जिला : आगरा

यह बटेश्वर षड्यंत्र मामले से सम्बन्धित है। और श्री वाजपेयी को आगरा के द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा निम्नलिखित सलाह दी गई। मैं उसे उद्धृत करता हूं :

> "मैंने अटल बिहारी सुपुत्र गौरीशंकर को यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि वह कुछ भी स्वीकार करता है तो उसे कोई रियायत नहीं दी जाएगी और या उसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में प्रयोग की जाएगी। मेरा विश्वास है कि उन्होंने यह स्वेच्छा से कबूल किया। यह सुनवाई मेरी मौजूदगी में हुई और अटल बिहारी को पढ़कर सुना दिया गया। उसके द्वारा इसे सही करार दिया गया और इसमें उसके बयान का पूर्ण और सही ब्यौरा दिया गया है।"

महोदय, अब यह श्री वाजपेयी का बयान निस्सन्देह अत्यन्त दिलचस्प और पर्दाफाश करने वाला है। इससे पता चलता है कि वे किस प्रकार प्रजातंत्र की सेवा करते हैं और किस प्रकार

इस देश के देशभक्तों की सेवा करते हैं। महोदय, वे देश में देशभक्ति और राष्ट्रवाद के एक मात्र दावेदार होने का दावा करते हैं।

श्री वाजपेयी ने क्या कहा ? वक्तव्य उर्दू में दिया गया था । अंग्रेजी संस्करण यहां मेरे पास है; इसमें इस प्रकार कहा गया है। मैं उद्धृत करता हूं।

उन्होंने यह अपने एक सहयोगी के विषय में कहा है जिसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया :

"27 अगस्त, 1942 को आल्हा गाया जा रहा था···"

आल्हा एक गीत है जो उत्तर भारत में गाया जाता है।

> "बटेश्वर बाजार में···। लगभग 2 बजे, ककुआ उर्फ लीलाधर और महुआन 'आल्हा' में आए और एक भाषण दिया तथा लोगों को जंगलात के कानूनों को तोड़ने को कहा। दो सौ व्यक्ति जंगलात के दफ्तर गए और मैं, अपने भाई के साथ, भीड़ के साथ चलकर जंगलात दफ्तर बटेश्वर पहुंचा। मैं और मेरा भाई नीचे खड़े रहे और अन्य सभी व्यक्ति अन्दर चले गए। महुआन और ककुआ, जो कि वहां थे, उनके अलावा मैं किसी और व्यक्ति का नाम नहीं जानता।"

श्री चतुर्भुज (झालावाड़) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैं प्राइमिनिस्टर के खिलाफ 30-40 साल पहले के दस्तावेज रखूं तो आप रखने देंगे ?

(व्यवधान)

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या आप हमें प्रधानमंत्री के विरुद्ध भी कई दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अनुमति देंगे ? (व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, यह वह तरीका है जिससे ये प्रजातन्त्र के हितों की रक्षा करते रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप कहेंगे कि मैं इसे न पढ़ूं। लेकिन श्री जेठमलानी जी, आप दस्तावेज पढ़ते रहे हैं। आपने महाराष्ट्र का प्रश्न उठाया; आपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के विषय में दस्तावेज पढ़े; इन्होंने भी उसी तरह पढ़ा; सब कुछ हो चुका है; मैंने भी वही किया। फिर भ्रष्टाचार और नैतिक मूल्यों की बात करने में क्या है ? महोदय, मुझे विरोधी पक्ष के नेताओं द्वारा एक-दूसरे के विरुद्ध दिए गए वक्तव्यों को उद्धृत करते हुए शर्म महसूस होती है। वे किस प्रकार के नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं ? इस प्रकार का लांछन ये अपने भूत-पूर्व मित्रों और सहयोगियों पर लगाते हैं। मैं, जो कुछ श्री स्वामी ने वाजपेयी के बारे में कहा पढ़ रहा हूं। उन्होंने कहा है :

> "मानसिक तौर पर वह एक बहुत ही असुरक्षित व्यक्ति हैं। अपनी उम्र के अधिकतर अन्य राजनीतिज्ञों (55 से ऊपर) की तरह, ऐसे कार्यों में लिप्त रहना चाहते हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए···"

श्री राम जेठमलानी : आप श्री वाजपेयी पर विश्वास करते हैं या श्री स्वामी पर ?

श्री के० के० तिवारी : वह कहते हैं : 'वे ऐसे कार्य करना पसन्द करते हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए···' महोदय, इसका क्या अर्थ है ? यह बोलने लायक नहीं है और मैं इसे नहीं कहूंगा। इस प्रकार ये लोग नैतिक मूल्यों के हितों की रक्षा कर रहे हैं।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : आपका अपना मूल्य क्या है ? जो आप कह रहे हैं सुसंगत नहीं है। आप गृह मंत्रालय की मांगों पर नहीं बोल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप जो मुख्य बात कहना चाहते हैं उस मुद्दे पर आइए।

प्रो० के० के० तिवारी : इन्होंने भ्रष्टाचार के बारे में बातें कीं; सभी तरह से···

श्री राम जेठमलानी : क्या आप जीवन में अच्छी बातों को चाहते हैं या नहीं ?

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : श्री जेठमलानी, मैं यह जानता हूं···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री तिवारी, यह एक ऐसी दस्तावेज है जो कि 40 वर्ष पुराना है। मैं यह अवश्य कहूंगा कि आपने इसे काफी सम्भाल कर रखा है। आपने वह सब कहा जो श्री वाजपेयी ने अपनी 20 वर्ष की उम्र में कहा था। अब वह 62 वर्ष के हैं। उनमें अब कई परिवर्तन आ गए होंगे।

(व्यवधान)

श्री जयपाल सिंह कश्यप : 20 वर्ष की उम्र में वह नाबालिग थे। वह मताधिकार का प्रयोग भी नहीं कर सकते थे।

(व्यवधान)

श्री हरीश कुमार गंगवार : कांग्रेस (ई) में भी ऐसे अनेक व्यक्ति हैं। यदि उनका नाम लिया जाए, तो इन्हें चुप रहना पड़ेगा। (व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : श्री जेठमलानी, हम सभी भ्रष्टाचार के विरुद्ध हैं। हम भ्रष्टाचार के विरोध में काम करते रहे हैं। लेकिन सारी त्रासदी यह है कि सभी दोषी व्यक्ति जब तक हमारे साथ रहते हैं, भ्रष्ट हैं; लेकिन जैसे ही वे आपके साथ हो जाते हैं, वे आपके नेता बन जाते हैं। श्री बीजू पटनायक, क्या आप खन्ना समिति की रिपोर्ट भूल गए ? क्या आप श्री अर्स के बारे में ग्रोवर समिति की रिपोर्ट को भूल गए हैं ? ये लोग कांग्रेस-ई और श्रीमती इंदिरा गांधी के विकल्प के लिए मुख्य सौदेबाज हैं। आप भ्रष्टाचार का समूल विनाश कैसे कर सकते हैं ? आपको उनके सहयोग की आवश्यकता है। (व्यवधान) 1977 में समस्या यह थी कि दो बुरों में से किस कम बुरे को चुना जाए।

एक माननीय सदस्य : बड़ी-बड़ी बुराइयां आपकी तरफ आ गई हैं।

(व्यवधान)

श्री राम जेठमलानी : हमने इन दोनों बुराइयों में से कम बुराई को चुना है।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, विरोधी दलों की ओर से साहसिक कदम उठाए जाने की

आवश्यकता है। मैंने आशा की थी कि ये व्यक्ति—कम से कम इनमें से कुछ लोग—जो सिद्धान्तवादी हैं, जिनमें आगे बढ़ने की इच्छाशक्ति है, वे जांच की मांग या उच्चाधिकार प्राप्त समिति पर कम-से कम वैद्यालिंगम रिपोर्ट को, जो कि अभी तक अभिलेखागारों की धूल फांक रही है, सदन के सभापटल पर रखने की मांग करेंगे। क्या आपको श्री मोरारजी देसाई की सरकार और उनके गृहमंत्री की याद है और जिस प्रकार आपने उनकी सरकार गिराई और वे नैतिक मूल्य कहां हैं ? गृहमंत्री जैसे व्यक्ति द्वारा प्रधानमंत्री के पुत्र पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाया गया था और उस समय के प्रधानमंत्री ने गृहमंत्री की पत्नी और अन्य सभी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और फिर एक जांच समिति गठित की गई एवं सभी आरोपों की पुष्टि हुई।

(व्यवधान)

श्री राम जेठमलानी : मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप प्रधानमंत्रियों के पुत्रों का इतिहास-वर्णन न करें। अन्यथा इससे कई असमंजसपूर्ण स्थितियां उत्पन्न हो जायेंगी।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : श्री जेठमलानी, मैं समझता हूं कि आप इसे पचा नहीं पा रहे।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : जो अन्य बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है। मैं किसी दुर्भावना से नहीं बोल रहा हूं। मेरी मन्शा यह नहीं है कि मैं इससे कोई राजनीतिक लाभ प्राप्त करूं। वरन् मैं देश की अवस्था के विषय में बात कर रहा हूं और यह कहना चाहता हूं कि सत्तारूढ़ दल और विरोधी दलों के सक्रिय सहयोग से किस प्रकार देश को नवजीवन प्रदान किया जा सकता है।

श्री राम जेठमलानी : इसका एक ही उपाय है कि ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाए जिसके कोई लड़का न हो।

एक माननीय सदस्य : किसी कुंवारे को बनाना चाहिए।

श्री राम जेठमलानी : केवल मेरा दल ही इस योग्य है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह अपने नेता को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। वह ही कुंवारे है।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, मैं गृहमंत्री जी का ध्यान एक अत्यधिक रोचक और महत्व-पूर्ण मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं। यह देश की सुरक्षा के विषय में है। ये भारत के गृहमंत्री हैं। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, आसूचना ब्यूरो तथा अन्य एजेंसियां इनके अन्तर्गत कार्य कर रही हैं और वर्षों से देश के लोगों द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री डी० पी० यादव (मुंगेर) : श्री जेठमलानी ब्रह्मचारी प्रधानमंत्री चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, श्री तिवारी एक गम्भीर मामले पर बात कर रहे हैं।

श्री राम जेठमलानी : मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं किसी प्रकार के सभी ब्रह्मचारियों के खिलाफ हूं।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, यह देश की सुरक्षा से सम्बन्धित है। अतः, मैं चाहता हूं कि विरोधी पक्ष के सदस्य भी इसमें रुचि लें क्योंकि इस प्रकार के आरोप लगाए गए हैं। मैं इन

आरोपों में विश्वास नहीं करता। मैं किसी के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगा रहा। मैं इसे केवल सदन के ध्यान में ला रहा हूं। यहां पर मैं एक प्रसिद्ध पुस्तक से, जो कि श्री स्काट रीड ने लिखी है, उद्धरण दे रहा हूं। यह भारत में कनाडा के उच्चायुक्त थे—और नेहरूजी के संदेशवाहक थे। 1950 में, जब पाकिस्तान को हथियार दिए जाने प्रारंभ किए गए, इस व्यक्ति ने, जो कि उस समय दिल्ली में रह रहा था, भारत की आन्तरिक सुरक्षा के बारे में पुस्तक लिखी। अब, हाल ही में वह पुस्तक प्रकाशित हुई है।

उसने जो विवरण दिया है मैं उसे उद्धृत कर रहा हूं :

> "संयुक्त राज्य और पाकिस्तान के मध्य सैन्य समझौते ने भारत को अलग-थलग कर दिया है। भारत पाकिस्तानी प्रतिरक्षा में मौजूद अस्त्र-शस्त्रों का मुकाबला करने के लिए अपने शस्त्रागार में वृद्धि नहीं कर पायेगा क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह ध्यान रखा है कि भारत पश्चिमी देशों से आवश्यक आयात न कर सके। इन स्थितियों से कांग्रेस दल कमजोर होगा और जनसंघ मजबूत होगा, जिसके कि कुछ सदस्य अमेरिका के साथ समझौते को समर्थन देने के लिए तैयार थे। अमेरिका का उद्देश्य इस प्रकार भारत को ऐसी स्थिति में ला देना था जहां इसके पास अन्य कोई उपाय न रहे वरन् अमेरिका के साथ सैन्य-समझौता करना पड़े तथा इससे पश्चिम के लिए तृतीय विश्व में सेना के विस्तार का स्रोत प्राप्त हो सके।"

महोदय, इससे भारत की सुरक्षा पर असर पड़ता है और यह एक अधिकृत सूत्र से मालूम हुआ है। यह सी० आई० ए० का षड्यंत्र है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। इस पर बहुत कुछ कहा जा चुका है। महोदय, मैंने इसे सदन में उठाया था और जांच की मांग की थी। श्री स्वामी, जो कि हमारे मित्र हैं और सदन में हमारे साथ बैठते हैं, उन्हें श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्ति ने सी० आई० ए० का एजेंट कहा। हम कहां जा रहे हैं?

इससे ऊपर यह एक रहस्योद्घाटन है। यह एक बहुत गम्भीर बात है, जो कि दिल्ली से प्रकाशित इंडियन आब्जर्वर में दिनांक 15 नवम्बर, 1981 के अंक में छपी है। मैं किसी प्रकार का आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं केवल इसे सदन के ध्यान में ला रहा हूं। प्रकाशित एक लम्बे लेख में उच्च राजनीतिक नेताओं और देश की नागरिक सेवा के सदस्यों का नाम सीं० आई० ए० द्वारा धन प्राप्त करने वालों की सूची में सी० आई० ए० एजेंट के रूप में लिया गया है। और इसमें अमेरिकी अधिकारियों के नामों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, जो-जो अधिकारी जिस नेता से मिले, जिस तारीख और जिस स्थान पर मिले, हर बात का उल्लेख किया गया है। श्री वाजपेयी जी का नाम सबसे ऊपर है। फर्नाण्डीस, जगत महता, श्री वी० शंकर, श्री एस० वी० त्रिवेदी, 1972 के दौरान आसूचना उपनिदेशक, इन सभी के नाम उसमें हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपनी जिम्मेदारी मान ली है। उन्होंने लिखित में नोटिस दिया है।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय, श्री जेठमलानी के कागजातों को जांच के लिए

भेज दिया गया है। मैं इसे सभा पटल पर रखूंगा। आप इसकी जांच कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, इसकी जांच की जाएगी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : उस सूची से जेठमलानी का नाम कैसे रह गया?

प्रो० के० के० तिवारी : सौभाग्य से, जेठमलानी बहुत चालाक हैं, उन्हें पकड़ना उनके लिए आसान नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब गृह मंत्रालय की मांगों पर आइये। आपकी पार्टी के बोलने वाले बहुत से सदस्य हैं। वे इसके लिए मुझे दोष देंगे। अब इसे समाप्त कीजिए।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं समझता हूं कि जो कुछ पहले कहा जा चुका है मुझे उसे दोहराना नहीं चाहिये। मैं नए आधार बताऊंगा जो और भी अधिक आकर्षक हैं। माननीय सदस्य द्वारा सभी पुराने आधारों पर सदन में विचार किया गया है।

तो, महोदय, बहुत-सी बातें कही जा चुकी हैं। महोदय मैंने श्री जेठमलानी को अंतुले के मामले और देश में तस्करों की उपस्थिति में बारे में सदन में क्रोध में उत्तेजित होते हुए देखा है, यहां तक कि उन्होंने अपने स्वास्थ्य की भी परवाह नहीं की। निस्संदेह, इस बात से सभी सहमत हैं कि देश की अर्थव्यवस्था तस्करों द्वारा तबाह की जा रही है और इसी सदन ने देश के कुछ समाचार पत्रों के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार किया है। एक माननीय सदस्य, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, ने लंदन के एक तस्कर श्री निर्मल सेठिया के बारे में उसके द्वारा कही गई बातों को गलत ढंग से पेश करने पर कुछ पत्रकारों के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया है। यह भी आरोप लगाया गया था—यदि आप अनुमति दें, मैं अखबार से वह बयान पढ़ सकता हूं जो उन्होंने दिया था; यह समाचार पत्र की रिपोर्ट है, यह एक बहुत गम्भीर मामला है। यह इस सदन का विशेषाधिकार हनन है।

> "अंतुले के ट्रस्ट में तस्कर चन्दा देते हैं?
>
> श्री सतीश अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी के संसद सदस्य और भूतपूर्व वित्त राज्य मंत्री ने श्री आर० वेंकटरामन, वित्त मंत्री को एक पत्र में कहा है कि गैर-सामाजिक तत्व जिनका विदेशों से सम्बन्ध है, ने ए० आर० अंतुले द्वारा बनाए गए कुछ ट्रस्टों को चन्दा दिया था।
>
> श्री अग्रवाल ने दावा किया कि श्री निर्मल सिंह सेठिया, जिनका नाम राजस्व आसूचना विभाग की फाइलों में है, ने 5 करोड़ रुपये का चन्दा आदि दिया था।"

यह निर्मल सेठिया, अंतुले साहब के कितने निकट थे। माफ करना, मैं शेक्सपीयर के एक बयान का संशोधन करता हूं:

> "विरोधी दल, तेरा दूसरा नाम पाखण्ड है"।

अब, विशेषाधिकारों की आड़ में आप ऐसी ताकतों को सहयोग और प्रोत्साहन दे रहे हैं? ये बहुत-से पत्र पड़े हुए हैं।

श्री झुनझुनवाला, श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला, जो अब नहीं रहे, इस सदन के सदस्य थे। उन्होंने श्री सतीश अग्रवाल को श्री सेठिया के बारे में एक पत्र लिखा था.....

उपाध्यक्ष महोदय : इससे और अधिक समय लगेगा।

प्रो० के० के० तिवारी : यह पत्र 25 अप्रैल, 1978 का है। इसमें लिखा है :

> "लंदन के श्री सेठिया के बारे में हमारी बातचीत के संदर्भ में। मैं इसके साथ एक पत्र संलग्न कर रहा हूं जो स्वतः स्पष्ट है। मैं श्री सेठिया को पिछले 35 वर्षों से जानता हूं और मैं ऐसा नहीं समझता कि वह अवांछनीय व्यक्ति हैं। मैं आपके प्रति आभारी हूंगा यदि आप इस मामले की व्यक्तिगत रूप से जांच करेंगे ताकि इन्हें, जो एक अच्छे परिवार के हैं, भविष्य में खामखाह तंग न किया जाए। मैं कंवर लाल जी की पुत्री की शादी में शामिल होने के लिए 23 को सुबह दिल्ली आऊंगा, तब मैं आप से मिलूंगा और मैं यह आशा करता हूं कि तब तक आप इस मामले को देख लेंगे।"

25 अप्रैल को उन्होंने श्री अग्रवाल को लिखा।

श्री राम जेठ मलानी : बहुत-से आदमी ऐसे हैं जिन्हें हम सब तब तक प्रतिष्ठित समझते हैं जब तक सबूत नहीं मिलता कि वे प्रतिष्ठित नहीं हैं। आप क्या पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं ?

प्रो० के० के० तिवारी : यह सबूत आपके विरुद्ध साबित हुआ है।

29, अप्रैल को श्री सतीश अग्रवाल ने निष्पक्ष रूप से श्री झुनझुनवाला को यह लिखा :

> "लंदन के सेठिया के बारे में मुझे आपका 25 अप्रैल का पत्र मिल गया है। मैं मामले की जांच करवा रहा हूं। मैं 25 मई को आपसे दिल्ली में मिलने की आशा करता हूं।"....

इसके बाद क्या हुआ। इससे बहुत कुछ पता चलता है ? श्री सेठिया का पत्र श्री अग्रवाल को आया। यह पत्र 2 मई, 1978 का है, जब श्री अग्रवाल वित्त मंत्री थे। श्री सेठिया का पत्र लम्बा है। मैं केवल इसकी एक पंक्ति पढ़ रहा हूं। वे अपने पिता के बारे में लिखते हैं :

> "मैं इस बात को मानता हूं कि भारत में उनके प्रवास के दौरान, सीमा-शुल्क के बारे में उनकी कुछ कठिनाइयां थीं और..."

वे अपने पिता के बारे में लिखते हैं—

> "उन्होंने मैसर्ज सेठिया मरकेंटाइल (प्रा०) लि० और उसके निदेशकों के खिलाफ बहुत-से मुकद्दमे दायर किये। यद्यपि मैं नाबालिग था, मुझे तब, अज्ञात कारणों से, कम्पनी का निदेशक बनाया गया।"

और श्री जेठमलानी के खिलाफ, मैं कोई आरोप नहीं लगाता। वह सज्जन व्यक्ति हैं। मैं उनको सामान्य रूप से सज्जन नहीं कहूंगा। परन्तु वह सज्जन हैं, जो संसार भर में घूमते हैं। वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें वकील के रूप में बहुत अधिक पैसा मिलता है। मुझे बताया गया कि जब कभी भी वह विदेश जाते हैं—और भी ऐसे मित्र हैं, विशेषकर जब कभी वह कनाडा और इंग्लैंड

जाते हैं, वहां श्री सेठिया हैं, जो इस कुख्यात सेठिया के चाचा हैं । वे हमेशा श्री जेठमलानी के मेजबान होते हैं । और यहां बहुत नाटक किया गया, महोदय···।

श्री राम जेठमलानी : स्पष्टीकरण के रूप में मेरा यह कहना है । मैं श्री सेठिया के चाचा को नहीं जानता परन्तु मैं इस सेठिया को जानता हूं और अच्छी तरह जानता हूं । मैंने उसके दो ब्रदर्स इन-ला को प्रसिद्ध अमरावती हत्या कांड के मामले में बचाया था । वे मेरे मुवक्किल थे । मैं उनकी ओर से गया था । और मेरे मुवक्किल ऐसे हैं जिनको श्री अंतुले ने आखिरकार पैरोल पर सैकड़ों बार छोड़ा और श्री अंतुले ने उनको सलाह दी कि आप श्री जेठमलानी को छोड़ दो, क्योंकि "वह अपने मुवक्किलों के बावजूद भी मेरा पर्दाफाश कर देगा ।" इसलिए, उन्होंने आखिरकार श्री भारद्वाज, एक एडवोकेट जिसे श्रीमती गांधी द्वारा चुना गया था, को अपना वकील बनाया। मैं यह सब जानता हूं । उसे राज्य सभा का सदस्य बनाया गया है । यदि आप इन सब बातों की जांच करना चाहते हैं, तो आपको इस बारे में बहुत कुछ पता चलेगा । मैं सेठिया को अच्छी तरह जानता हूं ।

श्री के० के तिवारी : "मुझे मेरे स्वर्गीय पिता की सम्पदा से कुछ भी विरासत में नहीं मिला आदि-आदि···"

> "मुझे मैसर्ज सेठिया मरकेंटाइल (प्रा०) लि० के कार्यों की कोई जानकारी नहीं थी और मुझे कभी भी कंपनी के कार्यों में शामिल नहीं किया गया क्योंकि ये सब कार्य मेरे पिता जी देखते थे । यदि, कभी-कभार मुझसे किसी कागज पर हस्ताक्षर करने को कह देते थे, मैंने ऐसा विश्वास पर किया ।"

उन्हें भारत आने की अनुमति नहीं दी गई । इसलिए अन्तिम पंक्ति में उन्होंने ऐसा लिखा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : पिछले पत्र की अन्तिम पंक्ति कहकर अपना भाषण समाप्त कीजिये ।

प्रो० के० के० तिवारी : "मैं बिल्कुल निर्दोष हूं और मैं इस अनावश्यक छेड़छाड़ को समाप्त करना चाहता हूं । इस समस्या को हल करने में आपकी सहायता की बहुत जरूरत होगी और मैं आपका आभारी होऊंगा ।"

इसके बाद श्री अग्रवाल के सचिव इस पत्र की पावती भेजते हैं; और इसके बाद जो कुछ होता है वह बहुत महत्वपूर्ण है । श्री अग्रवाल झुनझुनवाला को पत्र लिखते हैं जिसमें उन्होंने श्री सेठिया को माफ किया और उसे छोड़ देते हैं, और उसी को अब संसार का सबसे बड़ा तस्कर बताया जा रहा है ।

श्री अग्रवाल झुनझुनवाला को 26 अगस्त, 1978 को लिखते हैं ।

> "सेठिया के सम्बन्ध में आपके 25-4-1978 के पत्र के सन्दर्भ में मैंने मामले की जांच करवा ली है । यह बताया गया था कि सीमाशुल्क समाहर्ताओं को उपयुक्त रूप से लिखा गया है ।"

'उपयुक्त रूप से' शब्द पर ध्यान दें—

> "इस मामले में मैं आशा करता हूं कि ऐसी घटनाएं फिर नहीं होंगी ।"

अर्थात, सेठिया की कस्टम पर जांच नहीं की जाएगी। और सेठिया पैसे वाला आजाद पंछी हो गया। वह इस देश में आ-जा सकेगा। मामला यह है आप इस बारे में बहुत कुछ सुनेंगे। मैं श्री सेठिया को अच्छी तरह जानता हूं।

श्री जेठमलानी, मैंने यह सब आपके मुंह से सुना है। मुझे याद है, विदेश मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठक में आप मुझ पर कैसे बरसे थे, जब गालाधारी का प्रसिद्ध केस सामने आया था—आपके नेता का मुखौटा कैसे उतारा गया था, उसका भांडाफोड़ कैसे हुआ था।

श्री राम जेठमलानी : आपके नेता का पर्दाफाश कर दिया गया है। दुर्भाग्य से, आप लोग इसको देखते नहीं। मैं इस मामले पर बोलना नहीं चाहता, क्योंकि यह मामला अदालत में विचाराधीन है।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, आपको मालूम है, हमारा दल सत्तारूढ़ है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे इन सब बातों की जानकारी नहीं।

प्रो० के० के० तिवारी : यदि जरूरी हुआ तो हमारे पास आरोपों को सुनने की अपरिमित शक्ति है। हम यह सहन कर रहे हैं। हमारे बारे में सभी प्रकार की घृणित बातें कही गई हैं। इस सदन की मानहानि की गई है। इश्तहार फेंके गए। इस तरह से वे लोग लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं।

मैं अब हिंसा के मुद्दे पर आता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको अपना भाषण समाप्त करना पड़ेगा।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं केवल एक प्रश्न का जिक्र करना चाहता हूं। यहां पर मेरे माननीय मित्र, मा० क० पा० और सी० पी० आई० के लोग भी हैं। मैं उनसे झगड़ना नहीं चाहता। श्री जेठमलानी के साथ उनका दिखावटी प्रेम सर्वविदित है। वे अधिनायकवाद का आरोप लगा रहे थे।

श्री राम जेठमलानी : सी० पी० एम० आपकी प्रधान मंत्री जी से दिखावटी प्रेम दिखा रहे हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : शायद आपमें से कुछ लोग मार्क्सवाद की अभिव्यक्ति तथा शब्द विन्यास से परिचित हैं। वे अधिनायकवाद की बात करते हैं, वे लोकतन्त्र की बात करते हैं। किस प्रकार का लोकतंत्र ? क्या यह उन भ्रष्ट लोगों का लोकतंत्र है जिसे केन्द्रीय समिति कहा जाता है ? हमें लोकतांत्रिक केन्द्रीयवाद कहा जाता है। क्या वे इस प्रकार का लोकतन्त्र चाहते हैं ?

श्री सुधीर गिरि : (अपने स्थान से उठे)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह बात व्यक्तिगत स्पष्टीकरण की नहीं है। वह एक वाद की बात कर रहे हैं। तिवारी जी, मेरे विचार से आप भारतीय साम्यवादी दल के किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सुधीर गिरि (कन्टई) : उन्होंने लोकतन्त्र का हनन किया है। वह आसाम, गढ़वाल तथा दिल्ली में चुनाव नहीं करवा रहे हैं। आसाम तथा अन्य स्थानों पर वे अत्याचार ढा रहे हैं। (व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : श्री जेठमलानी बहुत बढ़-चढ़ कर बोल रहे थे। मैं जानता हूं उनके फेफड़ों में बहुत शक्ति है। वह केरल की बात कर रहे थे। जेठमलानीजी, यही तो भारतीय राजनीति का असत्याभास है। आपको इस असत्याभास को समझना चाहिए।

श्री राम जेठमलानी : असत्याभास तो यह है। जितना सस्ता राजनीतिज्ञ होगा उतना ही वह राष्ट्र के लिए महंगा पड़ेगा।

प्रो० के० के० तिवारी : आप राष्ट्र को इतने महगे पड़ रहे हैं। आप अपने दल के लिए इतने महंगे पड़ रहे हैं। आप केरल में उनसे पूछिए।

अब एक अन्य मित्र आ गए हैं। वह यहां बैठे थे—कांग्रेस (एस) में अर्थात बचे-खुचों का बचा खुचा दल। वे राष्ट्रीय विकल्प की बातें कर रहे हैं। वह दिल्ली की बातें कर रहे थे और वापस केरल में क्या हुआ ? भड़काऊ भीड़ तथा मार्क्सवादी दल के गुण्डे छोड़ दिये गए तथा दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के ठग थे। टकराव हुआ और स्थिति हाथों से बाहर चली गई। सैकड़ों को क्षति पहुंची। मेरे पास समाचार पत्र की पूरी कतरनें हैं। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। परन्तु दोनों तरफ सैकड़ों लोग मारे गए थे। आप राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा सी० पीं० एम० से पूछिए (व्यवधान)

श्री सुधीर गिरि : आप राज्य सभा के लिए चुनावों के अवसर पर केरल विधान सभा के भंग किए जाने की बात बताइये। (व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : वे एक दूसरे को मार रहे थे। लोगों को राहत की सांस मिली है। मैं आपको बता सकता हूं—यदि मैं भीतर की बात बता दूं तो वह फिर विरोध करना शुरू कर देंगे। सभी दलों में मतभेद होता है और केरल में सी० पी० एम० सरकार टूटी क्योंकि बालानन्दन तथा नमनार के बीच मतभेद था। पश्चिम बंगाल की राजनीति में, मुख्य मंत्री तथा शासक दल के अध्यक्ष के बीच मतभेद है क्योंकि उन्होंने बहुत अधिक वायदे कर लिए थे।

श्री बालानन्दन इस सभा के माननीय सदस्य हैं। उन लोगों की मांगें थीं—प्रमोददास तथा अन्य लोगों से वे इतना कुछ मांग रहे थे और मुख्य मंत्री उसे पूरा करने में असमर्थ थे।

(व्यवधान)

श्री सुधीर गिरि : आप वहां आम लोगों को पैसे देकर फोड़ रहे थे।

प्रो० के० के० तिवारी : उन्होंने दल का अनुशासन तोड़ा। अतः लोगों को राहत की सांस मिली। लोकतन्त्र का यह मूल सिद्धान्त है कि जब सरकार बनाई जाती है तो अकेले सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। हमने वहां सरकार बनाई है, और सभा का सामना किया है। और फिर हमने लोकतांत्रिक चुनाव कराए हैं। यदि लोकतांत्रिक चुनाव हो रहे हैं तो आप उनमें भाग लीजिए। यदि लोग आपका समर्थन करते हैं यदि आप निर्वाचित होते हैं तो आप सरकार चलाएंगे। इस बात पर तो आप से कोई झगड़ा नहीं है (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हर दल लोकतांत्रिक समाजवादी दल है।

प्रो० के० के० तिवारी : पश्चिम बंगाल में दलगत बातों को छोड़कर, हमें पश्चिम बंगाल के राजनैतिक इतिहास पर गर्व है। पश्चिम बंगाल हमारी सांस्कृतिक नवजागरण के आधार केन्द्र रहा है। राजा राममोहनराय से लेकर विवेकानन्द तक इस भूमि में आजादी के लिए, साम्राज्यवाद के विरुद्ध राजनैतिक संघर्ष करने की प्रेरणा दी है; और अब देखिए कि विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के परिसरों में क्या हो रहा है : एक दल विशेष के छात्रों द्वारा प्रिंसिपल मारे गए। हर जगह कानून और व्यवस्था को तोड़ा गया। (व्यवधान) वह दिल्ली की बात कर रहे थे। निस्सन्देह कानून और व्यवस्था एक ऐसा मामला है जिस पर बड़ी सावधानी तथा योग्यतापूर्वक ही बात की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति कानून और व्यवस्था को भंग नहीं करना चाहता। हम सब चाहते हैं कि वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति बनी रहे। जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो निसन्देह दिल्ली में कुछ बैंकों में डकैतियां पड़ी हैं। (व्यवधान) मैं उन डकैतियों की भी सूची दे रहा हूं जो पश्चिम बंगाल के बैंकों में हुई हैं। पश्चिम बंगाल की आधी बैंक डकैतियां तो कलकत्ता में हुई (व्यवधान)

श्री कृष्णचन्द्र हालदार (दुर्गापुर) : आपने कितनी बार दल बदला है ? (व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : युनाइटेड बैंक आफ इंडिया में 27-4-1981 को डकैती पड़ी तथा 74,481 रुपये और 15 लाख रुपये मूल्य के जेवर लूट ले गए। फिर मदलाभूम ग्रामीण बैंक में 29-4-81 को डकैती हुई, तथा 72,271 रुपये, 878 ग्राम स्वर्ण आभूषण लूट ले गए। युनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लि० में 29-5-81 को डकैती पड़ी जिसमें डाकू 1,25,000 रुपये लूटकर ले गए ; देना बैंक में 4-6-81 को डाका पड़ा तथा 1,92,000 रुपये लूट ले गए आदि। मैं ऐसे 20 उदाहरण दे सकता हूं। आप मुझे बताइए इसमें क्या गलती है ? (व्यवधान)

श्री कृष्णचन्द्र हालदार : कांग्रेस-ई के 25 व्यक्तियों ने आपस में लड़कर जान दे दी। उन्होंने अपने ही आदमियों को मार डाला।

प्रो० के० के० तिवारी : यदि आप पश्चिम बंगाल में व्यवस्था की बात करें तो वहां सरकार डगमगा रही है, गिर रही है। शासन में बने रहने का उनका मुख्य आधार, मुख्य आशा जाली वोट हैं जो उन्होंने मतदाता सूची में भर रखे हैं (व्यवधान) केवल वही चीज उन्हें वापस सत्ता में ला सकती है। अतः इन शब्दों के साथ मैं अनुदानों की मांगों की हिमायत करता हूं और उनका समर्थन करता हूं तथा गृह मंत्री का समर्थन करता हूं क्योंकि उन्होंने अनुकरणीय साहस दिखाया है। वी० के० सिंह की बात को इतना बढ़ाया गया है। उनका वही हाल हुआ जिसके वह अधिकारी थे। परन्तु कुछ सामान्य नियम भी होते हैं। मैं एक आदर्श स्थिति की बात कर रहा हूं। इसे मत भूलिए। यदि आप शासन में हैं तो ऐसी ही बातें होंगी, यही बातें पहले भी हो रही हैं। अप्पू का जिक्र हुआ है। उन्हें आज तक का सबसे महान केस बनाया गया है। उन्होंने पत्र भेजे होंगे में नहीं जानता। संभव है आरोप सही हों अथवा न भी हों। उन पर तो जांच करने की जरूरत है। परन्तु जिस तरह की अप्पू वर्गीकृत दस्तावेजों की गुप्त बातें विपक्षी नेताओं को दे रहे हैं तथा राष्ट्रीय भेद को दे रहे हैं इससे देश की नौकरशाही पर शर्म आती है। इसलिए, जब वी० के०

सिंह को बर्खास्त किया गया है, हमारी सरकार ने ऐसा किया है—हमने निर्णय लिया और आपने उसकी प्रशंशा की। अब यह व्यक्ति भी दोषी है। उसने सरकारी गुप्त रहस्य बताए हैं और आप सभी समाचार पत्रों-पत्रिकाओं में हर जगह देखते हैं कि ये बातें बड़े-बड़े पृष्ठों में छापी जा रही हैं तथा उस व्यक्ति को प्रचार मिल रहा है। इसलिए, मैं चाहता हूं कि श्री अप्पू के विरुद्ध कार्यवाही हो, जांच हो, कि उसने क्यों तथा कैसे इन पत्रों को प्रेस के सम्मुख प्रकाशित किया।

इन शब्दों के साथ मैं, बोलने के लिए अवसर दिए जाने पर आपका धन्यवाद करता हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरीशकुमार गंगवार।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी को हम इतना प्यार करते हैं कि अपनी पत्नियों के नाम भी गृह मंत्री रख देते हैं। मैं होऊं गा कोई और सदस्य हों, घर में सभी अपनी पत्नियों को होम मिनिस्टर कहा करते हैं। इसलिए हमारा जो सबसे प्यारा मिनिस्टर होता है उसको होम मिनिस्टर कहते हैं। जैसे हमारे घरों में बहुत-सी तकलीफें होती हैं, बहुत-सी कठिनाइयां पैदा होती हैं तो बीवी से कहते हैं कि इनको सुधार लो, ऐसे ही जब हमारे होम मिनिस्टर कुछ गल्तियां करें या गल्तियां करते हुए लगें तो हमारा फर्ज है कि हम उनको समझाएं। इसलिए होम मिनिस्टर यह न समझें कि हम उन्हें प्यार नहीं करते हैं।

अभी यहां तिवारी जी जो बातें कर रहे थे वह होम मिनिस्ट्री पर कम बोले। पता नहीं उसकी होम मिनिस्ट्री कैसी है, शायद उसी हिसाब से वे बातें करते होंगे। हां, इतना मुझे जरूर लगा कि इनमें और मोहम्मद आरिफ खां में होड़ लग गई थी। उन्होंने तो असत्य बातें कह कर और जोर-जोर से तर्कहीन बातें उठाकर मिनिस्ट्री पा ली और उसी प्रकार अब अनर्गल प्रलाप द्वारा तिवारी जी भी मिनिस्ट्री पाना चाहते हैं—ऐसा मुझे लगता है। (व्यवधान)

मेरे सामने मिनिस्ट्री आफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट आफ इंडिया की यह रिपोर्ट है जिसके पेज 4 पर साम्प्रदायिक दंगों की स्थिति के बारे में लिखा है। यह आपकी ही कलम से लिखी गई है। आपने जिनको साम्प्रदायिक दंगा माना उनको कम्पेयर करना शुरू कर दिया 1977 से, 1978 से और 1979 से क्योंकि जनता शासन से आपको जरूर कम्पेयर करना है। 1977, 1978 और 1979 में (तीनों सालों में) जो साम्प्रदायिक दंगे हुए उनकी संख्या थी 722। उनमें आपकी रिपोर्ट के हिसाब से 407 व्यक्ति मारे गए और 5354 व्यक्ति इन्जर्ड हुए।

15.32 (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए।)

आप पेज 4 पर तीनों का टोटल करके देख लीजिए। अब आप अपने रेजीम को भी देख लीजिए। यह 1980 और 1981 दो सालों की फीगर्स हैं। 1980 में 427 दंगे हुए, 375 आदमी मरे और 2838घायल हुए। 1981 में 319 दंगे हुए, 196 आदमी मारे गए और 2613 आदमी घायल हुए। इसका मतलब यह हुआ कि जहां जनता पार्टी के तीन साल के रेजीम में 722 दंगे हुए वहां आपके जमाने में केवल दो सालों में ही 746 दंगे हो गए। आप इसको जोड़ लीजिए और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिए।

दूसरे यह कि जनता पार्टी के 77, 78 और 79 के शासन काल में 407 आदमी दंगों में

मरे जब कि आप के 1980-81 में 571 मरे। यह आप ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, मैंने नहीं लिखा है। तीसरे घायलों की संख्या जनता पार्टी के तीन वर्षों के शासन में 5354 थी, जब कि आप के दो साल के शासन में 5451 है।

मैं इसमें कोई दोष नहीं देना चाहता हूं—लेकिन कभी-कभी आप आंकड़ों को कम्पेअर करना शुरू कर देते हैं, आप की आदत पड़ गई है कि जनता पार्टी के जमाने से कम्पेअर करें, तो जनता पार्टी के लोग नालायक रहे होंगे, इसी लिए जनता ने उनको निकाल दिया, लेकिन आप को तो अच्छा समझ कर गद्दी पर बैठाया गया, आप तो उसको कम्पेअर मत कीजिए, खुद को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए, वरना यह जनता किसी को बख्शनेवाली नहीं है. आप खुशी में बहुत फूले न रहें, 1977 में जैसे आपको आपकी लीडर समेत नीचे उतार दिया था और जैसे बाद में जनता पार्टी को नीचे उतार दिया था, वैसे ही अगले चुनाव में आपको फिर उतार फेंकेगी, इसमें कोई शकोशुब्हा नहीं है।

आप अपना पक्ष मजबूत करने के लिए तरह-तरह की बातें करते हैं। कहते हैं केरल में दंगे हो रहे हैं, पश्चिमी बंगाल में दंगे हो रहे हैं, असम में दंगे हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। मैं आपसे पूछना यह चाहता हूं, श्रीमानजी, उत्तर प्रदेश की सरकार के वफादारी की कसम लेते ही मुरादाबाद में एक हजार से ऊपर मुसलमानों को पी० ए० सी० ने मार दिया, आपने उन अफसरों के खिलाफ क्या कार्यवाही की ? एक हजार मुसलमान यू० पी० के मुरादाबाद में गोलियों से भुनवा दिए गए।

एक माननीय सदस्य : क्या हुआ था ?

श्री हरीश कुमार गंगवार : आप को पता नहीं है, तो खामोश रहिए या थोड़ा विजिलेंट रहिए।

मैं जानना चाहता हूं—वे 1000 आदमी जो वहां पर ईद की नमाज अदा करने गए थे, उनका दोष सिर्फ इतना था कि सूअर उधर से आ रहा था, उन्होंने पी० ए० सी० के सिपाही से कहा कि हम लोग ईद की नमाज अदा कर रहे हैं, पाक-साफ कपड़े पहने हैं, यह गन्दे करेगा। सिपाही कहता है, यह हमारा काम नहीं है। निरीह आदमियों को मार देना उसका काम है। अगर वह उस सूअर को हटा देते तो इतना बड़ा हादसा क्यों होता ? जो हो गया सो हो गया। चीफ मिनिस्टर साहब ने उस वक्त भी अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी थी, लेकिन हिन्दुस्तान में यह पहला राजपूत है जो अपनी बात से मुकर जाता है, वरना राजपूत बात से मुकरा नहीं करते, इस्तीफा नहीं दिया। उसके बाद फिर कहा कि डाकुओं को नहीं मारूंगा तो इस्तीफा दे दूंगा, सब डाकू नहीं मरे, फिर भी इस्तीफा नहीं दिया। मै उनके इस्तीफे की परवाह नहीं करता, ऐसे इस्तीफे तो वह देते ही रहते हैं, लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं—क्या आप साम्प्रदायिक दंगों की जड़ में गये हैं ? क्या आपने मुरादाबाद में पी० ए० सी० ने जो अत्याचार किया, हजारों मुसलमानों को मार दिया, उनकी सम्पत्ति लूट ली, उनमें किसी अफसर को आपने कोई पनिशमेन्ट दी, चाहे वह पी० ए० सी० का हो, डी० एम० हो या एस० पी० हो या कोई और पुलिस अफसर हो ? क्या उनकी कोई कोताही थी या नहीं थी ? क्या इसका कोई सर्वेक्षण आपने कराया, यदि करवाया तो क्या दण्ड दिया, खाली ट्रांसफर कर देना कोई पनिशमेन्ट नहीं है।

हमें यह भी बतलाएं सन् 1980 में जब आपने सत्ता सम्भाली, जामा-मस्जिद के पास दंगे हुए, साम्प्रदायिक दंगे हुए और उनकी खबर 7 दिन पहले आपकी होममिस्ट्री को बाकायदा दी गई, आपने कौन-से स्टेप्स उन दंगों को रोकने के लिए उठाए और बार-बार कहे जाने पर भी जब कोई कदम नहीं उठाया और दंगे हो गये तो उस समय के पुलिस अफसरों को कौन-सी सजा दी ? आप हमें अपने जवाब में बतलायें। मैं आपसे कहना चाहता हूं—अगर आप सख्त कार्यवाही नहीं करेंगे तो ये दंगे होते रहेंगे और आज आप जैल सिंह जी हैं, कल कोई और मिनिस्टर आकर बैठ जाए, उससे भी ये दंगे खत्म होने वाले नहीं हैं, रुकने वाले नहीं हैं।

इन आंकड़ों से एक बात जाहिर होती है कि उन तीन सालों में साम्प्रदायिक दंगों से जानो-माल का नुकसान कम हुआ। यह हमें मानना पड़ेगा कि उन्होंने प्रिवेन्टिव मेजर्स ले लिये थे और आपके प्रिवेन्टिव मेजर्स न लेने से जानों का ज्यादा नुकसान हुआ और ज्यादा घायल हुए।

मैं नहीं चाहता कि साम्प्रदायिक दंगे हों और आप भी नहीं चाहते हैं कि ये हों क्योंकि देश की स्वतन्त्रता की लड़ाई में आपने हिस्सा लिया है और आप भी यह चाहते हैं कि साम्प्रदायिक दंगे न हों। लेकिन इन साम्प्रदायिक दंगों को खत्म करने के लिए कौन-से कदम आपने लिए, कौन-से उपायों को कार्यान्वित किया ? आपको सरकार में सवा दो साल हो गये। कब तक आप इस पर विचार करते रहेंगे ? क्या आप मेरे सुझाव को मानेंगे कि जहां कहीं भी साम्प्रदायिक दंगा हो, वहां के बारे में अगर आपकी लोकल इन्टेलीजेंस, प्राविंशियल सी० आई० डी० आपको खबर नहीं दे, वहां का कोई अफसर आपको खबर नहीं दे तो उनके खिलाफ आपको जरूर कदम उठाने चाहिएं। उनको नौकरी से बरखास्त करें या उनको कोई और सजा दें, यह आप पर निर्भर है। लेकिन उनको सजा जरूर दें ताकि आगे के लिए अफसर और आपके विभाग चौकन्ने रहें।

आज क्या होता है ? मुरादाबाद में आपकी पी० ए० सी० ने इतने मुसलमानों को मार दिया। बरेली में, पीलीभीत में, शाहजहांपुर में आपके पुलिस वालों ने यह कह कर कि हिन्दु मुसलमान दंगा भड़का रहे हैं मुसलमानों को मार दिया। रात-रात आपके पुलिस वाले कहते फिरे।

सभापति महोदय : अब समाप्त कीजिए।

श्री हरीश कुमार गंगवार : तिवारी जी ने कितना समय लिया था ?

सभापति महोदय : आपको 12 मिनट हो गये हैं।

श्री हरीश कुमार गंगवार : मैंने यह सोचा कि शायद मेरी बात आपको बुरी लग रही हो क्योंकि अच्छी बात देर तक सुनी जाती है।

सभापति महोदय : चेअर को कोई बात बुरी नहीं लगती।

श्री हरीश कुमार गंगवार : मैं कह रहा था कि क्या आप यह कदम उठाइयेगा कि वहां के कलेक्टर, एस० पी०, डी० एस० पी, सी० आई० डी० पुलिस को सजा दीजिए। अगर कहीं कोई साम्प्रदायिक दंगा हो जाता है तो उसको खत्म करने के लिए यह बहुत जरूरी चीज है।

दूसरे मेरा सुझाव यह है कि आप वहां पर सामूहिक जुर्माने की व्यवस्था करें।

तीसरे मेरा सुझाव यह है कि अगर नेशनल इन्टीग्रेशन काउंसिल की बात करनी है तो आप ऐसी शान्ति कमेटियां बनायें, हर जिले में बनाएं जो सातवें या पन्द्रहवें दिन जिला लेवल पर मीटिंग करते रहें जिससे कि हर चीज सामने आती रहे।

इसी से आपके ये दंगे रुक सकते हैं। पुलिस वालों से दंगे करवाने से, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर में दंगे करवा कर लोगों का मेसेक्कर कराने से दंगे नहीं रुकेंगे।

श्रीमन्, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता जो कि सदन में कही जा चुकी हैं। लेकिन यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो गया है कि आपकी नीति यह है कि चुनाव वहां कराओ जहां से आप जीत कर आ सकें। जहां से आपके जीतने की संभावना न हो वहां चुनाव न कराओ। गढ़वाल, पश्चिमी बंगाल, केरल, असम में जहां जीत कर आने की संभावना नहीं है, वहां चुनाव न कराए जाएं। दिल्ली तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह बात निर्विवाद रूप से सिद्ध हो चुकी है कि जहां-जहां पर रूलिंग पार्टी की सरकार बन सके वहां दल बदल करा कर भी बनायी जाए। अगर कहीं एक भी मेम्बर अपोजिशन में ज्यादा हो जाए तो वहां असेम्बली भंग कर दो।

गवर्नर जो आपका है वह सिर्फ आपकी डायरेक्शन में चलता है, वह आपका एक कर्मचारी है, विवेकहीन है, अपने विवेक से काम नहीं ले सकता है। वह बुद्धि रखते हुए भी बुद्धि से काम नहीं ले सकता है। कम से कम आप उनको कुछ अखत्यारात तो दें या जैसा आप चाहे वैसा वे करते रहें, क्या वे वैसा ही करते रहें जैसा प्रकाश महरोत्रा ने किया है, जैसे केरल में किया है या और जगह किया है ? यहीं से सभी निदेश आप उनको देते हैं। इन सब झगड़ों की जड़ में आपको जाना होगा। जड़ है दल बदल। मैं शेख अब्दुल्ला साहब को धन्यवाद देता हूं—उनके साथ किसी बात में हमारा कोई मतभेद हो सकता है।...और साथ ही साथ वहां की विधान सभा को भी देता हूं कि उन्होंने दल बदल विधेयक वहां बना दिया है। आपको ऐसा विधेयक लाने में क्या परेशानी है ? जनता पार्टी ने नहीं लाया यह आप रोज कहते हैं। क्या पांच साल तक इसी तरह से कहते रहेंगे ? उन्होंने गलत काम किया तो आप भी गलत काम करते रहेंगे ? उन्हीं के पद चिह्नों पर चलते रहेंगे ? ऐसा विधेयक आपने बनाया तो आयाराम गयाराम का मसला हल हो जाएगा, न केरल में लोग इधर से उधर जाएंगे और न बिहार और यू० पी० में। आपकी समस्या बहुत कुछ हल हो जाएगी। शायद आप चाहते हैं कि जब तक आपको फायदा हो रहा है, इस प्रवृत्ति पर रोक क्यों लगाई जाए। यह बात नहीं होनी चाहिए।

अब मैं राजनीतिक हत्याओं की तरफ इशारा करना चाहता हूं। जत्थेदार संतोख सिंह की हत्या हुई, लाला जगत नारायण की हुई, पचासों राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हुई। यह तो आप मानेंगे कि पिछले दो साल से राजनीतिक हत्याओं का बड़ा जोर हो गया है। आपका जो मायका है पंजाब, वहां कितने जोर से मूवमेंट चल रहा है इसको आप देखें। बम फेंककर सैंकड़ों आदमियों को मार दिया गया है। आपकी रिपोर्ट में है कि बम फटने से बहुत-से आदमी मारे गए। गोलियों से लोग मारे गए। आपके और दरबारा सिंह जी के बीच का झगड़ा है फिर चाहे उसको आप खालिस्तान मूवमेंट कह लें या बमबाजी कह लें। कृपया अपने बीच के झगड़े को खत्म करें। कृपया एक हो जाएं। आप हम सबको एक होने की सलाह देते हैं। कम से कम आप दोनों तो एक हो ही सकते हैं।

डकैतियों की यह हालत है कि बैंक, पोस्ट आफिस, रेलें लूटी जा रही हैं। हम अगर कहते थे कि भिडार साहब को हटाओ, दिल्ली में वह बड़ा जूनियर आदमी है तो आप कहते थे, नहीं हटाएंगे। जत्थेदार संतोख सिंह की हत्या हुई तो आपने उसको सीधे हरियाणा भेज दिया। हमारी बात सही थी या नहीं ? हम कहते थे कि अंतुले साहब को हटाओ तो आपने नहीं हटाया। लेकिन जब हाई कोर्ट के जज ने कह दिया तो आपने हटा दिया। जब हम कहते थे तो आपका जवाब होता था कि विरोधी पक्ष के लोग हमारे काम में बाधा डालते हैं। चूंकि वह बहुत प्यारे थे इसलिए आपने उनको एक सर्व शक्तिमान कारपोरेशन का चैयरमैन बना दिया। हम कहें तो गलत, आप कहें तो सही, यह कहां का तर्क है ?

जेलों को आप लें। उत्तर प्रदेश में हालत यह है कि कांस्टेबल को वार्डर से ज्यादा तनख्वाह मिलती है। कास्टेबल खाली पकड़कर लाता है लेकिन जो यह देखता है कि जेल से वह भागने न पाए, उसकी वह रक्षा करता है, उसको उससे कम तनख्वाह मिलती है। असिस्टेंट जेलर को कानूनगो से भी कम तनख्वाह मिलती है। इन सब बातों की आपको जांच करानी चाहिए।

इस पर धब्बा, उस पर धब्बा, इसने स्मगलिंग किया है, उसने स्मगलर्ज का साथ दिया है, ऐसी बहुत-सी बातें कही गई हैं। लेकिन मैं केवल मारुति लिमिटेड पर जो गुप्ता कमिशन की रिपोर्ट है और जो लाइब्रेरी में रखी है उसका ही जिक्र करना चाहता हूं।

उस पर आपने कोई व्यू नहीं लिया। आप उस कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ लीजिये और उस पर कार्यवाही चालू करा दीजिए तो सारे के सारे स्कैंडल उसके आगे ढंक जायेंगे और वही सामने उभर कर आयेगा जिसमें पक्षपात, भ्रष्टाचार और नियमों की अवहेलना और दबाव का इससे बड़ा उदाहरण हिन्दुस्तान में और कोई नहीं हो सकता।

लहर लहर पर कगारों की नजर टेढ़ी है,
कली सुमन पर बहारों की नजर टेढ़ी है,
कैसे पहुंचेगी यह डोली पिया के देश
भोली दुलहन पर कहारों की नजर टेढ़ी है।
खुलूस देखकर रहबर की दिलनवाजी का,
दुआयें मांग रहा हूं राहजन के लिए।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : सभापति महोदय, गृह मंत्रालय की मांगों का मैं समर्थन करता हूं। जब से इस देश की बागडोर श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में आयी है, जब से लोक प्रिय सरकार बनी है, इस देश की आर्थिक व्यवस्था में सुधार हुआ है, विदेशी मुद्रा अर्जित करने का प्रतिशत बढ़ा है और विदेशों से हमारे सम्बन्ध मजबूत हुए हैं और मधुर हुए हैं। खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हुए हैं और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना हमारी सरकार की विशेष उपलब्धि है। कहने का मतलब यह है कि जनता शासन में इस देश की आर्थिक व्यवस्था जो चरमराकर गिर पड़ी थी, उसको पुनः उठाकर आगे बढ़ाकर हमारी सरकार ने जो मिसाल कायम की है उसके लिए मैं सरकार और अपनी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी को धन्यवाद दिये बगैर नहीं रहूंगा।

विरोध पक्ष के लोगों की बात मैं कल से सुन रहा हूं। ऐसा चश्मा लगाकर बैठे हैं कि सरकार की उपलब्धियों पर उन्होंने कोई प्रकाश नहीं डाला है, और उन्हीं बातों को उभारा किया जो न तो जनहित में हैं और न देश हित में हैं। ला ऐंड आर्डर पर उनको ज्यादा परेशानी है। मेरा आरोप है कि आज विरोधी दल के लोग इस देश में वह स्थिति पैदा कर रहे हैं जो उन्होंने 1975 और 1976 में की थी। विद्यार्थियों के आन्दोलन को भड़काया, मजदूरों के आन्दोलनों को भड़काया, फौज में विद्रोह करने की चेष्टा की गई, पुलिस को भड़काया, वही स्थिति आज इस देश में पैदा कर रहे हैं। विरोध पक्ष के लोग जो उनको नहीं करना चाहिए वही कर रहे हैं।

केरल और असम में जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है इसके लिए सरकार और गृहमंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि वहां की परिस्थितियों को देखते हुए बड़ी सूझबूझ का उन्होंने परिचय दिया है। विरोध पक्ष का काम विरोध करना है और करना भी चाहिये। लेकिन जो निर्माण के काम हैं उनमें उनको सरकार की नीतियों के साथ सहयोग करके चलना चाहिये। ला ऐंड आर्डर की स्थिति के सम्बन्ध में उन्होंने सरकार को दोषी ठहराया है और कहा कि इसके लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है।

यहां पर जातीयता और साम्प्रदायिकता के दंगों की बातें हुई हैं। मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूं, मैं विरोधी दल के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जनता शासन में ठीक एक वर्ष तक अलीगढ़ कर्फ्यू के अन्धकार में क्यों डूबा रहा ? जो लोग रोज मेहनत करके खाना खाते हैं, रोज कुआं खोदकर पानी पीते हैं, वह लोग अलीगढ़ छोड़-छोड़कर दूसरी जगह चले गये। वहां के रिक्शा चलाने वाले, मजदूरी करने वाले, इमारतें बनाने वाले, मेहनत करने वाले वहां से चले गए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ये साम्प्रदायिक दंगे अभी भी समाप्त नहीं हुए हैं। जात-पांत के दंगे अभी भी समाप्त नहीं हुए हैं। लेकिन हमारी सरकार और हमारा नेतृत्व आज सक्षम है, वह इस काबिल है कि जहां पर इस तरह के दंगे होते हैं, आग भड़कायी जाती है, उन पर तुरन्त काबू पा लेती है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर होने वाले जुल्म और अत्याचारों के बारे में हमारा विरोधी-पक्ष, ऐसा महसूस होता है कि बहुत दुःखी और परेशान है। इस मुल्क में जातीयता, ऊंच-नीच और छोटे-बड़े की भावना एक अर्से से चली आ रही है, लेकिन मेरा आरोप है कि इस मुल्क में 1977 से पहले जातीयता के नाम पर कभी-कभी ही दंगे हुआ करते थे, कभी-कभी हरिजनों पर अत्याचार हुआ करते थे, छुट-पुट घटनाएं हुआ करती थीं लेकिन हरिजनों की सामूहिक हत्या करना, घर जलाना, उन्हें बेघर करना, उनकी स्त्रियों को नंगा करना, यह सब जनता के शासन से ही शुरू हुआ है और यह अभी भी चला आ रहा है। इस बारे में मैं चन्द सुझाव देना चाहता हूं।

मैं ज्ञानी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मुल्क में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों की बहुत बड़ी संख्या है, वह इस देश की आबादी का बहुत बड़ा अंग हैं। मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि इस देश के निर्माण में, आगे बढ़ाने में, श्रम-शक्ति देने में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। स्वयं मैं एक शोषित समाज से आता हूं। मेरा निवेदन है कि आप इनकी समस्याओं को बड़े गौर से देखें। मैं पहली बार इस पार्लियामेंट

में सन् 1971 में आया था और तभी से बराबर यह मांग दोहराता आ रहा हूं कि जब इस देश में पशुपालन, मुर्गीपालन, मछली-पालन और सुअर पालन के लिए अलग-अलग मंत्रालय हो सकते हैं तो देश के शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज की इतनी समस्याएं होते हुए भी उनके लिए अलग मंत्रालय क्यों नहीं बनाया जाता है ? मेरा निवेदन है कि इन लोगों की समस्याओं को देखते हुए सन् 1971 से चली आ रही मेरी मांग को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही एक अलग मंत्रालय इसके लिये स्थापित करने की कोशिश करें।

आज 35 साल की आजादी के बाद भी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों का रिजर्वेशन, जो कि संविधान की एक देन है, कांग्रेस सरकार की एक देन है, वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। क्लास-I और क्लास-II की नौकरियों में नाम-मात्र के लिए रिर्जवेशन है। मेरा निवेदन है कि संविधान की धारा 335 में जो व्यवस्था है कि सूटेबल कैंडीडेट नहीं मिलते हैं, इसमें आप संशोधन करें। जब इस देश का संविधान शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति बाबा साहेब अम्बेडकर बना सकते हैं, इस देश की महार रेजीमेंट के लोग विदेशी हमले के वक्त अपना शौर्य दिखा सकते हैं, बहादुरी दिखा सकते हैं तो मैं समझता हूं कि इन नौकरियों के लिये भी उपयुक्त लोग आज देश में मौजूद हैं।

जब यहां देवली कांड की बहस हुई थी, उस वक्त भी मैंने कहा था इसकी व्यापक जांच कराइये। इस देश में जो विदेशी एजेन्सीज काम कर रही हैं, जातीयता और साम्प्रदायिकता में विश्वास करने वाले जो लोग हैं, जो पार्टियां हैं उनका इन दंगों और हरिजनों के सामूहिक कत्लेआम में कोई हाथ तो नहीं है ? ऐसे लोगों की जांच कराइए।

शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उन्हें उद्योग-धन्धे खोलने के लिए सहायता दी जाए, उन्हें तरह-तरह के लाइसेंस और परमिट दिए जाएं और उनके पढ़े-लिखे बच्चों को सब प्रकार की आवश्यक सुविधाएं दी जाएं।

इस देश में जातिवाद का उन्मूलन तभी हो सकता है, जब सरकार अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन दे। जो लोग अंतर्जातीय विवाह करें, सरकार उन्हें नौकरियों और उद्योग-धन्धों में प्रेफरेंस दे।

इस देश में ऐसे बहुत मन्दिर हैं, जहां करोड़ों और अरबों रुपयों का चढ़ावा चढ़ता है। मेरा निवेदन है कि सरकार वहां पर अपने अधिकारियों को बिठाए और वहां पर जो चढ़ावा आता है, उसको सरकारी खजाने में जमा करे और उसको शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के वैल-फेयर, कल्याण, पर खर्च करे।

हमारी नेता, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो नया बीस-सूत्री कार्यक्रम दिया है, उसके अन्तर्गत इस देश के दबे, पिछड़े, दलित, शोषित लोगों के उत्थान के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम बनाए गए हैं। उसके लिए मैं उन्हें पुनः बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस नये बीस-सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित करने से समाज के दलित, शोषित, सर्वहारा वर्ग की स्थिति में जल्दी सुधार होगा।

श्री ईरा अनबरासु (चेंगलपत्तू) : सभापति महोदय, मुझे कुछ विख्यात वक्ताओं, विशेषतः

विपक्षी नेताओं के भाषण सुनने का अवसर मिला। परन्तु यह पाया कि नेता बस उन राज्यों में कानून और व्यवस्था की बर्बादी कर रहे थे जहां कांग्रेस दल का शासन है। वे अन्य राज्यों यथा तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा तथा केरल में व्याप्त कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में कुछ नहीं बता पाये। देश में कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में मेरे विचार से उनके तर्क एक तरफ थे।

मैं तमिलनाडु की कानून व व्यवस्था की स्थिति के बारे में विशेष रूप से कह रहा हूं। मैं गृहमंत्री का ध्यान वहां कांग्रेस शासन के समय—विशेषतः जब कि श्री कामराज मुख्य मंत्री थे—के आंकड़ों की ओर ले जाना चाहता हूं। यदि आप आंकड़े देखें तो यह जानकर धक्का पहुंचेगा कि विगत वर्षों में उनकी अपेक्षा कई गुना अधिक हत्यायें, डकैतियां, दंगे, घटनायें, चोरियां आदि हुई हैं। वर्ष 1975 के अन्तर्गत कांग्रेस शासन के दौरान हत्याओं की संख्या 907, डकैतियां 21, लूटपाट 170, उपद्रव 3018 थी और इसके बाद वर्तमान स्थिति में तमिलनाडु की स्थिति तो बड़ी ही दुःखदायी है। मद्रास शहर में ही 1979 के दौरान 2173 हत्यायें हुईं।

सभापति महोदय : यह बात गृह मंत्रालय की मांगों पर कैसे आती है ?

श्री ईरा अनबरासु : यह कानून और व्यवस्था की स्थिति के अन्तर्गत आती है। मुझे यह बातें गृह मंत्रालय से ही प्राप्त हुई हैं। मैं अन्य आंकड़े भी देना चाहूंगा जिनसे पता चलता है कि तमिलनाडु में कानून और व्यवस्था की स्थिति क्या है। वर्ष 1980 की पहली तिमाही के प्रतिवेदन के अनुसार वहां 19,654 हत्यायें हुई थीं। 31-12-79 को समाप्त हुए वर्ष 1979 की चौथी तिमाही के प्रतिवेदन में यह 18,056 है। अतः वास्तव में यह अत्यन्त चिंतनीय स्थिति है और तमिलनाडु में कानून और व्यवस्था नहीं है। वास्तव में वहां पर पुलिस राज्य है। मैं बहुत से उदाहरण दे सकता हूं कि किस प्रकार तमिलनाडु में जनता के प्रतिनिधि शासन नहीं कर रहे हैं अपितु पुलिस द्वारा···

सभापति महोदय : क्या आप अपना पूरा भाषण तमिलनाडु तक सीमित रखना चाहते हैं—मेरे विचार से ऐसा नहीं है।

श्री ईरा अनबरासु : केवल थोड़ी देर के लिये मैं तमिलनाडु के बारे में बोलूंगा। तमिलनाडु में कानून और व्यवस्था का उल्लेख करते हुए मैं गृह मंत्रालय के अन्य पहलुओं के बारे में चर्चा करना चाहूंगा।

तमिलनाडु में हिंसा और हत्या की राजनीति रोजमर्रा की बात हो गई है। वहां पर बहुत से साम्प्रदायिक विवाद हुए हैं। आपने दैनिक समाचार-पत्रों के कालमों में कन्याकुमारी, रामनाथ पुरम, उत्तर आर्कोट जिला, कावेरीपक्कम, तिरूपत्तुर, विल्लुपुरम और मीनाक्षीपुरम में हुई साम्प्रदायिक घटनायें देखी होंगी जिनमें हिन्दू धर्म से इस्लाम में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। यह अत्यन्त चिंतनीय स्थिति है और वास्तव में यह तमिलनाडु में निर्धन व्यक्तियों के लिये खतरा है। केवल गरीब लोग ही विशेष रूप से हरिजन और समाज के कमजोर वर्ग के लोग पुलिस का शिकार हुए हैं।

मैं गृह मंत्री का ध्यान पाल आयोग के प्रतिवेदन की ओर दिलाना चाहता हूं जो भूतपूर्व मुख्य मंत्री डा० कालियागनार करुणानिधि द्वारा लीक आउट किया गया था। क्योंकि वह प्रशासन की असंगतियों को सामने ला सके थे, इसलिये उनके मकान पर छापा मारा गया था, उन पर हमला किया गया था, उनके दामाद, जो राज्य सभा के एक सम्मानीय सदस्य थे, को गिरफ्तार किया गया था और उनके पूरे परिवार पर पुलिस द्वारा निर्दयतापूर्वक हमला किया गया था। यह स्थिति है और अति विशिष्ट व्यक्तियों के साथ भी यह व्यवहार किया गया है। तब आप कल्पना कर सकते हैं कि अन्य व्यक्तियों की स्थिति क्या होगी।

सभी टेलीफोन टेप किये जा रहे हैं। मैं यह बात गृह मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं। तमिलनाडु में केवल एक डी० आई० जी, पुलिस है* उसे शिक्षित किया जाता है और प्रशिक्षित···

सभापति महोदय : डी० आई० जी० से शुरू करके आप एस० पी० और बाद में डी० एस० पी० आदि पर आयेंगे।

श्री ईरा अनबारासु : मैं नहीं आऊंगा। यह विशेष उदाहरण मैं गृह मंत्री के नोटिस में लाना चाहता था। संसद सदस्यों और विधायकों के टेलीफोन टेप किये जा रहे हैं। उन्हें इस प्रकार शिक्षित किया जा रहा है कि एक दिन गृह मंत्री का टेलीफोन भी टेप किया जायेगा। यह कार्य-पद्धति है जो वे अपना रहे हैं और तमिलनाडु में हमारे साथ इस प्रकार का बर्ताव किया जा रहा है।

मैं एक अन्य घटना का उल्लेख करना चाहता हूं। इस सदन के एक माननीय सदस्य श्री मुथु कुमारन, जब वह मद्रास में गये थे, पर हमला किया गया था। महान अभिनेता, शिवाजी गणेशन, जब वह संसद सदस्य होने के बाद मद्रास वापस आ रहे थे, का स्वागत करने के लिए मद्रास स्थित मीनाम्बक्कम हवाई अड्डे पर भारी भीड़ थी। जब वह वहां पर आए तो उनका स्वागत करने के लिए आए हुए लोगों पर पुलिस ने निर्दयतापूर्वक हमला किया, गोली चलाई और लाठीचार्ज किया और बहुत से लोगों पर हमला किया गया था और उन्हें चोटें आई थीं। यह अति विशिष्ट व्यक्तियों के प्रति बर्ताव किया जा रहा है।

मैं माननीय गृह मंत्री के नोटिस में उस घटना को लाना चाहता हूं जिसमें मेरे निर्वाचन-क्षेत्र मदुरानटकम में एक अवयस्क हरिजन लड़की के साथ बलात्कार किया गया था और उसे मार दिया गया था। वह ए० आई० ए० डी० एम० के० के विधायक कार्यालय में मार डाली गई थी। लेकिन यदि मैं हस्तक्षेप न करता तो इस घटना को दबा दिया जाता। जब मैंने माननीय प्रधान मंत्री से आग्रह किया तो उन्होंने संतप्त परिवार को 5,000 रुपये का अनुदान शीघ्र देना स्वीकार कर लिया था। वह चैक हमारे माननीय गृह मंत्री ने दिया था। वह इसे जानते हैं। यदि इस घटना को प्रकाश में न लाया जाता तो हत्या का मामला दबा दिया जाता।

मुझे हाल ही में गृह मंत्री से एक पत्र प्राप्त हुआ है कि तमिलनाडु सरकार ने निर्णय लिया है कि ज्ञान सुन्दरी की मृत्यु का मामला एक आत्महत्या का था। यह शर्म की बात है। चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे यह कांग्रेस हो, ए० आई० डी० एम० के० हो अथवा डी० एम० के० हो, हमें

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपने सिर शर्म से झुका लेना चाहिये जब इस प्रकार की घटनाएं सदा-कदा हमारे देश में हो रही हों। यही कारण है कि मैं गृह मंत्री से एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले की सी० बी० आई० द्वारा जांच किये जाने का आदेश दें। इस मामले की जांच की जानी चाहिए। उत्पीड़ित के प्रति न्याय करने के लिये कुछ कार्यवाही की जानी चाहिये।

पुनः मैं तिरुचेनकोडु में एक अधिकारी मूल्यांकक सुब्रणिया पिल्लै की मृत्यु के बारे में इस सदन को सूचना देता हूं। वास्तव में वह एक अधिकारी थे। वह मन्दिर में आभूषणों की जांच करने गये थे। लेकिन ट्रस्टी के नाम पर ए० आई० डी० एम० के० उम्मीदवार द्वारा रखे गये ट्रस्ट्रियों के रूप में ए० आई० डी० एम० के० गुंडों ने उनकी हत्या कर दी थी। यदि भूतपूर्व मुख्य मंत्री कालियागनार करुणानिधि हस्तक्षेप न करते तो इस मामले में वही स्थिति होती। यह मामला अभी तक अन्वेषणाधीन है। तमिलनाडु में यह हो रहा है। मेरा विनम्र निवेदन है कि इस मामले को शीघ्र ही छानबीन के लिये सी० बी० आई० को सौंप दिया जाये। एक और मिनट लूंगा और इसके बाद मैं भाषण समाप्त करूंगा।

*तमिलनाडु में थोड़े-से लोग विशेषकर ए० आई० डी० एम० के० सदस्य ऐसा विचार करने की धृष्टता करते हैं कि केवल वे ही तमिल भाषा और तमिल लोगों के हितों के अभिरक्षक हैं।

ए० आई० डी० एम० के० के लोग विशेषकर तमिलनाडु मंत्रालय में मंत्री श्री कालीमुथु ने संकेत किया है कि कांग्रेस पार्टी तमिलवासियों के लिये नहीं है। वे तमिल भाषा के विकास के लिये कुछ नहीं करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हम ए० आई० डी० एम० के० सदस्यों की तुलना में किसी तरह पीछे नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी में हम तमिलनाडु के लोगों के लिये हैं। वास्तव में हमारी प्रधान मंत्री ने हाल में श्री कमलापति त्रिपाठी के नेतृत्व के अधीन एक समिति गठित की है जो सुब्रह्मण्य भारती की कृतियों पर विचार करेगी और उनकी कृतियों का अनुवाद करायेगी।

*तथ्य यह है कि अण्णा (माता) इंदिरा गांधी, हमारी माननीय प्रधान मंत्री ने न केवल स्वयं को तमिलनाडु अपितु समस्त देश की भलाई के लिए समर्पित किया है जो पूरे विश्व को पता चलना चाहिये। हमारे स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के सत्यनिष्ठ आश्वासन, कि हिन्दी गैर-हिन्दी भाषी लोगों पर थोपी नहीं जायेगी, पर दोबारा जोर देना चाहिये। केवल कांग्रेस पार्टी ही ऐसा कर सकती है। इस आशय के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए और यह केवल कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही किया जा सकता है। यही कारण है कि मैंने अंग्रेजी से तमिल में बोलना शुरू किया है। हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी पार्टी तमिल लोगों के लिये है।

लोक सभा के इस सत्र के शुरू होने से पूर्व विपक्षी दलों के सदस्य हमारे प्रधान मंत्री और अन्य मंत्रियों से चिल्ला-चिल्ला कर मांग कर रहे थे कि हमारे देश में सरकार के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा·····क्यों नहीं? वे प्रधान मंत्री को ऐसा एक वक्तव्य देने के लिए बाध्य क्यों करें अथवा अनुचित दबाव क्यों डालें? समय में परिवर्तन हो रहा है और जब यह

* मूल तमिल के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

पद्धति हमारे देश के लिए उपयुक्त नहीं है तो हमें एक पृथक पद्धति अपनानी चाहिए जो भारत के लोगों के लिए उपयुक्त हो, जो किसी एक व्यक्ति के लिए न हो।

* जब लाखों और करोड़ों लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं और जब वे भूख और भुखमरी के कारण मृत्यु के कगार पर खड़े हैं तो यदि हम गरीबी के अनिष्ट को खत्म नहीं कर सकते हैं तो सरकार के लोकतंत्रीय स्वरूप का क्या उपयोग है ? आप इस समस्या पर विचार करें·····लोकतंत्र विशेष रूप से विपक्षी दलों के बेईमान राजनीतिज्ञों के हाथों में एक मजाक बन चुका है···कल तक केरल में चुनाव थोड़े-से लोगों की पुकार थी। केरल विधान सभा का विघटन इन्हीं लोगों की आवर्ती मांग थी। लेकिन केरल विधान सभा के वास्तविक विघटन के बाद लोग इस कार्यवाही की निन्दा कर रहे हैं। दोहरी भूमिका निभाने वाले ऐसे लोगों से देश में लोकतंत्र की जड़ें गहरी किस प्रकार हो सकती हैं ? वास्तव में इन लोगों के हाथों में लोकतंत्र एक खेलने वाली वस्तु बन चुका है। सरकार की पद्धति चाहे जो कुछ भी हो, यह लोगों की भलाई के लिये होनी चाहिए। सरकार का राष्ट्रपतीय स्वरूप हो अथवा सरकार का कोई स्वरूप हो, यदि यह देश के लिए अच्छा है तो हम इसे क्यों न बदल दें ? वास्तव में कोई भी व्यक्ति भारत को लेकर रूस अथवा अमरीका में नहीं जा सकता है। यहां पर भी चुनाव होंगे। यदि लोग चाहते हैं तो हम किसी प्रकार की सरकार बना सकते हैं। आपको डरना नहीं चाहिए। लोग श्रीमती इंदिरा गांधी के पीछे हैं जब कि आप उन्हें एकता में नहीं रख सके हैं।

सभापति महोदय : कृपया भाषण समाप्त करें।

श्री ईरा अनबरासु : निष्कर्ष के रूप में मैं मंडल आयोग के प्रतिवेदन के बारे में जोर देना चाहता हूं। मंडल आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। सरकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में अधिक रुचि रखती है लेकिन तमिलनाडु में वैनाकुलक्षत्रियों, मुबुलेथोरस, नाइयों, मछुआरों आदि जैसे बहुसंख्यकों के हितों के लिए कौन आगे आएगा ? ये समुदाय गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। उनके हितों की देखभाल के लिए कोई भी नहीं है। ए० आई० डी० एम० के० की सरकार के सामने उनके सभी संघर्ष बेकार गये हैं। दुर्भाग्य से** तमिलनाडु के मुख्य मंत्री बन गए हैं।

सभापति महोदय : यह शब्द कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जायेगा।

श्री ईरा अनबरासु : मैं मंडल आयोग की बात कर रहा हूं। ये विरोधी पार्टियां इस मामले को तूल देना और सभा-पटल पर मंडल प्रतिवेदन को रखने में विलम्ब का लाभ उठाना चाहती हैं। हम मंडल समिति के प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखें और इसकी सिफारिशों को कार्यान्वित करें। मुझे बताया गया है कि आगामी महीने की पांच तारीख को वैनाकुलक्षत्रियों द्वारा एक बड़ी रैली की जायेगी जो अपने अधिकारों के लिए आन्दोलन कर रहे हैं। अत: विरोधी पार्टियों द्वारा इस बात का लाभ उठाये जाने से पूर्व मैं गृह मंत्री को अनुरोध करता हूं कि वह सभा-पटल पर इस प्रतिवेदन को रखें और इसकी सिफारिशों को कार्यान्वित करें।

---

* मूल तमिल के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री सी० टी० दंडपाणि (पोल्लाची) : सभापति महोदय, मैं गृहमन्त्री महोदय द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का स्वागत करूंगा। इस रिपोर्ट में अनेक तथ्य दिए गए हैं, यह रिपोर्ट बिना किसी पूर्वाग्रह के प्रस्तुत की गई है। जबकि उन्होंने ब्यौरा दिया है, उन्होंने कमियों को भी स्पष्ट स्वीकार किया है। इसलिए इस सभा के एक जिम्मेदार सदस्य के नाते मैं इसका स्वागत करता हूं।

महोदय, जहां तक कानून तथा व्यवस्था का प्रश्न है, मेरे से पिछले वक्ता ने तमिलनाडु के बारे में बहुत बातें कही हैं। कानून तथा व्यवस्था का काम केन्द्र और राज्यों का है। दोनों की समान जिम्मेदारी है। दुर्भाग्यवश हमारी शासन प्रणाली में—विशेषकर संघीय शासन प्रणाली में —हमें विभिन्न राज्यों में होने वाली घटनाओं के बारे में चर्चा करने की अनुमति नहीं दी गई है। हमारे कुछ मित्रों ने बताया कि गृह मन्त्रालय काम नहीं कर रहा है। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि गृह मन्त्रालय का कार्य दलगत आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। गृह मन्त्रालय का काम समूचे समाज, समूचे देश की देखरेख करना है। हमारे कुछ मित्रों ने कहा है कि यह जन विरोधी है, यह श्रमिक विरोधी है, यह श्रमिक विरोधी आंदोलन है आदि-आदि। किसी को इस मन्त्रालय के एक विभाग को लेकर यह शिकायत नहीं करनी चाहिए कि समूचा मन्त्रालय जन विरोधी है आदि-आदि। ऐसा दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। कुछ खास कामों में कमियां हो सकती हैं। जिम्मेदार संसद सदस्य के नाते हमें ठोस सुझाव देने चाहिए कि किस प्रकार इन कमियों को भविष्य में दूर किया जा सकता है। इस सभा के संसद सदस्य होने के नाते हमें जो उचित लगता है, वह सुझाव देने चाहिए।

जहां तक देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र का सम्बन्ध है, मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं कि गृह मन्त्री ने इस खास क्षेत्र के विकास के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में 340 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। वहां के लिए अनेक सिंचाई परियोजनाएं हैं, अनेक पन बिजली परियोजनाएं हैं, और सड़कें बनाने तक अन्य विकासीय कार्य के लिए प्रावधान रखा गया है। इस सम्बन्ध में पर्याप्त धनराशि आवंटन किया गया है। मैं इसके साथ गृह मन्त्री से अपील करूंगा कि असम की जनता की भावनाओं का आदर किया जाना चाहिए। असम की जनता के मन में एक प्रकार का भय है कि निकट भविष्य में अथवा 10 या 15 वर्षों में उसकी जनता अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक बन जाएगी। उन स्थितियों में भारत सरकार को उनके मन से भ्रम और आशंकाओं को दूर करना चाहिए।

एक और बात की हमारे मित्रों को प्रशंसा करनी चाहिए। यह गृह मन्त्रालय के कार्यकरण के बारे में है। हम विपक्षी सदस्य परामर्शदायी समिति में थे। प्रधान मन्त्री और गृह मन्त्री बात-चीत के लिए समय-समय पर विपक्षी नेताओं को आमन्त्रित करते रहे हैं। सरकार ने इनसे सलाह-मशविरा किया है। हम अपना सुझाव भी देते हैं। हम नेता जानते हैं कि सरकार असम समस्या को हल करने के लिए कितना मेहनत करती है। हम यह सब जानते हैं। असम में विद्यार्थियों और अन्य संगठनों ने क्या किया? जब कुछ किया गया था, जब कोई समझौता होने वाला था; उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ अन्य ज्ञापन प्रस्तुत किए और अधिक से अधिक मांगें रखीं, इस रवैये से सौहार्दपूर्ण समझौते के सम्पन्न होने के मार्ग में बाधाएं आईं।

खालिस्तान की मांग के सम्बन्ध में मैं गृह मन्त्री को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इसे दबा दिया है। अब यह हमेशा के लिए समाप्त हो गया है। परन्तु कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे अभी निबटा जाना है।

एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या मिजोरम की है। लालडेंगा को निश्चय ही यात्रा करने की अनुमति दी गई है परन्तु मैं सरकार को सुझाव दूंगा कि वह उनको गिरफ्तार करके इस मामले में उपयुक्त कार्यवाही करें। मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी की मांग सरकार द्वारा स्वीकार नहीं की गई है।

(व्यवधान)

महोदय, हमारे मित्रों ने केरल और असम की स्थिति का उल्लेख किया है। दोनों ही राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। केरल में राष्ट्रपति शासन इसलिए लागू नहीं हुआ है क्योंकि केन्द्रीय सरकार वहां राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहती थी, वास्तव में केरल सरकार खुद ही गिरी। वे अलग-थलग हो गए और आपस में लड़ते-झगड़ते रहे। संयुक्त मोर्चा सरकार के एक सदस्य ने दल छोड़ दिया है और स्वत: ही इन्हें सत्ता से हटाना पड़ा। महोदय, उनका कहना है कि वहां सरकार अध्यक्ष के निर्णायक मत के कारण चल रही है। हमारे मित्रों ने यह तर्क दिया है। फिर सत्तारूढ़ दल का एक सदस्य पार्टी छोड़कर विपक्ष में मिल गया। अब विपक्षी दल की संख्या 71 हो गई और उन्होंने मांग की कि उन्हें सरकार बनाने की अनुमति दी जाये। यदि विपक्षी दल को सी० पी० आई० (एम) के नेतृत्व में संयुक्त वामपंथी मोर्चा के नाम से सरकार बनाने की अनुमति दी जाती है तो भी यह सरकार अध्यक्ष के निर्णायक मत के कारण सत्ता पर बनी रह सकती थी।

एक माननीय सदस्य : कैसे ?

सभापति महोदय : श्री दंडपाणि, आपको उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं देना है।

श्री सी० टी० दंडपाणि : जब वे असुविधा का अनुभव करते हैं तो उन्हें कोई धैर्य नहीं होता है। (व्यवधान) केरल के तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री करुणाकरन ने राज्यपाल को परामर्श दिया था कि विधान सभा भंग कर दी जाए। असम सरकार के साथ भी यही मामला था। वहां जब जनता पार्टी सी० पी० आई० और सी० पी० आई० (एम) के समर्थन से सत्ता पर थी, सी० पी० आई० और सी० पी० आई० (एम) द्वारा समर्थन वापस लिए जाने से वह सरकार गिर गई। तब असम में जनता सरकार को सत्ता से हटना पड़ा। फिर कांग्रेस आई पार्टी ने सी० पी० आई० और समान विचारधारा वाली अन्य पार्टियों के सहयोग से सरकार बनाई। तीमूर मुख्य मन्त्री बनीं। परन्तु पुन: सी० पी० आई० और अन्य दलों ने अपना समर्थन वापस ले लिया और सरकार को हटना पड़ा। अब सी० पी० आई० और सी० पी आई० (एम) पार्टियां वहां सरकार बनाना चाहती हैं परन्तु इस बात की कोई गारंटी है कि वहां अन्य दल भविष्य में अपना समर्थन वापस नहीं ले लेंगे ? इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए यह सोचा गया कि असम में राष्ट्रपति शासन लागू करने के अलावा अन्य कोई चारा नहीं है। इसलिए केन्द्रीय सरकार ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और उन्होंने वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की।

हमारे मित्रों ने उन राज्यों में, जहां राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, आपस में झगड़े का उल्लेख किया है।

इस प्रश्न के सम्बन्ध में कि क्या अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जा सकता है या नहीं, मैं कहूंगा कि अनेक राजनीतिक दल यह स्वीकार करते हैं कि वे संविधान में अनुच्छेद 356 को बनाए रखना चाहते हैं। जब आप संविधान में एक विशेष अनुच्छेद को बनाये रखना चाहते हैं तो हम सरकार को उस विशेष कानून को लागू किये जाने से कैसे रोक सकते हैं ? इसलिए यह कहना तर्कपूर्ण नहीं है कि केन्द्रीय सरकार जानबूझकर अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर रही है।

इस विषय के बारे में दूसरी महत्वपूर्ण बात हरिजनों के लिये संघटक कार्यक्रम है। निश्चय ही इस कार्यक्रम के लिये निर्धारित धन का उचित रूप से उपयोग नहीं हुआ है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह एक ऐसी निगरानी व्यवस्था को बनाएं जो यह देखे कि क्या इस विशेष प्रयोजन के लिये निर्धारित धन का उचित रूप से उपयोग होता है या नहीं।

जैसा कि एक माननीय सदस्य ने यहां कहा और हम जानते हैं कि विशेषकर तमिलनाडु में हरिजनों को परेशान किया जाता है। अनेक स्थानों पर उन पर अत्याचार किये जाते हैं। उनकी स्थिति नहीं सुधरी है।मैं एक शोध पत्र में विश्लेषण को पढ़ कर सुनाऊंगा :

> "गांवों में हरिजनों पर सामाजिक अत्याचार बढ़ रहे हैं, पुलिस हमेशा जमींदारों के कहने पर पीड़ित व्यक्तियों की शिकायतों की उपेक्षा कर देती है। हरिजनों को उन कुंओं से पानी नहीं लेने दिया जाता है जिनको ऊंची जाति के हिंदू प्रयोग करते हैं। घोर गरीबी और बेरोजगारी तथा सामाजिक सुविधाओं से रहित होने के कारण कृषि श्रमिकों में निराशा और असंतोष फैला है।"

तमिलनाडु में यह स्थिति है।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अध्ययन के अनुसार तमिलनाडु में गांवों की उपेक्षा चरम बिंदु पर है। यह राज्य में कृषि श्रमिकों के नागरिक और मानवीय अधिकारों पर निबन्ध में बताया गया है। इस निबन्ध के लेखक श्री के० मनोहरन, जो एक लेखक और शास्त्री हैं तथा श्री रामचन्द्रन, जो एक पत्रकार हैं, के अनुसार बंधुआ श्रमिकों को व्यापक तौर पर काम पर लगाया जाता है और ऋणग्रस्त कृषि श्रमिक अपने किशोर लड़के तथा लड़कियों को जमींदारों के पास गिरवी रख रहे हैं। तमिलनाडु में यह स्थिति है। परन्तु जैसा कि उन्होंने कहा है कि जब वे शिकायत करते हैं, पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करती है। मैं उनके द्वारा किए गए एक अन्य विश्लेषण को उद्धृत करना चाहूंगा :

> "तमिलनाडु में निर्धन व्यक्ति के लिए काम करना खतरनाक हो गया है। यहां पुलिस निर्धन व्यक्तियों के जीवन और गरिमा से खेलती है। भारतीय संघ में तमिलनाडु ही एक ऐसा राज्य है जहां आप पर राजद्रोह का आरोप लगाया जा सकता है, जहां आप पर यह आरोप लगाया जा सकता है कि आप पुलिस और जमींदारों को उखाड़ना चाहते हैं। इन शब्दों को कहना जरूरी नहीं है क्योंकि पुलिस मैजिस्ट्रेट को कहेगी कि वे ऐसा कह रहे थे और यह राजद्रोह का मामला बनता है और उस व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने से इनकार किया जायेगा। न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट और न पोस्टमार्टम रिपोर्टों को प्रकाशित किया जाता है।"

तमिलनाडु में यह स्थिति है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह पुलिस विभाग की कार्यवाहियों और हरिजनों के दुखों की ओर ध्यान दें।

मैं माननीय गृहमंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत राम जांच आयोग का गठन किया है। राम आयोग का गठन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया था क्योंकि केरल की मार्क्सवादी सरकार और तमिलनाडु की अन्नाद्रमुक की सरकार ने एक दूसरे से सांठ-गांठ कर ली थी। उन्होंने कई करोड़ रुपया खासतौर पर सरकारी राजकोष के रुपये का राजनीतिक प्रयोजनों के लिए अपव्यय कर दिया था। महोदय, इसकी हमें जानकारी है। केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का फंड इकट्ठा करने वाला व्यक्ति इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया था।

हमने प्रधानमंत्री को यह बताते हुए यह एक ज्ञापन दिया था कि स्प्रिट घोटाले के अलावा वहां दो घोटाले और थे जिनमें से एक मिश्रण बनाने और बोतल तैयार करने के मामले से सम्बन्धित था। यह एक महत्वपूर्ण मामला है। हमने कहा कि विचारार्थ विषय में मिश्रण तैयार करने और बोतलें बनाने के उस मामले को भी शामिल किया जाना चाहिए। जिसमें अनेक कदाचार और भ्रष्ट कार्य किए गए हैं। उसे भी राम आयोग को अपने विचारार्थ विषयों के अन्तर्गत शामिल करना चाहिए। जब हमारी प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार को पत्र लिखा और उसकी टिप्पणियां जाननी चाहीं तो राज्य सरकार ने तत्काल एक अन्य आयोग नियुक्त कर दिया ताकि केन्द्र इस मामले में जांच की आवश्यकता न समझे और हस्तक्षेप न कर सके।

इसी प्रकार बहुत से लोगों को भारत में निर्मित विलायती शराब के लाइसेंस उन्होंने अपनी पार्टी कोष के लिए कई करोड़ रुपए लेकर दिए। जब हमने यह सब बताया तो गृहमंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र लिखा। मैं केन्द्र से अनुरोध करना चाहूंगा कि आयोग के विचारार्थ विषय को इन दो महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल किए जाने तक बढ़ाया जाना चाहिए।

एक समाचार है जिसे दिल्ली में प्रकाशित नहीं किया गया है। यह 'इंडियन एक्सप्रेस' में छपा है। (व्यवधान)

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के हमारे मित्र उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? मैं एम० जी० आर० से इस बात की सिफारिश करूंगा कि वे उन्हें और अधिक धन दें। यदि उनका हिस्सा पर्याप्त नहीं है तो मैं उन्हें कह सकता हूं।

सभापति महोदय : क्या एम० जी० आर० आपकी सिफारिश को स्वीकार कर लेंगे?

श्री सी० टी० दण्डपाणि : उनके मामले में वह स्वीकार कर लेंगे।

पुलिस के एक भूतपूर्व महानिरीक्षक ने, जो पहले केन्द्र में केन्द्रीय सचिवालय में कार्य कर रहे थे, राममूर्ति आयोग के समक्ष यह कहते हुए एक हलफनामा दिया :

"मेरे भतीजे ने···के भाई को* 10.5 लाख रुपए दिए (व्यवधान) बड़े भाई को; उनका केवल एक ही भाई है। उनको मद्रास शहर में एक लाइ-

*अध्यक्ष पीठ की अनुमति से कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

सेंस प्राप्त करने के लिए ये रुपये दिए गए। धन लेने के बाद इस बात को मुख्य-मंत्री की जानकारी में भी लाया गया—लाइसेंस जारी नहीं किया गया। जब यह मामला भूतपूर्व पुलिस महानिरीक्षक के समक्ष लाया गया तो वह मुख्य मंत्री के पास गए और धन वापस किए जाने की मांग की; धनराशि को लौटाया नहीं गया था।"*

सभापति महोदय : नाम मत बताइए। (व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : क्या ये सभी आरोप पूर्व सूचना देने के बाद लगाए गए हैं ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री दण्डपाणि अपना भाषण समाप्त करने वाले हैं। उन्हें बोलने दीजिए। नाम को कार्यवाही में दर्ज न किया जाए।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : उन्होंने राममूर्ति आयोग के समक्ष एक हलफनामा दर्ज कराया। इस आयोग को स्वयं श्री जी० रामचन्द्रन द्वारा गठित किया गया है।

यह समाचार आज के इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ। पुलिस के भूतपूर्व महानिरीक्षक ने भी तमिलनाडु सरकार के भ्रष्ट कार्यों का पर्दाफाश किया है। इसलिए, मैं सरकार से इस मामले पर ध्यान देने का अनुरोध करूंगा।

एक दूसरा महत्वपूर्ण मामला : श्री निरेन घोष विपक्ष की एकता के बारे में बोले हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन मांगने को तैयार हैं; और वे फिर मिली-जुली सरकार बनाना चाहते हैं। देश ने 1977 में एक मिली-जुली सरकार देखी है। (व्यवधान) 1977 में उन्होंने ऐसी सरकार को देख लिया है। वे केन्द्र में एक और मिली-जुली सरकार बनाना चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि देश के लोग—केरल की सरकार की तरह उसे स्वीकार करने की मूर्खता करेंगे।

इसलिए, मैं श्री जेम्स केलाहन को उद्धृत करना चाहूंगा। संविद सरकार के बारे में श्री जेम्स केलाहन ने कहा था, "संविद सरकार एक खच्चर की तरह है। उसकी न तो कोई वंश परम्परा होती है और न ही भावी सन्तति।" इसलिए, हमारे मित्र पुनः किसी स्थान पर स्थापित करने के लिए एक खच्चर की खोज करने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। इसलिए, इस प्रकार की कोशिश से निश्चित ही देश का भला नहीं होगा।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं एक महत्त्वपूर्ण मामले के बारे में कुछ कहना चाहूंगा।

एक माननीय सदस्य : सरकारिया आयोग !

श्री सी० टी० दण्डपाणि : मैं आपको दो आयोगों के बारे में बताऊंगा। (व्यवधान) यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं आपको अनेक आयोगों के बारे में बता सकता हूं। (व्यवधान) एक

*कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

आयोग मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ गठित किया गया था, इस आयोग का नाम है ए० एन० मुल्ला आयोग। दूसरे आयोग का गठन कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ किया गया। इसका नाम है, वेलू पिल्लई आयोग। इसके विषय इस प्रकार हैं। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का विलय हो जाएगा तो इन आयोगों का भी विलय हो जाएगा।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : इनके निष्कर्ष इस प्रकार हैं : कि* को चावल के व्यापार से 50 लाख रुपए मिले और उसे ये रुपए* को दलीय प्रयोजनों हेतु दे दिए।

(व्यवधान)

प्रो० रूपचन्द पाल (हुगली) : मैं व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न कर रहा हूं। कुछ अत्यन्त आधार-हीन और उद्देश्यहीन बातें··· (व्यवधान)

श्री सी० टी० दण्डपाणि : मैं इनकी जिम्मेदारी लेता हूं। मैं इसे सिद्ध करने के लिए तैयार हूं। (व्यवधान) मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं।

ए० एन० मुल्ला आयोग की रिपोर्ट और वेलू पिल्लई आयोग की रिपोर्ट संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। (व्यवधान)

प्रो० रूपचन्द पाल : एक व्यक्ति* के खिलाफ गम्भीर आरोप लगाए जाते हैं और* के साथ उसका नाम जोड़ा जाता है जो इस सदन के एक सम्मानित सदस्य थे। जैसा कि आप जानते हैं* नामक एक न्यास था।* की स्मृति में इस सदन के प्रत्येक वर्ग की सहायता से एक न्यास और स्मारक शुरू किया गया था। अब इस प्रकार का आरोप लगाया जा रहा है जो उस महान नेता की स्मृति पर एक लांछन है। जो इस सदन के सदस्य थे और साथ ही केरल सरकार के मंत्री थे, जो हमारे देश में एक अत्यन्त सम्माननीय व्यक्ति हैं। यदि इस प्रकार का कोई आरोप लगाया जाना है तो सभी दस्तावेजों के साथ पूर्व नोटिस देना होगा। (व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : एक दूसरा आयोग गठित किया जा सकता है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : वह आयोग के बारे में उल्लेख कर रहे हैं।

प्रो० रूपचन्द पाल : सदस्यों के हित में, इन टिप्पणियों को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सुधीर गिरि : मैं एक व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न कर रहा हूं। नहीं, उन्होंने* के नाम का उल्लेख किया है। (व्यवधान)

---

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : आयोग की रिपोर्टों में हर बात दी हुई है। मैं जिम्मेदारी लेता हूं। (व्यवधान)

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार (त्रिवेन्द्रम) : क्या आपने रिपोर्टों को पढ़ा है ? (व्यवधान) क्या रिपोर्टों की प्रतियां आपके पास हैं ? (व्यवधान)

प्रो० रूपचन्द पाल : ये निराधार आरोप हैं और इन्हें कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री ए० नीलालोहियादसन नाडार : रिपोर्टें कहां हैं ? कोई रिपोर्ट नहीं है। (व्यवधान)

प्रो० रूपचन्द पाल : मैं जानना चाहता हूं कि आप इन टिप्पणियों को कार्यवाही-वृत्तान्त से निकलवा रहे हैं या नहीं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया पहले अपने स्थान पर बैठिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपनी सीट पर बैठिए। जब मैंने आपसे कह दिया कि मैं सारा रिकार्ड देखूंगा, श्री गिरि, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते ? आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपनी सीट पर बैठिए। आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। मैं कार्यवाही-वृत्तान्त देखूंगा। श्री दण्डपाणि, आप अपना भाषण समाप्त करिए।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : वह बात रिपोर्ट में है। (व्यवधान)

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : किस पेज पर ? रिपोर्ट के किस पेज पर ये बातें हैं ? (व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला : क्या हम उन्हें शिक्षा दे रहे हैं ?

सभापति महोदय : श्री नाडार, मैं रिकार्ड देखूंगा। (व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला : यह अब्बल दर्जे की अज्ञानता है।

सभापति महोदय : मैं रिकार्ड देखूंगा। श्री दण्डपाणि, आप अपनी बात जारी रखिए। उसके बाद मंत्री महोदय बोलेंगे।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मैं श्री दण्डपाणि से अनुरोध करूंगा कि वह किसी अन्य के साथ···* का नाम न जोड़े। (व्यवधान) मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इसे वापस लें।

सभापति महोदय : मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं रिकार्ड को देखूंगा।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : मैं क्या करूंगा ? मैं क्या कर सकता हूं ? ये बातें तो रिपोर्ट में दी हुई हैं। मैंने तो उनका उल्लेख किया है। यह मेरा दोष नहीं है।

सभापति महोदय : आप कृपया अपना भाषण समाप्त करिए।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं कहना चाहता हूं कि जैसा

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

कि यहां मेरे अन्य मित्रों ने कहा है, इसमें कोई सन्देह नहीं, कि यह बहुभाषी देश है। देश में विभिन्न संस्कृतियां हैं। इस बारे में कोई सन्देह नहीं है, लेकिन इस देश में इन सबको एकजुट करने वाली शक्ति अवश्य होनी चाहिए। मेरे मित्र ने साम्प्रदायिक दंगों, खासतौर पर तमिलनाडु में और कन्याकुमारी जिले में हुए दंगों के बारे में बताया है। कन्याकुमारी जिले के दंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खतरे और कन्याकुमारी जिले में इसकी गतिविधियों के कारण हुए।

प्रो० मधु दण्डवते : इस चर्चा की आपको खुली छूट है क्योंकि अभी यहां भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं है।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : यद्यपि यह कानून एवं व्यवस्था सम्बन्धी समस्या है। तथापि यह मामला अल्पसंख्यक वर्ग से सम्बन्धित है। मैं गृह मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि वह स्थिति का मूल्यांकन करने और अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा करने हेतु एक विशेष दल वहां भेजें। इस बात के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : राज्य मंत्री बोलें।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने अब तक गृहमंत्रालय की मांगों पर हुई इस चर्चा में भाग लिया है। मुझे पता लगा है कि अब तक 17 माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया है। आप महसूस करेंगे कि यह कठिन है यद्यपि इस अल्प अवधि में उत्तर देने हेतु उन सभी अच्छे सुझावों को नोट किया है जो माननीय सदस्यों ने रखे हैं। मैंने सभी दलीलों को नोट किया है। इसलिए, मैं थोड़े में विशेष मुद्दों पर ही विचार करूंगा और मैं अपने मित्र श्री दण्डपाणि का आभारी हूं—उन्होंने दो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। एक हमारे उत्तरपूर्वी क्षेत्र के बारे में है और दूसरे उन्होंने आसाम तथा केरल के बारे में चर्चा की है। जहां तक केरल तथा आसाम में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने का सम्बन्ध है, मुझे इस बारे में कुछ और नहीं कहना है क्योंकि उन्होंने स्वयं इसे अच्छी तरह बता दिया है कि वहां इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था, सिवाय ऐसा करने के। उन दो राज्यों, केरल तथा आसाम में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया।

जहां तक पूर्वोत्तर क्षेत्र का सम्बन्ध है, जैसा कि उन्होंने कहा है और अन्य माननीय सदस्यों ने ठीक ही उल्लेख किया है कि हमारा वह क्षेत्र, हमारे देश का यह पूर्वोत्तर भाग हमारे देश का निःसंदेह सुन्दर भाग है परन्तु वहां पर गड़बड़ चल रही है: यह भी सच है। और यह भी सच है कि पूर्वोत्तर भाग में काफी लम्बे समय से अशान्ति है। इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से सभा को बताना चाहूंगा कि हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी की दूरदर्शिता व नेतृत्व के कारण अब इस क्षेत्र में शान्ति बनी हुई है। वर्ष 1975 में शिलांग करार पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद नागालैंड में कुछ हद तक शान्ति है और वहां पर इस समय कोई गड़बड़ नहीं है।

जहां तक मिजोरम का सम्बन्ध है, सरकार ने बातचीत के माध्यम से समझौता करने का हर सम्भव प्रयास किया है। यह दुर्भाग्य की बात है कि एम० एन० एफ० हठ कर रहा है। चूंकि हमने देखा कि एम० एन० एफ० बातचीत की आड़ में अपनी शक्ति और पृथकतावादी गतिविधियां बढ़ाने में लगा है, बातचीत जारी रखने से कोई लाभ नहीं होता। एम० एन० एफ० और उससे सम्बद्ध संस्थाएं इस बीच अवैध घोषित कर दी गई हैं। सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के

लिये दृढ़प्रतिज्ञ है कि राष्ट्रविरोधी तत्वों से देश की अखण्डता पर आंच न आने दे अथवा वे शान्ति भंग न कर सकें और इस क्षेत्र के बिकास में बाधाएं न डाल सकें। केवल इन्हीं कारणों से एम० एन० एफ० को अवैध घोषित किया गया है जिससे इन क्षेत्रों में शान्ति स्थापित की जा सके और मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि एम० एन० एफ० को अवैध घोषित किये जाने के बाद यहां पर शान्ति है। हमें इस आशय के समाचार भी मिले हैं कि एम० एन० एफ० अपने आपको सक्रिय बना रहा है परन्तु हमने काफी पूर्वोपाय कर रखे हैं और हमने उस क्षेत्र में आसूचना कार्य तेज कर दिया है और हमारी सुरक्षा सेनाएं भी इस क्षेत्र में शान्ति बनाने के लिये क्रियाशील हैं।

मनिपुर में वर्ष 1978 से बड़े पैमाने पर हिंसा की घननाएं हो रही हैं। सुरक्षा सेनाओं की जोरदार संयुक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप उग्रवादी तत्वों के नेता और अन्य अधिकांश लोग मारे गये हैं अथवा पकड़े गये हैं। अतः इस समय मनिपुर में भी स्थिति नियंत्रण में है।

जहां तक आसाम का सम्बन्ध है, सरकार सन्तोषजनक समाधान ढूंढ़ने के लिये हमेशा चिन्तित रही है और इस दिशा में हर सम्भव प्रयास किये गये हैं। यदि मैत्रीभाव से अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया तो इसका अर्थ यह नहीं कि केन्द्र ने प्रयत्न नहीं किये हैं। जैसा कि सभा को पता है, प्रधान मंत्री व गृह मंत्री ने विरोधी पक्ष के नेताओं के साथ बातचीत की थी और उनके साथ परामर्श किया था। यह भी सभा को पता है कि सरकार के प्रतिनिधियों, विरोधी पक्ष के नेताओं और आन्दोलनकारी नेताओं की दो बार संयुक्त बैठकें हुई हैं। अगली बैठक 7 अप्रैल, 1982 को दिल्ली में होने वाली है। अतः केन्द्रीय सरकार ने इस समस्या का मैत्रीभाव से समाधान निकालने के लिये गम्भीरता और ईमानदारी से प्रयास किये हैं और हमारे प्रयास जारी हैं। हमें आशा है कि इन वार्ताओं के परिणामस्वरूप इस समस्या का कोई समाधान निकल आयेगा।

पूर्वोत्तर क्षेत्र नाजुक है और नाजुक ही बना हुआ है क्योंकि कुछ पथभ्रष्ट युवक राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लगे हैं। आम तौर पर लोग शान्त रहे हैं और अपनी शक्ति का उपयोग विकास और खुशहाली के ऊंचे लक्ष्य की प्राप्ति के लिये कर रहे हैं। सरकार इस समस्या को अपनी ओर से काफी समय से हल करने के लिये प्रयत्नशील रही है। हमने अपने संसाधनों और शक्ति का इस प्रदेश के विकास के लिये आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिये उपयोग किया है और यह सुनिश्चित करने के प्रयत्न किये हैं कि विकास की गति से लोग प्रगति ही न करें बल्कि वे विकास के पथ पर अग्रणी बने। माननीय सदस्यों को पता है कि हमने उन पूर्वोत्तर क्षेत्रों में आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिये विशेष प्रयास किये हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिये हम जो प्रयत्न कर रहे हैं, मैं उनके एक या दो उदाहरण दे सकता हूं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार सबसे अधिक ध्यान दे रही है। हम सबको पता है कि इन दूरस्थ व पर्वतीय मार्गों के देर से खुलने के कारण समूचा पूर्वोत्तर क्षेत्र आधारभूत सुविधाओं के सन्दर्भ में शेष देश से पिछड़ गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर परिषद वर्ष 1971 में स्थापित की गई थी। हमने इस पूर्वोत्तर परिषद के माध्यम से इस क्षेत्र के विकास के लिये आज तक 150 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए स्वीकृत परिव्यय 340 करोड़ रुपये है। इन सभी योजनाओं की शीघ्र क्रियान्विति पर ध्यान रखने के लिये मंत्रियों की एक समिति गठित की गई है ताकि वह मौके पर ही निर्णय कर सके। इस समिति की पांच बैठकें हो चुकी हैं।

छठी पंचवर्षीय योजना में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिये कुल परिव्यय 2387 करोड़ रुपये है जो वर्ष 1974-79 के लिये पांचवीं पंचवर्षीय योजना के परिव्यय से 159 प्रतिशत अधिक है। जहां तक प्रतिव्यक्ति परिव्यय का सम्बन्ध है पूर्वोत्तर प्रदेश में 131 3 करोड़ रुपए का निवेश है जबकि छठी पंचवर्षीय योजना के लिये राष्ट्रीय औसत 872 करोड़ रुपए हैं। पांचवीं योजना अवधि में भी पूर्वोत्तर क्षेत्र में परिव्यय और खर्च के आंकड़े राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक हैं। रेल मंत्रालय छठी पंचवर्षीय योजना में गौहाटी और डिब्रूगढ़ तक बड़ी लाइन बनाने और 6 नई रेल लाइनें बिछाने पर लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। मैं यह सब कुछ इसलिये बता रहा हूं कि हम पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिये चिन्तित हैं जो ऐतिहासिक व भौगोलिक कारणों से पिछड़ा रहा है। परन्तु विकास गति निश्चय ही वहां पर शान्ति की स्थिति पर निर्भर करती है; यदि वहां अशान्ति रहती है तो विकास प्रक्रिया नहीं चल सकती। मूलतः हमारा प्रयास इस क्षेत्र में शान्ति बनाये रखना होना चाहिए।

श्री दंडपाणि ने साम्प्रदायिक स्थिति व राष्ट्रीय एकता का मामला उठाया था। मैं कोई आंकड़े नहीं देना चाहता। परन्तु कुल मिलाकर वर्ष 1980 की अपेक्षा वर्ष 1981 में साम्प्रदायिक स्थिति में सुधार हुआ है। वर्ष 1981 में घटनाओं की संख्या व मरने वालों की संख्या में कमी हुई है। फिर भी किसी बात के बारे में गारंटी से कुछ नहीं कहा जा सकता। सरकार इस पर नजर रखे हुए है। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हाल में होली का त्यौहार शान्ति से व्यतीत हो गया है और मुझे आशा है कि वर्ष 1982 में और भी सुधार होगा।

श्री दंडपाणि ने तमिलनाडु में हुए दंगे का भी उल्लेख किया है। हम सबको इसके बारे में चिन्ता है। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि किसी भी धर्म में उग्रवादी विचारधारा खराब है। समस्या की जड़ यही है। धार्मिक जलूस के मार्ग, लाऊडस्पीकर बजाने और देवताओं की मूर्तियां स्थापित करने अथवा धार्मिक ध्वज फहराने अथवा गेट आदि बनाने आदि जैसे सामान्य विवाद वहां पर रहने वाले लोगों द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से हल कर लिये जाने चाहिए। वर्ष 1980 में नई सरकार के सत्ता में आने के बाद विभिन्न राज्य सरकारों की 93 प्वाइंट्स के बारे में ब्यौरेवार मार्ग निर्देश परिचालित किये गये हैं जिनमें साम्प्रदायिक तनाव को रोकने के लिए प्रशासनिक तथा अन्य उपायों का उल्लेख है। इसी कारण हम समाज से इस रोग को रोक पाये हैं। साम्प्रदायिक दंगों से निपटने और तत्पश्चात पुनर्वास-उपाय करने के लिए सरकार केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के तीन शान्ति बटालियन बना रही है।

राष्ट्रीय एकता परिषद को पुनः सक्रिय बनाया गया है और शिक्षा और साम्प्रदायिक तथा व्यक्तिगत सद्भाव बनाये रखने सम्बन्धी उसकी समिति की बैठक हुई है। स्थायी समिति की शीघ्र बैठक होने वाली है। राष्ट्रीय एकता एक सतत प्रक्रिया है। यह महसूस किया जाना चाहिए। एक ही दिन में सफलता नहीं मिल सकती। यह एक प्रिय आदर्श है और स्वाधीनता के लिये धर्मनिरपेक्ष संघर्ष का प्रतीक है और इसके पीछे हमारा धर्मनिरपेक्ष इतिहास है। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे अपने सभी कार्यकलाप राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के विचार से आयोजित करें।

राज्य पुलिस बल का आधुनिकीकरण किये जाने का भी उल्लेख किया गया है ताकि वे देश में शान्ति बनाये रख सकें। इस प्रयोजन के लिये सरकार ने राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण सम्बन्धी

योजना को पुनर्जीवित किया है और वर्ष 1980-81 से प्रारम्भ होने वाले इस वर्ष की अवधि में 100 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश करने का निर्णय किया है।

आवश्यक सेवाएं बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम की काफी आलोचना की गई है। सदस्यों को स्वीकार करना चाहिये कि यह केवल समर्थकारी अधिनियम है और सरकार का एक मात्र आशय यह सुनिश्चित करना है कि कुछ शरारती लोगों के कारण आम आदमी को दुख न उठाना पड़े। सरकार का यह कभी इरादा नहीं रहा कि इसे हर जगह लागू किया जाये। आसाम के बाहर केवल एक बार महाराष्ट्र में बिजली बोर्ड इंजीनियरों की हड़ताल के सम्बन्ध में इसका उपयोग किया गया है। किसी भी अन्य राज्य में इसका उपयोग नहीं किया गया। इससे सरकार का इरादा स्पष्ट हो जाता है।

उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को वैध ठहराया है और न्यायालय द्वारा व्यक्त किये गये कुछ विचारों के आधार पर हमें अधिसूचना जारी करनी पड़ी है जिसमें आवश्यक सेवाओं को परिगणित किया गया है। इसका केवल एक प्रयोजन है कि शरारती तत्वों को पता चल जाए कि कौन-सी सेवाएं आवश्यक हैं। हमने अपनी इच्छा से अधिसूचना जारी नहीं की है। 19 जनवरी 'बन्द' के दिन भी केवल 47 व्यक्ति बन्द किये गये थे जिससे स्पष्ट हो जाता है कि प्राधिकारियों द्वारा कितने संयम से काम लिया गया है। सरकार का इरादा यह है कि नजरबन्द करने वाले प्राधिकारी समस्त विरोधी तत्वों जैसे अवैध शराब बेचने वालों, अपराधियों, साम्प्रदायिक दंगों को भड़काने वालों और ऐसे अन्य लोगों के साथ निपटने के लिये अधिनियम का कारगर ढंग से प्रयोग कर सकें।

इनके अतिरिक्त इस सभा में अधिकांश सदस्यों द्वारा उठाये गये अन्य महत्वपूर्ण मामलों में एक अनुसूचित जातियों और जनजातियों की समस्या है। यह स्वाभाविक ही है कि हम अपने समाज के इस वर्ग के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में चिन्तित हैं। जो हमारे देश में बड़ी संख्या में हैं। जब से आजादी मिली है तब से सरकार विभिन्न उपाय करके समाज के इस वर्ग के सामाजिक स्तर व आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिये उच्चतम प्राथमिकता देती रही है। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि इन सभी उपायों के, जो हमने अब तक किये हैं और द्रुत कार्यक्रमों के जो हमने अब आरम्भ किये हैं, परिणाम निकलने लगे हैं। परन्तु फिर भी इस क्षेत्र में काफी कुछ करना बाकी है। इस सम्बन्ध में कुछ उपायों का उल्लेख करूंगा जो हमने अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के उत्थान सम्बन्धी कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिये किये हैं।

प्रधानमंत्री ने स्वयं 20 मार्च, 1980 को विभिन्न मुख्य मंत्रियों को पत्र लिख कर अनुसूचित जातियों/जनजातियों की समस्याओं के प्रति केन्द्र सरकार की गहरी चिंता व्यक्त की तथा उनके कुछ सामाजिक-आर्थिक विकास के कार्य को दी गई उच्च प्राथमिकता की ओर ध्यान दिलाया। नए 20-सूत्री कार्यक्रम में, जो घोषित किया गया है, वह संख्या 7 "अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विकास के लिए कार्यक्रम को गति देना" है। नए 20-सूत्री कार्यक्रम के अनेक मुद्दों के अन्तर्गत आने वाली योजनाओं तथा कार्यक्रमों से मिलने वाले लाभों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दिया जा सकता है। हमारे माननीय गृह मंत्री ने भी सभी सम्बद्ध मुख्य मंत्रियों को

पत्र लिखकर नए 20 सूत्री कार्यक्रम के संदर्भ में अनुसूचित जातियों के लिये विशेष संघटक योजना के दक्षतापूर्ण कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया है।

इसकी प्राप्ति के लिए अनुसूचित जातियों के आर्थिक एवं अन्य विकासों के लिए छठी योजना में एक व्यापक समेकित नीति अपनाई गई है। हमारे द्वारा अपनाई गई मुख्य नीतियां इस प्रकार हैं :

(क) राज्य एवं केन्द्रीय मंत्रालयों की विशेष संघटक योजनाएं;

(ख) राज्यों की विशेष संघटक योजनाओं को विशेष केन्द्रीय सहायता; और

(ग) राज्यों के अनुसूचित जातियां विकास निगम

विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत व्यापक उद्देश्य अनुसूचित जातियों के परिवारों को अपनी आय में पर्याप्त वृद्धि करने के लिए सहायता देना है। (व्यवधान)

इसके अतिरिक्त मूल सेवाओं और सुविधाओं की व्यवस्थाओं तथा सामाजिक एवं शैक्षिक विकास के लिए अवसरों तक पहुंच की व्यवस्थाओं को भी विशेष संघटक योजनाओं में लाया जाना है।

राज्यों द्वारा अपनी राज्य योजनाओं में विशेष संघटक योजनाओं में निर्धारित परिव्यय में 1980-81 में 528 करोड़ से 1981-82 में 630 करोड़ रु० की वृद्धि की गई। इस प्रकार यह विशेष संघटक योजना बल पकड़ रही है और हमें आशा है कि हमारे मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अंतर्गत विभिन्न राज्य अपने कार्यकरण में सुधार लायेंगे और इनके लाभ अनुसूचित जातियों को प्राप्त होंगे।

राज्य संघटक योजनाओं को विशेष केन्द्रीय सहायता के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि इससे राज्य सरकारों को अपनी राज्य योजनाओं से अपनी-अपनी विशेष संघटक योजनाओं के लिए परिव्यय में वृद्धि करने के लिए प्रेरणा मिली है। छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में विशेष संघटक योजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के 600 करोड़ रु० के आवंटन में से 1981-82 के दौरान 100 करोड़ रु० की राशि रिलीज की गई। 1981-82 के लिए उक्त सहायता हेतु कुल 110 करोड़ रु० की व्यवस्था है और 1982-83 के लिए यह व्यवस्था 120 करोड़ रु० है। धीरे-धीरे इसे बढ़ाया जा रहा है क्योंकि इस राशि के उपयोग के संबंध में राज्यों की अपनी क्षमता है।

तीसरी बात राज्यों के अनुसूचित जातियां विकास निगमों की है। इसके अन्तर्गत राज्यों में बैंक-योग्य योजनाओं तथा आर्थिक विकास के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों तथा वित्तीय संस्थानों के बीच आपसी सम्बन्ध के लिए अनुसूचित जातियां विकास निगमों की स्थापना का विचार है। केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए रिलीज की गई राशियां 1978-79 में 50 लाख रु० से 1979-80 में 12.24 करोड़ तथा 1980-81 में लगभग 13 करोड़ तक बढ़ गई है। 1981-82 में 13.25 करोड़ रु० तथा 1982-83 में 13.25 करोड़ रु० का उपबन्ध है। इन अनुसूचित जातियां विकास निगमों की स्थापना के पीछे मूल विचार यह है कि ये अनुसूचित जातियों के परिवारों के व्यक्तिगत सदस्यों को ही बैंकों से सहायता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेंगे। हम इस प्रकार विभिन्न राज्य सरकारों की सहायता कर रहे हैं।

हम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के शैक्षिक/आर्थिक उत्थान पर अधिक बल दे रहे हैं। मैं इस बारे में अपनी उत्सुकता दर्शाने के लिए कुछ आंकड़े देना चाहूंगा। शैक्षिक वर्ष 1980-81 के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों तथा मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्तियों के लिए पात्रता हेतु आय की अधिकतम सीमा में वृद्धि की गई है। इस योजना के लिए 1980-81 के दौरान रिलीज की गई 10.76 करोड़ की राशि की तुलना में 1981-82 में 27 करोड़ का उपबन्ध किया गया है। इस प्रकार राशि को निरन्तर बढ़ाया जा रहा है।

प्रो० एन० जी० रंगा : छात्रों के लिए राशि क्या है ? पिछले वर्ष राशि कितनी थी और अब क्या है ?

श्री निहार रंजन लस्कर : ये आंकड़े मैं एकत्र करके दे सकता हूं। बढ़ी हुई राशि से यह स्पष्ट है कि छात्रवृत्तियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है।

हम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं पर आक्रमण करना चाहते हैं ताकि वे सामाजिक एवं आर्थिक वृद्धि से समाज में अन्य वर्गों के लोगों के साथ मुकाबला करने के लिए सक्षम हो सकें।

इसी प्रकार से सरकार आदिवासी उपयोजना दृष्टिकोण से आदिवासी समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रही है, जो योजना पांचवीं योजना में 1974-75 में आरम्भ की गई थी। पांचवीं योजना में आदिवासी उप-योजना में 16 राज्यों तथा 2 संघ राज्य क्षेत्रों में केवल 1000 करोड़ रु० की पूंजी निवेशित की गई थी। आशा है कि छठी पंचवर्षीय योजनावधि, 1980-85 में 17 राज्यों तथा 2 संघ राज्य क्षेत्रों में चार गुणा वृद्धि अर्थात निवेश में 4000 करोड़ से 5000 करोड़ रु० की वृद्धि हो जायेगी। इस आदिवासी उप-योजना के अन्तर्गत 17 राज्यों तथा 2 संघ राज्य क्षेत्रों में लगभग 75 प्रतिशत आदिवासियों को लिया जाता है।

नये 20-सूत्री कार्यक्रम में अनुसूचित आदिवासियों के लिए कार्यक्रमों को गति देने तथा उनके लिए निगरानी कक्ष की स्थापना पर विशेष बल दिया गया है। कुछ माननीय सदस्यों ने भी उसका निर्देश किया है। गृह मंत्रालय में हम एक निगरानी कक्ष की स्थापना कर रहे हैं ताकि वह इस बात को देखने के लिए कि विभिन्न राज्यों में किस प्रकार काम चल रहा है, सभी कार्यक्रमों पर नजर रख सके।

माननीय सदस्यों ने विभिन्न सरकारी पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए प्रतिनिधित्व का भी उल्लेख किया है और इस पर भी अपनी चिंता व्यक्त की है कि उनको समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। इस कमी को पूरा करने के लिए हम अधिक से अधिक कोशिश कर रहे हैं। इस बारे में हमारा यह निरन्तर प्रयास है और स्थिति में सुधार हो रहा है। माननीय सदस्य यह जानने के लिए भी उत्सुक होंगे कि हाल की प्रवृत्तियों से पता चलता है कि भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा कुछ अन्य केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सभी पद इन्हीं समुदायों के लोगों द्वारा ही भरे जा रहे हैं। इसका कारण निश्चित रूप से सरकार का निरन्तर प्रयास है और स्थिति में सुधार हो रहा है।

अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं यह कहना चाहूंगा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के चहुंमुखी विकास की गतिविधियों को तेज किया गया है और सरकार शिथिल नहीं है। हम प्रयासों को निरन्तर तेज करने की आवश्यकता के प्रति सचेत हैं इसी भावना के साथ इस महान कार्य में लगे हुए हैं।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (मन्जेरी) : मैं गृह मंत्रालय की मांगों पर चर्चा में बहुत गुस्से तथा कानून एवं व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक दंगों, हत्याओं, लूटपाट में बढ़ती संख्या पर गहरी चिंता के साथ भाग ले रहा हूं। मेरा विचार है यह केवल मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण नहीं है अपितु उन सभी का भी, जो अपने देश से प्यार करते हैं, यही विचार है। वे सभी देश की वर्तमान स्थिति से चिंतित हैं।

गृह मंत्रालय के प्रतिवेदन में, जो हमारे सामने है, यह कहा गया है कि स्थिति में सुधार हो रहा है। प्रतिवेदन के आरंभ में कहा गया है, वर्ष के दौरान देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति नियन्त्रण में रही। गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा भी यही विचार अभी-अभी व्यक्त किया गया है। परन्तु मेरा विचार है कि वास्तव में स्थिति इसके विपरीत है।

वास्तव में वर्ष 1980 इस बारे में सबसे खराब वर्ष था। परन्तु जैसे कि आज की स्थिति है, उससे प्रतीत होता है कि वर्ष 1982 सबसे खराब वर्ष होगा। गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित आंकड़े दिये हैं। मैं 1977, 78 और 79 का उल्लेख नहीं करना चाहता। वर्ष 1980 में गृह मंत्रालय ने स्वीकार किया है कि 427 दंगे हुए जिनमें 375 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 2838 व्यक्ति आहत हुए। गृह मंत्रालय के अनुसार भी यह सबसे खराब वर्ष था। उनका कहना है कि स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। जहां तक 1980 का सम्बन्ध है इस देश में प्रति दिन एक दंगा हुआ। यह बहुत ही गम्भीर बात है। वर्ष 1981 में 319 दंगे हुए जिनमें 196 व्यक्तियों की मौत हुई और 2613 व्यक्ति आहत हुए। हम इस वर्ष को देखें जिसमें अभी हम मार्च तक ही पहुंचे हैं। फरवरी तथा मार्च में जो कुछ हुआ है वह आपके सामने है। पुरी, शोलापुर, बारामती आदि स्थानों पर साम्प्रदायिक दंगे हुए। वहां पर अल्पसंख्यकों को क्या सुरक्षा प्राप्त है ? मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं कि 31 जनवरी को हमारे स्थानीय सचिव ने पुलिस आयुक्त को सूचित किया था कि पुणे में स्थिति बिगड़ रही है। श्री बनातवाला ने, जो न केवल भारतीय मुस्लिम लीग के सचिव हैं अपितु महाराष्ट्र राज्य मुस्लिम लीग के प्रेसीडेन्ट भी हैं, महाराष्ट्र सरकार को 1 फरवरी को सूचित किया कि स्थिति खराब है और उसके लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। परन्तु क्या हुआ ? कुछ भी नहीं किया गया।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : महोदय, जो बातें अभी हुईं नहीं उनका इन्हें कैसे पता है ?

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : वे उस क्षेत्र में थे और स्थिति को समझ सकते हैं। हमारा सचिव श्री अहमद बेग पुणे में था। श्री बनतवाला वहां पर थे। कोई भी समझदार व्यक्ति समझ सकता है और यदि श्री रेड्डी नहीं समझते तो हमारा कोई दोष नहीं है। सरकार के पास बहुत बड़ा गुप्तचर संगठन है। उस पर सरकार 30 करोड़ रु० व्यय करती है और यदि सरकार को स्थिति के बारे में सूचना नहीं मिल सकती और पता नहीं चल सकता कि देश में क्या हो रहा है तो उस संगठन का

क्या उपयोग ? कुछ दिन पूर्व मैं सितम्बर 1980 में मुरादाबाद के दंगों के बाद प्रधानमंत्री से बात कर रहा था। उन्होंने बहुत स्पष्टवादिता अपनाई और स्वीकार किया कि हमारा आसूचना विभाग कमजोर है। यदि आसूचना कमजोर है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? क्या इसके लिए अल्पसंख्यक जिम्मेदार हैं अथवा सरकार जिम्मेदार है ? महोदय, हरिजन तकलीफ झेल रहे हैं। 1980-81 में 960 कत्ल हुए हैं। स्थिति और बिगड़ती जा रही है। इस वर्ष और अधिक ऐसी वारदातें हुई हैं।

पुणे, बारामती और शोलापुर में सरकार ने दंगा-फसाद करने वालों को पूरी आजादी दे रखी है। हमारे देश में जो कुछ हो रहा है उसे प्रत्येक समझदार व्यक्ति समझ सकता है। सभी साम्प्रदायिक तत्व विश्व हिन्दू परिषद की छत्र-छाया में एकत्रित हो रहे हैं; पतितमान, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, बी० जे० पी०, हिन्दू महा सभा तथा सभी एक झंडे के नीचे एकत्रित हो रहे हैं। ये सभी तत्व विश्व हिन्दू परिषद के नाम पर एकजुट हो रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह पिछले वर्ष मीनाक्षीपुरम में घटी घटना की प्रतिक्रिया है। आपको यह मालूम होगा कि मीनाक्षीपुरम में हरिजन तथा अनुसूचित जातियों के लोगों का कई दशकों से शोषण हो रहा था, वे कई दशकों से अपमान झेल रहे थे, इसलिए उन्होंने आत्मगौरव तथा समानता के लिए इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। हम उनका वहां स्वागत करते हैं। यह उनका अधिकार है, इस्लाम धर्म स्वीकार करना उनका संवैधानिक अधिकार है, यदि वे बिना किसी बाहरी दबाव अथवा उत्पीड़न के ऐसा करते हैं इसमें क्या गलत बात है ?

लेकिन पूरे देश में ऐसी स्थिति क्यों पैदा की जाती है और इस प्रश्न पर लोगों को क्यों उकसाया जाता है, मेरा यह एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर देना होगा। वे सभी भी विदेशी धन की बात करते हैं। (व्यवधान)

पुणे, बारामती और शोलापुर में जो साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं उन पर गौर करें। वहां साम्प्रदायिक तत्व विदेशी धन के बारे में चर्चा करते हैं। सरकारी तंत्र भी विदेशी धन की चर्चा करता है। केन्द्रीय मंत्री इसके बारे में चर्चा करते हैं और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्यों के मंत्री भी यही कहते हैं। कुछ लाख रुपये मस्जिदों और मदरसों के लिए आये होंगे, लेकिन धर्म परिवर्तन के लिए एक पैसा भी नहीं आया है, इसका मैं दावा करता हूं। यह बात अनुसूचित जातियों के क्षेत्रीय निदेशक से मुझे प्राप्त प्रतिवेदन से स्पष्ट हो जाती है। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा है :

> "न तो विदेशी धन का और न ही दबाव का प्रयोग हुआ है। इस तरह के प्रचार से ऐसा हुआ है क्योंकि सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई।"

इसलिए, यह स्थिति बनी हुई है। इस प्रकार के प्रचार पर आपको अवश्य प्रतिबंध लगाना चाहिए। यह वास्तविक रूप से इस साम्प्रदायिक दुर्भावनापूर्ण देश में अल्पसंख्यकों पर प्रभाव डालता है। इस पर सरकार द्वारा रोक लगाई जानी चाहिए। लेकिन ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के स्थान पर सरकार द्वारा जलूस निकालने की अनुमति दी जा रही है। इसके पश्चात इसकी प्रतिक्रिया होती है। इस बारे में कोई शंका नहीं है। हम सबको इन साम्प्रदायिक तत्वों की योजना तथा काम करने के तरीके सम्बन्धित ये सारी बातें जाननी चाहिए।

जहां तक कन्याकुमारी का सम्बन्ध है, मैं विस्तार में जाना नहीं चाहता हूं, श्री दण्डपाणि ने तमिलनाडु में व्याप्त स्थिति के बारे में विस्तार से बतलाया है।

यहां मैं कन्याकुमारी में हुए दंगे के बारे में विस्तार से नहीं बतलाऊंगा क्योंकि मामला न्यायालयाधीन है। लेकिन एक बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि दंगा ईसाइयों के विरुद्ध शुरू किया गया था, जो बाद में मुसलमानों के विरुद्ध भी शुरू कर दिया गया। न केवल स्कूलों पर आक्रमण किया गया, बल्कि गिरजाघरों पर भी आक्रमण किया गया। कन्याकुमारी में यह स्थिति है। मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि विवेकानन्द स्मारक केन्द्र राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियों का केन्द्र बन गया है।

केन्द्रीय सरकार को इसके बारे में जानना चाहिए। तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए केन्द्र से प्रतिनिधि मंडल वहां भेजा जाना चाहिए। तथ्यों को आने दें ताकि यह पता चल सके कि मैं ठीक कह रहा हूं अथवा नहीं और इससे सरकार को निवारक उपाय करने में भी मदद मिलेगी।

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त करें।

श्री इब्राहम सुलेमान सेट : महोदय, एक बात और कहना चाहूंगा। कन्याकुमारी के इस मामले पर राज्यसभा में चर्चा हुई है और माननीय मंत्री श्री वेंकटसुबैय्या ने ध्यानाकर्षण के उत्तर में यह कहा है :

> "कन्याकुमारी में साम्प्रदायिक और धार्मिक दलों के बीच संघर्ष भयंकर व्याधि का सूचक है और उग्रवादी तथा साम्प्रदायिक तत्व लोगों को ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए उकसा रहे हैं।"

मंत्री महोदय ने इस व्याधि को स्वीकार किया है। मैं पूछना चाहूंगा कि सरकार ने इस व्याधि को दूर करने के लिए क्या किया है ? क्या सरकार ने ऐसे शरारती तत्वों की कार्य-प्रणाली की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है ? साम्प्रदायिक दंगों को सिर्फ कानून और व्यवस्था का प्रश्न कहकर उड़ा देना नहीं चाहिए। केन्द्र का अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने का विशेष दायित्व है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब गहरी बुराई के लक्षण मौजूद थे, तो सरकार ने उनकी कार्य-प्रणाली को जानने के लिए और अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिये क्या किया है ? मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं।

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त करें।

श्री इब्राहम सुलेमान सेट : महोदय, मैं एक मिनट और लूंगा। 1980 में मुरादाबाद में साम्प्रदायिक दंगे हुए थे। 1981 में जांच आयोग की नियुक्ति हुई थी और जांच अभी भी चल रही है यद्यपि दो वर्ष व्यतीत हो गए हैं। महोदय, सरकार को तेजी और प्रभावी ढंग से काम करना चाहिए ताकि स्थिति बदतर न होने पाए। लेकिन दुर्भाग्यवश, सरकार धीमी गति से काम करती है। महोदय, दंगों के बारे में यही स्थिति है।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त करें।

श्री इब्राहम सुलेमान सेट : महोदय, मेरे पास 14-20 मार्च, 1982 का 'सन्डे' का अंक है, इसके एक लेख से पूना में साम्प्रदायिक तत्वों के व्यवहार का स्पष्ट पता चलता है। मैं उसे उद्धृत करता हूं :

> "महिलाओ तथा सज्जनो, नवगठित विश्व हिन्दू परिषद द्वारा संचालित 15 दिवसीय अभियान से पूर्व तथा इसके पश्चात् हुई घटनाओं की कहानी है। यह विश्व हिन्दू परिषद एक ऐसी संस्था जिसकी घोषित नीति महात्मा गांधी के लक्ष्य को प्राप्त करना है, लेकिन जिसके कर्ता-धर्ता (गांधी का बिल्ला लगाकर छुपे रुस्तम हैं) उस विचार-धारा के पोषक हैं जिसने नाथूराम गोडसे को पैदा किया।"

इसमें और यह कहा गया है कि :

> "लेकिन उसने मुझे परिषद् तथा इसकी वर्तमान गतिविधियों के बारे में कुछ साहित्य दिया। उनमें एक पुस्तिका थी जिसका शीर्षक "कन्वर्शनज : ए मोर्टल डेन्जर" है। शायद जानबूझकर उस पुस्तिका में मुद्रक, प्रकाशक के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है। और यहां मुसलमानों और ईसाइयों (अपवित्र गठबंधन का तीसरा मुद्दा, कम्यूनिस्ट) पर प्रहार के दुष्चक्र में सुधारात्मक दृष्टिकोण समाप्त हो जाता है और उन्हें देश की अखंडता तथा हिन्दूवाद के भविष्य का सबसे बड़ा खतरा बताया जाता है।"

महोदय, इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ईसाइयों तथा मुसलमानों को हिन्दूवाद के भविष्य तथा देश की अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। वे अल्पसंख्यकों को इस तरह दोषी ठहराते हैं तथा वातावरण को दूषित करते हैं।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री इब्राहम सुलेमान सेट : महोदय, केरल और असम के बारे में एक बात और कहनी है। इसके बाद मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा। मैं केरल में विधान सभा के भंग किए जाने का स्वागत करता हूं क्योंकि कोई विकल्प नहीं था और हम निर्णायक मत पर जीवित सरकार नहीं चाहते थे। निःसन्देह, अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है। यह संवैधानिक अधिकार है और वह भी यथावत स्थिति बनाए रखने के लिए ; फिर भी हम निर्णायक मत पर जीवित रहने वाली सरकार नहीं चाहते थे। हम नहीं चाहते कि विधायकों को खरीदा जाये, सभी जानते हैं कि विधायकों को खरीदने का काम वामपंथी मोर्चे द्वारा शुरू किया गया था।

असम के बारे में एक और बात है। सरकार बात-चीत कर रही है। यह ठीक है लेकिन एक बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि सरकार को निर्णय करते समय क्षेत्रीय तथा भाषायी अल्पसंख्यकों के हितों का बलिदान नहीं करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आन्दोलनकारी संतुलित तथा सद्भावनापूर्वक व्यवहार करेंगे, न कि प्रतिक्रियावादियों के हाथों की कठपुतली बन जायेंगे। यदि आप कोई समझौता करते हैं तो समझौता कतिपय बुनियादी सिद्धान्तों पर आधारित होना चाहिए जिसका पालन किया जाना चाहिए। आप हमेशा बुनियादी सिद्धान्तों की बात करते

हैं। संवैधानिक उपबन्धें, सम्बन्धित कानून, राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं, अन्तर्राष्ट्रीय समझौते और मानवीय आधार जैसे बुनियादी सिद्धान्त हैं जिनके आधार पर असम समस्या का समाधान होना चाहिए। विदेशियों का पता लगाने तथा प्रत्यावर्तन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। पता लगाने का क्या उपयोग है ? मैं इसे नहीं समझ सका। यह एक निरर्थक काम है। यदि प्रत्यावर्तन संभव नहीं है तो पता लगाने से क्या फायदा होगा ? पता लगाने से इस मसले का समाधान कैसे होगा ? कोई राष्ट्र किसी व्यक्ति को वापस लेने को तैयार नहीं है। तब विदेशी नागरिकों का पता लगाने का क्या फायदा है ? एक मात्र रास्ता यह है कि हमें 1971 को आधार वर्ष मानना चाहिए। किसी अन्य रास्ते से इस समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता।

महोदय, मंत्री महोदय ने जोरदार शब्दों में कहा है कि अनुसूचित जातियों को सेवाओं में इतना अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया है। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने गरीब मुसलमान अल्पसंख्यकों को आई० ए० एस०, आई० पी० एस० और आई० एफ० एस० सेवाओं में प्रतिनिधित्व देने के लिए क्या किया है ? इन सेवाओं में केवल तीन प्रतिशत मुसलमान ही हैं, जबकि देश में उनकी जनसंख्या 12 प्रतिशत है। यह स्थिति है। केन्द्रीय सेवाओं को लें : केन्द्रीय सचिवालय सेवा में 9900 लिपिकों में मुसलमानों की संख्या केवल 21 है। यह बहुत ही दुःखद स्थिति है। मैं आशा करता हूं कि गृह मंत्री इस साम्प्रदायिक स्थिति को सुधारने तथा प्रतिक्रियावादी, लड़ाकू, साम्प्रदायिक तत्वों पर काबू पाने के लिए तात्कालिक कदम उठाएंगे ताकि देश में अल्पसंख्यकों के साथ न्याय हो सके।

अन्त में मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह साम्प्रदायिक दंगों पर जमशेदपुर प्रतिवेदन को लागू करे जिसमें दोषियों का पता लगाया गया है और इस बात को सुनिश्चित करे कि दंगा-पीड़ितों विशेष रूप से मुसलमानों समेत अल्पसंख्यकों को न्याय मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : महोदय, मैं गृह मंत्रालय के सम्बन्ध में अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं विपक्ष के कतिपय अपने मित्रों की कुछ टिप्पणियों के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा जिन्होंने सरकार पर कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब होने के लिए तीखा प्रहार किया है। मेरा यह निवेदन है कि, यदि हम वर्ष 1975, 1976 और 1977 को देखें, जब देश में आपातकालीन स्थिति थी, तो हम पाते हैं कि उस समय देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल ठीक और संतोषजनक थी। जनता पार्टी के शासन आने के बाद क्या स्थिति हुई ? जनता पार्टी ने विभिन्न राज्यों में सभी असामाजिक तत्वों को बिना किसी शर्त तथा बिना किसी सजा दिए रिहा कर दिया। इससे देश में असामाजिक तत्वों को बहुत बल मिला और इन तत्वों ने विभिन्न प्रकार की गड़-बड़ी की तथा समाज विरोधी गतिविधियों में भाग लिया।

सबसे महत्वपूर्ण पहलू देश में शोषितों का उत्थान करना है। प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने विभिन्न दलितों और अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई हैं। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि उड़ीसा और मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या

अन्य राज्यों से कहीं अधिक है। यद्यपि इन राज्यों की सरकारें उनके उत्थान के लिए प्रयत्नशील हैं परन्तु अपने थोड़े से संसाधनों से उनके लिए यह सम्भव नहीं है। अत: मैं गृह मंत्री और सरकार से इन जातियों के बच्चों की शिक्षा के लिए पर्याप्त मात्रा में केन्द्रीय सहायता देने का अनुरोध करता हूं। अनुसूचित जाति की बालिकाओं को 50-50 के अनुपात में छात्रावासों में स्थान प्रदान किया जाता है। परन्तु यह केन्द्रीय योजना है जो बालक और बालिकाओं दोनों के लिए लागू होनी चाहिए। इसी प्रकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के घुमन्तू और अर्ध-घुमन्तू तथा विमुक्त जातियों के लोगों के लाभ के लिए उन्हें शत-प्रतिशत राज सहायता दी जाए। उड़ीसा राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के बच्चों को मैट्रिक पूर्व की छात्र वृति के राज्य सरकार के अंश का भार केन्द्र को वहन करना चाहिए।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बहुत-से बच्चे प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ देते हैं। ऐसे बच्चों की संख्या 90 प्रतिशत है। राज्य सरकार ने उप-योजना क्षेत्रों की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक छात्रावास का निर्माण करने का निर्णय किया है। उड़ीसा में इस प्रकार की 1209 पंचायतें हैं, तथा प्रत्येक पंचायत में छात्रावास बनाने के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता होगी, जो राज्य सरकार की क्षमता से बाहर है। अत: मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस व्यय के भार को उठाये। मैं मंत्री महोदय और श्रीमती गांधी का देश के स्वतन्त्रता सेनानियों के प्रति रुचि दिखाने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। इनमें से बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। उन्होंने अपने जीवन का सब कुछ देश की स्वतन्त्रता के लिए बलिदान कर दिया। अत: उन्हें या उनके परिवार के सदस्यों को पेन्शन दी जाए। इस कार्य में पूरी गम्भीरता से काम किया जाए, क्योंकि हमने देखा है कि उनकी पेंशन स्वीकृत करने के सम्बन्ध में कई रुकावटें खड़ी की जाती हैं और पेंशन नहीं दी जाती। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से जब भी कोई आवश्यक जानकारी मांगी जाती है तो यह वहां से नहीं आती। इसलिए मैं मंत्री महोदय से इस ओर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं।

मंडल आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। ऐसा पता चला है कि उसमें कुछ कमी रह गई हैं और कतिपय जातियों को छोड़ दिया गया है, उन्हें सूची में शामिल नहीं किया गया है। ऐसी एक जाति का नाम मैं बतलाता हूं। सूची में कोंडारा जाति को शामिल किया गया है परन्तु कुंडुमा जाति को छोड़ दिया गया है, जबकि कुंडुमा और कोंडारा जातियां एक ही स्तर की हैं। अत: इस ओर ध्यान दिया जाए।

साम्प्रदायिक दंगों के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां ये दंगे हों वहां रहने वाले दो अथवा तीन वर्गों के लोगों को मिलाकार एक शान्ति समिति का गठन किया जाए जो पंचायत के रूप में या ऐसे ही संगठन के रूप में महीने में दो बार या प्रति मास समस्याओं का और सामने आने वाली कठिनाइयों का अध्ययन करे और उन पर विचार करे। अपने मामले वे इस समिति में हल करें जिससे वहां साम्प्रदायिक दंगे न हों।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं यह अनुरोध करता हूं कि कानून और व्यवस्था की स्थिति की बात कहने से पहले हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि जनसंख्या दिन-प्रतिदिन

बढ़ती चली जा रही है और कानून और व्यवस्था की समस्याएं भी उसी के साथ बढ़ रही हैं। इसलिए हमें बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ-साथ पुलिस को भी बढ़ाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं गृह मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री के० प्रधानी : सभापति महोदय, मैं गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करने लिए खड़ा हुआ हूं।

श्रीमन्, मैं सबसे पहले पुलिस और सार्वजनिक सुरक्षा के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। पुलिस जानमाल और कानून और व्यवस्था की रखवाली है। एक लोकतान्त्रिक देश में पुलिस देश के लोगों के अधिकारों और आवश्यकताओं में संतुलन रखने का कार्य करती है। ब्रिटेन की पुलिस संसार-भर में सबसे कम कुख्यात मानी गई है तथा वह अपनी कार्यकुशलता के लिए भी प्रसिद्ध है। परन्तु ब्रिटेन में भी उनके साथ मारपीट की जाती है। ऐसे समाचार मिले हैं कि प्रति मास ब्रिटेन में 800 पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट होती है तथा महानगरों में तो स्थिति और भी खराब है। 1975 में यह संख्या 2999 थी, जो 1977 में बढ़कर 4030 हो गई थी। इसी प्रकार भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में भी पुलिस अधिकारियों का कार्य बड़ा कठिन हो गया है और जोखिम से भरा है, जिसमें अक्सर अपराधियों और कानून तोड़ने वालों से आमना-सामना हो जाता है। इसलिए आवश्यकताओं के अनुसार राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने भारत में पुलिस के कार्यकरण में सुधार करने के लिए कुछ बहुत ही अच्छी सिफारिशें की हैं। उनमें से एक यह है कि पुलिस के सिपाहियों को अच्छा वेतन दिया जाए, जिससे योग्य लोगों की भर्ती की जा सके। उन्हें अच्छा प्रशिक्षण दिया जाए तथा आवास आदि भी उपलब्ध कराया जाये।

परन्तु पुलिस के कार्य में सुधार के लिए इतना ही करना पर्याप्त नहीं है; यह सुधार तब तक नहीं हो सकता जब तक कि पुलिस के कार्यकरण की देख भाल के लिए उचित अधिकारी न हों। ब्रिटेन में 1976 में एक अधिनियम पास किया गया जिसके अंतर्गत ब्रिटेन में पुलिस के कार्य की देख भाल के लिए एक गैर-सरकारी गैर-पुलिस बोर्ड की स्थापना की गई। हमारे देश में भी ऐसा किया जाना आवश्यक है। विश्व भर में हमारा लोकतन्त्र सबसे बड़ा है। इसलिए भारत में पुलिस के कार्यकरण की देख भाल के लिए किसी निकाय का होना बहुत आवश्यक है।

अब मैं भारत में आदिवासियों के विकास पर आता हूं। एक आदिवासी सदस्य होने के नाते मैं प्रधान मंत्री को बधाई देता हूं। 1980 में सरकार बदलने के बाद से आदिवासियों के विकास में बड़ी तेजी आई है। उन्होंने आदिवासियों के विकास के कार्यक्रम को फिर से पुनर्जीवित किया, जिसे जनता शासन काल में गहरा धक्का लगा था। परन्तु कुछ बातें अब भी ऐसी हैं जो परेशान करती हैं। आदिवासियों का भरण-पोषण करने वाली दो मुख्य चीजें हैं भूमि और वन। आज भी ये प्राचीन काल के समान ही उनके लिए महत्वपूर्ण हैं। परन्तु पिछले 200 वर्षों से गैर-आदिवासी लोग धीरे-धीरे आदिवासी क्षेत्र में घुसते जा रहे हैं और कानूनी तथा गैर-कानूनी, ईमानदारी तथा बेईमानी आदि करके किसी भी प्रकार से आदिवासियों की भूमि छीनते जा रहे और आदिवासी बेसहारा होते जा रहे हैं। इस गलत कार्य को रोकने के लिए राज्यों में नियम परन्तु उन्हें भली प्रकार लागू नहीं किया जाता।

आदिवासी अपने जीवन-यापन-भोजन, चारे, लकड़ी और ईंधन के लिए वनों पर निर्भर हैं। वनों के प्रति आदिवासियों की भावना का हम अन्दाज भी नहीं लगा सकते। बस्तर में क्या हो रहा है ? बस्तर के लोग बड़े शांतिप्रिय और सीधे-साधे हैं। अब उन्होंने लकड़ी से भरे हुए ट्रकों को अपने यहां से बाहर जाने को रोकना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि बस्तर को एक संघ राज्य क्षेत्र बनाया जाए। राज्य सरकार पर से उनका विश्वास उठ गया है, क्योंकि उन्हें अपनी मांगों के सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया दिखलाई नहीं दी।

आप झारखंड के मामले से अवगत हैं तथा उनकी झारखंड राज्य की मांग से भी आप परिचित हैं। उनकी यह मांग लम्बे समय से चली आ रही है। कुछ पृथकतावादी तत्व आदिवासियों की भावना का लाभ उठा रहे हैं और गड़बड़ पैदा कर रहे हैं। हम इसके विरुद्ध हैं। तथापि मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह आदिवासियों की भावना का गहराई से अध्ययन करे और इस षड्यंत्र को शैशव में ही दबा दे।

अब मैं आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए केन्द्र द्वारा दी जा रही सहायता पर आता हूं। हमारी प्रधान मंत्री ने पांचवीं योजना अवधि में उप-योजना को आरम्भ किया। उन्होंने आदिवासी क्षेत्र के विकास कार्यक्रम में तेजी लाने पर जोर दिया। इस कार्य के लिए छठी योजना में एक बड़ी राशि रखी गई, परन्तु केन्द्रीय सहायता के रूप में आदिवासियों के विकास के लिए केवल 470 करोड़ रुपये ही आवंटित किए हैं। यह बहुत ही छोटी राशि है। इससे आदिवासियों की आवश्यकता पूरी नहीं होगी, क्योंकि उनमें गरीबी बड़ी गहराई तक बनी हुई है। इस संबंध में रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किए गए कार्यदल ने 1000 करोड़ रुपये की सिफारिश की थी।

मध्यावधि मूल्यांकन करने पर विचार किया जा रहा है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि आदिवासियों के विकास के लिए कम-से-कम 700 करोड़ रुपये आवंटित किए जायें।

अब मैं गृह मंत्रालय के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। भारत सरकार की हाल ही की एक अधिसूचना में कहा गया है कि गृह मंत्रालय आदिवासियों के विकास के लिए नीति तैयार करने, विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच भी समन्वय स्थापित करने वाला एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। इस मंत्रालय को अनुसूचित जाति के विकास का कार्य भी सौंपा गया है। इसलिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित बड़े कार्य के भार को सम्भालने के लिए मंत्रालय के अन्तर्गत एक डिवीजन सर्वथा अपर्याप्त है। मैं अनुरोध करूंगा कि मंत्रालय के अन्तर्गत इन सभी मंत्रालयों के कार्य में समन्वय स्थापित करने के लिए एक विभाग की स्थापना की जाये। यह मांग बड़े लम्बे समय से की जा रही है तथा मैं इसे पुनः दोहराता हूं।

संविधान के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास का कार्य भारत सरकार को सौंपा गया है। राज्यों के सम्बन्ध में संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। बहुत सम्भव है कि इसी कारण राज्य कभी कभी इस सम्बन्ध में बहुत पीछे रह जाते हैं, यद्यपि भारत सरकार उन पर इस दिशा में कार्य करने के लिए दबाव डालती रहती है। इसलिए मेरा सुझाव है, और ऐसा प्रस्ताव भी किया गया था कि अनुसूचित जातियों के विकास संबंधी कार्य

को सातवीं अनुसूची में समवर्ती सूची में शामिल किया जाये। जिससे यह कार्य राज्यों को सौंपा जा सके। गृह मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर बोलने का समय देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री गोदिल प्रसाद अनुरागी (बिलासपुर) : सभापति जी, मैं गृह विभाग की मांगों का समर्थन करते हुए बोल रहा हूं। मैं गृह मंत्री जी का ध्यान पुलिस विभाग के रवैये की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

गृह मंत्री जी, आपके पुलिस कर्मचारी चोर को शाह और शाह को चोर बनाते हैं। कभी किसी के यहां चोरी होती है तो जो आदमी चोर रहता है उसके ऊपर कार्यवाही न करके जो भला आदमी रहता है उसके ऊपर कार्यवाही करते हैं।

अराजकता फैलाना पुलिस विभाग का काम है। जिस गांव में शांति है उस गांव में अशांति फैलाना पुलिस विभाग का काम है। जहां पर मर्डर केस नहीं होता वहां मर्डर केस करा देना पुलिस का परम कर्तव्य है। हम कैसे आशा करें कि पुलिस विभाग एक बहुत अच्छा विभाग है। इसको जनता का संरक्षण करना चाहिए परन्तु यह भक्षण करता है। किसी भी गांव में वहां के साहूकार से मिलकर जुआ खिलवाते हैं और उससे नाल लेते हैं। यह पुलिस विभाग का काम है।

मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने विभाग को कड़े से कड़े निर्देश दीजिए। हमारे देश की प्रधान मंत्री जो भारतवर्ष में सुधार के काम करना चाहती हैं, जो कि पिछले ढाई सालों में तहस-नहस हो गये थे और जनता शासन के ढाई सालों में तहस-नहस हो गये थे। हमारी प्रधान मंत्री भारतवर्ष को बनाने के लिए दिन में 18 से 20 घंटे तक काम करती हैं। आप भी बहुत जोरों से काम करते हैं। परन्तु जो आपके पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं वे देश को आगे बढ़ाने में बाधा खड़ी करते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप सख्ती के साथ पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लें।

मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी का ध्यान अस्पृश्यता निवारण की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। आपने अस्पृश्यता निवारण के लिए कानून बनाये हैं, इसके लिए धन्यवाद। पर अस्पृश्यता निवारण में हमारे ब्राह्मण लोग, ठाकुर, क्षत्रिय, वैश्य हरिजनों के साथ छुआछूत मानते हैं। एक ओर जो आदिवासी देहात में रहते हैं उनसे हम उम्मीद करते हैं कि वे हरिजनों के लिए सब कुछ करें पर जो हमारे आदिवासी हैं वे तो ब्राह्मणों से भी ज्यादा हरिजनों से छुआछूत मानते हैं। हरिजन करें तो क्या करें ? इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि जितने हमारे जन प्रतिनिध यहां आते हैं, चुनाव जीत कर आते हैं उनसे मेरा आग्रह है कि जब आप अपने चुनाव क्षेत्र में जाएं तो हरिजनों और आदिवासियों के बीच जो कटुता है, मतभेद है, उसको अवश्य दूर करें।

यही मेरा जनप्रतिनिधियों से निवेदन है।

सभापति महोदय, हरिजनों की रक्षा के लिए हरिजन थानों की स्थापना की गई है, लेकिन वहां भी बड़े लोगों का ही पक्ष लिया जाता है और हरिजनों को सता कर बड़े लोगों से सांठगांठ करके अपना उल्लू सीधा किया जाता है। इस तरह विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

एक और महत्वपूर्ण विषय की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज हरिजन भाइयों की लाखों एकड़ जमीन साहूकार लोग पटवारी से मिलकर और रिश्वत देकर हड़प करके बैठे हैं। इसके लिए आपने ऋण परित्राण अधिनियम, 1969 बनाया है, जिसके अन्तर्गत हरिजनों की 11 साल तक और आदिवासियों की 15 साल तक, जितनी जमीनों की रजिस्ट्रीज हुई हैं, उनको निरस्त करने का प्रावधान है। लेकिन अगर इस अवधि को आजादी के समय तक बढ़ा दिया जाए, तो मुझे विश्वास है कि हरिजन-आदिवासी भाइयों की लाखों एकड़ जमीन उनको वापिस मिल सकती है।

इसी प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ के मजदूर भाई बहुत तादाद में यहां पर रोजी-रोटी के लिए आते हैं और पंजाब तथा हरियाणा में उनको रख लिया जाता है। इस पर बैन लगाना चाहिए और मजदूरों को उनके ही क्षेत्र में सहायता कार्य खोल कर रहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर राहत कार्य खोले जायें, तो हम उन मजदूरों को वापिस ले जा सकते हैं।

सभापति जी, केसतरा कांड की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वह एक बड़ा ही हृदयविदारक कांड था। मैं इस कांड के सिलसिले में जानकारी हासिल करने के लिए तीन दिन तक वहां रहा और लोगों से इस बारे में पूछताछ की। वहां से मुझे जानकारी मिली कि रावत लोग रात को हरिजनों के खेतों को चरवाते थे। इसके लिए गंगा और जमुना ने विरोध किया। इसी प्रकार जुर्माने के रूप में वसूल की गई, सार्वजनिक राशि जो उनके पास जमा थी, उस राशि को भी स्कूल निर्माण के लिए उनसे मांगा गया। एक बैल दो हजार रुपए में गंगा के पिता केदार ने उनको बेचा था, उस पैसे को भी रावत लोगों ने नहीं दिया। इस पर गंगा और जमुना ने जुबान खोली तो उसका परिणाम क्या हुआ, यह आप सब जानते हैं।

कार्य मंत्रणा समिति

28वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : श्रीमन् मैं कार्य मंत्रणा समिति का 28वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

समिति ने यह भी सिफारिश की है कि सरकारी कार्य को निपटाने के लिए सभा की बैठक शनिवार, 27 मार्च, 1982 को भी होगी।

लोकसभा बुधवार, 24 मार्च, 1982/3 चैत्र, 1904 (शक) के 11 म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मित्तल प्रिण्टर्स K-13 नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032